FOR REFERENCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 28, अंक 2

बुधवार, 20 नवम्बर, 2002
29 कार्तिक, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D...54
Date 13/6/2003

(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

सहायक सम्पादक

सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 2, बुधवार, 20 नवम्बर, 2002/29 कार्तिक, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 22	7-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 23 से 40	24-57
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	57-334
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
सभा की गरिमा बनाए रखने के बारे में	335
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	335-339
सभा पटल पर रखे गए पत्र	339-346
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	346
याचिका समिति	
सत्रहवां, अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन	347
आचार समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	347
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	348
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
सैंतीसवां, अड़तीसवां और उनतालीसवां प्रतिवेदन	348
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	349
वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति	
चौथा प्रतिवेदन	349
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
105वां प्रतिवेदन	350

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
समिति के लिए निर्वाचन	
नेशनल वेलफेयर बोर्ड फॉर सीफैयरर्स	350
स्थगन प्रस्ताव	
देश में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति	
श्रीमती सोनिया गांधी	351
श्री शिवराज सिंह चौहान	358
श्री एन०एन० कृष्णदास	369
प्रो० रासासिंह रावत	372
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	377
श्री सुरेश रामराव जाधव	383
कुंवर अखिलेश सिंह	386
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	391
डा० गिरिजा व्यास	397
श्री के० येरननायडू	405
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	412
श्री ए०के०एस० विजयन	416
श्रीमती रेणूका चौधरी	418
श्री पी०एच० पांडियन	428
श्री शान्ता कुमार	435
श्री राम सजीवन	440
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	442
श्री शरद यादव	445
श्री आर०एल० जालप्पा	449
श्री प्रसन्न आचार्य	452
श्री महबूब जाहेदी	456
श्री विक्रम केशरी देव	458
श्री रामदास आठवले	462
श्री रामजीवन सिंह	464
श्री प्रबोध पण्डा	468
श्री रामानन्द सिंह	470

विषय		कॉलम
	श्री कालवा श्रीनिवासुलु	474
	श्री अमर राय प्रधान	475
	डा० सुशील कुमार इन्दौरा	476
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	478
	श्री जोवाकिम बखला	483
	श्री हरीभाऊ शंकर महाले	484
	डा० सी० कृष्णन	485
	श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर	486
	श्री अजित सिंह	488

नियम 377 के अधीन मामले

(एक)	राजस्थान के करौली जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जसकौर मीणा	498
(दो)	गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बहुल नर्मदा जिले का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए वन कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मनसुखभाई डी० वसावा	499
(तीन)	गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पालनपुर में रेल लाइन पर उपरिपुल का निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाई चौधरी	499
(चार)	मध्य प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	500
(पांच)	मध्य प्रदेश में सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामानन्द सिंह	500
(छह)	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा कतिपय जिलों को 'विशेष दर्जे वाले जिले' घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री इकबाल अहमद सरडगी	501

विषय कॉलम

(सात) उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शहर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह 501

(आठ) परवा-बोरी-सिन्दोला-चन्द्रपुर-गढ़चिरौली-धनोरा-दुर्ग मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया 502

(नौ) पश्चिमी बंगाल में ऊदलबाड़ी रेलवे स्टेशन का दर्जा बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन 502

(दस) आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु 503

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री भालचन्द्र यादव 503

(बारह) बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल 504

(तेरह) हरियाणा की डबवाली तहसील में शेरगढ़ गांव में आदर्श नवोदय विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

डा० सुशील कुमार इन्दौरा 504

(चौदह) कश्मीर के युवाओं के लिए एक विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 505

(पन्द्रह) दक्षिण-पूर्व रेलवे के सियालदाह खंड में रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 506

लोक सभा

बुधवार, 20 नवम्बर, 2002/29 कार्तिक, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे एनाउन्समेंट करनी है। आप कृपया बैठिए। हमारे यहां जो मेहमान आए हुए हैं, उनका हमें स्वागत करना है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से भारत की यात्रा पर आए कनाडा की संसद के सीनेट के अध्यक्ष महामहिम श्री डेनियल फिलिप हेज़ और कनाडा के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करता हूं।

यह शिष्टमंडल 17 नवम्बर, 2002 को भारत पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से कनाडा के गवर्नर जनरल, संसद और वहां की मित्र जनता को अपनी शुभकामनायें व्यक्त करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब लोग खड़े होंगे तो मैं सुन नहीं सकूंगा। आपमें से एक बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि इस संबंध में मेरी आपसे बात हुई है। आपने राज्यपाल महोदय का बयान पढ़ा होगा। राज्यपाल महोदय कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुमत सिद्ध करे, क्या समाजवादी पार्टी राजभवन में जाकर उनके बैडरूम में बहुमत सिद्ध करेगी – यह हम जानना चाहते हैं ? संविधान की धज्जियां उड़ायीं जा रही हैं। हमारी मांग है कि विधान सभा भंग करिए, यदि ऐसा नहीं करते तो विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने हेतु सत्र बुलाइए। हमारी सरकार को तत्कालीन राज्यपाल, श्री मोतीलाल वोरा जी ने बर्खास्त किया था। मणिपुर से लेकर गुजरात तक सभी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया गया, लेकिन हमें बहुमत सिद्ध करने का मौका नहीं दिया गया। मोतीलाल वोरा जी तत्कालीन राज्यपाल जी से 1995 में हमने बहुमत सिद्ध करने हेतु 24 घंटे का समय मांगा था। लेकिन 24 घन्टे का भी समय नहीं दिया गया था और सरकार बर्खास्त कर दी थी। इस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। उ०प्र० सरकार बहुमत सिद्ध करे और राज्यपाल महोदय को सत्र बुलाना चाहिए। सबकी मांग चली आ रही है, लेकिन यह बयान दे देना कि समाजवादी पार्टी बहुमत सिद्ध करे, यह असंवैधानिक और अलोकतान्त्रिक काम हो रहा है। हमें आपके अलावा कहीं संरक्षण नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मंगलवार को सदन में चर्चा हो सकती है। उसी दिन आप सबके सामने विचार रख सकते हैं और दूसरे माननीय सदस्यों को भी मौका मिलेगा। इस विषय पर आज चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उसके बाद भी केन्द्रीय सरकार ने निर्देश नहीं दिया कि यह अनाप-शनाप असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कार्य बन्द करो। कम से कम बेशर्मी छोड़ें और लिहाज करें। राज्यपाल महोदय को तुरन्त बर्खास्त कीजिए। संविधान के खिलाफ काम हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया है, मैं इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। हमने बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में तय किया है कि मंगलवार को इस विषय पर चर्चा होगी। हमने यह भी तय किया है कि प्रश्नकाल ठीक तरीके से चलना चाहिए और प्रश्नकाल चलाने के लिए आप सहयोग दीजिए। इस विषय पर मंगलवार को चर्चा होगी।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : ऐसी स्थिति में सदन में प्रश्नकाल चलने का क्या औचित्य है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपको हमें भी अनुमति देनी चाहिए। मैंने भी स्थगन सूचना दी है। मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दूसरे नोटिसेस प्रश्नकाल के बाद ही आ सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं ताकि गठबंधन सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर सके। उन्हें बहुमत सिद्ध करने हेतु मुख्यमंत्री से कहना चाहिए। राज्यपाल बहुमत सिद्ध करने हेतु मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कह रहे हैं ? ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, आपका प्रश्न गम्भीर है और प्रश्न गम्भीर होने के कारण ही मैंने चर्चा कराना मान्य किया है। जब चर्चा होगी, उस समय आप अपनी बातें रेज़ कर सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न-काल का समय मत लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी ने सरकार गिराने की कोई पहल नहीं की। सरकार के समर्थक विधायकों ने ही सरकार के विरुद्ध अविश्वास किया है। जिन विधायकों ने सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* विधायक के बाप पर हमला हो रहा है। *(व्यवधान)* हिन्दुस्तान के अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो माफियाज़ हैं, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर पहले आप सब माननीय सदस्य बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं कोआपरेट कर रहा हूं, मैंने चर्चा के लिए कबूल किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा के बीचोबीच खड़े मत होइए। मेरे विचार से आप इस तरह से मुद्दा नहीं उठा सकते।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[हिन्दी]

(इस समय कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस समय आपको परमीशन नहीं दे सकता हूं। जिस दिन चर्चा होगी, उस समय आप बोल सकते हैं। अभी मुझे प्रश्न-काल चलाना होगा। सब लोग चाहते हैं, इसलिए मुझे अभी प्रश्न-काल चलाना ही पड़ेगा। मैं इसके लिए अभी कैसे अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए और अपने स्थान पर वापस जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। इस तरह से मैं इस मुद्दे पर विचार नहीं कर पाऊंगा। आप सभी को सहयोग करना।

[हिन्दी]

पड़ेगा, अन्यथा मुझे प्रश्न काल शुरू करना पड़ेगा। यहां बहुत से लोगों ने प्रश्न दिए हुए हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मैं आपकी बात कबूल कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप कृपा कर अपनी जगह पर जाइए। आप जानते हैं कि मैं खड़ा हूं, आप अपनी जगह, पर जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, हमें बोलने की अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने अभी चर्चा शुरू नहीं की है, मैं प्रश्न-काल लेने वाला हूं। मुझे माफ करना, अब मैं प्रश्न-काल ले रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 21, डा० मदन प्रसाद जायसवाल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे के संबंध में कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : प्रश्न सं० 21

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : महोदय, हमें भी बोलने की अनुमति दी जाए। ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा कि मैं मदन प्रसाद जायसवाल जी के सिवा किसी की बात रिकार्ड पर नहीं ले रहा हूं।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए, कृपया एक-दूसरे को हाथ न लगाएं।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इन्हें सस्पेंड करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। सभी को अपने स्थान पर बैठना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी *(अमरोहा)* : *सर, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए।* ···*(व्यवधान)* इस तरह के दबाव से हम घबराते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी को अपने-अपने स्थान पर बैठना चाहिए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूं कि आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नं० 21 प्लीज।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइये। मैं काम आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाइये। अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। इस विषय पर उचित कार्यवाही मैं जरूर करूंगा। आप बैठ जाइये। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बैठिए। बहुत हो गया है। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, आप पहले इस मामले में कार्रवाई करिए, वरना हम सदन चलने नहीं देंगे। आपके सामने हाथापाई हुई। हम आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। ···*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.16 बजे

(इस समय श्री अशोक कुमार सिंह चन्देह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : मैं रूल्स देख कर इस विषय में नियमानुसार कार्रवाई करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्वश्चन आवर के बाद तुरन्त कार्रवाई करूंगा। आप बैठिए।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

(इस समय श्री अशोकर कुमार सिंह चन्देह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

[हिन्दी]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दूरसंचार घोटाला

+

*21. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 2002 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टेलीकॉम रैकेट बस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अनेक व्यक्ति गलत तरीकों से एस०टी०डी०/आई० एस०डी० टेलीफोन कॉल करने के धंधे में लिप्त पाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पिछले वर्ष और इस वर्ष के दौरान आज तक इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) मैसर्स वर्ल्ड कॉलनेट (बांड का नाम क्लीयरटेल) बिना किसी लाइसेंस के दिल्ली और इसके आस-पास के इलाके में वर्चुअल कॉलिंग कार्ड (वी०सी०सी०) के रूप में प्री-पेड एस०टी०डी०/ आई०एस०डी० कार्डों का विज्ञापन दे रही थी और उन्हें टेलीफोन ग्राहकों को बेच रही थी। एम०टी०एन०एल०/बी०एस०एन०एल० के ग्राहकों द्वारा की गई एस०टी०डी०/आई०एस०डी० कालों को क्लीयरटेल द्वारा गुड़गांव में मैसर्स भारती टेलीनेट (टचटैल) से प्राप्त की गई टेलीफोन लाइनों के माध्यम से भेजा जा रहा था। इस प्रकार एम०टी०एन०एल०/बी०एस०एन०एल० के ग्राहकों द्वारा इन प्री-पेड कार्डों का प्रयोग करके की गई एस०टी०डी०/आई०एस०डी० कॉलों को इस व्यवस्था के माध्यम से मैसर्स भारती टेलीनेट (टचटैल) की ओर से की गई कालों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था। इसके कारण एम०टी०एन०एल०/बी०एस०एन०एल० एस०टी०डी०/ आई०एस०डी० कालों के लिए मिलने वाले अपने न्यायसंगत राजस्व से वंचित हो रहे थे।

(ग) पहली जनवरी, 2001 से आवक अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के अवैध रूटिंग के, जिसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाताओं को नोशनल हानि हुई, 75 मामलों का पता लगाया गया है जिनमें प्राइवेट फर्में/व्यक्ति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एस०टी०डी०/आई०एस०डी० के दुरूपयोग के 32 अन्य मामलों का भी पता लगाया गया है जिनमें 67 व्यक्ति शामिल हैं। इनमें से 16 मामलों में बी०एस०एन०एल०/एम०टी० एन०एल० को लगभग 1.52 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है और बाकी बचे मामलों में हानि का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

(घ) सरकार परियात के अवैध रूटिंग पर रोक लगाने के लिए सी०बी०आई०/पुलिस की सहायता से छापे मारने सहित समुचित कार्रवाई करती है। उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित मामले में पुलिस की रिपोर्ट की गई थी। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और अवैध प्रचालन रोक दिया गया था। सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवारक उपाय इस प्रकार हैं :–

(i) दूरसंचार से संबंधित धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी जांच करने के उद्देश्य से ही चार महानगरों में अलग से विशेष सीबीआई सेल स्थापित किए गए हैं।

(ii) अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए सेवा प्रदाताओं और जांच एजेंसियों के बीच गहरा तालमेल रखा जाता है।

(iii) टेलीफोन एक्सचेंजों में जांच कार्यों को तेज कर दिया गया है।

(ङ) पहली जनवरी, 2001 से इस संबंध में 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और सी०बी०आई०/पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह की धांधलियां टेलीकॉम डिपार्टमैंट के लोगों की मिली-जुली व्यवस्था के तहत हो रही है। क्लीयरटेल ने अखबारों में विज्ञापन दिया कि यह आई०एस०डी० और एस०टी०डी० वर्चुअल कॉलिंग कार्ड बेच रहा है। अखबारों में यह बात मंत्रालय की नॉलेज के बगैर आ गई लेकिन उस समय कार्रवाई नहीं हुई जबकि उसी समय कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि मंत्रालय के कुछ लोगों की मिलीभगत से यह घटना हुई। ऐसी घटना केवल एक नहीं है। इसके साथ-साथ 23 नवम्बर को हैदराबाद में एक करोड़ रुपए का इंवेस्ट्रेमैंट पकड़ा गया जो इंटरनेशनल कॉल आई०एस०डी० का काम करता था। इसमें काफी लोग लिप्त थे और उसे कई दूसरे लोगों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद दिल्ली में पिछली 7 अगस्त को एक जर्मन नागरिक पकड़ा गया। इस नागरिक ने यही धंधा शुरू कर दिया। इसके पहले कोलकाता में एक मैक्सिकन सिटिजन और इसके साथ बंगलौर के

दो लोग मिल कर वहां यही रैकेट चला रहे थे। इससे सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इन घटनाओं को देख कर ऐसा लगता है कि सरकार गम्भीरता से इसे नहीं ले रही है। माननीय मंत्री का जो जवाब आया है कि उसमें डिसपैरिटी है। इसी सदन में 30.7.2001 को मुम्बई में जो रैकेट चल रहा था, उसके संबंध में प्रश्न पूछा गया था। उस समय मंत्री जी के जवाब में और आज के जवाब में काफी डिसपैरिटी है। उस समय सरकार ने स्वीकार किया

[अनुवाद]

"इनमें से सात मामलों में अनुमानित घाटा 20.68 करोड़ रुपये आंका गया है तथा शेष मामलों में यह घाटा नहीं आंका जा सका। चूंकि इन अवैध क्रियाकलापों में गैर-सरकारी लोग लिप्त है अत: इस मामले में जांच तथा उचित कार्यवाही हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो पुलिस की सहायता ली गई है।"

लेकिन अब यह उत्तर दिया गया है कि केवल 1.52 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। दो मंत्रियों के उत्तर में अंतर क्यों है ? इसका मतलब है

[हिन्दी]

कि मंत्री महोदय को विभाग के लोग सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। वह माननीय मंत्री जी को मिसलीड कर रहे हैं। यह मामला बहुत गम्भीर है। एक मंत्री कहते हैं कि 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और दूसरे मंत्री कहते हैं कि एक करोड़ 52 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दोनों जवाबों में इतनी डिसपैरिटी है कि कोई हिसाब नहीं। राम विलास पासवान जी जब मंत्री थे, या तो उन्होंने गलत बयान किया या माननीय मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्लीयरटेल या क्लीयर वर्ल्ड भारती टचटैल की मिलीभगत से इस काम को कर रहा था। भारती टचटेल जो हमारी लाइसेंसी है, उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी ने क्या कार्रवाई की है और इस में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है ? क्या माननीय मंत्री जी इस मामले को सी०बी०आई० को देने के लिए तैयार है ?

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, जिस वार्ता पर आधारित यह प्रश्न पूछा गया है, उसे पढ़ कर ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने कोई गैर कानूनी नेटवर्क का पर्दाफाश किया और उसके बाद संचार मंत्रालय ने उस पर कोई कार्रवाई की।

अध्यक्ष जी, पहले तो मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि यह जो वार्ता आयी है, उसमें दिल्ली पुलिस को शिकायत संचार मंत्रालय की ओर से हुई थी और इसलिये यह जो घटना है, इसको पकड़ने का काम संचार मंत्रालय की ओर से हुआ था। जब संचार मंत्रालय को इस बात की आशंका हुई कि क्लीयर टैल की ओर से इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, तब हमने पुलिस में शिकायत की और उसके अनुसार उस पर कार्यवाही शुरू हुई।

यह बात सच है और मंत्रालय इस पर निगरानी रखता है कि जब समाचार-पत्रों में अगर इस तरह के विज्ञापन देते हैं कि संचार की दरों को अनाप-शनाप कम करें और अगर वह व्यक्ति या संस्था विश्वसनीय नहीं होती तो उन सारे विज्ञापनों पर बारीकी से नजर रखी जाती है। जब भी ऐसी चीजें ध्यान में आती हैं, पुलिस के माध्यम से उस पर कार्यवाही करने का प्रयास होता है। जहां तक एअर टेल की बात है, मंत्रालय ने भारती को एक शो कॉज़ नोटिस ईश्यू किया है कि उनके ट्रेफिक से एन०एल०डी० की कौल्ज जा रही थी, आप इसको कैसे कर रहे थे क्योंकि क्लीयर टैल के नाम से जो कम्पनी है, उन्होंने पी०सी०ओ० के लिये कनेक्शन मांगे हैं। जब बी०एस०एन०एल० से कोई कनेक्शन मांगता है तो हमारे विचार में एक, दो, तीन कनेक्शन पी०सी०ओ० के लिये काफी होते हैं। उस व्यक्ति ने पी०सी०ओ० के लिये 180 कनेक्शन मांगे और भारती से 180 कनेक्शन चलाने के लिये जब बात की तो भारती को यह सोचना चाहिये था कि किस प्रकार से पी०सी०ओ० के 180 कनेक्शन हो सकते हैं। जब मालूम है कि पी०सी०ओ० आटोमैटिक मशीन पर नहीं चलते हैं, एक व्यक्ति उसे ऑपरेट करता है। जब औटोमाटिक मशीन पर चलाने की कोशिश की तो निश्चित रूप से भारती को जितना इस ओर ध्यान देना चाहिये था, उतना उन्होंने नहीं दिया। जब यह बात संचार मंत्रालय के ध्यान में आई कि बी०एस०एन०एल० का इसमें नुकसान हो रहा है और जब बी०एस०एन०एल० के ग्राहक काल्स करते हैं तो यह भारती से रूट होते हैं, बी०एस०एन०एल० को अपना पैसा नहीं मिलता, जब यह बात ध्यान में आई तो पुलिस से शिकायत की और भारती के खिलाफ शो कॉज़ नोटिस ईश्यू किया गया। उन सारी 100 लाइनों को भी कैंसिल कर दिया गया।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न यह पूछा कि आंकड़ों में क्या अंतर है। हालांकि पिछला प्रश्न मेरे पास नहीं हैं लेकिन इस प्रश्न के जो आंकड़ें दिये गये हैं, वे जनवरी, 2001 के बाद की घटना के हैं। जैसा कि जिक्र किया गया कि तत्कालीन संचार मंत्री श्री राम विलास पासवान ने जुलाई, 2001 में जवाब दिया था।
(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : जुलाई, 2001 का नहीं, माननीय सदस्य ने पूरे समय का पूछा है।

[अनुवाद]

प्रश्न के दो भाग हैं। कृपया सभा में इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न का भाग (क) और (ख) इस घटना से संबंधित हैं तथा भाग (ग) से (ङ) समग्र घटनाक्रम से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उनका प्रश्न खत्म हो तो आपको पर्टिकुलरली जवाब दूंगा। उसमे कोई दिक्कत नहीं है। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, उनके समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं। जहां तक आंकड़ों की बात है, मुझे इसमें कोई अंतर का ध्यान नहीं आ रहा है। अगर कोई अंतर ध्यान में आया तो उसको देख लूंगा।

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष जी, यह बात प्रूव हो गई है कि इस में एअर टेल या भारती टच टेल का इनवाल्वमेंट है। यह रैकेट केवल दिल्ली का नहीं बल्कि इसमें एक जर्मन और मैक्सिकन नागरिक भी पकड़े गये हैं, यह केवल मैट्रोपौलिटन सिटीज की बात नहीं, यहां ऐसे करोड़ों रुपये के रैकेट्स हुये हैं। लोगों से आई०एस०डी० ले लिये गये। पी०सी०ओ० खोल लिये गये और करोड़ों रुपया टेलीकॉम डिपार्टमेंट का उन पर बकाया है। वे लोग पी०सी०ओ० बंद करके चले गये, उनका पता नहीं चल रहा है। मेरा कहना है कि जब तक टेलीकॉम डिपार्टमेंट की इसमें मिलीभगत नहीं होगी, इस प्रकार की घटनायें नहीं हो सकतीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि क्या टेलीकॉम डिपार्टमेंट इन सारी बातों को लेकर सी०बी०आई० की जांच स्पेशियली एअर टेल, भारती, टच टेल के विरुद्ध मंत्री जी कराने के लिये तैयार हैं ? इसलिए इसकी सी०बी०आई० से जांच कराई जाए तथा इसमें दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इसमें इनवोल्व राशि का कुछ पता नहीं चला कि उन लोगों ने कितने करोड़ रुपये के वी०सी०सी० (वर्चुअल कॉलिंग काड्र्स) बेच दिये या उनके माध्यम से कितनी कॉल्स की। यह चीज एयरटैल के पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसकी सी०बी०आई० से जांच कराई जाए तथा इसमें इनवोल्व राशि का पता लगाया जाए। मुझे आशा है कि मंत्री जी इन दोनों बातों की जांच सी०बी०आई० से करायेंगे। अभी मंत्री जी ने कहा जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है, उसमें श्री रामविलास पासवान द्वारा दिया गया प्रश्न का उत्तर मेरे पास उपलब्ध है। यदि मंत्री जी चाहें तो वह मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं।

श्री प्रमोद महाजन : यह आया था।

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : मेरा प्रश्न उसी समय से रिलेटिड है, जिस पीरियड में बीस करोड़ हो गया और दूसरा एक करोड़ 52 लाख हो गया। ऐसा लगता है कि इस विभाग में पार्लियामेंन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर इतने व्यस्त हैं कि इस चीज पर इनका विशेष ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि मंत्री जी थोड़ा सा इस विषय पर विशेष ध्यान दें। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बहुत काम है, उनकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। यह बहुत बड़ा डिपार्टमैन्ट है। मंत्री जी को इस विषय में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह इस सबकी पूरी जांच करायेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक तेरी जिम्मेदारियां हैं, उनमें डा० जायसवाल यदि कोई सहयोग करना चाहते हैं तो मैं प्रधान मंत्री जी को इस बात की जानकारी दूंगा कि डा० जायसवाल मेरे बढ़े हुए काम के बोझ को कम करने के इच्छुक हैं और अगर कृपा हुई तो आपका सहयोग मैं अपना बोझ कम करवाने में जरूर लूंगा। जहां तक सी०बी०आई० से जांच कराने का संबंध हैं, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्य रूप से मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में सी०बी०आई० के स्पेशल सैल परमानैन्टली इस विषय में काम करने के लिए बने हुए हैं। इन सैल्स का पूरा खर्चा संचार मंत्रालय उठाता है और जब भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो उन्हें सी०बी०आई० के हाथ में देते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि यह सी०बी०आई० से जुड़ी चीज नहीं है, हम उसे परमानैन्टली मॉनीटर करने का प्रयास करते हैं।

दूसरी बात आपने कही कि विज्ञापनों के द्वारा मॉनीटर करने का प्रयास करते हैं कभी-कभार एकाध लाइन से ज्यादा कॉल्स हो रही हैं और यदि संदेश आया तो उसे मॉनीटर करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं एम०टी०एन०एल० की दृष्टि से अभी हमने नया ऑटोमैटिक सोफ्टवेयर फ्रॉड मैनेजमैन्ट कंट्रोल सिस्टम बैठाने की कौशिश की है। जो 24 घंटे जैसे मुम्बई और दिल्ली में होती हुई कॉल्स को मॉनीटर करता है और यदि कहीं भी उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है तो उस एबनॉर्मेलिटी के आधार पर वह उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करता रहेगा। यह भी सच है, मैं यह नहीं कहता क्योंकि अगर पिछले पांच साल के रिकार्ड को देखें तो कभी-कभार इसमें बी०एस०एन०एल० के कर्मचारी भी जुड़े होते हैं। अगर सब के सब कर्मचारी न जुड़े रहें तो फ्रॉड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ऐसे कर्मचारी जुड़े रहते हैं तो उन पर भी कार्रवाई करते हैं। हमने पिछले पांच साल में कार्रवाई की है और मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि प्राइवेट व्यक्ति इसमें 20 प्रतिशत होते हैं, 80 प्रतिशत भारत संचार निगम लि० या एम०टी०एन०एल में काम करने वाले अधिकारी होते हैं क्योंकि वे ज्यादा जानकारी रखते हैं। अधिकारियों से मेरा मतलब कर्मचारियों से है जो इसमें इनवोल्व होते हैं। जब ऐसे केसेज जानकारी में आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होती है।

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापटल पर रखा गया विवरण तथा माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर तथ्यों और सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने बताया है कि कुल 32 मामले हैं और 67 लोग इनमें लिप्त हैं। 16 मामलों में 1.52 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। अन्य 16 मामलों में क्या स्थिति है।

मुझ से पहले बोलने वाले मेरे सहयोगी ने जो आंकड़े दिए हैं वे सही नहीं है। घाटा करोड़ों में हुआ है। सामाचार पत्र में यह बात प्रकाशित हुई है। जैसाकि हम जानते हैं, यह सरकार घोटालों की सरकार है फिर चाहे यह घोटाला विनिवेश मंत्रालय अथवा पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित है। अब यह घोटाला संचार मंत्रालय के मामले में हुआ है।

मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे न केवल 1 जनवरी, 2001 से आगे की जानकारी बताएं अपितु यह भी बताएं कि विगत तीन अथवा चार वर्षों के दौरान क्या हुआ है। उन्हें बताना चाहिए कि कुल कितना घाटा हुआ। उन्हें 1.52 करोड़ रुपये के आंकड़े नहीं देने चाहिए थे। चूंकि उन्होंने यह आंकड़े दिए हैं तो इन आंकड़ों का हिसाब करने का क्या तरीका अथवा पद्धति अपनाई गई है ?

मैं कहूंगा 152 करोड़ रुपये। ऐसा अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता है। आपने इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? कितने अधिकारी इसमें लिप्त थे ? कितनों को गिरफ्तार किया गया है ? आप हमें सही आंकड़े दीजिए।

दूसरा, आपने इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्या आपने उन्हें निलंबित किया है ? क्या आपने उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की है ? आप हमें सुस्पष्ट उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, जहां तक अनुमानित घाटे का सवाल है, उसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है और उतना ही घाटा अनुमानित इस विषय से संबंधित है। कभी दो साल पहले या चार साल पहले कोई घटना घटी हो और उसका घाटा क्या है, उसके लिए अलग से प्रश्न आएगा तो उसका भी घाटा बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

जहां तक स्टैटिस्टिकल इनफॉर्मेशन है, मैं एक क्षण में पढ़कर बताऊं कि 1997 से 2001 तक हमने विभिन्न स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की है। ऐसी संख्या सैकड़ों में जाती है। अगर डीटेल देनी है तो मैं आपको दे सकता हूं।

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : मैंने आप से स्पष्ट प्रश्न पूछा है। आपने 1.5 करोड़ रुपये का हिसाब किस तरह लगाया है ?

अध्यक्ष महोदय : वे यह कह रहे हैं। वे यह पता लगाएंगे और आपको लिखित में देंगे।

(व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : और यह भी कि कितने अधिकारी लिप्त थे ? उन अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है। ये आपको स्पष्ट उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि लोकल कालों में धांधली होती है और जब हमारा ग्राहक टेलीफोन डिपार्टमेंट के पास जाता है तो जो 200 किलोमीटर की लोकल कॉल है, उसकी डीटेल नहीं मिलती है। धांधली रोकने के लिए जो लोकल कॉल और 200 किलोमीटर की कॉल है, उसकी डीटेल देने की कोई व्यवस्था सरकार के पास है या नहीं ?

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, जहां तक धांधली का प्रश्न है, वह साधारणत: स्थानीय काल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। वह बेसिकली एस०टी०डी० और आई०एस०डी० जब यूज की जाती है, तभी धांधली होती है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : लोकल कॉल की डीटेल नहीं होती हैं।

श्री प्रमोद महाजन : एस०टी०डी० और आई०एस०डी० की ही डीटेल मिलती हैं। लोकल कॉल का धांधली से कोई संबंध नहीं है इसलिए उसकी डीटेल नहीं होतीं।

श्री सुरेश रामराव जाधव : जो 200 किलोमीटर की लोकल कॉल है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं।

श्री प्रमोद महाजन : 200 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर है, एक लोकल कॉल तो लोकल कॉल ही है। उसमें धांधली नहीं होती है तो दूरी का सवाल ही नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात बिल्कुल सही है।

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : मैं, माननीय मंत्री से एम०टी०एन०एल० का राज्य के विशाल बी०एस०एन०एल० में विलय करने के बारे में एम०टी०एन०एल० की विनिवेश योजना के पश्चात की गई घोषणा के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। बल्कि यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। आंतरिक विरोध के कारण इन दो कम्पनियों के विलय की घोषणा की गई थी। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह घोषणा करने से पहले एम०टी०एन०एल० के मूल्यांकन पर इस घोषणा के प्रभाव पर ध्यान दिया है। उस मूल्यांकन के बाद से शेयर मूल्य में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी घोषणाएं करने से पहले कार्यबल के मनोबल तथा एम०टी०एन०एल० और बी०एस०एन०एल० का साथ-साथ काम करने के मुद्दों के बारे में विचार किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं ए०डी०आर० तथा जी०डी०आर० धारकों के संबंध में कानूनी जटिलताओं के बारे में भी जानना चाहता हूं। जब अंतर्राष्ट्रीय निवेशक शेयर खरीदते हैं तो वे कतिपय योजनाओं पर आधारित दीर्घ अवधि के लिए खरीदते हैं। विलय की ये योजनाएं नियमावली में घोषित नहीं की गई थी।

स्वदेशी दूरसंचार क्षेत्र में व्याप्त प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ऐसे विलय का कोई अर्थ है जब हम ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं जहां कम्पनियों को अधिक प्रगतिशील और परिणामोन्मुखी होने की आवश्यकता है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं प्रश्न सं० 21 पर हूं और माननीय सदस्य ने इसी तरह का प्रश्न सं० 36 पूछा है। जब तक आप विशेषरूप से इन दो प्रश्नों को एक साथ नहीं मिलाते, मैं इसका उत्तर नहीं दे

पाऊंगा। अन्यथा इसके बाद सूचीबद्ध 15 प्रश्नों की प्राथमिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप मुझे पर जोर डालेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। लेकिन यह प्रश्न सं० 21 से संबद्ध नहीं है।

एशियाई खेल

+

*22. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या 20 अक्तूबर, 2002 के "हिन्दू" समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार यह सच है कि हाल ही में बुसान में आयोजित एशियाई खेलों में भाग लेने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों को प्रतिबंधित औषध के सेवन के दोषी पाए जाने के परिणामस्वरूप उनके पदकों से वंचित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके तथ्य क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का खेलों के आयोजन से पूर्व प्रतिबंधित औषधों का सेवन करने के बारे में परीक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो किस स्तर पर;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। बुसान एशियाई खेल-2002 के दौरान सुश्री सुनीता रानी, एथलीट, "नेनड्रोलोन" नामक प्रतिबंधित पदार्थ के इस्तेमाल के परीक्षण में दोषी पायी गई थीं।

(ग) और (घ) बुसान एशियाई खेलों के लिए सरकार द्वारा क्लीयर किए गए सभी खिलाड़ियों की उनके बुसान के लिए प्रस्थान से पहले डोप के लिए जांच की गयी थी। सुश्री सुनीता रानी डोप परीक्षण की जांच में नकारात्मक पायी गयी थी।

(ङ) और (च) भारतीय खेल प्राधिकरण, (एस०ए०आई०) ने इस मामले में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित समिति की रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री एस०एस० शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी स्थापित की है। समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अगले उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : महोदय, हाल के समाचारपत्रों तथा हाल ही में आयोग द्वारा की गई जांच से मुझे पता चला है कि सुश्री सुनीता रानी को बुसान में डोप टेस्ट का शिकार बनाया गया और उससे एकदम उसके पदक वापस ले लिए। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि अधिकारियों और प्रशिक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। उन्हें क्यों छोड़ा गया जबकि उनके मार्गनिदेश में उसने इन खेलों में भाग लिया था ?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति जी, यह बात जरूर है कि एक एथलीट सुनीता रानी के दो प्रकरण सामने आए थे और उसके बाद जो एसियन फैडरेशन की कमेटी थी, उसके द्वारा जो दो मैडल, एक गोल्ड मैडल और दूसरा ब्रांज मैडल मिला था, वे उनसे वापस ले लिए गए थे। जहां तक प्रश्न है चूंकि अभी एथलेटिक फैडरेशन ने अपनी एक इंटरनल इन्क्वायरी कमेटी बैठाकर जांच की और उस जांच में डोपटेस्ट रिपोर्ट में कुछ विसंगतियां, कुछ वैरिएशैन बहुत ज्यादा पाई गई हैं और उनको लेकर वे इंटर नैशनल फैडरेशन के सामने अपना कानूनी पक्ष रखने जा रही हैं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, लेकिन माननीय मंत्री ने गलत उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि जांच परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है जबकि प्रेस में जांच परिणाम आ गए हैं। भाग (ङ) और (च) में बताया गया है जांच परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है *(व्यवधान)* एक सदस्य जांच प्रेस में गई है और बताया गया है कि उन्होंने जांच परिणाम दे दिए हैं और यह कि वह डोप जांच में दोषी नहीं पाई गई है।

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति जी, दोनों अलग-अलग बातें हैं। माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। जो आप पढ़ रहे हैं, वह तो जो रिटिन क्वश्चन पूछा था,

उसका आंसर है और उसमें सारा विवरण बताया गया है और सदन के सामने रखा गया है जो सारा घटना क्रम और सारा विवरण हुआ है, यह उसका उत्तर है, लेकिन जो स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री प्रश्न उन्होंने पूछा था, मैं उसके बारे में बता रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं मूल प्रश्न पूछ रहा हूं। हमारे सामने लिखित उत्तर है और उसमें बताया गया है रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है जबकि रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दी गई है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की जा रही। ...*(व्यवधान)* कृपया यह सुनिश्चित कीजिए ...*(व्यवधान)* सभा को गुमराह किया जा रहा है।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए। आपको वांछित उत्तर नहीं मिल सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको किस तरह वांछित उत्तर मिल सकता है ?

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा था कि यह किस प्रकार से हुआ, मैं उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसा उन्होंने पूछा कि जो कोच थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई या नहीं, मैं बताना चाहता हूं उनकी जो कोच थीं रेनू कोहली उनको निलम्बित भी किया गया है और उसके अलावा अभी शासन के स्तर पर हमने जांच कमेटी बैठाई है। एक हाई लैवल कमेटी मंत्रालय की तरफ से अभी गठित की गई है। यह तो जो जांच के बाद हुआ और जो समाचारपत्रों में आया वह एथलेटिक फैडरेशन ने अपनी जांच बैठाई थी, जिसके संदर्भ में यह बात आई है। उसी के बारे में एम्युचर एथलेटिक फैडरेशन ने अपील की है और अभी जांच में जाना है। जहां तक शासन स्तर का प्रश्न है, जो मंत्रालय की कमेटी है वह चार लोगों की हाई पावर कमेटी गठित की गई है। वह सारे मामले को देख रही है। उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : महोदय, मेरे सहयोगी ने सही प्रश्न पूछा है। मंत्री महोदय सही तरह से उत्तर दें।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सुशील सलवान आयोग द्वारा की जांच के परिणाम के अनुसार सुश्री सुनीता रानी निर्दोष हैं। यदि ऐसा है तो यह सच है कि डोप जांच वैज्ञानिक आधार पर नहीं की गई क्योंकि इस खेल में भाग लेने से पूर्व उसकी डोप जांच नकारात्मक आने पर ही उसे जाने की अनुमति दी गई थी। उसका समर्थन करने में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से विलंब से कार्यवाही क्यों की गई ? उन्होंने पहले प्रतिक्रिया क्यों नहीं की।

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति जी, इसमें दो प्रकार की बातें ध्यान में रखनी होंगी-एक हमारे यहां डोप टैस्ट होता है। कोई भी खिलाड़ी या दल खेलों में भाग लेने के लिए जब बाहर जाता है, तो उससे पहले यहां लैब में डोप टैस्ट होता है। जब वह डोप टैस्ट में क्लीयर हो जाता है, यानी निगेटिव रिपोर्ट आती है, तभी किसी खिलाड़ी को बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। हमारे यहां सुनीता रानी का जो डोप टैस्ट हुआ, उसमें क्लीयरेंस के बाद, निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही सुनीता रानी और अन्य खिलाड़ियों को जाने की अनुमति दी गई। जब कोई खिलाड़ी मैडल जीतता है, तो उसके तुरन्त बाद वहां भी उसका डोप टैस्ट होता है। उसमें पाजिटिव पाए जाने पर इस प्रकार की सारी बात हुई थी। हमारे यहां लैब में जो डोप टैस्ट हुआ था उसमें यह निगेटिव थी। तभी उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी गई। जहां तक प्रश्न उनके निर्दोष होने का है, अब इंटरनैशनल एथलेटिक फैडरेशन के पास भी अपील के रूप में उनका प्रकरण पैंडिंग होने वाला है। इसके अलावा हमने भी अपने मंत्रालय के स्तर पर जांच कमेटी बैठाई है, उसमें इन सारे तथ्यों की जांच होने के बाद जो कुछ किया जा सकता है, वह किया जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में जो मैडल मिले थे वे विथड्रा हो गए हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के० मलयसामी : माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस डोप जांच के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह अचूक, विश्वसनीय तथा स्वीकार्य है। दूसरी बात यह है कि क्या इस जांच से प्रतिबंधित औषध के सेवन का पता लगने से बचा जा सकता है ? तीसरी बात यह है कि मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिबंधित औषध का सेवन बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। हमारे देश के खिलाड़ी अन्य देशों के खिलाड़ियों की तुलना में प्रतिबंधित औषध का कितना सेवन करते हैं ? ये मेरे तीन प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति जी, जहां तक प्रश्न है हमारे यहां जो डोप टैस्ट की सुविधाएं हैं, हमारे यहां जो लैबोरेट्री है, उसके आधार पर सभी खिलाड़ियों का डोप टैस्ट होता है और उसका क्लीयरेंस

होने के बाद, निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, जाने की स्वीकृति मिलती है। हमारे यहां डोप टैस्ट में सारा मामला क्लीयर था। अब बुसान कोरिया जाने के बाद जो उनकी लैब है उसमें सारे बाकी एशियन कंट्रीज के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उन सबकी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह एथेलेटिक फैडरेशन के पास आई है। उसमें वैरिएशन पाया गया है जिसके आधार पर जांच कमेटी ने एक स्टैंड लिया है। अब आपका कहना है कि अन्य देशों के खिलाड़ी क्या करते हैं, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे यहां इस प्रकार की चीजों का सेवन खिलाड़ी न करें, इसके बारे में हम अपनी तरफ से चिन्ता जरूर करते हैं।

[अनुवाद]

श्री के० मलयसामी : माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या प्रतिबंधित औषध का सेवन बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। क्या प्रवृत्ति है ? ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे किस तरह ऐसा कह सकते हैं ?

माननीय सभापति महोदय, मुझे 1998 में दक्षिण कोरिया में और इस बार जापान में हुए विश्व कप के दौरान विश्व के बहुत प्रतिष्ठित डोप विशेषज्ञ, जर्मनी के डा० बोरमन के साथ बहुत निकट रहकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं माननीय मंत्री से कुछ बाते जानना चाहता हूं। डोप लैबोरेटरी ऑफ साइंस सबसे आखिर में रिपोर्ट देता है। मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता सकता हूं कि फुटबॉल खिलाड़ियों के प्रस्थान करने से दो घंटे पहले मुझे लिखित में एक रिपोर्ट नहीं अपितु फोन पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने बताया कि आपके खिलाड़ी अरूण मल्होत्रा की डोप जांच सकारात्मक पाई गई है। मुझे प्रस्थान से दो घंटे पहले फोन आया था। मैंने उस खिलाड़ी को रोक लिया। फुटबॉल टीम रवाना हो गई। यह एक सही निर्णय था और प्रयोगशाला ने सही काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और एशियाई ओलम्पिक समिति के मानक के अनुरूप पूरे विश्व का डोप जांच तंत्र वस्तुत: कुछ मामलों में अलग-अलग हो सकता है।

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यह एक तकनीकी प्रश्न है। यह कोई हल्की-फुल्की बात नहीं है। कुछ औषध लेना खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हैं। यह खिलाड़ियों को मार रहा है। मैं आपको बता दूं कि अधिकांश भारतीय खिलाड़ियों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि किन औषधों का सेवन करना है और किनका नहीं। क्यों ? क्योंकि भारत खेल प्रशासनिक प्रणाली विशेषरूप से चिकित्सा प्रणाली को व्यवसाय का रूप नहीं दिया है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक खिलाड़ी का अपना निजी चिकित्सक है और वह अपने चिकित्सक के पास जाता है।

सभापति महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सही उत्तर प्राप्त करने के लिए मंत्री महोदय को वह जानकारी दे दूं जो मुझे पता है।

महोदय, अन्तत: अरूण मल्होत्रा ने हमें सूचित किया। उसने जम्मू के स्थानीय चिकित्सक से जांच करवाई थी। चिकित्सक ने गलत दवा दे दी थी। मैं किसी खिलाड़ी के विवाद में नहीं जा रहा हूं। डोप जांच में केवल मूत्र नमूना ही नहीं अपितु रक्त नमूना भी लेना होता है। औषध का सेवन करने के पश्चात् इसका औषधिय प्रभाव 45 से 60 दिन तक रहता है। यदि सुनीता रानी के मामले में भारत से प्रस्थान करते समय डोप जांच नकारात्मक पाई गई थी तो क्या आपने चिकित्सक से पूछा कि एशियाई खेलों के दौरान उसे क्या अतिरिक्त औषधिय पदार्थ दिए गए थे ? फिर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या आपने ऐसा किया था ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं वही कह रहा हूं कि जब बुसान में डोप टैस्ट की रिपोर्ट आई तभी यह प्रश्न उठा क्योंकि जब हमारे यहां सारे खिलाड़ियों का डोप टैस्ट हुआ तब उसमें नेगीटिव रिपोर्ट आई। केवल एक फुटबाल प्लेयर जिसका आपने नाम बताया है, का पोजीटिव डोप टैस्ट आया था। आपने खुद ही उसे जाने से मना कर दिया था, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। उस खिलाड़ी को यहीं छोड़ दिया गया। आपका कहना है कि वहां से आने के बाद ही उस तथ्य की जांच का पता लगेगा कि वास्तव में उसे किसी प्रकार की कोई गलत दवा दी गयी या उसने स्वयं ले ली।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे टीम टॉक्टर के अलावा कोई नहीं था। क्या आपने टीम डॉक्टर से बात की थी ?

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : यहां से टीम के साथ जो डाक्टर्स गये थे, उनका भी हम बयान लेंगे कि कहीं उन्होंने सुनीता रानी की दो-चार दिन पहले कोई दवा तो नहीं दी थी क्योंकि सुनीता रानी का बराबर स्टेटमैंट आ रहा है कि मैंने सिवाय लिव-52 के अतिरिक्त और कोई दवा नहीं ली। इसका मतलब यह है कि डाक्टर द्वारा पूर्व में उन्हें कोई दवा नहीं दी गयी। अब हमें जांच में ये सब चीजें ही सामने लानी हैं कि क्या इस प्रकार की कोई बात हुई या वे अपने कथन में बतायें कि किसी डाक्टर ने मुझे इस प्रकार की दवा दो-चार दिन पहले दी है, तो हम इस बात को ले सकते हैं। लेकिन जो कथन अभी तक हमारे समक्ष या एथलेटिक्स फेडरेशन के सामने प्रस्तुत किया है, उसमें अभी यह तथ्य सामने नहीं आया है कि डाक्टर ने उनको किसी प्रकार की कोई दवा दी है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस तरह का प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जे०एस० बराड़ : नमूना 'क' और 'ख' में अंतर है। मंत्री महोदय किस तरह कह सकते हैं कि कोई अंतर नहीं हैं ?

सभापति महोदय : आप इस तरह प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : इसलिए आज इस स्टेज में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि डाक्टर ने उसे कोई दवा दी या नहीं। जहां तक मल्होत्रा के सैम्पल का प्रश्न है, तो डिपार्चर से तीन दिन पहले ही सारी रिपोर्ट्स दे दी गयी थीं।

[अनुवाद]

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : माननीय सभापति महोदय, इस मुद्दे से देश की प्रतिष्ठा और मनोबल जुड़ा हुआ है।

मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने समग्र घटना की जांच करने हेतु एक समिति गठित की है। मंत्रालय ने डोपिंग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका के संबंध में समग्र पहलू की जांच करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है; सुनीता रानी का मुद्दा पहला नहीं है। यहां इस तरह के विवादास्पद मुद्दे उठते रहे हैं। अनेक समितियां नियुक्त की गई। उस समिति में भी, जिसे माननीय मंत्री ने गठित करने का दावा किया है, भूतपूर्व सचिव श्री शर्मा, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और मंत्रालय से एक निदेशक था। अत:, हमें लगता है मंत्रालय ने पूरे मुद्दे को छिपाने के लिए अपने लोगों को चुना है।

मेरा यह स्पष्ट प्रश्न है। यह मामला औषध और दवा लाइसेंस देने वाले प्राधिकारियों से संबंधित है। श्री शर्मा सोवियत विशेषज्ञ जांच के संबंध में पहले ही विवादास्पद व्यक्ति हैं। उनका चयन क्यों किया गया ? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का चयन क्यों किया गया ? यह मुद्दा औषध से संबंधित है। अत: चिकित्सा परिषद् के लोगों को इस मामले में शामिल क्यों नहीं किया गया। औषध नियंत्रण प्राधिकरण को शामिल क्यों नहीं किया गया ? हमें लग रहा है कि पूरे मुद्दे को छिपाया जा रहा है। चूंकि यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा का प्रश्न है इसलिए हम इस आरोप के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। क्या माननीय मंत्री समिति का पुनर्गठन करेंगे ताकि इस मामले में पक्षपात रहित जांच की जा सके ?

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : सभापति महोदय, इसमें शासन को छिपाने को कुछ नहीं है। शासन द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के कड़े उपायों के बारे में सारी कार्यवाहियां की जा रही हैं। हमने हाई लैवल कमेटी पूर्व रिटायर्ड सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भी उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति डोप को रोकने के बारे में बनाई गई थी। उसमें भी कमेटी के मैम्बर के नाते दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी रिकमैंडेशन दी है। इसलिए हमने उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए उनकी चैयरमैनशिप में कमेटी बनाई। उसमें हमने एक्सपर्टस को भी रखा है। इस बार हमने एम्स के डाक्टर वाई०पी० गुप्ता, हैड ऑफ दी फार्माकोलोजीस्ट को समिति में रखा है ताकि वे आगे इसे रोके जाने के संबंध में, प्रिकॉशन्स के संबंध में अपनी सजैशन्स दे सकें। साई के डी०जी० को रखने का प्रश्न इसलिए है क्योंकि लैब साई में है, सारे डोप टैस्ट वगैरह साई में होते हैं। उनके बारे में हमें ऑथैन्टिक इन्फार्मेशन आदि जो कुछ भी प्राप्त करनी है, वहीं से प्राप्त करेंगे। इसलिए हमने उनको सम्मिलित किया है। हमको कोई बात छिपाने की नहीं है, किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है, देश की प्रतिष्ठा को बचाना है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई बात नहीं हो। इसके लिए भविष्य में भी क्या-क्या प्रिकॉशन्स लिए जा सकते हैं, उनके बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू : माननीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। यह सभी को पता है कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शक्तिवर्धक औषध दी जाती है। यह सुनिश्चित करना प्रशिक्षक और खेल काय चिकित्सक का कर्त्तव्य है कि जांच शुरू करने अथवा खेल प्रतियोगिता शुरू होने से पहले दी गई दवाओं का अंश समाप्त हो जाए। दुर्भाग्य से, सुनीता रानी को इस तरह के मामलों का शिकार बनाया गया है। ए०ए०एफ०आई० पहले ही उसे इन आरोपों से मुक्त कर चुका है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उस प्रशिक्षक और चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो प्रशिक्षण अवधि के दौरान बुसान में थे और यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि प्रतियोगिता से पहले औषध का अंश समाप्त कर दिए जाए।

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : सभापति महोदय, प्रशिक्षण के दौरान कोचिंग कैम्प या ट्रेनिंग कैम्प के समय में खिलाड़ियों को किसी प्रकार की दवा आदि नहीं दी जाती। जो बीमार होते हैं, वहां जो डाक्टर होते हैं, उनके द्वारा ही दवा दी जाती है। प्रतिबंधित दवाइयों की कभी भी रिकमैंडेशन नहीं की जाती, न ही उनको इस प्रकार की कोई दवाई दी जाती है। बल्कि प्रशिक्षण के दौरान तो इस बात की कड़ाई के निर्देश हैं कि रैंडम टैस्ट भी किया जाये। उनके कमरों की तलाशी भी ली जाती है और प्रशिक्षक को कड़े रूप से यह निर्देश हैं कि वे पूरे समय इस बात की चिन्ता करें कि किसी भी प्रकार के ड्रग आदि कैम्प में या बाहर कभी भी जब कोच हमेशा उनके साथ रहते हैं तो वे किसी भी प्रकार से प्रतिबन्धित ड्रग्स का सेवन न करें। इसके अलावा जब ट्रेनिंग के लिए वे हमारे पास आते हैं तो उस दौरान बाकायदा उनको इस बात की जानकारी भी दी जाती है, उसके लिए हमने डाक्यूमेंट्स उनको दिये हैं, जो भी प्लेयर्स हमारे यहां ट्रेनिंग के

लिए आता है या कोचिंग कैम्प में आता है, ब्रोशर्स उनको उपलब्ध कराये जाते हैं।

उनको इस प्रकार से पूरी किताब में सारा किस-किस प्रकार से क्या होता है, ये सारी जानकारियां एक प्रकार से क्लास होती है और उसमें सारी टीचिंग होती है, उन्हें बताया जाता है, सारी जानकारी खिलाड़ियों को दी जाती है कि ये दवाइयां इस प्रकार की हैं, इनके इफैक्ट्स, सब इफैक्ट्स जो भी होते हैं, यह सारी जानकारी दी जाती है। इस प्रकार से ट्रेनिंग कैम्प में पूरा हमारा उसमें रोकने का प्रयास होता है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने समाचार पत्रों की रिपोर्ट को देखा है जिसमें बताया गया है कि कैम्प के दौरान कतिपय खिलाड़ियों की डोप जांच सकारात्मक थी और इसके बावजूद इस बात को छुपाया गया और उन्हें प्रतियोगिता में जाने की अनुमति दे दी गई। इन खबरों को काफी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया।

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; क्या यह सच है, यदि हां, तो उचित जांच के बिना खिलाड़ी दल को अंतिम स्वीकृति प्रदान किये जाने की निगरानी करने के लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राष्ट्रमंडल के खेलों में भी यही हुआ था। मैं किसी खिलाड़ी को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि आखिरकार देश की इज्जत दाव पर लगी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें दी गई ऐसी जांच रिपोर्टों के बावजूद ऐसे खिलाड़ी दल को स्वीकृति देने के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति महोदय, जहां तक बुसान जाने के पहले का सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें पूरी जांच की गई थी। जांच में केवल एक केस फुटबाल के केवल एक प्लेयर का पोजिटिव पाया गया था, बाकी किसी का केस भी पोजिटिव नहीं पाया गया। सब की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें क्लियरेंस दी गई। क्लियरेंस के साथ में इस बार हमने इतना प्रीकॉशन और लिया था कि हमने उनके एयर टिकट्स ... *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : ये मेनीपुलेट करके सबमिट किये थे। इण्टरनल इन्फोर्मेशन है कि पोजिटिव रिपोर्ट्स आई थीं। इसे सप्रैस करके आपके सामने सब क्लियर करके उन्हें भेजा गया। यह तो प्रैस रिपोर्ट्स में लिखा है।

श्री विक्रम वर्मा : इस बार बुसान जाने के पहले इस प्रकार किसी के बारे में पोजिटिव रिपोर्ट आई और उसे इस प्रकार से ... *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आपके पास केसे रिपोर्ट आयेगी, आप तो थे ही नहीं।

श्री विक्रम वर्मा : यह तो जांच का विषय है। आपके पास जो जानकारी है, वह आप जरूर भेज दीजिए। जांच में कमेटी इस बात की निश्चित रूप से जांच करेगी और यदि इस प्रकार साई में किसी प्रकार की गड़बड़ी, लैबोरेट्री में किसी प्रकार की पोजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे दबाकर क्लियरेंस दी गई है तो हम निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे। हमारे पास केवल एक प्रकरण पोजिटव का आया था और उसमें तत्काल कार्रवाई करके उसे जाने से रोक दिया गया। बाकी जिनकी निगेटिव रिपोर्ट आई, केवल उन्हें ही जाने की अनुमति दी गई थी, यह तथ्य है।

पूर्वाह्न 11.58 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर मामले पर जब चर्चा चल रही है तो मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं कि जिन स्पोर्ट्स मैडीशंस की बात बाकी लोग कर रहे हैं, जिस स्तर की लैब हमारे पास होनी चाहिए, वह हमें लगभग सात वर्ष बाद मिलेगी, जो इन्फोर्मेशन हमारे पास है। बड़े विद्वान वक्ताओं ने भी यह बात की है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास ओलम्पिक स्तर की जो लैब हमें उपलब्ध होनी है, वह तीन स्टेज में सात वर्ष बाद होनी है। जब तक हम उसे नहीं लाएंगे, तब तक ये विसंगतियां हमारे साथ रहेंगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने या लोगों ने जो काम नहीं किया, उस जिम्मेदारी को आप पूरा करेंगे ?

श्री विक्रम वर्मा : इस दिशा में हमने कार्रवाई की है और उसकी दो अलग-अलग स्टेजेज हैं। एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के पहले हमें जो दो स्टेज करनी हैं, उसके लिए हमने एप्लाई किया है और नवम्बर एण्ड तक नौ हजार समथिंग का सर्टिफिकेशन हमें प्राप्त हो जायेगा। वह प्राप्त हो जाने के बाद हम फिर एप्लाई करेंगे और मुझे उम्मीद है कि शीघ्रता से हम यह एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेंगे।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एशियाई खेलों में प्रदर्शन

*23. **श्री चिंतामन वनगा :***
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बुसान में हाल में समाप्त हुए एशियाई खेलों में अपेक्षित स्थान प्राप्त नहीं कर सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार का विचार सन् 2006 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एशियाई खेल 2006 सहित प्रमुख बहु-विधात्मक प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय एवं साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान खेल प्रबंधन संबंधी ढांचें में खेलों का संवर्धन, अधिकांशत: खेल परिसंघों के क्षेत्र में आता है।

जहाँ तक भारत सरकार का संबंध है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे कि राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों तथा ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों को तैयार करने की दृष्टि से, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षण पद्धतियों में सुविज्ञ व्यक्तियों के परामर्श से दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल०टी०डी०पी०) को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अलावा, संभावित खिलाड़ियों को अपेक्षित वैज्ञानिक तथा उपस्कर सहायता, प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय एवं विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्टीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

होनहार खिलाड़ियों तथा सहायक कार्मिकों को सहायता की योजना के अंतर्गत, होनहार खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण तथा टूर्नामेंटों में भाग लेने, वैज्ञानिक समर्थन के लिए उपस्करों की खरीद तथा प्रशिक्षण एवं देश में टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत दी गयी सहायता का उद्देश्य प्रमुख बहु-विधात्मक प्रतियोगिताओं में पदक जीतना है।

भारत-अमरीका संबंध

*24. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने व्यापक मुद्दों पर नई क्षेत्रीय वार्ता शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या अमरीका के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री से भारत के साथ दीर्घकालीन कूटनीतिक संबंध शुरू करने के अपने व्यक्तिगत वायदे की पुष्टि तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के हमलों और हत्याओं के प्रति चिन्ता प्रकट की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस कूटनीतिक संबंध की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रकार के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रथम भारत-यू एस क्षेत्रीय संवाद अमरीकी सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टीना रोका की 24-25 सितम्बर, 2002 तक दिल्ली की यात्रा के दौरान संपन्न हुआ। इस संवाद के फलस्वरूप भारत के विस्तारित पडोस में घटनाक्रम के संबंध में भारत और अमरीका के बीच नियमित परामर्श के लिए एक संस्थागत फोरम प्राप्त हुआ तथा जो भारत-अमरीका संबंधों की सामरिक रूपरेखा मजबूत करने में एक दूसरे कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

(ग) जी, हां। 12 सितम्बर, 2002 को न्यूयार्क में अपनी बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ने भारत-अमरीका संबंधों को गुणात्मक रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी रखने की अपनी वचनबद्धता दोहराई तथा इस संदर्भ में, द्विपक्षीय संवाद को प्रगाढ़ करने पर तथा संबंधों की नई रणनीतिक रूपरेखा को प्रगाढ़ करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति बुश को यह भी सूचित किया कि अमरीका भारत में सीमा-पार आतंकवाद समाप्ति संबंधी अपने वायदों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति मुशर्रफ पर दबाव देना जारी रखेगा।

(घ) दोनों पक्षों का मानना है कि भारत और अमरीका के बीच अपेक्षाकृत निकट भागीदारी एशिया और उससे बाहर अपने अनेक सामान्य सामरिक हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, वे राजनैतिक तथा सामरिक परामर्श बढ़ाने, रक्षा, सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद प्रतिकार में सहयोग प्रगाढ़ करने, आर्थिक संबंध और अधिक विकसित करने, तथा अन्तरिक्ष, ऊर्जा के विविध रूपों, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य और विज्ञान में सहयोग विस्तारित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमत हुए हैं। सितम्बर से, दोनों पक्षों ने अपनी द्विपक्षीय संलग्नता तेज की है तथा भारत-अमरीका संबंधों की सामरिक रूपरेखा प्रगाढ़ करने की दिशा में ठोस उपाय किए हैं।

'मेडिकेयर' पर व्यय

*25. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आम लोगों के लिए किफायती जन स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने के प्रयोजन से सीमित संख्या में आवश्यक औषधियों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में विद्यमान मानकों की तुलना में देश में मेडिकेयर पर प्रति व्यक्ति व्यय बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मेडिकेयर पर प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) संविधान के अधीन स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और इसलिए जन स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अनिवार्य औषधें प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निभाई जा रही है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मलेरिया, क्षय रोग और कुष्ठ के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाता आ रहा है। नि:शुल्क औषधें प्रदान करना इन कार्यक्रमों का एक भाग है।

इसके अलावा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन सीमित संख्या में अनिवार्य औषधों की आपूर्ति जिलों में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों को औषध किटों के रूप में की जा रही है।

योजना आयोग राज्यों को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करता रहा है। इन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए पात्र क्षेत्रों में से एक क्षेत्र स्वास्थ्य है। वर्तमान वर्ष के दौरान योजना आयोग ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अधीन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कम से कम 15 प्रतिशत का प्रावधान करें। प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के अधीन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना निधियों के समुपयोग के लिए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि निधियों का 50 प्रतिशत औषधों की अधिप्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2002 के अनुसार, एशिया प्रशान्त क्षेत्र में भारत में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय 23 यू०एस० डालर है जो कि अफगानिस्तान, नेपाल, बंगला देश, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों से अधिक है परन्तु चीन, कोरिया गणतंत्र, मलेशिया और थाईलैंड से कम है। इस क्षेत्र के विकसित देश जैसे जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हमसे काफी आगे हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार जन स्वास्थ्य व्यय के लिए अपना अंशदान बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 9 वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में समग्र योजना परिव्यय कुल परियोजना परिव्यय का 3.24 प्रतिशत है जबकि इसके मुकाबले 8 वीं पंचवर्षीय योजना में यह 3.24 प्रतिशत था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में केन्द्र तथा राज्य सरकार के योगदान को 2010 तक स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल व्यय के मौजूदा 15 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 25 प्रतिशत और 8 प्रतिशत करने की बात सोची गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश हेतु संसाधनों का भी, विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेन्सियों से सहायता सुनिश्चित करके संवर्धन किया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता वाली राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना के अंतर्गत सात राज्यों (कर्नाटक, आन्ध्र, प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश) में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे का भी उन्नयन किया जा रहा है।

देश में सेल्यूलर मोबाइल सेवा

*26. **डा० मन्दा जगन्नाथ :**
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी०एस०एन०एल० की देश में सेल्यूलर मोबाइल सेवा शुरू करने हेतु योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसमें कितनी धनराशि निवेश किये जाने की जरूरत है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र से इस संबंध में कोई सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त सभी सेवा क्षेत्रों में सेल्यूलर मोबाइल सेवा शुरू कर रहा है। योजना में दो चरणों में देश के लगभग 1031 शहरों/नगरों में सेवा शुरू करने की परिकल्पना की गई है जिसकी प्रारंभिक चरण के दौरान 15 लाख लाइनों की क्षमता होगी तथा विस्तार चरण (चरण-II) में यह 43 लाख लाइनों की हो जायेगी। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मुख्य परियोजना के अंतर्गत सेवा रॉल ऑऊट कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड के क्षेत्राधिकार में लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में से कुछ में 19 अक्टूबर 2002 से शुरू हो चुका है। जिन शहरों (जम्मू व कश्मीर, उत्तर-पूर्व और असम के शहरों को छोड़कर) के बारे में योजना बनाई गई है उन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कवर किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के लिए निवेश लगभग 2500 करोड़ रुपये का होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बी०एस०एन०एल० की मोबाइल सेवा शुरू करने की योजना का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	कुल लाइनें प्रस्तावित क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	595600
2.	अंदमान और निकोबार	4000
3. (क)	बिहार	92550
3. (ख)	झारखण्ड	54200
4.	गुजरात	459750
5.	हरियाणा	111050
6.	हिमाचल प्रदेश	34000
7.	कर्नाटक	307150
8.	केरल	326585
9. (क)	मध्य प्रदेश	112900
9. (ख)	छत्तीसगढ़	22950
10.	महाराष्ट्र	495300
11.	उड़ीसा	114150
12.	पंजाब	290000
13.	राजस्थान	137650
14.	तमिलनाडु	334900
15.	उत्तर प्रदेश	385750
16.	उत्तरांचल	59350
17.	पश्चिमी बंगाल	108050
18.	चेन्नई	131000
19.	असम	42550
20.	जम्मू-कश्मीर	41200
21.	उत्तर-पूर्व	50800
	कुल	4311435

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी संबंधी राष्ट्रीय नीति

*27. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री बी०के० पार्थसारथी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देशी औषधियों पर बल देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए कोई अलग राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सहायता और प्रोत्साहन दिया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने किसी औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका प्रयोजन और उद्देश्य क्या है; और

(ङ) इस बोर्ड ने किस हद तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पर एक पृथक नीति अनुमोदित की है।

सरकार ने 9वीं योजना के दौरान विभिन्न योजनाएं बनाई हैं जिनके तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपथी (भा०चि०प० एवं हो०) के प्रोत्साहन के लिए सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों को सहायता दी गई है। 10वीं योजना के दौरान कई नई थोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विचार किया गया है।

नई नीति में यह व्यवस्था की गई है कि भा०चि०प० उद्योग को प्राथमिकता उद्योग का दर्जा देकर उसे हरित उद्योग घोषित किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ यह नीति भा०चि०प० उद्योग को व्यवहार्य व प्रतियोगी बनाने के लिए समग्र कराधान नीति के भीतर उसे राजकोषीय प्रोत्साहन और कर रियायत देने पर जोर देती है। इसके अलावा, नई नीति में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान पुनरभिविन्यास, जागरूकता निर्माण और एकीकरण का प्रक्षेपण किया गया है।

सरकार ने पहले ही भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अधीन औषधीय पादप बोर्ड का गठन कर दिया था।

औषधीय पादप बोर्ड का प्रयोजन और उद्देश्य सामान्य रूप से औषधीय पादपों के विकास और विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से समन्वय करना है :—

1. देश और विदेश, दोनों में औषधीय पादपों की मांग/आपूर्ति की स्थिति का निर्धारण।

2. औषधीय पादपों के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित नीति संबंधी मामलों पर संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सलाह देना।

3. खेती के लिए पर्याप्त भूमि और औषधीय पादपों को एकत्र करने, भंडारण, परिवहन के लिए आधारिक संरचना वाली एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव, योजनाएं और कार्यक्रम आदि तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

4. औषधीय पादपों की पहचान, सूचीकरण और परिमाणन।

5. औषधीय पादपों की बाह्यस्थाने (एक्स-सीटू)/स्वस्थाने (इन सीटू) खेती और संरक्षण को बढ़ावा देना।

6. एकत्र करने वाले और उगाने वालों में सहयोगी प्रयास बढ़ाना और अपने उत्पाद के समुचित भंडारण, परिवहन और विपणन के लिए उनकी सहायता करना।

7. सूचीकरण, सूचना के प्रसार और जनता के अधिकार-क्षेत्र में मौजूद पादपों के चिकित्सीय उपयोग के लिए प्राप्त किए जा रहे पेटेन्टों के निवारण को सुकर बनाने के लिए डाटा बेस प्रणाली की स्थापना करना।

8. देश और विदेश में उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए विपणन के लिए बेहतर तकनीक को अपनाने सहित सच्ची सामग्री के आयात/निर्यात और उत्पादों के मूल्य परिवर्धन संबंधी मामले, चाहे वे औषधि के रूप हों, खाद्य संपूरकों के रूप में हों अथवा हर्बल प्रसाधन सामग्री के रूप में हों।

9. वैज्ञानिक, तकनीकी अनुसंधान और कीमत के अनुरूप प्रभावकारिता का अध्ययन करना और करवाना।

10. खेती और गुणवत्ता-नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल विकसित करना।

11. पेटेन्ट के अधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा को प्रोत्साहन देना।

औषधीय पादप बोर्ड का गठन नवम्बर, 2002 में किया गया था। उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड ने अनुसंधान, विकास और अपने क्रियाकलापों के सुग्राहीकरण के लिए विभिन्न सरकारी संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित 144 परियोजनाओं को सहायता दी है। बोर्ड 32 चिह्नित पादपों के संविदात्मक कृषि हेतु सहायता देने का प्रस्ताव करता है। छह क्षेत्रीय बैठकें आयोजित कर ली गई हैं। 25 राज्य स्तरीय पादप बोर्ड गठित कर दिए गए हैं जिनके उद्देश्य औषधीय पादप बोर्ड के उद्देश्यों के समान हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में प्रधानमंत्री का भाषण

*28. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ष सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा और विश्व शांति के बारे में क्या-क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए;

(ख) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद प्रतिरोधी समिति से आतंकवादियों को प्रायोजित करने, उन्हें शरण देने, उनका वित्तपोषण करने, उन्हें हथियार मुहैया कराने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध परिषद का संकल्प 1373 लागू करने के लिए आगे कार्रवाई करने का आह्वान किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आतंकवाद प्रतिरोधी समिति की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने, उनका वित्तपोषण करने और उन्हें हथियार मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान के विरूद्ध संकल्प 1373 लागू करने का आह्वान किया था; और

(ङ) यदि हां, तो महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) प्रधान मंत्री ने 13 सितम्बर, 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 57वें सत्र को संबोधित किया। प्रधान मंत्री के भाषण में दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े अनेक मसलों को शामिल किया गया। प्रधान मंत्री के भाषण का पूर्ण पाठ संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रधान मंत्री ने इस बात पर गौर किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने और इसे समाप्त करने के लिए कुछ सामूहिक निर्णय लिये हैं जो कि सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 में परिलक्षित होते हैं। इसकी आतंकवाद रोधी समिति को अब मात्र सूचना संचयन और विधिक सहायता से आगे बढ़कर उन देशों से इन निर्णयों का अनुपालन करवाना चाहिए जो आतंकवादियों को प्रायोजित करने, आश्रय प्रदान करने, वित्त पोषित करने, शस्त्र उपलब्ध कराने और प्रशिक्षित करने के लिए जाने जाते हैं। प्रधान मंत्री के वक्तव्य, जो अब संयुक्त राष्ट्र रेकार्ड का एक भाग है, पर सुरक्षा परिषद और सभा के सदस्यों द्वारा गौर किया गया।

विवरण-I

संयुक्त राष्ट्र संघ की 57वीं महासभा में
प्रधानमंत्री
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
का वक्तव्य
(नयूयार्क : 13 सितम्बर, 2002)

अध्यक्ष महोदय,

मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की सत्तावनवीं महासभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं।

मैं महासचिव श्री कोफी अन्नान को भी इस पद पर उनके दूसरी बार चुने जाने के प्रथम वर्ष में अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

अध्यक्ष महोदय,

दो दिन पहले, हमने उस भयावह घटना की पहली बरसी मनाई जिसने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ विश्व में सामूहिक चेतना जगा दी।

आतंकवाद ग्यारह सितम्बर को ही शुरू नहीं हुआ था। उस दिन तो उसने विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व का डंका बजाया था। उसने यह साबित कर दिया कि उसके लिए दूरी और ताकत कोई मायने नहीं रखती।

चूंकि भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार होता आ रहा है, अत: हम अमेरिकी लोगों की पीड़ा को समझते हैं।

भारत अमेरिकी लोगों की इस बात के लिए प्रशंसा करता है कि उन्होंने बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ उस त्रासदी के दुष्परिणामों को झेला। हमने आतंकवाद के स्रोत पर जवाबी हमला करने के अमरीका के साहसिक निर्णय का समर्थन किया।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद से निपटने और इसके स्रोतों को बंद करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास करने हेतु कुछ सामूहिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 में इन निर्णयों का सार दिया गया है।

परिषद् की आतंकवाद-विरोधी समिति को जानकारी एकत्र करने तथा कानूनी सहायता देने के अलावा अब उन देशों पर इन निर्णयों पर भी अमल करने के लिए जोर डालना चाहिए जो आतंकवाद को आयोजित कर रहे हैं, और आतंकवादियों को पनाह, धन, शस्त्र और प्रशिक्षण दे रहे हैं।

हमारे दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से 'परमाणु ब्लैकमेल' राज्य-आयोजित आतंकवाद के तरकश में एक नए तीर के रूप में उभरकर सामने आया है।

इस तरह की भयावह धमकियां दी जा रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई का जवाब परमाणु शस्त्र का प्रयोग करके दिया जाएगा।

इस प्रकार के खुल्लम-खुल्ला 'परमाणु आतंकवाद' के सामने झुकने का अर्थ होता — 11 सितम्बर की त्रासदी के कड़वे सबक को भूल जाना।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमने यह बात बार-बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते — चाहे वह पारम्परिक युद्ध हो अथवा कोई और — और न ही हम किसी का कोई क्षेत्र चाहते हैं।

लेकिन हरेक भारतीय की यही इच्छा है कि सीमा पार से आतंकवाद बिल्कुल बंद होना चाहिए। क्योंकि इसने हजारों निर्दोष लोगों की जानें ले ली हैं और सम्पूर्ण पीढ़ी को सामान्य आर्थिक और समाजिक कार्यकलापों के साथ शान्तिपूर्वक जीवन-याप करने के अधिकार से वंचित कर दिया है।

भारत अपनी पूरी ताकत से सीमा पार के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़-संकल्प है। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय,

कल हमने इस महासभा में इस अनोखे दावे को सुना कि जम्मू व कश्मीर में मासूम नागरिकों की नृशंस हत्या करना वास्तव में "आजादी की लड़ाई" लड़ना है।

और यह भी कि इस राज्य में होने वाले चुनाव मात्र एक "दिखावा" हैं। क्यों! क्योंकि यह चुनाव 50 सालों से चली आ रही जनमत संग्रह की मांग का विकल्प नहीं है।

यह एक चालाकीपूर्ण तर्क है कि मासूमों का नरसंहार आजादी हासिल करने का एक उपाय है और चुनाव एक छलावा तथा दमन का प्रतीक!

यदि यह चुनाव मात्र एक धोखा है तो पाकिस्तान की आई०एस०आई० के इशारे पर उम्मीदवारों की हत्या करने तथा मतदाताओं को डराने-धमकाने के लिए आतंकवादियों को क्यों प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनकी भारत में क्यों घुसपैठ कराई जा रही है?

यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने का वादा करता है तो वह भारत के खिलाफ अपने देश की नीति के रूप में आतंकवाद का लगातार इस्तेमाल कैसे कर सकता है?

आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गठबंधन पाकिस्तान को कैसे माफ कर सकता है जब उसके इशारे पर "आत्म निर्णय" की बेतुकी व्याख्या को बढ़ावा देने हेतु हजारों निर्दोष नागरिकों — जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं — की हत्या की गई है?

जो लोग आतंकवाद के "आधार" अथवा "मूल" कारणों की बात करते हैं, उससे आतंकवादियों को अपने जघन्य कृत्यों – जैसे 11 सितम्बर को अमेरिका पर अथवा 13 दिसम्बर को भारतीय संसद पर किए गये हमलों की जिम्मेदारी से बचने का बहाना मिलता है।

जिन्होंने लोगों की राय जानने के नाम पर मतदान तथा मतगणना की प्रक्रियाओं को अपनी सुविधानुसार "तोड़ा-मरोड़ा" था, और जिन्होंने स्वयं अपना संविधान लिखकर संवैधानिक अधिकार प्राप्त किया है, उनको आजादी तथा लोकतंत्र के बारे में दूसरों को सीख देना शोभा नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय,

कल हमने एक और सरासर झूठे और स्वार्थपूर्ण दावे को सुना है कि भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को "हिन्दू चरमपंथियों" द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। भारत में 15 करोड़ – यानि पाकिस्तान से अधिक – मुसलमान रहते हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है।

हमें अपने देश के बहुधर्मी स्वरूप पर गर्व है। हमारे यहां सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करना केवल हमारी संवैधानिक बाध्यता ही नहीं है। जैसा कि पूरा विश्व जानता है, यह भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्राणमंत्र है।

अध्यक्ष महोदय,

हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उत्तर और दक्षिण के बीच की विभाजन रेखा दिनों-दिन और अधिक चौड़ी और गहरी होती जा रही है।

हमारे सामने कठिन चुनौतियां हैं जिनका विश्व के सभी देशों को मिलकर मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

पिछले दशक में हर वर्ष एक करोड़ लोग गरीबों की श्रेणी में आ गए हैं। विश्व की एक-चौथाई आबादी घोर गरीबी में जीवन-यापन कर रही है।

हर साल मलेरिया से दस लाख लोगों की मौत हो जाती है। क्षय रोग से प्रति वर्ष इससे दुगुने लोग मर जाते हैं। दुनिया की आबादी के एक-पांचवे हिस्से को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है।

यदि हमें सन् 2015 तक भुखमरी को आधा करने के विश्व खाद्य शिखर-सम्मेलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें गरीब देशों में प्रतिवर्ष 24 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश हेतु जुटाने होंगे।

इस कड़वी सच्चाई की पृष्ठभूमि में, हमने सन् 2000 में अपने सहस्राब्दि घोषणा-पत्र में गरीबी दूर करने के लिए विकास के एक समयबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने तथा सन् 2015 तक लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने का संकल्प लिया था।

"दि मोन्टेरी कांफ्रेन्स आन फाइनेन्सिंग फार डेवलेपमेंट" का आयोजन विकास हेतु अन्तरराष्ट्रीय वित्त-पोषण को बढ़ाने के प्रयासों की दिशा में एक उत्साहजनक शुरूआत थी।

लगातार व्यापक गरीबी, वह भी ऐसे समय में जब अकूत सम्पत्ति समाज के एक छोटे से वर्ग में ही सिमट कर रह गई है, बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। इक्कीसवीं सदी में हमारे पास वे सभी साधन मौजूद हैं जिनसे बीती सदियों की इस दुखद बपौती का अंत किया जा सकता है।

यदि कमी किसी बात की है तो वह है – विकासशील देशों विशेषकर बहुत ही कम विकसित देशों की विकास संबंधी न्यायसंगत जरूरतों को ईमानदारी और तेजी से पूरा करने के लिए विकसित देशों में राजनैतिक इच्छा-शक्ति की।

दुनिया के गरीब लोग तथा विश्वभर के प्रबुद्ध और सहानुभूतिशील अमीर लोग संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अपेक्षा करते हैं कि वह गरीबी के प्रति पूरी व्यवस्था में व्याप्त उदासीनता को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करे। कार्य का एजेंडा जिसके तहत इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, स्पष्ट है।

- **एक,** विकासशील और विकसित देशों के व्यापार में रहे असंतुलन को, तथा विकासशील देशों में तैयार वस्तुओं को दी जाने वाली कम कीमत की समस्या को और उनके निर्यात में सभी अनुचित बाधाओं को दूर करना होगा।
- **दूसरा,** विश्व ऊर्जा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता से विकासशील देशों के व्यापार तथा वित्तीय संतुलन में भारी उतार-चढ़ाव आता है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
- **तीसरा,** विश्व पूंजी बाजारों में अप्रत्याशित हलचल को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इससे समय-समय पर विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचता है।
- **चौथा,** भ्रष्टाचार से भरे हुए कार्पोरेट कारनामों पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। इनसे विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधन तथा परम्परागत ज्ञान-संपदा बिना मुआवजे के नष्ट हो जाते हैं।

विकास की यह पहले ही एक भयावह तस्वीर थी किन्तु विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन ने इसे और भी अधिक विकराल बना दिया है। इस बदलाव से सबसे अधिक गरीब लोग ही प्रभावित होंगे जबकि इसमें उनका योगदान सबसे कम है।

यूरोप में हाल ही में आई बाढ़ और जंगलों में लगी आग इस बात की पूर्व चेतावनी है कि केवल एशियाई और अफ्रीकी देश ही बिगड़ते पर्यावरण के प्रकोप के शिकार नहीं हैं।

पृथ्वी के वातावरण और जैविक क्षेत्र की कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती।

विश्व समुदाय के समक्ष यह एक कड़वा विकल्प है : या तो हम तत्काल पर्यावरण की रक्षा करें या बदतर प्राकृतिक आपदाएं झेलने के लिए तैयार हो जाएं।

इस महीने के शुरू में, सतत् विकास पर जोहन्सबर्ग में आयोजित शिखर-सम्मेलन में गरीबी, व्यापार, पर्यावरण के साथ-साथ राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय एवं कार्पोरेट शासन और विश्व स्तर पर वित्त उपलब्धता के बीच जो संबंध है, उन पर चर्चा हुई थी।

इस शिखर सम्मेलन में कुछ उत्साहजनक परिणाम उभरकर सामने आए लेकिन ये हमारे समय की मांगों के हिसाब से काफी कम हैं।

मनुष्य के विकास की जरूरतों को टुकड़ों में नहीं, अपितु उनको समग्रता में समझना, और उनकी पूर्ति करना अत्यावश्यक, बन गया है। यह खेद की बात है कि मानवीय विकास के राजमार्ग बेतरतीब भौतिकवाद और उपभोक्तावाद के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। अधिकांश राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यकलापों में मानवीय मूल्य मूकदर्शक बनकर ही रह जाते हैं।

हमारी भौतिक और गैर-भौतिक जरूरतों के बीच इस असंतुलन का परिणाम मानवजाति के लिए कभी भी सुखद नहीं हो सकता। इसके विपरीत करुणा, सहानुभूति, सहयोग और अन्य मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देकर हम अपनी धरती की प्रत्येक समस्या का निश्चित रूप से समाधान कर सकते हैं।

आज मानवजाति विकास के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक आयामों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की गुहार कर रही है। इस कार्य के लिए राष्ट्रों और समुदायों के बीच बहुत ही घनिष्ठ सहयोग होना चाहिए। साथ ही, दुनिया की प्रत्येक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं की अच्छाईयों को स्वीकार करने की मानसिकता भी विकसित करनी होगी।

इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नए और व्यापक प्रयास किए जाने चाहिए।

लगभग एक वर्ष पहले इसी महासभा में – और उससे एक वर्ष पूर्व अमेरिकी कांग्रेस में – मैंने भारत की ओर से विश्व स्तर पर एक व्यापक विकास संवाद कराने का प्रस्ताव रखा था।

मैं आज फिर उसी प्रस्ताव को दोहरा रहा हूं।

यदि हमें विकास के लक्ष्यों को हासिल करना है, जैसा कि हमने स्वयं सन् 2015 तक इन्हें प्राप्त करने का वादा किया है, तो हमें ऐसा संवाद तत्काल कराना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय,

आज हम एक बार फिर ऐसे समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के इस मंच पर एकत्र हुए हैं जब हमारे सामने अनेक नई और विविध चुनौतियां हैं।

इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, इसके उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी सामूहिक वचनबद्धता दर्शानी होगी।

विशेष रूप से कमजोर और गरीब देशों में यह धारणा पनप रही है कि दूरगामी प्रभाव वाले मुद्दों पर प्राय: मनमानीपूर्ण अथवा अंत-र्विरोधी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं।

हम सभी देशों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। विश्व को आज चाहिए – सामूहिक बहुपक्षीयवाद।

दुनिया को संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत है जिसके जरिए सभी राष्ट्र एक साझे और सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य कर सकते हैं।

विवाद तब पैदा होते हैं जब राष्ट्रों के अंदर तथा राष्ट्रों के बीच लोकतंत्र की मूल भावना का अभाव होता है।

वास्तविक लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत हमें वैकल्पिक दृष्टिकोणों का आदर करने, विविधता को महत्व देने तथा लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप समाधान तलाशने में मदद मिलती है।

भारत एक विशाल जनसंख्या तथा विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र है, इसलिए हमारा अनुभव है कि एक संवैधानिक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर जटिल समस्याओं का किस तरह समाधान किया जा सकता है।

विश्व के सभी देशों में इन मूल्यों की भली-भांति स्थापना करने की जरूरत है ताकि कम से कम हमारी भावी पीढ़ी को गरीबी, असहिष्णुता, रूढ़िवाद तथा मज़हबी चरमपंथ से छुटकारा मिल सके।

लोकतांत्रिक देश हिंसा अथवा सैन्यवादी लालसा पर आधारित विचार-धाराओं से कम प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी उंगलियां हमेशा बन्दूक के ट्रिगर पर नहीं रहती हैं।

हमें विश्व भर में लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली उन ताकतों से सजग रहना चाहिए जो उसका विरोध करती हैं, चाहे वे रूढ़िवादी राजनैतिक हठधर्मिता हों या कट्टरवादी मजहबी विचार-धाराएं।

अध्यक्ष महोदय,

हम सभी लोग इन चुनौतियों से परिचित हैं।

हममें से अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि एक स्थायी विश्व-व्यवस्था शांति, सुरक्षा, सतत् विकास तथा लोकतंत्र के चार मजबूत स्तंभों पर ही टिक सकती है।

हमें यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक स्तंभ मजबूत तथा टिकाऊ बना रहे।

हम अपनी सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति सजग हैं। लेकिन इस सैद्धांतिक समझ को वास्तविक व्यवहार में लाने में हम अक्सर असफल रहे हैं।

हमें दुबारा असफल नहीं होना चाहिए।

हमारी भावी पीढ़ियां इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

धन्यवाद।

एच०आई०वी०-एड्स के बारे में सी०आई०ए० की रिपोर्ट

*29. **श्री किरीट सोमैया :**
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में एच०आई०वी०-एड्स के बारे में अमेरिकी आसूचना एजेंसी सी०आई०ए० की वर्तमान रिपोर्ट का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एजेन्सी का मत है कि भारत सन् 2010 तक एच०आई०वी० एड्स से सर्वाधिक प्रभावित देश हो जाएगा;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय आसूचना परिषद (एन०आई०सी०) की हाल ही की रिपोर्ट में बताया है कि एच०आई०वी०/एड्स ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में दशक के अंत तक महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होगी। यह वृद्धि पांच धनी जनसंख्या वाले देशों : नाईजीरिया, इथियोपिया, रूस, भारत और चीन में रोग के प्रसार द्वारा होगी जहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वर्तमान लगभग 14 से 23 मिलियन से वर्ष 2010 तक अनुमानित 50 से 75 मिलियन तक वृद्धि होगी। यह अनुमान मध्य और दक्षिणी अफ्रीका, महामारी के वर्तमान केन्द्रीय बिन्दु, में दशक के अंत तक प्रक्षिप्त 30-35 मिलियन एच०आई०वी०/एड्स संक्रमणों से ज्यादा है। वर्ष 2010 के अंत तक इन पांच देशों में एच०आई०वी०/एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या के लिए किए गए प्रक्षेपण इस प्रकार है :

चीन	10-15 मिलियन
भारत	20-25 मिलियन
नाइजीरिया	10-15 मिलियन
इथियोपिया	7-10 मिलियन
रूस	5-8 मिलियन

नाइजीरिया और इथियोपिया में महामारी के अत्यधिक विकसित होने के साथ ही यह सूचित किया गया है कि एच०आई०वी०/एड्स पांच देशों मे अलग-अलग दरों से फैल रहा है। आधिकारिक व्यस्क व्याप्तता दर नाइजीरिया में लगभग 6 प्रतिशत, इथियोपिया में 10 और 18 प्रतिशत के बीच में, रूस में लगभग 1 से 2 प्रतिशत, भारत में लगभग 1 प्रतिशत और चीन में 0.15 से 0.25 है। नाइजीरिया, इथियोपिया और भारत में स्त्री-पुरूष संबंध एच०आई०वी० विषाणु के संचरण का प्राथमिक माध्यम है जबकि रूस में रोग का फैलाव नस के जरिए औषध उपयोग है। चीन में कई पहलू इस महामारी को फैला रहे हैं – बड़ी प्रवासी जनसंख्या, नस के जरिए औषध उपयोगकर्ता और प्जाज्मा की बिक्री में कम साफ-सफाई।

भारत सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का दूसरा चरण कार्यान्वित कर रही है जिसके निम्नलिखित दो प्रमुख उद्देश्य है :

(1) भारत में एच०आई०वी० संक्रमण के फैलने को कम करना; और

(2) दीर्घकालिक आधार पर एच०आई०वी०/एड्स के प्रति अनुक्रियाशीलता के संबंध में भारत की क्षमता को सुदृढ़ बनाना।

इस कार्यक्रम के पांच विशिष्ट घटक हैं जिनमें से प्रत्येक के अधीन विशिष्ट कार्यनीतियां हैं।

(i) संक्रमण के अधिक खतरे वाले समुदाय के निर्धन और उपेक्षित वर्गों के बीच (क) एच०आई०वी० संक्रमण और संचरण के अत्यधिक खतरे वाले समाज के उपेक्षित वर्गों जैसे यौन कर्मियों, परिवहन कार्यकर्ताओं, इन्जेक्शन के द्वारा औषध के प्रयोगकर्ताओं, पुरूष के साथ संभोग करने वाले पुरूषों, प्रवासी कामगारों, औद्योगिक कामगारों जो एच०आई०वी० संक्रमण के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, आवारा बच्चों, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच लक्षित कार्यकलापों के जरिए; (ख) परिधीय जन सवास्थ्य संस्थाओं में लाक्षणिक उपचार और आऊटरीच सेवाओं के जरिए यौन संचारित रोगों के नियंत्रण के जरिए और (ग) एच०आई०वी० के यौन क्रिया संबंधी संचरण को रोकने के लिए कंडोम को बढ़ावा देकर एच०आई०वी० संचरण को कम करना;

(ii) आम जनसंख्या जिसे कम खतरे वाली समझा जाता है के बीच निम्नलिखित के जरिए एच०आई०वी० के फैलने को कम करना; (क) एच०आई०वी०, हैपेटाइटिस 'बी' और 'सी' मलेरिया और सिफिलिस की अनिवार्य जांच सुनिश्चित करके तथा तकनीकी कार्मिक शक्ति विकसित करके रक्त की अधिक उपलब्धता और विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए देश में रक्ताधान सेवाओं का आधुनिकीकरण करके रक्त

आधारित संचरण को कम करके; (ख) जागरूकता स्तरों मे वृद्धि करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियानों के जरिए; और (ग) एच०आई०वी० के लिए स्वैच्छिक परामर्श और जांच को बढ़ावा दे कर।

(iii) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं को निम्नलिखित द्वारा सुदृढ़ करना (क) साक्ष्य आधारित नियोजन और अनुक्रियाशीलता को समर्थ बनाने हेतु देश के सभी भागों में एच०आई०वी० यौन संचारित संक्रमणों, व्यवहार संबंधी पैटर्नों और समाजिक निर्धारकों निगरानी पद्धतियों की मात्रा, गुणवत्ता और सामयिकता में वृद्धि करके; (ख) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों की तकनीकी और प्रबंधीकीय क्षमता में सुधार करके; (ग) एच०आई०वी०/एड्स रोगियों के उपचार में चिकित्सीय और परा चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करके; तथा (घ) उच्च स्तर के हम उम्र व्यक्तियों द्वारा पुनरीक्षित प्रतियोगात्मक और संगत अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करके।

(iv) (क) क्षयरोग सहित अवसरवादी संक्रमणों के उपचार के लिए औषधें प्रदान करके; (ख) एच०आई०वी०/एड्स रोगियों का उपचार करते समय आकस्मिक प्रभाव के मामले में चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्यकर्ताओं का एंटीरिट्रोवायरल प्रभावोत्तर रोग निरोधन; (ग) 6 उच्च व्यापकता वाले राज्यों नामत: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और नगालैंड में प्रसवपूर्व क्लीनिकों में आने वाली एच०आई०वी० पाजिटिव गर्भवती महिलाओं और उसके बच्चों को नेवीरेपीन की एकल खुराक प्रदान करके; और (घ) एच०आई०वी०/एड्स से पीड़ित लोगों की परिचर्या और सहायता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एच०आई०वी०/एड्स से पीड़ित लोगों की परिचर्या और सहायता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एच०आई०वी०/ एड्स से पीड़ित लोगों को अपना नेटवर्क/ स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए उत्साहित करके एच०आई०वी०/एड्स से पीड़ित लोगों के लिए समुदाय आधारित कम लागत की परिचर्या की प्रदानगी।

(v) इस महामारी के प्रति व्यापक आधार वाली प्रतिक्रिया के लिए जनता, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के साथ बहुक्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। इस समय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से देश में 700 से अधिक लक्षित कार्यकलाप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठनों को समुदायिक परिचर्या केन्द्र और स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम चलाने में भी शामिल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे रक्षा, रेल, ऋण, स्टील, खेल और युवा मामले, महिला और बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में एच०आई०वी०/एड्स निवारक और नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जैव आतंकवाद का मुकाबला

*30. **श्री अखिलेश यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं को जैव आतंकवाद के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रयोजनार्थ विदेशी संगठनों से सहायता लेने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) भारत सरकार ने जैव आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए देश की क्षमता को सुदृढ़ बनाने को उच्चतर प्राथमिकता दी है। स्टाफ को प्रशिक्षित करने और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सहित राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थानों की प्रयोगशाला का उन्नयन करने की इसकी योजना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इस प्रयोजन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, इसके ज्यादातर संस्थान रोग विशिष्ट हैं। इसलिए, उपलब्ध विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए उनकी विशिष्ट आर्गेनिज्म के साथ पहचान की गई है। इन आर्गेनिज्मों की संक्रामक प्रकृति के कारण उनके संबंध में विशेष रूप से तैयार की गई जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाओं में कार्रवाई किए जाने की जरूरत होती है। पुणे में 14 करोड़ रुपये की लागत से एक बी०एस०एल०-3 सुविधा चालू की जा रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अन्य केन्द्रों में ऐसी और सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता का मूल्यांकन कर रही है।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रयोगशालाएं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की हों भारतीय वास्तुकारों द्वारा तैयार किए गए डिजाइन का अनुवीक्षण करने में सेंटर्स आफ डिजीज कंट्रोल, एटलांटा, यू०एस०ए० के विशेषज्ञों की सहायता ली गई है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग

*31. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और अन्य राज्यों में किन-किन स्थानों पर 1 जनवरी, 2001 से लेकर आज तक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किए जाने और उन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) देश में इस समय 'दो लेन' वाले और 'चार लेन' वाले राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 'दो लेन' वाले राजमार्गों को 'चार लेन' वाले राजमार्गों में बदलने का है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 23,814 कि०मी० लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है जिसमें 1.1.2001 के पश्चात् घोषित 375 कि०मी० लंबाई भी शामिल है। इस अवधि के दौरान गुजरात में 830 कि०मी० लंबाई की घोषणा की गई। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा नहीं की गई है।

जनवरी, 2001 के पश्चात् घोषित नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर 41.64 करोड़ रु० (अक्तूबर, 2002 तक) खर्च किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रस्ताव नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर समीक्षा हेतु जून, 2002 में उन्हें वापस कर दिए गए हैं। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, सरकार प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात् यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

(ग) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 36,282 कि०मी० और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2,534 कि०मी० है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का दो लेन से चार लेन में परिवर्तन यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से किया जाता है। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन संपर्क स्कीम के अंतर्गत विद्यमान 13500 कि०मी० लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाया जा रहा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 800 और कि०मी० में चार लेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई

क्रम सं०	राज्य	कुल लंबाई (कि०मी०)	9वीं योजना के दौरान (कि०मी०)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4002	1114
2.	अरुणाचल प्रदेश	392	62
3.	असम	2836	540
4.	बिहार	3312	2040
5.	चंडीगढ़	24	0
6.	छत्तीसगढ़	1810	970
7.	दिल्ली	72	0
8.	गोवा	269	40
9.	गुजरात	2461	830
10.	हरियाणा	1357	659
11.	हिमाचल प्रदेश	1188	334
12.	जम्मू-कश्मीर	823	175
13.	झारखंड	1603	638
14.	कर्नाटक	3570	1574
15.	केरल	1440	500
16.	मध्य प्रदेश	4664	2558
17.	महाराष्ट्र	3626	708
18.	मणिपुर	954	523
19.	मेघालय	717	245
20.	मिजोरम	927	376
21.	नागालैंड	369	256
22.	उड़ीसा	3301	1652
23.	पांडिचेरी	53	30
24.	पंजाब	1557	665
25.	राजस्थान	4597	1666
26.	सिक्किम	62	0

1	2	3	4
27.	तमिलनाडु	3758	1862
28.	त्रिपुरा	400	200
29.	उत्तर प्रदेश	4942	2209
30.	उत्तरांचल	1075	1075
31.	पश्चिमी बंगाल	1951	313
	जोड़	58112	23814

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं

*32. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे प्रधानमंत्री ने हाल में अमरीका और अन्य देशों की यात्राएं की थीं;

(ख) यदि हां, तो उनकी इन देशों में से प्रत्येक देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ किस तरह की बातचीत हुई और किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) इस बातचीत/चर्चा का देश-वार क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस बातचीत के दौरान जिन मुद्दों पर अहसमति थी, उनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) हाल में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित देशों का दौरा किया :

(i) अमरीका (10-15 सितम्बर, 2002)

(ii) साइप्रस (7-9 अक्टूबर, 2002)

(iii) डेनमार्क (10-11 अक्टूबर, 2002)

(iv) यू०के० (12 अक्टूबर, 2002)

(v) कम्बोडिया (4-6 नवम्बर, 2002)

(vi) लाओस (6-8 नवम्बर, 2002)

(vii) थाइलैंड (8 नवम्बर, 2002)

प्रश्न के भाग (ख) से (घ) के संबंध में देश-वार ब्यौरा निम्नलिखित है।

अमरीका – प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 57वें सत्र में भाग लेने के लिए 10-15 सितम्बर, 2002 तक न्यूयार्क का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने 12 सितम्बर को नवम्बर, 2001 में वाशिंगटन डी०सी० में हुई उनकी बैठक में उल्लिखित साझी वचनबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग को और संवर्द्धित करने के संबंध में चर्चा करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश से मुलाकात की ताकि भारत-अमरीकी संबंधों में परिवर्तन लाया जाए। उन्होंने पाकिस्तान से निरंतर आने वाले सीमा-पार आतंकवाद और इराक के संबंध में उभरती हुई स्थिति सहित अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा की।

दोनों नेताओं ने नवम्बर, 2001 में वाशिंगटन डी०सी० में हुई अपनी बैठक के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। विशेषकर उन्होंने आतंकवाद के मुकाबले और रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में हुए सकारात्मक परिवर्तनों पर भी गौर किया। उन्होंने बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का पूर्ण लाभ लेते हुए भारत-अमरीका संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया जारी रखने की अपनी वचनबद्धता दोहरायी। उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता को सघन बनाने और संबंधों की नयी सामरिक संरचना को संवर्द्धित करने पर बल दिया। इस उद्देश्य से वे अंतरिक्ष, ऊर्जा के विविध स्रोतों, उच्च-प्रौद्योगिकी, वाणिज्य तथा विज्ञान में सहयोग बढ़ाने की संभावना का पता लगाने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति बुश ने यह भी कहा कि अमरीका भारत के विरूद्ध चलाये जा रहे सीमा-पार आतंकवाद के संबंध में उनकी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति मुशर्रफ पर दबाव डालता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इराक के साथ युद्ध टालने के लिए सभी प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने सूचित किया कि खाड़ी के साथ भारत के महत्वपूर्ण सामरिक हित हैं और इराक के साथ इसका ऐतिहासिक संबंध है और हालांकि हम व्यापक विनाश के शस्त्रों से संबंधित संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संकल्पों का पूर्ण रूप से पालन किये जाने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ईच्छा के प्रति समझबूझ रखते हैं, हमारा मानना है कि इराक द्वारा पूर्ण और प्रभावी अनुपालन किये जाने के साथ ही ईराक पर लगे प्रतिबंधों को उठा लिया जाना चाहिए।

साइप्रस

प्रधानमंत्री ने 7-9 अक्टूबर, 2002 तक साइप्रस की राजकीय यात्रा की।

चर्चा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर चर्चा की गयी।

साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र की विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ग्लाफकॉस क्लेरिड्स की उपस्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, स्वास्थ्य और दूरसंचार के क्षेत्र में पांच महत्वपूर्ण करार संपन्न किये गये।

चर्चा में किसी बिंदु पर असहमति नहीं थी।

डेनमार्क

प्रधानमंत्री ने 10-11 अक्टूबर, 2002 तक डेनमार्क में आयोजित तीसरे भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया और उनकी डेनमार्क के प्रधानमंत्री एन्डर्स फोघ रासमूसेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री रोमानो प्रोदी ने की। शिखर-सम्मेलन में हुई चर्चा में यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने तीसरे भारत-यूरोपीय संघ व्यापार शिखर सम्मेलन जो शिखर स्तर पर भारत-यूरोपीय संघ वार्ता का एक अभिन्न अंग है, के विशेष पूर्ण सत्र में प्रमुख भाषण दिया।

भारत और यूरोपीय संघ ने कार्यसूची के साथ-साथ एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य भी पारित किया। शिखर-सम्मेलन काफी सफल रहा। इसने बहु-ध्रुवीय विश्व में सक्रिय देशों के रूप में भारत और यूरोपीय संघ के महत्व को स्वीकार किया। शिखर सम्मेलन में पारित संयुक्त वक्तव्य और कार्यसूची में समानता और आपसी लाभ के आधार पर तथा हमारी भागीदारी को और संवर्द्धित करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ाने और गहन करने की हमारी साझी वचनबद्धता को दोहराया गया।

इस यात्रा से क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मसलों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और भविष्य में क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर मिला।

द्विपक्षीय मसलों पर कोई असहमति नहीं थी।

यू०के०

प्रधानमंत्री ने 12 अक्टूबर, 2002 को यू०के० का दौरा किया।

प्रधानमंत्री और यू०के० के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के बीच की बैठक गर्मजोशी से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के अतिरिक्त दोनों नेताओं की क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर व्यापक चर्चा हुई।

यू०के० के प्रधानमंत्री ने हिंसा के बावजूद जम्मू और कश्मीर में चुनाव के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं। नई दिल्ली घोषणा के क्रियान्वयन के संदर्भ में द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की गयी। श्री ब्लेयर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन भी दोहराया।

द्विपक्षीय मसलों पर कोई असहमति नहीं थी।

कंबोडिया, लाओस और थाइलैंड

प्रधानमंत्री ने 5 नवम्बर, 2002 का नोम पेन में अनिवार्यत: प्रथम आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4-6 नवम्बर, 2002 तक कंबोडिया का दौरा किया परन्तु उन्होंने कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। उन्होंने 6-8 नवम्बर, 2002 तक लाओस की द्विपक्षीय सरकारी यात्रा की और वे 8 नवम्बर 2002 को थाइलैंड में यात्रा के दौरान रूके।

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इन देशों के नेताओं के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मसलों पर सहयोग बढ़ाने और सुदृढ़ करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।

इन चर्चाओं से एक दूसरे के विचारों और चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित महत्वपूर्ण करार संपन्न किये गये :

कंबोडिया के साथ :

- व्यापार करार;
- कंबोडिया को 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण करार;
- अंकोर पुरातत्व पार्क के संरक्षण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अपसरा प्राधिकरण के बची समझौता ज्ञापन और;
- आई०आई०टी०, बम्बई और कंबोडिया प्रौद्योगिक संस्थान (आई०टी०सी०) के बीच एक गैर-सरकारी करार।

लाओस के साथ

- रक्षा सहयोग पर करार।
- औषध मांग कमी और मादक द्रव्यों एवं मन: प्रभावी पदार्थों और इससे जुड़ी वस्तुओं के अवैध व्यापार पर रोक से संबद्ध करार।
- राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा उन्मुक्ति से संबद्ध करार; और
- लाओस को 10 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला से संबद्ध करार।

इन देशों में प्रधानमंत्री की चर्चाओं के दौरान कोई असहमति नहीं थी।

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

*33. **श्री श्रीनिवास पाटील :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अक्तूबर, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "स्पिलओवर ऑफ पोलियो केसेज़ फ्रॉम यू०पी०

हैज ऑफिशियल्स वरीड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पोलियो के मामलों की रोकथाम के लिए अन्य क्या नीति अपनाई जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) 8 अक्तूबर के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''स्पिलओवर ऑफ पोलियो केसेज फ्रॉम यू०पी० हैज आफिशियल्स वरीड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। समाचार में उत्तर प्रदेश में पोलियो की स्थिति तथा उत्तर प्रदेश से पोलियो के रोगियों के आने से दिल्ली में रोगियों की संख्या बढ़ने के बारे में कहा गया है।

यह सही है कि उत्तर प्रदेश में रोग का प्रकोप है जिसके कारण दिल्ली तथा हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में रोगियों का पता लगाया गया है। यह भी पाया गया है कि इन राज्यों में कुछ रोगी उत्तर प्रदेश से ही आए थे।

सरकार ने उत्तर प्रदेश में पोलियो की स्थिति पर पूरा ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से आग्रह किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में पोलियो की रोकथाम के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनसे लखनऊ में भेंट की और उनसे तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से पोलियो की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य मंत्री ने राज्य में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के सर्वोत्तम रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ने का वचन दिया है। राज्य सरकार ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन और लोगों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली राज्यों और हरियाणा के कुछ जिलों में 29 सितम्बर, 2002 को पहला उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय लक्ष्य देश से पोलियो को उन्मूलन करना और 2005 तक अन्तरराष्ट्रीय पोलियो मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्यनीतियां सरकार द्वारा राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के ग्रुप की सलाह के आधार पर तैयार की जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं। सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। देश भर में प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो ड्रॉप प्रदान करने के लिए दो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दौर आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे राज्यों में उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित किए जाते हैं जहां पर रोगियों के बढ़ने की सूचना है। पोलियो खुराक लेने से छूट गए बच्चों को यह खुराक प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दौरों के बाद दो दिन घर-घर जाकर पोलियो खुराक दी जाती है। जहां पर नए रोगियों का पता लगता है उस जिले में तथा आसपास के क्षेत्रों में 'मॉप-अप' टीकाकरण दौर भी आयोजित किए जाते हैं। देश में पोलियोरोधी टीकाकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार, दोनों के द्वारा बैनरों, पोस्टरों, होर्डिंग, समाचार पत्र, विज्ञापनों, दूरदर्शन कार्यक्रमों आदि के माध्यम से विस्तृत और गहन सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

जिन राज्यों में पोलियो के रोगियों का पता लगा है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :–

(i) पता लगे और छूट गए बच्चों को पोलियो खुराक प्रदान करने के लिए घर-घर जाकर टीका लगाने वाले दलों को सुदृढ़ किया गया है जिसमें स्थानीय समुदाय से एक महिला को तरजीह देते हुए उसे तीसरे सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

(ii) प्रतिरोधन क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सामुदायिक संगठनकर्त्ता को लगाया गया है।

(iii) पोलियो खुराक लेने से छूट गए बच्चों के लिए घर-घर जाकर खुराक देने का कार्य बूथ दिवस के बाद पांच दिनों तक किया जा रहा है। जबकि देश के अन्य भागों में दो दिन किया जाता है।

(iv) अतिरिक्त सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

(v) भारत सरकार और राज्य, दोनों स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की शीर्षस्थ राजनैतिक और अधिकारी स्तर पर घनिष्ठ रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

(vi) कार्यक्रम का लोगों में प्रचार करने और उनकी अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय रूप से प्रभाव रखने वाले/सामाजिक और धार्मिक नेताओं को इसमें शामिल किया गया है।

(vii) बेहतर मानीटरिंग और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक निगरानी चिकित्सा अधिकारी तैनात किया गया है।

सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन

*34. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :**
श्री जी०जे० जावीया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर गुजरात सरकार ने राज्य मार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) जी हां। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए गुजरात के प्रस्ताव सहित अन्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रस्ताव संशोधित मानदंडों के आधार पर समीक्षा हेतु जून, 2002 में उन्हें वापस कर दिए गए हैं। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, सरकार प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात् यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अमरीका की रिपोर्ट

*35. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अमरीकी कमीशन की नवीनतम रिपोर्ट में कतिपय देशों को 'विशेष ध्यान देने योग्य देशों' की श्रेणी में रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि गुजरात नरसंहार के बाद भारत को भी 'विशेष ध्यान देने योग्य देशों'' की श्रेणी में रखा जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं। किसी भी देश को ''विशेष ध्यान देने योग्य देश'' (सी०पी०सी०) नामित करने का अधिकार अमरीका के विदेश मंत्री का है न कि अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यू०एस०सी०आई०आर०एफ०) का। अक्तूबर 2002 में विदेश विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी अंतिम रिपोर्ट में विदेश मंत्री ने भारत को सी०पी०सी० के रूप में नामित नहीं किया है।

(ख) और (ग) आयोग ने अपने 30 सितम्बर 2002 के पत्र द्वारा विदेश मंत्री को सिफारिश की है कि भारत को सी०पी०सी० के रूप में नामित किया जा सकता है। पत्र में नौ आयुक्तों में से इसके अध्यक्ष सहित दो आयुक्तों की टिप्पणी में इस सिफारिश पर विरोध और असहमति है कि जहां तक पूरे भारत का मामला है यह कहा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का क्रमबद्ध और निरंतर खुल्लम खुल्ला उल्लंघन को भारत सरकार ने इस सीमा तक ''प्रोत्साहित किया अथवा सहन किया'' कि इसे सी०पी०सी० की श्रेणी में रखा जा सकता है।

(घ) अमरीका का अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग अमरीकी कांग्रेस द्वारा अधिकार प्राप्त एक गैर सरकारी निकाय है। सरकार इसकी रिपोर्ट को किसी विदेशी सरकार की आंतरिक प्रक्रिया का एक भाग मानती है और भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। यह सर्वविदित है कि भारत का संविधान अल्संख्यकों सहित अपने समस्त नागरिकों को समान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है।

एम०टी०एन०एल० और बी०एस०एन०एल० का विलय

*36. **श्रीमती प्रभा राव :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में विदेशी निवेशकों से परामर्श लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) प्रस्तावित विलय से ग्राहकों को किस प्रकार बेहतर सेवा मिलने की संभावना है और सरकार को इस विलय से क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क), (ख) और (ङ) बी०एस०एन०एल० को मजबूत बनाने के लिए उपलब्ध विकल्पों का आंतरिक अध्ययन (जो

प्रारंभिक अवस्था में है) शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये कंपनियां निजी क्षेत्र के साथ भली-भांति प्रतिस्पर्द्धा कर सकें और सभी पणधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को अधिकतम मूल्य मिल सके।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मस्तिष्काघात हेतु नवीन उपचार

*37. **श्री मोहन रावले :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने लोगों को मस्तिष्काघात हुआ;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मस्तिष्काघात से पीड़ित रोगियों का उपचार करने के लिए नया कार्यक्रम विकसित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्यक्रम इस प्रकार के रोगियों के उपचार में किस हद तक सहायक होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) इस समय हमारे पास भारत में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर मस्तिष्काघात या अन्य तंत्रिका विकारों के रोगियों की संख्या को मानीटर करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली नहीं है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इस बारे में कोड रेड नामक एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। यह उपचार थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग रिकोम्बिर्टेंट टिशू- प्लासमिनोजेन एक्टीवेटर (आर०टी०-पी०ए०) से है जो डी०एन०ए० प्रौद्योगिकी से सहज रूप से प्राप्त होने वाला एन्जाइम हैं। यह तीव्र अरक्तताजन्य आघात के लिए पहली सिद्ध कारगर संस्तुत इलाज है बशर्ते इसे आघात के होने के 3 घंटे के अन्दर दिया जाए, क्योंकि इससे कार्यात्मक अशक्तता और तंत्रिका संबंधी माप में काफी दीर्घकालिक सुधार होता है। टिशू प्लासमिनोजेन एक्टीवेटर इस समय भारत में उपलब्ध नहीं है। रिकोम्बिनेंट टिशू प्लासमिनोजेन एक्टीवेटर की उपयोगिता का प्रदर्शन केवल विशेष अनुसंधान विन्यास में हुई है। केनेडियन एसोसिएशन आफ इमरजेंसी फीजिशियन एंड अमेरिका एकेडेमी आफ इमरजेंसी मेडिसन द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुसंधान विन्यास से बाहर भी स्ट्रोक थ्रोम्बोलाइटिक्स के व्यापक उपयोग का समर्थन करने के लिए और प्रमाण आवश्यक है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की सहायता से तिरूवनन्तपुरम में एक भारतीय अध्ययन समाप्त करना पड़ा था क्योंकि आघात के तीन घंटे की अवधि के अन्दर रोगी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे।

बेसिक टीकाकरण कार्यक्रम

*38. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी लगभग पैंतालीस प्रतिशत बच्चों को सभी छह बेसिक टीके लगाए जाने बाकी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी बच्चों को सभी छह बेसिक टीके समय पर लग जाएं;

(ग) क्या टीकाकरण कार्यक्रम का कम प्रचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) यूनिसेफ के मूल्यांकन के अनुसार देश में 2000-01 में वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों नामत: बाल्यावस्था में होने वाला क्षय रोग, डिफ्थीरिया, परटुसिस, पोलियोमाइलिटिस, खसरा और नवजात शिशु को होने वाले टेटनस के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 53.6 प्रतिशत था।

राज्यों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों नामत: बाल्यावस्था में होने वाला क्षय रोग, डिफथीरिया, परटूसिस, पोलियोमाइटिस, खसरा और नवजात शिशु को होने वाला टेटनस के नियंत्रण के लिए देश भर में बच्चों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। भारत सरकार राज्यों को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वैक्सीन, सिरिंज एवं सुइयां, कोल्ड चैन और इजेक्शन निरापदता उपकरण, कोल्ड चेन के रख-रखाव के लिए निधियां प्रदान करती है। सरकार ने टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आउटरीच सेवा स्कीम और टीकाकरण कार्यक्रम का कवरेज और गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य और जिले के अधिकारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से विशेषकर कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों को सहायता प्रदान करके कवरेज बढ़ाने के लिए कार्यकलाप शुरू किए हैं। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों हेतु निधियां भी राज्यों को आउटरीच सेवा स्कीम के अन्तर्गत जारी की जाती है।

परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन

*39. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परमाणु रिएक्टरों से अधिक रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वोत्तम समझे जाने वाले स्टेशन भी अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में तीन गुना अधिक रेडियोधर्मिता उत्सर्जित करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में सुरक्षा का उन्नयन करने हेतु तैयार की गई प्रौद्योगिकी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत महंगी है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी को व्यवहार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं, भारत में, परमाणु बिजलीघरों से उत्सर्जित विकिरणसक्रियता की मात्रा की सीमाओं का निर्धारण परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए०ई०आर०बी०) द्वारा किया जाता है। ये सीमाएं ''अन्तर्राष्ट्रीय वैकिरणकी बचाव आयोग (आई०सी०आर०पी०)'' द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप हैं। भारतीय परमाणु बिजलीघरों से उत्सर्जित विकिरणसक्रियता की मात्रा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं से काफी कम रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं डिजायन स्तर पर ही समाहित कर ली जाती हैं और उन्हें परमाणु विद्युत संयंत्रों के निर्माण, कमीशनिंग और परिचालन के दौरान जारी रखा जाता है। परिचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, जहां कहीं आवश्यक हो, अपग्रेडेशन की दृष्टि से निरन्तर की जाती है, और लागत की दृष्टि से इस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाता है। सुरक्षा के आवश्यक स्तर को ध्यान में रखते हुए, भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है और परमाणु विद्युत संयंत्र वाणिज्यिक आधार पर राज्य विद्युत बोर्डों को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीलंका में शांति वार्ता

*40. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नार्वे के सहयोग से श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच होने वाली शांति वार्ता को अपना समर्थन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारत सरकार, श्रीलंका में जारी शांति प्रक्रिया का समर्थन करती है। प्रैस वक्तव्य ''भारत सरकार प्रैस वक्तव्य'' के रूप में संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) नार्वे की मध्यस्ता में श्रीलंका सरकार और लिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम (एल०टी०टी०ई०) ने 23 फरवरी 2002 की मध्यरात्री से प्रभावी अनिश्चित कालीन और आपसी सहमति के युद्ध विराम के एक युद्धबंदी समझौते पर 22 फरवरी 2002 को हस्ताक्षर किए।

श्रीलंका सरकार और एल०टी०टी०ई० के बीच वार्ता का प्रथम दौर 16-18 सितम्बर 2002 तक सत्ताहिप नेवल बेस, थाइलैंड में हुआ था। एल०टी०टी०ई० के प्रवक्ता ने प्रैस को बताया कि वह शांति प्रयासों से राजनीतिक हल चाहती है और श्रीलंका की सरकार के प्रवक्ता ने प्रैस को बताया कि श्रीलंका सरकार श्रीलंका की एकता और प्रादेशिक अखंडता के लिए अधिकतम विकेन्द्रीकरण उपलब्ध कराएगी। वार्ता के मुख्य तीन विषय थे। (i) भविष्य वार्ताओं की रूपरेखा (ii) युद्धविराम समझौते को जारी रखना, और (iii) पूर्वोत्तर विकास मामले। दो संयुक्त कार्य बल बनाने पर सहमति हुई। एक, मानवीय आधार और पुर्ननिर्माण कार्यों तथा सुरक्षा मामलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु। दूसरा, संयुक्त समिति गठित करने पर सहमति हुई जो सुरक्षा मसलों और युद्ध पुनः आरम्भ होने की स्थिति में सुरक्षा परिधि कम किए जाने की एल०टी०टी० ई० की इच्छा और श्रीलंका सरकार की चिंताओं का समाधान करेगी।

दूसरे दौर की वार्ता 3 नवम्बर को थाइलैंड में सम्पन्न हुई। यह बताया गया कि एल०टी०टी०ई० राजनीतिक, सैन्य और विकास मसलों को हल करने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ काम करने को सहमत हो गए हैं।

(क) राजनीतिक मामलों की उपसमिति युद्ध समाप्त करने के लिए एक स्वीकार्य राजनीतिक हल विकसित करने का काम करेगी।

(ख) उत्तर और पूर्व में तत्काल मानवीय आधार और पुर्नवास आवश्यकताओं की उपसमिति, मानवीय आधार और पुर्नवास आवश्यकताओं का पता लगाएगी, कार्यान्वयन प्राथमिकता निर्धारित करेगी, वित्तीय संसाधनों के आबंटन का निर्णय करेगी, और कार्यान्वयन एजेसियां निर्धारित करेगी।

(ग) तनाव कम करने और सामान्यीकरण की उपसमिति, अति सुरक्षा वाले क्षेत्रों से सम्बधिन्त मामलों को देखेगी और दोनों पक्षों के बीच साकारात्मक वार्ता के लिए एक तंत्र का काम करेगी।

तीसरे और चौथे दौरे की वार्ता क्रमशः 2-5 दिसम्बर 2002 और 6-9 जनवरी 2003 के बीच ओस्लो और थाइलैंड में होगी।

विवरण

भारत सरकार प्रैस वक्तव्य

भारत सरकार ने श्रीलंका युद्ध के दोनों पक्षों के बीच 16-18 सितम्बर 2002 तक सत्ताहिप, थाइलैंड में हुई वार्ता के प्रथम दौर की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। वार्ता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने, जिसके परिणाम स्वरूप आगामी बैठकों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों, मानवीय और पुर्ननिर्माण गतिविधियों, सुंरगे हटाने सहित महत्वपूर्ण मसलों आदि को संयुक्त रूप से निपटाने का निर्णय करने का समझौता हो सका है, का स्वागत है। भारत सरकार पहले भी और अभी भी प्रयास कर रही है जिसमें अखंड और संप्रभु श्रीलंका के समाज के सभी वर्गों की वैध आकाक्षाओं के अनुरूप शांति प्रक्रिया हो सके।

डा० बी० बरूआ कैंसर संस्थान

231. **श्री एम०के० सुब्बा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम राज्य सरकार से गोवाहाटी के डा० बी० बरूआ कैंसर संस्थान को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार का निर्णय क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। वैसे, केन्द्रीय सरकार द्वारा डा० बी० बरूआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी को अपने अधीन लेने के लिए प्रस्ताव पर टिप्पणियां देने हेतु गृह मंत्रालय (पूर्वोत्तर प्रभाग) से एक अनुरोध मिला था। नान-प्लान व्यय को कम करने संबंधी वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक कारणों से इस संस्थान को अपने अधीन लेना इस मंत्रालय के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया। संस्थान से राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन योजनाओं के अनुसार वित्तीय सहायता हेतु विशिष्ट-प्रस्ताव भेजने के लिए अलग से अनुरोध किया गया है। अभी संस्थान का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पुणे के लिए आप्टीकल फाइबर केबल (ओ०एफ०सी०)

232. **श्री अशोक ना० मोहोल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे जिले के लिए कम से कम 1200 कि०मी० आप्टीकल फाइबर केबल देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जिला पुणे में 400 रूट किलोमीटर ऑप्टीकल फाइबर केबल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ख) 76.6 किलोमीटर के संबंध में कार्य पूरा हो चुका है। बकाया काम को इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है बशर्ते राज्य एजेंसियों से "वे-लीव" संबंधी अनुमति मिल जाए।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फंफूदी संक्रमण

233. **श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शल्यक्रिया के दौरान फंफूदी संक्रमण की बढ़ती घटनाओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सूक्ष्म जीवविज्ञान विभाग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी आपरेशन थिएटरों और आई०सी०यू० तथा सी०एन० केन्द्र का संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम चलाता है, पिछले कई महीनों में इन स्थानों से एकत्रित किए गए नमूनों में किसी भी आपरेशन थिएटर और आई०सी०यू० (विशेषकर कार्डियोथोरेसिक और न्यूरो-सर्जरी) में किसी भी प्रकार की फफूंद वृद्धि नहीं पाई गई है।

कई रोगियों में सूचित किया गया आपरेशनेत्तर फफूंद संक्रमण अन्तर्जात संक्रमण विशेषकर कैनडीडा प्रजाति से हुआ हो सकता है।

दवाइयों/उपकरणों की आपूर्ति

234. **श्री शिवाजी माने :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को दवाइयों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की अपर्याप्त आपूर्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन राज्यों द्वारा कितनी दवाइयों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की मांग की गई है और उन्हें कितनी आपूर्ति की गई है; और

(ग) इन राज्यों को दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति हेतु अपनी मांग (इन्डेण्ट) क्रमशः सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपुओं, मुम्बई और कोलकाता जोकि औषधियों की अधिप्राप्ति हेतु केन्द्रीय अभिकरण है, को नहीं भेजते हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपदान

235. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दिनांक 01 जुलाई 1993 से 31 मार्च, 1995 की अवधि के दौरान सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ केवल 20 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय करके 01 अप्रैल, 1995 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की तुलना में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान प्रदान करने में 97 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय करके भेदभाव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कैट, मुम्बई और मुम्बई उच्च न्यायालय ने भी इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए राहत प्रदान करने संबंधी आदेशों को भेदभाव पूर्ण ठहराया है;

(ग) यदि हां, तो इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अवधि के पेंशन भोगियों को सरकार द्वारा 97 प्रतिशत महंगाई भत्ते का उपदान प्रदान करने के लिए विलय करने संबंधी आदेश अभी तक जारी क्यों नहीं किए हैं; और

(घ) किस समय तक यह आदेश जारी कर दिए जाएंगे ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) यह मसला, कुछ पेंशनभोगियों द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुम्बई के समक्ष लाया गया। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने यह निर्णय दिया कि उसे 01.04.1995 को निर्णायक (कट ऑफ) तारीख नियत किए जाने की कोई तुक अथवा युक्तिसंगति नजर नहीं आई। सरकार ने उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, मुम्बई में एक रिट याचिका दायर कर दी है। उपर्युक्त रिट याचिका स्वीकार कर ली गई है तथा उपर्युक्त मसला इस समय न्यायाधीन है।

चंडीगढ़ में डाकघर

236. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में श्रेणीवार और स्थानवार डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक डाकघर के अंतर्गत कितना क्षेत्र और जनसंख्या आती है;

(ग) क्या नयी कालोनियों और सेक्टरों में और डाकघर खोलने की आवश्यकता महसूस की गई है;

(घ) चंडीगढ़ में नये डाकघर खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थापित पत्र पेटियों की क्षेत्र, गांव और कॉलोनी वार संख्या कितनी है; और

(च) इन पत्र पेटियों से डाक निकासी की संख्या और समय क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में 51 डाकघर हैं। डाकघरों की स्थिति का श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में डाकघरों द्वारा जितने औसत क्षेत्र और जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है, वह निम्नानुसार है :

क्षेत्र का वर्गीकरण	प्रत्येक डाकघर द्वारा कवर किया जाने वाला औसत क्षेत्र	प्रत्येक डाकघर द्वारा सेवित औसत जनसंख्या
शहरी क्षेत्र में डाकघर	1.76 वर्ग कि०मी०	17973
ग्रामीण क्षेत्र में डाकघर	4.95 वर्ग कि०मी०	13160

(ग) जी, हां।

(घ) नए डाकघरों का खोला जाना मानदण्ड आधारित औचित्य के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में सेक्टर, गांव और कालोनी वार लगाए गए लैटर बॉक्सों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) डाकघर के कार्यदिवसों के दिन शहरी क्षेत्र में लगाए गए सभी लैटर बॉक्सों से दिन में दो बार तथा ग्रामीण क्षेत्र में दिन में एक बार डाक निकाली जाती है।

विवरण-I

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में डाकघरों की स्थिति का श्रेणीवार ब्यौरा

I. 1. नया सचिवालय 2. विधान सदन 3. सेक्टर 1 में हाईकोर्ट डाकघर 4. सेक्टर 7 में राजभवन डाकघर 5. सेक्टर-8 6. सेक्टर (9)

सेक्टर-10 (10) सेक्टर-11 (12) सेक्टर 12 एवं सेक्टर 12 में इंजीनियरिंग कालेज (13) सेक्टर-14 (14) सेक्टर 15 (16) चंडीगढ़ जी०पी०ओ० और (16) बस स्टैंड सेक्टर 17 (17) सरकारी मुद्रणालय सेक्टर 18 (18) सेक्टर 18 (19) सेक्टर 19 (20) सेक्टर 20 (21) सेक्टर 21 (22) सेक्टर 22(23) सेक्टर 23 (24) सेक्टर 26 अनाज मंडी (25) सेक्टर 27 (26) सेक्टर 29 (27) सेक्टर 30 (28) सेक्टर 31 (29) सेक्टर 34 (30) सेक्टर 35 (31) सेक्टर 36 (32) सेक्टर 40 (33) सेक्टर 44 (34) सेक्टर 46 (35) सेक्टर 47 (36) इंडस्ट्रियल एरिया फेज I में इंडस्ट्रियल एरिया डाकघर (37) इंडस्ट्रियल एरिया डाकघर फेज-I ओसीएफ में न्यू आई०ए० डाकघर (38) राम दरबार इंडस्ट्रियल एरिया में रामदरबार आई०ए० डाकघर (39) मलोया कालोनी डाकघर (40) दादू माजरा कालोनी डाकघर (41) मणि माजरा (42) एम०टी० मणि माजरा (43) एम०एच०सी० मणि माजरा (44) एरोड्रम डाकघर सी०एच०डी० (45) एयर फोर्स हाई ग्राउंड डाकघर

II. अतिरिक्त विभागीय डाकघर (1) बुरैल गांव में बुरैल अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर

III. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (1) धनस (2) दरिया (3) बेहलाना (4) हलो माजरा (5) बदेरी (6) रायपुर कलां

विवरण-II

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में स्थापित पत्र पेटियों का सेक्टर, ग्राम एवं कालोनी-वार विवरण

क्र० सं०	सेक्टर का नाम	स्थापित पत्र पेटियों की संख्या	कालोनी का नाम	स्थापित पत्र पेटियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	सेक्टर-17	9	बाबू धाम कालोनी	2
2.	सेक्टर-19	34		
3.	सेक्टर-12	11		
4.	एयर फोर्स हाई. ग्राउंड	2		
5.	सेक्टर-22	37		
6.	सेक्टर-23	11		
7.	एरोड्रम	5		
8.	सेक्टर-11	8		
9.	नया सचिवालय	12		
10.			मलोया कालोनी	2
11.	सेक्टर-18	10		
12.	सेक्टर-15	15		
13.	इंडस्ट्रियल एरिया-II	2	करसोम कालोनी	1
			राम दरबार कालोनी	1
14.	सेक्टर-47	20	संजय कालोनी	1
15.	इंडस्ट्रियल एरिया	17		
16.	सेक्टर-36	33		
17.	सेक्टर-14	09	दादू माजरा कालोनी	1
18.	मणि माजरा	15		
19.	सेक्टर-9	14		
20.	सेक्टर-20	11		
21.	सेक्टर-30	22	इंदिरा कालोनी	1
	कुल	297		9

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के अंतर्गत गांवों के नाम

क्र० सं०	गांव का नाम	स्थापित पत्र पेटियों की संख्या
1	2	3
1.	रायपुर खुर्द	01
2.	हलो माजरा	02
3.	बेहलाना	02
4.	दरिया	02
5.	मक्खन माजरा	01
6.	मौली जागरण कॉम्प्लैक्स	05
7.	रायपुर कलां	01
8.	कजेरी	02
9.	बदेरी	02
10.	पलसोरा	02
11.	बेतरेला	01
12.	धनस	02
13.	खुदा लहोरा	02

1	2	3
14.	मलोया	01
15.	बुरैल	02
16.	किशनपुरा	01
17.	खुदा अली शेर	01
18.	भगुपुरा	01
19.	दादू माजरा	01
20.	खुदा जस्सु	01
21.	गुरूद्वारा गुरू सागर साहिब	01
22.	झानिम वाला	01
	कुल	35

कम्प्यूटर की खरीद में भ्रष्टाचार

237. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार के संबंध में लिखे पत्र केन्द्रीय सतर्कता-आयोग के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय भंडार में प्राप्त शिकायतें

238. श्री रघुनाथ झा : क्या प्रधान मंत्री केन्द्रीय भंडार में प्राप्त शिकायतों के बारे में 3 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 782 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन शिकायतों की जांच पूर्ण हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले एक वर्ष में सरकार और केन्द्रीय भंडार द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों का विवरण क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) लोक-सभा के दिनांक 06.03.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 782 के उत्तर में दिया गया आश्वासन पूरा किए जाने से संबंधित कार्यान्वयन का विवरण, दिनांक 25.07.2002 को संसदीय कार्य-मंत्रालय और लोक-सभा-सचिवालय को भेज दिया गया है।

(ङ) और (च) व्यापारिक संगठन होने के नाते, केन्द्रीय भंडार को विभिन्न विषयों पर शिकायतें मिलती हैं। ऐसी शिकायतें निबटाने की दृष्टि से उपर्युक्त संगठन (केन्द्रीय भंडार) में ही पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था है। उपर्युक्त संगठन में एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी भी है। जांच करने के पश्चात् जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, संबंधित कर्मचारियों/आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

गुजरात में प्रति व्यक्ति आय

239. श्री मानसिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में यह कितनी है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 से 2000-2001 तक की अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी०एस०ओ०) द्वारा अखिल भारत के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना/आंकड़ों के अनुसार, गुजरात में प्रति व्यक्ति आय का स्तर स्थिर मूल्यों (1993-94) और प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है।

[हिन्दी]

राजस्थान में नेहरू युवक केन्द्र

240. श्री अशोक अर्गल :
श्री बली राम कश्यप :
श्री ब्रजमोहन राम

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में झालावाड़ के नेहरू युवक केन्द्र से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे जिलों की संख्या कितनी है और जिनका कार्य अन्य जिलों के संयोजकों द्वारा देखा जाता है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) राजस्थान में झालावाड़ के नेहरू युवक केन्द्र से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राजस्थान में अतिरिक्त कार्यभार देखने वाले युवा समन्वयकों द्वारा 13 नेहरू युवा केन्द्रों के कार्य का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण से जुड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

241. **श्री गंता श्रीनिवास राव :**
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के लिए परिवार कल्याण से जुड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस कार्यक्रम को विस्तृत कर वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य वर्गों के लिए भी लागू करना चाहती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में यह निर्धारित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के दम्पतियों को लक्ष्य बनाकर छोटे परिवार के मानदण्ड को व्यापक रूप से अपनाए जाने के लिए एक प्रेरक उपाय के रूप में परिवार कल्याण से जुड़ी एक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की जाए। वर्तमान वर्ष 2002-03 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए 60 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। यह विचार किया गया है इस योजना को उन दम्पतियों के लिए शुरू किया जाएगा जो बंध्यीकरण करवाएंगे और जिनके दो से अधिक बच्चे नहीं होंगे।

स्वास्थ्य पद्धति संस्थान, हैदराबाद से अनुरोध किया गया है कि वे परिवार कल्याण से जुड़ी एक स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार करें। इस योजना के प्राप्त होने के बाद देश में इसे अपनाए जाने के लिए इसके कार्यान्वयन संबंधी जांच की जाएगी।

डेपो-प्रोवेरा गर्भनिरोधक के दुष्प्रभाव

242. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महिला समूहों ने डेपो प्रोवेरा नामक गर्भ-निरोधक सुई पर प्रतिबंध लगाने की आवाज उठायी है जिससे कि महिलाओं में गंभीर दुष्प्रभाव हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) महिला संगठन इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाले गर्भनिरोधनों के नियमित मासिक रक्त स्राव में गड़बड़ी, मासिक चक्र रूकना अथवा अनियमित रक्त स्राव, सामान्य कमजोरी, माइग्रेन, तीव्र उदर ऐंठन जैसे अनुषंगी प्रभावों के बारे में आशंकित हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाले गर्भनिरोधन से हड्डी के घनत्व में कमी आ सकती है। जिससे ऑस्टिओपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) सरकार इंजेक्शन द्वारा दिए जाने वाले गर्भनिरोधन को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई

243. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लक्षित लंबाई अभी तक पूर्ण नहीं हुई है;

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-2002 के लिए विकास योजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) घटिया काम के क्या कारण हैं, यदि कोई हुआ हो तो और सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को गति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4942 कि०मी० है।

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-2002 के दौरान 50 निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

(ग) उत्तर प्रदेश में घटिया किस्म के कार्य के किसी दृष्टांत की सूचना नहीं है। उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विकास किया जा रहा है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और पत्तन संपर्क स्कीम के अंतर्गत लगभग 13500 कि०मी० लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4/6 लेन का बनाने का कार्य शुरू किया है। इसके अलावा, वर्ष 2002-03 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1722.66 करोड़ रु० और अनुरक्षण के लिए 732.85 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान उत्तर प्रदेश में विकास के लिए 146.63 करोड़ रु० और अनुरक्षण के लिए 66.19 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1626 कि०मी० लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत चार लेन का बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति

244. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों को राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति के लिए मनोनीत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मनोनीत करने के लिए मानदंड क्या है;

(ग) क्या इनका उल्लंघन किया जा रहा है जिससे संकाय के सदस्यों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है;

(घ) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने संकाय के सदस्यों द्वारा की गई आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में लिए गए निर्णयों की पुनरीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुसरण न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोल्हापुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग

245. श्री सुबोध मोहिते : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल्हापुर-नागपुर और अन्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई निवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार नागपुर शहर के रिंग रोड को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल करने पर सहमत हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; और

(च) इस कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि कितनी है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सभी प्रस्ताव नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर समीक्षा हेतु जून, 2002 में उन्हें वापस कर दिए गए हैं। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, सरकार प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात् यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

(घ) से (च) सरकार रा०रा० 7 पर नागपुर बाइपास (पूरब की ओर) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर-दक्षिण महामार्ग के एक भाग के तौर पर शामिल करने पर सहमत हो गई है। विस्तृत इंजीनियरी के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति और भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन की स्वीकृति के लिए कार्रवाई चल रही है।

राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन जलमार्गों की घोषणा

246. श्री टी० गोविन्दन : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल में कोवलम से मंजेश्वर तक के जलमार्गों को राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन जलमार्ग के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नेत्रहीनता निवारण में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका

247. प्रो० रासासिंह रावत : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के राज्य सरकारों से देश में नेत्रहीनता निवारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करने/जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) राज्यों द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत भारत सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और जो प्रस्ताव पात्र होते हैं उनको राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। स्वैच्छिक क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठन और नेत्र बैंक जिनको पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तपोषित किया गया, को क्रमश: विवरण-I और II पर दर्शाया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

गैर-सरकारी संगठन, जिनको राज्य-वार के अनुसार जी०आई०ए० प्राप्त हुआ, के नामों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्रमांक	गैर-सरकारी संगठन का नाम	धनराशि
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	अशोक आई हास्पिटल, विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश	7.000
2.	रोटरी सर्विस काम्पलेक्स ट्रस्ट, पोडटूर/कुड्डापा, आंध्र प्रदेश	2.147
3.	एम० राम रेड्डी लायंस आई हास्पिटल, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश	17.000
4.	नैदादावोल लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश	6.875
5.	राजावाली राधेराम लायंस आई हास्पिटल, पालकोल, आंध्र प्रदेश	17.750
6.	रोटारी नेत्रा (विजांग मिड टाउन रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट, विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश)	17.750
7.	लायंस क्लब आफ सूर्यापेट आई हास्पिटल, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	17.750
8.	श्रीमती राजेश्वरी रामकृष्णा आई हास्पिटल, निडाडावोल, आंध्र प्रदेश	11.000
मध्य प्रदेश		
1.	भोपाल आई हास्पिटल ट्रस्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश	17.750
2.	बेथेस्डा हास्पिटल सोसाइटी, छत्तरपुर, मध्य प्रदेश	17.750
3.	जबलपुर डायोसेसन सोसल सर्विस सोसायटी, मण्डला, मध्य प्रदेश	17.750
4.	क्रिश्चियन हास्पिटल मुंगेली, बिलासपुर, मध्य प्रदेश	—
5.	सेवा सदन आई हास्पिटल ट्रस्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश	17.750
6.	राठौर मिशन हास्पिटल, जिला सागर, मध्य प्रदेश	6.500
महाराष्ट्र		
1.	अकोट रोटरी चैरिटेबल संस्था, अकोला, महाराष्ट्र	7.330
2.	लायंस काम्प्रहेंसिव आई केयर फाउन्डेशन, मिरज/ सांगली, महाराष्ट्र	16.146
3.	जनाना प्रभोदीनी मेडिकल ट्रस्ट, पुणे, महाराष्ट्र	17.750
4.	महात्मा गांधी मिशन हास्पिटल, न्यू मुम्बई, महाराष्ट्र	4.500
5.	तलेगांव जनरल हास्पिटल एंड कौंवालेसेंट होम, पुणे महाराष्ट्र	17.750
6.	रोटरी आई सेंटर ट्रस्ट, संगमनेर, अहमदनगर, महाराष्ट्र	12.500
7.	कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी, वर्धा, महाराष्ट्र	17.750
उड़ीसा		
1.	रोटरी क्लब ऑफ कटक चैरिटेबल ट्रस्ट, कटक, उड़ीसा	17.750
2.	ई०सी०ओ०एस० आई हास्पिटल, ब्रहमापुर, उड़ीसा	11.120
3.	अंतोदय चेतना मंडल, मयूरबंज, उड़ीसा	17.750
4.	नैसादरी, थेंकेनाल, उड़ीसा	17.750

1	2	3
5.	सर्विस सेंटर फार द डिसाबल्ड, टिटिलागढ़, बोलांगीर, उड़ीसा	17.750
	राजस्थान	
1.	ग्लोबल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, माउंट आबू, राजस्थान	18.425
2.	उर्मिल ज्योति संस्थान, जिला बीकानेर, राजस्थान	10.000
	तमिलनाडु	
1.	श्रीकांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	17.750
2.	के०जी० आई हास्पिटल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	14.500
	उत्तर प्रदेश	
1.	क्रिश्चियन हास्पिटल, कासगंज, एटा, उत्तर प्रदेश	5.125
2.	मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	17.750
3.	खैराबाद आई हास्पिटल, कानपुर, उत्तर प्रदेश	17.750
	कर्नाटक	
1.	करूणा ट्रस्ट, चामराजनगर, कर्नाटक	8.875
2.	करूणा ट्रस्ट, बी०आर० हिल्स, जिला चामराजनगर, कर्नाटक	8.875
	मणिपुर	
1.	मुलवईफई रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर (मणिपुरी)	12.500

विवरण-II

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जुटे स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के राज्य-वार ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्रमांक	गैर-सरकारी संगठन का नाम	जारी किया अनुदान			कुल
		1999-2000	2000-01	2001-02	
1.	आई बैंक ऑफ एसोसिएशन आफ केरल	0.50	1.06	0.00	1.56
2.	बंगलौर वेस्ट लायंस आई हास्पिटल एंड कार्निया ग्राफ्टिंग सेंटर	0.50	0.50	3.61	4.61
3.	संकर आई सोसायटी	0.50	0.54	0.53	1.57
4.	श्री कांची कामकोटि मेडिकल ट्रस्ट	0.50	0.80	0.81	2.11
5.	अरविन्द आई हास्पिटल एंड पीजी इंस्टीट्यूट आफ आफथो.	0.00	0.55	4.03	4.58
6.	जिला 324-ए1, लायंस आई बैंक ट्रस्ट	0.00	0.50	1.79	2.29
7.	गांधी आई हास्पिटल ट्रस्ट	0.50	0.00	0.28	0.78
8.	एल०एम० शाह रोटरी आई इंस्टीट्यूट	0.50	0.00	1.43	1.93
9.	संकर आई बैंक	0.00	0.00	0.16	0.16
10.	वेनू आई इंस्टीट्यूट	0.50	0.00	0.81	1.31
11.	स्वेचा गौरा आई बैंक	0.45	0.00	0.63	1.08
12.	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	0.31	0.00	0.98	1.29
13.	प्रियदर्शिनी सेवा संस्था	0.00	0.00	0.50	0.50
14.	शक्ति नेत्र बैंक	0.00	0.00	0.50	0.50
15.	भारत विकास परिषद्	2.00	0.00	0.00	2.00
16.	आई बैंक धामपुर	0.50	0.00	0.00	0.50
	कुल	6.76	3.95	16.06	26.77

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षतिग्रस्त पुल

248. श्री राजो सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षतिग्रस्त हुए पुलों की संख्या कितनी है;

(ख) अब तक कितने पुलों की मरम्मत की जा चुकी है और शेष पुलों की कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन पुलों की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) 44

(ख) 32.59 करोड़ रु० की लागत से 34 पुलों की मरम्मत/पुनरुद्धार को स्वीकृति दी गई है। यह कार्य प्रगति पर हैं और अगले दो वर्षों में इनके पूरे हो जाने की संभावना है।

(ग) लगभग 52 करोड़ रु०।

उपचार में लापरवाही

249. श्री सुबोध राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में "इलाज में लापरवाही, रोगी के हाथ में कीड़े पड़े" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मामले की जांच कराई गई है; और

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा लापरवाही बरतने वाले डाक्टरों और नर्सों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

औषधियों की सूची का संशोधन

250. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा पांच वर्ष समाप्त होने से पूर्व औषधियों की संशोधित सूची तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी०आई०) को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन के लिए औषधों की एक संयुक्त फार्मूलरी तैयार की गई है और इसे 14.2.2002 को परिचालित कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

251. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को फुलनाखारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर नियाली-माधव-चरीछक-गोपकोनार्क-पुरी (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 203 पर) सड़क अर्थात राज्य राजमार्ग सं० 60 को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब मिले हैं और अब तक कोणार्क अंतर्राष्ट्रीय विरासत केंद्र को एक अच्छे सड़क संचार से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में 2001-2002 के दौरान घोषित किए गए नए और 2002-2003 के दौरान घोषित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए वर्तमान प्रस्ताव सहित उड़ीसा सरकार से प्राप्त सभी प्रस्ताव नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर समीक्षा हेतु जून, 2002 में उन्हें वापस कर दिए गए थे। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, सरकार प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात् यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

(घ) 2001-02 के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई।

(i)	11ए विस्तार	दौसा-लालसोत-कुथुन
(ii)	58 का विस्तार	गाजियाबाद-दिल्ली
(iii)	72ए	छुटमलपुर-देहरादून
(iv)	79ए	किशनगढ़-नसीराबाद
(v)	108	धरासू-गंगोत्री धाम
(vi)	109	रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड-केदारनाथ धाम

वर्ष 2002-03 के दौरान किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय भंडार के कार्यकरण की समीक्षा

252. श्री अनन्त नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछले तीन वर्षों के व्यापार के आलोक में केन्द्रीय भंडार के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दसवीं योजना में देश में केन्द्रीय भंडार के अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार के कार्य-संचालन की समीक्षा सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है जिसके आधार पर भावी योजना बनाई जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भंडार ने, दसवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान अतिरिक्त बिक्री-केन्द्र खोले जाने के बारे में अपनी कोई भी दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत नहीं की है। केन्द्रीय भंडार द्वारा तब अपने बिक्री-केन्द्र खोले जाते हैं, जब कभी सरकार अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा किसी ऐसे स्थान पर उपयुक्त इमारत उपलब्ध करवा दी जाती है तब जहां अच्छी बिक्री होने की संभावना है।

केन्द्रीय भंडार में प्राप्त शिकायतें

253. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या प्रधान मंत्री 5 दिसम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2502 एवं 2427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक केन्द्रीय भंडार में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है, उक्त अवधि में उनमें से कितनी शिकायतों की केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों, केन्द्रीय भंडार द्वारा जांच की गई;

(ग) उन शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इनके परिणामस्वरूप मुख्य केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार में एक क्रय समिति होने के बावजूद केन्द्रीय भंडार में कई मदों की कीमतें उत्पादकों और खुले बाजार की अपेक्षा ज्यादा महँगी पाई गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या क्रय समिति के सदस्यों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (छ) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्यवाही-समूह की बैठक

254. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में राष्ट्र-मंडल मंत्रिस्तरीय कार्यवाही-समूह की बैठक में भाग लेने के लिए यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो बैठक की कार्यसूची क्या है;

(ग) बैठक के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या भारत ने सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की भूमिका के मुद्दे को बैठक में रखा; और

(ङ) यदि हां, तो भारत पाकिस्तान के विरुद्ध किस सीमा तक भाग लेने वाले देशों की राय जुटाने में सफल हुआ ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। विदेश मंत्री ने 31 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2002 तक लन्दन में संपन्न राष्ट्रमण्डल मंत्रिस्तरीय कार्रवाई समूह (सी०एम०ए०जी०) की बैठक में भाग लिया। अन्य बातों के साथ-साथ बैठक का कार्यवृत्त राष्ट्रमंडल की परिषदों से पाकिस्तान के निलंबन की समीक्षा तथा राष्ट्रमंडल के प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुरूप क्या राष्ट्रमंडल की परिषदों से पाकिस्तान का निलंबन रद्द किया जा सकता है, सुनिश्चित करना था।

(ग) से (ङ) हमारे दृष्टिकोण से इस बैठक का परिणाम पूर्ण रूप से संतोषजनक था। विस्तृत चर्चा के पश्चात, जहां भारत ने भी अपनी हित-चिन्ताओं को सशक्त रूप से स्पष्ट किया। सी०एम०ए०जी० सर्वानुमति से इस बात पर सहमत हुई कि नए कानूनों के जारी प्रवर्त्तन को देखते हुए जिनमें संविधानेत्तर उपायों का अनुपालन किया है, निर्वाचन प्रक्रिया तथा पूर्ण संवैधानिक तथा विधायी प्राधिकार के साथ निर्वाचित विधायिकाओं को स्थापित करने की असफलता के संबंध में राष्ट्रमंडल तथा ई०यू० दोनों द्वारा आलोचना, राष्ट्रमंडल की परिषदों से पाकिस्तान के निलंबन की यथास्थिति जारी रहनी चाहिए। आतंकवाद इस बैठक के एजेंडे में नहीं था।

गुजरात में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

255. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के संसद सदस्यों द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का समुचित उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के प्रतयेक संसद सदस्य को आवंटित की गई और उनके द्वारा उपयोग में लायी गई राशि कितनी है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) गुजरात राज्य में सांसदों द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का उपयोग उचित रूप से न किए जाने के बारे में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में केंद्रक जिलों को जारी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों तथा गुजरात के सांसदों (लोक सभा) द्वारा इनके उपयोग की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गुजरात के लोकसभा सांसदों के संबंध में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों के जारी करने तथा उपयोग का विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं०	निर्वाचन क्षेत्र	2000-2001		2001-2002		2002-2003 (31.10.2002 तक)	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अहमदाबाद हरिन पाठक	150	234.4	250	279.6	200	23.2
2.	अमरेली दिलीप संघानी	200	227.5	200	148.1	100	124.4
3.	आनंद पटेल दीपक भाई चिमन भाई (साथी)	300	306.8	150	190.7	200	317.4
4.	बनासकांठा चौधरी हरी भाई प्राथी भाई	100	242.5	400	209.7	0	65.3
5.	वडोदरा जयाबेन ठक्कर	200	122.6	200	170	200	203.3
6.	भावनगर राजू राणा	250	158.7	300	156.2	100	215.8
7.	भरूच मनसुख भाई वासवा	200	229.8	350	307.4	100	216.1
8.	बलसाड़ (अ०ज०जा०) मणीभाई रामजी भाई चौधरी	250	296.8	200	195.9	200	175.5

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	छोटा उदयपुर (अ०ज०जा०) रामसिंह रतवा	200	132.8	200	276.8	200	127.2
10.	धन्डूका (अ०जा०) वर्मा रतीलाल कालीदास	150	219.4	300	180.1	200	137.4
11.	दोहट (अ०ज०जा०) कटरा बाबूभाई खीमाभाई	300	465.9	100	86.5	300	378
12.	गांधी नगर लाल कृष्ण आडवाणी (ए०के० आडवाणी)	200	254	100	161.9	200	106.1
13.	गोधरा सोलंकी भूपेन-द्रासिंह प्रभात सिंह	250	450.6	100	94.3	200	150.7
14.	जामनगर चंद्रेश पटेल	250	240.6	200	193.3	200	98.9
15.	जूनागढ चिखलिया भावनाबेन देवराजभाई	250	217.6	300	220.7	200	62.9
16.	कैरा दिनशा पटेल	200	97.1	200	382.6	200	243.2
17.	कपडवंज वाघेला शंकर सिंह लक्ष्मण सिंह	250	182.5	200	436.6	200	154.7
18.	कच्छ गदवी पुष्पादान शम्भुदान	200	78.3	200	158.8	100	99.8
19.	मांडवी (अ०ज०जा०) पटेल मानसिंह भाई कल्याण जी	100	0	200	346	300	137.5
20.	मेहसाणा रिक्त	200	193.7	100	109.7	0	132.4
21.	पाटन (अ०जा०) राष्ट्रपाल प्रवीन चंद्र सोमग्र	200	132	400	308.9	100	161.1
22.	पोरबंदर जिविया गोरधन भाई जादवभाई	250	153.7	250	286.6	200	36.3
23.	राजकोट कथीरिया बल्लभभाई रामजी भाई	300	99.4	150	172.6	200	386.8
24.	साबरकांठा मधुसूदन देवराम मिस्त्री	200	122.2	200	375.7	200	128.9
25.	सूरत काशीराम राणा	250	278.8	250	343	100	60.6
26.	सुरेन्द्र नगर मकवाना सबशी भाई कांजी भाई	200	206.7	250	221.1	0	0
	कुल	5600	5344.4	5750	6012.8	4200	3943.5

टिप्पणियां : जहां भी उपयोग जारी निधि से अधिक है, वह पिछले वर्ष की शेष राशि जुड़ी होने के कारण है।

पश्चिमी बंगाल में डाकघर

256. **श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के उन स्थानों के जिला-वार नाम क्या हैं जहां पर पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघर/उप-डाकघर/टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं; और

(ख) पश्चिमी बंगाल के उन स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 2002-03 के दौरान डाकघर/उप-डाकघर/टेलीफोन एक्सचेंज खुलने की संभावना है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल में जिन स्थानों पर नए डाकघर/उप डाकघर खोले गए हैं, उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान पश्चिमी बंगाल में जिन स्थानों पर नए डाकघर/उप डाकघर खोले जाने की संभावना है उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

टेलीफोन एक्सचेंजों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल रख दी जाएगी।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान खोले गए डाकघरों के नाम एवं स्थान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर का नाम
1.	24 परगना (दक्षिण)	1. पुरुलिया
		2. वी०आई०पी० नगर
		3. कालिकापुर
2.	24 परगना (उत्तर)	1. प्रफुल्ल कानन
		2. नीलाचल
		3. कृष्णपुर
3.	कोलकाता	1. विधान नगर एस०ए०आई० काम्पलेक्स
4.	मुर्शिदाबाद	1. सफदर नगर
5.	बर्दवान	1. काशिम नगर

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3
1.	24 परगना (उत्तर)	1. शिकारपुर
		2. बांकुरा डाबर
		3. दक्षिण चरलखाली
		4. महिषबाथन
2.	24 परगना (दक्षिण)	1. कालसा
		2. जमीरा
		3. बेशरा
3.	बीरभूम	1. कांसपै
		2. गधाधरपुर
		3. रूपपुर
		4. चीलिमपुर
		5. बारापहाड़ी
4.	मुर्शिदाबाद	1. बुर्जुमता
		2. जयनगर
		3. कैपुर
5.	नादिया	1. नतुनफुलिया
6.	बर्दवान	1. बामुनारा
7.	पुरुलिया	1. चतेर महल
		2. चारिदा
		3. तालडबरा
8.	बांकुरा	1. गोकुल नगर
9.	हुगली	1. इंचुरा बाजार
10.	मिदनापुर	1. प्रतापुर
		2. आइमाबारदेरिया
		3. प्रशादचवक
		4. दक्षिणसंदलपुर
		5. उत्तरामकोग्राम
		6. अगयुईबिल

1	2	3
11.	मालदा	1. पारो
		2. नूरगंज
12.	दिनाजपुर दक्षिण	1. उत्तरपाड़ा
		2. सय्यदपुरीनयापाड़ा
13.	कूचबिहार	1. लालबाजार-II
		2. मातिरकुली
14.	दार्जीलिंग	1. रुंगमौक
		2. सिंगबुली
15.	जलपाईगुड़ी	1. चंपागुड़ी
		2. मिलनपल्ली

वर्ष 2000-2001 के दौरान खोले गए विभागीय उप डाकघरों के नाम एवं स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर का नाम
1.	24 परगना (दक्षिण)	1. हरिनवी
		2. विवेकानन्द पल्ली
2.	कोलकाता	1. विधाननगर आई०बी० मार्केट
		2. ईस्टकोल टाउन
		3. शिप केन्द्रीयविहार
3.	मुर्शिदाबाद	1. दाहपाड़ा
4.	हुगली	1. मानकुण्डु
5.	हावड़ा	1. राधादासी
6.	दिनाजपुर (उत्तर)	1. लारईडोगी

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई०डी०बी०ओ०)

कोई ई०डी०बी०ओ० नहीं खोला गया।

वर्ष 2001-2002 के दौरान खोले गए विभागीय उप डाकघरों के नाम एवं स्थान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3
1.	24 परगना (दक्षिण)	1. सरकारपूल
2.	24 परगना (उत्तर)	1. अब्दलपुर
		2. दोगाचिया
3.	मुर्शिदाबाद	1. तलिलपुर
4.	हावड़ा	1. भारत कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर का नाम
1	2	3
1.	मुर्शिदाबाद	1. देलीपुर
		2. भदुआ
		3. भान्ड़ा
		4. श्यामपुर नूतनपुर
		5. भारडांगा शेपुर
		6. विष्णुपुर दुरैपुर
		7. रामचन्द्रपुर
		8. गजाधरपाड़ा
2.	नादिया	1. जलालखाली
		2. बाहिरचारा
3.	24 परगना (उत्तर)	1. सतभैया
		2. दक्षजिनपांचपोटा
4.	24 परगना (दक्षिण)	1. रामनगर शिवपुर
5.	बांकुरा	1. सालबेदिया
		2. खरीडेंगरी
		3. जलहर
		4. मचदोबा
		5. राधाकांतपुर
6.	हावड़ा	1. पुशबेरिया
7.	मिदनापुर (पूर्व)	1. मेधाखला
		2. राउतबाड़ी
8.	मिदनापुर (पश्चिम)	1. चरकपल्लड़ी
		2. अंधेरी बोद्रिसोल
		3. माहुलबानी
9.	बर्दवान	1. शंकरपुर
		2. लोहापुर

1	2	3
10.	हुगली	1. दहियाकांडा
11.	बीरभूम	1. दलतिकुरी
		2. रंगालीपुर
12.	पुरुलिया	1. कलाजोर
		2. रांगा
		3. गरसिका
		4. सीमुलतार्द
		5. फुलजोरे
13.	दिनाजपुर दक्षिण	1. कौरान
		2. महादेवपुर
		3. दाइरा
14.	मालदा	1. इस्माइलपुर
		2. जगजीवनपुर
		3. अमरसिंगी
		4. पातुल
		5. कुशमाई
		6. पूरबबहादुरपुर
15.	दार्जीलिंग	1. देवराली
16.	कूचबिहार	1. द्वानकत जयदौर
		2. किजली बस्ती
17.	जलपाइगुड़ी	1. नार्थ ठपन चौकी – कुचलीबाड़ी
		2. पहाड़पुर
		3. चांद कम्पनी

विवरण–II

वर्ष 2002-2003 के दौरान खोले जाने वाले संभावित डाकघरों के नाम व स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

विभागीय उप डाकघर

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर का नाम
1.	कोलकाता	1. स्टर्न मेट्रोपोलिटिन बाइपास
2.	मुर्शिदाबाद	2. बसंतपुर
3.	दिनाजपुर	1. चोपड़ा
4.	पुरुलिया	1. रांगा

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर का नाम
1.	24 परगना उत्तर	1. आदमपुर
		2. नक्साना
		3. सी०एम०डी० नगर
2.	24 परगना दक्षिण	1. उचपोटा
		2. कम्पनियर ठेक बाजार (मोथुरपुर के अधीन)
3.	नादिया	1. धवापाड़ा
		2. रघुनन्दनपुर
4.	बीरभूम	1. उत्तरखेरबुनी
5.	मुर्शिदाबाद	1. श्रीपुरडांगा
		2. कदखली
		3. चोआपाड़ा
		4. घोरमारा
		5. बाणीपुर
6.	बर्दवान	1. सोनेतरिया
		2. अकालपुर
		3. बेलघोरा
		4. छेटाहटाला
		5. धनकोरा
7.	मिदनापुर पूर्व	1. जयकृष्णपुर
		2. रुक्मिणीपुर
8.	हावड़ा	1. मौबेसियाकालीताला
9.	हुगली	1. जिनपुर
10.	मिदनापुर पश्चिम	1. हुमेतिया
		2. कृष्णनगर
		3. बल्ला
11.	पुरुलिया	1. बंदवान
12.	बांकुरा	1. कालिया बेरिया
		2. पौरा
		3. पकुरिया (कमारपुर जीपी क्षेत्र के अधीन)

1	2	3
13.	जलपाइगुड़ी	1. कजलीहाट
14.	मालदा	1. गोपालपुर
15.	दिनाजपुर दक्षिण	1. निजाउत्तरपाड़ा
		2. नारायणपुर बस स्टैंड एरिया
		3. बारीपुकुर (बलटाला बस स्टैंड एरिया)
		4. मुक्तरामपुर
		5. निलउत्तरपुर बौरीपेरा
16.	दार्जीलिंग	1. लोअर बोंगबासी
		2. फौदीजोते
		3. तारीजोक

छोटे एक्सचेंजों का उन्नयन

257. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में छोटे एक्सचेंजों को सी-डॉट एक्सचेंजों के रूप में तब्दील करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिस्थापन के लिए कोई लागत/लाभ संबंधी विश्लेषण तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए किसी वित्तीय विश्लेषण का ब्यौरा क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) आंध्र प्रदेश में लघु क्षमता वाले सभी एक्सचेंजों को सी-डॉट एक्सचेंजों में बदल दिया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

258. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना की समयावधि के दौरान कुल कितनी राशि व्यय किए जाने का लक्ष्य है; और

(घ) इस योजना अवधि के दौरान किन पांच क्षेत्रों में क्षेत्रवार अधिकतम धनराशि व्यय किए जाने का निर्णय किया गया है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद (एन०डी०सी०) द्वारा किया जाता है। दसवीं योजना के मसौदे को हाल ही में पूर्ण योजना आयोग और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, तथा इसे एन०डी०सी० के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक 21 दिसम्बर, 2002 को होने जा रही है।

[हिन्दी]

धन का उपयोग

259. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के अवसर सृजन करने, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने और कृषि विकास हेतु वार्षिक खर्च पूरा करने के लिए सभी राज्य सरकारों को धन आवंटित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक क्षेत्र में आवंटित की गई/राज्य द्वारा विशेष रूप से मध्य प्रदेश द्वारा खर्च करने के लिए मांगी गई राशि पृथकत: कितनी-कितनी है;

(ग) इस संबंध में राज्यों को आबंटित की गई राशि में से इस्तेमाल की गई अप्रयुक्त पड़ी राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) राज्यों को किये जाने वाले क्षेत्रकीय योजना आबंटन संबंधित राज्यों के उन प्रस्तावों पर आधारित होते हैं जो उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इन प्रस्तावों को राज्यों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है और तद्नुसार योजना में इनका उल्लेख किया जाता है। सभी राज्यों (मध्य प्रदेश सहित) के लिए राज्यवार/प्रमुख क्षेत्रवार योजना परिव्यय और नौवीं योजना के लिए उपयोग/व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

नौवीं योजना (1997-02) – सहमत परिव्यय-प्रमुख शीर्षवार/राज्यवार

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	क्षेत्रक	आन्ध्र प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू-कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	505.39	341.70	1094.86	740.64	69.87	2009.70	562.43	842.80	1137.13	1464.00	1039.50	1129.50	1828.20
II.	ग्रामीण विकास	1922.49	114.76	807.71	4160.00	21.96	1160.50	312.63	252.98	292.28	1178.61	392.90	2005.59	3173.40
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	946.22	20.00	40.12	272.00	9.51	0.00	85.80	0.00	561.74	555.00	47.00	0.00	191.90
IV.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6006.80	279.95	710.42	2700.00	278.10	8381.55	1673.19	258.85	425.12	6170.00	1028.00	2722.02	10928.80
V.	ऊर्जा	5752.37	460.41	852.72	2300.00	130.20	4041.00	2652.55	1039.30	2271.74	3740.36	2671.00	3479.46	5596.90
VI.	उद्योग एवं खनिज	962.13	46.10	380.04	400.00	34.55	1205.00	144.68	150.00	335.82	1026.00	1125.86	1112.97	902.60
VII.	परिवहन	2416.47	929.51	996.99	1500.00	207.40	726.00	1110.28	613.50	787.46	1740.00	569.00	562.92	3402.50
VIII.	संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	17.43	1.55	18.00	150.00	4.62	57.25	12.04	7.09	32.27	40.00	75.00	210.20	13.20
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	64.46	116.50	252.37	397.36	25.38	726.25	68.65	322.83	256.11	105.00	185.00	317.53	1001.10
XI.	**सामाजिक सेवाएं**	6460.07	1177.61	3658.03	3660.00	692.47	9648.85	2645.22	2106.44	2551.20	7206.03	2863.74	8506.69	8733.70
	शिक्षा	844.20	488.84	2293.44	949.00	167.41	1785.60	914.23	817.21	950.64	1713.00	583.38	1932.30	2226.54
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	630.52	335.02	384.10	832.00	81.22	832.25	351.34	317.65	1100.29	1100.00	309.40	567.87	918.23
	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1327.42	139.92	435.18	717.38	323.25	3000.00	341.09	494.80	127.30	1350.00	1032.00	724.97	2935.78
	आवास	1321.00	132.56	49.81	13.00	32.90	1082.00	160.52	270.70	19.00	938.03	100.48	1330.83	213.55
	शहरी विकास	538.87	16.33	162.31	374.00	32.70	798.00	102.97	77.04	130.98	750.00	120.38	2866.07	840.03
	अन्य सामाजिक सेवाएं	1798.06	64.94	333.19	774.62	54.99	2151.00	775.07	129.04	222.98	1355.00	718.10	1084.65	1599.57
XII.	सामान्य सेवाएं	96.17	81.80	172.67	400.00	25.94	18.90	42.53	105.01	849.13	175.00	6103.00	28.12	927.70
	कुल योग	25150.00	3569.89	8983.93	16680.00	1500.00	28000.00	9310.00	5700.00	9500.00	23400.00	16100.00	20075.00	36700.00

नौवीं योजना (1997-02) — सहमत परिव्यय-प्रमुख शीर्षवार/राज्यवार

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	क्षेत्रक	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	कुल
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	183.17	391.70	153.25	260.00	562.88	644.76	1531.56	205.40	2802.23	195.68	3070.38	712.13	23478.86
II.	ग्रामीण विकास	61.20	139.50	235.40	291.45	945.52	805.39	1926.10	54.50	2301.25	357.46	4742.80	1107.76	28764.14
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	12.00	0.14	27.00	0.00	13.47	114.54	0.00	0.00	140.19	575.00	216.82	3828.45
IV.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	320.60	98.00	18.11	57.00	3388.58	1285.24	2525.86	41.00	1447.65	194.01	3290.12	1403.57	55632.54
V.	ऊर्जा	335.34	318.00	224.21	117.00	4627.64	2956.62	5318.25	343.00	6019.95	174.54	7544.15	5636.88	68603.59
VI.	उद्योग एवं खनिज	126.51	102.00	68.92	121.00	123.49	281.30	1753.38	70.00	1402.91	79.34	526.65	1326.30	13807.55
VII.	परिवहन	399.68	481.00	272.27	305.40	1278.73	594.69	2190.82	160.00	2705.78	367.37	10006.72	1064.31	35388.80
VIII.	संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	27.15
IX.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	9.00	7.30	3.23	5.00	75.76	43.28	31.28	11.00	70.10	3.22	2074.60	58.96	3031.38
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	133.67	50.92	84.67	224.00	551.30	911.65	300.24	53.75	70.13	12.17	2103.58	205.69	8540.31
XI.	**सामाजिक सेवाएं**	570.19	846.20	529.03	514.79	3364.83	3796.02	6125.85	616.35	7958.07	1028.39	12277.97	4798.27	102336.01
	शिक्षा	223.90	335.00	151.44	151.01	1151.62	613.49	2352.60	243.00	1118.54	331.05	1974.03	802.77	25114.24
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	36.00	140.00	112.01	106.31	416.06	511.59	770.60	80.00	780.52	85.59	1185.00	978.64	12962.21
	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	150.00	235.00	144.76	67.00	568.65	980.10	1433.84	71.50	2200.00	196.00	6499.06	435.45	25930.45
	आवास	46.29	30.00	38.33	103.47	90.15	203.34	292.96	70.00	500.00	213.16	396.35	226.88	7875.31
	शहरी विकास	29.60	70.00	57.02	35.00	137.53	388.11	751.80	110.00	1500.00	32.68	721.13	1808.08	12450.63
	अन्य सामाजिक सेवाएं	84.40	36.20	25.47	52.00	1000.82	1099.39	524.05	41.85	1859.01	169.91	1502.40	546.45	18003.17
XII.	सामान्य सेवाएं	287.33	54.00	29.28	83.79	81.27	167.58	707.95	45.00	221.93	24.07	128.03	369.31	11225.51
	कुल योग	2426.69	2500.62	1618.51	2006.43	15000.00	11500.00	22525.83	1600.00	25000.00	2577.39	46340.00	16900.00	354664.29

विवरण-II

नौवीं योजना (1997-02) — वास्तविक व्यय-प्रमुख शीर्षवार/राज्यवार

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	क्षेत्रक	आन्ध्र प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू-कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	917.97	227.50	736.26	254.65	64.02	2029.45	478.35	933.63	953.67	1414.36	2054.10	1620.70	1564.46
II.	ग्रामीण विकास	1341.89	100.68	519.19	3789.90	22.18	1192.88	348.44	321.44	248.88	1287.46	328.00	1801.01	4192.28
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1093.58	47.79	51.64	330.98	14.81	0.00	69.62	31.31	458.42	359.92	49.86	0.00	250.22
IV.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5438.13	145.45	707.64	2609.11	296.20	6518.90	1542.50	333.22	434.12	9309.25	1086.16	3033.13	14874.88
V.	ऊर्जा	7999.80	410.98	471.70	437.99	137.86	3611.31	1548.16	1160.61	1438.01	4422.20	2800.45	3047.01	7996.15
VI.	उद्योग एवं खनिज	483.29	32.40	257.28	128.12	37.84	1153.58	449.19	122.50	253.03	1052.63	968.57	233.68	506.42
VII.	परिवहन	4436.24	640.07	739.07	1370.59	160.73	1906.42	545.12	1090.61	900.47	2307.28	1032.88	600.88	5840.99
VIII.	संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13.56	4.47	4.05	6.55	2.91	122.60	7.68	7.71	21.52	20.50	81.45	192.02	15.91
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	735.06	105.70	218.03	177.84	26.24	594.81	66.65	477.55	474.61	731.10	291.46	381.11	1403.79
XI.	सामाजिक सेवाएं	5608.18	807.15	3365.58	1810.14	623.31	8632.68	2867.50	3310.57	2436.81	9932.01	2492.50	6230.13	9053.33
	शिक्षा	894.25	391.95	2221.92	740.32	142.53	1092.39	848.46	1523.31	892.05	2094.28	640.81	2756.63	1765.80
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1111.98	95.54	429.51	380.11	93.00	1394.08	224.52	505.18	501.41	1131.00	283.71	597.11	1072.69
	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1008.49	144.56	372.69	231.08	249.07	2167.95	333.80	585.48	588.17	2470.89	670.90	755.69	3563.83
	आवास	758.26	95.16	14.03	152.98	30.36	898.38	125.42	350.64	20.13	1512.67	186.29	767.35	317.39
	शहरी विकास	379.60	31.01	42.11	134.85	32.28	600.17	95.75	149.65	241.62	906.47	111.53	387.23	879.15
	अन्य सामाजिक सेवाएं	1455.60	48.93	285.32	170.80	76.07	2479.71	1239.55	196.31	193.43	1816.70	599.26	966.12	1454.47
XII.	सामान्य सेवाएं	211.67	70.44	102.38	178.11	90.78	29.87	112.20	131.89	230.63	288.87	3197.40	285.41	1265.69
	कुल योग	28279.37	2592.63	7172.82	11093.98	1476.88	25800.95	8035.41	7922.00	7850.17	31125.58	14382.83	17425.08	46964.12

नौवीं योजना (1997-02) — सहमत परिव्यय-प्रमुख शीर्षवार/राज्यवार

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	क्षेत्रक	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैण्ड	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	कुल
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
I.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	135.57	179.38	144.98	113.77	602.61	529.18	1076.63	106.31	1813.42	196.10	2803.58	722.48	21673.13
II.	ग्रामीण विकास	70.94	135.03	181.18	197.03	1037.66	374.92	1681.50	43.03	2882.74	267.29	4365.50	1517.45	28248.50
III.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	8.16	33.67	30.51	38.63	0.00	112.72	149.41	11.78	0.00	135.01	829.61	710.63	4818.28
IV.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	252.82	57.75	26.91	29.38	2915.65	1245.30	2271.23	30.50	1649.23	162.36	3670.99	1872.34	60513.15
V.	ऊर्जा	192.05	155.72	193.44	100.32	1645.68	4245.02	5321.02	170.59	4823.64	110.50	4890.70	6362.07	63692.98
VI.	उद्योग एवं खनिज	96.07	86.77	57.45	75.13	160.55	75.35	657.26	32.57	896.95	74.25	418.69	1362.66	9672.23
VII.	परिवहन	235.81	426.78	238.71	185.82	836.49	538.47	1963.04	142.84	2842.10	241.46	4658.25	2866.08	36747.20
VIII.	संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	9.75
IX.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	6.72	7.22	4.14	1.39	89.60	3.05	10.11	4.64	20.82	2.15	281.21	93.39	962.37
X.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	74.88	50.93	124.91	184.99	253.22	189.26	123.79	22.05	51.80	10.83	230.01	592.99	7593.61
XI.	सामाजिक सेवाएं	609.94	655.51	709.48	487.17	4297.87	2935.22	6409.81	520.29	9716.14	1058.13	7219.94	4966.35	96755.74
	शिक्षा	250.24	259.96	185.18	109.44	2253.98	1101.55	1811.34	213.61	1037.40	361.92	2262.30	771.57	26623.19
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	43.98	137.78	111.16	94.40	386.97	486.43	573.11	60.95	576.29	77.17	625.91	849.13	11843.12
	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	189.43	133.78	130.04	106.35	427.73	259.40	1416.26	81.03	3114.25	129.60	1838.05	592.33	21560.85
	आवास	27.45	38.53	164.09	105.70	270.31	126.89	521.90	103.34	1116.70	287.37	176.51	171.78	8339.63
	शहरी विकास	25.47	50.49	77.12	33.94	116.70	201.72	1594.33	20.39	2228.52	18.94	620.87	1741.58	10721.49
	अन्य सामाजिक सेवाएं	73.37	34.97	41.89	37.34	842.18	759.23	492.87	40.97	1642.98	183.13	1696.30	839.96	17667.46
XII.	सामान्य सेवाएं	104.08	38.39	47.07	100.01	125.49	417.52	172.59	41.68	219.87	33.05	112.21	485.36	8092.66
	कुल योग	1787.04	1827.15	1758.78	1513.64	11964.82	10666.01	19836.39	1126.28	24916.71	2291.47	29417.69	21551.80	338779.60

इनमें 1996-97 से 2000-01 तक के लिए वास्तविक व्यय एवं 2001-02 के लिए संशोधित परिव्यय सम्मिलित है।

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग

260. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अक्तूबर, 2002 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई कितनी है;

(ख) 1998-99 से 2002-2003 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की मंजूरशुदा संख्या और लंबाई कितनी है;

(ग) 1998-99 से 2002-2003 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए धन प्रदान किए जाने वाले राज्यों के नाम और इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए धन का ब्योरा क्या है; और

(घ) मंजूर किए गए धन में से उपयोग किए गए धन का राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई

क्रम सं०	राज्य	कुल लंबाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4002
2.	अरूणाचल प्रदेश	392
3.	असम	2836
4.	बिहार	3312
5.	चंडीगढ़	24
6.	छत्तीसगढ़	1810
7.	दिल्ली	72
8.	गोवा	269
9.	गुजरात	2461
10.	हरियाणा	1357
11.	हिमाचल प्रदेश	1188
12.	जम्मू-कश्मीर	823
13.	झारखंड	1603
14.	कर्नाटक	3570
15.	केरल	1440
16.	मध्य प्रदेश	4664
17.	महाराष्ट्र	3626
18.	मणिपुर	954
19.	मेघालय	717
20.	मिजोरम	927
21.	नागालैंड	369
22.	उड़ीसा	3301
23.	पांडिचेरी	53
24.	पंजाब	1557
25.	राजस्थान	4597
26.	सिक्किम	62
27.	तमिलनाडु	3758
28.	त्रिपुरा	400
29.	उत्तरांचल	1075
30.	उत्तर प्रदेश	4942
31.	पश्चिमी बंगाल	1951

विवरण-II

1998-99 से 2002-03 तक देश में घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्र०सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कुल लंबाई (कि०मी०)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	रा०रा० 9 का विस्तार 202, 205, 214 और 219	1052

1	2	3	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	153	40
3.	असम	रा०रा० 54 का विस्तार 151, 152, 153 और 154	474
4.	बिहार	30ए, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107	1730
5.	छत्तीसगढ़	12ए, 78, 200, 202, 216 और 217	970
6.	गुजरात	6 का विस्तार 8ए, 8डी और 8ई	459
7.	हरियाणा	21ए, 64, 71, 71ए, 72 और 73	419
8.	हिमाचल प्रदेश	21ए, 70, 72 और 88	334
9.	जम्मू-कश्मीर	1सी और 1बी का विस्तार	175
10.	झारखंड	75 का विस्तार, 78, 80, 98, 99 और 100	638
11.	कर्नाटक	13 का विस्तार, 206, 207, 209, 212 और 218	1204
12.	केरल	208, 212, 213 और 220	500
13.	मध्य प्रदेश	12ए, 59ए, 75, 75 का विस्तार, 76, 78, 79, 86, 86 का विस्तार और 92	2124
14.	महाराष्ट्र	204 और 211	526
15.	मणिपुर	150	523
16.	मेघालय	40 का विस्तार और 62 का विस्तार	120
17.	मिजोरम	44ए, 150 और 154	376
18.	नागालैंड	150	36
19.	उड़ीसा	200, 201, 203, 215 और 217	1595
20.	पांडिचेरी	45ए का विस्तार	20
21.	पंजाब	64 का विस्तार, 70, 71 और 95	440
22.	राजस्थान	11ए का विस्तार, 65 का विस्तार, 76, 79, 79ए, 89 और 90	1496
23.	तमिलनाडु	45ए का विस्तार, 45बी, 67 का विस्तार, 205, 207, 208, 209, 210, 219 और 220	1277
24.	त्रिपुरा	44ए	65
25.	उत्तरांचल	72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108 और 109	702
26.	उत्तर प्रदेश	2ए, 24ए, 25ए, 56ए, 56बी, 58 का विस्तार 72ए, 73, 74, 75, 75 का विस्तार, 76, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 96 और 97	2055
27.	पश्चिमी बंगाल	60 का विस्तार, 80 और 81	245

विवरण-III

1998-99 से 2002-03 तक (अक्तूबर, 2002 तक) की अवधि के दौरान अनुरक्षण के लिए आबंटन/व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु०)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (31.10.02 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4568.4	4069.97	6897.26	5067.65	5413.75	5097.61	4220.04	4015.84	3837	909.5
2.	अरूणाचल प्रदेश									31	0
3.	असम	2815.51	2282.33	5420.02	3068.35	4778.92	3756.6	4149.18	3990.09	2343	693.97
4.	बिहार	3336.97	3336.97	11907.64	9059.08	6448.55	5593.02	4516.12	3787.39	3900	983.15
5.	चंडीगढ़	48.04	45.40	141.5	118.3	44.54	27.75	46	9.53	74	14.55
6.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0	0	1180	935.24	2419.99	2419.99	2450	514.95
7.	दिल्ली	210.00	209.82	139.84	133.27	82	0	102	0	40	0
8.	गोवा	617.08	617.08	1426.69	1048.64	605.53	561.65	400	369.26	472	91.15
9.	गुजरात	3296.94	3296.94	3820.17	3660.72	2457.79	2182.91	2582.17	2169.94	2257	256.33
10.	हरियाणा	1239.42	1040.32	2011.7	1544.73	1953.49	1466.94	1942.61	1740.37	1372	279.12
11.	हिमाचल प्रदेश	2256.01	2256.01	2726.24	2428.41	3351.03	3350.99	1992.42	1884.84	1450	359.65
12.	जम्मू-कश्मीर	129.65	4.51	302.36	23.99	284.42	83.41	85.92	31.33	119	10.58
13.	झारखंड	0.00	0.00	0	0	960.84	774.81	1999.56	1744.57	1681	329.03
14.	कर्नाटक	3111.75	3065.34	8445.04	6815.98	4683.83	4583.99	3943.45	4040.36	3797	774.8
15.	केरल	2090.63	2090.63	5309	4769.37	3340.03	3330.64	2335.64	3571.8	2303	1316.5
16.	मध्य प्रदेश	3945.04	3787.80	6573.14	5302.7	8634.19	8506.55	6082.43	5358.08	5802	908.68
17.	महाराष्ट्र	4957.67	4957.67	8648.63	8528.7	4295	4295	5291	6040.99	4775	917.27
18.	मणिपुर	365.59	365.59	876.08	584.6	824.49	687.62	936.05	754.66	551	42.46
19.	मेघालय	625.80	620.50	1305.89	814.84	1016.71	875.16	1134.65	1036.96	776	0
20.	मिजोरम	0.00	0.00	780	538.41	981.43	753.42	499.53	348.05	491	46.32
21.	नागालैंड	382.90	382.90	924.63	1021.63	361.25	361.25	203.05	345.66	273	28.86
22.	उड़ीसा	2761.15	2760.77	5638.24	4713.2	4776.99	4149.81	4888.17	4658.9	4242	976.56
23.	पांडिचेरी	64.18	18.06	269	152.27	182.1	123.2	85.29	81.34	82	13.67
24.	पंजाब	1538.81	1440.83	1635.8	468.77	2085.62	1537.32	2525.97	1711.67	1948	163.83
25.	राजस्थान	3718.19	3642.29	7820	6336.93	4104.1	3878.03	4468.55	4293.74	4477	1103.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	तमिलनाडु	3740.00	3597.85	13479.66	5383.46	5380.57	5046.82	4544.78	3524.12	4180	489.47
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00	24	24	0	0	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	6128.44	6071.10	10179.49	10118.81	6076.5	5593.57	6619.14	5345.81	5826	635.08
29.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0	0	459.3	409.19	1068.36	815.03	738	193.39
30.	पश्चिमी बंगाल	2757.83	2757.83	6260	4756.96	5374.8	2295.26	4202.77	4291.63	2109	487.73

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य की सूचना

261. श्री रामशकल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आवंटित धन के किए गए विकास संबंधी कार्यों की सूचना आम जनता को देने के लिए कोई तकनीक अपनाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) अवमोचित निधियों, स्वीकृत कार्यों की लागत और व्यय के संबंध में, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रवार और राज्य सभा संसद सदस्य वार सूचना वेब साईट डब्ल्यू०डब्ल्यू०डब्ल्यू०एमपीलैड्स०एन०आई०सी०एन० पर उपलब्ध है।

जिलों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों की वेब साईट के निर्माण द्वारा सूचना प्रोद्यौगिकी आधारित प्रबोधन प्रणाली के लिए एक साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ होगा।

अस्पतालों का रख-रखाव

262. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अक्तूबर, 2002 के 'दैनिक जागरण' नई दिल्ली संस्करण में "सफदरजंग अस्पताल में भी पाए गए डेंगू मच्छर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय के सेंट्रल क्रॉस चेकिंग आर्गेनाइजेशन ने दिनांक 3.10.2002 को सफदरजंग अस्पताल में मच्छर पनपने का पता लगाया। जांचे गए 38 पात्रों (कन्टेनरों) में से 3 पात्रों (कन्टेनरों) में एडीज-मच्छर पनपते पाए गए। निगरानी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मलेरिया), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भेजी गई। कार्यक्रम अधिकारी, मलेरिया रोधी कार्य, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् ने यह पुष्टि की है कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

नकली दवाओं की बिक्री पर निगरानी

263. श्री के० येरननायडू :
श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नकली दवाओं की बिक्री पर निगरानी हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के सदस्य कौन-कौन हैं एवं इसकी नियम एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने नकली दवाओं से संबंधित कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जाली औषधियों/नकली दवाइयों के विनिर्माण और बिक्री के जोखिम पर काबू पाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ख) इस समिति के सदस्यों में राज्य औषध विनियामक प्राधिकारी, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, औषधि उद्योग, भारतीय औषध विनिर्यातक संघ, आर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्ज

ऑफ इंडिया, जनता के प्रख्यात प्रतिनिधि आदि थे। समिति को जाली औषधियों/नकली दवाइयों के विनिर्माण और बिक्री के जोखिम पर काबू पाने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाने के बारे में कहा गया था।

(ग) और (घ) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 27 में औषधियों के विनिर्माण, बिक्री आदि के लिए दण्ड निर्धारित है। कोई भी औषध जो धारा 17क के अधीन मिलावटी अथवा 17ख के अधीन नकली मानी जाती है अथवा जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अथवा किसी रोग अथवा विकार के निदान, उपचार, क्षमन अथवा निवारण में इस्तेमाल करने पर उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है अथवा उसके तन को ऐसी हानि पहुंचा सकता है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 के अर्थ अनुसार गंभीर क्षति हो जिसका एकमात्र कारण केवल यह हो कि वह औषध मिलावटी होने के कारण नकली थी या मानक गुण स्तर की नहीं थी, जैसा भी मामला हो, तो इसके लिए पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कारावास द्वारा दंडनीय है परन्तु इसे 10,000 रु० से अनाधिक जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, नकली औषधियों के विनिर्माण तथा बिक्री से निपटने के लिए उक्त अधिनियम में पर्याप्त दण्डात्मक उपबंध मौजूद हैं।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण हेतु विश्व बैंक से सहायता

264. योगी आदित्यनाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु आर०सी०एच० परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इसके परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार ने इसके लिए विश्व बैंक से और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां, विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 1997 में शुरू किया गया था, विश्व बैंक द्वारा इस कार्यक्रम हेतु प्रदान किए गए धन का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्रदान किया गया धन (यू०एस० मिलियन डालर में)
1998-99	3.45
1999-2000	39.47
2000-01	22.80
2001-02	68.26
2002-03	22.41

(ग) वर्ष 1996-2000 की अवधि के दौरान अशोधित जन्म दर (सी०बी०आर०), नवजात मृत्यु दर (आई०एम०आर०) और कुल प्रजनन दर (टी०एफ०आर०) में सुधार हुआ है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :–

वर्ष/संकेतक	अशोधित जन्म दर	नवजात मृत्यु दर	कुल प्रजनन दर
1996	27.5	72	3.4
1997	27.2	71	3.3
1998	26.5	72	3.2
1999	26.1	70	3.2
2000	25.8	68	लागू नहीं

(घ) और (ङ) जी, हां, सरकार ने विश्व बैंक से 2003-08 की अवधि के दौरान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के उत्तरवर्ती चरण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। विश्व बैंक का जवाब प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

लंबित परियोजनाएं

265. श्री भान सिंह भौरा :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर पंजाब और कर्नाटक से स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है;

(घ) प्रत्येक परियोजना की परियोजना-वार अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इन परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों से कोई निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (च) प्रश्न में विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं, विशेषकर कर्नाटक और पंजाब में केंद्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ लंबित परियोजनाओं के बारे में विस्तृत सूचना मांगी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का प्रबोधन नहीं करता है, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय क्षेत्र की 20 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का प्रबोधन करता है। चूंकि, यह मामला भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों और राज्य सरकारों से संबंधित है, इसलिये सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण उपाय

266. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्रीमती जसकौर मीणा :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त नीति के क्रियान्वयन पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि/कमी हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 2045 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने के लिए एक समग्रतावादी दृष्टिकोण का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 अपनाई है। इस नीति में व्यापक रोग प्रतिरक्षण, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन तथा प्रसवोत्तर परिचर्या में सुधार, स्वास्थ्य प्रदायकों की दक्षता का उन्नयन, संबंधित क्षेत्रों के बीच अन्तरक्षेत्रीय अभिसरण जैसे विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन के जरिए 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कतिपय सामाजिक-जनांकिकीय लक्ष्यों को प्रतिपादित किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चूंकि जनगणना प्रत्येक दस वर्षों के बाद की जाती है इसलिए, जनगणना-2011 के परिणाम से ही जनसंख्या वृद्धि पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के कार्यान्वयन के प्रभाव का संकेत मिलेगा। फिर भी, नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण के अनुसार अशोधित जन्म दर 1991 के दौरान 29.5 प्रति 1000 जनसंख्या से कम होकर 2000 में 25.8 प्रति 1000 जनसंख्या रह गई है और कुल प्रजनन दर 1991 के दौरान 3.8 से घटकर 1999 में 3.2 रह गई है।

विवरण

1999-2000 से 2001-2002 तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए व्यय के स्कीमवार ब्यौरे

(रुपए करोड़ों में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	के दौरान व्यय		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	350.84	354.70	429.00
2.	उप-केन्द्र	524.30	565.30	632.42
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का रख-रखाव	28.42	27.75	34.45
4.	शहरी रिवैंपिंग स्कीम (हैल्थ पोस्टस)	29.35	31.85	35.75
5.	निर्देशन और प्रशासन	115.76	114.04	115.86
6.	मातृ और बाल स्वास्थ्य	658.33	828.08	951.05
	(क) प्रजनक आर बाल स्वास्थ्य परियोजना	657.66	785.87	943.34
	(ख) प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना		42.21	7.71
	(ग) कोल्ड चैन उपस्कर का प्रापण	0.67		
7.	बंध्यीकरण और आई०यू०डी० निवेशन	101.18	118.56	123.34
8.	मौलिक प्रशिक्षण स्कूल	59.42	58.95	80.38
9.	प्रस्वोत्तर केन्द्र	119.60	119.55	148.59
10.	अनुसंधान संस्थाएं	19.16	26.21	31.58

1	2	3	4	5
11.	सूचना, शिक्षा और संचार	29.37	28.35	31.23
12.	ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड स्कीम	9.93	4.97	4.74
13.	परिवहन	42.97	77.13	69.47
14.	गर्भनिरोधक	196.79	187.36	216.71
	(क) मुफ्त वितरण	107.75	99.09	119.83
	(ख) गर्भनिरोधकों का सामाजिक वितरण	89.04	87.50	94.20
	(ग) संभार तन्त्र सुधार			1.99
	(घ) चीर फाड़ रहित नसबंधी		0.77	1.49
15.	एरिया परियोजनाएं/भारत जनसंख्या परियोजना (आई०पी०पी०)	100.01	200.04	186.98
16.	यू०एस० एड सहायता प्राप्त यू०पी० परियोजना	69.88	44.56	29.13
17.	विशेषज्ञों की यात्रा/सम्मेलन/बैठकें आदि	0.07	0.15	0.45
18.	अन्तरराष्ट्रीय अंशदान	1.27	1.11	1.01
19.	बंध्यीकरण पलंग	1.43	1.45	1.36
20.	परिवार कल्याण काउंसलर स्कीम			
21.	बकाया	641.68	300.00	380.00
22.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड			
23.	स्कूल हैल्थ स्कीम और अन्य			
24.	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अधीन उपाए			110.44
	महायोग	3099.76	3090.11	3613.94

[अनुवाद]

एच०आई०वी०/एड्स पर नियंत्रण

267. **श्री वीरेन्द्र कुमार :**
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अधीर चौधरी :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एड्स/एच०आई०वी० के बढ़ते मामलों के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि विशेष रूप से शहरों की झुग्गी बस्तियों में एड्स/एच०आई०वी० मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन इस संबंध में सहयोग कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने सम्पूर्ण झुग्गी आबादी विशेषकर शहरों में (झुग्गी बस्तियों) और आदिवासी क्षेत्रों के सुदूर गांवों की आबादी को शामिल करने हेतु सुरक्षित मातृत्व और खतरनाक स्थिति वाली गर्भावस्था का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां।

भारत सरकार प्रत्येक वर्ष अगस्त से अक्टूबर अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रहरी निगरानी का आयोजन करती है जिसमें यौन संचारित रोगों, क्लीनिक में आने वालों, इन्जेक्शन द्वारा औषध का प्रयोग करने वालों और पुरुषों के साथ यौनाचार करने वाले पुरुषों जैसे उच्च खतरे वाले जनसंख्या समूहों के साथ-साथ प्रसव पूर्व क्लीनिकों में आने वाली महिलाओं जैसे कम खतरे वाली जनसंख्या दोनों को कवर किया जाता है। एच०आई०वी० की व्यापतता का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी नहीं, एच०आई०वी०/एड्स रोग जनसंख्या के सभी वर्गों को प्रभावित करता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्शदाताओं की तैनाती के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(च) भारत सरकार के परिवार कल्याण विभाग के प्रजनक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन कवर किए गए घटकों को सम्मिलित किया जाता है और इसमें प्रजनक मार्गीय संक्रमण और यौन संचारित संक्रमण से संबंधित एक अतिरिक्त घटक भी शामिल होता है। मात् तथा बाल स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जिलों में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कवरेज बढ़ाने तथा रोग प्रतिरक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निवेश प्रदान करके आउटरीच सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए, सेवा प्रदानगी में कमियों पर ध्यान देकर बाल स्वास्थ्य संबंधी उपायों और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए और सूचना शिक्षा व संचार तथा समाज को शामिल करके आउटरीच में सुधार किया जाए तथा मांग का सृजन किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह योजना असम (3 जिले), बिहार (8 जिले), गुजरात (3 जिले), मध्य प्रदेश (11 जिले) और उड़ीसा (5 जिले) राज्य के 50 जिलों में प्रारंभ कर दी गई है।

विवरण

एच०आई०वी० व्याप्तता दर राज्यवार : 1998-2001

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थलों की संख्या		एचआईवी व्याप्तता 1998(%)	एचआईवी व्याप्तता 1999(%)	एचआईवी व्याप्तता 2000(%)	एचआईवी व्याप्तता 2001(%)
1	2	3		4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	एसटीडी	4	24.90	29.50	30.00	26.60
		एएनटी	9	2.250	2.60	2.00	1.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	एसटीडी	2	0.00	0.00	0.10	0.00
		एएनसी	1	0.40	0.00	0.00	0.00
3.	असम	एसटीडी	2	2.10	2.40	0.61	1.49
		एएनसी	3	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	एसटीडी	5	1.35	0.60	0.50	1.20
		एएनसी	7	0.00	0.00	0.10	0.13
5.	छत्तीसगढ़	एसटीडी	3	—	—	—	1.40
		एएनसी	5	—	—	—	0.33
6.	दिल्ली	एसटीडी	4	1.60	0.80	3.26	4.65
		एएनसी	4	0.25	0.30	0.25	0.13
		आईडीयू	1			5.00	—
7.	गोवा	एसटीडी	2	19.40	13.50	12.02	15.00
		एएनसी	2	1.20	0.80	1.17	0.50
		सीएसडब्ल्यू	1			53.20	50.79
8.	गुजरात	एसटीडी	8	2.50	6.70	4.65	4.14
		एएनसी	7	0.00	0.40	0.50	0.50
9.	हरियाणा	एसटीडी	4	2.60	5.30	2.75	1.08
		एएनसी	3	0.00	0.00	0.00	0.41
10.	हिमाचल प्रदेश	एसटीडी	5	2.00	0.40	0.40	0.26
		एएनसी	7	0.36	0.30	0.89	0.13
11.	जम्मू-कश्मीर	एसटीडी	2	1.83	1.20	0.40	0.80
		एएनसी	3	0.00	0.00	0.12	0.25
12.	झारखंड	एसटीडी	3	—	—	—	0.25
		एएनसी	6	—	—	—	0.08
13.	कर्नाटक	एसटीडी	7	16.70	15.50	12.80	16.40
		एएनसी	10	1.75	1.00	1.68	1.13
		आईडीयू	1	—	1.30	4.23	2.00

1	2	3		4	5	6	7
14.	केरल	एसटीडी	3	2.60	3.20	5.20	6.42
		एएनसी	3	0.10	0.00	0.00	0.08
15.	मध्य प्रदेश	एसटीडी	6	3.50	0.20	1.60	2.69
		एएनसी	10	0.00	0.30	0.12	0.25
16.	महाराष्ट्र	एसटीडी	9	16.00	20.00	18.40	9.20
		एएनसी	14	2.00	2.10	1.12	1.38
17.	मुम्बई	एसटीडी	3			33.33	21.06
		एएनसी	5			2.00	2.25
		आईडीयू	1			23.68	41.37
		एमएसएम	1			23.94	23.60
		सीएसडब्ल्यू	1			58.67	52.26
18.	मणिपुर	आईडीयू	3	70.70	48.80	64.34	56.26
		एसटीडी	2	4.15	12.00	11.60	10.50
		एएनसी	8	0.75	2.30	0.75	1.75
19.	मेघालय	आईडीयू	1	0.00	0.00	1.41	1.39
		एसटीडी	2	0.13	0.30	0.00	0.00
		एएनसी	2	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	मिजोरम	आईडीयू	1	1.00	1.50	9.61	2.00
		एसटीडी	2	1.49	0.76	2.00	2.20
		एएनसी	3	0.48	0.48	0.37	0.33
21.	नागालैंड	आईडीयू	2	13.20	7.60	7.03	5.50
		एसटीडी	1	11.10	4.40	6.90	7.40
		एएनसी	4	0.70	1.30	1.35	1.25
22.	उड़ीसा	एसटीडी	7	2.86	1.20	2.60	0.80
		एएनसी	4	0.00	0.10	0.27	0.25
23.	पंजाब	एसटीडी	3	0.00	2.00	0.80	1.61
		एएनसी	4	0.00	0.40	0.00	0.40
24.	राजस्थान	एसटीडी	6	5.20	3.20	2.84	4.00
		एएनसी	6	0.00	0.30	0.25	0.00
25.	सिक्किम	एसटीडी	1	0.00	0.00	0.00	0.00
		एएनसी	2	0.13	0.10	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	एसटीडी	5	16.30	10.40	16.80	12.60
		एएनसी	10	1.00	1.00	1.00	1.13

1	2	3		4	5	6	7
		आईडीयू	1			26.70	24.56
		एमएसएम	1			4.00	2.40
27.	त्रिपुरा	एसटीडी	1	0.00	0.80	1.34	3.20
		एएनसी	1	—	—	—	0.25
		आईडीयू	1	—	—	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	एसटीडी	10	1.60	0.60	1.80	0.90
		एएनसी	11	0.24	0.00	0.12	0.00
29.	उत्तरांचल	एसटीडी	4			—	0.40
		एएनसी	2			—	0.00
30.	पश्चिमी बंगाल	एसटीडी	6	0.40	1.40	1.96	0.60
		एएनसी	8	0.62	0.10	0.50	0.13
		आईडीयू	1			—	—
31.	अंदमान और	एसटीडी	1	1.20	0.40	1.20	1.20
	निकोबार द्वीप	एएनसी	3	0.00	0.00	0.25	0.16
32.	चंडीगढ़	एसटीडी	2	2.95	1.80	3.35	3.78
		एएनसी	1	0.47	0.80	0.00	0.00
33.	दादरा और नागर	एसटीडी	—	0.00	0.00	—	—
	हवेली	एएनसी	1	0.00	0.00	0.00	0.25
34.	दमण और द्वीव	एसटीडी	—	0.00	0.00	—	—
		एएनसी	2	0.13	0.00	0.00	0.25
35.	लक्षद्वीप	एसटीडी	1	0.00	0.00	0.00	—
		एएनसी	2	0.60	0.00	0.00	—
36	पांडिचेरी	एसटीडी	3	7.20	5.80	4.10	2.0
		एएनसी	1	0.50	0.90	0.25	0.25

टिप्पणी : 1. 3 स्थलों से अधिक वाले राज्यों में एच०आई०वी० व्याप्तता मान माध्यिका मान में है जबकि 3 अथवा 3 से कम स्थलों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मान माध्यमान में हैं।

2. 2000 और 2001 में अनुमान के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त प्रतिस्थापित एच०आई०वी० व्याप्तता मान व्याप्तता का औसत मान है। ''शून्य'' व्याप्तता वाले राज्यों को एस०टी०डी० और ए०एन०सी० हेतु निम्न व्याप्तता वाले राज्यों के माध्य द्वारा ''एस०टी०डी० के लिए 1.60'' और ''ए०एन०सी० के लिए 0.50'' के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

3. वांछित नमूना आकार (एस०टी०डी० : 250 और ए०एन०सी० : 400) के 75% कवरेज वाले स्थलों को विश्लेषण हेतु शामिल किया गया है।

संगीत निर्देशक का प्रत्यर्पण

268. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में शामिल संगीत निदेशक नदीम के लंदन से प्रत्यर्पण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने गुलशन कुमार की हत्या के मामले में लिप्त प्रमुख अपराधी नदीम अख्तर सैफी के प्रत्यर्पण के लिए नवम्बर, 1997 में यू०के० की सरकार से अनुरोध किया था। लंदन में संबंधित डिवीजनल कोर्ट ने दिसम्बर, 2000 में प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। इस निर्णय की अपील के लिए अनुमति देने के भारत के अनुरोध को मार्च 2001 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अस्वीकार कर दिया और श्री नदीम अख्तर सैफी को रिहा कर दिया।

राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा

269. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाडा-मरक्कनम नहर प्रणाली के साथ-साथ गोदावरी और कृष्णा जलमार्ग प्रणाली को विकसित किया जाना है और इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब से कार्य शुरू होने की संभावना है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) 585 करोड़ रु०

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोरोनरी धमनी रोग

270. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री अशोक ना० मोझेल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भारत में कोरोनरी धमनी रोग महामारी का रूप धारण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या धमनी अवरोधों को स्थायी रूप से हटाने के लिए "ड्रग-कोटेड एंजीओप्लास्टरी स्टेन्ट्स" अत्यधिक प्रभावी औजार है;

(ग) यदि हां, तो क्या ड्रग-कोटेड एंजीओप्लास्टरी स्टेन्ट्स के अत्यधिक मूल्य भारत में इसके उपयोग के लिए अवरोधक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ड्रग-कोटेड स्टेन्ट्स के मूल्य में कमी लाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (छ) यही सही है कि भारत में कोरोनरी-धमनी रोग बढ़ रहे हैं और छोटी उम्र (40 वर्ष की आयु से कम) के व्यक्तियों को भी हो रहे हैं।

धमनी अवरोधों को स्थायी रूप से हटाने के लिए दवा लगे (ड्रग-कोटेड) एंजियोप्लास्टी स्टेंट्स अत्यधिक प्रभावी उपाय हैं। एंजियोप्लास्टी के दौरान सामान्यतया प्रयोग होने वाले बिना-कोटेड स्टेंट्स के विपरीत, ड्रग-कोटेड स्टेन्टों, जो कि हाल ही में विकसित हुए हैं, से एंजियोप्लास्टी के पश्चात् अवरोध के दोबारा होने की घटनाएं बहुत कम होती हैं। पारंपरिक स्टेन्टों की लागत लगभग 30,000-50,000/- रुपए की तुलना में एकल ड्रग कोटेड का मूल्य लगभग, 1,37,000/- रुपए (एक लाख सैंतीस हजार मात्र) है। इसकी लागत किसी मामले में उपयोग किए जाने वाले स्टेन्टों की संख्या पर निर्भर करता है।

ड्रग कोटेड एंजियोप्लास्टी स्टेंन्ट बाजार में अभी हाल ही में उपलब्ध हुए हैं और दीर्घकालिक निष्कर्ष उपलब्ध होने तक ये प्रायोगिक हैं।

भारत, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता

271. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के साथ-साथ भारत, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भविष्य में भी ऐसी वार्ता होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की एक अनौपचारिक भोज बैठक 14 सितम्बर, 2002 को न्यूयार्क में हुई।

इस बैठक की कोई कार्यसूची नहीं थी। तीनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 57वें सत्र के प्रासंगिक मसलों पर विचार-विनिमय किया। इस प्रकार से सम्पर्क बनाए रखने पर सहमति हुई।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में दवाओं की खरीद हेतु नीति

272. **श्री वाई०जी० महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए थोक में दवाओं की खरीद की प्रक्रिया न अपनाए जाने से करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार दवाओं की खरीद के लिए ठेस नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए दवाइयों की बड़ी मात्रा में खरीद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के जरिए की जाती है। उन मामलों में, जहां चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन दवाइयों की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं होता अथवा सरकारी विशेषज्ञ सरकारी फार्मुलरी से बाहर की दवाइयों का नुस्खा लिखते हैं तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना उनका प्रमाण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नियुक्त प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों से लाभार्थियों के व्यक्तिगत नुस्खा-पत्रों के आधार पर करती है। तत्काल आवश्यकता वाली औषधों के मामले में प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट के जरिए तत्काल प्रापण हेतु लाभार्थियों को प्राधिकार पत्र जारी किए जाते हैं।

चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन के पास चिकित्सा सामग्री भंडार की खरीद करने के लिए सुपरिभाषित नियत प्रक्रिया है जिसका पालन यह की जाने वाली सारी खरीद के लिए करता है। ये खरीदारियाँ अत्यधिक किफायती दर पर की जाती हैं और इसलिए चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन द्वारा की गई खरीद से हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

273. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान केरल में जिला-वार कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान जिला-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान केरल में 179 नए टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) केरल में वर्ष 2002-2003 के दौरान 50 टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते उपयुक्त आवास, विद्युत आपूर्ति आदि उपलब्ध हो। इनका जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इनमें से 29 टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए गए हैं।

विवरण-I

गत दो वर्षों के दौरान केरल राज्य में खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	वर्ष 2000-2001 के दौरान खोले गए एक्सचेंजों की सं०	वर्ष 2001-2002 के दौरान खोले गए एक्सचेंजों की सं०
1	2	3
अलेप्पी	2	9
कालीकट	10	1
मल्लापुरम	3	10
वायनाड	1	2

1	2	3
कन्नानौर	7	11
कसारगौड	0	2
एर्नाकुलम	8	19
इदुक्की	4	5
कौट्टायाम	4	16
पालघाट	2	5
पथनमथिट्टा	12	8
क्विलम	2	6
त्रिचूर	4	9
त्रिवेन्द्रम	10	7
कुल	69	110

पिछले दो वर्षों का कुल योग-179

विवरण-II

वर्ष 2002-2003 के दौरान, केरल राज्य में खोले गए/खोलने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या

जिले का नाम	वर्ष 2002-2003 में अब तक खोले गए एक्सचेंजों की सं०	वर्ष 2002-2003 की अवधि के दौरान खोले जाने हेतु प्रस्तावित एक्सचेंजों की सं०	एक्सचेंजों की कुल संख्या
अलेप्पी	5	3	8
कालीकट	1	1	2
कन्नानौर	4	2	6
कसारगौड	3	1	4
कौट्टायाम	2	3	5
मलाप्पुरम	0	2	2
पालघाट	6	4	10
पथनमथिट्टा	2	1	3
क्विलम	2	1	3
त्रिवेन्द्रम	2	3	5
एरूर्नाकुलम	2	0	2
कुल	29	21	50

नीमस्यूलाइड के उपयोग संबंधी सुरक्षा

274. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री वाई०वी० राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अक्तूबर, 2002 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "नीमस्यूलाइड, द पॉपुलर फीवर ड्रग इज कंसीडर्ड टु०बी० अनसेफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसंगाधीन समाचार मुख्यत: गैर-स्टेरॉइडल शोधरोधी औषध निमेसुलाईड से संबंधित है जिसके भारत सहित लगभग 50 देशों में प्रयोग किए जाने की सूचना मिली है और जो तीव्र दर्द/शोध तथा ज्वर के लिए निर्दिष्ट की जाती है। भारत में निमेसुलाईड (100 मि०ग्रा०) गोली को 1995 में अनुमोदित किया गया था तथा 1996 में निमेसुलाईड घोल को बच्चों के लिए अनुमोदित किया गया था। भारत में निमेसुलाईड चिकित्सकों द्वारा नुस्खे में लिखी जाने वाली एक औषध है।

देश में वयस्कों अथवा बच्चों में कोई गंभीर यकृत्विषाक्तता (हेपाटोटाक्सिसिटि) की सूचना विनियामक एजेंन्सियों को नहीं मिली है। साथ ही, न तो भारतीय बालरोगचिकित्सक अकादमी ने और न तो किसी बालरोगचिकित्सक ने अब तक निमेसुलाईड योग से उपचारित बच्चों में कोई गंभीर अनुषंगी प्रभाव की सूचना दी है।

(ग) से (ङ) चल रहे समीक्षा कार्य के एक भाग के रूप में निमेसुलाईड की निरापदता संबंधी पहलुओं की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति (औषध तकनीकी सलाहकारी बोर्ड की उप-समिति) द्वारा एक समीक्षा की जा रही है। बच्चों में निमेसुलाईड के प्रयोग के संबंध में, विशेषज्ञ समिति का यह विचार था कि प्रतिकूल औषध अभिक्रिया केन्द्रों से प्राप्त सूचना के साथ-साथ देश भर के कम- से-कम 20 सुविख्यात बालरोग चिकित्सकों का तात्कालिक विचार प्राप्त किया जाए।

गृह-कल्याण-केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी लाभ

275. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में कितने गृह कल्याण केन्द्र (जी०के०के०) चलाए जा रहे हैं और प्रत्येक गृह कल्याण केन्द्र में श्रेणी-वार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) एक पंजीकृत संस्था के रूप में गृह-कल्याण-केन्द्र, 38 समाज-सदनों तथा दिल्ली और 09 अन्य शहरों के 36 अन्य परिसरों में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां संचालित कर रहा है। इस समय, गृह-कल्याण-केन्द्रों में 242 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका श्रेणी-वार ब्योरा निम्नानुसार है :–

सुरक्षा अधिकारी-01, केन्द्र-प्रभारी-02, व्यायाम-अनुदेशक-02, रोकड़िया-3, भंडार-प्रभारी-02, कार्यालय-सहायक-03, वैयक्तिक सहायक/टंकक-02, नर्सरी अध्यापक-38, दस्तकारी- अध्यापक-28, बाल-गृह-परिचर-27, आया-64, चौकीदार-45, चालक-02, चपरासी-01, माली-01, सफ़ाई कर्मचारी-21।

इसके अतिरिक्त, 03 अन्य पद हैं, जिनमें सचिव, कार्यालय-अधीक्षक और लेखा अधिकारी का एक-एक पद है। इस समय, सचिव का पद संविदा के आधार पर भरा हुआ है, जबकि उपर्युक्त अन्य 02 दो पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे हुए हैं।

(ख) से (घ) सचिव, कार्यालय-अधीक्षक और लेखा अधिकारी के सिवाय अन्य सभी कर्मचारियों को नियत मानदेय ही दिया जाता है। अत: वे पेंशन के पात्र नहीं हैं।

नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि

276. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) परियोजनावार इस पर कितनी प्रगति हुई ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण पर व्यय को छोड़कर) पर खर्च की गई राशि 5570.23 करोड़ रु० है।

(ख) राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस परियोजना की प्रगति और पूरा होने की तारीख इस प्रकार है :–

(I) स्वर्णिम चतुर्भुज

कुल लंबाई	5,846 कि०मी०
पूर्ण	1159 कि०मी०
कार्यान्वयन के अधीन	4551 कि०मी०
सौंपी जानी है	136 कि०मी०
काफी हद तक पूरा करने की नियत तारीख	दिसम्बर, 2003
पूरा करने की तारीख	दिसम्बर, 2004

(II) उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग

कुल लंबाई (लगभग)	7,300 कि०मी०
पूर्ण	817 कि०मी०
कार्यान्वयन के अधीन	671 कि०मी०
सौंपी जानी है	5812 कि०मी०
काफी हद तक पूरा करने की नियत तारीख	दिसम्बर, 2007

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के राज्यवार ब्यौरे

लंबाई कि०मी०

क्र० सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना			
		स्वर्णिम चतुर्भुज	उत्तर-दक्षिण महामार्ग	पूर्व-पश्चिम महामार्ग	महामार्ग जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,016	753	–	753
2.	असम	–	–	753	753
3.	बिहार	260	–	517	517
4.	दिल्ली	25	34	–	34
5.	गुजरात	485	–	654	654

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	152	180	—	180
7.	हिमाचल प्रदेश	—	14	—	14
8.	जम्मू-कश्मीर	—	405	—	405
9.	झारखंड	192	—	—	—
10.	कर्नाटक	663	125	—	125
11.	केरल	—	160	—	160
12.	मध्य प्रदेश	—	524	142	666
13.	महाराष्ट्र	489	232	—	232
14.	उड़ीसा	444	—	—	—
15.	पंजाब	—	296	—	296
16.	राजस्थान	722	32	480	512
17.	तमिलनाडु	341	851	—	851
18.	उत्तर प्रदेश	753	268	548	816
19.	पश्चिमी बंगाल	398	—	366	366
	जोड़	5,846	3,874	3,460	7,334

अर्थात् 7300 कि०मी०

[हिन्दी]

आई०ए०एस० अधिकारियों द्वारा सौंपा गया ज्ञापन

277. **श्री रामचन्द्र पासवान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के आई०ए०एस० अधिकारियों के कार्रवाई समूह ने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्धनता स्तर

278. **डा० डी०वी०जी० शंकर राव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 में समाप्त होने वाले दशक के दौरान देश में निर्धनता स्तर में 26 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः वर्ष 1990, 1980 और 1970 में समाप्त होने वाले तीन दशकों में निर्धनता का स्तर क्या था; और

(ग) भविष्य में निर्धनता स्तर को कम करने हेतु क्या दीर्घावधिक उपाय किए जा रहे हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। वर्ष 1999-2000 में देश में निर्धनता-स्तर घट कर 26 प्रतिशत रह गया है।

(ख) योजना आयोग लगभग 5 वर्षों के अन्तराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा किए जाने वाले उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लगाता है। वर्ष 1973-74, 1977-78, 1983, 1987-88, 1993-94 और 1999-2000 के लिए उपलब्ध गरीबी अनुमान नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत
1973-74	54.88
1977-78	51.32
1983	44.48
1987-88	38.86
1993-94	35.97
1999-2000	26.10

(ग) देश में गरीबी उपशमन और उसे कम करने के लिए तीन तरफा कार्रवाई की जा रही है। यह है (i) आर्थिक विकास का तीव्रीकरण (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना, समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाकर आदि द्वारा मानव एवं सामाजिक विकास तथा (iii) रोजगार और आय सृजक कार्यक्रमों और गरीबों के लिए परिसम्पति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना

279. **श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार देश में सरकारी मेडिकल कालेजों के भौतिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 में संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु व्यापक सिद्धान्तों को निर्धारित किया है। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए न्यूनतम पात्रता संबंधी अपेक्षा, चयन-मानदण्ड, प्रशिक्षण/इंटर्नशीप की अवधि, परीक्षा संचालन से संबंधित प्रक्रिया, अंक देना तथा परीक्षकों की अर्हताएं इत्यादि निर्धारित की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वैसे, चिकित्सा कालेजों की भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक की सहायता हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए योजना आयोग से परामर्श करके जांच करने तथा आर्थिक कार्य विभाग के पास अग्रेषित करने की अपेक्षा है। सरकार को महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात, दिल्ली तथा चंडीगढ़ सरकारों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

चार लेन वाली सड़कों पर पथ कर

280. श्री भालचन्द्र यादव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चार लेन वाली सड़कों पर पथ कर वसूल करने पर विचार कर रही है;

(ख) उन राज्यों के नाम और ब्यौरे क्या हैं जो चार लेन वाली सड़कों पर पहले से ही पथ कर वसूल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार चार लेन वाली सड़कों पर पथकर संग्रह करने हेतु कुछ कंपनियों को ठेका देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के चार लेन वाले खंडों पर पथ कर वसूल करने का निर्णय लिया है।

(ख) इस समय 13 राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के चार लेन वाले खंडों पर पथ कर वसूल किया जा रहा है, जिसके ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में प्रतियोगी निविदा के आधार पर विभागीय रूप से अथवा निजी ठेकेदारों के माध्यम से शुल्क वसूलने की अनुमति दी जाती है। निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) परियोजनाओं के मामले में प्रचालक को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए शुल्क वसूल करने और अपने पास रखने की अनुमति दी जाती है।

विवरण

क्र० सं०	रा०रा०	ब्यौरे	लंबाई कि०मी०	खंड में आने वाले राज्य
1.	1	पानीपत-अंबाला	110.00	हरियाणा
2.	1	अंबाला-खन्ना	66.00	हरियाणा और पंजाब
3.	1	खन्ना-जालंधर	100.00	पंजाब
4.	2	बदरपुर-कोसी	90.0	दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश
5.	2	कोसी-आगरा	90.1	उत्तर प्रदेश
6.	2	बरवा-अड्डा-पानागढ़	113.65	झारखंड और पश्चिमी बंगाल
7.	3	थाणे-भिवंडी बाइपास	24	महाराष्ट्र
8.	3	इंदौर-देवास बाइपास	17.29	मध्य प्रदेश
9.	5	भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर	27.80	उड़ीसा
10.	5	इलूरू बाइपास	17.369	आंध्र प्रदेश
11.	5	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम	40.712	आंध्र प्रदेश
12.	8	गुड़गांव-कोटपुतली	125.87	हरियाणा और राजस्थान
13.	8	कोटपुतली-आमेर	85.5	राजस्थान
14.	8	भरुच-सूरत	65.00	गुजरात
15.	8	वड़ोदरा-भरुच	83.00	गुजरात
16.	24	गाजियाबाद-हापुड़ खंड और हापुड़ बाइपास	32.245	उत्तर प्रदेश
		जोड़	1088.536	

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन

281. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामाबाद में नई सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के निलंबन को निरस्त करवाने के प्रयास को विफल करने हेतु हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने पाकिस्तान में जनतंत्र की पूर्ण बहाली तक निलंबन बरकरार रखने की दलील दी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्य दल की बैठक 31-1 नवम्बर 2002 को लन्दन में यह निर्णय लेने के लिए हुई कि क्या पाकिस्तान में हुई हाल की घटनाएं राष्ट्रमंडल परिषद से पाकिस्तान को निरस्त करने के पूर्व सी०एम०ए० जी० निर्णय को पलटने का आधार बन सकती हैं अथवा नहीं। प्रतिभागियों ने इस मसले पर राष्ट्रमंडल की रिपोर्ट और यूरोपीय संघ सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के साथ ही साथ पाकिस्तान में चुनावों से पहले हुए सवैंधानिक और अन्य परिवर्तनों, जिनके कारण पाकिस्तान का रूख संस्थागत सैन्य शासन की ओर हुआ था, को ध्यान में रखा। विदेश मंत्री ने इस मसले पर भारत की चिन्ता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। दल ने सर्वसम्मति से स्थिति के स्पष्ट होने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका और कार्यपद्धति के मूल्यांकन करने तक राष्ट्रमंडल परिषद से पाकिस्तान को निरस्त करने की यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को सार्वजनिक टेलीफोन बूथ का आवंटन

282. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री शिवाजी माने :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राथमिकता के आधार पर बेरोजगार युवकों को सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के उल्लंघन से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनको दिए गए दंड का ब्यौरा क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रतिबंध के बिना 18 वर्ष तथा इससे ऊपर के सभी आवेदकों को उदारतापूर्वक पी०सी०ओ० आबंटित किए जाते हैं बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो और वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी हों। पी०सी०ओ० के आबंटन में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आवंटन

283. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एस०टी०डी०/आई०एस०डी० टेलीफोन बूथों के आवंटन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के आवंटन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान नीति के अनुसार, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रतिबंध के बिना 18 वर्ष तथा इससे ऊपर के सभी आवेदकों को उदारतापूर्वक पी०सी०ओ० आबंटित किए जाते हैं बशर्तेकि तकनीकी व्यवहार्यता हो और वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी हों।

(ग) और (घ) जी, हां। इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जाली दस्तावेजों पर विकलांग व्यक्तियों को आबंटित पी०सी०ओ० काट दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण उपायों की सफलता

284. डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री बी० वेंकटेस्वरलु :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को पिछले एक दशक के दौरान इसके जनसंख्या नियंत्रण उपायों के लिए अत्यधिक कार्य-निष्पादन राज्य के रूप में चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991 और 2001 के दौरान अखिल भारतीय दशक जनसंख्या विकास दर क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने राज्य में प्रतिरक्षण कार्यक्रम और सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, देश में जनसंख्या नियंत्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर 1981-91 के दौरान 24.20 से घटकर 1991-2001 के दौरान 13.86 रह गई है। पिछले एक दशक के लिए अशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 1991-2001 में अखिल भारतीय दशकीय जनसंख्या विकास दर 21.34 है।

(घ) और (ङ) प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपकेन्द्रों को सहायता देने के अतिरिक्त, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है। 2001-2002 के दौरान राज्य को वस्तुगत तथा नकद के रूप में प्रदान की गई सहायता 45.7 करोड़ रुपए है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना के अधीन 2001-02 के दौरान राज्य को 39.56 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

वर्ष/संकेतक	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
सी०बी०आर०	26.0	24.1	24.1	23.8	24.2	22.8	22.5	22.4	21.7	21.3
आई०एम०आर०	73	71	64	65.0	67	65	63	66	66	65
टी०एफ०आर०	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	अनुपलब्ध

स्रोत : नमूना पंजीकरण पद्धति

[हिन्दी]

फिजियोथेरैपिस्टों की सेवाओं की मांग

285. श्री सुरेश चन्देल :
श्री महेश्वर सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फिजियोथेरैपिस्टों की सेवाओं की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरैपिस्टों की आवश्यक संख्या और इन अस्पतालों में नियुक्त किए गए फिजियोथेरैपिस्टों के मामले में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली के केन्द्रीय अस्पतालों में कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और जिन अस्पतालों में ये पद रिक्त पड़े हुए हैं उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या फिजियोथेरैपी चिकित्सा के विनियमन के लिए कोई परिषद् गठित की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी परिषद् का गठन करने का है जिससे कि इस चिकित्सा से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) सरकार इस तथ्य के बारे में जागरूक है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से चिकित्सा व्यावसायियों की सेवाओं की मांग बढ़ रही है और इसी प्रकार रोगियों

के उपचार में चिकित्सा व्यावसायियों की सहायता करने वाले भौतिक चिकित्सकों (फिजियोथिरैपिस्ट), जो परा-चिकित्सा व्यावसायी होते हैं, की मांग भी बढ़ रही है। भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग सभी तीन केन्द्रीय अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में मौजूद हैं, वैसे, देश में भौतिक चिकित्सकों की मांग का मूल्यांकन करने के लिए अभी तक कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े भौतिक चिकित्सकों के पदों की संख्या नीचे दी गई है :–

अस्पताल का नाम	खाली पड़े पदों की संख्या
(क) सफदरजंग अस्पताल	3
(ख) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	1
(ग) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल	3
कुल	7

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं

286. श्री महेश्वर सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तेजी से बढ़ते प्राइवेट क्लिनिकों, नर्सिंग होमों और अन्य संबंधित चिकित्सालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उनकी मौलिक आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ उनमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करने हेतु एक केन्द्रीय विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चयनित व्यक्तियों और चिकित्सकों की प्रत्यापन परिषद् का भी गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य स्तर पर भी इस प्रत्यापन परिषद् का गठन करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित विधान में रिकार्ड के मूल्यांकन, प्रत्यायन, निरीक्षण, प्रमाणन, विनियमन और रख-रखाव के लिए मानक बनाने हेतु एक केन्द्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। इस परिषद् में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्, भारतीय फार्मेसी परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद्, क्लीनिकल प्रतिष्ठानों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(घ) प्रस्तावित विधान में राज्य स्तर पर राज्य मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् स्थापित करने का भी प्रावधान है।

[अनुवाद]

मोटर यान अधिनियम में संशोधन

287. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से दुर्घटना के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किए जाने के साथ-साथ कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित किए जाने के लिए मोटर यान अधिनियम में संशोधन का अनुरोध किया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में राज्यवार कई गुणा वृद्धि हुई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रति 1 हजार वाहनों पर दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट का रुख रहा है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :–

वर्ष	सभी श्रेणी के वाहनों की संख्या हजार में	दुर्घटनाओं की संख्या	प्रति हजार वाहन दुर्घटना
1996	33723	371204	11.00
1997	37231	373671	10.04
1998	40939	385018	9.40
1999	45000	386456	8.59
2000	48393 (अनंतिम)	391449	8.09 (अनंतिम)

देश में सभी सड़कों पर राज्यवार सड़क दुर्घटनाएं दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

भारत सरकार सड़कों पर सुरक्षा में सुधार के लिए इंजीनियरी और शिक्षा से संबंधित अनेक उपाय करती रही है। इस संबंध में मोटर यान अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है।

विवरण

भारत में सभी सड़कों पर राज्यवार सड़क दुर्घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

अखिल भारत/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	21526	17109	27599	28529	25398	30031
अरूणाचल प्रदेश	230	239	206	214	252	264
असम	1840	1906	2021	2269	2492	2516
बिहार	8870	7253	7362	4545	4397	अनुपलब्ध
छत्तीसगढ़			मध्य प्रदेश में सम्मिलित आंकड़े		6913	अनुपलब्ध
गोवा	2804	2561	2633	2535	2961	2818
गुजरात	30975	34336	35640	37428	36029	32523
हरियाणा	6934	7189	7983	8248	8206	8393
हिमाचल प्रदेश	1889	1865	2342	2211	2039	2150
जम्मू-कश्मीर	3615	3281	4238	4454	4598	अनुपलब्ध
झारखंड			बिहार में सम्मिलित आंकड़े		3763	4028
कर्नाटक	30899	32884	30763	30559	32397	अनुपलब्ध
केरल	35731	34661	32837	33977	37072	38361
मध्य प्रदेश	30861	31726	30766	30559	23805	अनुपलब्ध
महाराष्ट्र	77572	75267	74429	72231	71550	अनुपलब्ध
मणिपुर	399	397	411	495	506	409
मेघालय	360	382	407	286	392	427
मिजोरम	76	65	80	59	72	83
नागालैंड	132	87	99	104	79	102
उड़ीसा	6393	6379	6808	6577	6611	6406
पंजाब	2998	3301	3442	3620	3876	4171
राजस्थान	18879	19946	20798	21132	19932	19999
सिक्किम	168	130	97	113	94	अनुपलब्ध
तमिलनाडु	42197	44203	46723	48086	48923	51978

1	2	3	4	5	6	7	
त्रिपुरा		562	742	425	544	524	544
उत्तरांचल				उत्तर प्रदेश में सम्मिलित आंकड़े		877	1061
उत्तर प्रदेश		16475	16648	17631	18116	16644	अनुपलब्ध
पश्चिमी बंगाल		16101	18646	17454	17889	18979	6399
अंदमान और निकोबार द्वीप		94	89	120	138	158	181
चंडीगढ़		382	397	348	454	455	492
दादरा और नागर हवेली		69	74	83	74	84	88
दमण और दीव		24	30	64	69	66	53
दिल्ली		11315	10949	10217	9909	10245	9344
लक्षद्वीप		शून्य	शून्य	2	शून्य	6	अनुपलब्ध
पांडिचेरी		833	929	990	1032	1054	1286
जोड़		371204	373671	385018	386456	391449	224107 (अनंतिम)

(पी) = अनंतिम

औषधालयों और अस्पतालों में दवाइयों का अभाव

288. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
प्रो० दुखा भगत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के सी०जी०एच०एस० औषधालयों और सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन औषधालयों/अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सी०जी०एच०एस० द्वारा दवा की खरीद पर कितनी धनराशि का व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए औषधों की बड़ी मात्रा में खरीद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन के माध्यम से की जाती है। उन मामलों में जहां चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन औषधों की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं होता अथवा सरकारी विशेषज्ञ सरकारी फार्मूलरी से बाहर की औषधें लिखता है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना उनका प्रापण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से लाभार्थियों के व्यक्तिगत लिखे गए नुस्खे के आधार पर करती है। तत्काल जरूरत वाली औषधों के मामले में लाभार्थियों को प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट के जरिए तत्काल अधिप्राप्ति के लिए प्राधिकार पर्चियां जारी की जाती हैं।

इस समय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं हैं लेकिन इस कारण लाभार्थियों को होने वाली असुविधा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से औषधें खरीद कर न्यूनतम कर दिया जाता है। आवश्यक और बारंबार इस्तेमाल होने वाले औषधों का प्रापण शीघ्र करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से संबंधित सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-01 और 2001-2002 के दौरान उप शीर्ष (सामग्री एवं आपूर्ति) (नॉन प्लान) के अधीन बजट आबंटन और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

वित्तीय वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
कुल बजट आवंटन	527250000.00 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय	6714070000.00 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय	916781000.00 विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय
एलोपैथिक (स्थानीय खरीद पर)	432048359.00	518964093.00	742163982.00
चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन	51260516.00	76059353.00	77088369.00
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	24799510.00	34787919.00	46675386.00
जीवन रक्षक एवं अन्य	19141615.00	41595635.00	50853263.00
कुल व्यय	527250000.00	671407000.00	916781000.00

टेलीफोन की खराबी

289. **श्री रामदास आठवले :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में, विशेषकर दिल्ली और आंध्र प्रदेश में, कई अवसरों पर टेलीफोन केबलों में खराबी रहने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है; और

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) स्थिति से निपटने के लिए, महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम०टी०एन०एल०) द्वारा दिल्ली के संबंध में तथा भारत संचार निगम लि० (बी०एस०एन०एल०) द्वारा आन्ध्र-प्रदेश के संबंध में किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली के लिए एम०टी०एन०एल० द्वारा उठाए गए कदम

1. मुख्यालय और क्षेत्र स्तर पर दोष नियंत्रण केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि केबल खराबियों के निपटान को प्रभावी रूप से मॉनीटर किया जा सके।
2. केबल खराबियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करने के लिए, विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान, ज्यादा केबल ज्वाइंटिग स्टाफ तैनात किया गया है।
3. पेपर कोर वाली सभी केबलों को समयबद्ध रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल/पी०आई०जे०एफ० केबल द्वारा बदलने का प्रस्ताव है।
4. रिमोट सब्स्क्राइबर यूनिट (आर०एस०यू०), डिजिटल लूप कैरियर (डी०एल०सी०) जैसे अधिकाधिक स्विचिंग नोड्स खोले जा रहे हैं ताकि उपभोक्ता-लूप के अन्तर्गत भूमिगत केबलों की लंबाई को कम किया जा सके।
5. वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू०एल०एल०) और कॉरडेक्ट जैसे उपभोक्ता एक्सेस नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकी वाले उपस्कर की शुरूआत की जा रही है।
6. दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विद्युत बोर्ड, एम०टी०एन०एल० जैसे सभी नगर निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्राइवेट दूरसंचार प्रचालकों की एक समन्वय-समिति का गठन, एम०टी०एन०एल० की पहल पर दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा किया गया है ताकि भूमिगत केबलों के मौजूदा नेटवर्क को नुकसान से बचाने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र तैयार किया जा सके।

आन्ध्र प्रदेश के लिए बी०एस०एन०एल० द्वारा उठाए गए कदम

1. संबंधित विभागों/पार्टियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही है।
2. सड़कें चौड़ी होने के कारण, केबलों को यथासंभव शिफ्ट किया जा रहा है।

3. "खुदाई से पूर्व डायल करें," यह नारा प्रमुख मार्गों पर प्रदर्शित किया गया है।

4. वर्षा ऋतु के दौरान, केबल खराबियों को प्रभावी रूप से मॉनीटर करने के लिए, सभी जिला मुख्यालयों और सर्किल मुख्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष खोले जाते हैं।

भारतीय मछुआरों को मुक्त किया जाना

290. **श्रीमती रीना चौधरी :**
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री भीम दाहाल :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में ढेर सारे भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है और उनमें से कइयों को मार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जेलों में बंद/गिरफ्तार किए गए मछुआरों को मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगे मछुआरों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) श्रीलंका प्राधिकारियों द्वारा श्रीलंका के प्रादेशिक जल क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश करने अथवा श्रीलंका के प्रादेशिक जल क्षेत्र में प्रवाहित होने के आरोप में भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और बाद में नजरबंद किया गया।

गिरफ्तार किए गए मछुआरों और पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गए मछुआरों की संख्या नीचे दी गई है :

	2000	2001	2002 (जनवरी-नवम्बर)
गिरफ्तार किए गए	25	118	99
मारे गए	5	7	0

सरकार राजनयिक माध्यमों के जरिए उनकी शीघ्र रिहाई के लिए और श्रीलंका की अभिरक्षा से भारतीय मछुआरों को वापस भारत भेजने के लिए नियमित सम्पर्क बनाए हुए हैं। नई दिल्ली और कोलम्बो दोनों में इस मामले को उपयुक्त स्तरों पर उठाया जाता है तथा तब तक आगे बढ़ाया जाता है जब तक मछुआरों को रिहा नहीं किया जाता है और वापस नहीं भेजा जाता है।

(घ) सरकार ने श्रीलंका की सरकार को सुझाव दिया है कि हमारे मछुआरों को उनके पूर्वोत्तर जल-क्षेत्रों में मछली मारने का लाइसेंस दिया जाए।

दोनों पक्ष इस बात से सहमत हुए हैं कि स्थापित कानूनी क्रिया-विधियों और मानवोचित पद्धति के अनुसार इन मामलों को सहानुभूति तथा समझ-बूझ की भावना से निपटाया जाए।

[हिन्दी]

पोलियो उन्मूलन की नई रणनीति

291. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
डा० जसवंतसिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए अनुसार पोलियो उन्मूलन के लिए 2002-2003 हेतु नई रणनीति को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में राज्यवार कितने मामले लाए गए हैं जहां पोलियो उन्मूलन अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया है;

(घ) सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए नई रणनीति में क्या प्रावधान किये हैं; और

(ङ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार को इन्हें लागू करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा यथासंस्तुत और सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही 2002-03 की पोलियो उन्मूलन कार्यनीति इस प्रकार है :–

(i) देश में कहीं भी वाइल्ड पोलियो वायरस का पता लगाने के बाद घर-घर जा कर बचे-खुचे वायरस को समाप्त करने हेतु वैक्सीन देना।

(ii) दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्यों में उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के दो दौर (29 सितम्बर और 17 नवम्बर, 2002 को आयोजित किए गए)।

(iii) राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के दो दौर (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 5 जनवरी और 9 फरवरी, 2003 को आयोजित किए जाने हैं)।

(iv) बूथ दिवस के दो दिन बाद सम्मिश्रित नियत केन्द्र और घर-घर जा कर वैक्सीन देकर के उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के दौर आयोजित करना। अधिक खतरे वाले राज्यों में पांच दिन तक घर-घर जा कर वैक्सीन दिया जाएगा।

वर्ष 2002, 2001 और 2002 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पोलियो के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2000 से 2002 तक के पोलियो के मामले

(9 नवम्बर, 2002 तक)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	00	01	02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	0	1	0
5.	बिहार	50	27	58
6.	चण्डीगढ़	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	—	0	1
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	3	3	14
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	2	1	18
13.	हरियाणा	4	5	10
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	0	0	1
16.	झारखण्ड	—	2	10
17.	कर्नाटक	8	0	0
18.	केरल	1	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2	0	4
21.	महाराष्ट्र	7	4	4
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	उड़ीसा	0	0	2
27.	पांडिचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	0	5	0
29.	राजस्थान	0	0	3
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलाडु	0	0	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0
33.	उत्तरांचल	—	3	11
34.	उत्तर प्रदेश	179	216	727
35.	पश्चिमी बंगाल	8	1	33
	कुल	265	268	896

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कमी

292. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री प्रबोध पण्डा :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सी०एस०एस०) में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें बन्द किए जाने/उन्हें अन्य योजनाओं के साथ विलय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की अंतिम स्थिति क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री

तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) योजना आयोग ने वर्तमान केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी०एस०एस०) की समीक्षा का कार्य शुरू किया है तथा उन्हें शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के अधीन किया है। दसवीं योजना में केवल उन्हीं स्कीमों को बनाए रखने का प्रस्ताव है जो प्रामाणिक रूप से अनिवार्य हों। दसवीं योजना में जिन सी०एस०एस० स्कीमों को लागू किया जाना है, उनका दसवीं योजना दस्तावेज में उल्लेख किया गया है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद्, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री/प्रशासक होंगे, के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रत्यर्पण संधि

293. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर 2002 के 'द स्टेट्समैन' में प्रकाशित प्रत्यर्पण कानून में सुधार की आवश्यकता से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राष्ट्रों के साथ आपसी सहमति से अधिक से अधिक प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत ने किन-किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारत की अठारह (18) देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि हैं। स्वतंत्रता पश्चात सोलह (16) देशों, अर्थात बेल्जियम, भूटान, कनाडा, जर्मनी, हांगकांग, मंगोलिया, नेपाल, रूसी परिसंघ, स्पेन, ट्यूनिशिया, टर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यू०के०, अमरीका, उजबेकिस्तान और यूक्रेन के साथ प्रत्यर्पण संधियां की गई हैं। नीदरलैंड और स्विटजरलैंड के मामलों में वे यद्यपि प्रत्यर्पण संधियां स्वतंत्रता पूर्व हस्ताक्षरित की गई थी, इन संधियों को स्वतंत्रता पश्चात प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना द्वारा पुनर्संक्रिय किया गया। जर्मनी, मंगोलिया, स्पेन ट्यूनिशिया, टर्की, उजबेकिस्तान और यूक्रेन के साथ हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधियां अभी प्रभावी नहीं हुई हैं। ये अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान के बाद से प्रभावी होंगी।

भारत का नौ (9) देशों अर्थात आस्ट्रेलिया, फिजी, जर्मनी, पपुआ न्यू गिनि, सिंगापुर श्रीलंका, स्वीडन, तन्जानिया और थाइलैंड के साथ आपसी प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं हैं।

भारत ने आठ (8) देशों अर्थात् बुल्गारिया, फ्रांस, मलेशिया, ओमान, फिलीपीन्स, पोलैंड, कजाकस्तान और कुवैत के साथ सरकारी स्तर पर प्रत्यर्पण संधियों की पहल की हैं।

भारत ने सत्ताइस (27) देशों अर्थात बहरीन, बेलारूस, ब्राजील, क्रोएशिया, क्यूबा, चैक गणराज्य, मिस्र, घाना, यूनान, ईरान, इटली, जापान, जोर्डन, कोरिया, किरगिसतान, लिथूआनिया, नेपाल (नई संधि), न्यूजीलैंड, नाइजेरिया, कतर, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, सिंगापुर, थाइलैंड, यूगांडा, और यमन के साथ प्रत्यर्पण संधियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित बातचीत की है। इन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों की बातचीत/अंतिम रूप के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(घ) आज तक, उपरोक्त देशों को छोड़कर भारत ने किसी अन्य देश के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए है अथवा न ही प्रस्तावित है।

उत्पादों को बेचे जाने के लिए प्रोत्साहन

294. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार (के०बी०) के पंजीयन और निविदा दस्तावेज में यह शर्त निर्धारित है कि उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए आपूर्तिकर्त्ता अनिवार्य रूप से अपने उत्पादों को सरकारी कार्यालयों में बेचें; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रावधानों को शीघ्र वापस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पंजीकरण हेतु निविदा-दस्तावेज़ में, अनुमोदित उत्पादों का केन्द्रीय भंडार की ओर से विपणन किए जाने का प्रावधान है।

(ख) इस समय, ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास खोला जाना

295. डा० बी०बी० रमैया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का विचार हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में अपने वाणिज्य दूतावास खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो ये वाणिज्य दूतावास अपना कार्य करना कब तक आरंभ कर देंगे; और

(घ) देश में इन देशों के अन्य किन-किन स्थानों पर वाणिज्य दूतावास पहले से ही स्थित हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशंवत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में अमरीका के प्रधान कॉसलावास है जबकि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के कॉसलावास सिर्फ मुम्बई में हैं।

सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं

296. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों के सरकारी अस्पतालों में की गई जांच की जांच रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि इन अस्पतालों में चिकित्सा और चिकित्सा अनुसंधान सुविधाएं केवल कागजों पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन अस्पतालों में क्षमता से अधिक भीड़ होना इनके समुचित कार्यकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि इन अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा और अनुसंधान सुविधाएं मुहैया कराई जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विशाखापत्तनम और कुआलालम्पुर के बीच सबमैरीन केबल लिंक

297. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम से कुआलालम्पुर तक सबमैरीन केबल बिछाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना से कितना लाभ होने की संभावना है; और

(ग) इस केबल लिंक कं कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) मैसर्स एस्ट्रो नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2001 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक सबमैरीन केबल लैडिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था जिसमें विशाखापत्तनम और पेनाग (मलेशिया) को टर्मिनल स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया था। कम्पनी ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कार्य करने में कोई रूचि नहीं दिखाई है क्योंकि उनसे इस प्रस्ताव से संबंधित कतिपय स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया गया था जिनका उत्तर उन्हें अभी देना है।

फिलिस्तीन का मामला

298. **श्री सुनील खां** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात का कार्यालय सितम्बर, 2002 के दौरान इजरायली सेनाओं के घेरे में था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इजरायली कार्यवाही की निन्दा करते हुए कोई बयान जारी किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशंवत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 23 सितम्बर, 2002 को निम्नलिखित वक्तव्य जारी कि किया, जिसका शीर्षक था "भारत पश्चिमी एशिया के घटनाक्रमों पर चिंतित है" :

"भारत को यह जानकर निराशा हुई है कि हिंसा में छः सप्ताह की अपेक्षाकृत शांति के पश्चात रामल्लाह में राष्ट्रपति यस्सार अराफात के परिसर के विरूद्ध इस्राइली रक्षा सेनाओं द्वारा दो बम आक्रमणों और हमलों के साथ सुरक्षा की स्थिति में बहुत गिरावट आई है।"

"हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष निर्णायक रूप से और ईमानदारी से हिंसा के इस नवोत्सर्जित प्रवाह को रोकने की चेष्टा करेंगे जो कि ऐसे समय उत्पन्न हुई है जब स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना और शांति के लिए बातचीत पुनः आरम्भ करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नए कदम विशेषकर "क्वार्टेट" (चार देशों का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन) उठाए गए हैं।"

सड़कों के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से पूंजी

299. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क उपकर के रूप में होने वाली आय राष्ट्रीय हाइवे बॉन्ड और विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से दीर्घावधि के लिए मिलने वाली पूंजीगत सहायता के लिए अपने आप में एक गारंटी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998 से सरकार की वर्षवार कितनी आय हुई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) उपकर से राष्ट्रीय राजमार्गों को प्रदान की जा रही धनराशि, राष्ट्रीय राजमार्ग बांड की अदायगी देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सूरत-मनोर टॉलवे के लिए एशियाई विकास बैंक से सीधे लिए गए ऋण की अदायगी, पथकर – राजस्व से की जाएगी। तथापि, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से ऋण सीधे सरकार द्वारा लिए जाते हैं और उनके द्वारा इनकी अदायगी की जाएगी।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेट्रोल और डीजल पर उपकर से हुई आय का उपयोग अधिनियम में उल्लिखित ग्रामीण सड़कों, राज्यीय सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा रेल/सड़क क्रासिंग पर सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाता है। वर्ष 2002-03 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए उपकर से 7800 करोड़ रु० उपलब्ध हैं।

बंगलौर और मैसूर के बीच चार लेनों वाला राजमार्ग

300. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने बंगलौर और मैसूर के बीच चार लेनों वाले राजमार्ग के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की है।

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए कर्नाटक को कितनी केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है और जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्तन कैंसर

301. श्री वाई०वी० राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अक्तूबर, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''ब्रैस्ट कैंसर ऑन द राइज इन सिटी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) वक्ष कैंसर तथा सर्विकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाले सामान्य कैंसर हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (1981-2001) द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 21.3 प्रतिशत के साथ दिल्ली में महिलाओं में सभी स्थलों के कैंसरों में वक्ष कैंसर अधिकतम है। वैसे, मुम्बई और चेन्नई में यह क्रमशः 24.7 प्रतिशत और 26..9 प्रतिशत के साथ अपेक्षाकृत अधिक है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत दिल्ली में स्थित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री से प्राप्त आंकड़ों से 1998-1997 तक वक्ष कैंसर की घटनाओं में वृद्धि का कोई महत्वपूर्ण संकेत नहीं मिलता।

(ग) शीघ्र अभिज्ञात होने पर कैंसर का उपचार किया जा सकता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत यह मंत्रालय विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता सृजित करना है तथा जो शीघ्र पहचान, उपचार तथा अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। इस मंत्रालय ने उपचार प्रदान करने तथा अनुसंधान कार्यकलाप चलाने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है।

विवरण

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

ऑन्कोलाजी विंग का विकास

यह स्कीम देश में कैंसर की पहचान और उपचार में भौगोलिक अन्तर को समाप्त करने के लिए केवल सरकारी मेडिकल कालेजों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत किसी संस्थान को सूचीगत उपस्कर खरीदने के लिए 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

कोबाल्ट थिरेपी यूनिट की स्थापना

सरकारी संस्थाओं में कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 1.50 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

राज्य सरकार की विशेष सिफारिश पर गैर सरकारी संगठनों को कोबाल्ट थिरेपी यूनिट के लिए 1.00 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। यह एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने की स्कीम के अन्तर्गत मेमोग्राफी उपस्कर को भी शामिल किया गया है। उन संस्थानों/संगठनों जिनके

पास कैंसर रोगियों के उपचार के लिए सुविधाएं और सुसज्जित रेडियोथिरेपी विभाग हैं, को 30.00 लाख रुपए तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह भी एक बार दिया जाने वाला अनुदान है।

जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1990-91 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन स्वास्थ्य शिक्षा, पहचान और दर्द निवारक उपायों के लिए जिला परियोजना (अवधि-पांच वर्ष) हेतु एक स्कीम आरम्भ की गई थी। इस स्कीम में परियोजना अवधि के बाकी चार वर्षों के लिए प्रत्येक जिले के लिए 10.00 लाख रुपए के प्रावधान की स्कीम के साथ प्रत्येक चुनिंदा जिले हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को 15.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पांच वर्षों के बाद इस परियोजना का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा कर लिया जाता है।

स्वैच्छिक संगठन स्कीम

यह योजना राज्य सरकार की विशेष सिफारिशों पर कैंसर में स्वास्थ्य शिक्षा और जल्दी पहचान कार्यकलाप चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 5.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने के लिए है।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है। चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली हेतु वित्त पोषण का अलग पैटर्न है। बाकी के क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को 75.00 लाख रुपए सालाना का भुगतान किया जाता है। ये क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र कैंसर के क्षेत्र में उचार सुविधाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान करते हैं।

[हिन्दी]

वर्तमान शिशु मृत्यु दर

302. श्रीमती हेमा गमांग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर देश के जनजातीय इलाकों में, वर्तमान शिशु मृत्युदर क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर जनजातीय इलाकों में, शिशु मृत्युदर में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) नमूना पंजीयन पद्धति, 1999 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में बाल मृत्यु दर 20.4 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II 1998-99 के आंकड़ों के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में बाल मृत्यु दर 46.3 है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। देश में बाल मृत्यु दर में कमी हो रही है। नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार बाल मृत्यु दर 1997 में 23.1 से घटकर 1999 में 20.4 हो गई है।

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में बाल मृत्यु दर भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-I के अनुसार, 1992-93 की 49.1 से घटकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II के अनुसार, 1998-99 में 46.3 हो गई है।

(घ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन बाल मृत्यु और रूग्नता दर में कमी लाने के लिए देश भर में उपाय किए जा रहे हैं। बच्चों के उपचारों में छह वैक्सीन निवार्य रोगों का प्रतिरक्षण, अतिसार के कारण होन वाली मौतों को रोकना, तीव्र श्वसनी संक्रमणों का नियंत्रण, विटामिन ए की कमी और लोहे की कमी से होने वाली रक्ताल्पता से बचाव, अनिवार्य नवजात परिचर्या, एकमात्र स्तनपान और उपयुक्त सम्पूरक आहार परिपाटियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

न्यू ड्रग अप्लिकेशन्स में अनियमितताएं

303. डा० बलिराम :
श्री साईदुज्जमा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डी०सी०जी०आई० कार्यालय ने न्यू ड्रग अप्लिकेशन्स और आयात पंजीकरण के लिए शुल्क उगाही का काम शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनियमितताओं की कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 को दिनांक 24.8.2001 की राजपत्र अधिसूचना सा०का०नि० 604(ई) तथा 12.12.2001 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 900(ई) के तहत संशोधित किया गया। सा०का०नि० 604(ई०) के अन्तर्गत देश में आयातित औषधों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश में सिर्फ अच्छे गुण स्तर वाली

औषधों का ही आयात हो। पंजीकरण के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए शुल्क भी विनिर्दिष्ट किए गए हैं। दिनांक 12.12.2001 के सा०का०नि० 900(ई) के अन्तर्गत औषध महानियंत्रक (भारत) द्वारा नई औषधें को अनुमोदन देने के प्रावधान को सरल और कारगर बना दिया गया है और आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष शुल्क निर्धारित किए गए हैं। इन शुल्कों को भारत की संचित निधि में "0210-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, 04-जनस्वास्थ्य-104-शुल्क एवं जुर्माने", लेखा-शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए इस शीर्ष के अन्तर्गत अब तक जमा की गई राशि लगभग 9 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम को लागू किया जाना

304. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के बारे में 23 अप्रैल, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4650 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित प्रशासनिक सुधारों को शुरू किया गया है :–

(1) प्रशिक्षण के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश देने के लिए चयन संबंधी संशोधित चयन मापदण्ड फरवरी, 1999 में लागू किये गये हैं।

(2) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की योजना में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में खेल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों को संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। प्रशिक्षकों की सेवाओं के प्रभावशाली उपयोग के लिए निगरानी प्रणाली प्रारंभ की गयी है। प्रशिक्षकों के लिए छः सप्ताह का एक उन्नत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है और चालू वर्ष के दौरान 600 प्रशिक्षक उक्त पाठ्यक्रम में भाग लेंगे।

(3) उत्कृष्टता लाने के लिए, उत्कृष्टता केन्द्र की विद्यमान योजना के क्षेत्र का विस्तार किया गया था और इसे सभी क्षेत्रीय केन्द्रों में शुरू किया गया था तथा खेल विधाओं की संख्या को एक (हाकी) से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है।

(4) संगठन में कार्यकुशलता में सुधार लाने की दृष्टि से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस०आई०यू०), ने भारतीय खेल प्राधिकरण के संगठनात्मक ढांचे और उसकी कर्मचारी संख्या का एक अध्ययन किया था तथा उस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी जिस पर अगली कार्रवाई की जा रही है।

(5) राष्ट्रीय टीमों को राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों/ओलंपिक खेलों जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए तैयार करने हेतु एस०ए०आई० द्वारा संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। तत्पश्चात् प्रगति की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण की अध्यक्षता में खेल-विधावार निगरानी समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(6) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली स्थित विद्यमान डोप नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु मामले को भारतीय ओलंपिक संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ उठाया जा रहा है। प्रयोगशाला का आई०एस०ओ०-17025 प्रमाणन प्राप्त करने की अनिवार्य अपेक्षा का काम प्रगति पर है।

युवा प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुविधाओं को बढ़ाने हेतु उपरोक्त अवधि के दौरान, भारतीय खेल प्राधिकरण को कोई विशेष वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, खेल संवर्धनकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, बजटीय प्रावधानों में समय-समय पर वृद्धि की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के लिए बजटीय अनुमान निम्नलिखित हैं :–

2000-2001	18.50 करोड़ रुपये
2001-2002	20.20 करोड़ रुपये
2002-2003	21.88 करोड़ रुपये

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

के०ए०पी० द्वारा उत्सर्जन

305. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूरत (गुजरात) के ककरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र (के०ए०पी०) अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों पर निर्धारित उत्सर्जन से तीन गुणा अधिक विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह के०ए०पी० के कामगारों के जीवन को किस सीमा तक प्रभावित कर रहा है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने के०ए०पी० को चेतावनी दी है; और

(घ) यदि हां, तो के०ए०पी० द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र (के०ए० पी०पी०) से होने वाले उत्सर्जन अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों से काफी कम हैं।

(ख) ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र में काम करने वाले कामगारों पर पड़ने वाला विकिरण का प्रभाव नियामक सीमाओं के काफी भीतर है और कामगारों के जीवन को कोई खतरा नहीं है।

(ग) और (घ) चूंकि कोई नियामक सीमा पार नहीं की गई है, अत: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने ककरापार परमाणु विद्युत संयंत्र को कोई चेतावनी नहीं दी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भूमिगत केबल

306. **श्री सईदुज्जमा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, फैजाबाद और सहारनपुर जिलों के विभिन्न गांवों में बिछायी गयी भूमिगत केबल की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) कितने गांवों में कनेक्शन प्रदान किये गये;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(घ) क्या इन जिलों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) प्रतीक्षा सूची के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का हस्तांतरण

307. **श्री प्रबोध पण्डा :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन को राज्यों को हस्तान्तरित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कौन-कौन सी हैं और इनका परिव्यय कितना है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) फरवरी, 1999 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद (एन०डी०सी०) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के हस्तांतरण के संबंध में उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन०डी०सी०) की एक समिति गठित की गई जिसमें राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों दोनों के सदस्य शामिल हैं। समिति की अवधि 31 दिसम्बर, 2002 तक है। तथापि, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०) और अन्नपूर्णा योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2002-03 से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस उद्देश्य से वर्ष 2002-03 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 680 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०) प्रदान की गई है। चूंकि अधिकांश राज्यों की स्कीमें समान प्रकृति की हैं, इसलिए आशा की जाती है कि इन स्कीमों के हस्तांतरण से स्कीमों के चयन और कार्यान्वयन में अपेक्षित लोच के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त निधियाँ प्राप्त होंगी।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

308. **श्रीमती जस कौर मीणा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक राज्य को आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए आबंटित की गयी धनराशि अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को आबंटित धन का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य-वार आबंटन वार्षिक आधार पर किए जाते हैं। वैसे, दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए आबंटन संलग्न विवरण-II पर है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

केन्द्रीय सरकार मुख्य रोगों के नियंत्रण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से बाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयास करती रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5118 करोड़ रुपये की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए आबंटन 9253 करोड़ रुपये है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 15120.00 करोड़ रुपनये के मुकाबले राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु दसवीं योजना (2002-2007) आबंटन 27125 करोड़ रुपये है।

विवरण-I

नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान स्वास्थ्य विभाग में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवंटन (निर्मुक्तियां)

(रु० लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मलेरिया	दृष्टि हीनता	कुष्ठ	क्षयरोग	
1	2	3	4	5	
अंदमान और निकोबार द्वीप	777.06	37.32	38.93	36.83	263.03
आन्ध्र प्रदेश	2355.47	2695.04	2137.36	3467.51	5244.17
अरूणाचल प्रदेश	1663.27	96.69	454.13	248.43	539.88
असम	14406.86	520.09	1132.43	1140.60	1550.80
बिहार	2319.21	723.44	4687.62	4835.79	1220.50
छत्तीसगढ़	570.71	582.00	378.34	36.22	129.50
चण्डीगढ़	205.27	48.04	29.29	108.59	448.78
दादरा और नागर हवेली	207.99	25.75	24.42	11.62	76.00
दमन और दीव	101.31	34.35	65.90	11.19	174.22
दिल्ली	382.66	130.98	157.09	777.47	991.00
गोवा	57.70	146.30	34.29	57.64	354.73
गुजरात	2663.95	1211.54	1207.93	4184.73	3146.08
हरियाणा	1215.98	608.74	176.63	837.89	1017.50
हिमाचल प्रदेश	313.00	370.25	298.01	660.37	1229.00
जम्मू-कश्मीर	303.98	359.21	504.77	351.64	471.50
झारखण्ड	561.28	215.30	356.23	54.65	156.00
कर्नाटक	2284.15	1380.39	1507.42	3085.70	2603.47
केरल	450.19	806.30	900.15	3016.48	1880.63

1	2	3	4	5	
लक्षद्वीप	40.65	38.81	24.89	13.70	79.08
मध्य प्रदेश	3666.76	3634.00	3559.96	3210.35	2139.81
महाराष्ट्र	2634.40	3004.40	2197.77	5451.02	5837.65
मणिपुर	2042.60	122.93	462.91	223.62	1870.83
मेघालय	1526.34	192.91	238.79	93.58	437.57
मिजोरम	1610.25	139.99	309.84	51.42	793.70
नागालैण्ड	1264.02	172.18	484.70	150.72	1648.00
उड़ीसा	1981.75	2894.53	3015.39	1982.2	1348.50
पांडिचेरी	64.58	50.37	29.45	147.97	140.50
पंजाब	1363.19	483.66	344.61	1005.67	1125.39
राजस्थान	5794.60	2784.28	941.95	3424.87	1264.50
सिक्किम	33.41	81.67	262.34	59.10	311.02
तमिलनाडु	1362.54	5139.39	1824.56	4101.59	6473.84
त्रिपुरा	2253.74	547.55	225.00	145.75	408.67
उत्तरांचल	23.64	335.00	129.01	15.42	98.00
उत्तर प्रदेश	3460.39	4501.35	5849.68	6862.89	4186.65
पश्चिमी बंगाल	2036.20	787.95	3293.30	6077.89	2577.65
योग :	61999.10	34902.70	37285.09	55939.26	52238.13

x(काला आजार और ई०ए०सी० घटक को निकालकर)

xx(जी०आई०ए० से डी०बी०सी० तथा राज्यीय निर्मुक्तियों सहित)

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन राज्य वार जारी किया गया धन

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बुनियादी ढांचा (नकद + सामग्री)	अन्य कार्यक्रम	कुल निर्मुक्तियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	86887.01	17444.85	104331.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	1757.31	1144.29	2901.60
3.	असम	36843.03	13088.46	49931.49
4.	बिहार	91666.16	8747.54	100413.70
5.	गोवा	1513.15	230.32	1743.47
6.	गुजरात	63150.93	12264.54	75415.47
7.	हरियाणा	21825.04	5648.86	27473.90
8.	हिमाचल प्रदेश	12119.20	2107.69	14226.89
9.	जम्मू-कश्मीर	11571.30	3191.24	14762.54
10.	कर्नाटक	68017.18	20106.96	88124.14
11.	केरल	46551.45	5084.88	51636.33
12.	मध्य प्रदेश	68183.27	12296.28	80479.55
13.	महाराष्ट्र	85782.73	9471.73	95254.46

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	5106.55	1977.76	7084.31
15.	मेघालय	3584.78	710.52	4295.30
16.	मिजोरम	2448.44	2702.19	5150.63
17.	नागालैण्ड	2451.21	781.02	3232.23
18.	उड़ीसा	37771.87	8974.67	46746.54
19.	पंजाब	20460.56	3224.54	23685.10
20.	राजस्थान	73028.71	16916.29	89945.00
21.	सिक्किम	2662.88	411.24	3074.12
22.	तमिलनाडु	85047.69	12806.59	97854.28
23.	त्रिपुरा	7121.63	1414.50	8536.13
24.	उत्तर प्रदेश	177917.52	24367.94	202285.46
25.	पश्चिमी बंगाल	68188.27	17629.71	85817.98
26.	छत्तीसगढ़	5093.50	1277.53	6371.03
27.	झारखण्ड	6970.85	657.43	7628.28
28.	उत्तरांचल	3778.19	698.97	4477.16
	योग (राज्य)	1097500.41	205378.54	1302878.95
	विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1.	पांडिचेरी	1513.90	289.85	1803.75
2.	दिल्ली	9356.89	6999.56	16356.45
	विना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	670.65	225.08	895.73
2.	दादरा और नागर हवेली	271.83	137.57	409.40
3.	चण्डीगढ़	809.83	291.83	1101.66
4.	लक्षद्वीप	145.64	152.93	298.57
5.	दमण और दीव	282.31	159.21	441.52
	योग संघ राज्य क्षेत्र	13051.05	8256.03	21307.08
	महायोग	1110551.46	213634.57	1324186.03

विवरण-II

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	परिव्यय 10वीं योजना 2002-2007
1.	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (मलेरिया, कालाजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस, फाइलेरिया और डेंगू)	1370.00
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	255.00
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	680.00
4.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय यौन संचारित रोग (एस०टी०डी०) नियंत्रण कार्यक्रम	1270.00
5.	राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	445.00
6.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	27125.00

[अनुवाद]

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) का कार्यकरण

309. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का निगमीकरण के पश्चात् वित्तीय कार्यकरण और बिगड़ गया है और वर्ष 2002-2003 में इस पर अनुमानत: 7000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ने की भी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) हालांकि कुल राजस्व वृद्धि की दृष्टि से भारत संचार निगम लिमिटेड के वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट नहीं आयी है, परंतु निगमीकरण के कारण 2002-03 में 6460 करोड़ रुपये का अनुमानित अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है जिसका प्रभाव बी०एस०एन०एल० की विकासात्मक/विस्तार योजनाओं पर पड़ सकता है।

(ख) निगमीकरण के कारण 2002-03 के दौरान निगमित कर, इक्विटी पर लाभांश, अतिरिक्त स्टाफ लागत, उत्पाद शुल्क, लाइसेंसशुल्क, स्पेक्ट्रम प्रभारों, डाक प्रभारों आदि के लिए बी०एस०एन०एल० पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ 6460 करोड़ रुपये बनता है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बी०एस०एन०एल० के गठन के समय सरकार ने निर्णय लिया था कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपायों का एक पैकेज प्रदान किया जायेगा कि सरकार के कहने पर ग्रामीण टेलीफोनी जैसे सामाजिक रूप से वांछनीय परंतु आर्थिक रूप से अलाभकारी क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के कारण बी०एस०एन०एल० की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तदनुसार यह, निर्णय लिया गया था कि बी०एस०एन०एल० को 31.3.04 तक अधिमान्य इक्विटी पर और 31 मार्च, 2002 तक इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश के भुगतान से छूट प्रदान की जाए। बी०एस०एन०एल० को वर्ष 2002-03 और 2003-04 वर्षों के लिए इक्विटी पर देय लाभांश पर 50% और 25% की छूट दी जायेगी। 7500 करोड़ रुपये के सरकारी ऋण के मामले में 31.3.2004 तक मूलधन और ब्याज की अदायगी पर मोरेटोरियम होगा। बी०एस०एन०एल० अपनी सभी खरीदों पर 4% रियायती केन्द्रीय बिक्री कर का पात्र होगा। बी०एस०एन०एल० को पूरे लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना होगा। तथापि, ये राशियां 31.3.2003 तक प्रतिपूर्ति के प्रति समायोजित की जाएगी।

इन रियायतों को ध्यान में रखते हुए, अनुमान है कि 2002-03 के दौरान, निगमीकरण के कारण बी०एस०एन०एल० पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ 3860 करोड़ रुपये होगा। समग्र 10वीं योजना अवधि के लिए वित्तीय बोझ लगभग 40,000 करोड़ रुपये होगा। बी०एस० एन०एल० की कार्यक्षमता पर ऐसे विशाल वित्तीय बोझ के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए तथा विरासत में प्राप्त नेटवर्क का प्रचालन करने अथवा 10वीं योजना के अनुमोदित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बी०एस०एन०एल० की योग्यता पर इसके प्रभाव पर विचार करते हुए, मामले पर फिर से विचार किया जा रहा है और सरकार 10वीं योजना के अंत तक इन रियायतों को देने पर विचार कर रही है ताकि निगमीकरण के कारण बी०एस०एन०एल० के वित्तीय बोझ को कम किया जा सके।

विवरण

2002-03 के दौरान निगमीकरण के कारण अनुमानित अतिरिक्त वित्तीय बोझ

क्रम सं०	मद	राशि करोड़ रुपये में
1	2	3
1.	निगमित कर	550
2.	इक्विटी पर लाभांश	500
3.	अतिरिक्त स्टाफ लागत	1600
4.	उत्पाद शुल्क	50
5.	लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार	2600
6.	डाक प्रभार	80
7.	अवकाश वेतन और पेंशन अशंदान	625
8.	स्पेस सेगमेंट प्रभार	305
9.	अतिरिक्त दरें एवं कर	150
	जोड़	6460

(आई०ई०बी०आर० संशोधित अनुमान 2002-03 के अनुसार)

विदेश मंत्री के विदेश दौरे

310. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त 2002 से नवम्बर 2002 के दौरान उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया;

(ख) इन दौरों का उद्देश्य क्या था;

(ग) इन दौरों का क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या इन दौरों के दौरान किन्हीं द्विपक्षीय संधियों पर हस्ताक्षर किये गये; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) उल्लिखित अवधि के दौरान मैंने निम्नलिखित देशों की यात्रा की :—

(i) ब्रुनी दार-ए-सलाम	(30.7.2002 से 1.8.2002)
(ii) भूटान	(4.8.2002 से 6.8.2002)
(iii) अफगानिस्तान	(10.8.2002 से 12.8.2002)
(iv) नेपाल	(20.8.2002 से 24.8..2002)
(v) बंगलादेश	(24.8..2002 से 25.8.2002)
(vi) दक्षिण अफ्रीका	(1.9..2002 से 4.9.2002)
(vii) अमरीका	(8.9.2002 से 10.9.2002)
(viii) कनाडा	(19.9.2002 से 20.9.2002)
(ix) मलेशिया	(25.9.2002 से 27.9.2002)
(x) जर्मनी	(7.10.2002 से 8.10.2002)
(xi) डेनमार्क	(8.10.2002 से 11.10.2002)
(xii) यू०के०	(12.10.2002 और 30.10.2002 से 1.11.2002)

(xiii) कम्बोडिया (4.11.2002 से 6.11.2002)

(xiv) लाओस (6.11.2002 से 8.11.2002)

(xv) थाईलैंड (8.11.2002)

(xvi) कोरिया गणराज्य (10.11.2002 से 12.11.2002)

(ख) से (ङ) सूचना इस प्रकार है :

ब्रूनी दाद-ए-सलाम

(ख) आसियान क्षेत्रीय मंच की वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक तथा आसियान पश्च-मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनों के सिलसिले में मैंने इस देश की यात्रा की। आसियान पश्च-मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दो प्रकार की बैठकें हैं : आसियान के दस वार्ता भागीदारों के साथ मिलकर आसियान मंत्रियों की बैठक तथा वार्ता भागीदारों के साथ व्यक्तिगत बैठकें। भारत आसियान के 10 वार्ता भागीदारों में से एक है।

(ग) आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्रिस्तरीय बैठक में भागीदारी से भारत एशिया प्रशान्त क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा के महत्वपूर्ण मसले पर अपने विचार व्यक्त करने में समर्थ हो सका। आसियान पश्च-मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में भाग लेना आसियान के साथ चल रही उच्च-स्तरीय वार्ता का एक भाग है और इससे विभिन्न क्षेत्रों के भारत-आसियान संबंधों को सुदृढ़ करने में योगदान मिला।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूटान

(ख) यह द्विपक्षीय परामर्शों के सिलसिले में एक आधिकारिक यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान आपसी हित और चिन्ता के मसलों पर विचार-विमर्श हुआ।

(ग) इस यात्रा से भारत-भूटान संबंधों को और सुदृढ़ बनाने तथा भूटान के नेताओं के साथ सम्पर्कों को नवीकृत करने में सहायता मिली।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अफगानिस्तान

(ख) और (ग) मेरी इस यात्रा का प्रयोजन भारत-अफगानिस्तान संबंधों का विस्तार करना और उन्हें मजबूत बनाना था विशेषकर दोनों देशों के बीच व्यापक राजनीतिक अन्योन्यक्रिया की मौजूदा गति को बनाए रखना है। मेरी यात्रा का उद्देश्य भारत-अफगान द्विपक्षीय सहयोग की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना तथा अफगानिस्तान की पुनर्संरचना की आवश्यकताओं के स्वरूप और सीमा को समझना भी था। एक उद्देश्य एरियना अफगान एअरलाइन्स को एअर इण्डिया के तीन ए 300 बी 4 एअरक्राफ्ट में से पहला एअरक्राफ्ट सौंपना भी था।

इस यात्रा के दौरान मैंने अफगान नेतृत्व के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की जिनमें परिवर्तनीय अफगानिस्तान इस्लाम राज्य के राष्ट्रपति श्री हामिद करजई, विदेश मंत्री डा० अब्दुला अब्दुला, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री मार्शल फाहिम और शिक्षा मंत्री डा० यूनूस कानूनी शामिल हैं। मैंने अफगानिस्तान के भूतपूर्व नरेश से भी भेंट की। मैंने कान्धार, मजार-ए-शरीफ तथा हेरात के प्रान्तों का भी दौरा किया जहां मैंने इन प्रान्तों के प्रान्तीय नेताओं से मुलाकात की।

इस यात्रा के दौरान मैंने हबिबिया स्कूल तथा इन्दिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान के पुनर्निर्माण के लिए 4-4 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाल

(ख) और (ग) मैंने काठमाण्डु में 20 से 23 अगस्त तक सार्क मंत्रियों की परिषद के 23वें सत्र में भाग लिया। 23 और 24 अगस्त की इस द्विपक्षीय यात्रा से भारत और नेपाल की बीच परम्परागत रूप से घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों को नवीकृत किया गया तथा यह दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान का एक भाग है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेश

(ख) इस सद्भावना यात्रा के दौरान मैंने बंगलादेश की प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति जामिररूद्दीन सरकार, विपक्ष की नेता शेख हसीना और वित्त मंत्री श्री सैकुर रहमान से मुलाकात की तथा बंगलादेश के विदेश मंत्री से विस्तृत बातचीत की।

(ग) यह यात्रा उस घनिष्ठ राजनैतिक अन्योन्यक्रिया की एक भाग है जो भारत उच्च-स्तरीय अन्योन्यक्रियाओं के जरिए बंगलादेश सहित अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ संवर्धित करता है। इस यात्रा के दौरान मैंने 40 टैरिफ लाइनों के 16 उत्पाद समूहों पर बंगलादेश के निर्यात हित के चयनित मदों पर एकपक्षीय टैरिफ रिआयत देने की घोषणा की।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

दक्षिण अफ्रीका

(ख) और (ग) मैंने जोहन्सबर्ग में सम्पन्न स्थायी विकास से सम्बद्ध विश्व शिखर-सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय शिष्टमंडल

का नेतृत्व किया। इस शिखर-सम्मेलन में उपस्थित सभी देशों द्वारा एक कार्य क्रियान्वयन और राजनीक घोषणा पारित की गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

अमरीका

(ख) भारत-अमरीकी संबंधों को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया को जारी रखने एवं न्यूयार्क में 12 सितम्बर, 2002 को हमारे प्रधानमंत्री की अमरीकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कराने की तैयारी के सिलसिले में यात्रा की।

(ग) दोनों पक्ष भारत-अमरीकी संबंधों को परिवर्तित करने की चल रही प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमत हुए। वे विशेष रूप से अपने-अपने संबंधों की सामरिक रूपरेखा को सुदृढ़ बनाने, रक्षा सहयोग को और व्यापक बनाने, क्षेत्रीय तथा सार्वभौम संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर परामर्शों बढ़ाने, और नागरिक अन्तरिक्ष, नाभिकीय ऊर्जा एवं उच्च-प्रौद्योगिकी सहयोग में प्रगति करने के तौर-तरीकों की खोज-बीन करने पर सहमत हुए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कनाडा

(ख) सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना।

(ग) दोनों पक्ष राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग व्यापक बनाने पर सहमत हुए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेशिया, कम्बोडिया, लाओस और थाईलैंड

(ख) मैंने भारत-मलेशिया संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक के सिलसिले में मलेशिया की यात्रा की। 5 नवम्बर, 2002 को नामपेह में सम्पन्न प्रथम आसियान भारत शिखर-सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रधानमंत्री के शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में 6 से 8 नवम्बर, 2002 तक वियनताने (लाओ लोक जनतांत्रिक गणराज्य) की द्विपक्षीय यात्रा तक 8 नवम्बर, 2002 को बैंकाक में पारगमन प्रवास करके कम्बोडिया, लाओ ल्मेक जनतांत्रिक गणराज्य और थाईलैंड की यात्रा की।

(ग) मलेशिया, कम्बोडिया, लाओ लोक जनतांत्रिक गणराज्य और थाईलैंड की यात्रा के दौरान इन देशों के नेताओं के साथ चर्चा हुई जिससे आसियान तथा उपर्युक्त चार देशों के साथ भारत के संबंधों को और विस्तारित करने में सहायता मिलेगी।

(घ) और (ङ) कम्बोडिया और लाओ में निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर हुए :

कम्बोडिया :

- व्यापार करार;
- 10 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण करार;
- भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अंकुर पुरातत्व पार्क के अपसारा संरक्षण प्राधिकरण के बीच एक समझौता-ज्ञापन; तथा
- आई०आई०टी०, बम्बई और कम्बोडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच एक गैर-सरकारी करार।

लाओस

- रक्षा सहयोग से सम्बद्ध करार;
- नशीली दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों एवं उससे सम्बद्ध मामलों में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाना और गैर-कानूनी व्यापार को रोकना;
- राजनयिक तथा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट से सम्बद्ध करार; और
- 10 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का करार।

जर्मनी

(ख) और (ग) इस द्विपक्षीय यात्रा के दौरान मैंने जर्मनी के विदेश मंत्री जोसका फिशर के साथ मुलाकात की।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

डेनमार्क

(ख) भारत-यूरोपीय संघ के तीसरे वार्षिक शिखर-सम्मेलन और प्रधानमंत्री स्तर पर द्विपक्षीय शिखर-सम्मेलन के लिए सरकारी शिष्टमंडल के भाग के रूप में मैं प्रधानमंत्री के साथ गया। इस शिखर-सम्मेलन के दौरान 10 अक्तूबर को भारत-यूरोपीय संघ त्रिकोटा मंत्रिस्तरीय द्विवार्षिक बैठक में मैंने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। इससे पहले 8-9 अक्तूबर को मैंने सी०आई०आई०, फिक्की और डेनिस वाणिज्य मंडल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित तीसरे भारत-यूरोपीय संघ व्यवसाय शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

(ग) तीसरे भारत-यूरोपीय संघ शिखर-सम्मेलन स्तरीय अन्योन्यक्रियाओं से यूरोपीय संघ के साथ हमारी सामरिक भागीदारी को नवीकृत करने का अवसर मिला। भारत-यूरोपीय मंत्रिस्तरीय त्रिकोटा द्विवार्षिक बैठक से यूरोपीय संघ को हमारे राजनीतिक तथा सामरिक चिन्ताओं के संबंध में अवगत कराने का अवसर मिला। तीसरे भारत-यूरोपीय संघ व्यवसाय शिखर-सम्मेलन में मैंने सारगर्भित उद्घाटन भाषण दिया। इस

यात्रा के द्विपक्षीय भाग से हमारे द्विपक्षीय तथा राजनीतिक आर्थिक संबंधों को बल मिला।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

यू०के०

(ख) और (ग) 12 अक्तूबर, 2002 को यू०के० के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर के साथ मुलाकत के सिलसिले में मैं प्रधानमंत्री के साथ गया। नई दिल्ली घोषणा के कार्यान्वयन के संदर्भ में भारतीय पक्ष ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। आर्थिक संबंधों को संवर्धित करने की आवश्यकता पर सहमति हुई। चर्चाओं में आपसी हित-चिन्ता की क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं भी शामिल थीं।

द्विपक्षीय यात्रा और राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्यदल की बैठक के लिए मैं 30 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2002 तक यू०के० की यात्रा पर गया। मैंने यू०के० के विदेश मंत्री जाक स्ट्राव के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्यदल की बैठक में भाग लिया। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा सहमत क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। राष्ट्रमंडल बैठक ने राष्ट्रमंडल की परिषद से पाकिस्तान के निलम्बन को जारी रखने का निर्णय लिया।

(ग) भारतीय पक्ष ने नई दिल्ली घोषणा के कार्यान्वयन के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। आर्थिक संबंधों को संवर्धित करने की आवश्यकता पर सहमति हुई। चर्चाओं में आपसी हित-चिन्ता की क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं की शामिल थीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

कोरिया गणराज्य

(ख) और (ग) सियोल में सम्पन्न लोकतांत्रिक समुदाय के सम्मेलन में भाग लिया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

राजस्थान में डाकघर

311. **डा० जसवंतसिंह यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जिलावार कितने डाकघरों की स्वीकृति प्रदान की गई और कितने नये डाकघर खोले गये;

(ख) जिलेवार कितनी ग्राम पंचायतों में शाखा डाकघर नहीं हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राजस्थान में सभी ग्राम पंचायतों में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य के लिए संस्वीकृत तथा वहां खोले जा चुके डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) शाखा डाकघर रहित ग्राम-पंचायतों की जिलावार संख्या शून्य है।

(ग) राजस्थान राज्य सहित देश के सभी ग्राम पंचायत गांवों में डाक के दैनिक वितरण एवं संग्रहण तथा डाक लेखन सामग्री एवं डाक-टिकटों की बिक्री की डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में संस्वीकृत एवं वहां खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या

जिला	वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-2001		वर्ष 2001-2002	
	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ
1	2	3	4	5	6	7
सिरोही	1		1			2
जयपुर		1	1		1	1
दौसा		2		1		
अलवर		1		1	1	1
सवाईमाधोपुर		1		1		
धौलपुर		1				
झुंझुनू		2		1		
जोधपुर		1		1		2
श्रीगंगानगर		1		2		1
सीकर		4		1		
पाली		1				1
बाड़मेर		2				
उदयपुर		2		1	1	2
चित्तौड़गढ़		3		2	1	2
टोंक		1		1		
बांसवाड़ा		1		1		1

1	2	3	4	5	6	7
भरतपुर				1		1
भीलवाड़ा				2		2
डुंगरपुर				1		1
चूरु				2		
बीकानेर				1		
जालोर						2
हनुमानगढ़						1
कुल	1	24	2	20	4	20

एस०ओ० : उप डाकघर

बी०ओ० : शाखा डाकघर

[हिन्दी]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम में शोधन

312. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :**
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रैक्टिस के उद्देश्य से होम्योपैथी डिप्लोमा को मान्य अर्हता के रूप में शिक्षा के न्यूनतम मानक के रूप में शामिल करने के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और होम्योपैथी में उच्च शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पहले ही बंद किया जा चुका है। 1983 से पहले से डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्तियों को कतिपय सेवा लाभों के लिए डिग्रीधारियों के बराबर माना गया था। डिप्लोमाधारियों को डिग्री प्राप्त करने में सहायता देने के लिए ग्रेडिड डिग्री पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया था। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध आदि अन्य पद्धतियों में भी डिप्लोमा पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है।

स्नातकोत्तर शिक्षण की अनुमति सात विषयों में दी गई है।

[अनुवाद]

विवेकाधीन कोटे के तहत टेलीफोन कनेक्शन

313. **श्री भीम दाहाल** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2001-2002 और 2003 के दौरान सिक्किम सहित उत्तरपूर्वी राज्यों द्वारा विवेकाधीन कोटे के तहत टेलीफोन कनेक्शन के लिए केन्द्र सरकार को प्राप्त आवेदन पत्रों की जिलेवार संख्या क्या है;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं और वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन देने में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक लम्बित आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये जायेंगे ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) विवेकाधीन कोटा, कैलेण्डर वर्ष के आधार पर आबंटित किया जाता है। वर्ष 2001 और 2002 (31.10.2002 तक) के दौरान विवेकाधीन कोटे के तहत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की दूरसंचार जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2003 के लिए कोटा 1.1.2003 को अथवा इसके बाद जारी किया जा सकता है।

(ख) 2331 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं और इस समय 349 आवेदन लंबित हैं और शेष रद्द कर दिए गए हैं।

(ग) क्षेत्रों में तकनीकी अव्यवहार्यता के कारण आवेदन लंबित हैं।

(घ) 31.3.2002 तक उत्तरोत्तर रूप से।

विवरण

विवेकाधीन कोटे के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	दूरसंचार जिले का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या		
			2001	2002 (31.10.02 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	सिक्किम	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
2.	असम	कामरूप	303	69	372
		डिबरूगढ़	34	20	54
		सिलचर	44	17	61

1	2	3	4	5	6
		जोरहाट	180	86	266
		बोंगईगांव	261	169	430
		तेजपुर	56	42	98
		नवगांव	130	126	256
3.	मेघालय	मेघालय	7	5	12
4.	मिजोरम	मिजोरम	199	62	261
5.	त्रिपुरा	त्रिपुरा	204	151	355
6.	मणिपुर	मणिपुर	296	237	533
7.	नागालैण्ड	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
8.	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
			जोड़		2697

[हिन्दी]

शिशु मृत्युदर/टीकाकरण कार्यक्रम

314. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बढ़ती शिशु मृत्युदर के मुख्य क्या कारण हैं;

(ख) क्या देश में सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से टीकाकरण कार्यक्रम लागू नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कोई नये ठोस कदम उठाये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) नवजात मृत्युदर के मुख्य कारण तीव्र श्वसनी संक्रमण अतिसार, खसरा और टेटनस हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन कुछ कार्यकलापों के परिणामस्वरूप नवजात मृत्युदर 1984 की 104 से घटकर 2000 में 60 हो गई, यह कमी 35% है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन देश में 6 वैक्सीन निवार्य रोगों नामत: टेटनस, डिपिथिरिया, कालीखांसी, क्षयरोग, पोलियोमाइलाइटिस और खसरे के प्रति सभी नवजात शिशुओं के लिए वैक्सीनें उपलब्ध हैं।

(घ) से (च) बच्चों की पोषणिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :– केवल स्तनपान को बढ़ावा, उपयुक्त अनुपूरक पोषक परिपाटियां एकीकृत बाल विकास स्कीम, जिसके अधीन युवा बच्चों और गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म पोषक अल्पता के लिए निरोधक के रूप में विटामिन-ए और आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों का प्रावधान।

[अनुवाद]

हाई स्पीड ऑप्टीकल फाइबरयुक्त दूरसंचार अवसंरचना

315. श्री अम्बरीश : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में हाई स्पीड ऑप्टीकल फाइबरयुक्त दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के संबंध में निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार अवसंरचना के क्षेत्र में कर्नाटक में कितने किलोमीटर के क्षेत्र में हाई स्पीड ऑप्टीकल फाइबर लाइन बिछायी गयी और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) हाई स्पीड ऑप्टीकल फाइबर दूरसंचार अवसंरचना संस्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार से अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) कर्नाटक में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑप्टीकल फाइबर दूरसंचार अवसंरचना स्थापित करने के लिए भारत संचार निगम लि० द्वारा पूरे किए गए रूट किलोमीटर (आर०के०एम०) और इस पर हुए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

रूट कि०मी०	व्यय
25,480 रूट कि०मी०	469.00 करोड़ रुपये

कोची में कंटेनर ट्रांसशिपमेन्ट टर्मिनल

316. श्री पी०सी० थामस : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोची में वल्लरपदम में स्थित कंटेनर ट्रांसशिपमेन्ट टर्मिनल एक क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में देखा जाता है जहां से कोंकण

रेलवे के माध्यम से कंटेनरों को देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यहां कितने कंटेनरों को भेजने की अपेक्षा की जाती है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वल्लरपदम को राष्ट्रीय राजमार्ग-47, राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और राष्ट्रीय राजमार्ग-69 से जोड़ने हेतु कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस परियोजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुकरसर) : (क) जी, हां। कोचीन में वल्लारपदम में स्थित कंटेनर ट्रांशिपमेंट टर्मिनल को एक क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां विशेषत: भारतीय रेलवे और कोंकण रेलवे के जरिए भारत के विभिन्न भागों से कंटेनरों का अत्यधिक आवागमन होता है।

(ख) विकास के विभिन्न चरणों में कंटेनरों का संभावित आवागमन इस प्रकार है :–

चरण	न्यूनतम	अधिकतम
चरण-1 (2008)	5,08,000 टी०ई०यू०	7,43,000 टी०ई०यू०
चरण-2 (2013)	7,51,000 टी०ई०यू०	10,00,000 टी०ई०यू०
चरण-3 (2018)	10,00,000 टी०ई०यू०	10,00,000 टी०ई०यू०

(ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-47 और राष्ट्रीय राजमार्ग-17 से वल्लारपदम की सड़क संपर्क के लिए साध्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली है। इससे रा०रा०-17/रा०रा० 47 के जरिए रा०रा०-49 से भी संपर्क सुनिश्चित हो जाएगा।

(घ) इस सड़क संपर्क की कुल लम्बाई लगभग 15.3 कि०मी० है और इसमें चार लेन होंगी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 230 करोड़ रु० है।

(ङ) और (च) राजमार्ग संपर्क परियोजना का कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना है कि इसको वल्लारपदम परियोजना चालू होने से पहले ही शुरू कर दिया जाएगा।

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

317. **श्री पी०आर० किन्डिया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विभिन्न राज्यों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता आबंटित करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेघालय सरकार ने मेघालय स्वयंसेवी स्वास्थ्य एसोसिएशन, शिलांग को राज्य में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आरंभ करने हेतु 5,20,000/- रुपये की धनराशि आबंटित करने की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान के लिए मंत्रालय ने 79 गैर सरकारी संगठनों का चयन किया है।

(ग) जी हां। इस मंत्रालय को 28.2.2002 को सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान के लिए मैसर्स वालन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, शिलांग, मेघालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) और (ङ) जी, हां। उक्त गैर सरकारी संगठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया क्योंकि यह न केवल अधूरा था बल्कि यह स्कीम के मार्गनिर्देशों के अनुसार भी नहीं था।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन

318. **श्री वी०एम० सुधीरन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के हरिपद-कयमकुलम, चेन्थला-अलपुझा और अलपुझा-हरिपद जैसे मार्गों को चार लेनों वाला बनाने की आवश्यकता से परिचित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) रा०रा० 47 के हरिपद-कयमकुलम, चेन्थला-अलपुझा और अलपुझा-हरिपद खंडों को चार लेन का बनाने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाना

319. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली पासपोर्ट की समस्या से निपटने और अपराधियों को पासपोर्ट हासिल न हो सके इस उद्देश्य से सरकार का पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पासपोर्टों पर मशीन द्वारा लिखाई की एक योजना आरंभ की है जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ को स्कैन करके छापा गया है जिससे धोखाधड़ी अत्यन्त कठिन हो गई है। पासपोर्ट पुस्तिकाओं में नई सुरक्षा विशेषताएं भी जोड़ी गयी हैं जिससे कि धोखाधड़ी की पहचान की जा सके। इसके अतिरिक्त स्पष्ट पुलिस जांच रिपोर्टों के बिना नये (पहली बार) पासपोर्ट जारी नहीं किये जा रहे हैं। पासपोर्ट जमा करने के चरण में ही दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच किये जाने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों को अनुदेश जारी किये गये हैं। देश में सभी पासपोर्ट फाइलों को स्केन करने की एक परियोजना आरंभ की गयी है। इससे यह संभव होगा कि जब कभी नकली पासपोर्टों का पता चलता है तो फाइलें तत्काल उपलब्ध हो जाएंगी।

बिहार में चिकित्सा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाना

320. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और पटना मेडिकल कॉलेज का दर्जा बढ़ाकर उसे दिल्ली के अखिल-भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के समान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार कब तक इन दोनों उपरोक्त संस्थाओं को अधिगृहीत कर इनका दर्जा बढ़ा देगी; और

(घ) सरकार द्वारा बिहार में अन्य मेडिकल कालेज/अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) सरकार को राज्य सरकारी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु बिहार राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्हें मूंजर करना स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा प्रस्तावों के तकनीकी मूल्यांकन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनसंख्या वृद्धि दर

321. श्री नामदेव हरबाजी दिवाये :
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है;

(ख) सरकार द्वारा "छोटा परिवार" कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये गया/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) वर्ष 2000 की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार जनसंख्या की सहज वृद्धि दर जो उन स्थायी जन्म दर और अस्थायी मृत्युदर में अन्तर है, संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अनुसार छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक और प्रेरणात्मक उपायों को शामिल किया गया है और वे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए/करने हेतु प्रस्तावित उपाय इस प्रकार हैं :–

× प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य और गर्भनिरोधन शामिल हैं, के लिए एक एकीकृत और समग्रतावादी कार्यक्रम चल रहा है।

× सरकार ने फरवरी, 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति स्वीकार की है जिसमें परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में समुदाय को शामिल करके जनसंख्या स्थिरीकरण करने के लिए एक अन्त:क्षेत्रीय कार्यसूची की व्यवस्था है।

× राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का एक उद्देश्य स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य कार्मिकों और गर्भनिरोधन की पूरी न हुई जरूरतों को पूरा करना और बुनियादी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एकीकृत सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करना है।

× जनांकिकीय रूप से कमजोर आठ राज्यों में कवरेज और सेवाओं की आऊटरीच में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त कार्यदल का गठन किया गया है।

× कार्यक्रम में पुरूषों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए बिना चीरे बिना टांके की नसबन्दी को बढ़ावा दिया जाता है।

विवरण-I

सहज वृद्धि दर

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000×
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.31
2.	असम	1.73
3.	बिहार	2.31
4.	गुजरात	1.77
5.	हरियाणा	1.94
6.	कर्नाटक	1.42
7.	केरल	1.15
8.	मध्य प्रदेश	2.10
9.	महाराष्ट्र	1.34
10.	उड़ीसा	1.38
11.	पंजाब	1.42
12.	राजस्थान	2.28
13.	तमिलनाडु	1.13
14.	उत्तर प्रदेश	2.25
15.	पश्चिमी बंगाल	1.36
16.	अरूणाचल प्रदेश	1.63
17.	छत्तीसगढ़	1.71
18.	दिल्ली	1.52
19.	गोवा	0.69
20.	हिमाचल प्रदेश	1.49
21.	जम्मू कश्मीर	1.34
22.	झारखण्ड	1.75
23.	मणिपुर	1.27
24.	मेघालय	1.93
25.	मिजोरम	1.17
26.	नागालैण्ड	0.00
27.	सिक्किम	1.61
28.	त्रिपुरा	1.11
29.	उत्तरांचल	1.33
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.40
31.	चंडीगढ़	1.36
32.	दादरा और नागर हवेली	2.71
33.	दमण और दीव	1.71
34.	लक्षद्वीप	2.01
35.	पांडिचेरी	1.13
	अखिल भारत	1.73

×जन्म दर – मृत्यु दर

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति

विवरण-II

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाने के लिए कुछ सवर्धनात्मक और प्ररणात्मक उपाय करने की बात सोची गई है। सरकार द्वारा लघु परिवार कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :–

(1) छोटे परिवार के मानदंड का व्यापक प्रचार करने, शिशु मृत्यु-दर और जन्मदर में कमी लाने और प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी कराकर साक्षरता को बढ़ावा देने में अनुकरणीय कार्य-निष्पादन के लिए पंचायतों और जिला परिषदों को मान्यता दी जायेगी और उन्हें सम्मानित किय जाएगा।

(2) बालिका की जीवन-रक्षा और परिचर्या को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली बालिका समृद्धि योजना चलती रहेगी। 1 या 2 जन्म क्रम में बालिका के जन्म पर 500 रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(3) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली मातृत्व लाभ योजना चलती रहेगी। 19 वर्ष की आयु के बाद मां बनने वाली महिलाओं को सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। भविष्य में नकद पुरस्कार के संवितरण को प्रसव-पूर्व जांच, प्रशिक्षित जन्म परिचर द्वारा संस्थागत प्रसव, जन्म के पंजीकरण और बी०सी०जी० टीकाकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(4) परिवार कल्याण से सम्बद्ध एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पत्ति, जो बंध्यकरण करा लेते हैं और जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे नहीं हैं, 5000 रुपये तक के (बच्चों सहित) स्वास्थ्य बीमा (अस्पताल में भर्ती होने) के लिए और बंध्यकरण कराने वाले पति/पत्नी के लिए एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, के पात्र होंगे।

(5) गरीबी रेखा के नीचे वाले वे दम्पत्ति, जो विवाह की कानूनी, आयु के बाद विवाद करते हैं, जो विवाह का पंजीकरण कराते हैं, जिनका पहला बच्चा मां की 21 वर्ष की आयु के बाद पैदा होता है, जो छोटे परिवार के मानदंड को स्वीकार करते हैं, जो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन का स्थायी (टर्मिनल) तरीका अपनाते है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा।

[अनुवाद]

एअर इंडिया (ए०आई०) और इंडियन एयर लाइंस (आई०ए०) में खेलकूद कोटा

322. **श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के पश्चात् एअर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस में खेलकूद कोटा से वर्ष-वार कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खेलकूद कोटे के अंतर्गत कितनी रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरा गया; और

(ग) खेलकूद कोटा से कितने प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की गयी/पदोन्नति की गयी ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या

323. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य-वार, विशेषकर गुजरात में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं में राज्य-वार कितने लोग मारे/घायल हुए;

(ग) क्या सरकार का विचार इन दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिवाइडर्स बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चार अथवा अधिक लेन वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभाजकों का निर्माण किया जा रहा है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा के लिए किए गए उपायों में राजमार्गों को चौड़ा करना व सुदृढ़ीकरण, सड़क सतह का सुधार, कमजोर और संकरे पुलों का पुनर्निर्माण, बाइपासों का निर्माण, ज्यामिति सुधार, पार्किंग स्थल की व्यवस्था, चौराहा सुधार, पूर्व परावर्तक सड़क संकेतों की व्यवस्था, थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नांकन आदि शामिल हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दुर्घटनाओं की कुल संख्या			मारे गए व्यक्तियों की संख्या			घायल व्यक्तियों की संख्या		
		1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8518	7203	8626	3273	2539	2815	10181	8590	10312
2.	अरूणाचल प्रदेश	53	70	93	13	11	23	72	115	अनुपलब्ध
3.	असम	1754	1889	1927	848	808	824	2938	3329	3016
4.	बिहार	1899	2127	अनुपलब्ध	842	727	अनुपलब्ध	1510	1299	अनुपलब्ध
5.	छत्तीसगढ़	—	2096	अनुपलब्ध	—	363	अनुपलब्ध	—	1792	अनुपलब्ध
6.	गोवा	887	1091	1149	96	110	112	504	717	925
7.	गुजरात	7758	1813	6738	1241	1973	1275	7275	15249	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हरियाणा	2779	2765	3033	1137	1150	1178	3047	3153	2893
9.	हिमाचल प्रदेश	829	709	1001	209	159	277	1121	1157	अनुपलब्ध
10.	जम्मू-कश्मीर	2112	2328	अनुपलब्ध	360	320	अनुपलब्ध	2066	2904	अनुपलब्ध
11.	झारखंड	—	1419	1392	—	493	677	—	1263	1350
12.	कर्नाटक	9162	9605	अनुपलब्ध	2015	2185	अनुपलब्ध	10821	11431	अनुपलब्ध
13.	केरल	7596	8512	10095	876	945	1114	8782	11801	अनुपलब्ध
14.	मध्य प्रदेश	6783	5611	अनुपलब्ध	1480	1266	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15.	महाराष्ट्र	15343	16150	अनुपलब्ध	3181	3445	अनुपलब्ध	12624	12266	अनुपलब्ध
16.	मणिपुर	214	217	208	73	56	45	375	363	416
17.	मेघालय	159	186	235	78	66	63	219	129	254
18.	मिजोरम	36	31	52	16	33	43	49	31	अनुपलब्ध
19.	नागालैंड	57	35	54	13	33	23	50	70	105
20.	उड़ीसा	2651	2784	2657	869	951	840	3701	3474	अनुपलब्ध
21.	पंजाब	1223	1268	1256	887	823	861	1096	1020	अनुपलब्ध
22.	राजस्थान	6778	6718	7465	2313	2312	2455	7996	8341	9621
23.	सिक्किम	33	29	अनुपलब्ध	10	8	अनुपलब्ध	68	96	अनुपलब्ध
24.	तमिलनाडु	16329	18615	19881	3639	4362	4407	14706	20146	अनुपलब्ध
25.	त्रिपुरा	242	184	202	86	41	74	399	297	अनुपलब्ध
26.	उत्तरांचल	—	236	469	—	142	321	—	203	अनुपलब्ध
27.	उत्तर प्रदेश	6442	6198	अनुपलब्ध	3700	3418	अनुपलब्ध	4809	4362	अनुपलब्ध
28.	पश्चिमी बंगाल	2615	2443	2791	1069	1026	1389	2645	3142	अनुपलब्ध
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
30.	चंडीगढ़	56	62	45	21	22	अनुपलब्ध	48	59	अनुपलब्ध
31.	दादरा और नागर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
32.	दमन और दीव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
33.	दिल्ली	1153	1277	1123	296	330	268	650	1013	अनुपलब्ध
34.	लक्षद्वीप	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
35.	पांडिचेरी	378	537	595		99	2	375	552	अनुपलब्ध
	जोड़	103839	110508	71087 अनंतिम	28713	30216	19086 अनंतिम	98427 अनंतिम	118364 अनंतिम	28892 अनंतिम

इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार

324. **श्री विजय हान्दिक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इंटरनेशनल अन्डरस्टैंडिंग के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार को रोक के रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय समझबूझ के लिए जवाहर लाल नेहरू अवार्ड विश्व के लोगों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समझ बूझ सद्भावना और मैत्री के संवर्द्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लगातार दिया जाने वाले अवार्ड है। अवार्ड के लिए चयन भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र जूरी के द्वारा किया जाता है। जिसमें भारत के माननीय उप राष्ट्रपति और भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति शामिल होते हैं।

वर्ष 1995 से कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। इस सम्मानजनक अवार्ड को नियमित करने की दृष्टि से इस मामले का प्रशासनिक रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है।

बच्चों में गुर्दे की समस्या

325. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में बच्चों में गुर्दे की बीमारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसका राज्य-वार क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को ऐसा रूझान दर्शाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला जाना

326. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य सरकारों से आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों का कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) क्रियाविधि के अनुसार आयुर्वेद में पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् का अनुमोदन लेना होता है।

विवरण

आयुर्वेदिक कॉलेजों की राज्य-वार सूची

क्रम सं०	राज्य	कॉलेज
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	04
2.	असम	01
3.	बिहार	11
4.	छत्तीगढ़	01
5.	चंडीगढ़	01
6.	दिल्ली	01
7.	गोवा	01
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	06
10.	हिमाचल प्रदेश	01
11.	जम्मू-कश्मीर	01
12.	झारखंड	01
13.	कर्नाटक	46
14.	केरल	10
15.	मध्य प्रदेश	14
16.	महाराष्ट्र	59
17.	उड़ीसा	06
18.	पंजाब	11

1	2	3
19.	राजस्थान	04
20.	तमिलनाडु	06
21.	उत्तर प्रदेश	12
22.	उत्तरांचल	03
23.	पश्चिमी बंगाल	03
	योग	213

[अनुवाद]

शिक्षण संस्थाओं को कम्प्यूटर

327. **श्रीमती कान्ति सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में शिक्षण संस्थाओं को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कम्प्यूटरों को लगाने हेतु प्रत्येक राज्य में अधिकृत एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अन्तर्गत कंप्यूटर केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में लगाए जा सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद के साथ-साथ दिशा-निर्देशों में, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फर्नीचर खरीदने और दो कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण, की व्यवस्था करने की अनुमति है।

(घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कंप्यूटरों का लगाया जाना शामिल करते हुए कार्यों के लिए कार्यकारी अभिकरण के संबंध में निर्णय, संबंधित जिलाध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52

328. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में लखीमपुर शहर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 का मार्ग बदलने संबंधी कोई परियोजना प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या उक्त परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है और इसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को लागू करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर 398 कि०मी० से 400 कि०मी० तक सड़क खंड का प्रस्ताव छोड़ देने के बाद वैकल्पिक सड़क के निर्माण का प्रस्ताव असम सरकार ने किया है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 की लंबाई में लगभग 24 कि०मी० तक बढ़ोत्तरी के कारण प्रस्ताव की खामियों और काफी भूमि के अधिग्रहण की समस्या को ध्यान में रखते हुए उसे व्यावहारिक नहीं माना गया।

सेतुसमुद्रम नहर परियोजना की स्थिति

329. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए धनराशि कब आबंटित किए जाने की संभावना है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुकरसर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर को तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है जिसे मई, 2003 तक पूरा किया जाना है। परियोजना संबंधी अनुमान इस समय तैयार नहीं किया जा सकता है।

चंडीगढ़ में युवा विकास केन्द्र

330. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ-राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में वर्तमान में काम कर रहे युवा विकास केन्द्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा चलायी गयी गति-विधियां क्या हैं और उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में अभी तक कोई भी युवा विकास केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

स्वतंत्रता सेनानियों की निजी वस्तुओं को भारत वापस लाया जाना

331. **श्री मोहन रावले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की निजी वस्तुओं को पाकिस्तान से वापस भारत लाने के लिये वहां की सरकार के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने पाकिस्तान सरकार से शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू की निजी वस्तुएं लौटाने का आग्रह किया है। तथापि पाकिस्तान सरकार ने सूचित किया है कि संबंधित प्राधिकारियों ने वस्तुओं को ढूंढने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है क्योंकि जिस जेल में शहीद भगत सिंह और अन्य व्यक्तियों को 1931 में फांसी दी गई थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया था और अस्थायी प्रकृति के सभी अभिलेख नष्ट कर दिए गए थे।

मोटर यान अधिनियम

332. **श्री रामजी मांझी** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाये गये अनेक गति अवरोधकों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर से उन गति अवरोधकों को घटाने के लिये क्या कार्रवाई की गयी है या किये जाने का प्रस्ताव है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय की नीति के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधकों की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, उन स्थानों पर रम्बल स्ट्रिप की व्यवस्था की जा सकती है जहां गति नियंत्रण अपरिहार्य है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी गति अवरोधक हटाएं और जहां आवश्यक हो उनके स्थान पर उपयुक्त संकेत और चिह्नांकन युक्त रम्बल स्ट्रिप की व्यवस्था की जाए।

[हिन्दी]

गुजरात में डाक सेवाएं

333. **श्री मानसिंह पटेल** :
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में घटियास्तर की डाक सेवाओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) शिकायतें किस तरह की थीं;

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बरती गई किसी लापरवाही की जानकारी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और की गई कार्रवाई का क्या निष्कर्ष निकला ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में डाक-सेवाओं के मानक स्तर से निम्न पाए जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2000-2001	542
2001-2002	445

(ख) शिकायतें प्रमुख रूप से डाक वितरण तथा मनीआर्डरों के वितरण में देरी, वस्तुओं के खो जाने, स्रोत पर आयकर की कटौती, टेलीफोन बिलों को स्वीकार करने से मना करने, किसान विकास पत्रों व रसीदी टिकट की कमी, डाक मदों की अनियमित वापसी व शुल्क लगाने तथा कर्मचारियों के अशिष्ट व्यवहार से संबंधित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) शिकायत के 27 मामलों में अपराध की गंभीरता के आधार पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सी०सी०एस० (सी०सी०ए०) नियमावली 1965 तथा सी०सी०एस० (आचरण) नियमावली 1964 के अनुसार कार्रवाई की गई व चेतावनी, परिनिन्दा, वेतनवृद्धि रोकना, कर्मचारियों का निलंबन, वेतन के समयमान में कटौती तथा निम्नतर ग्रेड देने जैसे विभिन्न प्रकार के दण्ड दिए गए।

झारखंड/बिहार में सड़कों का विकास

334. प्रो० दुखा भगत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 2001 से अक्तूबर, 2002 तक झारखंड/बिहार सरकार द्वारा नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने, बाई पास का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के लिये भेजे गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) झारखंड और बिहार राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्य, बाइपास के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने और उन पर पुलों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

जहां तक राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने का प्रश्न है, राज्यीय राजमार्गों की राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रस्ताव नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर समीक्षा हेतु जून, 2002 में वापस कर दिए गए हैं। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, सरकार प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात् यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

विवरण-I

झारखंड और बिहार राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्य, बाइपास के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने और उन पर पुलों से संबंधित ब्यौरे

(क) झारखंड

क्र० सं०	विवरण	प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव		टिप्पणियां
		संख्या	धनराशि (करोड़ रु०)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु०)	
1.	नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्य	15	28.21	07	14.85	शेष प्रस्तावों पर अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।
2.	बाइपास का निर्माण	कुछ नहीं	–	कुछ नहीं	–	राज्य सरकार द्वारा रांची बाइपास का सर्वेक्षण और जांच तथा परियोजना तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।
3.	चार लेन बनाना	कुछ नहीं	–	कुछ नहीं	–	रा०रा० 33 को बरही से रांची तक चार लेन का बनाने के लिए परियोजना तैयार की जा रही है। रा०रा० 33 के बरही से बहरागोरा खंड, रा०रा० 23 के रामगढ़ से चास खंड और रा०रा० 32 के चास से धनबाद खंड को चार लेन का बनाने का कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को सबसे पहले बी०ओ०टी० आधार पर परियोजना की व्यावहारिकता की जांच के लिए साध्यता अध्ययन करने की सलाह दी गई है।
4.	पुलों का निर्माण	05	11.88	03	7.86	शेष प्रस्तावों पर अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

विवरण-II

(ख) बिहार

क्र० सं०	विवरण	प्राप्त प्रस्ताव		स्वीकृत प्रस्ताव		टिप्पणियां
		संख्या	धनराशि (करोड़ रु०)	संख्या	धनराशि (करोड़ रु०)	
1.	नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्य	97	240.31	34	76.54	शेष प्रस्तावों पर अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।
2.	बाइपास का निर्माण	कुछ नहीं	–	कुछ नहीं	–	
3.	चार लेन बनाना	कुछ नहीं	–	कुछ नहीं	–	निम्नलिखित खंडों को चार लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है – (i) रा०रा० 77/19 का पटना-मुजफ्फरपुर खंड (ii) रा०रा० 30 का पटना-बख्तियारपुर खंड
4.	पुलों का निर्माण	23	111.86	15	30.24	शेष प्रस्तावों पर अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

खेलों को प्रोत्साहन

335. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेलों के प्रोत्साहन हेतु जिला स्तर पर खेल परिसरों और स्टेडियमों की की कमी है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने खेल परिसरों/स्टेडियमों के निर्माण/विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए उनके मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनका मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए देश में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उनके मंत्रालय का विचार इस संबंध में एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) "खेल" राज्य का विषय है। सभी स्तरों पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियमों सहित विभिन्न खेल सुविधाओं का सृजन मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तथापि, इस दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों/नगर निगमों आदि को खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, विभिन्न खेल सुविधाओं के सृजन के लिए समतुल्य आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते की राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

(ख) और (ग) जी, हां। "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, 1999-2000 से 2002-03 (15.11.2002 तक) राज्य सरकारों इत्यादि से 841 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 341 प्रस्ताव 9955.153 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित किए गए हैं। शेष प्रस्तावों में कमियाँ पाई गईं थीं और संबंधित राज्य सरकारों को समुचित रूप से सूचित कर दिया गया था। प्राप्त हुए और अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। खेलों के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों को ऊपर उल्लिखित योजना के अंतर्गत, सहायता के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार अनुदान दिए जाते हैं बशर्ते कि राज्य सरकार से निर्धारित रूप में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

(च) जी, नहीं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	19	887.21

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	22	10	944.40
3.	असम	23	4	105.63
4.	बिहार	4	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	10	6	286.60
6.	गोवा	5	0	0.00
7.	गुजरात	3	1	60.00
8.	हरियाणा	41	8	260.22
9.	हिमाचल प्रदेश	35	25	581.789
10.	जम्मू-कश्मीर	84	31	489.69
11.	झारखंड	1	1	35.45
12.	कर्नाटक	43	12	526.03
13.	केरल	26	9	153.99
14.	मध्य प्रदेश	60	35	618.064
15.	महाराष्ट्र	66	22	873.40
16.	मणिपुर	31	9	191.285
17.	मेघालय	11	2	158.13
18.	मिजोरम	51	15	363.02
19.	नागालैण्ड	74	12	365.19
20.	उड़ीसा	30	8	33.34
21.	पंजाब	30	21	1280.49
22.	राजस्थान	17	4	64.515
23.	सिक्किम	0	0	0.00
24.	तमिलनाडु	42	40	684.37
25.	त्रिपुरा	11	0	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	36	9	187.88
27.	उत्तरांचल प्रदेश	7	7	643.96
28.	पश्चिमी बंगाल	53	31	160.50
	कुल	841	341	9955.153

[अनुवाद]

स्मारक डाक टिकटें जारी किया जाना

336. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट भारतीय हस्तियों के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किये जाने हेतु किन मानदण्डों का पालन किया जाता है;

(ख) स्मारक डाक टिकटों को जारी किये जाने संबंधी लंबित/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने विगत में किसी उद्योगपति/खेल हस्ती की याद में स्मारक डाक टिकट जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) स्मारक डाक-टिकटों के प्रस्तावों, जिनमें विशिष्ट भारतीयों पर डाक-टिकट जारी करने के प्रस्ताव भी शामिल होते हैं, की जांच इस प्रयोजन के लिए विशेष मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर की जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी निर्धारित है कि जिन विशिष्ट व्यक्तियों पर स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाएं वे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हों और स्मारक डाक-टिकट उनकी जन्मशती अथवा 10वीं/25वीं/50वीं/100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जारी किए जाएं। सामान्यतया एक ही व्यक्ति पर एक से अधिक डाक-टिकट जारी नहीं किया जाता। मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह भी निर्धारित है कि उन व्यक्तियों के सम्मान में डाक-टिकट जारी न किए जाएं जिनकी प्रमुख उपलब्धियां धर्म के क्षेत्र तक सीमित हों। इसके अलावा, मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह प्रावधान भी है कि जीवित व्यक्तियों पर कोई डाक-टिकट जारी न किया जाए, और एक वर्ष में जारी कुछ स्मारक डाक-टिकटों में से विशिष्ट व्यक्तियों पर जारी डाक-टिकट सामान्यतया 25 प्रतिशत से अधिक न हों।

(ख) सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच फिलैटलिक सलाहकार समिति (पी०ए०सी०) द्वारा डाक-टिकटों का फिलैटलिक मूल्य सुनिश्चित करने के प्रयोजन से इस विषय पर निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। प्रस्तावों के संबंध में अंतिम निर्णय के लिए समिति के विचारों की प्रतीक्षा करनी होगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

व्यक्तित्व आधारित स्मारक डाक-टिकटें जारी करने के लिए लंबित/विचारार्थ प्रस्तावों का विवरण

1. ज्योति प्रसाद अग्रवाल
2. अशोक कुमार
3. प्रफुल्ल चन्द्र चाकी
4. शिनॉय गोयमबाब

5. दुला भाया काग
6. बालमुकुंद गुप्त
7. दोदप्पा अप्पा
8. पी०एन० पाणिकर
9. चत्तम्पी स्वामीकल
10. मणिकोठ रामुन्नि नायर संजयम
11. पदुम लाल पुन्नालाल बक्शी
12. डॉ० ए०एन० भालेराव
13. बरदा उकील
14. पं० दामोदर मिश्रा
15. लक्ष्मीकांत महापात्र
16. रघुनाथ मोहन्ती और दिवाकर परिदा
17. सरदार बलदेव सिंह
18. साहिर लुधियानवी
19. नीरजा भानोट
20. बडे गुलाम अली खां
21. एम०आर० मोरारका
22. महाराजा सावंत सिंह
23. मुकुट बिहारी भागर्व
24. के० कामराज
25. संत कवि दादू दयाल
26. गूजर मल मोदी
27. प्रियनाथ सेन
28. पंकज मलिक
29. महानग्रता ब्रह्मचारी
30. आदित्य विक्रम बिड़ला
31. मुटनुरि कृष्णा राव
32. जी०जी० उर्फ 'धूमकेतु'
33. क्रांतिसिन्हा नाना पाटिल
34. लक्ष्मीनारायण सुधांशु
35. इलाचन्द्र जोशी
36. बहिनाबाई चौधरी
37. गोपाल सिंह नेपाली
38. तिलका मांझी
39. श्याम बरथवार
40. डॉ० तलिमारेण आव
41. गोविन्दराव पंसारे
42. श्रीरंगा
43. अद्य रंगाचार्य
44. तल्लापक्का अन्नमाचार्य
45. प्रो० अतुल चन्द्र हजारिका
46. दादाजी कॉड देव
47. रघुनाथ मुर्मू
48. पुरूषोत्तम मेघली कबाली
49. राव कुम्पाजी राठौर

विवरण-II

(क) उद्योगपतियों पर डाक-टिकटों की सूची

	नाम	जारी होने की तारीख
1.	जमशेदजी टाटा	01.03.1958
2.	लक्ष्मणराव किर्लोसकर	07.01.1965
3.	अर्दसीर कुर्सेतजी वाडिया	20.06.1969
4.	डॉ० एम० विश्वेश्वरैया	15.09.1960
5.	जमना लाल बजाज	04.11.1970
6.	वी०ओ० चिदम्बरम पिल्लै	05.09.1972
7.	नरोत्तम मोरारजी	02.04.1977
8.	जी०डी० बिडला	11.06.1984
9.	जे०आर०डी० टाटा	29.11.1994
10.	ए०डी० श्रॉफ	09.10.1999
11.	छगनलाल के०पारिख	09.10.1999

(ख) खिलाड़ियों पर डाक-टिकटों की सूची

	नाम	जारी होने की तारीख
1.	के०एस० रणजीत सिंह जी	27.09.1973
2.	ध्यानचन्द	03.12.1980
3.	कर्नल सी०के० नायडु	13.03.1996
4.	वीनू मांकढ़	13.03.1996
5.	विजय मर्चेंट	13.03.1996
6.	प्रो० डी०बी० देवधर	13.03.1996
7.	गोस्था पॉल	20.08.1998
8.	आरती गुप्ता (साहा)	29.09.1999

केरल को विश्व बैंक सहायता

337. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल में राज्य में राज्य/जिलास्तरीय अस्पतालों के विकास के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के लिए 8.10.47 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय वाली केरल द्वितीयक स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना संबंधी एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस परियोजना की जांच की जा रही है।

श्यामजी कृष्ण वर्मा की पवित्र आस्थियों को भारत वापस लाया जाना

338. **श्री किरीट सोमैया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्यामजी कृष्ण वर्मा की पवित्र अस्थियों को भारत वापस लाने के लिये स्विट्जरलैण्ड सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में यह मामला किस चरण में है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने जेनेवा स्थित भारत के प्रधान कॉसलावास के जरिए, इस मसले को जेनेवा केनटोन के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया है। यह तथ्य, क्या स्वर्गीय श्यामजी कृष्ण वर्मा का कोई जीवित रक्त संबंधी है या नहीं, अस्थियों की वापसी के लिए जेनेवा केनटोन के प्राधिकारियों को कोई औपचारिक प्रस्ताव भेजने से पूर्व, सुनिश्चित किया जा रहा है।

कर्नाटक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु विश्व बैंक सहायता

339. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से 700 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक के पास भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 790 करोड़ रुपये की अनुमानित सहायता से "कर्नाटक समन्वित स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण सेवा विकास परियोजना" नामक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में बिना डाकघर वाले गांव

340. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में ऐसे गांवों की जिलावार संख्या कितनी है, जहां अब भी डाकघर सुविधायें उपलब्ध करायी जानी हैं; और

(ख) राज्य में सभी गांवों में कब तक डाकघर सुविधायें उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी गांवों में डाक के दैनिक वितरण एवं संग्रहण तथा डाक लेखन सामग्री एवं डाक-टिकटों की बिक्री की डाकघर सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

गुजरात में पासपोर्ट के लिये लंबित आवेदन

341. **श्री सवशीभाई मकवाना :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थानीय पासपोर्ट कार्यालयों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) इन कार्यालयों में पासपोर्ट जारी किये जाने के लिये लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिये और पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) इस समय अहमदाबाद स्थिति क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गुजरात राज्य का एकमात्र पासपोर्ट कार्यालय है।

(ख) 8.11.2002 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद में लम्बित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या 37699 है। एक आवेदन पत्र तभी लम्बित माना जाता है जब वह आवेदन हर प्रकार से पूर्ण हो और सही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो।

(ग) और (घ) सूरत में एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। सूरत स्थित पासपोर्ट कार्यालय के लिए कर्मचारियों की तैनाती भी तय कर ली गई है। गुजरात राज्य सरकार की सहायता से उस जगह की पहचान कर ली गई है जहां नया पासपोर्ट कार्यालय स्थित होगा तथा इसे किराए पर लेने के तौर-तरीकों को तैयार किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दोष सुधार सेवा

342. श्री ए० ब्रह्मनैया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र ही दोष सुधार सेवा सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बी०एस०एन०एल० के अधिकारी दूर-दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं की नियमित जांच करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में सेवा को बेहतर बनाने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) शीघ्र ही दोष सुधार सेवा सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

(i) कम दूरी प्रभारण केन्द्रों (एस०डी०सी०सी०) में कम्प्यूटरीकृत दोष सुधार सेवा केन्द्र उपलब्ध हैं।

(ii) संकटपूर्ण स्थितियों और मानसून के दौरान निगरानी रखने और तत्काल दोष दूर करने हेतु नियंत्रण कक्षों में कर्मचारियों की तैनाती की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) इन क्षेत्रों में सेवा को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है। जांच के दौरान यदि प्रणाली में कोई दोष पाया जाता है तो उसे तत्काल दूर किया जाता है।

(ii) इन क्षेत्रों में सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्रेषण माध्यम में संवर्धन किया जाता है तथा पुरानी और दोषपूर्ण अवसंरचना को बदला जाता है।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान

343. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान आसन्न बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के बारे में सरकार को पूर्व चेतवानी देने में सक्षम एक सक्रिय संस्थान की भूमिका के निर्वहन में सफल रहा है;

(ख) क्या एन०आई०सी०डी० देश में उत्पन्न संकट स्थितियों पर तुरन्त कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा एन०आई०सी०डी० को और सक्रिय संस्थान बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के विभाजन का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, संचारी रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम हेतु नोडल एजेंसी है जिसे 1997-98 में महामारी रोग सम्भावना के कारण बीमारी फैलने के शुरू में ही चेतावनी संकेत देने तथा क्षमता निर्माण, प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण आदि के माध्यम से उसके लिए तेजी से कार्रवाई करने के उद्देश्य से बनाया गया था। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर विभिन्न रोगों के संबंध में देश भर से 1997-2001 दौरान कुल 75 बार बीमारियों के फैलने की तत्काल जांच की अथवा स्वास्थ्य स्थिति का आकलन दिया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेशिया के प्रधानमंत्री की यात्रा

344. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी निष्कर्ष क्या रहा ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां। मलयेशिया के प्रधानमंत्री डा० महाथीर मोहम्मद ने आसियान-भारत व्यापार शिखर सम्मेलन के लिए 16-18 अक्टूबर 2002 तक भारत की यात्रा की।

(ख) राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान और प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक के दौरान व्यापार, आधार-भूत परियोजनाएं, प्रतिरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रो रसायन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग से सम्बद्ध मसलों पर चर्चा हुई। आसियान, गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन सहित परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार विनिमय हुआ।

(ग) इन विचार-विमर्शों से एक-दूसरे के दृष्टिकोण और हित-चिन्ताओं को समझने-बूझने में अत्यधिक सहायता मिली।

[हिन्दी]

चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन

345. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री जय प्रकाश :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों चीन की सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की जानकारी मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशंवत सिन्हा) : (क) से (ग) भारत और चीन के बीच सीमा प्रश्न का समाधान अभी नहीं हुआ है। दोनों पक्षों की भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारण में मतभेद है। भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में दोनों पक्ष गश्त लगाते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन का मामला सीमा सैन्य कर्मियों की बैठकों/ फ्लैग बैठकों में राजनयिक माध्यमों में उठाया जाता है।

भारत और चीन शांतिपूर्ण परामर्शों के जरिए सीमा प्रश्न का उचित, न्यायसंगत और आपसी स्वीकार्य निपटान करने का प्रयास करते हैं। भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस पास शांति और अमन बनाये रखने से संबंधित एक करार 1993 में संपन्न किया गया और भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस पास के सैन्य क्षेत्रों में विश्वसोत्पादक उपायों से संबद्ध दूसरा करार 1996 में संपन्न किया गया। ये दोनों करार सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन कायम रखने के लिए एक संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराते हैं।

सरकार सतर्क है और यह भारत की संप्रभुता क्षेत्रीय अखण्डता और सुरक्षा की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठाती है।

[अनुवाद]

अस्पताल कर्मचारियों के तपेदिक से पीड़ित होने की घटनायें

346. श्री चिंतामन वनगा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एल०आर०एस० इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड एलायड डीजिजेज में कई अस्पताल कर्मचारी तपेदिक रोग से पीड़ित हैं जैसी कि 9 अगस्त, 2002 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में खबर प्रकाशित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत में अन्य टी०बी० अस्पतालों में क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं। भारत में कोई प्रामाणिक आंकड़े/सूचना नहीं है जो यह संकेत करते हैं कि अस्पताल के कर्मचारियों में क्षयरोग बढ़ रहा है। देश में क्षयरोग की अनुमानित घटना-दर 0.22 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। जहां तक दिनांक 9 अगस्त, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, दिल्ली का हवाला देने का संबंध है, 600 कर्मचारियों में से पिछले 15 वर्षों से अधिक समय के दौरान कभी न कभी 600 कर्मचारियों में से 30 कर्मचारी क्षय रोग से पीड़ित रहे थे। समाचार-पत्र की रिपोर्ट में उल्लिखित चार रोगियों में से केवल एक रोगी की मौत वस्तुत: क्षय रोग से हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अस्पतालों द्वारा क्षय रोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अस्पताल से प्राप्त संक्रमण के निवारण हेतु सुपरिभाषित दिशानिर्देश हैं। जहां तक दिनांक 9 अगस्त, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, दिल्ली का हवाला देने का संबंध है, प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अस्पताल के कर्मचारियों में संक्रमण के फैलने की रोकथाम करने के लिए लाला रामस्वरूप क्षय रोग एवं सम्बद्ध रोग संस्थान, दिल्ली में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. सभी स्तरों पर संक्रमण अधिकारकों को रखने और उठाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को दस्ताने, मुखावरण प्रदान किए जाते हैं और नमूनों को संसाधित करने के लिए उनको उच्च गुणवत्ता के श्रेणी-I के जैविक सुरक्षा केबिनेट, जिसके अन्दर अल्ट्रावायलट लाइट बनी हुई होती है और हेपाफिल्टर होते हैं, प्रदान किए जाते हैं।
2. सूक्ष्म जीवविज्ञान विभाग में धुलाई कक्ष में सभी संक्रामित सामग्री को धुलाई करने से पहले आटो-क्लेव द्वारा विसंक्रमित बनाया जाता है।
3. सभी कर्मचारियों को जैव-चिकित्सीय कचरे समेत संक्रमित व असंक्रमित सामग्री को रखने और उठाने के लिए (श्रेणी-III और IV श्रेणी के कर्मचारियों सहित) प्रशिक्षण दिया गया है।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कचरे के निपटान से संबंधित नीति का अनुपालन किया जाता है, के लिए कचरा प्रबंधन दल द्वारा इस संस्थान में साप्ताहिक निरीक्षण किया जाता है।
5. आम जनता/रोगियों/रिश्तेदारों द्वारा फैलाए गए कचरे के उपयुक्त निपटान के लिए सार्वजनिक स्थानों (बहिरंग रोगी विभाग/अस्पताल परिसर) में सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं और बहिरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी घोषणाएं की जाती हैं। कर्मचारियों/रोगियों और उनके रिश्तेदारों की जागरूकता हेतु स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित वार्ताओं/प्रहसनों का नियमित आधार पर आयोजन किया जाता है।
6. इस संस्थान के पास दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पूरी कचरा निपटान प्रबंधन प्रणाली है।
7. थूक को फेंकने से पहले मानक प्रतिमानों के अनुसार सभी थूक संग्रहण पात्रों की निमी आधार पर उबाला जाता है।
8. वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा उनके दैनिक निरीक्षण दौरों के दौरान अस्पताल के संक्रामक कचरे के निपटान की विशिष्ट तौर पर जांच की जाती है।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को लागू किया जाना

347. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री अखिलेश यादव :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्यों का कार्यनिष्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी नीचे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जिला क्षयरोग नियंत्रण समितियों को जारी अनुदान और गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध करायी गई सहायता का पूरी तरह उपयोग किया गया;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व बैंक/विदेशी एजेंसियों से प्राप्त सहायता का उक्त अवधि के दौरान पूरी तरह उपयोग किया गया; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) क्षय रोग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1962 से चलाया गया है। चूंकि कार्यक्रम के लगभग तीन दशकों के कार्यान्वयन का कोई जानपदिक रोग विज्ञानी प्रभाव नहीं पड़ा है इसलिए वर्ष 1992 में एक विशेषज्ञ समिति ने इसकी समीक्षा की और कार्यक्रम के कम सफल होने के कुछ कारणों का पता लगाया जो निम्नलिखित हैं :–

- अपर्याप्त बजट और प्रबंधकीय क्षमता
- औषधों की कमी
- एक्स-रे निदान पर जोर जिसके परिणामस्वरूप सही निदान नहीं
- स्पूटम माइक्रोस्कॉपी की खराब गुणवत्ता
- उपचार के कई पश्यापश्य नियम

उपर्युक्त समिति की अनुशंसाओं पर संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1997 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य नए स्पूटम पॉजीटिव रोगियों के 85 प्रतिशत रोगमुक्ति और कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों का पता लगाना है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चरणबद्ध ढंग से चलाया जा रहा है और इस प्रकार राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय 502 मिलियन लोगों को कवर किया गया है और 2004 तक 700 मिलियन लोगों को और 2005 तक सम्पूर्ण देश को कवर करने की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण उपचार के लिए क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति सहित सभी नैदानिक और उपचार सुविधाएं क्षय रोगियों को नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। परियोजना जिलों से 80 प्रतिशत से अधिक सफल उपचार दर की सूचना मिली है अर्थात संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत निदान किए गए और उपचार के लिए लिए गए प्रत्येक 10 क्षय रोगियों में से 8 रोगियों का सफल उपचार किया गया है जबकि पिछले कार्यक्रम में यह संख्या 4 से कम थी। जून, 2002 को समाप्त तिमाही कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के अनुसार संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यकलापों को करने हेतु राज्य/जिला क्षय रोग सोसाइटियों को निधियां जारी की गई थी। चूंकि संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्षय रोग नियंत्रण की नई कार्यनीति है और इस कार्यनीति को अपनाने के लिए कई प्रारंभिक कार्यकलाप आवश्यक थे, इसलिए प्रारम्भ में निधियों का कम उपयोग किया गया था। तथापि, उपयोग में क्रमश: वृद्धि हुई है। निधियां चूंक नहीं करने के आधार पर जारी की जाती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जिलों में न्यूनतम शेष राशि रहे और सभी कार्यकलापों के लिए निधियां पर्याप्त रहें। जहां तक गैर सरकारी संगठनों का संबंध है, कहा जाता है कि संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता और उनको निधियां जारी करने का काम जिले को सौंप दिया गया है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में लगभग 510 गैर सरकारी संगठन भाग ले रहे हैं और निधियों के उपयोग में वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) 102 जिलों में 271 मिलियन जनसंख्या को कवर करने तथा बाद में 447 मिलियन जनसंख्या वाले 203 जिलों को संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम अपनाने के लिए सुदृढ़ करने हेतु 1997 में पांच वर्ष की अवधि के लिए 604 करोड़ रुपए लागत की एक परियोजना शुरू की गई थी। संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत अब तक 248 जिलों की 502 मिलियन जनसंख्या को कवर किया जा चुका है। तथापि, परियोजना में अभिकल्पित लागत की अपेक्षा क्षय रोग रोधी औषधों और सूक्ष्मदर्शियों की कम लागत तथा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक आकस्मिक खर्चे के पहले से रखे गए (इनबिल्ट) प्रावधान, जिसका उपयोग नहीं किया जाना था, के कारण अब तक कुल व्यय 220 करोड़ रुपए हुआ है। परियोजना के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए तथा बचतों का उपयोग करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि परियोजना को 700 मिलियन जनसंख्या कवर करने के लिए मार्च, 2004 तक बढ़ा दिया जाए। डेनिडा और डी०एफ०आई०डी० से प्राप्त सहायता का उपयोग क्रमश: उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु किया जा रहा है। उड़ीसा में 30 जिलों में से 14 जिलों में पहले ही सेवा प्रदान की जा रही हैं और शेष जिलों को संशोधित कार्यनीति अपनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, 23 जिलों में से 9 जिलों में सेवा प्रदान की जा रही हैं तथा शेष जिलों में सेवा प्रदान करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये परियोजनाएं 2002-03 तक हैं।

विवरण

जून, 2002 के समाप्त अवधि की तिमाही कार्यनिष्पादन रिपोर्ट

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों का पता लगाने (2002, दूसरी तिमाही) स्मीयर कनवरसन (2002, पहली तिमाही), के संबंध में कार्यनिष्पादन और उपचार के परिणाम (2001, दूसरी तिमाही)

राज्य	जनसंख्या लाख में	जिलों की कुल संख्या	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने वाले जिलों की संख्या	जांच किए गए बाहरी रोगियों की प्रतिशतता	डॉट्स पर रखे गए जिलों में रहने वाले स्मीयर पॉजीटिव रोगियों की प्रतिशतता	उपचार किए गए कुल रोगी	रोगियों के पता लगाने की कुल वार्षिक दर	उपचार किए गए स्मीयर पॉजीटिव वाले नए रोगी	स्मीयर पॉजीटिव रोगियों के पता लगाने की वार्षिक दर	पता लागए गए अनुमानित नए स्मीयर पॉजीटिव रोगियों की प्रतिशतता	स्मीयर नेगेटिव और स्मीयर पॉजीटिव रोगियों का अनुपात	नए स्मीयर पॉजीटिव रोगियों के तीन महीने की कनवरसन दर	नए स्मीयर पॉजीटिव रोगियों का रोग मुक्ति दर	नए स्मीयर पॉजीटिव रोगियों में सफलता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आंध्र प्रदेश	255	23	8	2.4%	95%	8762	137	3878	61	72%	0.8	85%	**72%**	**76%**
असम	12	23	1	3.0%	95%	514	175	237	81	95%	0.5	88%	82%	86%
बिहार	112	37	3	6.3%	98%	2598	93	1085	39	46%	0.8	93%	91%	92%
चंडीगढ़	9	1	1	3.2%	**83%**	427	190	144	64	75%	0.8	**73%**		
दिल्ली	138	20	20	2.1%	91%	9545	277	3258	94	111%	0.6	86%	84%	85%
गुजरात	480	31	24	2.0%	**89%**	15093	126	6514	54	64%	0.5	89%	80%	81%
हरियाणा	51	19	3	4.1%	96%	2253	176	892	70	82%	0.7	86%	82%	83%
हिमाचल प्रदेश	61	12	12	2.4%	93%	3664	241	1389	91	79%	0.6	93%	89%	90%
झारखंड	49	18	2	3.9%	99%	1562	128	700	57	68%	0.8	94%	90%	90%
कर्नाटक	218	28	11	2.7%	97%	6900	127	2950	54	64%	0.8	89%	82%	83%
केरल	318	14	14	**1.4%**	97%	5998	75	2682	34	67%	0.5	90%	87%	88%
मध्य प्रदेश	65	45	5	2.0%	**87%**	1748	132	628	47	56%	1.0	**83%**	86%	87%
महाराष्ट्र	731	48	32	2.4%	93%	21630	121	7903	44	51%	0.9	88%	81%	82%
मणिपुर	24	8	8	4.4%	100%	1655	277	459	77	77%	**1.5**	88%	85%	85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उड़ीसा	139	30	14	1.7%	83%	4640	141	2457	73	86%	0.5	88%	84%	86%
पंजाब	18	17	1	2.2%	95%	366	80	186	40	48%	0.3	91%	78%	81%
राजस्थान	565	32	32	2.7%	91%	25175	178	10261	73	86%	0.7	91%	85%	86%
सिक्किम	5	4	4	2.1%	75%	263	195	155	115	135%	0.6	85%		
तमिलनाडु	621	29	29	1.5%	94%	20509	132	8087	52	61%	0.9	89%	81%	83%
उत्तर प्रदेश	206	70	9	4.2%	95%	8620	167	3722	72	85%	0.7	91%	90%	90%
पश्चिमी बंगाल	722	18	15	1.9%	93%	17711	118	7624	51	59%	0.7	87%	81%	83%
कुल योग	4799	527	248	2.1%	92%	159633	137	65211	56	66%	0.7	89%	83%	84%

रोगियों के पता लगाने की दर का योग ऐसे जिलों पर आधारित हैं जो एक तिमाही से अधिक अवधि से कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। केरल (अनुमानित नए स्मीयर पॉजीटिव रोगी = 50/लाख), हिमाचल प्रदेश (अनुमानित नए स्मीयर पॉजीटिव रोगी = 115/लाख) और मणिपुर (अनुमानित नए स्मीयर पॉजीटिव रोगी 100 प्रति लाख) के संबंध में वार्षिक संक्रमण जोखिम के विषय में उपलब्ध आंकड़ों से समायोजित अनुमानित कुल नए स्मीयर पॉजीटिव रोगी। अन्य राज्यों में अनुमानित कुल नए स्मीयर पॉजीटिव रोगी = 85/लाख हैं।

वर्ष 2001 की दूसरी तिमाही के बाद संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू करने वाले राज्यों के लिए रोग मुक्ति दर और सफलता दर प्रत्याशित नहीं है।

अंडरवर्ल्ड माफिया को पासपोर्ट

348. डा० मन्दा जगन्नाथ : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन स्थानों से अंडरवर्ल्ड माफिया अबुसलेम और उसके सहयोगियों को पासपोर्ट जारी किये गये;

(ख) क्या ये पासपोर्ट नकली नामों से जारी किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) अबु सलेम को लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद से पासपोर्ट जारी किए गए हैं। मोनिका बेदी को भोपाल, हैदराबाद तथा मुम्बई से पासपोर्ट जारी किए गए हैं।

(ख) जी, हां। मोनिका बेदी को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई से 24 जून, 1999 को उनके वास्तविक नाम से जारी पासपोर्ट के अलावा, उनके द्वारा प्राप्त सभी अन्य पासपोर्ट नकली नामों से जारी किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उल्लिखित सभी पासपोर्ट संबंधित पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ से अबु सलेम को जारी पासपोर्टों के संबंध में विशेष कार्य बल (सी०बी०आई०) द्वारा दर्ज एक मुकदमा न्यायालय में लम्बित है। अबु सलेम तथा मोनिका बेदी के लिए हैदराबाद तथा भोपाल से जारी पासपोर्टों के संबंध में भी संबंधित राज्यों की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय

349. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री भीम दाह्मल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में राज्यवार कितने चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय हैं;

(ख) सरकार द्वारा चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ग) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारों के राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु निजी संस्थानों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना विनियम, 1999) और भारतीय दन्त-चिकित्सा परिषद (तथा दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करना और दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने संबंधी विनियम, 1993) द्वारा अधिसूचित विनियमों में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(ग) विवरण इस प्रकार है :–

क्र० सं०	राज्य का नाम	लम्बित प्रस्तावों की संख्या	
		चिकित्सा महाविद्यालय	दन्त चिकित्सा महाविद्यालय
1.	महाराष्ट्र सरकार	2	–
2.	त्रिपुरा सरकार	1	–
3.	छत्तीसगढ़ सरकार	–	1
4.	पश्चिम बंगाल सरकार	2	–

(घ) इन प्रस्तावों को पारित करना निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता और उन पर संबंधित व्यावसायिक परिषदों की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण–I

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चिकित्सा महा-विद्यालयों की संख्या	चिकित्सा महा-विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21	13
2.	असम	3	1
3.	बिहार	8	7

1	2	3	4
4.	छत्तीसगढ़	2	1
5.	चंडीगढ़	1	—
6.	दिल्ली	5	1
7.	गोवा	1	1
8.	गुजरात	10	4
9.	हरियाणा	2	6
10.	हिमाचल प्रदेश	2	4
11.	जम्मू-कश्मीर	4	1
12.	झारखण्ड	3	—
13.	कर्नाटक	30	41
14.	केरल	11	5
15.	मध्य प्रदेश	6	3
16.	महाराष्ट्र	35	21
17.	मणिपुर	1	—
18.	उड़ीसा	3	2
19.	पंजाब	6	11
20.	पांडिचेरी	5	1
21.	राजस्थान	7	4
22.	सिक्किम	1	—
23.	तमिलाडु	17	14
24.	उत्तर प्रदेश	12	18
25.	उत्तरांचल	1	
26.	पश्चिमी बंगाल	7	2
	कुल	204	161

विकास के लिए कार्य योजना

350. श्रीमती रेणूका चौधरी :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत को अल्प समयावधि में "पूर्णत: विकसित राष्ट्र" बनाने हेतु कार्य योजना तैयार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार को कितनी समय सीमा में ऐसी कार्य-योजना का ब्लू प्रिंट तैयार करना है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेंशन में एकरूपता

351. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में पेंशन में एकरूपता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में एक पेंशन-योजना शुरू किए जाने के प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा

352. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री वी०एम० सुधीरन :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिस्पर्धा/समारोह के बाद हमारे पुरूष और महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय खेल-कूद के उन्नयन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पौन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिस्पर्धा/समारोह के बाद, प्रशिक्षक/प्रबंधक की रिपोर्ट संबंधित राष्ट्रीय खेल

परिसंघ (एन०एस०एफ०) से मंगायी जाती है तथा प्रत्येक सहभागी के प्रदर्शन की बारीकी से जांच की जाती है और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एन०एस०एफ० से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चयनित खिलाड़ियों के पिछले एवं वर्तमान प्रदर्शन की भी बारीकी से जांच की जाती है।

(ग) हमारे देश में खेलकूद का उन्नयन, मुख्य रूप से, संबंधित एन०एस०एफ० की जिम्मेदारी होती है जो पंजीकृत संस्थाएं हैं और अपने कार्यकरण में स्वायत्त हैं। तथापि, सरकार विदेशों में खेलों में प्रदर्शन के अवसर हेतु सब-जूनियर, यूनियर तथा सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के आयोजन, उपकरणों की खरीद, भारतीय तथा विदेशी प्रशिक्षकों के अंतर्गत कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करके तथा राष्ट्रीय तथा खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत अपेक्षित तकनीकी तथा वैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराकर इनके प्रयासों को पूरा करती है।

जनसंख्या नियंत्रण में औद्योगिक घरानों की सहभागिता

353. **श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु अनेक औद्योगिक घरानों ने सहयोग करने की गहरी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां इन औद्योगिक घरानों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) औद्योगिक घराने भारत जनसंख्या प्रतिष्ठान, जैसी अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में जनसंख्या स्थिरीकरण प्रयासों, गर्भनिरोधकों के निर्माण और विपणन, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से परामर्श और बहु जन-प्रचार माध्यमों के जरिए सूचना और संचार अभियानों तथा छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए समुदाय-आधारित पहले शुरू करने में सहायता दे रहे हैं।

गुजरात में क्रीड़ा स्थलों की संख्या

354. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में स्कूली बच्चों हेतु क्रीड़ा स्थलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक केन्द्र सरकार द्वारा इन क्रीड़ा स्थलों को वर्ष-वार कितनी धनराशि का अनुदान प्रदान किया गया है;

(ग) केन्द्र सरकार के अनुदान आवंटन से क्या-क्या परिणामोन्मुखी सुधार देखने को मिले हैं; और

(घ) राज्य में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता पिछली बार कब आयोजित की गई थी ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्लेग उन्मूलन

355. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्लेग प्रवण क्षेत्रों की पुन: जांच करने पर विचार कर रही है ताकि विशेषकर हिमाचल प्रदेश में प्लेग की महामारी के फैलने के बाद प्लेग को देश में और आगे फैलने से रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्लैग प्रवण क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ कोई संयुक्त प्रयास किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा प्लेग के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों की पहले ही पहचान कर ली गई है और इसकी बंगलौर स्थित यूनिट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में प्लेग की निगरानी में समन्वय रखती है।

प्लेग की प्रक्रियाविधि में राज्यों के फील्ड स्टाफ को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। निगरानी कार्यकलापों की अन्तर-राज्य प्लेग समन्वय समिति की बैठकों में समय-समय पर समीक्षा की जाती है जिसमें स्थानिकमारी वाले राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस रोग का तुरन्त विश्वसनीय निदान करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के मुख्यालय में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा और निदान मानदण्डों के अनुसार एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है।

(ग) और (घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन से जब भी अनुरोध किया जाता है, तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस वर्ष बंगलौर में जुलाई में प्लेग निगरानी और रोग फैलने पर एक विशेषज्ञ समूह परामर्श का आयोजन किया गया जिसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा

किया गया और इसमें भारत, म्यामार और इंडोनेशिया ने भाग लिया। इसमें प्लेग निगरानी और नियंत्रण पर कार्य योजना तैयार करने और प्लेग के संबंध में समुचित प्रचार कार्यनीतियां तैयार करने पर बल दिया गया था।

गर्भपात की गोली (एम०टी० पिल्स) का इस्तेमाल

356. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना में गर्भपात की गोली (एम०टी० पिल्स) को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी सुरक्षा और अनौपचारिक प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु गोली के वितरण को कारगार बनाने हेतु कोई दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

निर्वासन संबंधी भारत-नेपाल का नया सूत्र

357. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने निर्वासन के संबंध में एक नया सूत्र तैयार किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुपोषण

358. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 5, 10 और 15 वर्ष के आयु समूह के बच्चों में कितने प्रतिशत कुपोषण के शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) कुपोषण के कारण बच्चों के किन-किन रोगों से प्रभावित होने की संभावना है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के 187 जिलों को कवर करते हुए, भारतीय पोषण स्थिति, 1998 के अनुसार कुपोषण से प्रभावित 5, 10 और 15 वर्ष के विभिन्न आयु समूह के बच्चों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है। कुपोषण कई कारकों के मिलने से होता है जैसे गरीबी के कारण, निम्न क्रय शक्ति अपर्याप्त भोजन, महिलाओं का निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर, महिला निरक्षरता, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वच्छ पेय जल, पर्यावरण संबंधी स्वच्छता आदि तक जनता की कम पहुंच।

(घ) अल्प पोषण के बहुत अधिक होने के कारण छोटे बच्चों में सूखा रोग, कवाशियोरकोर, रक्त की कमी, बहुविटामिन अल्पता विकार, आयोडीन अल्पता जन्य विकार आदि हो सकते हैं तथा इससे श्वसन रोग, अतिसार जैसी बीमारी की दशा में रूग्णता बढ़ सकती है।

(ङ) सरकार ने देश की स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

– कृषि उत्पादन में वृद्धि।

– आय उत्पन्न करने वाली स्कीमों के जरिए लोगों की क्रयशक्ति में सुधार।

– जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य खाद्य पदार्थों की रियायती मूल्यों पर उपलब्धता।

जागरूकता बढ़ाने के लिए पोषण संबंधी शिक्षा और स्तनपान को बढ़ावा देने सहित खानपान के तौर तरीकों में वांछनीय परिवर्तन।

सम्पूरक खानपान कार्यक्रम अर्थात :

(i) समन्वित बाल विकास सेवा योजना

(ii) विशेष पोषण कार्यक्रम

(iii) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम

(iv) गेंहू आधारित सम्पूरक पोषण कार्यक्रम

(v) प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना

(vi) दोपहर (मिड डे) आहार कार्यक्रम

— विशिष्ट पोषणिक अल्पताजन्य विकार की रोकथाम के लिए कार्यक्रम अर्थात् :

(i) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम।

(ii) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विटामिन-ए की कमी के कारण दृष्टिहीनता एवं लौह अल्पता के कारण पौषणिक रक्तअल्पता की रोकथाम के लिए कार्यक्रम।

(iii) सूक्ष्म पौषणिक कुपोषण के नियंत्रण के लिए प्रायोगिक परियोजना।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अन्य पोषण वाले बच्चों की स्थिति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु वर्ग (वर्ष)	बहुत कम अल्प पोषण (प्रतिशत)	कम अल्प पोषण (प्रतिशत)	गंभीर अल्प पोषण (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	3-5	44.7	29.2	3.7
		6-9	41.5	38.1	6.6
		14-17	40.8	40.8	11.8
2.	हिमाचल प्रदेश	3-5	52.8	34.2	2.7
		6-9	33.2	52.0	9.9
		14-17	32.5	47.3	16.8
3.	पंजाब	3-5	46.1	29.6	3.1
		6-9	42.8	36.0	4.5
		14-17	36.1	41.5	10.0
4.	राजस्थान	3-5	38.4	39.2	9.5
		10	29.9	40.0	15.7
		15	36.7	36.0	13.5
5.	चंडीगढ़	3-5	56.0	26.0	4.0
6.	दिल्ली	3-5	48.6	25.1	7.9
7.	बिहार	3-5	28.7	32.2	22.6
		10	25.4	37.3	21.0
		15	36.3	34.6	18.6
8.	सिक्किम	3-5	43.6	33.5	6.08
		5-12	36.2	34.9	6.9
		13-18	30.9	25.0	8.5
9.	अरूणाचल प्रदेश	3-5	37.8	58.2	2.3
		5-12	24.7	57.6	9.0
		12-18	13.2	45.3	15.0
10.	असम	3-5	46.5	21.7	3.0
		6-9	58.1	23.0	3.1
		14-17	40.3	48.7	7.1
11.	मणिपुर	3-5	40.7	27.1	3.4
		5-12	41.9	19.4	3.1
		12-18	39.8	14.2	1.6
12.	मेघालय	3-5	45.9	9.8	0.6
		5-12	39.3	7.9	1.2
		12-18	43.8	21.8	1.3
13.	मिजोरम	3-5	45.9	17.4	1.9
		5-12	40.0	27.13	3.2
		13-18	30.0	26.7	7.1
14.	नागालैंड	3-5	28.0	19.3	3.3
		5-12	37.4	12.3	0.9
		12-18	35.4	19.6	1.8
15.	त्रिपुरा	3-5	40.1	37.5	7.1
		5-12	37.6	28.2	4.4
		12-18	37.9	28.9	5.2
16.	दादरा और नागर हवेली	3-5	46.9	31.0	8.3
		5-12	35.9	36.2	13.7
		12-18	34.3	31.9	14.4
17.	दमण और दीव	3-5	51.0	26.6	7.3
		5-12	35.9	36.2	13.7
		12-18	34.3	31.9	14.4
18.	गोवा	3-5	39.5	20.9	6.5
		5-12	33.8	29.6	8.5
		12-18	31.5	23.5	6.1

[अनुवाद]

सी०जी०एच०एस० में स्थानांतरण नीति

359. श्री बी०के० पार्थसारथी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०) में समूह क, ख, ग और घ के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०) की एसोसिएशनों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण में उपरोक्त मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के भेदभाव के पीछे क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) स्थानान्तरण की विद्यमान नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में समूह 'क' के अधिकारियों को सामान्यत: उनकी तैनाती की अवधि के तीन वर्ष पूरा होने पर और मुख्य चिकित्साधिकारी प्रभारी को किसी विशिष्ट औषधालय में चार वर्ष पूरा होने पर स्थानान्तरित किया जाता है। के०स०स्वा० योजना में समूह 'ख' के अधिकारियों को व्यक्तिगत अनुरोध/सरकारी अपेक्षाओं के आधार पर स्थानान्तरित किया जाता है। व्यापकत: के०स०स्वा० योजना में संघों के पदाधिकारियों सहित समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों को सेवा की अपेक्षाओं को छोड़कर उनकी तैनाती की अवधि के 4 से 5 वर्ष तक पूरा होने पर स्थानान्तरित किया जाता है। अखिल भारतीय के०स०स्वा० योजना कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को भी पूर्वोक्त स्थानान्तरण नीति के अधीन शासित किया जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चिकित्सकों की कमी

360. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री सुबोध राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में ''ना चिकित्सक ना चिकित्सकीय संसाधन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सफदरजंग अस्पताल, राममनोहर लोहिया अस्पताल, एम्स और लाला राम स्वरूप टी०बी० संस्थान में 32 चिकित्सकों और 62 अर्ध-चिकित्सकीय कर्मचारियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कबड्डी में स्वर्ण पदक

361. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुसान में संपन्न 14वें एशियाई खेलों में कबड्डी में भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कबड्डी को लोकप्रिय और रोजगारोन्मुखी खेल बनाने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) कबड्डी एक ऐसा स्वदेशी खेल है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है। भारत ने कबड्डी में 4 क्रमिक एशियाई खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं। तथापि, किसी भी खेल का संवर्धन मुख्यत: संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन०एस०एफ०) की जिम्मेदारी होती है, इस मामले में भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ (ए०के०एफ०आई०) की जिम्मेदारी है। सरकार ए०के०एफ०आई० को सभी स्वीकार्य सहायता प्रदान कर रही है तथा कबड्डी को इस प्रयोजन के लिए ''प्राथकिता'' की श्रेणी में रखा गया है।

जहां तक रोजगार सृजन के अवसर का संबंध है, इसमें सरकार के मंत्रालयों/विभागों में प्रक्रिया में छूट देते हुए, समूह ''ग'' और ''घ'' के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पहले से ही प्रावधान है। इसके लिए कबड्डी समेत सभी खेल-विधाओं के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 5% कोटा है।

इसके अलावा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाईयाँ अपनी भर्ती नीति के अनुसार, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उपयुक्त रोजगार भी प्रदान करती हैं।

[अनुवाद]

सूखा राहत हेतु आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

362. श्री के० येरननायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सूखा राहत के रूप में 810 करोड़ रुपये और 15 लाख मीट्रिक टन चावल की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने सूखा राहत के रूप में 810 करोड़ रुपये और 15 लाख मीट्रिक टन चावल की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है, जिसे सरकार को भेजे गए अपने ज्ञापन में बढ़ाकर 1210.90 करोड़ रुपये और 25 लाख मीट्रिक टन चावल कर दिया गया है।

(ख) और (ग) 81.885 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त को अग्रिम रूप से जारी करने के साथ-साथ 163.77 करोड़ रुपये की आपदा राहत निधि (सी०आर०एफ०) का सम्पूर्ण केन्द्रीय हिस्सा तत्काल सूखा राहत उपाय करने के लिए दे दिया गया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के एक विशेष घटक के रूप में 3 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करने के लिए आबंटित किया गया है। एक केन्द्रीय दल ने भी राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और उसने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उप प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) से दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में विचार कर रही है।

पंजाब में नए डाकघरों का खोला जाना

363. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब के भटिंडा और मौसा जिलों में नये डाकघर खोलने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इन नये डाकघरों को खोला जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान भटिंडा जिले के बीर तालाब गांव में नया डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। मानदण्डों के आधार पर औचित्यसम्मत पाए जाने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर नए डाकघर का खोला जाना निर्भर करता है। वर्ष 2002-2003 के दौरान मनसा जिले में नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस

364. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राजधानी में चार दिवसीय विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आयोजित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) कांग्रेस में क्या मुख्य निर्णय लिए गए; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 1 से 4 नवंबर, 2002 तक कोच्चि, केरल में आयोजित की गई।

(ख) इस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य विश्व में आयुर्वेद की प्रभाव कारिता प्रदर्शित करने के लिए "आयुर्वेद और विश्व स्वास्थ्य" रहा। इसमें जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया, उनमें आयुर्वेद का वैश्वीकरण, औषधीय पादपों का संरक्षण और धारणीय उपयोग, जड़ी बूटीय औषधियों का मानकीकरण, आयुर्वेद की विशिष्टताएं आदि सम्मिलित थे।

(ग) आयोजकों ने सूचित किया है कि उस कांग्रेस में निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए, (i) आयुर्वेद के नीतिगत कार्यान्वयन एवं उपचार प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निकाय स्थापित करना; (ii) विश्व आयुर्वेद परिषद, जिसका मुख्यालय भारत में हो, की स्थापना करना; (iii) देश के विभिन्न भागों में आयुर्वेद विषयक उन्नत प्रशिक्षण सुविधा और अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित करना; (iv) औषधीय पादपों का उत्पादन करना और जड़ी-बूटीय सांद्रों का निष्कर्षण करना; और (v) पृथक आयुर्वेद मंत्रालय, जिसके लिए अतिरिक्त बजटीय आबंटन हो।

(घ) विभाग को उस कांग्रेस के विचार-विमर्श प्राप्त नहीं हुए हैं।

पी०एच०सी०/बाल स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र

365. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और बाल स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने जनसंख्या आकार को देखते हुए और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ङ) यह सही है कि कई राज्यों में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्धारित मानदण्डों से कम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। जहां परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों को उपकेन्द्र खोलने के लिए ए०एन०एम० के वेतन, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को मानदेय, भवन के किराए, औषधियों, फर्नीचर, उपस्कर और प्रासंगिक व्यय के लिए निश्चित दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के लिए धन की व्यवस्था राज्यों द्वारा राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य परिव्यय के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा उन्हें प्रदान की गई समग्र निधियों से करनी होती है। वर्तमान वर्ष से भारत सरकार देश के सभी 1,37,311 उपकेन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है जो मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या एक उपकेन्द्र के हिसाब से खोले गए हैं। तथापि, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कमी है, भारत सरकार राज्यों से निश्चित प्रस्ताव के प्राप्त होने पर कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस समय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1991 के अनुसार अपेक्षित उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रें की संख्या तथा उनकी कमी अथवा अधिक संख्या का एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1991 की जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे की कमी

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकेन्द्र			प्रा०स्वा०के०			सा०स्वा०के०		
		अपेक्षित	कार्यरत	कमी	अपेक्षित	कार्यरत	कमी	अपेक्षित	कार्यरत	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	10242	10568	*	1707	1386	321	427	219	208
2.	अरूणाचल प्रदेश	220	273	*	37	65	*	9	20	*
3.	असम	4356	5109	*	726	610	116	181	100	81
4.	#बिहार	15825	14799	1206	2637	2209	428	659	148	511
5.	छत्तीसगढ़									
6.	गोवा	138	172	*	23	19	4	6	5	1
7.	गुजरात	6168	7274	*	1028	1001	27	257	242	15
8.	हरियाणा	2482	2299	183	414	401	13	103	64	39
9.	हिमाचल प्रदेश	973	2069	*	162	302	*	40	65	*
10.	जम्मू-कश्मीर	1176	1700	*	196	337	*	49	53	*
11.	झारखंड									
12.	कर्नाटक	6431	8143	*	1072	1676	*	268	249	19
13.	केरल	4325	5094	*	721	944	*	180	105	75
14.	#मध्य प्रदेश	12122	11947	175	2020	1690	330	505	342	163
15.	महाराष्ट्र	10533	9725	808	1756	1768	*	439	351	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मणिपुर	344	420	*	57	69	*	14	16	*
17.	मेघालय	464	413	51	77	85	*	19	13	6
18.	मिजोरम	122	346	*	20	58	*	5	9	*
19.	नागालैंड	325	302	23	54	46	8	14	9	5
20.	उड़ीसा	6374	5927	447	1062	1352	*	265	157	108
21.	पंजाब	2858	2852	6	476	484	*	119	105	14
22.	राजस्थान	7484	9926	*	1247	1674	*	312	263	49
23.	सिक्किम	85	147	*	14	24	*	4	2	2
24.	तमिलनाडु	7424	8682	*	1237	1436	*	309	72	237
25.	त्रिपुरा	579	539	40	96	58	38	24	11	13
26.	उत्तरांचल									
27.	#उत्तर प्रदेश	22337	20153	2184	3723	3808	*	931	310	621
28.	पश्चिमी बंगाल	10356	8126	2230	1726	1262	464	431	99	332
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	45	100	*	7	18	*	2	4	*
30.	चंडीगढ़	13	13	0	2	0	2	1	1	0
31.	दादरा और नागर हवेली	40	36	4	7	6	1	2	1	1
32.	दमण और दीव	12	21	*	2	3	*	1	1	0
33.	दिल्ली	190	42	148	32	8	24	8	0	8
34.	लक्षद्वीप	7	14	*	1	4	*	0	3	*
35.	पांडिचेरी	58	80	*	10	39	*	3	4	*
	अखिल भारत	134108	137311	7325	22349	22842	1776	5587	3043	2596

आंकड़े अनन्तिम * : अधिक ब्यौरा

: राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व के आंकड़े

कनिष्क विमान दुर्घटना से संबंधित मुकदमें की सुनवाई

366. **श्री रघुनाथ झा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 जून, 1985 को एअर इंडिया की उड़ान 182 का वैंकुवर नई दिल्ली के बीच आकाश में हुए विमान विस्फोट के संबंध में मुकदमें की सुनवाई मार्च, 2003 में ब्रिटिश कोलंबिया में होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मूल के तीन कनेडियाई नागरिक मुख्य अभियुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभियुक्तों की दोष सिद्धि को सुनिश्चित करने हेतु कौन-कौन से राजनयिक माध्यम अपनाए जा रहे है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह मामला अब न्यायाधीन है अत: पूरी तरह से कैनेडियाई न्यायिक प्रणाली के क्षेत्राधिकार में है। भारतीय उच्चायोग यह सुनिश्चित

करने के लिए संबंधित कैनेडियाई एजेंसियों से संपर्क बनाए हुए है कि इन एजेंसियों द्वारा भारत सरकार से अपेक्षित सभी संगत सूचना शीघ्र हासिल हो जाए।

राजस्थान में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार

367. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को सुगम बनाने हेतु डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली प्रयोग में लाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डब्ल्यू०एल० एल० प्रणाली को कब तक प्रयोग में लाया जाएगा ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान दूरसंचार सर्किल ने 2002-03 के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में डब्ल्यू०एल०एल० उपस्कर की क्रमश: 4000, 3000 और 9500 लाइनें प्रदान करने की योजना बनायी है। इन जिलों में डब्ल्यू०एल०एल० प्रणालियां मार्च 2003 तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

इसके अतिरिक्त, 2003-04 के दौरान जिलों के अन्य क्षेत्रों के लिए योजना बनायी जा रही है।

यूथ हॉस्टल

368. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान यूथ हॉस्टल योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने यूथ हॉस्टल का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या यूथ हॉस्टल निर्माण परियोजनाओं के कार्य में कतिपय राज्यों में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यूथ हॉस्टल भवनों जिनके लिए धनराशि स्वीकृत और जारी कर दी गई है के शीघ्र निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) युवा छात्रावास योजना के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों के दौरान अभी तक 14 युवा छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

राज्य का नाम	छात्रावास जिनका निर्माण पूरा किया गया है
आन्ध्र प्रदेश	2
असम	1
गोवा	1
हरियाणा	1
जम्मू-कश्मीर	1
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	1
पंजाब	1
पश्चिमी बंगाल	3
उत्तरांचल	2

(ख) से (घ) युवा छात्रावासों की योजना केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में मानी गयी है। केन्द्र सरकार इमारत के निर्माण की लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार पानी, बिजली और पहुंच मार्गों सहित 1.5 से 2.00 एकड़ तक की विकसित भूमि निशुल्क उपलब्ध कराती है। बहुत से मामलों में, केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि जारी नहीं की जा सकी क्योंकि निर्माण आदि संबंधी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ मामलों में, युवा छात्रावासों को निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि विकासपरक कार्य जैसे कि चारदीवारी का निर्माण, जल एवं बिजली का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाता आ रहा है, जिसमें राज्य मंत्री (युवा कार्यक्रम और खेल) तथा मंत्री (युवा कार्यक्रम और खेल) के स्तर से अर्ध-शासकीय पत्र भी शामिल हैं।

उड़ीसा के लिए विकास पैकेज

369. श्री के०पी० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विकास सुधार सुविधा के अंतर्गत उड़ीसा हेतु एक विशेष विकास पैकेज को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पैकेज की घोषणा किए जाने के बाद उड़ीसा को डी०आर०एफ० कोष से कितनी धनराशि आवंटित की जा रही है;

(ग) अन्य राज्यों को डी०आर०एफ० कोष से कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन राज्यों को डी०आर०एफ० कोष से धनराशि के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) विकास और सुधार सुविधा के अंतर्गत उड़ीसा के आठ के०बी०के० जिलों के लिए अनुमोदित विशेष योजना, जो चालू वर्ष में शुरू की गई है, के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर दी गई है। अब तक, 50 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

(ग) और (घ) के०बी०के० जिलों के लिए विशेष योजना के अतिरिक्त, विकास एवं सुधार सुविधा के दो अन्य संघटक हैं, नामत: पिछड़ा जिला पहल तथा बिहार की विशेष योजना। चालू वर्ष में आरंभिक आधार पर पिछड़ा जिला पहल कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए 25 जिलों की पहचान की गई है तथा प्रत्येक जिले को 15 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। बिहार की विशेष योजना के लिए परियोजनाओं को सिद्धांत रूप में अनुमति दे दी गई है। इन दो संघटकों के लिए जारी की जाने वाली राशि परियोजना प्रतिपादन की गति, स्कीमों की प्रगति, आदि जैसे कारकों पर निर्भर होगी।

'दक्षेस' शिखर-सम्मेलन

370. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री सी० कुप्पुसामी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'दक्षेस' का अगला शिखर-सम्मेलन पाकिस्तान में होना है;

(ख) यदि हां, तो क्या शिखर-सम्मेलन की तिथि और कार्य-सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत का विचार शिखर-सम्मेलन में भाग लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि कोई कार्यसूची नहीं तैयार की गयी है, पाकिस्तान ने 11 से 13 जनवरी, 2003 तक इस्लामाबाद में आयोजित किये जाने के लिए शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव किया है।

(घ) से (च) तिथियां भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत-म्यांमार बैठक

371. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2002 में दिल्ली में आठवीं भारत-म्यांमार बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है; और

(घ) यदि हां, तो म्यांमार को महत्वपूर्ण मित्र देश बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों में संवर्द्धन के समग्र उद्देश्य से जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें सुरक्षा मुद्दे, नशीली दवाइयों का व्यापार, भारतीय म्यांमार सीमा, सीमा स्तम्भों का संयुक्त निरीक्षण, सीमा पर व्यापार और बैंकिंग व्यवस्थाएं, तामू कालेम्यो राजमार्ग का रखरखाव, नदी कलादान बहुपद्धति परिवहन प्रणाली, तामंती जल विद्युत परियोजना, रिह ताल के समीप पर्यटन केंद्र का निर्माण, एक दूसरे के बंदियों से संपर्क शामिल हैं।

(ग) जी, हां। म्यांमा एक महत्वपूर्ण और मित्र पड़ोसी है।

(घ) भारत सरकार अपने हितों के संवर्द्धन के उद्देश्य से उद्योग, शिक्षा, संरचनात्मक परियोजनाओं इत्यादि की स्थापना के सहयोग में अपनी सुदृढ़ता का लाभ उठाते हुए विस्तृत संलग्नता की नीति के माध्यम से म्यांमा सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

[हिन्दी]

प्रतिबंधित औषधियों का अंतर्वाह

372. **श्री सुरेश चन्देल :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अन्य देशों में प्रतिबंधित खतरनाक औषधियां भारत में बेची जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने औषधि क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश का अनुमोदन कर दिया है और विदेशी कंपनियों द्वारा देश में औषधियों के उत्पादन हेतु कारखानों को स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की शर्त को हटा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में ऐसी जानलेवा दवाइयों, जो कि अन्य देशों में प्रतिबन्धित हैं, के बेचे जाने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, एक समय में कुछ देशों में प्रतिबन्धित कतिपय औषध एवं फार्मूलेशनों का अन्य देशों में विपणन जारी रहता है क्योंकि ऐसा करने का निर्णय आमतौर पर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित होता है जो कि देश में लोग प्रचलन (प्रणाली) का ढंग, औषध के प्रति एक जनसंख्या विशेष में कतिपय जाति समूह की विभिन्न प्रतिक्रियाओं तथा सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता और किसी रोग विशेष के उपचार में शामिल लागत जैसे कई कारणों से प्रभावित होती है। यह भी सर्वविदित है कि अल्पसंख्यक जनसंख्या में किसी भी औषध का प्रयोग दुष्प्रभावों अथवा प्रतिकूल असर से पूरी तरह मुक्त नहीं होता।

एक अनुमोदित औषध के जोखिम का मूल्यांकन किसी भी देश में उसकी पुनरीक्षा, निषेध, उसके उपयोग को रोक देने अथवा प्रति-बन्ध लगा देने से शुरू होता है। किसी विशेषज्ञता विशेष में अग्रणी विशेषज्ञ के साथ परामर्श करके आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाता है। उनकी सलाह के आधार पर इस मसले को औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड, जो कि एक सांविधिक निकाय है और जिसमें चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि, राज्य औषध कार्यान्वयन प्राधिकारी, विशेषज्ञ, संस्थागत अभिकरण शामिल हैं, जो भारत सरकार को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 से संबंधित तकनीकी पहलुओं जैसे क्या किसी वर्तमान औषधि पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं अथवा उसे बन्द कर दिया जाए, आदि पर सलाह देते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विगत में सूचित की गई कुछ देशों में प्रतिबन्धित 46 औषधों में से 26 औषधों का विपणन इस देश में कभी नहीं हुआ, शेष 20 औषधों में से 13 औषधों को औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञों की राय, मूल्यांकन और सिफारिश के आधार पर बन्द कर दिया गया है। जबकि 7 औषधों के विपणन को जारी रखने की अनुमति, लेबल पर सावधानी की टिप्पणी, प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी और कुछ मामलों में पैकेट में पर्ची डालने की शर्त पर दी गई है।

(ग) से (ङ) भेषजीय नीति, 2002 में यह व्यवस्था है कि औद्योगिक नीति में समय-समय पर निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति होगी और यह सभी थोक औषधों के मामले में सहज माध्यम से, रिकाम्बीनेन्ट डी०एन०ए० टेक्नोलॉजी के उपयोग से तैयार थोक औषध को छोड़कर उनके सभी इन्टरमीडिएट्स और फार्मूलेशनों, एक्टिव प्रिंसपल्स और विशिष्ट कोशिका/ऊतक लक्षित मिश्रणों के रूप में न्यूक्लियिक अम्लों के इस्तेमाल वाले थोक औषधों पर औषध महानियंत्रक भारत की स्वीकृति पर होगी।

[अनुवाद]

पैंशनभोगियों के संघ द्वारा सौंपा गया अभ्योवदन

373. **श्री जी०जे० जावीया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पैंशनभोगी संघ ने केन्द्र-सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार-कर्मचारी-पेंशन-संघ (एसोसिएशन), गुजरात ने पेंशन-भोगियों के लाभार्थ कुछ मांगें उठाते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इन मांगों में से पेंशन हेतु अर्हक सेवा के अतिरिक्त सेवा किए जाने पर अतिरिक्त पेंशन दिए जाने, 12 वर्ष के उपरांत पेंशन के संराशीकृत अंश की बहाली किए जाने, रोजगार में लगे कुटुम्ब-पेंशन-भोगियों को अंतरिम राहत दिए जाने तथा मुफ्त यात्रा, मुफ्त टेलीफ़ोन की सुविधा दिए जाने आदि अन्य अनेक सुविधाएं दिए जाने से संबंधित मांगें जैसी अधिकांश मांगें, पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों से उभरी हैं। इन मांगों की जांच-पड़ताल कर ली गई है और इन सभी मांगों से पड़ने वाले प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रभावों के मद्देनज़र, उन्हें स्वीकार कर पाना संभव नहीं हुआ है।

उपर्युक्त संघ (एसोसिएशन) को उसके द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों के संदर्भ में वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है।

महँगाई भत्ते/महँगाई राहत का विलय

374. **श्री गुनीपाटी रामैया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब कभी भी कार्यरत कर्मचारियों के मामले में उनके वेतन के साथ महँगाई भत्ते का विलय किया जाएगा तो उसके साथ ही पैंशनभोगियों के मामले में उनके पैंशन के साथ महँगाई राहत का स्वत: विलय हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सिफारिश का कार्यान्वयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपर्युक्त सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) सेवारत कर्मचारियों के संबंध में भी महंगाई भत्ता, वेतन में नहीं मिलाया गया है।

[हिन्दी]

हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि

375. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब हज यात्रियों के कोटे में वृद्धि करने पर सहमत हो गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सऊदी अरब की सरकार के साथ हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय हज प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब गया और उसने सऊदी हज मंत्री के साथ 25 सितम्बर, 2002 को हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अधीन भारत से हज जाने वाले तीर्थ यात्रियों का कोटा पिछले वर्ष के अनुसार ही है। इस संख्या में से 72000 तीर्थ यात्री हज समिति, मुम्बई के तत्वाधान में सऊदी अरब जाएंगे।

(ग) और (घ) जी, हां। हज 2003 के दौरान सऊदी अरब एयर लाइंस मदीना से भारत लौटने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने पर सहमत हो गई है। वे मुम्बई, दिल्ली और अहमदाबाद के अलावा हैदराबाद से भी उड़ान भरेंगी।

जनसंख्या नियंत्रण में निजी संस्थानों की भूमिका

376. **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के कार्य में निजी संगठनों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस उद्देश्य से ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र में ऐसे संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) इसके फलस्वरूप जनसंख्या नियंत्रण में कितनी प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल समाज और गैर-सरकारी संगठनों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाभ न कमाने वाले और समुदाय आधारित संगठनों को जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्षेत्र गैर-सरकारी संगठन को अधिकतम 2 लाख रुपये की दर से 1000 क्षेत्र गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले को अधिकतम 5 लाख रुपये की दर से 104 मदर गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के दौरान मदर गैर-सरकारी संगठनों को ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए 22 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अलासेवित क्षेत्रों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का उपचार करने के लिए स्त्रीरोग विशेषज्ञों और संवेदनाहरण विज्ञानी को प्रत्येक दौरे के लिए क्रमश: 800 रुपये और 1000 रु० प्रदान किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान एवं महाराष्ट्र के गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण सलंग्न है।

(ङ) हालांकि विशिष्ट शर्तों पर जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत किसी उपलब्धि के लिए गैर-सरकारी संगठनों को श्रेय देना सम्भव नहीं है तथापि, गैर-सरकारी संगठनों तथा सिविल समाज के अन्य घटकों के साथ भागीदारी करके सरकार के कुल मिलाकर किए गए प्रयासों के फलस्वरूप अशोधित जन्म दर में गिरावट आई है जो 1991 में 29.5 प्रति हजार जनसंख्या से घटकर वर्ष 2000 में प्रति हजार 25.8 हो गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 1999-2002 के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान में स्थित गैर-सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता

क्र०सं०	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6
1.	सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे	महाराष्ट्र	2500000	20000000	
2.	सोस्वा, पुणे	महाराष्ट्र	2500000	2500000	1900000

1	2	3	4	5	6
3.	परवारा मेडिकल ट्रस्ट, अहमदनगर	महाराष्ट्र	1500000	1406474	1624000
4.	गोदावरी फाउंडेशन, जलगांव	महाराष्ट			1000000
5.	युवक प्रतिष्ठान	महाराष्ट		20000000	
6.	सोस्वा, पुणे	महाराष्ट		133292222	3000000
7.	भोरूका चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर	राजस्थान	1500000		1700000
8.	उर्मूल, रूरल हैल्थ रिसर्च, बीकानेर	राजस्थान		2000000	1000000
9.	स्व-सहयोग संस्था, कस्कू	राजस्थान	405379		325474
10.	इंडियन इस्टी० आफ रूरल डेवलपमेंट एंड रिसर्च	राजस्थान	320198	320198	148471
11.	ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाऊण्डेशन	राजस्थान		787500	
12.	कनसर्नड सिटिजन	राजस्थान		745640	

[अनुवाद]

बिहार के लिए आर्थिक पैकेज

377. **श्री रामदास आठवले :**
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार के विभाजन के बाद इसके विकास एवं समृद्धि के लिए कोई आर्थिक पैकेज तैयार किया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक घोषित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। विकास एवं सुधार सुविधा (राष्ट्रीय सम विकास योजना) संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने 28 अगस्त, 2002 को हुई अपनी बैठक में बिहार के लिए विशेष योजनाएं अनुमोदित की जिनमें उप-पारेषण (सब-ट्रांसमिशन) प्रणाली को सुदृढ़ कर बिहार में बिजली की उपलब्धता में सुधार, ग्रामीण सम्बद्धता में सुधार करना, भूजल संसाधनों को काम में लाना, जलसंभर, विकास, बागवानी, डेयरी विकास आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

भारतीय नौवहन निगम के लाभ में गिरावट

378. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2000-01 की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान भारतीय नौवहन निगम के शुद्ध लाभ में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कारणों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निगम की लाभकारिता में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुकरसर) : (क) जी, हां। वर्ष 2001-02 के लिए भारतीय नौवहन निगम (एस०सी०आई०) का निवल लाभ वर्ष 2000-01 की तुलना में कम हुआ है। विचाराधीन दो वर्षों के लिए कर के बाद निवल लाभ नीचे दर्शाया गया है :–

वित्त वर्ष 2000-2001	38,256 लाख रु०
वित्त वर्ष 2001-2002	24,156 लाख रु०

(ख) से (घ) नौवहन एक आवर्ती व्यवसाय है और वित्त वर्ष 2000-01 की तुलना में वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान एस०सी०आई०

की लाभप्रदत्तता में कमी आने का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल-भाड़ा दरों में गिरावट आना था। भा०नौ०नि० अपने कार्य का संचालन वाणिज्यिक आधार पर करता है और बाजार की स्थिति के अनुसार उपयुक्त वाणिज्यिक निर्णय लेता है।

[अनुवाद]

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवाओं का अध्ययन

379. **श्री अनन्त नायक :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत लोक प्रशासन संस्थान ने सरकार द्वारा प्रायोजित कोई अध्ययन किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर कमियां उद्घाटित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा अध्ययन के परिणामों का विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की सेवाओं की निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के माध्यम से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का मूल्यांकन अध्ययन कराया था। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :–

(1) के०स०स्वा० योजना की कवरेज।

(i) के०स०स्वा० योजना लाभभोगियों की प्राथमिकता वाली स्कीम है क्योंकि इसमें उनका विश्वास है और अन्य वैकल्पिक सुविधाएं खर्चीली भी हैं।

(ii) भूतपूर्व-उपराष्ट्रपति, पूर्व राज्यपाल, संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों को के०स०स्वा० योजना की सुविधाएं के०स०स्वा० योजना के बजट से नहीं होनी चाहिए। स्वायत्त निकायों के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को के०स०स्वा० योजना की सुविधाएं मिलनी चाहिए।

(2) के०स०स्वा० योजना के प्रत्येक लाभभोगी के लिए उसके फोटो वाला स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए।

(3) के०स०स्वा० योजना को चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय पर सही समय पर सही गुणवत्ता वाली औषधियां खरीदने के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :

(i) युक्तिसंगत और व्यापक फार्मूलरी।

(ii) के०स०स्वा० योजना चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो द्वारा शत-प्रतिशत प्रापण और आपूर्ति।

(iii) विशेषज्ञ नुस्खे फार्मूलरी औषधियों तक ही मुख्य रूप से सीमित हों।

(iv) यद्यपि के०स०स्वा० योजना द्वारा नियुक्त स्थानीय केमिस्ट अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट दे रहे हैं, फिर भी सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर औषधियां खरीदना किफायती होगी।

(4) प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए के०एस०स्वा० योजना के लिए कम्प्यूटरीकृत समन्वित सूचना प्रणाली तैयार करना।

(5) मानव संसाधन विकास

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में डाक्टरों और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए समन्वित सतत चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना।

(ग) और (घ) के०स०स्वा० योजना में प्रदान की जानी वाली विभिन्न सेवाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की उक्त रिपोर्ट में दिए गए विभिन्न सुझावों की जांच की जा रही है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जीवन रक्षक मशीनों का उपयोग न किया जाना

380. **श्री वी० वेत्रिसेलवन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 नवम्बर, 2002 'दैनिक जागरण' में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 80 लाख रुपए मूल्य की जीवन रक्षक मशीनों का उपयोग न किए जाने के आशय के समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले की छानबीन की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच-पड़ताल के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अंग प्रत्यारोपण

381. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री राम जीवन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994, अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अनुसार मानव अंग के प्रतिदान के बजाय इसकी अवैध बिक्री की रोकथाम करने के अपने उद्देश्य को किस सीमा तक पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंग प्रत्यारोपण को सुविधाजनक बनाने हेतु कोई नेटवर्क योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अंग प्रत्यारोपण को सुगम बनाने के लिए नेटवर्क स्कीम बनाना मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के कार्यक्षेत्र में नहीं हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में नोडल समन्वयन केन्द्र के रूप में एक ऑर्गन रिट्राइवल एण्ड बैंकिंग आर्गनाइजेशन गठित किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने का काम भी करेगा।

[अनुवाद]

स्टेशनरी की स्थानीय खरीद

382. **श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों के लेखन सामग्री एवं अन्य मदों की स्थानीय खरीद केवल भारत सरकार के स्टेशनरी डिपो से ही करनी होती है और केवल उन्हीं मदों की स्थानीय खरीद करनी होती है जिनकी आपूर्ति स्टेशनरी डिपो द्वारा नहीं की जाती है;

(ख) क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 14 जुलाई, 1981 का कार्यालय ज्ञापन केन्द्रीय भण्डार से सभी मदों को न खरीदने और केवल उन्हीं मदों की स्थानीय खरीद करने के लिए जारी किया गया था जिसे व्यय विभाग की पूर्वानुमति के बगैर मनमाने रूप से शामिल किया गया था;

(ग) क्या अन्य मदों में फर्नीचर, कम्प्यूटर, फोटोकॉपियर, फ्रिज, ए०सी० इत्यादि नहीं आते और इनके खरीद खुली सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके की जाती है;

(घ) यदि हां, तो सरकारी कार्यालयों द्वारा उक्त का अनुपालन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 14 जुलाई, 1981 के कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलंब के क्या कारण है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) वित्त-मंत्रालय से परामर्श करके, केन्द्रीय सरकार के विभागों/केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा वित्तपोषित निकायों को लेखन-सामग्री और अन्य मदों की स्थानीय खरीद, केन्द्रीय भण्डार से करने के अनुदेश 14.07.1981 को जारी किए गए थे। ये आदेश, सरकारी विभागों द्वारा सामान्यत: मँगवाई जाने वाली लेखन-सामग्री, सफ़ाई से संबंधित सामग्री, फ़ोटोकॉपियर, कम्प्यूटर आदि सहित बिजली के सामान और अन्य वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं।

(ङ) और (च) दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय-ज्ञापन के प्रावधान समीक्षाधीन है। उपर्युक्त समीक्षा में अन्तर-मंत्रालय परामर्श शामिल है।

काकरापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र

383. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 2002 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में "एन रिएक्टर फ्लाउटिंग सेफ्टी नार्मस: ए०ई०आर०बी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सूरत स्थित काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र सुरक्षा मानदंडों की अवहेलना करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) परमाणु संयंत्रों के सुरक्षा मानदंडों में सुधार लाने और उनके कार्यकरण को सुचारु बनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मौजूदा सुरक्षा मानदण्ड, अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप हैं। जहां तक सुरक्षा का संबंध है, विनिर्देशों को पूरा करने के अलावा, प्रयास हमेशा निरंतर सुधार करने का रहता है। इसी संबंध में उठाए गए कुछ कदम हैं, प्रमाणु विद्युत संयंत्रों का डिजायन, अन्तर्निहित सुरक्षा व्यवस्था अपनाना, अतिरेकता, विविधता, भौतिक पृथक्करण तथा दोष-सुरक्षा विशेषताएं अपनाना, डिज़ायन तैयार करने समय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम का अनुपालन करना, तथा संयंत्र के परिचालन का मानीटरन/सुरक्षा संबंधी पहलुओं की समीक्षा और संयंत्र के कार्मिकों का प्रशिक्षण।

पश्चिमी बंगाल के चंचल में अस्पताल

384. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले स्थित चंचल में हृदय, वृक्क एवं बाल रोग के विशिष्ट उपचार सहित 250 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए जनसाधारण एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में श्री प्रिय रंजन दास मुंशी संसद सदस्य लोक सभा से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

भारत के संविधान के तहत ''स्वास्थ्य'' राज्य का विषय होने के कारण प्रस्ताव को राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना में शामिल करने के लिए माननीय संसद सदस्य को पश्चिमी बंगाल सरकार से सम्पर्क करने की सलाह दी गई थी क्योंकि पश्चिमी बंगाल उन सात राज्यों में से एक है जिन्हें द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का उन्नयन करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से सहायता दी गई है।

जापान के विशेष दूत का दौरा

385. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जापान के विशेष दूत योशिरो मोरी के हाल के भारत दौरे के दौरान इस बात पर उनसे अपनी निराशा व्यक्त की कि जापान ने आतंकवाद को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला;

(ख) यदि हां, तो इस पर जापान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उनके साथ अन्य किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के भाग के रूप में नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास द्वारा आयोजित ''जापान सप्ताह'' के उद्घाटन के सिलसिले में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी 20 से 22 अक्तूबर, 2002 तक भारत की यात्रा पर आए। उन्हें प्रधानमंत्री कोयीयूमी के विशेष दूत के रूप में भी नामित किया गया।

श्री मोरी ने अपने बलों को फिर से तैनात करने के भारत के निर्णय तथा आतंकवादी गतिविधियों के रहते हुए जम्मू तथा कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न करने का स्वागत किया। उन्होंने आतंकवाद से भारत को हुई क्षति के लिए उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को जापान की संवेदना से अवगत कराया। जापान 13 दिसम्बर की संसद पर हुए हमले के परिणामस्वरूप भारत द्वारा बरते गए संयम को उच्च महत्व देता है। जापान पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने और आतंकवादी शिविरों को रोकने के लिए कहता रहा है। श्री मोरी ने यह भी आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव में कमी आएगी तथा वार्ता पुन: शुरू होगी। उप प्रधानमंत्री ने श्री मोरी को बताया कि दिसम्बर, 2001 में भारतीय संसद पर हुआ हमला भारत के लिए एक अत्यन्त दुखद घटना है। भारत ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान ने कहा कि वह जम्मू तथा कश्मीर में अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवाद का सहारा नहीं लेगा। भारत ने इन बयानों का स्वागत किया और हमेशा माना है कि वह चाहेगा कि इन्हें वास्तविक तौर पर कार्यान्वित किया जाए। दुर्भाग्यवश, वास्तविक तौर पर इन बयानों को कार्य रूप देने के कोई साक्ष्य नहीं हैं। सीमा-पार से आतंकवाद के मसले पर चर्चा हुए विदेश मंत्री ने श्री मोरी को पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को दी गई सीमा-पार से आतंकवाद को समाप्त करने और उन ढ़ाचों को ध्वस्त करने जो आतंकवादी गतिविधि को समर्थन देते हैं, की वचनबद्धताओं का अनुपालन करने में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की असमर्थता के लिए अपनी निराशा से अवगत कराया है। उन्होंने सीमा-पार से आतंकवाद की महाविपदा से मुकाबला करने और भारत के निर्दोष नागरिकों के जीवन की सुरक्षा करने के भारत के निश्चय से अवगत कराया।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों का विदेश दौरा

386. **श्री सुरेश कुरुप :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सकों ने विभिन्न आधारों पर विदेशों का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई छानबीन की गई है कि उनके दौरों का उद्देश्य क्या था और उनके दौरों और विदेशों में प्रवास हेतु कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ चिकित्सक अपने कार्यकाल एवं नियत कार्य के पूरा होने के पश्चात् कार्य पर नहीं लौटे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) इस संस्थान के संकाय सदस्यों को वैज्ञानिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, अध्ययेतावृतियों में भाग लेने और परामर्शदाताओं जैसी विभिन्न विदेशी नियुक्तियों को स्वीकार करने जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए विदेशों में जाने की अनुमति दी जाती है।

(ग) से (छ) इस संस्थान के संकाय सदस्यों को विदेश नियुक्ति से उनकी वापसी पर उनके लिए इस संस्थान की 3 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने को अनिवार्य बनाते हुए 3 लाख रुपये की राशि का बंध-पत्र भरने की शर्त पर असाधारण अवकाश (वेतन रहित) पर भारत और विदेश दोनों में विभिन्न दीर्घकालिक नियुक्तियों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है।

7 संकाय सदस्यों ने विदेश में सुपुर्द कार्य की अवधि पूरा होने पर कार्य-भार नहीं संभाला है और अपनी पात्रता से आगे अपनी विदेश-नियुक्ति की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, 5 संकाय सदस्यों के विरुद्ध सी०सी०एस० (सी०सी०ए०) नियम, 1965 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शेष 2 संकाय सदस्यों को अपनी ड्यूटी के लिए तत्काल रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। ऐसे संकाय सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन संकाय सदस्यों की सूची जिन्होंने अपनी विदेश नियुक्ति की अवधि पूरी होने के पश्चात् अपना कार्यभार नहीं संभाला है

1.	डा० राजीव जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, रेडियो डायग्नोसिस	16.11.1999	15.2.2001	1 वर्ष और 6 महीने	15.2.2001 से आगे दो वर्ष और आगे बढ़ाने के उनके अनुरोध को 19.3.2001 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया है और अभी भी प्रतीक्षा है तथापि, इस कार्यालय के 15.5.2002, 12.8.2002 और 4.10.2002 के ज्ञापन के तहत इस संस्थान में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया है अनुशासनीक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने संस्थान का कोई आवास नहीं लिया हुआ है।
2.	डा० ए०के० पाधी प्रोफेसर व अध्यक्ष, न्यक्लीयर मेडिसिन	17.3.97 21.3.99	9.3.99 20.2.2000	4 वर्ष	पहले 17.3.97 से 2 वर्षों के लिए विदेशी नियुक्ति का लाभ उठाया। आज की तारीख तक कुल 4 वर्ष और 11 महीनो की विदेशी नियुक्ति का लाभ उठाया। 20.2.2002 से आगे 1 वर्ष और 1 महीने की विदेशी नियुक्ति को बढ़ाने का अनुरोध किया है और उस पर सहमति नहीं दी गई है। उनको इस कार्यालय के दिनांक 3.4.2002 और 12.8.2002 के ज्ञापन के तहत इस संस्थान में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया है। लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं आया है। अनुशासनीक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोप पत्र जारी कर दिया गया है और जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। आवासीय स्थान संख्या डी-II/16 को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

3.	डा० पी० मंडल अपर प्रोफेसर, संवेदनाहरण विज्ञान	26.9.98	26.9.2001	लगभग 2 वर्ष और 8 महीने	पहले ही तीन वर्ष से अधिक अवधि की विदेशी नियुक्ति का लाभ उठाया गया है। 26.9.2001 से आगे इसकी एक वर्ष की अवधि बढ़ाने के उनके अनुरोध पर सहमति नहीं दी गई है और इस कार्यालय के दिनांक 11.2.2002, 16.3.2002 तथा 12.8.2002 के ज्ञापन के तहत ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया है। उन्होंने ड्यूटी के रिपोर्ट नहीं किया है और अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। आवासीय स्थान ई-81 को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
4.	डा० सुखपाल साहनी अपर प्रोफेसर, रेडियो डायग्नोसिस	15.5.98	15.5.2002	3 वर्ष और 4 महीने	उनको 4 वर्ष 10 महीने की अनुमति दी गई है। अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आदेशों के अनुसार 15.5.2002 से उनकी विदेशी नियुक्ति की अवधि को समाप्त कर दिया गया है और इस कार्यालय के दिनांक 15.5.2002 और 12.8.2002 के ज्ञापन के तहत उनको ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया है। उन्होंने अब तक रिपोर्ट नहीं किया है। अनुशासनीक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है। आवास संख्या डी-II/41 को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
5.	डा० रेणु गुप्ता एसो० प्रोफेसर, रेडियो डायग्नोसिस	28.8.1996	30.11.2001	3 वर्ष और लगभग 10 महीने	उन्होंने पहले ही चार वर्ष और छह महीने की विदेशी नियुक्ति का लाभ उठा लिया है। 30.11.01 को अपना त्याग पत्र दे दिया है। त्याग पत्र स्वीकार करने से पहले उनको कार्य भार संभालने के लिए कहा गया है। उनको इस कार्यालय के 18.12.01, 11.2.02, 23.3.02, 14.5.02 और 12.8.02 के ज्ञापन के तहत ड्यूटी करने के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया है। अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। अनुशासनीक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोप पत्र जारी किया जा चुका है और जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। उनके पास संस्थान का कोई आवास नहीं है।
6.	डा० बलराम भार्गव एसो० प्रोफेसर हृदय रोग विज्ञान	18.5.01	17.5.02	2 वर्ष	उनको एक वर्ष की अनुमति दी गई और वे अभी भी और एक वर्ष की अवधि की विदेशी नियुक्ति के पात्र हैं। उन्होंने 30.4.02 से आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए अनुरोध किया है और उस पर सहमति नहीं दी गई है। उन्होंने पुन: इस पर विचार करने का अनुरोध किया और और इस पर विचार किया जा रहा है।
7.	डा० राजू शर्मा एसो० प्रोफेसर रेडियो डायग्नोसिस	6.1.01	5.9.02	1 वर्ष और 8 महीने	5.9.02 से आगे और तीन महीने की विदेशी नियुक्ति की अवधि को बढ़ाने की मंजूरी प्रदान करने के उनके अनुरोध पर सहमति नहीं दी गई है। अत: उनको ड्यूटी के लिए तत्काल रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। उनके उत्तर/कार्यभार संभालने की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

अवैध दूरभाष केन्द्र

387. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में चल रहे ऐसे अवैध दूरभाष केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) उनके संचालन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) पिछले एक साल के दौरान (नवम्बर, 2001 से अक्तूबर, 2002 तक) सी०बी०आई०/पुलिस की सहायता से वी०एस०एन०एल० और आई०एल०डी० प्रचालक नेटवर्क को बाइपास करने वाले अवैध आवक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल ''सेटअप'' के 33 मामलों का पता लगाया गया हैं और उन पर छापे मारे गए हैं तथा तत्काल उनका संचालन बंद करा दिया गया है। इस समय कोई अवैध अन्तर्राष्ट्रीय कॉल ''सैट अप'' जानकारी में नहीं है।

(ग) सरकार इस प्रकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए सतत् स्थिति की समीक्षा करती रहती है और सुधारात्मक उपाय करती है। इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं;

(i) दूरसंचार संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए महानगरों में समर्पित सी०बी०आई० प्रकोष्ठों का सृजन।

(ii) दूरसंचार एक्सचेंजों के स्तर पर गहन जांच की जाती है।

(iii) सेवा प्रदाताओं और जांच एजेंसियों के बीच गहरा तालमेल रखा जाता है।

लघु उद्योग संबंधी निर्यात

388. **श्री वाई०वी० राव :** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल निर्यात में लघु उद्योगों का योगदान लगभग 35 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र द्वारा अनुमानत: कितना रोजगार सृजन किया गया है; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुमान किया गया है कि लघु उद्योग सेक्टर ने वर्ष 2001-02 में 19.22 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया।

(ग) सरकार द्वारा 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग सेक्टर के सुदृढ़ीकरण और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए घोषित व्यापक नीति पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, क्रेडिट की सरल पहुंच, 25.00 लाख रुपये तक के संयुक्त ऋण की सम्पार्श्विकता मुक्त उपलब्धता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा सुधरी हुई बुनियादी संरचना के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता।

चार औषधि मिश्रित नियत खुराक

389. **डा० बलिराम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तपेदिक के रोगियों के लिए चार औषधि मिश्रित नियत खुराक को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अधिसूचना कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त औषधियों के लिए अनुमति चाहने वाले सभी नए निर्माताओं को जैव-समानता बरतनी होगी;

(घ) यदि हां, तो अधिकृत जांच प्रयोगशालाएं कौन सी हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन जैव-समानता रिपोर्टों को अनुमोदन हेतु डी०सी०जी०आई० को सौंपना होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा तपेदिक रोधी चार औषध मिश्रित नियत खुराक संबंधी विषय की जांच की गई और यह बोर्ड सिद्धांत रूप में तपेदिक-रोधी चार औषध मिश्रित नियत खुराक के लिए अनुमति देने और प्रतिबंधित औषध की सूची में मौजूदा प्रवेश सं० 29 को समुचित रूप से संशोधित करने पर सहमत हो गया है। अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) से (च) तपेदिक रोधी चार औषध मिश्रित नियत खुराक के नए विनिर्माताओं के लिए जैव-समानता संबंधी अध्ययन की आवश्यकता की जांच की जा रही है। मुख्य रूप से नए औषधों के मुखीय खुराक के लिए जैव समानता अध्ययनों की अपेक्षा की जाती है। उपलब्ध विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे के आधार पर कई केन्द्रों द्वारा जैव समानता रिपोर्टों पर विचार किया गया है। ये केन्द्र हैं, मुम्बई कॉलेज आफ फार्मेसी, मुम्बई एम०के० फार्मेसी कालेज, मुम्बई थेरपेटिक ड्रग मानीटरिंग प्रयोगशाला, मुम्बई, बायो-काइनेटिक सेन्टर मुम्बई, ड्रग मानीटरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मुम्बई, जे०एस०एस० कॉलेज आफ फार्मेसी ऊटी, एन०आई०पी०ई०आर०, चण्डीगढ़, पी०ई०आर०डी० सेन्टर, अहमदाबाद, निजाम इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद, विमाता लैब, हैदराबाद, सिप्रा लैब, हैदराबाद, रैनबेक्सी रिसर्च लैब, गुडगांव, जाइडस केडिला, अहमदाबाद, एस०पी०

ए०आर०सी०, बडोदरा, गुजरात कालेज आफ फार्मास्यूटिकल साइसेंज, मणिपाल, कर्नाटक, टॉरिन्ट रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद और लाम्बदा थेरेपेटिक्स, अहमदाबाद।

जड़ी-बूटी केन्द्र

390. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में विशाल संसाधन का दोहन करने के लिए देश में जड़ी-बूटी केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में जड़ी-बूटियों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जड़ी-बूटी केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) (1) सरकार ने कच्ची औषधियों की समग्र वृद्धि एवं विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड स्थापित किया है।

(2) औषधीय पादपों/जड़ी-बूटीय उद्यानों की स्थापना करने और औषधीय पादप उगाने की कृषि तकनीकों का विकास करने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया गया है।

(3) देश में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी जड़ी-बूटीय औषधियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नौंवी योजना के दौरान राज्य फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण की योजना कार्यान्वित कर दी गई है।

नौवहन उद्योग द्वारा अर्जित आय

391. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा नौवहन उद्योग से अर्जित कुल आमदनी वर्षवार कितनी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के नौवहन उद्योग का हिस्सा निजी नौवहन कंपनियों के हिस्से से काफी अधिक है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान अर्जित आय में उनका कुल हिस्सा कितना है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र की नौवहन कंपनियों की आय में अधोगामी रूझान है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस अधोगामी रूझान की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुकरसर) : (क) सरकार को अपने 80.12% पण के लिए भारतीय नौवहन निगम (एस०सी०आई०) से लाभांश के रूप में होने वाली आय को छोड़कर नौवहन कंपनियों से सीधे तौर पर कोई आय नहीं होती है। भा०नौ०नि० ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को क्रमश: 1999-2000 में 45.20 करोड़ रु०, 2000-01 में 70.60 करोड़ रु० और 2001-02 में 79.17 करोड़ रु० लाभांश का भुगतान किया है। तथापि, वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 में नौवहन कंपनियों (जो 14 कंपनियों वाली आई०एन०एस०ए० की सदस्य हैं) ने क्रमश: 4695.82 करोड़ रु०, 5591.47 करोड़ रु० और 5807.53 करोड़ रु० की कुल आय अर्जित की है।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एकमात्र उपक्रम भा०नौ०नि० ने वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमश: 2607.98 करोड़ रु०, 3132.23 करोड़ रु० और 2906.21 करोड़ रु० की आय अर्जित की है।

(घ) से (च) जी, हां। विश्वव्यापी रूप से भाड़ा दरों में, सभी स्तरों पर आई मंदी के कारण भा०नौ०नि० लि० द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान अर्जित की गई आय में वर्ष 2000-01 की तुलना में कमी आई है। तथापि, सरकार ने नौवहन उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं :–

- सभी प्रकार के पोतों के आयात के ओ०जी०एल० में शामिल किया गया है।
- पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा 15 जून, 2001 और 5 मार्च, 2002 को जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार पोतों (पुराने पोतों सहित) का अब लाइसेंस के बिना मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।
- नौवहन क्षेत्र में 100% एफ०डी०आई० की अनुमति दी गई है।
- वर्ष 2001-02 के वित्त विधेयक में पोतों के आयात पर लगाये गए 5% प्रस्तावित सीमा शुल्क को हटा लिया गया है।
- पोतों के लिए मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ा कर 25% कर दिया गया है।
- आय कर अधिनियम की धारा 33एसी को भारतीय नौवहन कंपनियों के लिए और अधिक आकर्षक बना दिया गया है। नये अधिग्रहण के लिए नौवहन कंपनियों द्वारा बनाए

जाने वाले रिजर्व की सीमा में अब सामान्य रिजर्व और शेयर प्रीमियम रिजर्व भी शामिल होंगे। पहले इसकी सीमा नौवहन कंपनियों की चुकता पूंजी के दुगुनी तक थी।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

392. **डा० जसवंतसिंह यादव :**
श्री शिवाजी माने :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु आबंटित धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को ओर अधिक संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु कितना धन आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारें उन्हें प्रदान की गई समग्र निधियों में से अपनी आवश्यकतानुसार और राज्य क्षेत्र स्वास्थ्य परिव्यय के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करती हैं। इस प्रकार भारत सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई पृथक निधियां आबंटित नहीं करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है।

विवरण

1999-2002 के दौरान स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	50	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	7	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार*	0	0	0
5.	छत्तीगढ़		0	0
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	17	17	31
8.	हरियाणा	0	0	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
11.	झारखण्ड		0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0
13.	केरल	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	63	6	0
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	3	0
19.	नागालैंड	13	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	12	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तरांचल		0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
28.	पश्चिमी बंगाल	0	0	0
29.	अंदमान निकोबार द्वीप	1	0	0
30.	चण्डीगढ़	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	169	35	33

*अविभाजित राज्य की सूचना।

[अनुवाद]

डब्ल्यू०एल०एल० प्रौद्योगिकी

393. **श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इंडोर उपयोग के लिए 24 मेगा हर्टज बैंड में ब्ल्यूटूथ वायरलेस प्रौद्योगिकी को लाइसेंस मुक्त कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आउट डोर उपभोक्ताओं के लिए इस प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देगी ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां, किसी व्यक्ति के एकल संलग्न अहाता, विधिवत मान्यता प्राप्त संगठन या संस्था सहित इन्डोर उपयोग के लिए 100 मिलिवाट तक सीमित आर०एफ० पावर की बेतार प्रौद्योगिकी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ख) जी, हां, एक लाइसेंस के तहत।

भारत आयुर्वेदिक निर्यात परिषद की स्थापना

394. **श्री अम्बरीश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से भारत आयुर्वेदिक निर्यात परिषद के सृजन और आयुर्वेद के लिए विशेष आर्थिक जोन के सृजन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों को जोड़ा जाना

395. **श्री पी०सी० थामस :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में कोई परियोजना है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य को केरल में कासरगोड़ से जोड़ने की कोई योजना है;

(ग) क्या केरल सरकार ने कोचीन पत्तन को मंगलौर पत्तन से जोड़ने और तदनुसार मुंबई से जोड़ने की परियोजना प्रस्तुत की है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार के पास कोचीन को चेन्नई पत्तन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कों से जोड़ने की योजना है, और यदि कोई कार्य किया गया है तो उसमें कितनी प्रगति हुई है, इस संबंध में कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है अथवा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में कासरगोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के माध्यम से कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है जो 2 लेन का मार्ग है। कर्नाटक में नव मंगलूर पत्तन के लिए सड़क संपर्क के विकास हेतु सौंपा गए परामर्शी कार्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 का मंगलूर से कासरगोड़ खंड शामिल है। तथापि, पत्तन के लिए यातायात की सघनता को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के इस खंड को चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) महापत्तनों के लिए सड़क संपर्क विकास कार्यक्रम में एक पत्तन को दूसरे पत्तन से जोड़ने की परिकल्पना नहीं है। कोचीन पत्तन को चेन्नै पत्तन से अंतराष्ट्रीय स्तर की सड़कों से जोड़ने की कोई स्कीम नहीं है।

नई टेलीफोन डॉयरेक्ट्री

396. **श्री पी०आर० किन्डिया :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम टेलीफोन डॉयरेक्ट्रियों का मुद्रण कर लिया गया है और इन्हें दिल्ली और मुम्बई में उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली और मुम्बई के उपभोक्ताओं को नई टेलीफोन डॉयरेक्ट्रियां कब तक वितरित किए जाने की संभावना है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। नवीनतम अनुपूरक फोन बुक 2001 (फोन बुक 1999 की अनुपूरक) मुद्रित की गई थी तथा जनवरी, 2001 से दिल्ली एवं जनवरी, 2002 से मुम्बई में वितरित की जा रही है। दिल्ली और मुम्बई के लिए टेलीफोन डॉयरेक्ट्री सी०डी० रोम (अप्रैल, 2002 तक अद्यतनशुदा) पर भी उपलब्ध है। नवीनतम डॉयरेक्ट्री, डॉयरेक्ट्री पूछताछ 197 के अतिरिक्त, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है।

(ग) एम०टी०एन०एल० ने वर्ष 2003 के दौरान अपने उपभोक्ताओं को नई डॉयरेक्ट्री प्रदान करने की योजना बनाई है यद्यपि पारम्परिक रूप से मुद्रित डॉयरेक्ट्री की मांग ज्यादा नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

397. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क में हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा की बैठक में दक्षिण एशिया में शांति को परमाणु खतरा बताते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत के विरुद्ध परमाणु-भयोदोहन में लगे रहे;

(ख) यदि हां, तो भारत की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ग) भारत पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उनकी टीम द्वारा प्रचारित इस भ्रामक जानकारी को दूर करने में किस सीमा तक सफल रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने सम्बोधन में, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अब भी दक्षिण एशिया को एक न्यूक्लीअर फ्लैशप्वाइंट बताते हुए इसी के समान वक्तव्य दिया था।

(ख) और (ग) इस प्रकार के वक्तव्य न्यूक्लीयर हथियारों को युद्ध के उपकरणों के रूप में देखते हुए पूर्वानुमानित हैं जिन्हें भारत नकारता है। हमारा न्यूक्लीयर सिद्धांत विशुद्ध रूप से रक्षात्मक है तथा हम न्यूक्लीयर हथियारों को युद्ध के उपकरणों के रूप में नहीं देखते हैं। भारत नाभिकीय हथियारों का उपयोग पहले नहीं करेगा न ही वह इनका उपयोग न्यूक्लीयर हथियार रहित राज्यों के विरूद्ध करेगा। भारत के न्यूक्लीयर हथियारों के उपयोग न करने संबंधी तथा न्यूक्लीयर खतरे नियंत्रित करने संबंधी प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में व्यापक समर्थन मिला है।

[हिन्दी]

भारत और नेपाल के बीच नदी जल का बंटवारा

398. **योगी आदित्यनाथ** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच नदी-जल बंटवारे के संबंध में कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मतभेदों को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) जल संसाधनों के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच सहयोग के लिए पर्याप्त क्षमता है। भारत और नेपाल पहले ही बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ की रोकथाम और तटबंधों के निर्माण के संबंध में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। नेपाल तथा भारत दोनों में बाढ़ों की समस्याओं को कम करने के लिए भारत नेपाल में चार प्रमुख बाढ़ उन्मुख नदियों-लाल बाकाया, खांडों, कामला और बागमती पर तटबंधों के निर्माण के वित्त पोषित करने के लिए सहमत हुआ है जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। जल संसाधनों में भारत-नेपाल सहयोग के संपूर्ण क्षेत्र पर दोनों जल संसाधन सचिवों के नेतृत्व में जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति द्वारा निगरानी की जाती है। जे०सी०डब्ल्यू०आर० ने विशिष्ट पहलुओं की जांच करने के लिए निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया है :–

- बाढ़ पूर्वानुमान समिति
- बाढ़ समस्याओं से संबद्ध स्थायी समिति
- तटबंध निर्माण संबंधी उप-समिति
- कोसी तथा गंडक संबंधी समन्वय समिति
- साप्ता कोसी/सन कोसी उच्च बांध परियोजना के लिए संयुक्त विशेषज्ञ दल।

शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी की एकीकृत विकास से संबंधित एक संधि फरवरी, 1996 में तत्कालीन नेपाल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत की यात्रा के दौरान संपन्न हुई। इसका अब दोनों पक्षों ने अनुमोदन कर दिया है। इस संधि के तहत, भारत और नेपाल पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना को एक एकीकृत परियोजना के रूप में कार्यान्वित करने के लिए सहमत हुए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य दिसम्बर, 1999 में आरंभ हुआ। तभी से क्षेत्र जांच और तकनीकी सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं। डी०पी०आर० को अंतिम रूप देने से पूर्व कुछ तकनीकी मसलों का समाधान किया जाना अपेक्षित है।

भारत और नेपाल की सरकारें परियोजना के लिए एक डी०पी०आर० की तैयारी के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए सर्वेक्षणों और अनुसंधानों संबंधी कार्य के लिए साप्ता कोसी/सन कोसी परियोजना से संबद्ध एक संयुक्त कार्यालय के गठन के लिए भी सहमत हुई हैं।

[अनुवाद]

पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

399. **श्री पी०एस० गढ़वी** : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कार्य क्षेत्र की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रमुख पत्तनों की कोई स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुक्करसर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों की पहचान कर ली है :–

(i) पत्तन की मौजूदा परिसम्पत्तियों को पट्टे पर देना

(ii) अतिरिक्त परिसम्पतियों का निर्माण/सृजन जैसे कि;

(क) कंटेनर टर्मिनल का निर्माण तथा प्रचालन

(ख) बल्क, बहुउद्देश्यीय तथा विशेष कार्गो बर्थों का निर्माण तथा प्रचालन।

(ग) वेयरहाउसिंग, कंटेनर भाड़ा स्टेशन, भंडारण सुविधाएं तथा टैंक फार्म।

(घ) क्रेनेज/हैंडलिंग उपस्कर।

(ङ) आबद्ध विद्युत संयंत्रों की स्थापना।

(च) शुष्क गोदीकरण तथा जहाज मरम्मत सुविधाएं।

(ii) पत्तन हैंडलिंग के लिए उपस्कर पट्टे पर लेना तथा निजीक्षेत्र से फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।

(iv) पायलटेज

(v) पत्तन आधारित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

उक्त क्षेत्र स्वरूप में सांकेतिक हैं तथा अलग-अलग पत्तन, केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श के बाद अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। इन मार्गनिर्देशों का उद्देश्य बैंकग्राह्य दस्तावेज उपलब्ध कराना है और साथ ही साथ स्पष्ट निविदा प्रक्रियाओं, अर्हता मानदंड, तकनीकी प्रस्तावों के लिए विषय-वस्तु और मूल्यांकन मानदंड, चयन मानदंड, वित्तीय निविदा प्रारूप, राजस्व भागीदारी, फालतू श्रमिकों की पुन: तैनाती के लिए प्रक्रिया, चूक, समाप्ति प्रक्रिया, विवाद सुलझाने आदि के मामले में क्षतिपूर्ति को विनिदिष्ट करके निजीक्षेत्र की पत्तन परियोजनाओं के लिए एकरूपता लाना तथा निविदाओं को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करना है। इन मार्गनिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि निजी निवेश से निजी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न न हो और इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए बचाव उपाय भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सकों की लापरवाही के कारण मौतें

400. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की लापरवाही के परिणामस्वरूप मरीजों की मौतों और शारीरिक अपंगता के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मामलों में कोई कार्रवाई की है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गांव के डाकिए के माध्यम से मोबाइल टेलीफोन सुविधा

401. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार गांव के डाकिए के माध्यम से मोबाइल पोस्टमैन नामक मोबाइल टेलीफोन सुविधा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सुविधा के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यह सुविधा कब तक और पहले किन-किन राज्यों/क्षेत्रों में आरम्भ की जानी है; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मोबाइल टेलीफोनों की खरीद के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए डब्ल्यू०एल०एल० आधारित फोन पर एक पायलट परियोजना शुरू करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसकी रूपरेखाओं के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

सड़कों का निर्माण

402. श्री एम०के० सुब्बा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने लखीमपुर से मजूली-जोराहाट-लोहित-खाबुलू ब्रिज तक सड़क निर्माण हेतु परियोजना को मंजूरी दी थी;

(ख) क्या इसके सर्वेक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत/निर्धारित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान में परियोजना का कार्यान्वयन किस चरण में है; और

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चंडीगढ़ में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

403. श्री पवन कुमार बंसल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेरहवीं लोक सभा की अवधि के दौरान चंडीगढ़ में आज की तिथि तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं;

(ख) कितने कार्य पूरे कर लिए गए हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) कितने कार्य शुरू किए गए लेकिन पूरे नहीं हुए और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जानी है; और

(घ) क्रमशः छह माह, नौ माह और एक वर्ष से अधिक समय से कितने कार्य लम्बित हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) 13वीं लोक सभा की अवधि के दौरान सांसदों द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 372 कार्यों के लिए अनुशंसाएँ की गई।

(ख) 168 कार्य पूरे किए गए। इन कार्यों पर 3.25 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई।

(ग) 72 कार्य शुरू किए गए परंतु पूरे नहीं हुए। इन कार्यों पर 2.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(घ) 6 महीने, 9 महीने और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित अधूरे कार्यों की संख्या क्रमशः 18, 15 और 5 है।

पत्तनों पर भीड़-भाड़

404. श्री मोहन रावले :
श्री अनन्त नायक :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों में भीड़-भाड़ के परिणामस्वरूप कार्गो को लादने और उतारने की प्रतीक्षा अवधि बढ़ गई है और तदनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान किए जाने वाला विलम्ब शुल्क भी बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो देश के प्रमुख पत्तनों पर कार्गो को लादने और उतारने के दिनों की औसत संख्या क्या है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुकरसर) : (क) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में सभी पत्तनों के लिए पत्तन के खाते में पोतों का औसत बर्थिंग-पूर्व अवरोधन और औसत टर्न-अराउंड समय इस प्रकार रहा है :–

वर्ष	पत्तन के कारण पोतों का बर्थिंग-पूर्व अवरोधन	औसत टर्न-अराउंड समय
1999-2000	0.9 दिन	5.10 दिन
2000-2001	0.5 दिन	4.10 दिन
2001-2002	0.5 दिन	3.70 दिन

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम

405. श्री मानसिंह पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठनवार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं और लेखा प्रस्तुत करने वाले संगठन कौन-कौन हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी संगठन द्वारा निधियों के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रोग कोष

406. **श्री किरीट सोमैया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के लिए राष्ट्रीय रोग कोष स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछली किस्त कब दी गई थी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने जीवनदायी अरोग्य योजना निधि नामक रोग सहायता निधि बनाई है। केन्द्र सरकार ने 30.10.1998 को जीवनदायी अरोग्य योजना निधि के लिए 2.00 करोड़ रुपए का अंशदान किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार को पहले के 2.00 करोड़ रुपए के अनुदान के लिए समुपयोजन प्रमाण-पत्र और उसके द्वारा जीवनदायी अरोग्य योजना निधि में आगे दिए गए अंशदान का ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण सार्वजनिक फोन

407. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कुल कितने ग्रामीण सार्वजनिक फोन संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 2002-2003 में कितने नए ग्रामीण सार्वजनिक फोन संचालित किए जाएंगे; और

(ग) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा चालू वर्ष में आंध्र प्रदेश में फोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार बी०एस०एन०एल० द्वारा आंध्र प्रदेश में 23,419 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी०पी०टी०) का प्रचालन किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान बी०एस०एन०एल० का आंध्र प्रदेश में वी०पी०टी० प्रदान करने का कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि बी०एस०एन०एल० ने आंध्र प्रदेश में वी०पी०टी० प्रदान करने का अपने हिस्से का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं :

(i) ग्रामीण नेटवर्क में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यू० एल०एल०) प्रौद्योगिकी का समावेश।

(ii) नेटवर्क में सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं का समावेश किया जा रहा है।

(iii) एम०ए०आर०आर० आधारित वी०पी०टी० का चरणबद्ध रूप से लैंडलाइनों/डब्ल्यू०एल०एल० सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापन।

(iv) सभी मंडल मुख्यालयों में इंटरनेट ढाबों की व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा पी०सी०ओ० का संचालन

408. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल**
प्रो० दुखा भगत :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनधिकृत व्यक्ति विकलांग और बेरोजगार व्यक्तियों के नाम पर आवंटित एस०टी०डी०/पी०सी०ओ० संचालित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों और ऐसे व्यक्तियों के बीच सांठ-गांठ के किसी मामले का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। कुल मिलाकर ऐसे 22 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14 दिल्ली के और 8 उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल के हैं।

(ग) इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा चुकी है। 19 पी०सी०ओ० बंद कर दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य राजमार्गों में परिवर्तन

409. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का अनुरोध किया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन करने के लिए सभी प्रस्ताव नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर समीक्षा हेतू जून, 2002 में संबंधित राज्य सरकारों को वापस कर दिए गए हैं। इस समय धनराशि के अभाव के कारण नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर प्रतिबंध है। तथापि, सरकार प्रतिबंध हटा लिए जाने के पश्चात् यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमित लंबाई के कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार कर सकती है।

भारत-अमरीका टीका कार्यक्रम

410. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका भारत-अमरीका टीका कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मलेरिया, तपेदिक (टी०बी०) एच०आई०वी० और टाइफाइड के टीकों के विकास पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या यह निर्माण भारत-अमरीका विज्ञान मंच की दिनांक 19 मार्च, 2002 को हुई बैठक के दौरान लिया गया था; और

(घ) बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां। भारत-अमरीकी वैक्सीन एक्शन कार्यक्रम के संयुक्त कार्यदल ने इस कार्यक्रम का समय बढ़ाने की संस्तुति की है। अमरीकी पक्ष ने अपनी सहमति की सूचना दे दी है। मंत्रिमंडल ने 18 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया और इस कार्यक्रम की अवधि अगस्त, 2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सहमति दी।

(ख) विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए कार्यनीतिक योजना दस्तावेज में एच०आई०वी०/एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के लिए वैक्सीनों के विकास पर जोर देने का सुझाव दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मार्च, 2002 में हुई भारत-अमरीकी एस एवं टी मंच की शासी निकाय की बैठक में संयुक्त कार्यशालाओं, फोरम फरंटियर फेलोज कार्यक्रमों, आमंत्रित व्याख्यानों के आयोजन और डेटाबेसों के सृजन जैसे प्रशासनिक और वैज्ञानिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

लघु उद्योग पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की रिपोर्ट

411. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री अखिलेश यादव :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती रीना चौधरी :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की वर्ष 2001 की रिपोर्ट के अनुसार देश में लघु उद्योगों पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) के अन्तर्गत हस्ताक्षरित समझौतों के कारण पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये गये उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां, यह लघु उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा के समक्ष ला सकता है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि निर्यात हेतु अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त यह उन्हें कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और अन्य इन्पुट सरल तरीके से तथा सस्ते मूल्यों पर प्राप्त करने में सक्षम बना देता है।

(ग) सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों के विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्रेडिट गुणवत्ता सुधार इत्यादि के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार

ने इस दिशा में कई उपचारात्मक कदम उठाए हैं और इन उपायों का यह पैकेज़ क्रेडिट के सरल प्रवाह हेतु राजकोषीय प्रोत्साहन, विपणन सहायता, 25 लाख रु० के संपार्श्विक मुक्त मिश्रित ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण हेतु आधारभूत संरचना प्रदान करता है।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

412. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री शिवाजी माने :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर नए डाकघर खोले गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में कितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ग) डाकघरों में रोजगार पर कम्प्यूटरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इन राज्यों में डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् कितने कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित किया गया है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कर्नाटक और जम्मू व कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नए डाकघर खोले गए हैं उन स्थानों के नाम क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा विवरण-III में दिए गए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जिन स्थानों पर नए डाकघर खोले गए हैं, उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 के दौरान जिन स्थानों में नए डाकघर खोले गए हैं उनका ब्यौरा शीघ्र ही सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में जितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है, उनकी संख्या निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002	चालू वर्ष
1.	कर्नाटक	7	6	9	–
2.	महाराष्ट्र	21	40	202	11
3.	जम्मू व कश्मीर	4	7	10	–

(ग) और (घ) मानवशक्ति में बचत संबंधी कम्प्यूटरीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि अधिकांश डाकघरों में बैक-आफिस के कम्प्यूटरीकरण को अभी पूरी तरह स्थिरता प्रदान की जानी है। मानवशक्ति में बचत मुख्यतः किसी डाकघर की विभिन्न शाखाओं में इस समय एक ही काम जो बार-बार होता है, उसे समाप्त करके बैक-आफिस कार्यों के कम्प्यूटरीकरण से प्राप्त होगी।

कम्प्यूटरीकृत परिवेश में कर्मचारियों की पुनः तैनाती के मानदंडों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को वास्तविक स्थिति की समीक्षा तथा कार्य के अन्य क्षेत्रों में उनकी बढ़ती जरूरत के आधार पर पुनः तैनात किया जा सकता है।

ग्रुप-ग तथा ग्रुप-घ कर्मचारियों को पुनः तैनात करने की शक्तियां सर्किल अध्यक्षों के पास हैं तथा सरप्लस कर्मचारियों को वास्तविक स्थिति की समीक्षा तथा कार्य के नए क्षेत्रों में उनकी जरूरत के आधार पर पुनः तैनात किया जा रहा है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में कर्नाटक में जिन स्थानों पर नए डाकघर खोले गए, उनका विवरण

1999-2000

स्थान	जिला
1	2
1. उरुगापुरा	बेंगलूर, ग्रामीण
2. किरागला	चिकमंगलूर
3. नेल्लूर	हसन
4. दिब्बूर	तुंकूर
5. बेल्लारपाडे	उडुपी
6. बीरनहल्ली	मैसूर
7. चौडनहल्ली	मन्डया
8. गतगड्डी	बेलगांव
9. देवागोडी	चिकमंगलूर
10. बुदाली	दक्षिण कन्नडा
11. हेग्गर रीहेबिलिटेशन सेंटर	उत्तर कन्नडा
12. शोप्पिनहोसहल्ल	उत्तर कन्नडा
13. बेविनहल्ली	रायचूर
14. पारवाड़	बेलगांव

1	2
15. मुंडगे	उत्तर कन्नडा
16. डी०एस० हडगली	बेलगांव
17. बोलारे	बेंगलूर शहरी
18. तोदुर कैंप	उत्तर कन्नडा
19. बूवनहल्ली	हस्सन
20. आमते	बेलगांव
21. येदुपुरा	हस्सन

2000-2001

स्थान	जिला
1. थुपुर	शिमोगा
2. पुरुदालु	शिमोगा
3. हरिज	शिमोगा
4. पंचपडी	दक्षिण कन्नडा
5. पिल्लया	दक्षिण कन्नडा
6. वोदिनाला	दक्षिण कन्नडा
7. अजिलम ओगरु	दक्षिण कन्नडा
8. जवालिकेलागुर	चिकमंगलूर
9. संपजे गेट	दक्षिण कन्नडा
10. एलाथुर	दक्षिण कन्नडा
11. नयानगर	बेलगांव
12. बासरकोड	बेलगांव
13. यारदा	बेलगांव
14. शिवयोगिनगर	बेलगांव
15. रक्कसक्कोप्पा	रायचूर
16. बागलगुंटे	बेंगलूर शहरी
17. हिरेबेल्लिकट्टी	बेलगांव
18. चिक्कमल्लपुर	चामराजनगर
19. होन्नेकोडिगे	चिकमंगलूर
20. कवलक्कि	करवर
21. यरगुद्रि	बेलगांव

2001-2002 **चालू वर्ष**

स्थान	जिला	स्थान	जिला
1. कवाडी	चिकमंगलूर	1. अनन्तवाडी	करवार
2. नगनपुरा	चिकमंगलूर	2. हीरोहल्ली	बेंगलूर शहरी
3. हलन्दुर	चिकमंगलूर		
4. रेंजिलडि	पुट्टूर		
5. मेलुकोप्पा	चिकमंगलूर		
6. मोन्टेपडवु	दक्षिण कन्नडा		
7. चिक्कोप	बेलगांव		
8. नुग्गनहट्टी	बेलगांव		
9. कोडिगेहल्ली	बेंगलूर शहरी		
10. मन्डिबेले	बेंगलूर ग्रामीण		
11. के०बी० सर्किल	शिमोगा		
12. जकबल	बेलगांव		
13. दोड्डापुर	हस्सन		

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में महाराष्ट्र में जिन स्थानों पर नये डाकघर खोले गए हैं, उनका विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में खोले गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों/उप डाकघरों की सूची

क्र० सं०	ईडीबीओ का नाम	जिला	खोलने की तारीख
1	2	3	4
1.	धनगड़ जवाली	बीड़	05.01.2001
2.	बेरगांव बी०के०	जलगांव	10.01.2001
3.	चरतना	जलगांव	08.01.2001
4.	वैरूली के०एच०	जलगांव	10.01.2001
5.	जौलका	नासिक	19.01.2001
6.	वारणी	बीड	10.01.2001
7.	करेगांव	बीड	05.02.2001
8.	सोनवाला	बीड	17.02.2001
9.	मलकापुर	लातूर	29.01.2001

1	2	3	4
10.	मनगेली	सिंधुदुर्ग	16.01.2001
11.	तलेखोल	सिंधुदुर्ग	18.01.2001
12.	वडखोल	सिंधुदुर्ग	15.03.2001
13.	भट शिरगांव	सांगली	01.01.2001
14.	तिवारी घेरा प्राचीगढ़	रत्नागिरी	01.01.2001
15.	अरूले	सिंधुदुर्ग	15.03.2001
16.	अबजे	थाने (प०)	15.01.2001
17.	शिवानी	यवतमल	09.01.2001
18.	गजानन नगर	अकोला	01.01.2001
19.	रनाला	नागपुर	05.02.2001
20.	जवाला बी०के०	अमरावती	01.12.2000
21.	लावा	नागपुर	01.02.2001
22.	वनडौंगरी	नागपुर	01.02.2001
23.	कोनहेरी	सोलापुर	17.01.2001
24.	उमरती	जलगांव	16.03.2001
25.	सुरे	नंदरबार	13.03.2001
26.	उड दवानी	अहमदनगर	05.03.2001
27.	माही जलगांव	अहमदनगर	15.02.2001
28.	लौहलियोतो	अहमदनगर	03.03.2001
29.	बुरहन नगर	अहमदनगर	23.02.2001
30.	गोलावसी	रत्नगिरी	01.03.2001
31.	मोगारने	सिंधुदुर्ग	15.03.2001
32.	निरेगांव	भंडारा	13.03.2001
33.	शेवजे डांग	नासिक	23.03.2001
34.	मालवाडी	सांदली	01.03.2001
35.	गलनिंब	श्रीरामपुर	09.03.2001
36.	वलन	अहमदनगर	08.03.2001
37.	वदले	सतारा	08.03.2001
38.	सन्दभोरवाडी	पुणे	16.03.2001
39.	प्रिडावने	रत्नगिरी	15.03.2001
40.	नाडगांव	अहमदनगर	31.03.2001
41.	नगताना	वासिम	15.03.2001
42.	धावा	नागपुर	15.03.2001
43.	कचना	चंद्रपुर	31.03.2001
44.	तड़गा	गढचिरौली	31.03.2001
45.	महाबाला	वर्धा	19.03.2001
46.	ऐइनापुर	कोल्हापुर	28.03.2001
47.	लोहगांव	अहमदनगर	15.03.2001
48.	शिरगांव	पुणे	27.03.2001
49.	पिरल	कोल्हापुर	22.03.2001
50.	कसरसाइ	पुणे	27.03.2001

विभागीय उप डाकघर

1.	अंकुशनगर	औरंगाबाद	17.03.01
2.	आई०ए० मुसलगांव	औरंगाबाद	31.03.01
3.	जलकोट	औरंगाबाद	31.03.01
4.	सावरकरनगर	औरंगाबाद	05.03.01
5.	दत्तावाड़ी	नागपुर	31.03.01
6.	बोरगांव रोड	नागपुर	31.03.01
7.	मलकापुर	पुणे	31.03.01

वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र में खोले गए नये विभागीय उप डाकघर/अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की सूची

क्र० सं०	ईडीबीओ	जिला	खोलने की तारीख
1	2	3	4
1.	अडगांव	परभनी	29.08.2001
2.	घरेवाडी	पुणे	28.09.2001
3.	बोरखेडा	जलगांव	25.10.2001
4.	अंतरगांव	अमरावती	25.10.2001
5.	बोरदी	अमरावती	31.10.2001
6.	धगेवाडी	सांगली	19.10.2001
7.	वायपुर	धुले	26.12.2001
8.	वसलाइ	नन्दरबार	26.12.2001

1	2	3	4
9.	जवालगा	लातूर	01.01.2001
10.	मनप्पावस्ती	पुणे	01.01.2001
11.	कोलाम्बे	जलगांव	21.12.2001
12.	बंदवा	अकोला	01.02.2001
13.	दवोरलिम	साउथ गोवा	01.02.2002
14.	सकेगांव	बुलढ़ाना	22.01.2002
15.	मोरज़ादी	अकोला	01.02.2002
16.	डोंगरगांव	नागपुर	01.02.2002
17.	नटेगांव	परभनी	18.01.2002
18.	पटोडा	नान्देड	16.01.2002
19.	मलकापुर खेर्डा	नान्देड	17.01.2002
20.	मानडवे खुर्द	अहमदनगर	01.02.2002
21.	ताना पीपी	भण्डारा	06.02.2002
22.	सुकेवाडी	अहमदनगर	01.02.2002
23.	सरोले बीके	जलगांव	25.01.2002
24.	बिटकेवाडी	अहमदनगर	04.02.2002
25.	जम्भावदे	रत्नगिरी	19.02.2002
26.	होलीचरगांव	सतारा	04.01.2002
27.	करवाडी	अहमदनगर	26.06.2002
28.	मोहोते	अहमदनगर	28.02.2002
29.	किवाले	पुणे	23.04.2002
30.	अम्बोली (टी)	पुणे	21.03.2002
31.	देवाले (टी)	पुणे	30.03.2002
32.	मंडवा	वासीम	01.02.2002
33.	अंबेरनेरी (टी)	चन्द्रपुर	18.02.2002
34.	सतोना	गोंदिया	26.03.2002
35.	वाडम्बा (टी)	नागपुर	26.03.2002
36.	घोनाडी (टी)	गोंदिया	26.03.2002
37.	हिराबम्बई (टी)	अमरावती	26.03.2002
38.	रोकड़िया नगर	अकोला	28.03.2002
39.	एसआइडीसी शिवर	अकोला	28.03.2002
40.	मोखाद (टी)	यवतमल	27.03.2002
41.	बोर्दा	परभनी	26.07.2002
42.	धार	परभनी	07.09.2002
43.	घाटा पिंपरी	बीड	09.02.2002
44.	बवाची	उस्मानाबाद	15.03.2002
45.	सक्रु नाईक तंडा	नान्देड	25.02.2002
46.	बेलटगवहान	नासिक	22.03.2002
47.	अमोनी (टी)	नन्दरबार	22.03.2002
48.	सत्तीगुडा (टी)	नान्देड	28.03.2002
49.	पेधे	रत्नगिरी	05.02.2002
50.	हिराले	कोल्हापुर	26.02.2002
51.	वडाखली	रत्नगिरी	27.03.2002
52.	दहीवली टी०वी०	रायगढ	06.02.2002
53.	अवारे	रायगढ	08.02.2002
54.	देवीचपडा	रायगढ	12.02.2002
55.	पिंपलशेट	थाने	21.02.2002
56.	बापले	रायगढ	05.03.2002
57.	मनिवाली	रायगढ	05.03.2002
58.	उसर	थाने	06.03.2002
59.	देवकान्हे	थाने	08.03.2002
60.	नरिवाली	थाने	15.03.2002
61.	सुकसाले	सतारा	26.03.2002
62.	विलकोस	थाने	28.03.2002
63.	घेगांव	सतारा	28.04.2002
64.	सुरसुन्डी (टी)	चंद्रपुर	28.03.2002

वर्ष 2001-2002 के दौरान खोले गए विभागीय उप डाकघर

1.	सकुर	अहमदनगर	01.10.2001
2.	साईनगर	अमरावती	28.11.2002
3.	नरेन्द्रनगर	नागपुर	01.12.2001
4.	सेमोध	परतवाडा	01.01.2002
5.	वर्धमान	नागपुर	30.03.2002

1	2	3	4
6.	बोराद	नान्देड	08.03.2002
7.	बीएसएसके पनगिरि	बीड	24.03.2002
8.	आई ई मालेगांव	नासिक	30.03.2002
9.	सनपाडा	थाने	04.02.2002
10.	अपना बाजार	थाने	30.03.2002

वर्ष 2002-2003 के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में खोले गए इडीबीओ/डीएसओ की सूची

क्र० सं०	डाकघर का नाम	जिला	खोलने की तारीख
1.	बोरगांव कसाल शाखा डाकघर	औरंगाबाद	14.08.2002
2.	मालेगांव कर्यात शाख डाकघर	नासिक	14.08.2002
3.	किनोद शाखा डाकघर	जलगांव	24.08.2002
4.	कवाने शाखा डाकघर	कोल्हापुर	11.10.2002
5.	महालिंग नगर उप डाकघर	नागपुर	23.08.2002
6.	सदाशिव नगर उप डाकघर	कोल्हापुर	09.08.2002

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जम्मू व कश्मीर में जिन स्थानों पर नये डाकघर खोले गए उनका विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान खोले गए डाकघर

क्रम सं०	डाकघर का नाम	खोलने की तारीख
1	2	3
1.	लहारी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	15.3.2000
2.	चारील अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	25.3.2000
3.	विजयपुर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	31.3.2000
4.	गुलरा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	8.3.2000
5.	चामकूट अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	23.3.2000
6.	हाजितराह अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	24.3.2000
7.	जबलाह अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	8.3.2000
8.	गुजरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	13.3.2000
9.	मदाना अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	31.3.2000
10.	देवीपोरा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	31.3.2000
11.	परीगाम जागीर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	25.3.2000
12.	आहगम अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	29.3.2000
13.	काकापोरा उप डाकघर	30.3.2000
14.	सैदपोरा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	31.3.2000
15.	सुगन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	31.3.2000

II वर्ष 2000-2001 के दौरान खोले गए डाकघर

क्र० सं०	डाकघर का नाम	जिला	खोलने की तारीख
1.	मिश्रीवाला अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		22.9.2000
2.	सरदाब अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		28.2.2001
3.	गुंड इब्राहिम अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		28.2.2001
4.	अलूसा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		28.2.2001
5.	खारपोरा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		27.2.2001
6.	चंदेरकोट उप डाकघर		24.3.2001

III वर्ष 2001-2002 के दौरान खोले गए डाकघर

क्र० सं०	डाकघर का नाम	जिला	खोलने की तारीख
1.	तलहर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		25.10.2001
2.	फतहपुर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		3.1.2002
3.	सीन ब्राह्मण अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		27.12.2001
4.	चाक उमराह अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		4.1.2002
5.	वाघमा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		19.2.2002
6.	लखरी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		19.2.2002
7.	धारलता अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		19.2.2002
8.	मामूसा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		19.2.2002
9.	आलया अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		19.2.2002
10.	किशनपुर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		19.2.2002
11.	कुंडो करोल अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		19.2.2002
12.	बैन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		19.2.2002
13.	धामल अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		20.2.2002

IV चालू वर्ष (2002-2003) के दौरान खोले गए डाकघर

क्र० सं०	डाकघर का नाम	जिला	खोलने की तारीख
1.	बटपोरा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		12.7.2002
2.	कालूचाक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		8.10.2002
3.	धनवान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		31.7.2002
4.	रूकाली अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		27.8.2002
5.	धारा धुलियन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		27.9.2002

दक्षेस सम्मेलन

413. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू में हाल ही में संपन्न दक्षेस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस सम्मेलन में किन अन्य मुद्दों और प्रस्तावों को उठाया गया;

(घ) इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या इस सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय मुद्दों को उठाया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां। क्षेत्रीय संदर्भ में आतंकवाद का मसला अगस्त 2002 में सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए विचार विमर्श में उठा था।

(ख) से (घ) मंत्रियों ने आतंकवाद को रोकने और उसके उन्मूलन के प्रयासों को दुगुना करने के ग्यारहवें सार्क शिखर सम्मेलन के निर्णयों को दोहराया/मंत्रियों ने यह भी सिफारिश की कि आतंकवाद के दमन से सम्बद्ध 1987 सार्क अभिसमय का एक अतिरिक्त नयाचार बनाया जाएं। आतंकवाद के मसले पर चर्चा के लिए एक सार्क मंत्रिस्तरीय बैठक बुलाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नयाचार और मंत्रिस्तरीय बैठक का प्रारूप तैयार करने के लिए विधिक विशेषज्ञों की बैठक शीघ्र भविष्य में होने की उम्मीद है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय आदान-प्रदान नहीं हुए थे।

बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० इन्जीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

414. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :**
श्री नरेश पुगलिया :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
श्री पी०आर० किन्डिया :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के इंजीनियरिंग कर्मचारियों द्वारा "वर्क टु रूल स्ट्राइक" की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इन कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार को इस हड़ताल के कारण कितना नुकसान हुआ ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) एग्जिक्यूटिव नेगोशिएटिंग काउन्सिल जिसमें टेलीकॉम इंजीनियरिंग ऑफीसर्स एसोसिएशन (इंडिया), भारत संचार निगम लि० एग्जिक्यूटिव एसोसिएशन (इंडिया) और महानगर टेलीफोन निगम लि० एग्जिक्यूटिव संघ शामिल हैं, ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए 23.10.02 से अनिश्चित कालीन वर्क-टु-रूल आन्दोलन चलाया।

(ग) इनकी मांगों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. बी०एस०एन०एल० और एम०टी०एन०एल० में कार्यपालकों के लिए आई०डी०ए० वेतनमान।
2. एम०टी०एन०एल० का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा पेंशन की अदायगी।
3. मध्यवर्ती अवधि में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए आई०डी०ए० वेतनमान का लाभ।
4. डिवीजनल इंजीनियरों (तदर्थ) के लिए वेतनमान और वेतन-निर्धारण।
5. जे०टी०ओ० और उसके ऊपर के स्तर पर कोई पार्श्विक प्रवेश नहीं।
6. समय-बद्ध पदोन्नति और सेवा – अवधि को तरजीह।

7. जे०टी०ओ० और एस०डी०ई० के संवर्गों की संवर्ग-पुनरीक्षा।

(घ) एग्जिक्यूटिव नेगोशिएटिंग काउन्सिल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा/बैठकें आयोजित की गई थीं। आई०डी०ए० वेतनमान, फिटमेंट फार्मूला, पदोन्नति संबंधी नीति, एम०टी०एन०एल० का विकल्प चुनने वालों के लिए सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान आदि जैसे मुद्दों पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यह आन्दोलन 31.10.2002 को समाप्त कर दिया गया था।

(ङ) ऐसे मामलों में, विशेषकर जब केवल कुछ ही दिशाओं में ट्रैफिक कभी-कभी बाधित रहा हो, धन संबंधी हानि की मात्रा बता पाना काफी कठिन होता है (ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है)।

विवरण

दिनांक 23.10.2002 से 31.10.2002 तक एग्जिक्यूटिव नेगोशिएटिंग काउंसिल द्वारा आयोजित श्रमिक संघ कार्रवाइयों के कारण कुछ दिनों तक प्रभावित दूरसंचार सेवाओं के ब्यौरे

गुजरात दूरसंचार सर्किल :

1. निम्नलिखित टी०ए०एक्स० रूट 26.10.2002 को प्रभावित थे :

आम-गोदरा, बड़ोदरा-नई दिल्ली, बड़ोदरा-इंदौर, वड़ोदरा-मेहसाणा, वड़ोदरा-पालनपुर, मेहसाणा-वड़ोदरा, अमरेली-भुज, आम-बंगलौर, आम-भोपाल, आम-नासिक, राजकोट-आगरा, राजकोट-कटक, राजकोट-कोयम्बटूर-राजकोट-पटना, राजकोट-हैदराबाद, वड़ोदरा-जोधपुर, वड़ोदरा-लखनऊ, वड़ोदरा-आम, वड़ोदरा-आगरा, मेहसाणा-नासिक, मेहसाणा-गोदरा, मेहसाणा-आनंद, मेहसाणा-हिम्मतनगर, मेहसाणा-सूरत।

2. सेवा में लाए जाने वाले सर्किटों सहित पट्टेशुदा सर्किट :

(क) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, सेल्यूलर प्रचालकों के सर्किल और पट्टाशुदा लाइनें रात में प्रभावित हुई थीं।

(ख) बी०एस०एन०एल० सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं भी प्रभावित हुई। पुणे एम०एस०सी० अभिगम्य नहीं रहा।

3. लम्बी दूरी पारेषण नेटवर्क :

(क) नई दिल्ली का एक पी०सी०एम० खराब रहा।

(ख) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) दूरसंचार सर्किल : नोएडा और दिल्ली के बीच में 42 पी०सी०एम० खराब रहे।

(ग) केरल दूरसंचार सर्किल : निम्नलिखित टी०ए०एक्स० रूट प्रभावित हुए :

टी०वी०एम०—बंबई, जी०टी०पी०आर०, ई०के०एम०—बंबई, ई०के०एम०—कोलकाता, ई०के०एम०—कोयम्बटूर, ई०के०एम०—चेन्नई, ई०के०एम०—हैदराबाद, ई०के०एम०—बड़ौदा, ई०के०एम०—आगरा और कोल्लम-जी०डी०एस०

मातृत्व मृत्यु दर

415. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में जन्म के समय तथा गर्भपात से संबंशित मौतों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अलग-अलग क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) प्रसव और गर्भपात से हुई मौतों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत के महारजिस्टार द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं।

मातृ मृत्यु दर

इसे गर्भधारण, शिशु के जन्म अथवा शिशु जन्म के 42 दिनों के अन्दर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर हुई मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

मातृ मृत्यु दर के अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर और कुछ बड़े राज्यों के भारत के महारजिस्ट्रार के नमूना पंजीयन प्रणाली से केवल वर्ष 1997 और 1998 के प्राप्त हुए हैं। ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण ये हैं :—

1. प्रत्यक्ष कारण : रक्त स्राव, संक्रमण, बाधित प्रसव, असुरक्षित गर्भपात, गर्भावस्था में टाक्सीमिया आदि

2. अप्रत्यक्ष : रक्ताल्पता, वाइरल हेपेटाइटिस, क्षय और मलेरिया

3. सामाजिक आर्थिक कारण : कम आयु में विवाह, किशोरवस्था में गर्भधारण, महिलाओं का निम्न स्तर, महिला साक्षरता का निम्न स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना, लिंग भेदभाव और आर्थिक निर्भरता

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

मातृ स्वास्थ्य परिचर्या परिवार कल्याण का एक अभिन्न अंग है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 1977-78 से गर्भवती महिलाओं

के लिए राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम और टेटनस टीकाकरण कार्यक्रम जैसे कई सहायक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1992 में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों को मिलाकर विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रव्यापी शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम चलाया गया। वर्ष 1997 में पांच वर्षों के लिए चलाया गया प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कुछ नए कार्यक्रमों के साथ शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यकलापों को सुदृढ़ करके चलाया जाना जारी है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख कार्यकलापों का उद्देश्य मातृ, शिशु और बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कार्य करना है :

1. अनिवार्य प्रसूति परिचर्या की व्यवस्था
2. आपाती प्रसूति परिचर्या की व्यवस्था
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित करके पिछड़े जिलों में सेवाओं की व्यवस्था
4. पिछड़े जिलों में अतिरिक्त एएनएम की ठेके पर नियुक्ति
5. संवेदनाहरण विज्ञानियों, स्त्रीरोग विज्ञानियों, सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं और प्रयोगशाला तकनीशियनों, जन स्वास्थ्य नर्सों आदि जैसे तकनीकी कर्मचारियों की ठेके पर अंशकालिक नियुक्ति।
6. उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल यूनिटों में मातृ स्वास्थ्य के लिए औषधियों और उपस्करों की व्यवस्था जिसमें माताओं और बच्चों को होने वाली रक्ताल्पता के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां भी शामिल हैं।
7. चुनींदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे प्रसव सेवाएं।
8. आठ पिछड़े राज्यों में गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल परिवहन व्यवस्था।
9. सुरक्षित गर्भपात के लिए चिकित्सीय गर्भ समापन हेतु सुविधाएं और प्रशिक्षण।
10. प्रजनन मार्गीय संक्रमणों, यौन संचारित रोगों की रोकथाम और इलाज।
11. जन प्रचार और निचले स्तर पर स्थानीय क्षेत्र के अनुसार विकेन्द्रीकृत कार्यकलापों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलापों को तेज करना।
12. जहां पर सरकारी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं वहां पर जागरूकता पैदा करने और सेवा प्रदानगी में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना।
13. चिकित्सीय/पराचिकित्सीय और अन्य सेवा प्रदायकों को प्रशिक्षण।
14. दाई प्रशिक्षण।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और आम तौर पर मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 में दृढ़तापूर्वक बल दिया गया है जिसका हाल ही में सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। नीति में निचले स्तर पर अन्तर क्षेत्रीय समन्वय के बारे में समग्र कार्यनीति तथा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अनुपात में कमी लाने के लिए गैर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज, पंचायती राज संस्थाओं तथा महिला समूहों को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

विवरण

भारत तथा बड़े राज्यों में मातृ मृत्यु दर (स्रोत भारत के महापंजीयक, नमूना सर्वेक्षण : 1997, 1998)

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु दर (1997)	मातृ मृत्यु दर (1998)
भारत	408	407
आंध्र प्रदेश	154	150
असम	401	409
बिहार	451	452
गुजरात	29	28
हरियाण	105	103
कर्नाटक	195	195
केरल	195	198
मध्य प्रदेश	498	498
महाराष्ट्र	135	135
उड़ीसा	961	367
पंजाब	196	199
राजस्थान	677	670
तमिलनाडु	76	79
उत्तर प्रदेश	707	707
पश्चिमी बंगाल	264	266

संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने में विलंब

416. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्नों के विभिन्न मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त होने में अत्यधिक विलंब होता है और कुछ मंत्रालय/विभाग तो कभी-कभी उनके पत्रों का उत्तर देने में पांच/छः माह से अधिक समय लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सांसद सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की साधारण प्राप्ति के अलावा लिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई विद्यमान मानदंड है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा संसद सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्रों का तीव्रता से उत्तर देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर भेजने में होने वाले विलम्ब के संबंध में विगत में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई करने के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम-पुस्तिका के पैरा 60 में विस्तृत दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की 15 दिन के भीतर पावती भेजी जानी होती है और पावती भेजने के 15 दिन के भीतर उत्तर भेजा जाना अपेक्षित होता है। जिन मामलों में अंतिम उत्तर भेजे जाने में विलम्ब होने की संभावना हो अथवा किसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय से सूचना प्राप्त की जानी अपेक्षित हो तो पत्र प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अंतिम उत्तर दिये जा सकने की संभावित तारीख का उल्लेख करते हुए एक अंतरिम उत्तर भेजा जाना अपेक्षित होता है। संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर देने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की होती है। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह आशा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में उल्लिखित नियम के अनुसार शीघ्रता से भेजे जाएं।

(ङ) संसद सदस्यों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों के उत्तर भेजने संबंधी अनुदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके सख्ती से अनुपालन हेतु समय-समय पर दोहराये जाते रहे हैं।

बीटिंग हार्ट सर्जरी

417. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब बीटिंग हार्ट सर्जरी की नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने से सर्जरी की लागत में काफी कमी की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने का है ताकि लागत में कमी का लाभ रोगियों को मिल सके; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां। पारम्परिक सर्जरी की तुलना में "बीटिंग हार्ट सर्जरी" की लागत लगभग 25 प्रतिशत कम है।

(ख) और (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदहोल्डिंग टैक्स

418. **श्री के० येरननायडू** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार को तकनीकी सेवाएं मानते हुए उस पर शुल्क के रूप में 20 प्रतिशत विदहोल्डिंग कर लगाने की जापानी पद्धति के कारण भारतीय कम्पनियों को जापान में व्यापार बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को उस देश के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अद्यतन ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हाल में जापान के दौरे के समय यह मामला जापान के प्रतिपक्ष प्राधिकारी तथा उनके कर नीति प्रभाग के समक्ष उठाया गया था। लेकिन, अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है क्योंकि इसमें भारत-जापान दोहरे कराधान परिवर्जन समझौते का निर्वचन और आपस में स्वीकार्य समझौता शामिल है।

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन

419. **श्री ए० नरेन्द्र :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आसियान शिखर सम्मेलन 05 नवंबर, 2002 को कम्बोडिया में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इनमें किन देशों ने भाग लिया और किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई, और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या शिखर सम्मेलन के दौरान देश ने भाग लेने वाले देशों के साथ किसी द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त ब्रुनई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलयेशिया, म्यांमा, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम के शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु "भारत आसियान सहयोग को सुदृढ़ करने" पर केन्द्रित थी। भारत और आसियान के नेता व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, जनता का जनता से आदान-प्रदान और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा अन्य अन्त: राष्ट्र अपराधों की बुराई सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-आसियान सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए। शिखर सम्मेलन के समाप्त होने पर, प्रैस के लिए एक संयुक्त उद्घाटन वक्तव्य जारी किया गया।

(ग) और (घ) भारत-आसियान शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की नोमपेन्ह की यात्रा के दौरान भारत और कम्बोडिया ने निम्नलिखित करार संपन्न किए :

(i) कम्बोडिया को भारत सरकार की 10 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण रेखा को आगे बढ़ाने के लिए एक ऋण करार;

(ii) एक द्विपक्षीय व्यापार करार;

(iii) अंगकोर पुरातत्वीय पार्क के संरक्षण के लिए भारत पुरातत्व सर्वेक्षण और कम्बोडिया की "अपसरा" अथारिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन; और

(iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई और कम्बोडियाई इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच सहयोग के लिए गैर सरकारी करार।

सीमापार आतंकवाद को समाप्त करने हेतु पाकिस्तान की वचनबद्धता

420. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व समुदाय को यह बताने के लिए कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद (सी०बी०टी०) को समाप्त करने के अपने वायदे से मुकर गया है, के संबंध में एक डोजियर तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त डोजियर को संयुक्त राष्ट्र आम सभा सत्र के समक्ष रखा गया था; और

(ग) यदि हां, तो आम सभा भारत की राय से किस सीमा तक सहमत हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (ग) सरकार ने सीमापार से आतंकवाद को समाप्त करने की पाकिस्तान की वचनबद्धता को पूरा करने में उसकी असफलता के पर्याप्त साक्ष्य विश्व के नेताओं को उपलब्ध कराए हैं। 12 सितम्बर, 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने "आतंकवाद के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में एक निर्णायक भागीदार का दावा करने के पाकिस्तान के छल कपट पर जोर दिया है जबकि वह भारत के विरूद्ध राज्य नीति के एक औजार के रूप में आतंकवाद का निरंतर प्रयोग कर रहा है"।

प्रधानमंत्री का अभिभाषण जो अब संयुक्त राष्ट्र के अभिलेख का एक भाग है, को विश्व नेताओं और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने वाले देशों ने नोट कर लिया है।

पाक-उत्तर कोरिया परमाणु सांठगांठ

421. **श्री राम मोहन गाड्डे** :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अक्तूबर, 2002 के 'पायनियर' में प्रकाशित "पाकिस्तान-उत्तर कोरिया न्यूक नेक्सस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। अमरीकी विदेश विभाग ने 16 अक्टूबर, 2002 को घोषणा की कि अक्टूबर के आरंभ में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जेम्स ए कैली की यात्रा के दौरान उत्तरी कोरिया ने नाभिकीय शस्त्रों के लिए यूरेनियम प्राप्त करने के कार्यक्रम को स्वीकार किया। 18 अक्टूबर, 2002 को प्रकाशित न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट में अमरीकी आसूचना अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के गुप्त नाभिकीय हथियार कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि गैस सेन्ट्रीफ्यूजेज जैसे उपकरण, जिनका उपयोग शस्त्रों से संबंधित यूरेनियम बनाने के लिए किया जाता है, "वस्तु विनिमय सौदे" का एक भाग था जो नब्बे के अंत में हुआ और जिसके अंतर्गत उत्तरी कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइलें दी।

(ग) नाभिकीय क्षेत्र में उत्तरी कोरिया के साथ पाकिस्तान का संपर्क सरकार के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है। पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम अन्य देशों की सहायता से विकसित हुआ है। जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन रिपोर्टों, कि बदले में पाकिस्तान ने उत्तरी कोरिया के नाभिकीय कार्यक्रमों में सहायता की है, की गंभीरता से जांच कराने की आवश्यकता नहीं हैं। पाकिस्तान को लेकर मिसाइल और नाभिकीय प्रौद्योगिकियों के गुप्त अंतरण और प्राप्ति की समस्या

गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केन्द्र बिन्दु है।

योजना आयोग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिपोर्ट

422. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी योजना आयोग की रिपोर्ट की आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव रिपोर्ट को लागू करने से पूर्व इसकी पुन: जांच करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी विषय-निर्वाचन समिति ने देश में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ उपायों का प्रस्ताव किया है जिसमें निम्नांकित शामिल हैं :

- विदेशी निवेश संवर्धन कानून, जो एफ०डी०आई० के संवर्धन से संगत पहलुओं को समाविष्ठ और समाकलित करता हो, के अधिनियम पर विचार करना।
- आधारिक संरचना क्षेत्रकों में सभी निवेशों को बढ़ाने के लिए आधारिक संरचना से संबंधित विशेष निवेश कानून बनाने के लिए राज्यों से आग्रह करना और इस महत्वपूर्ण क्षेत्रक में उत्पादक संबंधी बाधाओं को दूर करना।
- परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से प्रारंभिक केन्द्रीय स्तर पंजीकरणों तथा जहां पर संभव हो अनुमोदन देने के लिए, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ०आई०पी०बी०) को अधिकार देना।
- प्रशासनिक और नीतिगत अनुमोदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ०आई० आई०ए०) को अधिकार देने हेतु भारत सरकार के कार्य-व्यापार नियमों में परिवर्तन करना।
- उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए, दसवीं योजना के कुल एफ०डी०आई० लक्ष्य का, क्षेत्रकों और संगत प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के संदर्भ में विघटन किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि संबंधित विभागों द्वारा घरेलू निजी निवेश और एफ०डी०आई० बढ़ाने के लिए नीतिगत पूर्वापेक्षाओं में तेजी लाई गई है।
- क्षेत्रकीय एफ०डी०आई० पाबंदियों (कैप्स) को कम करके न्यूनतम किया जाना चाहिए और प्रवेश बाधाओं को दूर किया जाए। 'रक्षा उद्योग' के अपवाद सहित, सभी विनिर्माण और खनन में एफ०डी०आई० पाबंदियों (कैप्स) को हटाया जा सकता है। विज्ञापन, निजी बैंकों व वास्तविक सम्पदा में भी पाबंदी (कैप्स) हटाई जा सकती है तथा दूरसंचार, नगर विमानन, डी०टी०एच०/केयू प्रसारण, बीमा और बागानों (चाय के अतिरिक्त) में बढ़ाई जा सकती है।
- एफ०डी०आई० आकर्षित करने सम्बन्धी वर्तमान कार्यनीति की जांच की जानी चाहिए। सापेक्ष बल व्यापक (स्कैटर शॉट) दृष्टिकोण से हटाकर विशिष्ट क्षेत्रकों की विशिष्ट कंपनियों पर दिया जाना चाहिए। इस कार्यनीति के कार्यान्वयन हेतु विदेशी निवेश संवर्धन परिषद (एफ०आई०पी०सी०) का सुधार किया जाना चाहिए। इसकी अध्यक्षता विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए तथा इसमें मंत्री स्तर के कार्यकर्त्ता शामिल होने चाहिएं जो 500 प्रसिद्ध कम्पनियों के अध्यक्षों से बात-चीत कर सकें।
- कार्यनीति के सूचनात्मक पहलू निवेश लक्ष्य के रूप में भारत के अनुभव किए गए लाभों और अलाभों को ध्यान में रखते हुए, परिमार्जित होने चाहिएं और सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक विपणन तकनीकों का उपयोग होना चाहिए
- लागू कानूनों, नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और चीन के समान लाल फीताशाही के स्तरों को कम कर विश्व में एफ०डी०आई० से संबंधित निर्यात हेतु अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य के रूप में विशेष आर्थिक जोनों (एस०ई०जैड०) का विकास किया जाना चाहिए। ध्यान कर भार (टैक्स सॉप) पर नहीं अपितु सुधारों के तीव्रीकृत/तुरंत कार्यान्वयन पर केन्द्रित किया जाना चाहिए जो पूरे देश में अधिक समय अर्थात् दशक(कों) तक चल सकते हैं।
- निजी घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विद्युत क्षेत्रक, शहरी आधारिक संरचना और वास्तविक सम्पदा में घरेलू नीति सुधारों को तेज किया जाना चाहिए।

(ग) रिपोर्ट संबंधी इस प्रकार की किसी आलोचना से योजना आयोग अवगत नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है। अत: पुन: जांच और उसके विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परमाणु सामग्री की चोरी

423. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न परमाणु केन्द्रों में परमाणु सामग्री की चोरी की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) कितने मामलों में चोरी की गई परमाणु सामग्री बरामद कर ली गई; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न परमाणु केन्द्रों में परमाणु सामग्री की चोरी रोकने हेतु क्या कदम उठाये जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) शून्य।

(ख) ऊपर (क) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) किसी भी नाभिकीय सामग्री की चोरी को रोकने के लिए देश में विभिन्न परमाणु केन्द्रों में पर्याप्त सुरक्षोपाय पहले से ही मौजूद हैं।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश संबंध

424. श्री के०पी० सिंह देव :
श्री अनन्त नायक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों में और सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई;

(ग) चर्चा में कौन-कौन से विभिन्न मुद्दे प्रमुख रहे; और

(घ) उनके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (घ) भारत और बंगलादेश अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने हेतु विभिन मसलों पर सदैव वार्ता करते रहते हैं। विभिन्न स्तरों के अन्य दौरों के अलावा दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से अनेक द्विपक्षीय बैठकें होती हैं। बंगलादेश के विदेश मंत्री श्री एम मुर्शीद खान ने 16-17 जून, 2002 तक भारत का और विदेश मंत्री ने 24-25 अगस्त, 2002 तक ढाका का दौरा किया। दोनों उच्चस्तरीय आदान-प्रदानों के दौरान आपसी महत्व के मसलों पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श हुआ। विचार-विमर्श से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और इन्हें आगे बढ़ाने तथा दोनों सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में सहायता मिली।

इस वर्ष जनवरी से हुई अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में कोलकाता-ढाका बस सेवा शासित करने वाले प्रोतोकोल/समझौता पुनरीक्षा बैठक (14-15 मार्च, 2002 नई दिल्ली) सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स (बी०डी०आर०) के बीच महानिदेशक स्तरीय बैठकें (ढाका, 22-25 मार्च, 2002 और नई दिल्ली 28 अक्तूबर से 02 नवम्बर, 2002) संयुक्त सीमा कार्यदल । और ।। की दूसरी बैठक (नई दिल्ली 26-27 मार्च, 2002), व्यापार पुनरीक्षा वार्ता (ढाका, 8-9 अप्रैल, 2002) भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की स्थाई समिति की 16वीं बैठक (ढाका, 21-24 जून, 2002), तिस्ता जल बटवारें पर विशेषज्ञों की संयुक्त समिति की चौथी बैठक (नई दिल्ली, 27-28 अगस्त, 2002), सीमा शुल्क अधिकारियों के संयुक्त ग्रुप की प्रथम बैठक (ढाका, 2-3 नवम्बर, 2002) शामिल हैं।

कोलकाता-ढाका बस सेवा बैठक में इस बस सेवा को चलाए जाने से सम्बंधित विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल्स के महानिदेशक स्तरीय वार्ता में सीमाओं की रक्षा करने वाले दोनों बलों के बीच बेहतर समझ और तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। संयुक्त सीमा कार्य दल की बैठक में भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, 1974 से सम्बंधित विभिन्न लम्बित मामलों पर चर्चा की गई। व्यापार पुनरीक्षा वार्ता में द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के संवर्द्धन पर जोर दिया गया। संयुक्त नदी आयोग की स्थाई समिति की बैठक में सीमा नहरों से संबंधित मसलों पर, जबकि विशेषज्ञों की स्थाई समिति में भारत-बांग्लादेश के बीच साझा नदियों के जल बंटवारे के मसलों पर जोर दिया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों के संयुक्त दल की प्रथम बैठक में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बीच सहयोग और प्रचालन के विभिन्न मसलों पर विचार किया गया।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

425. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लखनऊ, गोरखपुर जोनों तथा पश्चिमी बंगाल में सेवाकाल में मरने वाले रेल डाक सेवा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) 1999 से आज तक उनके कितने पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिया गया है;

(ग) अभी तक कितने पात्र आश्रितों को रोजगार नहीं दिया गया है;

(घ) क्या मृतक अधिकारियों के ऐसे पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लखनऊ गोरखपुर डिवीजन, तथा पश्चिमी बंगाल में रेल डाक सेवा के 36 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हुई है।

(ख) वर्ष 1999 से आज तक लखनऊ, गोरखपुर जोन तथा पश्चिमी बंगाल में रेल डाक सेवा में अनुकम्पा के आधार पर किसी भी आश्रित की नियुक्ति नहीं की गई है।

(ग) अब तक लखनऊ, गोरखपुर जोन तथा पश्चिमी बंगाल में किसी भी पात्र आश्रित की नियुक्ति नहीं की गई है।

(घ) मृत कर्मचारियों के 35 आश्रितों ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है।

(ङ) 35 आवेदनों में से 5 पर विचार किया गया और इस विषय पर नोडल मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। शेष आवेदनों के मामले में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया को पूरा करने तथा ऐसी नियुक्तियों को शासित करने वाले नोडल मंत्रालय के निदेशों व मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

दन्त रोग

426. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चॉकलेट, टॉफी और शीतलपेयों के बढ़ते हुए उपभोग के कारण देश के बच्चों तथा युवाओं में दंत रोग महामारी का रूप ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने भी रोगों के उन्मूलन हेतु दंत रोग कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त सुझाव के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) यह सही है कि चॉकलेट, कॉफी और शीतल पेयों के उपभोग के बढ़ने के कारण दन्त रोगों की घटना-दर में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) सरकार ने 5 राज्यों अर्थात् दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय मुखीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सस्ता, अनवरत और पहुंचनीय निवारण कार्यक्रम को विकसित करना है और इसके अंतर्गत मुख्य संघटक समुदाय की मुखीय स्वास्थ्य शिक्षा है अर्थात् अच्छी मुखीय स्वच्छता के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना और चिपकू खाद्य पदार्थों को सीमित करना तथा स्वस्थ पद्धतियों का अनुपालन करना है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त पेंशन प्रदान करना

427. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने 33 वर्ष के अतिरिक्त 35 वर्ष की सीमा के अध्यधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक छः माह के लिए 0.5 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने की सिफारिश की है;

विवरण-

1999-2000 तक पल्स पोलियो टीकाकरण

क्र० सं०	राज्य	24 अक्टूबर 1999	21 नवम्बर 1999	19 दिसम्बर 1999	23 जनवरी 2000	27 फरवरी 2000	26 मार्च 2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंदमान निकोबार द्वीप	40095	40128	40004	40253		
2.	आंध्र प्रदेश	9848606	10446207	10343361	10250317		
3.	अरूणाचल प्रदेश	191835	197863	197187	198734		
4.	असम	4221984	4267636	44237809	4397860	4492651	4553661

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिश स्वीकार कर ली गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने 33 वर्ष की सेवा से अधिक प्रत्येक छः माह की अवधि की सेवा पूरी किए जाने पर परिलब्धियों के 0.5 प्रतिशत की दर पर अथवा 33 वर्ष की सेवा से अधिक प्रत्येक एक वर्ष की सेवा पूरी किए जाने पर परिलब्धियों के एक प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त पेंशन दिए जाने की सिफ़ारिश की।

(ख) से (घ) प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी कठिनाइयों के मद्देनज़र, सरकार ने 33 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा किए जाने पर अतिरिक्त पेंशन दिए जाने की पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की उपर्युक्त सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की है।

भारतीय नागरिकों को मुआवजा

428. श्री टी० गोविन्दन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र मुआवजे के संबंध में कुवैत-इराक युद्ध से प्रभावित भारतीय नागरिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से यह पूछा गया है कि क्या उन व्यक्तियों को अब दावा दर्ज करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र प्रतिपूर्ति आयोग (यू०एन०सी०सी०) जिनेवा द्वारा निर्धारित तारीख के भीतर प्रतिपूर्ति का आवेदन नहीं कर सके।

(ग) भारत सरकार ने स्वयं यह मुद्दा पहले यू०एन०सी०सी० जिनेवा के समक्ष उठाया था कि उन भारतीयों के विलम्ब से प्राप्त व्यक्तिगत दावों को जमा करने की अनुमति प्रदान की जाए जो यू०एन०सी०सी० के आवेदन पत्र पर आवेदन नहीं कर सके किन्तु जिन्होंने इसके पूर्व भारत सरकार के आवेदन पत्रों में आवेदन किया था और जिन्हें यू०एन०सी०सी० के गठन के बाद खारिज कर दिया गया था। मार्च 2000 में यू०एन०सी०सी० का उत्तर निम्नानुसार था :

"वे चार वर्ष जिनके दौरान आयोग दावों को दर्ज करता रहा, इतिहास में दावों को दर्ज करने की सबसे लम्बी अवधि है।"

दिसम्बर, 1995 के शासी परिषद् के संकल्प के परिणामस्वरूप उपर्युक्त वर्गों नामतः क, ख, ग एवं घ में किसी भी और व्यक्तिगत दावों को दर्ज करना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

पल्स पोलियो की खुराक

429. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, राज्य-वार और वर्ष-वार आज तक कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाने हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इस कार्यक्रम हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। वैक्सीन की राज्यों को सामग्री के रूप में पूर्ति की जाती है। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के परिचालन व्यय के लिए राज्यों को प्रदत्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

के तहत दी गई सहायता का विवरण

23 अप्रैल 2000	24 सितम्बर 2000	5 नवम्बर 2000	10 दिसम्बर 2000	21 जनवरी 2001	14 अक्टूबर 2001	2 दिसम्बर 2001	20 जन. 2002	3 मार्च 2002
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			39150	49404		37661	39271	
			10592242	10660112		10568299	10660742	
			160265	172843		171368	168970	
		4505206	4548935	4528733		0	3373915	3373915

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	बिहार	19301315	18269358	19815850	19057161	21209779	19919187
6.	चंडीगढ़	104773	110063	113480	115230		
7.	छत्तीसगढ़						
8.	दादरा और नागर हवेली	29250	29269	30900	31692		
9.	दमण और द्वीव	16492	17230	17993	18606		
10.	दिल्ली	1943749	2015191	2118412	2269537		1930688
11.	गोवा	119941	122799	124562	128113		
12.	गुजरात	6160034	5900755	6383787	6603064	6520070	6686777
13.	हरियाणा	3185589	3335029	3456469	3543661		
14.	हिमाचल प्रदेश	689587	874656	681151	688383		
15.	जम्मू-कश्मीर	1499222	1536400	1447142	257854		
16.	झारखंड						
17.	कर्नाटक	6382044	7094088	7077449	6861814		
18.	केरल	2856848	2868981	2875708	2886227		
19.	लक्षद्वीप	6572	0	0	6725		
20.	मध्य प्रदेश	12138544	12348675	12511535	13769457	13479433	13415303
21.	महाराष्ट्र	8686384	8783592	8893023	11476742		
22.	मणिपुर	223888	323692	330847	299667		
23.	मेघालय	429890	421849	418940	426330		
24.	मिजोरम	110928	110089	109604	110920		
25.	नागालैंड	227333	232755	229348	237296		
26.	उड़ीसा	4031529	2532943	4568137	4601990	4639264	4317325
27.	पांडीचेरी	95349	102089	102389	103934		
28.	पंजाब	3374277	3410874	3504395	3491848		
29.	राजस्थान	9835232	9850831	9795060	9010618	9864273	10028476
30.	सिक्किम	7230	74685	73235	74265		
31.	तमिलनाडु	6888523	7040429	7212537	7290497		
32.	त्रिपुरा	388684	387972	392969	405540		
33.	उत्तर प्रदेश	29782249	30763206	31567427	31468584	31969325	32226046
34.	उत्तरांचल						
35.	पश्चिमी बंगाल	8829534	9008168	8173979	9167293	9210050	9117530
	कुल	141490011	142317532	147030690	149290012	101486845	102195293

*9 दिसम्बर 1995 और 20 जनवरी 1996 को आयोजित दौर में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कवर किया गया।

9	10	11	12	13	14	15	16	17
	20035015	20587370	21219453	21259668	18159257	18438438	18700614	
			98426	115912		116081	122796	
						3195600	3259345	
			37397	32665		32445	33550	
			17655	18755		17892	19359	
	2313104	2316187	2321917	2383461	2496245	2569126	2630643	
			123630	127335		124143	126644	
		7058640	7119245	72270500	2688221	7207865	7345087	
		3493866	3619264	3750177		3670284	3798927	
			669455	688618		688915	697513	
			1559857	1575451		1595267	1661204	
					1011380	4823376	4908411	
			6721983	6991685	2325829	7148442	7148859	
			2890252	2932313		2902281	2935426	
			6595	6814		6529	6853	
		13235768	10638458	13400520		10152826	10246803	
			10937442	18898695	4343170	11801047	11974303	
			296781	305605		327250	336072	
			346869	357155		345428	369188	
			103499	104915		112177	113970	
			213105	209106		230128	228912	
1981373		4578117	4601351	4617921		4655168	4729842	
			103593	105175		101152	103921	
		3561609	3587792	3619246		3595094	3639390	
		10460850	10733032	10910844		10857035	11148849	
			70068	71190		72401	70250	
			7209197	7390587		7304335	7545105	
			386280	399927		398164	411895	
	31957229	33633787	34086747	34570056	33918056	34394247	1350523	
						1331919	33948374	
	7023754	9100526	9152659	9311549	9103866	9158595	9395182	
1981373	61329102	112532026	154207594	159793487	74046024	158150978	163250648	3373915

विवरण-II

पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विमुक्त निधियां (लाख रुपए में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य को विमुक्त निधियां 1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	अंदमान निकोबार द्वीप	25.85	2.09	7.45
2.	आंध्र प्रदेश	945.84	457.09	707.86
3.	अरूणाचल प्रदेश	146.65	38.58	46.43
4.	असम	527.61	326.52	309.25
5.	बिहार	1160.05	2206.53	1585.33
6.	चंडीगढ़	28.00	5.42	8.00
7.	दादरा और नागर हवेली	23.86	1.56	2.54
8.	दमण और दीव	31.13	0.98	2.04
9.	दिल्ली	102.90	275.02	226.55
10.	गुजरात	678.90	5.99	542.73
11.	गोवा	32.02	590.06	9.26
12.	हरियाणा	270.96	343.79	246.34
13.	हिमाचल प्रदेश	228.38	66.07	100.44
14.	जम्मू-कश्मीर	240.86	96.06	152.59
15.	कर्नाटक	476.17	437.20	539.07
16.	केरल	452.41	130.25	196.24
17.	लक्षद्वीप	22.43	0.60	1.52
18.	मध्य प्रदेश	1725.43	1334.82	736.02
19.	महाराष्ट्र	1064.78	516.61	903.66
20.	मणिपुर	89.58	9.52	58.17
21.	मेघालय	72.68	13.45	73.10
22.	मिजोरम	40.04	3.59	21.50
23.	नागालैंड	70.14	7.59	42.33
24.	उड़ीसा	683.04	411.89	318.00
25.	पांडिचेरी	44.42	4.91	8.46
26.	पंजाब	292.10	312.18	243.46
27.	राजस्थान	890.45	939.58	720.77
28.	सिक्किम	37.01	2.45	13.85
29.	तमिलनाडु	723.46	329.70	492.88
30.	त्रिपुरा	60.64	12.80	68.48
31.	उत्तर प्रदेश	1834.19	3544.13	3186.89
32.	पश्चिमी बंगाल	740.90	1104.74	884.50
33.	उत्तरांचल	0.00	0.00	129.11
34.	छत्तीगढ़	0.00	0.00	196.63
35.	झारखंड	0.00	0.00	323.64
	कुल	13762.841	13531.77	13105.09

प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम

430. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने प्राइवेट अस्पताल तथा नर्सिंग होम हैं जिनके पास 1 रुपया प्रति वर्गमीटर की टोकन राशि की सार्वजनिक भूमि है;

(ख) टोकन राशि में सार्वजनिक भूमि आवंटित करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सभी विद्यमान प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होमों ने मानदंडों को पूरा किया है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त अस्पतालों में गरीब रोगियों के उपचार के संबंध में सरकार के क्या दिशा-निर्देश हैं और क्या इन अस्पतालों में गरीब रोगियों का उक्त शर्तों के अनुसार उपचार किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक अस्पताल में कितने गरीब रोगियों का उपचार किया गया और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मशीनें

431. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :**
श्री सईदुज्जमा :
श्री जय प्रकाश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्टूबर, 2002 के *दैनिक जागरण में एम्स की मशीनों में खरीद के नाम पर कमीशन खोरी* शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा कई मशीनों को उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो एम्स में ऐसी कितनी मशीनें अनुपयुक्त पड़ी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) जी, हां। संस्थान को एक संकाय सदस्य के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर यह आरोप है कि एस० टाइको हेल्थ केयर नामक एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी से आतिथ्य स्वीकार करके उन्होंने दिनांक 20 से 21 मार्च, 02 को हांगकांग में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया जिससे उक्त संकाय सदस्य ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से विभाग में 10 लाख रुपए के मूल्य का उपकरण खरीदा था। इस शिकायत के बारे में विस्तृत जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

परमाणु संयंत्रों में खराब रख-रखाव

432. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु संयंत्रों में कितनी दमन भट्टियों का घटिया निर्माण किया गया है और खराब रख-रखाव किया जाता है;

(ख) उनमें अब तक हताहत हुए लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) परमाणु विद्युत संयंत्रों में कोई वात-भट्टियां नहीं हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

दसवीं योजना में कृषि हेतु निधियां

433. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र हेतु राज्य-वार, वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कितना वास्तविक निवेश हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों में सूखा, चक्रवात, बाढ़ और भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर दसवीं योजना में निवेश में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) कृषि के लिए आबंटन सहित, राज्यों को किए जाने वाले क्षेत्रकीय योजना आबंटन सम्बन्धित राज्यों के उन प्रस्तावों पर आधारित होते हैं जो उनकी प्राथमिकता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इन प्रस्तावों को राज्यों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाता है तथा तदनुसार, योजना में उनका उल्लेख किया जाता है। नौवीं योजना के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रक हेतु राज्य-वार वर्ष-वार योजना आबंटन तथा तदनुरूपी व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत व्यय मुख्यत: योजना के बाहर से उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, यदि अपेक्षित हो तो राज्यों को ऐसी परिस्थितियों में योजना निधियों के क्षेत्रकवार आबंटन का पुन: प्राथमिकताकरण करने की अनुमति दी जाती है।

विवरण-I

नौवीं योजना के दौरान कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक के लिए राज्यवार और वर्षवार अनुमोदित अन्तिम परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**विशेष श्रेणी राज्य**						
1.	अरूणाचल प्रदेश	52.33	43.47	51.12	46.37	53.21	246.50
2.	असम	141.13	140.90	158.98	169.33	166.87	777.21
3.	हिमाचल प्रदेश	161.14	183.43	196.40	191.06	207.58	939.61
4.	जम्मू-कश्मीर	146.24	187.38	190.10	204.15	262.69	990.56
5.	मणिपुर	28.23	26.05	29.88	21.05	21.93	127.14
6.	मेघालय	30.94	34.81	37.88	43.95	41.73	189.31
7.	मिजोरम	26.35	34.21	35.19	31.78	33.59	161.12
8.	नागालैण्ड	20.13	23.17	24.50	28.91	38.01	134.72
9.	सिक्किम	34.37	18.26	20.09	23.16	25.36	121.24
10.	त्रिपुरा	32.69	28.81	36.49	37.75	49.81	185.55
	कुल I	673.55	720.49	780.63	797.51	900.78	3872.96
II.	**गैर विशेष श्रेणी राज्य**						
1.	आंध्र प्रदेश	122.02	170.77	181.27	191.70	142.64	808.40
2.	बिहार	48.38	48.66	54.87	43.02	55.28	250.21
3.	गोवा	9.42	10.07	12.62	12.50	18.46	63.07
4.	गुजरात	317.62	350.48	414.81	472.55	599.14	2154.60
5.	हरियाणा	86.02	102.59	99.27	103.65	110.66	502.19
6.	कर्नाटक	182.09	278.85	227.07	287.79	300.46	1276.26
7.	केरल	202.27	226.80	226.60	186.50	155.25	997.42
8.	मध्य प्रदेश	213.05	336.37	311.20	258.21	311.50	1430.33
9.	महाराष्ट्र	313.14	330.66	435.36	468.78	324.51	1872.45
10.	उड़ीसा	121.75	152.99	84.53	127.88	81.55	568.70
11.	पंजाब	56.69	115.80	141.48	165.94	183.26	663.17
12.	राजस्थान	302.82	331.52	255.18	169.65	122.81	1181.98
13.	तमिलनाडु	364.50	426.99	439.60	413.12	306.60	1950.81

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	उत्तर प्रदेश	326.08	417.94	363.73	794.89	295.36	2198.00
15.	पश्चिमी बंगाल	54.17	57.43	100.55	119.93	202.84	534.92
	योग I	2720.02	3357.92	3348.14	3816.11	3210.32	16452.51
	योग I और II	3393.57	4078.41	4128.77	4613.62	4111.10	20325.47

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक के लिए राज्यवार और वर्षवार वास्तविक परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**विशेष श्रेणी राज्य**						
1.	अरूणाचल प्रदेश	49.05	41.25	42.06	41.93	53.21	227.50
2.	असम	134.13	123.27	153.20	169.33	166.87	746.80
3.	हिमाचल प्रदेश	151.96	187.87	195.16	191.06	207.58	933.63
4.	जम्मू-कश्मीर	153.48	160.79	182.76	193.95	262.69	953.67
5.	मणिपुर	21.24	25.12	54.33	12.95	21.93	135.57
6.	मेघालय	28.76	31.96	36.36	40.57	41.73	179.38
7.	मिजोरम	23.39	21.53	34.77	31.70	33.59	144.98
8.	नागालैण्ड	14.86	17.67	14.85	28.38	38.01	113.77
9.	सिक्किम	20.01	18.26	18.46	24.22	25.36	106.31
10.	त्रिपुरा	33.37	30.39	37.72	44.81	49.81	196.10
	कुल I	630.25	658.11	769.67	778.90	900.78	3737.71
II.	**गैर विशेष श्रेणी राज्य**						
1.	आंध्र प्रदेश	178.53	204.96	164.73	227.11	142.64	917.97
2.	बिहार	46.74	49.79	47.16	55.68	55.28	254.65
3.	गोवा	9.34	9.91	12.76	13.55	18.46	64.02
4.	गुजरात	287.98	324.32	441.94	376.07	599.14	2029.45
5.	हरियाणा	104.81	79.83	90.13	92.92	110.66	478.35
6.	कर्नाटक	234.72	303.58	291.81	283.79	300.46	1414.36
7.	केरल	217.79	1217.49	227.52	186.50	155.25	2004.55
8.	मध्य प्रदेश	414.39	345.89	337.91	211.01	311.50	1620.70

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	महाराष्ट्र	297.46	313.09	404.22	225.18	324.51	1564.46
10.	उड़ीसा	124.12	129.21	122.40	145.33	81.55	602.61
11.	पंजाब	48.60	77.20	81.67	138.45	183.26	529.18
12.	राजस्थान	274.63	290.37	238.55	150.27	122.81	1076.63
13.	तमिलनाडु	303.78	390.56	395.13	417.35	306.60	1813.42
14.	उत्तर प्रदेश	406.80	477.72	609.35	714.33	295.36	2503.58
15.	पश्चिमी बंगाल	77.95	82.08	180.60	179.01	202.84	722.48
	योग I	3027.66	4296.00	3645.88	3416.55	3210.32	17596.41
	योग I और II	3657.91	4954.11	4415.55	4195.45	4111.10	21334.12

$: वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं है, परिशोधित परिव्यय लिया गया है।

पोत परिवहन में विनिवेश

434. श्री वाई०वी० राव : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का प्रस्ताव पोत परिवहन उद्योग में विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु० तिरूनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय नौवहन निगम लि० का विनिवेश अंतिम चरण में है तथा लेन-देन दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए शीघ्र ही पेश किए जाने की संभावना है। निणयों को अंतिम रूप देने के संबंध में इन दस्तावेजों को जमा कर लिया जाएगा तथा उसके पश्चात् सरकार वित्तीय निविदाओं को आमंत्रित करेगी।

विक्रेताओं से वस्तुओं की पुन: खरीद

435. श्री रामजी मांझी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत वितरकों से आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में केन्द्रीय भण्डार स्टेशनरी मदों और अन्य मदों की खरीद, सीधे निर्माताओं से कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भण्डार विक्रेताओं से वस्तुओं को पुन: खरीद कर रहा है;

(ग) क्या विक्रेताओं से उच्च दर पर पुन: खरीद के संबंध में जांच हेतु आदेश देने का कोई प्रस्ताव है और इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) जिन मामलों में निर्माता केन्द्रीय भंडार को सीधे आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं, उनमें खरीद, उनके प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से कर ली जाती है।

(ग) और (घ) प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकृत करते समय उनसे यह वचन ले लिया जाता है कि केन्द्रीय भंडार को उद्धृत की गई कीमतें निम्नतम हैं और वे केन्द्रीय भंडार को लाभ पहुंचाए बिना उसे (केन्द्रीय भंडार को) उद्धृत की गई दरों से कम दरें, किसी भी अन्य विभाग/संगठन को उद्धृत नहीं करेंगे। इस समय, पुनर्विक्रेताओं से की गई खरीद की जांच का आदेश किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

पदों को भरना

436. डा० जसवंतसिंह यादव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अ०जा०, अ०ज०जा० और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई विशेष अभियान चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू०एल०एल० प्रौद्योगिकी

437. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली के अंतर्गत टेलीफोन के कनेक्शन उन ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं जहां केबल की कमी है;

(ख) क्या डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए उन गांवों को सोलर चार्जर प्रदान किए जा रहे हैं जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत संचार निगम लिमिटेड उन गांवों को सोलर चार्जर नहीं प्रदान कर रहा है जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है और जहां डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली के अंतर्गत टेलीफोन के कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इन शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी०पी०टी०) को छोड़कर डब्ल्यू०एल०एल० प्रणाली पर आधारित अन्य टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सोलर चार्जर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश (पूर्व) दूरसंचार सर्किल के बिजली की सुविधा से रहित गांवों में उपलब्ध कराए गए डब्ल्यू०एल०एल० कनेक्शनों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जहां आवेदक सोलर पैनलों और चार्जरों की मांग कर रहे हैं। दूरसंचार सर्किलों को अगस्त, 2002 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां डब्ल्यू०एल०एल० आधारित टेलीफोन न लगाए जाएं। तथापि, जिन मामलों में आवेदक को सामान्य बिजली आपूर्ति उपलब्ध न होने पर भी डब्ल्यू०एल०एल० आधारित टेलीफोन लेने पर कोई आपत्ति नहीं है उन मामलों में अपवाद स्वरूप इसकी अनुमति दी गई है। बी०एस० एन०एल० के लिए वी०पी०टी० टेलीफोन कनेक्शन को छोड़कर अन्य डब्ल्यू०एल०एल० कनेक्शनों के लिए सोलर चार्जर उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।

डाकघरों को टेलीफोन कनेक्शन

438. **श्री पी०आर० किन्डिया** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में सभी डाकघरों को टेलीफोन का कनेक्शन दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे डाकघरों की संख्या कितनी है जिनको अभी भी टेलीफोन का कनेक्शन दिया जाना शेष है; और

(घ) शेष डाकघरों को कब तक टेलीफोन का कनेक्शन दे दिया जाएगा ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसे 16 विभागीय डाकघरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जहां अभी टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कराई जानी शेष हैं।

(ग) डाकघरों को टेलीफोन सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जानी हैं। अब तक 16 डाकघरों को टेलीफोन सुविधाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(घ) भारत संचार निगम लि० द्वारा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

मेघालय में टेलीफोन कनेक्शन रहित डाकघरों की सूची

क्र०सं०	डाकघर का नाम
1.	बलात
2.	बानाश्री
3.	भोलागंज बाजार
4.	जैवा
5.	लोवर मौप्रेम
6.	मैडनरिटींग
7.	मोतीनगर
8.	मेघालय सचिवालय
9.	मलवाई
10.	माओंग
11.	एन०ई०एच०यू० कैंपस
12.	ओकलैंड
13.	रिलबौंग
14.	सुमेर
15.	अराइमाईल
16.	रोंगरा

महिलाओं की प्रत्याशित आयु

439. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में महिलाओं की प्रत्याशित आयु देश में सबसे कम हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों में महिलाओं की निम्नतम और उच्चतम प्रत्याशित आयु सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में महिलाओं की निम्न प्रत्याशित आयु के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार हैं; और

(घ) देश में महिलाओं की प्रत्याशित आयु को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां। जहां तक प्रमुख (बड़े) राज्यों का संबंध है।

(ख) योजना आयोग, 1996 द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान की तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001-06 तक के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का स्तर संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में महिलाओं की निम्न जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, पौषणिक स्तर, छोटी उम्र में विवाह और लिंग पक्षपात जैसे व्यापक सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों से प्रभावित होती है।

(घ) देश में महिला जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, अनिवार्य प्रसव परिचर्या, आपातकालिक प्रसूति परिचर्या, नौबीमों घंटे बच्चों को जन्म दिलवाने की सेवाएं, गर्भवती माताओं के लिए रेफरल परिवहन, चिकित्सीय गर्भ समापन सुविधाएं, दाइयों का प्रशिक्षण और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर शामिल हैं।

विवरण

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अनुमानित स्तर (2001-2006)

प्रमुख राज्य/अखिल भारत	पुरूष 2001-2006	महिला 2001-2006
1	2	3
आंध्र प्रदेश	62.79	65.00
असम	58.96	60.87
बिहार	65.66	64.79
गुजरात	63.12	64.10
हरियाणा	64.64	69.30
कर्नाटक	62.43	66.44
केरल	71.67	75.00
मध्य प्रदेश	59.19	58.01
महाराष्ट्र	66.75	69.76
उड़ीसा	60.05	59.71
पंजाब	69.78	72.00
राजस्थान	62.17	62.80
तमिलनाडु	67.00	69.75
उत्तर प्रदेश	63.54	64.09
पश्चिमी बंगाल	66.08	69.34
कुल	63.87	66.91

स्रोत : जनसंख्या संबंधी तकनीकी दल की रिपोर्ट

अनुमान – 1996, भारत का महापंजीयक

तमिलनाडु में लघु उद्योगों के विकास का लक्ष्य

440. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में लघु उद्योगों के विकास संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार लघु उद्योगों की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। तथापि, तमिलाडु सरकार ने लघु उद्योगों के विकास हेतु लक्ष्य नियत किए हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा नई ईकाइयों के पंजीकरण के माध्यम से मोनीटर किया जाता है। पिछले सात सालों में तमिलनाडु में नए लघु उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में कुल लक्ष्य और उपलब्धि निम्नोक्त हैं :–

वर्ष	स्थापित भौतिक लक्ष्य	की गई उपलब्धि
1995-96	14700	16410
1996-97	16200	17770
1997-98	17024	18320
1998-99	17870	18682
1999-2000	17500	18574
2000-2001	17500	18603
2001-2002	17500	17964

एन०एच०ए०आई० द्वारा उधार ली गई धनराशि

441. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन०एच०ए०आई० ने स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुल कितनी धनराशि उधार ली है;

(ख) इस ऋण पर एशियन डेवलपमेंट बैंक को कितना ब्याज का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक को शीघ्र पुनर्भुगतान किए जाने की कोई संभावना है;

(घ) क्या एन०एच०ए०आई० का विचार ऋण भार को कम करने के लिए किसी वित्तीय भागीदार की खोज करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज पर सूरत-मनोर टालवे परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से 180 मिलियन अमरीकी डालर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, स्वर्णिम चतुर्भुज पर राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के तुमकुर-हवेली खंड के लिए 240 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए सरकार ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) ब्याज दर लंदन अंतर बैंक प्रस्तुत दर (एल०आई०बी०ओ०आर०) के साथ 60 आधार अंक है।

(ग) ऋण को ऋण समझौते में सम्मत परिशोधन अनुसूची के अनुसार वापस किया जाएगा।

(घ) और (ङ) ऋण भार कम करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज पर 7032 करोड़ रु० की राशि की 22 परियोजनाएं निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी०ओ०टी०) वार्षिकी आधार और विशेष प्रयोजन तंत्र के अंतर्गत शुरू की गई हैं।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

442. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री मोहन रावले :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में युवाओं के विकास के लिए देश में चल रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस संबंध में इस प्रकार की और योजनाएं बनाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय सेवा योजना जो एन०एस०एस० के नाम से विख्यात है, गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में शुरू की गई थी जिसमें समुदाय सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने की ओर प्रार्थामक ध्यान दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवकों द्वारा दो प्रकार के कार्यक्रम अर्थात "नियमित कार्यकलाप" और "विशेष शिविर कार्यक्रम" आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों से लगातार 2 वर्षों की अवधि के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने तथा इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कम से कम 120 घण्टे तक सेवा करनी अपेक्षित है। जम्मू व कश्मीर तथा विधान सभा विहीन संघ शासित क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा योजना आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के मामले को छोड़कर, एन०एस०एस० के कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 7:5 के अनुपात में वाहन किया जाता है। जम्मू व कश्मीर तथा विधान सभा विहीन संघ शासित क्षेत्रों के मामले में संपूर्ण खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्र सरकार और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा योजना आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के बीच व्यय को वहन करने का पैटर्न 7:5 की बजाय 3:1 है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के संचालन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, निगरानी, मूल्यांकन और प्रकाशन पर होने वाला संपूर्ण खर्च तथा राज्य सरकारों के संबंधित विभागों में एन०एस०एस० राज्य संपर्क प्रकोष्ठों को स्थापित करने की पूरी लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। एन०एस०एस० के नियमित कार्यकलापों और विशेष शिविर कार्यक्रमों पर खर्च का वर्तमान पैटर्न, सामान्य क्षेत्रों में प्रति स्वयंसेवक क्रमशः 160/- रुपये तथा 300/- रुपये है तथा उत्तर-पूर्वी

राज्यों सहित सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और योजना आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति स्वयंसेवक क्रमश: 200/- रुपये और 400/- रुपये है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :–

(रुपये लाखों में)

1999-00	2000-01	2001-02
2354.43	2888.62	2818.48

(ग) और (घ) इस समय, युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कोई अन्य योजना प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कैलाश-मानसरोवर यात्रा

443. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटे तीर्थ यात्रियों ने सरकार से चीन के क्षेत्र में अपने ठहराव के दौरान भारतीय रसोइयों और डाक्टरों सहित कुछ सुविधाएं दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) सरकार को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सुविधाओं में सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। चीन की ओर होने वाले सुधारों के सुझावों पर चीन के साथ चर्चा की जाती है जिसमें चिकित्सीय, परिवहन, आवासीय और खाना बनाने की सुविधाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार में संलिप्त एम०टी०एन०एल० के अधिकारी

444. डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एम०टी०एन०एल० के समूह ''क'' और ''ख'' के कितने अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए;

(ख) इनमें से कितने अधिकारियों को दण्ड दिया गया; और

(ग) जांच के लिए कितने मामले लंबित हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, एम०टी०एन०एल० के समूह ''क'' के 72 और समूह ''ख'' के 160 अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। वर्ष-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	समूह ''क''	समूह ''ख''
1.11.99 से 31.10.2000	15	45
1.11.2000 से 31.10.2001	39	72
1.11.2001 से 31.10.2002	18	43

(ख) इनमें से, समूह ''क'' के 13 और समूह ''ख'' के 45 अधिकारियों को दण्ड दिया गया है।

(ग) समूह ''क'' अधिकारियों के खिलाफ 59 और समूह ''ख'' अधिकारियों के खिलाफ 115 मामलों में जांच/विचारण लंबित है।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाएं

445. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 10,000 करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं लेने हेतु लोक निवेश बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं में 30,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की द्वितीय चरण की प्रथम ट्रांशे वाली परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम कोरीडोरों पर 500 कि०मी० मार्ग के वित्तपोषण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी संपर्क करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के द्वितीय चरण में उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्गों पर 5812 कि०मी० लंबाई में 4/6 लेन बनाना शामिल है। इस चरण के प्रथम ट्रांशे जिसमें 2574 करोड़ की लागत से 506 कि०मी० को चार लेन का बनाना शामिल है, के वित्तपोषण के लिए लोक निवेश बोर्ड ने एशियाई विकास बैंक से संपर्क करने की स्वीकृति दे दी है। द्वितीय चरण की शेष लंबाई के लिए सरकार से समुचित रूप से स्वीकृति मांगी जाएगी।

(घ) एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषण के तहत द्वितीय चरण के प्रथम ट्रांशे को वर्ष 2005-06 में पूरा करने का लक्ष्य है।

एन०आई०सी० नेटवर्क

446. **श्री अखिलेश यादव :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन०आई०सी० नेटवर्क के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या इसे ब्लॉक/तहसील स्तर तक चलाए जाने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) इसमें शामिल जिला केन्द्रों (जिला कलेक्टरेट) की संख्या 585 है।

(ख) से (घ) सरकार ने सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सामुदायिक सूचना केन्द्रों (सी०आई०सी०) की स्थापना के एक भाग के रूप में इस क्षेत्र के 487 ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय निकनेट उपलब्ध कराने की एक योजना का अनुमोदन किया था। यह परियोजना राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) द्वारा अगस्त, 2002 में पूरी कर ली गई है। अन्य कोई स्वीकृत प्रस्ताव नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात में वृद्धि

447. **श्री ए० वेंकटेश नायक :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में पूर्व वर्ष की उसी छमाही की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई नया तरीका एवं दीर्घकालिक सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका तय की गई है; और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्ष 2002-2003 की पहली छमाही के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपए के संदर्भ में 20.76% की वृद्धि दर्ज हुई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। किन्तु, वर्ष 1991 से सरकार के उदारीकरण तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रम के जारी रहने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लाइसेंसीकरण को समाप्त कर दिया गया है और सभी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है तथा आयात शुल्क को चरणबद्ध रूप से शून्य प्रतिशत तक लाया जा रहा है। इस क्षेत्र में, व्यवसाय से उपभोक्ता (बी2सी) और ई-वाणिज्य को छोड़कर, शत प्रतिशत विदेशी पूंजीनिवेश की अनुमति दी गई है। निर्यातोन्मुखी इकाइयां (इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई०एच०टी०पी०) और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस०टी०पी०) सहित) अपने निर्यात लाभों पर आयकर की सुविधा की पात्र हैं। सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई एस०टी०पी० योजना सफलतापूर्वक चल रही है और ई०एच०टी०पी० योजना को संशोधित किया गया है ताकि हार्डवेयर उद्योग, वर्ष 2005 तक सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के आयात पर शून्य शुल्क प्रणाली से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सके।

(घ) और (ङ) उदार आर्थिक परिवेश में निजी क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महती भूमिका निभानी है। सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ई०पी०सी०जी०) योजना को तर्क-संगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी दोहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वत: मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई०एच०टी०पी०) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस०टी०पी०) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आई०एम०एस०सी०) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधन में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ई०एच०टी०पी०/ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड० इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी०टी०ए०) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आई०टी०ए०-1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एन०एफ०ई०पी०) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते

वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एन०एफ०ई०पी० हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/एस०टी०पी० योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/एस०टी०पी० योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत नि:शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी०टी०ए०) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/एस०टी०पी०/ ई०एच० टी०पी०) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों को लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान मूल्यह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यह्रास 3 वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कंप्यूटर पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002-03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5%, अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25-35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, साँचों डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25-35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

- कम्प्यूटर और उपांत .पस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आई०टी०ए०-1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5%, सेल्युलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एस०ई०डी०) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/एस०टी०पी०/ ई०एच०टी०पी० इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ई०एस०बी०) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80एच०एच०ई० में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टेवयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80एच०एच०ई० के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80 एच०एच०ई० के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डी०ई०पी०बी० दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सी०बी०यू० के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थित इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सी०आई०एस०/उप सहारा अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आई०एस०ओ० 9000 (श्रृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में "निर्यात गृह" का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु० से घटाकर 5 करोड़ रु० कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयाँ निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं :

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ई०ई०एफ०सी०) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ई०ओ०यू०/ई०पी०जेड०/एस०टी०पी०/ई०एच० टी०पी० इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निवेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ०आई०आई०) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80-आई (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अन्तर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई०एस०पी०) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. ए०डी०आर०/जी०डी०आर० के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को ए०डी०आर०/जी०डी०आर० में पुन: परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुन: स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुन:स्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु० से अधिक हो।

30. जो भारतीय कम्पनिगां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वत: मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान 50 मिलियन अरमीकी डॉलर है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002-03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घण्टे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियाँ तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलूओं का प्रावधान किया गया है।

अमरीका के विदेश उप-मंत्री की टिप्पणियां

448. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विदेश उप-मंत्री रिचर्ड आर्मीटिज ने अपने हाल के भारत एवं पाकिस्तान दौरे के दौरान यह कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। 23-24 अगस्त, 2002 तक भारत के दौरे के पश्चात अमरीकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर्मिटेज ने सार्वजनिक टिप्पणियों में कहा था कि 22 मई, 2002 की तुलना में अब स्थिति बेहतर है लेकिन हिंसा की घटनाओं और घुसपैठ में जून अंत से वृद्धि हुई है तथापि ये इस मौसम में हिंसा और घुसपैठ की सामान्य दर से कम है।

(ग) सरकार ने यह नोट किया है कि अमरीकी अधिकारियों ने अनेकों बार माना है कि पाकिस्तान से लगातार सीमापार घुसपैठ जारी है। सरकार, लक्ष्यों और वस्तुस्थिति की जानकारी का स्वयं आकलन कर निर्णय करती है। सरकार का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पूर्णत: बंद की जाए।

वी०एस०एन०एल० का निवेश

449. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा-टेली में वी०एस०एन०एल० के निवेश संबंधी मतभेद को सुलझा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वी०एस०एन०एल० शुरूआत में 12000 करोड़ रुपये के बजाए 600 करोड़ रुपये टाटा-टेली में निवेश करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी. हां।

(ख) से (घ) इस प्रयोजनार्थ विदेश संचार निगम लिमिटेड के बोर्ड द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसार, पहले चार वर्षों में 636.80 करोड़ रुपये की राशि टाटा टेली सर्विसेज में इक्विटी के रूप में निवेश किया जाएगा। समय-सारणी के अनुसार 199.00 करोड़ रुपये की राशि निवेश करने का विकल्प रखा गया है और निवेश के तरीके के बारे में वी०एस०एन०एल० तथा टी०टी०एस०एल० के बीच पारस्परिक सहमति से निर्णय लिया जाएगा।

अमरीकी विदेश विभाग के निदेशक का दौरा

450. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अमरीका के विदेश विभाग के निदेशक ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां। संयुक्त राज्य के विदेश विभाग के नीति नियोजक निदेशक डा० रिचर्ड हास ने 28-29 अक्तूबर, 2002 के दौरान भारत की यात्रा की।

(ख) उनकी यात्रा से दोनों पक्षों को भारत संयुक्त राज्य संबंधों का विकास दीर्घ अवधि तक करने और पाकिस्तान से सीमापार आतंकवाद के मौजूदा रूख सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार विनिमय का अवसर प्राप्त हुआ।

(ग) यह यात्रा वाशिंगटन डी०सी० में नवंबर, 2001 में प्रधानमंत्री और संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति बुश द्वारा स्वीकृत और न्यू यार्क में सितंबर, 2002 के दौरान हुई उनकी बैठक के दौरान पुन: पुष्ट भारत संयुक्त राज्य संबंधों के राजनयिक स्वरूप को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया के एक भाग के तौर पर अर इसमें योगदान करने वाली थी।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

451. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन राज्यों की जनसंख्या स्थिरीकरण धनराशि को रोकने पर विचार कर रही है जिन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का पालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, नहीं

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने का उल्लेख है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें लक्ष्य वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय

452. **श्री के० येरननायडू** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, पूर्व में, अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए भूमि दी थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अब यह सुझाव दिया

है कि यदि दूरसंचार विभाग एक राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय स्थापित करता है तो वे उक्त भूमि वापस करने के लिए जोर नहीं डालेंगे।

(ग) इस प्रस्ताव की मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह सूचित किया गया था कि मंत्रालय का विश्वविद्यालय परियोजनाओं से संबन्धित कार्य करने का इरादा नहीं है। उक्त बात को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने उन्हें यह भूमि वापस करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

एंटीबायोटिक्स का प्रयोग

453. श्री ए० नरेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 2002 के *''दैनिक-हिन्दुस्तान में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग खतरनाक स्तर तक पहुंचा''* शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) सर गंगाराम अस्पताल के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ''सरविलेंस आफ एंटीमाइक्रोबियल रिजिस्टेंस एंड एंटी-माइक्रोबियल यूज'' के शीर्षक से एक परियोजना के लिए धन देने का प्रस्ताव कर रहा है जिसके जनवरी 2003 से शुरू होने की संभावना है। तकनीकी सेवा करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ग) एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध प्रयोग की जांच करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत यह अनिवार्य बनाया गया है कि सभी एंटीबायोटिक को पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे पर ही बेचा जाए। इस प्रयोजन के लिए एंटीबायोटिकों को औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची ''एच'' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

पुणे में टेलीफोन एक्सचेंज

454. श्री अशोक ना० मोहोल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, विशेषकर पुणे जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) पुणे जिले के कौन-कौन से टेलीफोन एक्सचेंज जिले के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों को जोड़ नहीं पाए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को पुणे जिले में 250 नये एक्सचेंज खोले जाने की मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्व मंत्री ने भी उस क्षेत्र के लोक प्रतिनिधियों को यह समस्या हल करने का आश्वासन दिया था; और

(ङ) अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 4699 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। पुणे जिले में 283 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) सभी एक्सचेंज जिले के दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सक्षम हैं।

(ग) अभी तक ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वर्ष 2002-2003 के दौरान पुणे जिले में 8 टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त पैरा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

वार्षिक वृद्धि दर

455. श्री राम मोहन गाह्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दसवीं योजना में वर्ष 2002-07 के लिए 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना में निर्धारित परिव्यय और बजटीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश संबंधी किसी नीति का लक्ष्य भी रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए क्या मापदंड, यदि कोई हों, निर्धारित किए गए हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में दसवीं योजना अवधि के लिए जी०डी०पी० की वार्षिक औसत वृद्धि दर का लक्ष्य 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(ख) से (ङ) दसवीं योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनका रखरखाव

456. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1999 से गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी खर्च की गई;

(ख) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत अच्छी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधार और अनुरक्षण पर आबंटन और व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	आबंटन (लाख रु०)	व्यय (लाख रु०)
1999-2000	3320.00	2857.96
2000-2001	3412.25	3412.25
2001-2002	4448.55	4282.84

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाएं

457. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधन वाले गलियारा एवं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के अंतर्गत सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए दूसरे चरण के धन संवितरण को रोक दिया है;

(ख) क्या यह पाया गया था कि कई राज्यों ने सड़क निर्माण हेतु नियत धन को अन्यत्र उपयोग में लगाया था;

(ग) क्या स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का कार्यान्वयन समय से हो रहा है और इसके दिसम्बर, 2003 तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि का उपयोग अन्यत्र नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से हो रहा है और इसे दिसम्बर, 2003 तक काफी हद तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल 5846 कि०मी० में से 1159 कि०मी० लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। 4551 कि०मी० लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है। शेष 136 कि०मी० लंबाई के लिए ठेका जल्दी ही सौंपे जाने की आशा है।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत सड़कों को चौड़ा करना

458. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और उनमें कुछ बदलाव लाने का कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किन राज्यों में इस परियोजना के तहत कार्यान्वयन में बाधाएं आई है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) सामान्यत: स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने का कार्य विद्यमान संरेखण पर किया जा रहा है। तथापि, ज्यामिति में सुधार करने के लिए कुछ स्थानों पर विद्यमान संरेखण में किंचित परिवर्तन किए जा रहे हैं। उन निर्मित क्षेत्रों में कुछ बाइपास भी बनाए जा रहे हैं, जहां यातायात की भीड़ बहुत अधिक है और भूमि की उपलब्धता भी अपर्याप्त है।

(ग) बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में इस परियोजना के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण उपयोगी संरचनाओं के स्थानांतर खादान तथा कानून-व्यवस्था इत्यादि संबंधी कुछ समस्याएं आई हैं।

केरल में खेल-कूद

459. **श्री पी०सी० थामस :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खिलाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में भारत की ख्याति बढ़ाई है;

(ख) क्या इन खेलों में केरल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) हमारे उन खिलाड़ियों को क्या प्रोत्साहन दिया गया जिन्होंने हाल ही में एशियाई खेलों या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने केरल में खेलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार केरल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी खेल-कूद परिसर को स्थापित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) ऐसे खिलाड़ियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) यह सच है कि केरल के कई खिलाड़ियों ने इनमें भाग लिया था और पिछले एशियाई खेलों में वे पदक विजेता भी रहे थे। तथापि, एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों/टीमों का चयन संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है न कि उस राज्य के आधार पर जिस से वे संबंधित होते हैं।

(घ) एशियाई खेलों तथा अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खेल कार्मिकों को नकद पुरस्कार, मासिक पेंशन, रेलवे पास दिए जाते हैं तथा सरकारी सेवा में कार्यरत खेल कार्मिकों को विशेष वेतन वृद्धियां भी दी जाती हैं।

(ङ) और (च) जी, हां, पिछले चार वर्षों अर्थात 1999-2000 से 2002-2003 के दौरान (15.11.2002 तक की स्थिति के अनुसार) केरल सरकार से खेल अवस्थापना के सृजन हेतु 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जो 9 प्रस्ताव व्यवहार्य पाए गए थे, उन्हें खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, विभिन्न स्थानों पर खेल संबंधी सुविधाओं के सृजन के लिए 153.99 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित कर दिया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

14वें एशियाई खेल, 2002
कुल - 35 पदक
स्वर्ण-10, रजत-12 और कांस्य-13

स्वर्ण

क्र० सं०	नाम	खेलविधा	प्रतियोगिता
1	2	3	4
1.	बहादुर सिंह सागू	एथलेटिक्स	शाटपुट (पुरूष)
2.	सरस्वती साहा	एथलेटिक्स	200 मी० (महिला)
3.	के०एम० बीनामोल	एथलेटिक्स	800 मी० (महिला)
4.	अंजू बॉबी जॉर्ज	एथलेटिक्स	लम्बी कूद (महिला)
5.	नीलम जसवंत सिंह	एथलेटिक्स	डिस्कस थ्रो (महिला)
6.	जिन्सी फिलिप्स सोमा बिस्वास के०एम० बीनामोल मनजीत कौर मंजुमा कुरीकोस एस० गीता	एथलेटिक्स	4x400 मी० रिले (महिला)
7.	यासीन मर्चेंट और रफातहबीब	बिलियर्डस	स्नूकर डबल्स
8.	शिव कपूर	गोल्फ	व्यक्तिगत
9.	बी०सी० रमेश शमशेर सिंह नीर गुलिया रमेश कुमार बी०सी० सुरेश संजीव कुमार दिनेश कुमार जगदीश मनप्रीत सिंह सुन्दर सिंह जगदीश के०के० और राम मेहर सिंह	कबड्डी	पुरूष
10.	लिएंडर पेस और महेश भूपति	टेनिस	युगल

रजत

11.	के०एम० बीनू	एथलेटिक्स	800 मी० (पुरूष)
12.	के०एम० बीनामोल	एथलेटिक्स	400 मी० (महिला)
13.	माधुरी ए० सिंह	एथलेटिक्स	800 मी० (महिला)
14.	बॉबी एलोएसियस	एथलेटिक्स	ऊंची कूद (महिला)
15.	सोमा बिस्वास	एथलेटिक्स	हैप्टाथलोन
16.	पी० रामाचन्द्रन मनोज लाल सतवीर सिंह भूपेन्द्र सिंह	एथलेटिक्स	4x400 मी० रिले (पुरूष)

1	2	3	4
	जटा शंकर और परमजीत सिंह		
17.	गीत सेठी और आलोक कुमार	बिलियर्डस	युगल
18.	दिलीप टिर्की देवेश सिंह चौहान भारत कुमार जुगराज सिंह दिनेश नायक वठैर वीरा रसकुइना विक्रम विष्णु पिल्लै इग्नेस टिर्की बिमल लाकड़ा गगन अजीत सिंह प्रभजोत सिंह दलजीत सिंह ढिल्लन तजबीर सिंह कंवल प्रीत सिंह धनराज पिल्लै और दीपक ठाकुर	हाकी	पुरूष
19.	नितिन मोंगिया	'याटिंग	ओके डिंघी ओपन (पुरूष)
20.	मानव जीत सिंह मनशेर सिंह और अनवर सुल्तान	निशानेबाजी	ट्रैप टीम (पुरूष)
21.	सुमा शिरूर अंजली भागवत और दीपाली देशपाण्डे	निशानेबाजी	10 मी० एयर राइफल टीम (महिला)
22.	महेश भूपति मनीषा मल्होत्रा	टेनिस	मिश्रित युगल
	कुल-12 रजत		
कांस्य			
23.	शक्ति सिंह	एथलेटिक्स	शॉटपुल (पुरूष)
24.	अनिल कुमार	एथलेटिक्स	डिस्कस थ्रो (पुरूष)
25.	जे०जे० शोभा	एथलेटिक्स	हेप्ताथलोन (महिला)
26.	माधुरी ए० सिंह	एथलेटिक्स	1500 मी० (महिला)
27.	गीत सेठी	बिलियर्डस	पुरूष एकल
28.	इन्दरजीत लाम्बा भगीरथ सिंह राजेश पट्टू और दीप अहलावत	घुड़सवारी	टीम प्रतियोगिता (पुरूष)
29.	जेनिल कृष्णन इन्द्रपाल सिंह रोशन लाल और पी०टी० पालोस	रोइंग	कॉक्सवेन के बिना चार चप्पू (पुरूष)
30.	अशीम मोंगिया और आर० महेश	याटिंग	इंटरप्राइज ओपन (पुरूष)
31.	राजेश चौधरी	याटिंग	लेज़र रेडियल ओपन (पुरूष)
32.	सुरेन्द्र भण्डारी	ताईक्वांडो	फ्लाईवेट 58 किग्रा (पुरूष)
33.	लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा	टेनिस	मिश्रित युगल
34.	विशाल उप्पल और मुस्तफा घौस	टेनिस	पुरूष युगल
35.	पलविन्दर सिंह चीमा	कुश्ती	फ्री-स्टाइल 120 किग्रा (पुरूष)
	कुल-13 कांस्य		

नि:संतान महिलाओं की संख्या में वृद्धि

460. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में अपने पुनर्प्रजनन काल के अंत में नि:संतान महिलाओं का प्रतिशत अधिक है;

(ख) क्या नि:संतान महिलाओं की संख्या गोवा से ज्यादा आंध्र प्रदेश में है;

(ग) 45-49 वर्ष की आयु के बीच वाली नि:संतान महिलाओं का प्रतिशत कितना है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य की तुलनात्मक स्थिति सहित तुलनात्मक विश्व आंकड़ा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा 1992-93

में और अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा 1998-99 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 45-49 आयुवर्ग की नि:संतान महिलाओं की राज्यवार/क्षेत्रवार प्रतिशतता संलग्न विवरण-I में दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार चुनींदा देशो के सम्बन्ध में ऐसा ही ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) मूल बांझपन का कारण गुणसूत्र, जन्मजात और अन्तरसानिकी अपसामान्यताओं में जैविक भिन्नताएं माना गया है। अर्जित बांझपन संक्रमणों, पर्यावरणिक और व्यावसायिक कारणों में भौगोलिक भिन्नता के कारण होता है।

विवरण-I

हाल ही में विवाहित 45-49 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में संतानहीनता का प्रतिशत

भारत के क्षेत्र	रा०प०स्वा०सर्वेक्षण-I (1992-93	रा०प०स्वा० सर्वेक्षण-II (1998-99)
1	2	3
उत्तर	2.5	0.5
दिल्ली	0.4	1.5
हरियाणा	2.1	1.8
जम्मू	2.5	2.5
पंजाब	1.2	1.7
राजस्थान	3.0	1.7
मध्य क्षेत्र		
मध्य प्रदेश	1.0	1.5
उत्तर प्रदेश	1.9	1.7
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	1.9	1.5
उड़ीसा	4.7	2.6
पश्चिमी बंगाल	3.2	2.9
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
अरूणाचल प्रदेश	4.9	0.1
असम	1.4	2.7
मणिपुर	1.0	1.4
मेघालय	3.7	1.7
मिजोरम	1.4	1.4
नागालैण्ड	1.2	0.0
सिक्किम	—	1.2
त्रिपुरा	2.3	1.4
पश्चिमी क्षेत्र		
गोवा	2.8	4.6
गुजरात	3.0	3.0
महाराष्ट्र	1.3	4.1
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	5.1	2.2
कर्नाटक	4.3	2.2
केरल	2.0	3.3
तमिलनाडु	2.7	4.2
सम्पूर्ण भारत	2.5	2.3

25 से कम संतानहीन महिलाओं पर आधारित

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, अन्तरर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुम्बई

विवरण-II

चुनिंदा देशों में संतानहीनता

देश	दर
घाना	2.6
किन्या	2.3
मोजाम्बिक	13.3
ब्राजील	4.6
कनाडा	7.4
मिस्र	12.9
ईरान	3.1
बंगला देश	2.7
नेपाल	3.6
श्री लंका	2.6

स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन (1991) बांझपन : प्राथमिक और द्वितीयक स्तर के बांझपन की व्याप्ता के बारे में उपलब्ध आंकड़े की तालिका)

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा की गरिमा बनाए रखने के बारे में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं, आज जब कुछ सदस्य उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे तो एक सदस्य, धमकी भरे अंदाज में माननीय सदस्य, श्री राशिद अलवी की ओर बढ़े। संबंधित सदस्य ने ऐसा व्यवहार न केवल पूरी सभा की उपस्थिति में किया अपितु विदेशों से आए गण्यमान्य अतिथियों की उपस्थिति में भी किया जिससे सभा की गरिमा को ठेस पहुंची है। अत: मैं उनके इस व्यवहार की घोर निंदा करता हूं और उन्हें चेतावनी देता हूं कि वह भविष्य में उचित रूप से व्यवहार करें ताकि सभा की गरिमा बनी रहे। मैं आज के कार्यवाही वृत्तांत का भी अवलोकन करूंगा और उसमें से वे सभी टिप्पणियां हटा दी जायेंगी जो असंसदीय तथा दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है।

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार सिंह.चन्देल (हमीरपुर, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, यह बताएं कि इससे चेतावनी क्या हुई और इस पर क्या कार्यवाई हुई? क्या इतना ही कहकर इस मामले को दबा दिया जाएगा ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थगन प्रस्ताव पर विचार आरम्भ करता हूं।

मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे देश में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति तथा उससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार के पास व्यापक नीतिगत पहल के अभाव के कारण भारत के कई राज्यों में सूखा पीड़ितों की कठिनाइयों में वृद्धि के बारे में स्थगन प्रस्ताव की 22 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं केन्द्र सरकार से इस मुद्दे पर प्रभावित राज्यों की सहायता करने की दृष्टि से तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं। ये सूचनाएं निम्नलिखित सदस्यों से प्राप्त हुई हैं:-

(1) श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

(2) श्री महबूब जाहेदी

(3) श्री बसुदेव आचार्य

(4) डा० रघुवंश प्रसाद सिंह

(5) श्री संतोष मोहन देव

(6) श्री श्यामाचरण शुक्ल

(7) श्री मधुसूदन मिस्त्री

(8) श्री माणिकराव होडल्या गावित

(9) श्री के०ए० सांगतम

(10) श्री सईदुज्जमा

(11) श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी

(12) श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार

(13) श्री रामेश्वर डूडी

(14) श्री राम रघुनाथ चौधरी

(15) श्री सवशीभाई मकवाना

(16) श्री वाई० एस० विवेकानन्द रेड्डी

(17) श्री जगमीत सिंह बराड़

(18) श्री ताराचन्द भगोरा

(19) श्री पवन सिंह घाटोवार

(20) श्री माधव राजवंशी

(21) श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी

(22) डा० गिरिजा व्यास

मैंने श्री ताराचन्द भगोरा, जिन्होंने बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, को निम्न प्रकार से प्रस्ताव रखने की अनुमति दी है :

"देश में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति तथा उससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार के पास व्यापक नीतिगत पहल के अभाव

के कारण भारत के कई राज्यों में सूखा पीड़ितों की कठिनाइयों में वृद्धि।''

इसी दौरान श्री ताराचन्द्र भगोरा ने अपने पत्र, जो मुझे अभी प्राप्त हुआ है, में अपने स्थान पर श्रीमति सोनिया गांधी को सभा में चर्चा शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। श्रीमती सोनिया गांधी अब सभा की अनुमति मांग सकती हैं।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव रखने हेतु सभा की अनुमति दी जाये :

''देश में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति तथा उससे निपटने के लिए केन्द्र सरकार के पास व्यापक नीतिगत पहल के अभाव के कारण भारत के कई राज्यों में सूखा पीड़ितों की कठिनाइयों में वृद्धि।''

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी सदस्य को इस प्रस्ताव पर कोई विरोध है?

संसदीय कार्यमंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, सर्वप्रथम जैसाकि आपने अनुमति दी है और जैसा कि मैं ने कल कहा था कि हम किसी भी प्रस्ताव के अंतर्गत किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और सरकार की ओर से औपचारिक रूप से प्रस्ताव का विरोध न करते हुए हम यह चाहेंगे कि चर्चा हो। परन्तु अपनी अंतर्रात्मा को स्पस्ट करने और रिकार्ड को सही कराने हेतु मैं सभापटल पर केवल यह बात रखना चाहता हूं कि यह विषय स्थगन प्रस्ताव के अंतगर्त नहीं आता है। परन्तु जैसाकि आपने पहले ही अनुमति दे दी है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि विषयगत मामला नामत: देश में सूखे की स्थिति एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आमतौर पर समस्या की गम्भीरता और स्थगन प्रस्ताव के लिए नियम सं. 56 के अंतर्गत सूचनाओं की संख्या को देखते हुए एक विशेष मामले के रूप में, जिसका उदाहरण के रूप में उदाहरण नहीं दिया जायेगा, अल्पावधि चर्चा के रूप में अनुमति दी जाती है। नियम 61 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा अपराह्न 4.00 बजे अथवा इससे पहले की जानी चाहिए। नियम 62 के अतंर्गत इसकी चर्चा हेतु दो घंटा और तीस मिनट से अन्यून आंवटित की जा सकती है।

यदि सभा सहमत है तो इस प्रस्ताव पर चर्चा सभापटल पर पत्र आदि रखे जाने के तत्काल बाद शुरू की जा सकती है। मेरे विचार से सभा इस बात से सहमत है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मुझे कुछ कहना है लेकिन सदस्यों और स्थगन प्रस्ताव के बारे में नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सदस्यों और मीडिया को यह बात स्पस्ट हो जानी चाहिए कि आमतौर पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा उसी दिन की जानी चाहिए। आप यह कहते हुए स्थगन प्रस्ताव की सूचना नहीं दे सकते हैं कि ''कल सभा स्थगित होगी और इस पर स्थगन प्रस्ताव के अतंर्गत चर्चा की जायेगी।'' कई बार हम मीडिया में देखते है और कभी-कभी सदस्य यह भी कहते हैं कि वह अगले मंगलवार को अमुक-अमुक विषय पर स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। यह स्थगन प्रस्ताव की सही प्रणाली नहीं है। मेरे विचार से अब सभी को स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव अकस्मात् होने वाली घटना है। उसे उसी दिन लाया जाये। कोई सदस्य अगले दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की सूचना शुरू नहीं कर सकता है। आपको यह उसी दिन देनी होगी।...*(व्यवधान)* श्री बसुदेव आचार्य, मैं सदस्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। प्रात: 6 बजे से ही दूरदर्शन पर मैं यह देख रहा हूं कि सभाओं में स्थगन प्रस्ताव लाए जाने की संभावना है। मेरे विचार से लोगों को स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सदस्यों को उन नियमों के बारे में जानकारी होगी जिसका उन्होंने उदाहरण दिया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मेरे विचार से हमने नियम 56 का पूरी तरह से अनुपालन किया है। दिन में 10 बजे से पहले सदस्य को स्थगन प्रस्ताव की सूचना देनी होती है। किसी भी सदस्य को किसी भी विषय पर स्थगन प्रस्ताव हेतु सूचना देने का अधिकार है। बशर्ते यह नियमानुसार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव नियमानुसार है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने नियमों का अनुपालन किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमने इसकी सूचना कल दी हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, कृपया मतदान के लिए भी समय निर्धारित करें। मतदान कब होगा?

अध्यक्ष महोदय : जैसी कि सामान्य प्रकिया है मतदान 6 बजे होगा।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : वाद-विवाद के लिए जितनी अवधि- चार घंटे, पांच घंटे अथवा छ घंटे निर्धारित की गई है? कृपया इसे भी निर्धारित कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम 6 बजे तक मतदान कर पाएंगे बशर्ते सभी सदस्यों ने अपनी बात पूरी कर ली हो।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : एक सत्र में कितने स्थगन प्रस्ताव रखे जा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई नियम नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी घटनाएं हुई है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : यह सत्र के दिनों की संख्या से अधिक न हो।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रतिदिन दी जा सकती है? ...*(व्यवधान)* चूंकि स्थगन प्रस्ताव अत्यधिक लोक महत्व का मामला है, अत: इसे उसी दिन निपटाया जाये। आप इसे प्रतिदिन आगे के लिए बढ़ा नहीं सकते है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सांसद श्री अमर सिंह को 11 नवम्बर को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अमौसी हवाईअड्डे पर वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई एवं उन्हें अपमानित किया गया। इसकी सूचना मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य सभी सूचनाएं आज निरस्त की जाती हैं। आप इस मुद्दे को किसी अन्य रूप में किसी अन्य दिन उठा सकते हैं।

देश में सूखे की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 12.07 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का०आ० 577(अ) जो 30 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़ पलसित खण्ड) को चौड़ा करने (चार लेन वाला बनाने) के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दो) का०आ० 695(अ) जो 4 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 20 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ०58(अ) में संशोधन करना है।

(तीन) का०आ० 696(अ) जो 4 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री बी० के० पटनायक, प्रभारी अधिकारी, खुर्दा कलेक्टरेट को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चार) का०आ० 697(अ) जो 4 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनिय, 1956 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(पांच) का०आ० 712(अ) जो 9 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर रोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (साई ब्रिज एप्रोच, लखनऊ साइड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छ:) का०आ० 764(अ) जो 19 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम

खण्ड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सात) का०आ० 765(अ) जो 19 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के गुण्टूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (नेल्लोर-चिल्कालुरीपेट खण्ड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 733(अ) जो 12 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन) आगरा के स्थान पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, औरेया का सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करना है।

(नौ) का०आ० 734(अ) जो 12 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर इलाहाबाद बाईपास (कानपुर-वाराणसी खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(दस) का०आ० 735(अ) जो 12 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद को सक्षम प्राधिकारी (इलाहाबाद बाईपास कानपुर-वाराणसी खण्ड) के रूप में प्रधिकृत करना है।

(ग्यारह) का०आ० 738(अ) जो 12 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 3 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1092(अ) में संशोधन करना है।

(बारह) का०आ० 850(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नन्दीगाम-इब्राहिमपत्तनम खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 856 (अ) जो 14 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की भू-पट्टी के संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण पश्चिम जिला, दक्षिण पश्चिम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 872(अ) जो 16 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के गन्जम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (इच्छापुरम से गन्जम खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पन्द्रह) का०आ० 1038(अ) जो 26 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 26 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 366(अ) में संशोधन करना है।

(सोलह) का०आ० 1039(अ) जो 26 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 29 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का०आ० 123(अ) में संशोधन करना है।

(सत्रह) का०आ० 1040(अ) जो 26 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 17 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 524(अ) में संशोधन करना है।

(अठारह) का०आ० 934(अ) जो 3 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गुडीपदर से सुबनी खण्ड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उन्नीस) का०आ० 941(अ) जो 5 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के खुर्दा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बीस) का०आ० 942(अ) जो 5 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (भुवनेश्वर-कलकत्ता खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 1016(अ) जो 19 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करना है।

(बाईस) का०आ० 1059(अ) जो 3 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 8 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1106(अ) में संशोधन करना है।

(तेईस) का०आ० 1060(अ) जो 3 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चेन्नई-रानीपेट खण्ड) के निमार्ण, अनुरक्षण, आदि के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौबीस) का०आ० 1061(अ) जो 3 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(पच्चीस) का०आ० 905(अ) जो 27 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में के खुर्दा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(छब्बीस) का०आ० 924(अ) जो 31 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (गन्तम से सुनाखला खण्ड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(सत्ताईस) का०आ० 925(अ) जो सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्रराज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का०आ० 926(अ) जो 2 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(उनतीस) का०आ० 936(अ) जो 4 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) का निर्माण करने तथा उसका अनुरक्षण करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तीस) का०आ० 927(अ) जो 2 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के राजकोट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ख (पोरबंदर जिला सीमा) और (बम्बानबोर जंक्शन) पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(इकत्तीस) का०आ० 928(अ) जो 2 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(बत्तीस) का०आ० 929(अ) जो 2 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के पाटन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(तेतीस) का०आ० 930(अ) जो 2 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

(चौंतीस) का०आ० 931(अ) जो 2 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में उदयपुर-रतनपुर खंड को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 5997/2002]

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2002 जो 10 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 699(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5998/2002]

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 31 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 919(अ) जो 28 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजस्थान राज्य में पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की पट्टियों (किशनगढ़-अजमेर खंड और अजमेर-उदयपुर खंड) का प्रबंध सौंपे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5999/2002]

(4) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 920(अ) जो 28 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6000/2002]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6001/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा लघु उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6002/2002]

अपराह्न 12.7½ बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 16 जुलाई, 2002 को सभा को दी गई सूचना के बाद 13वीं लोक सभा के 10वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002

(2) तटरक्षक (संशोधन) विधेयक, 2002

(3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2002

(4) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2002

(5) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2002

(6) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2002; और

(7) विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2002

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2002

(2) दिल्ली नगर निगम (विद्युत-कर विधिमान्यकरण) और अन्य विधियां (निरसन) विधेयक, 2002

(3) बीमा (संशोधन) विधेयक, 2002

अपराह्न 12.08 बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

सत्रहवां, अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं याचिका समिति के सत्रहवें, अठारहवें और उन्नीसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) प्रस्तुत* करता हूं।

अपराह्न 12.8½ बजे

[अनुवाद]

आचार समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, मैं आचार समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

*ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 26 अगस्त, 2002 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किये गये थे। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.09 बजे

[हिन्दी]

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन# और उससे संबंधित कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

सैंतीसवां, अड़तीसवां और उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चडीगढ़) : महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

*(1) दूरसंचार विभाग से संबंधित ''टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) का कार्यकरण'' के बारे में समिति के अठारहवें

#ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 14 अगस्त, 2002 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और प्रचालन का आदेश दिया था।

*ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 17 सितम्बर, 2002 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सैंतीसवां प्रतिवेदन।

*(2) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित "हार्डवेयर और साफ्टवेयर की समस्याएं तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की आवश्यकताएं" संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन।

(3) दूरसंचार विभाग से संबंधित "संचार अभिसारिता विधेयक, 2001" संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.10½ बजे

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद महाराष्ट्र) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित "संविधान के भाग 9 का कार्यान्वयन" के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन** (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.10¾ बजे

[अनुवाद]

वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय, मैं मेघालय वक्फ बोर्ड के बारे में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.11 बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

105 वां प्रतिवेदन

डा० (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2000 के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 105वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.11½ बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

नेशनल वेलफेयर बोर्ड फॉर सीफेयरर्स

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि नेशनल वेलफेयर बोर्ड फॉर सीफेयरर्स नियम, 1963 के नियम 4(i) के अनुसरण मैं, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नेशनल वेलफेयर बोर्ड फॉर सीफेयरर्स के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि नेशनल वेलफेयर बोर्ड फॉर सीफेयरर्स नियम, 1963 के नियम 4(i) के अनुसरण मैं, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नेशनल वेलफेयर बोर्ड फॉर सीफेयरर्स के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 17 सितम्बर, 2002 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

**ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 26 अगस्त, 2002 को जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.12 बजे

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव

देश में सूखे की अभूतपूर्व स्थिति

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"कि सभा अब स्थगित हो। मैं अपनी और अपने दल की ओर से हमें देश के बड़े हिस्से में करोड़ों आदमियों, औरतों और बच्चों के लिए भयंकर और गहन कठिनाइयों का कारण बने मुद्दे को यहां उठाने का अवसर देने पर आपको धन्यवाद देती हूं।

मैंने सोमवार को सदन में पूछे गए एक तारांकित प्रश्न का अध्ययन किया जिससे मुझे इस त्रासदी के विस्तार का पता लगा।

- आन्ध्र प्रदेश : 22 जिले
- छत्तीसगढ़ : सभी 16 जिले
- हरियाणा : सभी 19 जिले
- हिमाचल प्रदेश : सभी 12 जिले
- झारखंड : सभी 22 जिले
- कर्नाटक : 24 जिले
- मध्य प्रदेश : 32 जिले
- महाराष्ट्र : 35 जिलों में से 33 जिले
- उड़ीसा : 30 जिले
- पंजाब : सभी 17 जिले
- राजस्थान : सभी 32 जिले
- तमिलनाडु : 19 जिले, हालांकि अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है।
- उत्तर प्रदेश : सभी 70 जिले
- उत्तरांचल : सभी 13 जिले; और
- पश्चिमी बंगाल : 3 जिले।

इस प्रतिवेदन में आगे लिखा है :

"इस के अतिरिक्त, गुजरात ने हाल ही में 13 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है।"

हां, अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि गुजरात सूखे से प्रभावित है और इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है। क्योंकि यह भयंकर भूकंप के बाद आया है। फिर भी भा.ज.पा. और विहिप सूखे और उससे प्रभावित राज्य की जनता के प्रति सक्रिय नजर आने के बजाय अपने लोगों को बांटने और घृणा-से भरे झूठे प्रचार आदि करने में लगी हैं।

ऐसा लगता है कि यह स्पष्टतया बहुत लंबे समय के दौरान भंयकर और व्यापक सूखा है। खरीफ की फसल का एक बड़ा भाग नष्ट हो चुका है और सरकार के अपने पुर्वानुमानों के अनुसार इस वर्ष खरीफ की फसल में लगभग 19 प्रतिशत की कमी हो सकती है। बुवाई सामान्य से कहीं कम हुई है। यहां तक कि जिन क्षेत्रों में बुवाई हुई भी है तो वहां भी फसल सूख गई है।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी को कई महीने पहले से आसक्त के आसार दिखने लगे थे और निश्चित रूप से सरकार को भी दिखे होंगे। कमजोर मानसून का पुर्वानुमान था। इस संबंध में टेलीविजन और समाचार-पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। निश्चित रूप से इसके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता था। यहां तक की खरीफ की फसल नष्ट होने के बाद रबी की फसल को बचाने हेतु कार्यवाही करने के लिए भी समय था, लेकिन यह भी नहीं किया गया।

मैंने देश के विभिन्न भागों में सूखे से उत्पन्न दुर्दशा को देखा है और उन क्षेत्रों से आने वाले आपमें से कई अन्य ने भी इसे देखा होगा। चूंकि बहुत से किसानों और खेत मजदूरों की जिंदगी का सवाल है, मैं इसे राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती। लेकिन मजबूरन मुझे यह कहना है कि केन्द्र सरकार ने इस राष्ट्रीय आपदा को उस तात्कालिकता के साथ नहीं लिया जैसे कि लिया जाना चाहिए था, उदाहरणार्थ 1987-88 के सूखे के दौरान लिया गया था। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि केन्द्र सरकार ने सर्वाधिक उदासीनता और असंवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की है और इतने अधिक राज्यों में व्याप्त इस स्थिति की गंभीरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

मैंने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ अनेक बैठकें की है। हमने सयुंक्त बैठक की है तथा हमने कुछ सुझाव दिये थे और कतिपय कार्य योजनाएं तैयार की थी तत्पश्चात् हम सभी दि० 5-8-02 को माननीय प्रधान मंत्री से मिले। उस समय हमने कुछ सुझाव दिए थे जिन्हें मैं शीघ्रता से बताना चाहूगी।

एक सुझाव यह था कि राहत पैकेज लागू करने के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित की जाये। ऐसा नहीं किया गया है। हमने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की एक विशेष बैठक बुलाई जाए जिसमें सूखे की स्थिति और ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए दीर्घावधिक और अल्पावधिक योजनाओं पर चर्चा की जाए। हमने प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के मूल्यांकन दल को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया था। यह दल भेजा गया लेकिन विलंब से भेजा गया। मैंने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में धनराशि बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये कर दी जाये। उस समय हमें बताया गया कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में कोई वित्तीय सीमा नहीं है।

वस्तुत: अभी भी अधिकांश राज्यों ने केन्द्र से जितनी राहत सहायता की मांग की थी उसका वे मात्र एक छोटा हिस्सा ही प्राप्त कर पाये है। मैंने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए अल्पावधि और मध्यावधि ऋण पर ब्याज माफ करने के लिए भी कहा था। लेकिन इसे माफ करने की घोषणा न करके इसे एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या इससे अगले वर्ष किसानों पर ऋण भार अधिक नहीं हो जाएगा। मैंने राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसमें परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया था और मैंने यह भी कहा था कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाये जिसके अंतर्गत आपातकालीन बीज उत्पादन योजनाएं बनाई जा सके ताकि खरीफ मौसम में बीज उत्पादन में हुई हानि को पूरा किया जा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया है।

मुख्य मंत्रियों द्वारा उस बैठक में अन्य अनेक सुझाव दिए गए थे जिस बैठक में मैं समझती हूं माननीय कृषि मंत्री स्वंय उपस्थित थे। अनुभवी मुख्य मंत्रियों ने अनेक अन्य सुझाव दिये थे। सरकार ने अब राहत उपायों के एक पैकेज की घोषणा की है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समय-समय पर पैकेज की घोषणा ऐसी धारणा कायम करने के लिए की जा रही है कि राहत सहायता बायदा के मुताबिक ही दी जा रही है। परन्तु सच्चाई बिल्कुल अलग है। पैकेज स्पष्ट तौर पर अपर्याप्त है और यह काफी विलम्ब से प्रदान किया गया है। हमें बताया गया है कि भविष्य में और राहत देने के लिए केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह नवम्बर का महीना है। खरीफ फसल पहले ही नष्ट हो चुकी है गेहूं की बुवाई शुरू हो चुकी है। सरकार कब कार्रवाई करेगी? हम सभी आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहते हैं और उनसे उत्तर की भी अपेक्षा रखते हैं। हम जानते हैं कि अनेक जिलों में काफी लम्बे समय से सूखे की स्थिति है। अत: सरकार ने खासकर इन क्षेत्रों में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अधिक तैयारी क्यों नहीं की? हमें यह दृष्टिकोण बिल्कुल समझ में नहीं आया। मेरा विश्वास है कि अब समय आ गया है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूस्थल विकास कार्यक्रम जैसी लम्बे समय से चल रही योजनाओं की व्यापक समीक्षा की जाये ताकि उन्हें प्रभावी बनाया जा सके क्योंकि आज से प्रभावी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सयुंक्त प्रयास किया जाना चाहिए। इस संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच किसी तरह के टकराव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें सभी राज्यों सरकारों द्वारा सामना की जा रही वित्तीय समस्याओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। अनेक राज्य राजस्व जुटाने और अपने व्यय की व्यवस्था करने हेतु वास्तव में उपाय कर रहे हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार को इन राज्य सरकारों की अवश्य सहायता करनी चाहिए। इन राज्यों पर और अधिक वित्तीय भार डाले बिना सरकार को इनमें राहत और पुनर्वास कार्यक्रम लागू करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा भी समय था जब हमारे देश में अकाल के सम्बन्ध में एक संहिता थी। अब हम व्यापक रूप से पड़ने वाले अकाल को सफलत: पूर्वक रोक चुके हैं। यह एक बहुत बड़ी बाधा थी जिसे हम सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं इसके लिए मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मेरी समझ से हम सभी को पता है कि हमारे देश में कृषि योग्य भूमि का अधिकतम 40 प्रतिशत अंश ही सिंचित हो पाता है। यदि इस देश की सम्पूर्ण सिंचाई क्षमता का दोहन भी कर लिया जाए तो भी कृषि योग्य भूमि का 40 प्रतिशत अंश वर्षा आश्रित होगा। इसलिए मानसून की अनिश्चितता की स्थिति से बचा नहीं जा सकता।

मेरा सुझाव है कि अब समय आ गया है कि देश समुचित विधान के रूप में एक सूखा प्रबंधन संहिता पर विचार करे ताकि एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा सके जो वर्षा न होने पर स्वत: लागू हो जायेगी। इस संहिता के अंतर्गत गांवों में राहत उपाय, खाद्य और पेयजल आपूर्ति, वैकल्पिक फसल प्रणाली तथा अनाज, बीज और जल बैंक भी शामिल होने चाहिए। समाज के उन कमजोर वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये जो सूखे की स्थिति से अपरिहार्य रूप से अत्यंत प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित होनेवाले लोग हैं दलित, आदिवासी और भूमिहीन मजदूर, ऐसी महिलायें जिनपर परिवार के जीवन निर्वाह का बोझ होता है, वृद्ध, अनाथ, असहाय, गर्भवती महिलायें व स्तन्यदा माताएं तथा वे सभी जो काम के लिए अनाज कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अन्य सुझाव भी देना चाहती हूं जो निश्चित तौर पर हमारे सूखा प्रबंधन प्रयास को मजबूती प्रदान करेगा। सूखे जैसी आपदाओं की स्थिति में सभी प्रभावित राज्यों को संसाधनों का आवंटन न केवल निष्पक्ष और समान रूप से किया जाये बल्कि इसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए।

यहां पुन: ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करने में हमेशा बहाना बनाती है। बहाना यह होता है कि राज्य खाद्यान्न नहीं उठाते हैं। निस्संदेह, सरकार के पास ये सभी आंकड़े है तथा मैंने भी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इन आंकड़ों की जांच की है। मैं बताना चाहूंगी कि उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार जो तस्वीर सामने आई है, वह बिल्कुल अलग है।

मैं इस संबंध में कुछ उदाहरण देना चाहती हूं। उदाहरणर्थ, चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष के दौरान सूखा राहत के रूप में मध्य प्रदेश को

[श्रीमती सोनिया गांधी]

एक लाख मीट्रिक टन अनाज आबंटित किया गया था। इसे 30 नवम्बर तक उठाया जाना था। राज्य ने इसमें से पहले ही 75 प्रतिशत उठा लिया है और वह शेष 21 नवम्बर तक उठा लेगा। उन्होंने और 5 लाख मीट्रिक टन अनाज की मांग की है लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया है।

छत्तीसगढ़ को इस वर्ष मात्र 50 हजार मीट्रिक टन अनाज आंबटित किया गया और यह आंबटन सितंबर की अंतिम तिथि को किया गया। इस राज्य ने अक्टूबर के अंत तक पूरा अनाज उठा लिया है। उन्होंने पूर्ण अनाज का उपयोग भी कर लिया है तथा पांच लाख मीट्रिक टन अनाज की और मांग की है जो अभी भी नहीं दिया गया है।

कर्नाटक ने 6 लाख मीट्रिक टन अनाज की मांग की थी। उसे केवल 2 लाख मीट्रिक टन आंबटित किया गया है। उन्होंने 1.65 लाख मीट्रिक टन उठा लिया है तथा एफ.सी.आई. की आवागमन समस्याओं के कारण शेष अनाज वे नहीं उठा सके हैं। राज्य इस समस्या के समाधान हेतु अनुरोध करता रहा है। इसके दौरान उन्होंने और 2 लाख टन अनाज तत्काल दिये जाने की मांग की है जो अभी तक नहीं दिया गया है।

वस्तुत: राजस्थान ऐसा राज्य है जो लगातार चार वर्षों तक सूखे की स्थिति की वजह से अभी सर्वाधिक प्रभावित है तथा इसने 56 लाख मीट्रिक टन अनाज की मांग की थी और केवल 2 लाख मीट्रिक टन अनाज दिया गया है। राज्य ने पूरी मात्रा उठा ली है और उन्होंने और अनाज की मांग की है। मुझे बताया गया है कि कल ही राजस्थान को और अनाज आंबटित किया गया है और वह भी मात्र 5 लाख मीट्रिक टन।

अध्यक्ष महोदय, क्या इससे यह पता नहीं चलता कि केन्द्र अपनी स्वंय की कमियों को मानने तथा इन बड़ी आपदाओं के प्रति और गम्भीर खैया अपनाने के बजाय अपनी जिम्मेवारी को दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहा है।

आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्रीय सहायता के स्वरूप और मात्रा को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मानदंड अपनाया जाये। वस्तुत: इसका कोई लाभ नहीं है कि केन्द्र अपनी जिम्मेवारी राज्यों पर डाले जैसा कि उसने अनेक अवसरों पर ऐसा किया है। ऐसी परिस्थितियों में केन्द्र सरकार की पर्याप्त सहायता के बिना राज्यों की स्वंय कार्य करने की भी एक सीमा है।

महोदय, मैं यहां सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों की ही बात नहीं कर रही हूं बल्कि मैं बुरी तरह प्रभावित सभी राज्यों की बात कर रही हूं चाहे वहां की सत्ता किसी दल विशेष के पास हो।

महोदय, आज इस देश में गोदामों में खाद्यान्न भरे हुए हैं लेकिन जनता भूखी है। भूखमरी हमारे समाज के लिए कलंक है और वह भी उस समय जब हमारे पास खाद्यानों का पर्याप्त भन्डार उपलब्ध है। आज खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 16.8 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता है जबकि हमारे गोदामों में इससे चार गुना अधिक अनाज भरा पड़ा हैं। एक वर्ष से मैं और मेरे दल के सहयोगी प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करते रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में विशेष कर बार-बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में काम के बदले अनाज और पोषाहार कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किए जाएं। हमने अन्त्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन में वृद्धि करने तथा इसके अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भी कहा है। लेकिन इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं और केन्द्र सरकार ने राज्यों को दिए गए खाद्यानों को लाने-ले-जाने की लागत संबंधी उचित मांग को अभी तक पूरा नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह सौभाग्य है कि इस समय हमारे पास देश के इतिहास में सबसे अधिक खाद्यान्न भण्डार उपलब्ध है। यहां मैं पुन: श्रीमती गांधी का नाम लेना चाहती हूं क्योंकि उन्ही के नेतृत्व में ऐसा संभव हो पाया है। लेकिन सरकार ने उन क्षेत्रों में आधारभूत व आवश्यक खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान नहीं की है जहां इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। यह अतिरिक्त खाद्यान्न का उपयोग करके स्थानीय कुपोषण दूर करने में असफल रही है। स्थानीय कुपोषण की वास्तविक समस्या को प्राय: नजर अदांज कर दिया जाता हैं। मुझे विश्वास है, हम सभी यही समझते है कि पोषाहार की स्थिति गम्भीर सूखे के वर्षों में और बदतर होगी। विडंबना यह है कि सूखे से दो वर्ष पहले पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध थे और इसका उपयोग उन गरीब व्यक्तियों को देने के लिए नहीं किया गया जो अब सूखे से प्रभावित हैं ताकि उन्हें इस स्थिति से बचाया जा सकता। जबकि केन्द्र सरकार के खाद्यान्न भंडार में वृद्धि हो रही है लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल खरीद में कमी आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर हम सरकार से जानना चाहेंगे।

ऐसा सरकार की गलत नीति के कारण हुआ जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल खरीद को ऐसे समय कम किया गया जब वास्तव में उन्हें इसे बढ़ाया जाना चाहिए था।

अब यह वाद-विवाद करके बाजी मारने का अवसर नहीं है। हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई दुखान्त मौतों से तथ्यों का पता लगाये बिना राजनैतिक फायदा उठाने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास

किया गया है। नि:सन्देह यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कि ये मौतें हुयी है।

मेरे अनुरोध पर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह देखने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच करायी थी कि बरन जिले में कोई प्रशासनिक चूक तो नहीं हुयी। मैने जांच रिपोर्ट देखी है। इसमें स्वीकार किया गया है कि पूरे जिले में अभूतपूर्व अकाल है और साथ ही इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि चूंकि मानसून की असफलता बरन जिले में आम बात नहीं है अत: इस आपदा से निपटने के लिए लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। तथापि इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि दोनों गावों में हुई मौतों का तात्कालिक कारण एक विशेष बीमारी है। शिवपुरी जिले में हुई मौतों के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश प्रभावित परिवार जमीन के मालिक हैं। जब उनके परिवारों में मौतें हुई उस वक्त ज्यादातर लोगों के घरों में खाद्यानों के भण्डार थे।

इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे समय में, जब सूखे के कारण अत्यधिक संकट हो रहा है, हमें आरोप लगाने की बजाय मृत्यु के कारणों का ध्यान पूर्वक विशलेषण करना चाहिए और अपने अनुभव से सबक लेना चाहिए,।

मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षो में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए हम सामूहिक रूप से कार्य करेगें। मैं समझता हूं कि हमारे पास ज्ञान, प्रोद्योगिकी निपुणता और संसाधन हैं। आज हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वह है। इच्छा शक्ति और वचनबद्धता। यह एक ऐसा विषय है जिसपर सदन में कोई विरोध नहीं हो सकता और मुझे विश्वास है कि इस पर सदन में कोई विरोध नही है। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी वर्गों के सदस्य प्रभावी और समय पर कार्यवाही करने की आवश्यकता की बात पर एक होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केन्द्र को नेतृत्व करना पड़ेगा। अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उद्देश्य के प्रति इमानदारी और तत्कालिकता की भावना की आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि वाद-विवाद समाप्त होने के बाद इसे परिलक्षित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आज भोजन अवकाश नहीं होगा और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, रोज-रोज जीरो ऑवर और भोजन अवकाश को समाप्त करना उचित परिपाटी नहीं है। इसलिए जीरो ऑवर भी होना चाहिए और भोजन अवकाश भी होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी थामस (मुवत्तुपुजा) : आज हम अकाल पर चर्चा कर रहें है इसलिए हमें भोजन अवकाश नही करना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी के लिए भोजन अवकाश समाप्त किया है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : रोज-रोज ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी-कभी होना चाहिए। किसी खास स्थिति में हम लोग ऐसा सहन कर सकते हैं, रोज-रोज जीरो ऑवर भी गायब और भोजन अवकाश गायब करना उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवराज सिंह चौहान।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : भोजन गायब नहीं है, भोजन अवकाश गायब है, भोजन के लिए आप मेरे साथ चलिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप भोजन के बाद वापस आ सकते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जो मैम्बर्स एक मिनट भी हाउस छोड़ने वाले नहीं है, वे कैसे भोजन करेंगे। इसलिए मैं यह सवाल उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : लोग भूखे मर रहे हैं, एक दिन सदन में भी भूखे रह लें...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का चान्स मिलना चाहिए। मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज में मैडिकल की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, हमें इस पर बोलने का चांस दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल जीरो ऑवर होगा उसमें आपको बोलने का चान्स मिलेगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, सूखे के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव लेकर आई और उन्होंने सदन में बहस प्रारम्भ की। वह यहां चर्चा कर रही थीं कि वह इससे चिंतित हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें उन्होंने विचार-विमर्श भी किया था। लेकिन महोदय सूखे से पीड़ित राजस्थान में जहां लगातार आदिवासी और दलित भूख के कारण मर रहे हैं। यह बैठक उस राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में हुई। इस बैठक में पांच-छः करोड़ रुपये खर्च किये गये, पैसा पानी की तरह बहाया गया। मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बैठक दिल्ली में नहीं की जा सकती थी...*(व्यवधान)* सूखे के सवाल पर घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत इल्जाम लगा रहे हैं, वहां भूख से मौतें नहीं हुई है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये और उन्हें सुनिये।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : यह सही है कि देश में अभूतपूर्व सूखा है। 14 राज्य सूखे से पीड़ित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार लोग भूख से मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले सदन में शांति तो हो कृपया बैठ जायें।

श्री शिवराज सिंह चौहान : मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्रियों की इस बैठक में उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भूख से होने वाली मौतों के कारणों पर चर्चा की। वह भाषण में कह रही थीं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्री ऐसा कह रहे थे। वह अपने भाषण में कह रही थीं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्री कह रहे थे कि ये मौतें भूख से नहीं हुई हैं, बीमारी से हुई हैं। वह यह भी कह रही थीं कि उन्हें मुख्य मंत्री बता रहे थे, विशेषकर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री बता रहे थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी ही पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दें।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको उत्तर देने के का मौका मिलेगा तो आप सब बातें बताइए। इतने गंभीर विषय पर आप बीच में इंटरप्ट करें, यह ठीक नहीं है। आप बैठिये। आप भी बैठिये। आपकी पार्टी के सदस्य जब बोल रहे हैं तो आप उन्हें बोलने दें। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बाद में उठा सकते हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में भूख से मौतें नहीं हुई हैं, बीमारी से मौतें हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग मरे हैं, उनके पास जमीन थी, खेती थी, खाद्यान्न से उनके घर भरे थे। मैं इस सदन में चुनौती देता हूं। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बसौदा तहसील के नाहरिया, खजूरी, लमनिया और भलाई जिन गांवों में भूख से मृत्यु हुई है, मैं खुद वहां जाकर आया हूं। अगर उनके पास खाद्यान्न है तो उसकी आप जांच करवा लें। उनकी पार्टी का एक दल भेजकर जांच करवा लें और अगर यह बात सच निकले कि उनके पास खाद्यान्न के भंडार भरे थे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह बात बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। सच्चाई यह है कि अकेले मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गंज बसौदा तहसील में भूख से 31 लोगों की मृत्यु हुई है।...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अगर माननीय सदस्य यह सिद्ध कर दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भूख से मौतें हुई हैं, तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और अगर माननीय सदस्य यह सिद्ध नहीं कर पाएं तो वे इस्तीफा दे दें।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। मध्य प्रदेश की गंजबसौदा तहसील में भूख से ही मौतें हुई हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : ऐसा नहीं चलेगा कि गलत आंकड़े यहां पर पेश किए जाएं।

श्री शिवराज सिंह चौहान : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संसद सदस्यों की एक सर्वदलीय समिति बने जो जांच कर ले कि मध्य प्रदेश में वास्तविकता क्या है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, फालतू की बातों में सदन का समय जाया किया जा रहा है। विषय पर बोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : नेता विपक्ष स्वंय कह रही हैं कि अन्न के भंडार उनके घरों में भरे थे। वह कह रही थीं कि उनके पास जमीन-जायदाद थीं। सच्चाई यह है कि उनके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। सूखे के कारण फसलें नही हुई। जो फुटकर मज़दूरी उनको थोड़ी बहुत मिलती थी, वह भी उन्हें नहीं मिली।...*(व्यवधान)* राहत के कार्य जितने व्यापक पैमाने पर प्रारंभ होने चाहिए थे, व्यापक पैमाने की बात तो छोड़ दें, विदिशा जिले की गंजबसौदा तहसील में

संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत, काम के बदले अनाज योजना के तहत एक भी राहत का काम प्रारंभ नहीं हुआ था, जब ये मौतें होनी प्रारंभ हुईं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : ये हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी जी, कृपया बैठ जायें। हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह विषय स्थगन प्रस्ताव के रूप में है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में सूखे के कारण हालत बहुत खराब है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठिये।

[हिन्दी]

मेरी सुनिए। देखिए मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि जिस विषय पर चर्चा शुरू हुई है, वह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहना चाहुंगा कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण था इसीलिए मैंने एडजर्नमेंट मोशन एलाऊ किया। अब जब इस विषय पर चर्चा की शुरूआत हो रही है, तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का चान्स मिले। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, तो मैं कैसे बोल सकता हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस विषय पर आरोप-प्रत्यारोप न हों। देश के किसान हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम इस विषय में क्या करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि देश के कई हिस्सों में अनेक लोग भूखे हैं। उन्हें मदद करने की भावना से चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आपके जो मुद्दे हैं उन्हें सदन में रखने का मौका मैं आपको अवश्य दूंगा। इस तरफ के यदि कोई माननीय सदस्य भाषण करना चाहते हैं, तो उन्हें करने दें। प्लीज उन्हें डिस्टर्ब न करें। कृपया शांति रखे ताकि इस विषय पर गंभीर चर्चा हो सके।

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भूख से मौतें हुई हैं। अगर इस प्रकार से मौतें हुई हैं और हमारी गलती है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार कर के ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। इतना कहने के बाद भी आप उन्हें बोलने नहीं देंगे, तो काम कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें। मैं सबसे कह रहा हूं, केवल आप से ही नहीं बल्कि सभी से अपील कर रहा हूं। मैं सभा में पूरी तरह शांति चाहता हूं। यह क्या हो रहा है? क्या आप इस विषय के महत्व को नहीं जानते हैं? क्या आप कृषकों के लिए चिंतित नहीं? जिस तरह आप व्यवहार कर रहे है वह पूर्णतया आपत्तिजनक है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, अगर गलती हुई है, तो उसे सुधारने का हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। मैं भी दलगत राजनीति से नहीं बोल रहा हूं बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूं चूंकि यह मामला उठा और मेरे संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई इसलिए मुझे कहना पड़ा। वास्तव में सच्चाई यह है कि वहां जो 'संपूर्ण गारंटी रोजगार योजना' का काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वहां 'काम के बदले अनाज योजना' का कार्य होना चाहिए था वह नहीं हुआ। वहां आंगनवाड़ी का अस्तित्व केवल कागजों पर था। वहां गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सहायता के लिए जिन कार्डों का वितरण होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। सूखे के कारण जो लोग फुटकर मजदूरी करते थे, वह मजदूरी उन्हें नहीं मिली। फसलें खराब हो गई। फसल खराब होने के कारण कृषि की मजदूरी भी उन्हें नहीं मिल पाई और वहां राहत का जो काम व्यापक पैमाने पर चलना चाहिए था छुटपुट रूप में भी प्रारंभ नहीं हुआ। जब उन लागों के सामने भूखों मरने का प्रश्न पैदा हो गया, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्न के अभाव में भी जब तक हाथ-पैर चलते हैं, तब तक कोई नहीं मरता, लेकिन जब काफी दिन तक कोई राहत कार्य नहीं चला और उनके भूखों मरने की नौबत आ गई, तो उन्होंने समा घास के बीजों को निकालकर उन्हें इकट्ठा कर के, उन्हें उबाल कर खाना शुरू कर दिया। उन्होंने घास की रोटी बनाई और उस घास की रोटी को खाना शुरू कर दिया। मुझे यह कहते हुए तकलीफ है कि एक राज्य के मुख्य मंत्री ने समा की घास की रोटी को बहुत पौष्टिक बताया और वे बोले कि इसकी तो खीर खाई जाती है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह घास...*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : अध्यक्ष जी, समा घास यदि वही समा है जिसकी पूरे देश में लोग खीर खाते हैं और व्रत उपवास के समय उसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह बहुत पौष्टिक होती है। मेरे क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसान हूं। माननीय सदस्या को पता नहीं है। जो घास मैं दिखा रहा हूं, यह वह घास नहीं है जिसको समा कहा जाता है, जो पौष्टिक होती है तथा 80 रुपए किलो बिकती है। इस घास की रोटी मैंने आदिवासियों के बीच में रहकर खाकर देखी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका टाइम खत्म हो रहा है, आप बोलिए।

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, ये बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये सवां वह सवां नहीं है जैसा माननीय सदस्या कह रही हैं। यह एक विशेष प्रकार की घास है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कोई भी वस्तु इस सदन में नहीं ला सकते।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : मुझे सच्चाई दिखाने के लिए इसे यहां लाना पड़ा क्योंकि ये कहते हैं कि यह बड़ा पौष्टिक है।...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि यह वह सवां नहीं है जो पौष्टिक होता है और 80 रुपये किलो मिलता है। यह सवां बड़े शौक से नही खाया जाता, बल्कि मजबूरी में खाया जाता है। जब पेट भरने के लिए ...*(व्यवधान)*

मैं निवेदन कर रहा हूं कि जैसा यहां कहा जा रहा है कि यह 80 रुपये किलो मिलता है, यह वह सवां नहीं है। वह बड़े लोगों का सवां है। यह जंगली घास है। इसकी रोटी मैंने खाई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जब इसकी रोटी खाते हैं तो यह सवां गले में अटकती है और जब अगले दिन फ्रेश होने जाते हैं तब भी यह भारी तकलीफ देती है। यह सवां, डिटोरी, गुलासरी और ग्वार की भाजी आदि जो वनस्पतियां हैं, इन्हें खाकर वहां के आदिवासी लोग जैसे तैसे जीवित रहने का प्रयास कर रहे थे। जैसे तैसे इनका आधा-पूरा पेट तो भर जाता था लेकिन धीरे-धीरे वे कुपोषण के शिकार होते चले गये, बीमार होते चले गये। वहां के 91 बच्चों का मेडिकल परीक्षण हुआ है। उनमें जब प्रोटीन और कैलोरी को नापा गया, तो वह थर्ड और फोर्थ ग्रेड का निकला। उनका शरीर केवल हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है। उनका पेट फूला है वह इसलिए नहीं फूला है कि उनका पेट भरा है बल्कि इसलिए फूला हुआ है कि उनका लीवर बढ़ गया है। इन सब महिलाओं और बच्चों को मैं भोपाल के मुख्यमंत्री के पास लेकर गया था। वहां उन्होंने धरना दिया। यह अकेले मेरी बात नहीं है। आप अखबार उठाकर देख लीजिए। वहां इलैक्ट्रानिक मीडिया के लोग भी गये थे। आप उनसे बात करके पूछ लीजिए। सच्चाई यह है कि जब उनके पास खाने के लिए अन्न का कोई दाना नहीं बचा तब उन्होंने यह घास खाई। उसके कारण आज वे कुपोषण के शिकार होते जा चले गये। इसके कारण उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियों में ही मर गये। अब हम भले ही कहें कि वे भूख से नहीं मरे बल्कि बीमारी से मरे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां 50 साल का एक आदिवासी मरा था। जब हमने यह मामला उठाया तो कहने लगे कि वह बूढ़ा था इसलिए मर गया। आदिवासी 50 साल का हो तो वह बूढ़ा हो जाता है और जो नेता 50, 60 या 70 साल का है, वह युवा नेता कहलाता है। क्या आदिवासी की यही कहानी हिन्दुस्तान में दोहराई जाती रहेगी? मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये सारी मौतें भूख से हुई हैं। यहां प्रतिपक्ष की नेता आंकड़े बता रही थीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी मध्य प्रदेश में, मैं 2001-02 के आंकड़े नहीं पढ़ूगा लेकिन वेल्फेयर स्कीम के तहत मध्य प्रदेश को मिड डे मील के रूप में जो खाद्यान्न यहां से आवंटित किया गया, मैं उसके आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष 2002-03 में अप्रैल से लेकर पिछले माह तक 18 हजार टन मिड डे मील के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटित किया गया जबकि मध्य प्रदेश ने उसमें से केवल 1002 टन ही उठाया--यानी आधे से ज्यादा खाद्यान्न उन्होंने उठाया ही नहीं। इसी तरह सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो नारमल और स्पेशल कम्पोनेंट है, उसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश को राइस और व्हीट दोनों मिलाकर 430.51 टन आवंटित किया गया जबकि उन्होंने उसके मुकाबले केवल 171.84 टन ही उठाया। इसी तरह पी. डी.एस. है। माननीय प्रतिपक्ष की नेता इसके बारे में कह रही थी। यदि पी.डी.एस. के आंकड़े देखे जायें, मैं पूर्व आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, वर्ष 2002-03 के दौरान मध्य प्रदेश को टोटल 750 हजार टन खाद्यान्न आवंटन किया गया जिसमें से उन्होंने केवल 15.933 टन ही उठाया। मेरे कहने का मतलब है कि वहां लगभग 15 परसेंट खाद्यान्न ही पी.डी.एस. सिस्टम के माध्यम से जाता है। ऐसे ही 15 परसेंट गेहूं उठाया गया और राइस केवल 26.81 परसेंट उठाया गया। यह वहां की स्थिति है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में इस सूखे के कारण जो विपत्ति आई है, उसके संबंध में केन्द्र सरकार ने कभी भी यह नहीं कहा कि वह उनकी मदद नहीं करेगी लेकिन वहां की राज्य सरकारें प्रमाणिकता से काम नहीं कर रहीं। यदि राज्य सरकारें इस तरह की निष्क्रियता या निकम्मेपन का परिचय देंगी तो अकेले केन्द्र सरकार क्या कर सकती है?

केन्द्र सरकार को जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, वे तत्काल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष बात कर रही थीं कि सरकार बड़ी देर से जागी-यह सत्य नहीं है। जैसे ही सूखे ने दस्तक दी थी, पिछले साल मानसून सत्र में, कृषि मंत्री ने 24 जुलाई को सारे राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था, कृषि मंत्रियों की बैठक की थी और इसके बाद सूखे से निपटने के लिए उनके सुझावों के आधार पर अनेक नीति संबंधी निर्णय लिए गए थे। उनमें प्रभावित राज्यों को, नवम्बर में जो आपदा राहत कोष की राशि दी जाती है, अगस्त में ही उसका अग्रिम आवंटन कर दिया गया था। केन्द्र सरकार ने पहली किश्त 648.45 करोड़ रुपये और दूसरी किश्त 551.04 करोड़ रुपये दी और दूसरी किश्त अग्रिम ही दे दी गई थी। इसके अलावा सूखा राहत का काम प्रारंभ करने के लिए 13.25 लाख टन खाद्यान मुफ्त में आवंटित कर दिया गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने विशेष कार्य दल का गठन उप-प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में किया था और उस विशेष कार्य दल ने भी यह तय किया कि 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' के तहत सामान्य भाग का उपयोग सूखे से निपटने के लिए किया जा सकता है।

राजस्थान की बात हो रही थी। अकेले राजस्थान को इस सबके अलावा 30 हजार टन कैटल सीड्स का फूड दिया गया था 11.66 करोड़ रुपया गौशालाओं के रख-रखाव के लिए दिया गया था। रेलवे से पानी और कैटल सीड्स के फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था केन्द्र सरकार ने की है। एक केन्द्रीय टीम 14 प्रभावित राज्यों में दौरा करके आई है। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और उसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपये सूखाग्रस्त राज्यों को देने का फैसला किया है। बाढ़ से प्रभावित राज्यों को भी 237 करोड़ रुपये देने का केन्द्र ने फैसला किया है। राजस्थान को अलग से 5 लाख टन अनाज तथा उड़ीसा को एक लाख टन चावल देने का बात कही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े रख रही थीं, शायद वे भूल गई थी कि 16 तारीख को 19.5 लाख मीट्रिक टन फिर से खाद्यान्न आवंटित किया गया है और 2000 करोड़ रुपये की राशि भी तत्काल सूखाग्रस्त राज्यों में पहुंचाई जाएगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक्सट्रा बोनस...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : मैं थोड़ा समय और लूंगा। मेरा जो समय खराब हो गया, वह मेरे समय में न जोड़ा जाए।

मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक्सट्रा बोनस 5 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मवेशियों के चारे हेतु राजस्थान में फॉडर सीड्स के किट बांटे गए थे ओर जो फसल खराब हो गई थी, उसके कारण वैकल्पिक फसल के बीज की व्यवस्था भी की गई थी। अकेले राजस्थान को 1998 से लेकर अब तक लगभग 2000 करोड़ रुपये दिये गए हैं और उनमें से 155 करोड़ रुपये जो सूखा राहत के थे, वे उसके स्थान पर राजीव गांधी पाठशालाओं पर खर्च कर दिए गए यानी फंड डायवर्ट कर दिया गया। यह राजस्थान की सरकार की सूखे से निपटने की स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।...*(व्यवधान)*

डॉ गिरिजा व्यास : उसमें 30 करोड़ रुपये एक्सट्रा खर्च हो गए।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज बैठिए।

श्री शिवराज सिंह चौहान : हालत इतनी खराब है कि हम मध्य प्रदेश की बात कहें या राजस्थान की, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मध्य प्रदेश को 450 करोड़ रुपये मिले थे। राजस्थान को 402 करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 450 करोड़ रुपये में से 50 करोड़ रुपये भी पूरे मध्य प्रदेश की सरकार ने खर्च नहीं किए। राजस्थान की सरकार भी आधा पैसा खर्च नहीं कर पाई। अगर यही पैसा ढंग से खर्च होता तो शायद राहत के काम और मजदूरी मिलने के काम बड़ी तेजी से और आगे बढ़ते। सूखे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार पूरी मदद करेगी। इसके अलावा भी जितनी आवश्यकता है, वह देगी। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सूखे के नाम पर जो राहत दी जा रही है, उसको ठीक ढंग से नीचे तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। जहां कई लोगों के लिए सूखा विभीषिका बन कर आता है, वहीं कुछ लोगों के लिए सूखा वरदान भी बन जाता है। कुछ भ्रष्ट अफसर, कुछ भ्रष्ट राजनेता, कुछ भ्रष्ट दलाल सूखा राहत की राशि को अपने निजी स्वार्थों के लिए उपयोग करते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। मैं अनेक उदाहरण ऐसे गिना सकता हूं। मध्य प्रदेश में भी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरों को काम देने के लिए जो राशि भेजी गई थी, खाद्यान भेजा गया था, वास्तव में दलाली देकर, पैसा खिलाकर, कुछ प्रभावशाली पंचायतों में वह पैसा पहुंच गया और उन पंचायतों में कम मजदूरी के माध्यम से फिर काम नहीं हुआ

अपराह्न 1.00 बजे

ट्रैक्टर के माध्यम से, जे.सी.बी. मशीनों के माध्यम से, डोजर के माध्यम से वे काम हो जाते हैं और जिस गरीब को सूखा राहत के नाम पर रोजगार मिलना चाहिए, व गरीब वैसा का वैसा रह जाता है। इसलिए एक प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था इसलिए आवश्यक है कि सूखा राहत के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाये। इस बात की आवश्यकता भी है, माननीय नेता प्रतिपक्ष की इस बात से मैं सहमत हूं कि एक सर्वदलीय कमेठी बने, उसमें राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा समाजसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी हों, कुछ समाजसेवी भी हों, जो प्रभावी मोनिटरिंग, सूखे से निपटने के लिए राहत के जो काम किये जा रहे हैं, उसकी ढंग से मोनेटरिंग की व्यवस्था करे।

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिये।

श्री शिवराज सिंह चौहान : मैं अभी थोड़ा वक्त और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो आपको ज्यादा समय दिया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान : मैं दो-चार मिनट और लूंगा।

यह सूखा राहत कमेटी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बने, अपितु प्रदेश के स्तर पर और जिले के स्तर पर भी बने ताकि राहत के कामों की प्रभावी मोनेटरिंग की जाये। सूखे से निपटने के लिए एक व्यापक नीति सरकार को बनानी पड़ेगी, एक दीर्घकालीन नीति सरकार को बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल सूखे का संकट आता है, हर साल हम चर्चा करते हैं, लेकिन जब तक कोई दीर्घकालीन नीति सूखे से निपटने के लिए नहीं बनेगी, तब तक काम नहीं चलेगा।

पिछले दिनों हमने प्रकृति का लगभग लगातार शोषण किया है। प्रकृति का लगातार पेट चीरकर हमने इतने खनिज और पानी निकाल लिया, वास्तव में जब तक प्राकृतिक संतुलन नहीं बना रहेगा, प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। प्रकृति से जितनी चीजों की भरपाई अपने आप हो सके, उतनी उससे निकालों। लेकिन हमने जिस तरीके से पानी निकाला और कई चीजें निकालीं, उससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, प्रकृति का चक्र बिगड़ गया और उसके कारण ये विभीषिकाएं पैदा हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि सूखा राहत की इस राशि में हर गांव में व्यापक पैमाने पर तलाब खोदने का काम हाथ में लिया जाये। अगर आवश्यक हो तो एक कानून बनाकर भी हर गांव में तालाबों के लिए जमीन आरक्षित की जाये और उस जमीन पर तालाब खोदे जायें। विशेषकर जो हमारी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वगैरह के माध्यम से जो खाद्यान्न जा रहा है, जो पैसा जा रहा है, उसका उपयोग जल संरक्षण के कार्मों में किया जाये। चैक डैम, स्टाप डैम की एक व्यापक श्रंखला बनाने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही जो नदियों को जोड़ने की बात चल रही है, मैं मानता हूं कि इसमें एक राष्ट्रीय सहमति तत्काल बनाने की आवश्यकता है। एक तरफ बाढ़ की विभीषिका और उसी समय दूसरी तरफ सूखे की विभीषिका, क्या वास्तव में यह नहीं हो सकता कि जो बाढ़ का पानी तबाही लाता है, वह अकालग्रस्त इलाकों में भेज दिया जाये। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल का स्वागत करता हूं कि सारे राजनैतिक दलों की एक बैठक हो और नदियों को जोड़ने के मामले में एक आपसी आम सहमति बने। मैं मानता हूं कि यह काम काफी कठिन है, पैसों की भी पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की आवश्यकता है, अन्य दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन अगर यह संसद संकल्प प्रकट करे तो हर दिक्कत आसान हो सकती है। नदियों को जोड़ने का काम भी जितनी जल्दी हो, व्यापक पैमाने पर हाथ में लेना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि कर्ज वसूली स्थगित करने की बात जरूर हुई है, लेकिन कर्ज वसूली स्थगित करने से काम नहीं चलेगा। जब तक किसानों के कर्जे का कम से कम ब्याज माफ नहीं होता, तब तक किसानों को कोई राहत नहीं मिलने वाली। जब ऐसी विभीषिका आती है तो हम कर्ज वसूली स्थगित कर देते हैं। कर्ज वसूली स्थगित होने के कारण अगले साल मय ब्याज के वह कर्ज किसान से वसूला जाता है और फिर इतने बड़े कर्जे की गठरी किसान के सिर पर हो जाती है कि वह फिर जन्म भर चुका नहीं पाता और आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए कर्ज के ब्याज को माफ करने की बात की जाये।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह भी निवेदन करता हूं कि जो फसल बीमा योजना है, नेता प्रतिपक्ष ने ठीक कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं कि फसल बीमा योजना में व्यापक संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 1.04 बजे

[**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन हुए*]

फसल बीमा योजना आज हमारे देश में ऐसी लागू है, मैं किसान परिवार से आता हूं, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, जब भी किसान सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खाद और बीज लेने जाता है तो बीमे के प्रीमियम की राशि तो काटी जाती है, लेकिन जब बाढ़ से, सूखे से, ओले से तबाही आती है, जब किसान की फसल नष्ट हो जाती है और जब हम उन्हें बीमे की राशि देने की बात करते हैं तो कह दिया जाता है कि नहीं, इनको नहीं मिल सकती। हम कहते हैं, क्यों नहीं मिल सकती तो यह बात की जाती है कि इकाई इसमें तहसील है। तहसील को इकाई माना जाता है, व्यक्ति इकाई नहीं है, किसान इकाई नहीं है और तहसील को इकाई मानने के कारण जब तक पूरी तहसील की 60-65 प्रतिशत से ऊपर फसलें नष्ट नहीं हो जाएंगी, तब तक उसे कोई राहत या मुआवजा नहीं मिलेगा। यह सरासर अन्याय है। मेरा निवेदन है कि किसान को ही फसल बीमा योजना के लिए इकाई माना जाये। अगर एक व्यक्ति को नुकसान हुआ है, एक किसान को नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना के माध्यम से जब तक नहीं होगी, तब तक केवल बीमा कम्पनियों को प्रीमियम के रूप में अपनी तिजोरी भरने का मौका मिलेगा। इस तरह किसानों को कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रति पक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का संकट सारे राज्यों के किसानों को तोड़ रहा है। दो-दो, तीन-तीन और पांच-पांच घंटे मुश्किल से बिजली आती है और वह भी रात को आती है। इस कारण किसानों को अपने खेतों में रात भर खड़ा रहना पड़ता है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। मुझे एक किसान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था कराएं कि हम रात को सो सकें। मैंने कहा कि क्या रात को नींद नहीं आती, तो उसने कहा कि नींद तो आती है, लेकिन बिजली भी रात को आती है, दिन में नहीं आती। उस पर भी हालत यह है कि कब आ जाए और कब चली जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं और मेरा बेटा पूरी रात खेत में खड़े रहते हैं। जैसे ही बिजली आती है तो मैं बटन दबाता हूं, उधर से बेटा कहता है कि पापा चली गई। हालत यह है कि रात में एक फीट भी जमीन गीली नहीं हो पाती। मैं फ्री बिजली देने की मांग नहीं कर रहा हूं। इस फ्री बिजली देने की आड़ में वोटों की राजनीति से बिजली का कबाड़ा कर दिया गया है और आज किसान तबाही के कगार पर पहुंच गया है। हिन्दुस्तान की विद्युत व्यवस्था कैसे ठीक हो, उसमें कैसे सुधार हो, इस मामले में केन्द्र और राज्य दोनों ढंग से विचार-विमर्श करेंगे, दोनों चर्चा और बातचीत करेंगे तो मैं समझता हूं किसानों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। वरना बिजली के अभाव के कारण वैसे ही फसलें खराब हो रही हैं और किसान सूखे की मार से पीड़ित है। उसके कारण और बुरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच गया है।

सूखे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन एक संकल्प प्रकट करे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सवाल पर सोच-विचार किया जाए। केवल केन्द्र को या राज्यों को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हम मिलकर विचार करें और एक आम सहमति इससे निपटने के लिए बनाएं। उसके लिए एक संकल्प प्रकट हो, जिसके कारण हमारे देश के अनेक इलाके जो सूखाग्रस्त हैं, उनका ढंग से मुकाबला करने के लिए हम किसानों को भी तैयार कर सकें और जो अभी भूख से मौतें हुई हैं, वैसी त्रासदी से, वैसी विभीषिका से देश को बचाया जा सके।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देश के सामने गंभीर सूखे की स्थिति है। हम इस गंभीर स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामुहिक प्रयास से सूखे की स्थिति का सामना करना चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार का मुख्य कर्तव्य है कि वह आगे आये और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सभी कारकों को एक करे तथा लोगों की मदद करें।

महोदय, दुर्भाग्यवश प्रारंभ में ही बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाये जायेंगें। लेकिन सूखे की इस गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए प्रधान मंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की थी, वे पूरी तरह अपर्याप्त हैं।

सरकार ने देश विशेषकर सूखा प्रभावित घोषित किये गये चौदह राज्यों के कृषि समुदाय के मध्यावधि ऋणों की वापसी अदायगी को स्थगित करने की घोषण करने का फैसला किया है, यह 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। लेकिन महोदय 31 मार्च के बाद क्या होगा? क्या देश विशेषकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों का कृषि समुदाय मध्यावधि या अल्पावधिक ऋण चुका सकेगा? नहीं, महोदय।

इसलिए सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि यह ऋण स्थगन पूर्णत: अपर्याप्त है। ऋण पूरी तरह से माफ कर दिये जाने चाहिएं।

लेकिन मैं अपने दल की ओर से मांग करता हूं कि ऋण माफ कर दिये जाये। सरकार बार-बार डींग हांक रही है कि हमारे सभी गोदाम खाद्यान्नों से भरे पड़े हैं। हमारे गोदाम खाद्यान्नों से भरे पड़े हैं, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं।

इस मुद्दे पर मैं मांग करता हूं कि सरकार द्वारा वर्तमान में कियान्वित की जा रही अपनी खाद्य नीति की तत्काल समीक्षा करनी चाहिए, और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न मुफ्त बांटा जाना चाहिए।

अब, केन्द्रीय सरकार ने 14 राज्यों को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया है। मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहूंगा कि सूखा प्रभावित राज्य घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं। महोदय मैं केरल राज्य से हूं। सरकारी सूत्रों के अनुसार मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष केरल राज्य में मानसून के दौरान वर्षा में 14 प्रतिशत तक की कमी आई है। लेकिन केरल राज्य को सूखा प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया।

महोदय, तमिलनाडु और कर्नाटक केरल के पड़ोसी राज्य हैं। जैसा की आप सभी जानते हैं कि इन तीनों राज्यों में मानसून के दौरान वर्षा बराबर ही होती है। लेकिन तमिलनाडू और कर्नाटक को सूखा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया और केरल को छोड़ दिया गया। यदि मुझे सही तरह से याद है तो 8 और 9 अग्रस्त को, संसद के मानसून सत्र के दौरान केरल राज्य के कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया था और उन्हें केरल राज्य को भी सूखा प्रभावित राज्य घोषित करने के लिए एक ज्ञापन दिया था। लेकिन आज तक केरल राज्य को सूखा प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया गया है।

[श्री एन.एन. कृष्णदास]

दुर्भाग्यवश हमें ज्ञात हुआ है कि केरल सरकार ने केरल राज्य को सूखा प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल किये जाने की मांग ही नही की। महोदय, यह बडी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज तक सभी सरकारी सूत्रों ने यह कहा है कि इस वर्ष मानसून के दौरान वर्षा 14 प्रतिशत कम हुई है, फिर भी केरल राज्य को सूखा प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया गया है। केरल का कृषि समुदाय बहुत गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। हालांकि केन्द्र सरकार ने पर्याप्त कदम उठाये हैं, फिर भी ये केरल के कृषि समुदाय के लिए कम हैं, क्योंकि अभी तक केरल को सूखा प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

इसलिए इस चर्चा का उत्तर देते समय मैं माननीय कृषि मंत्री से इसका भी उत्तर चाहता हूं कि केरल राज्य को अभी तक सूखा प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया है।

विपक्ष की माननीय नेता ने ठीक ही कहा है कि यह बहुत ही गंभीर स्थिति है और इससे निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस मुद्दे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। देश में गंभीर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार को आगे आ कर पहल करनी चाहिए।

अब, मैं खाद्य नीति पर आता हूं। यह भी सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दिये गये उपायों से जुडी हुई है। इसलिए खाद्य नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठप्प हो गयी है। इसलिए सभी कह रहे हैं कि हमारे देश में गोदाम खाद्यान्नों से भरे होने के बावजूद लोग भूख से मर रहे हैं। अत: इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। सूखाग्रस्त क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में यह खाद्यान्न नि:शुल्क बाटा जाना चाहिए। इस तरह से सरकार को देश में इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र द्वारा कदम उठाये जाने के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने के मामले में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह केन्द्रीय सरकार को इस पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। देश में गंभीर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार को गम्भीर कदम उठाने चाहिए।

अब, जबकि हम सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में बाढ़ का भी सामना किया जा रहर है। अत: सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक स्थायी तत्र होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, विपक्ष की नेता के द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव अकाल के मामले में प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में मगर के आंसू बहाने के समान है, क्योंकि सोनिया जी की पार्टी के द्वारा शासित राज्य, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य हों, जहां-जहां भी सूखा पड़ा है, वहां की सरकारें अकाल प्रबन्धन करने के मामले में सर्वथा विफल रही हैं।

महोदय, जैसा अभी हमारे मित्रों ने कहा है कि राजस्थान के अन्दर बारां जिले के बारे में पिछले दिनों जो रिपोर्ट्स आती रहा हैं, उनमें भूख से मौतें हो रही हैं। हमारे पड़ोसी क्षेत्र की सांसद, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा, माननीय डा. गिरिजा व्यास जी हैं। आदिवासी क्षेत्रों डुंगरपुर, बांसवाड़ा या पश्चिमी राजस्थान या अजमेर जिला या अन्यान्य क्षेत्रों से निरन्तर समाचार आ रहे हैं कि इन क्षेत्रों में अकाल की बजह से स्थिति भयावह है। यह ठीक है कि राजस्थान की सरकार ने 32 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। लेकिन सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद केन्द्रीय या राजस्थान सरकार की सहमति के आधार पर सैन्ट्रल रिलीफ फन्ड या दूसरे जो आपदा राशि संग्रह कोष हैं, उनसे राज्यों को जो राशि मिलनी चाहिए।

राजस्थान सरकार ने वह सारी राशि उठा ली। केन्द्र द्वारा पेयजल, चारा या अकाल के मामले में पर्याप्त सहायता प्रदान की है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार की नीयत में खोट है - "न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है।" राजस्थान सरकार की नीयत मैं इसलिए बुरी कह रहा हूं, क्योंकि वह अकाल प्रबंधन का कार्य करने में विफल रही है। लोगों को काम नहीं दे पा रही है, काम की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, अनाज को नहीं उठा पा रही है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है और लोगों को रोजी-रोटी नहीं दे पा रही है। राजस्थान के पशुधन को बचा नहीं पा रही है। गोबल्स की थ्यौरी के आधार पर राज्य सरकार बार-बार यह असत्य दुहरा रही है कि केन्द्र सरकार मदद नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं।

महोदय, यहां कृषि मंत्री जी विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भारत सरकार एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करे। भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों में राजस्थान में लगातार अकाल की स्थिति हो रही है, भगवान इंद्र का प्रकोप राजस्थान के ऊपर पड़ा हुआ है। हमारे गांवों में लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस का राज जब आता है तो अकाल पड़ता है, अकाल की स्थिति पैदा होती है। राजस्थान में जब-जब भारतीय

जनता पार्टी का शासन आया, मैडम भली प्रकार से समझती होंगी, राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि जनता और जमाना, कांग्रेस और अकाल। कांग्रेस जब भी आती है तो अकाल पैदा होता है और जनता का राज आता है तो जमाना अच्छा होता है, वर्षा अच्छी होती है, यह बिलकुल सही बात है। पिछले दिनों राजस्थान के कोटा क्षेत्र में बारां में भूख से मौतें हुई और स्टार टीवी, जी टीवी, दूरदर्शन तथा दुसरे जितने मीडिया के साधन या समाचार-पत्र हैं, उन सब ने भूख से मोतों की पुष्टि की।

महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सोनिया जी बोल रही थीं कि वहां भूख से मौतें नहीं हुई हैं, कुपोषण से हुई हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से प्रार्थना करते हुए पूछना चाहूंगा कि आखिर कुपोषण का कारण भूख नहीं तो क्या है। उन्हें समय पर पेट भरने के लिए दो वक्त रोटी नहीं मिलती। वह खून-पसीना एक करके, मेहनत, मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें दो वक्त की रोटी प्राप्त नहीं होती, पूरा भोजन नहीं मिलता, भूखे सोना पड़ता है, पत्तों को खाना पड़ता है, घास की रोटी खानी पड़ती है, परिणामस्वरूप वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। मुझे कहते हुए हैरानी हो रही है कि गृह सचिव, नायर साहब की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार ने कमेटी बैठा दी। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें यह साहस कहां था कि राजस्थान सरकार के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दें, वह तो कह रहे हैं कि कुपोषण से मौतें हुई हैं।कांग्रेस की सरकारें चालाकी कर रही हैं। चाहे राजस्थान या मध्य प्रदेश में मौतें भूख से हो रही हैं। वहां हमारे खाद्य मंत्री जी बैठे हुए थे, उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के दरवाजे, भंडार खोल दिए। राजस्थान में जहां-जहां एफसीआई के भंडार हैं, वहां जितना अनाज है, वे उठाएं। वहां हर सरपंच के पास पांच-पांच, दस-दस मन बौरी की केन्द्र सरकार ने व्यवस्था कर दी ताकि भूख से कोई न मरे। जिस घर में कोई कमाने वाला न हो, रोगी, असहाय एवं बेसहारा हो, वह कहीं मौत के मुंह में न चला जाए। इसलिए मुफ्त अनाज देने के लिए केन्द्र सरकार ने विशेष अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गेहूं की बोरियां वहां पहुंचाई हैं। अफसोस है कि कांग्रेस के राज में कांग्रेसी सरपंचों ने जो अन्नपूर्णा योजना का गेहूं है, उसका भी दुरूपयोग किया। वे भूख से पीड़ित लोगों तक उस गेहूं को पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। बारां की मौतें राजस्थान के इतिहास में काला पृष्ठ हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले 45 वर्षों में से केवल 10 वर्ष ही भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों ने शासन किया है बाकी के सालों में कांग्रेस का शासन रहा है। कांग्रेस के शासन में अगर अकाल के स्थाई समाधान का प्रयास किया जाता, अगर गंगा-यमुना का पानी राजस्थान पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता तो भूख से मौतें नहीं होती। चम्बल का पानी लिफ्ट योजना के द्वारा जहां राजस्थान में पानी का अभाव है अगर पहुंचाया जाता तो लोगों को आज भूख का सामना नहीं करना पड़ता।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय सोनिया गांधी जी शायद गरीबी और गरीबी में रहने वाले लोगों को नहीं जानती हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. गिरिजा व्यास : महोदय, यह तरीका सही नहीं है। इन्होंने सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। इन्हें अपनी बात ठीक करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. गिरिजा व्यास, आप अपनी बारी आने पर बोल सकती हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : सभापति जी, राजस्थान में 45 साल तक कांग्रेस का शासन रहा है। उस समय के हमारे कृषि मंत्री जी और सरकार अकाल की समस्या का समाधान करने के लिए स्थाई प्रयास करते तो राजस्थान को चौथे निरंतर अकाल का सामना न करना पड़ता। यह तो ऐसी ही बात हुई कि "रोम जल रहा था और नीरों बंसी बजा रहा था"। समाचार आ रहे हैं कि राजस्थान में मौतें हो रही हैं और कांग्रेस माउंट-आबू में कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों का राजपुताना-रेसोर्ट जैसे पंच-सितारा होटल में सम्मेलन बुला रही और इस पर कितना रुपया खर्च हुआ होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सोनिया जी राजस्थान मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए गयीं और कहा कि मैं अकाल-पीड़ित क्षेत्रों को देखना चाहती हूं। राजस्थान सरकार ने दो-चार चुनी हुई जगह दिखाने की व्यवस्था कर दी जहां हेलीकोप्टर से घुमा जा सके और उनके सामने ऐसे-ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जिनका अकाल-राहत से कोईलेना-देना नहीं था। उन लोगों को पहले से ही तोते की तरह रटा दिया गया था कि आपको क्या बोलना है। सोनिया जी जब लौटले लगीं तो कहने लगीं कि अशोक गहलोत जी का काम बहुत अच्छा है। इस तरह से वैल-मैनेज्ड प्रोग्राम किया गया। मेरा कहना यही है कि "गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा उसकी खुदा तो तुझे जड़ से खो देगा"। सोनिया जी ने गहलोत जी को प्रमाण-पत्र दे दिया और उसके बाद गहलोत जी ठंडे पड़ गये। उनको गरीबों के रोजगार के लिए और राहत के लिए कार्य करना चाहिए।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

राजधानी के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सांसदों की बैठक बुलाई। लेकिन कुल 25 में से 16 सांसद जो बीजेपी के हैं उन्हें नहीं बुलाया। जो कांग्रेस के 9 सांसद है उन्हें बुलाया। वहां के सांसद अकाल की समस्या से निपटने के ढंग से असंतुष्ट हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कैसे उनके रोष को शांत किया।

मुंशी जी आप इस बात का पता लगाएं कि हमें आज तक अकाल के बारे में चर्चा करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? यह राजस्थान सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, स्थिति भयावह है। मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत और अन्य कार्यों पर दो लाख टन विशेष गेहूं भारत सरकार द्वारा दिया गया था। अनाज का पांच लाख टन का विशेष कोटा भी दिया गया। उनमें से दो लाख टन एक बार और तीन लाख टन दूसरी बार देने की बात हुई लेकिन राजस्थान सरकार उसे उठा नहीं पाई। एक तरफ दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं और दूसरी तरफ जो ठीक हो रहा है, उसका श्रेय खुद लेते हैं। ''मेहमदिया की टोपी अहमदिया के माथे और अहमदिया की टोपी मेहमदिया के माथे'', ''मीठा-मीठा हप और कड़वा-कड़वा थू'' लोगों से कहा गया कि हमने इतना काम किया, इतना अनाज बांट रहे हैं, हमने केन्द्र सरकार से निवेदन भी किया लेकिन केन्द्र सरकार पैसा ही नहीं दे रही है। मैं आंकड़े देना चाहता हूं। वहां की कांग्रेस सरकार ने लोगों को गुमराह किया। इन्होंने मीडिया का मायाजाल फैला रखा है। मीडिया में दो-दो पेज के विज्ञापन एक साथ आ रहे हैं। यदि गिरिजा जी का भी उसमें फोटो आता तो मुझे संतोष हो जाता। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का फोटो होता है और दूसरी तरफ गेहलोत साहब का फोटो होता है। करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च हो रहे हैं लेकिन राजस्थान की भूख से मर रही जनता को बचाने के लिए, अकाल राहत कार्य खोलने के लिए, पेय जल की समस्या का निराकरण करने के लिए और वहां के पशु धन को बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। वहां की कृषि व्यवस्था का मूल आधार पशु धन है। उसे बचाने के लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने घोषणा की कि देश में जहां कहीं चारा मिलेगा वह मालगाड़ियों में मुफ्त सूखा पीड़ित राज्यों में पहुंचाया जाएगा। मालगाड़ियां भर-भर के भेजी जा रही हैं लेकिन राजस्थान सरकार उसे स्टेशनों से उठा नहीं रही है। उसे लेने वाला कोई नहीं है और न ही इसकी कोई व्यवस्था करने वाला है। गांवों में पंचायतों के डिपो खोल दिए। मैं कल किशनगढ़ क्षेत्र में चार-पांच पंचायतों में गया। सरपंचों ने मैमोरडम दिया और कहा कि हम इन्हें खोलना चाहते हैं। हमने कई बार लिख कर भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घास के डिपो खोले नहीं जाते हैं।...*(व्यवधान)* एक बार भूसा आया, वह धूल भरा था और चारा जहरीला था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कई वक्ताओं को बोलना है। हमें वाद-विवाद 6 बजे तक समाप्त कर लेना चाहिए। 33 से भी अधिक सदस्य वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : सभापति महोदय, पुष्कर मेले में छः भैंसें मर गई। गांवों में जो कैरोसिन ऑयल मिलना चाहिए, वह समय पर नहीं दिया गया। एक कांग्रसी इनकी ब्लैक करते हुए पकड़ा गया और सारा माल वहां से जब्त हुआ। वहां यह हालत है। आप राजस्थान के समाचार पत्रों को निश्चित रूप से पढ़े।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : में अगले वक्ता, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी को बुला रहा हूं। 33 से भी अधिक वक्ता अभी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. रासासिंह रावत : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो. रासा सिंह रावत, आपने अपराहन 1.18 बजे बोलना शुरू किया था। आप पहले ही 7 मिनट ले चुके हैं।

प्रो. रासासिंह रावत : महोदय, में दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या मैं आपके दल के लिए नियत समय को कम कर सकता हूं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : सभापति महोदय, भारत सरकार की तरफ से पैसा अकाल राहत के नाम पर भेजा गया, पेय जल के लिए भेजा गया, ग्रामीण रोजगार के लिए भेजा गया लेकिन वह राजीव गांधी

स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलने पर खर्च किया गया। इस पर 158 करोड़ रुपए लगा दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले वाले स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कमरे नहीं है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मुझे केवल दो मिनट का समय दिया जाए। मैं आपका सांक्षण चाहता हूं। राजीव गांधी पाठशाला स्थान-स्थान पर खोल दिए लेकिन वहां बीएड एवं एस.टी.सी. लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है।

उस स्थान पर सरपंच के चहेते, कांग्रेस के चहेते मैट्रिक और नॉन-मैट्रिक लोगों को लगा दिया और केवल हजार-बारह सौ रुपये में। एक स्कूल में इंस्पैक्टर साहब निरीक्षण हेतु गये। एक शिक्षक पढ़ा रहे थे कि गंगा नदी हिमालय से निकलकर हरिद्वार होती हुई अरब सागर में गिरती है। इंस्पैक्टर साहब पूछते हैं कि गंगा को अरब सागर में कहां गिरा रहे थे। जवाब मिलता है कि हजार-बारह सौ रुपये में तो गंगा नदी अरब सागर में गिरेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रासासिंह रावत, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाईए। आप करीबन 20 मिनट ले चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्योंकि ये प्रोफैसर हैं इसलिए ये शिक्षा पर बोल रहे हैं। ये सूखे के बारे में नहीं बोल रहे हैं। श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, अब आप अपनी बात शुरू कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत : शहरों में और गांवों के अंदर यह हालत हो गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल की भयावह स्थिति है। केन्द्र सरकार श्वेत पत्र प्रकाशित करे राजस्थान की जनता को सूखे से बचाने के लिये, कांग्रेस सरकार की अकर्मण्य स्थिति से बचाने हेतु ज्यादा से ज्यादा राज्य की जनता को राहत एवं मदद प्रदान करें ताकि समय पर सहायता की जा सके।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति महोदय, इस समय देश के 14 राज्यो में अकाल और सूखे की स्थिति है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पिछले 2-3 वर्षों से लगातार अकाल और सूखा है लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पिछले पांच वर्षों से लगातार सूखे और अकाल का संकट व्याप्त है। यह एक संजीदा विषय है जिस पर मैं चर्चा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने सारे देश की व्यापक स्थिति को बतलाया है। स्वाभाविक है कि इस देश के चुने हुये प्रतिनिधियों को इस विषय पर चिन्ता होगी। ठीक है और हो सकता है कि हमारी सोच और इनकी सोच में कहीं अंतर होगा। मैं बड़ी विनम्रता से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र में बहुत ऐसे विषय आयेंगे जहां एक दूसरे से राजनैतिक लड़ाई लड़ लेंगे। ऐसे मसले से जहां आम आदमी की जिन्दगी प्रभावित हो रही हो, वहां कृपा करके इस विषय पर राजनीति न करें। हम इससे बचें और वास्तविक तथ्यों के आधार पर विषय की गंभीरता और उसके दर्द को महसूस करते हुये ऐसा उपाय करें कि देश को इस संकट से कैसे उबारें?

सभापति जी, मैं पक्ष और विपक्ष के साथियों के भाषण को सुन रहा था। जब भी देश में अकाल की स्थिति निर्मित होती है, उससे तीन वर्ग ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक वर्ग सीमान्त कृषक है लेकिन जो थोड़ा बड़ा किसान होता है, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसमें सहन करने की क्षमता होती है लेकिन सीमान्त किसान पर सबसे ज्यादा चोट पड़ती है। सूखे की स्थिति से प्रभावित होने वाला दूसरा वर्ग कृषि मजदूर है जो खेती पर निर्भर होता है। उसके पास न अपनी जमीन होती है और न उसके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन होता है। वह केवल किसान के पास जाकर खेत में मजदूरी करता है जिससे उसके परिवार का लालन-पालन होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग कृषि पशु है। इन में गाय, बैल, भैंस, और बकरी आते हैं। आज अकाल और सूखे की स्थिति के कारण एक तरफ तो 14 प्रदेशों में पिछली खरीफ फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और दूसरी तरफ जो रबी फसल अभी बोई जाने वाली थी, वह कहीं कहीं 50 प्रतिशत और किन्हीं क्षेत्रों में इससे भी कम बोई जा सकी है। खरीफ फसल तो बोई हुई थी। मैंने मध्य प्रदेश के आंकड़े देखे हैं जिसमें 60 प्रतिशत के लगभग रकबे में बुआई की जा सकी है जिसमें 30 प्रतिशत के लगभग ही फसल हो पाई है और वह सामान्य उत्पादन का 30 प्रतिशत है।

इस तरह से खरीफ नष्ट हो जाए और अभी भी पानी न होने की वजह से, जमीन सूखी होने की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से, जिन जिंसों की पैदावार के लिए अब रबी की फसल में बुवाई होती है, वह बुवाई नहीं हो पा रही है। इसका परिणाम क्या होगा। जो किसान है वह समझता है, जो किसान नहीं है, वह समझ नहीं पाता है। जो बीज किसान अपने पास रखता था और उस बीज को बोकर अगले साल के लिए फिर से बीज पैदा कर लेता था, जब वह बीज ही नहीं बचेगा तो अगले वर्ष के लिए भी उसके ऊपर संकट है। यह केवल इस वर्ष का संकट नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम अगले वर्ष भी किसानों को भोगने होंगे।

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

सभापति महोदय गांवों में कुओं में पानी नहीं रह गया है। मैं मध्य प्रदेश के जिस हिस्से से आता हूं, मैं वहां का दौरा करके आया हूं। गांवों में यह स्थिति है कि जो पानी का स्तर हैंड पम्पों के कुओं में मार्च-अप्रैल के महीने में होता था, वह पानी का स्तर आज नवम्बर में कुओं में रह गया है। आप कल्पना कीजिए इस पानी के साथ पूरे वर्ष भर गांवों के लोगों को निर्वाह करना है। मैं इस सरकार और हर सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर तात्कालिक उपाय नहीं किये गये तो भयानक स्थिति पैदा हो जायेगी। मार्च के महीने से ही और कहीं-कहीं तो फरवरी के महीने से ही पेयजल उपलब्ध नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 138 ऐसी नगरपालिकाएं हैं जहां दो दिन, तीन दिन और कहीं-कहीं तो आठ-आठ दिन के अंतर पर पानी की सप्लाई हो पा रही है। यह नगरों की स्थिति है। राज्य सरकारें अपने संसाधनों से...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : वहां आपका राज है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : राज्य मेरा है, राज्य आपका है, राज्य जनता का है। मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि अगर इस नजरियें से देखना है कि राज्य किसका है तो उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। उसके लिए मैं किसे दोष दूं। वहां किसका राज्य है इसमें न जाइये, कृपा करके इसे समग्र और व्यापक रूप में देखने की कोशिश करें तो शायद कुछ हल निकले।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले वहां पेयजल प्रबंधन का काम करना बहुत जरूरी हो गया है। दूसरी बात यह है कि किसानों का जो कर्ज था, मुल्तवी कर देने से यानी अगले साल चुका देने से बात नहीं बनेगी। श्री शिवराज सिंह चौहान की बात से मैं सहमत हूं कि किसानों के कृषि ऋणों पर जो ब्याज है, वह ब्याज माफ होगा तभी किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। वरना उसे अगले साल ब्याज पर ब्याज देकर वही ऋण चुकाना होगा, जो उसकी आर्थिक स्थिति की कमर तोड़ देगा। गांवों से भारी संख्या में कृषि मजदूरों को पलायन हो रहा है। कहीं पंजाब की तरफ, कहीं दिल्ली की तरफ लोगों को जहां रोजगार मिल रहा है, लोग उधर की तरफ भागना शुरू हो गये हैं। मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां नहीं है, थोड़ी देर पहले उन्होंने शायद राजनीतिक कारणों से कह दिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि सच यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 11,748 राहत कार्य केन्द्र सारे जिलों में खोले हैं, जिनमें 3.68 लाख मजदूर निरंतर काम कर रहे हैं। वे सारे निर्माण कार्य मुख्यत: जल संवर्धन से संबंधित हैं। तालाब बनाना, स्टॉप डैम बनाना छोटे-छोटे पोखर और तालाब बनाना, जहां, पानी इकट्ठा हो सके, जहां कुओं का जल स्तर बढ़ सके, इस किस्म के राहत कार्य हर जगह खोले गये हैं। शिवराज सिंह जी यहां नहीं है, यहां होते तो मुझे अच्छा लगता, प्रत्येक जिले में बीस लाख रुपये पहुंचा कर उनसे यह कहा गया है कि यह पहली किस्त है। साठ लाख रुपये तक के राहत कार्यों को प्रारंभ करने का कलक्टर को आदेश दिया गया है। पूरे जिले में विकास खंड स्तर तक योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है।

मै सिर्फ दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके सचेतक द्वारा आबंटित 10 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। आपके दल के पांच और सदस्यों को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं बिल्कुल अपने समय में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सब जानते है। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे अनेक राज्य हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सदैव बड़ी खराब रही है। लगातार तीन वर्ष से अगर सूखा राहत कार्य संचालन करने की जिम्मेदारी इन राज्य सरकारों पर पड़ जाए और अगर केन्द्र से उनको पर्याप्त सहायता न मिले तो स्वाभाविक है कि वे राज्य राहत कार्य नहीं चला पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी केन्द्र की सहायता की जरूरत होती है। जो केन्द्र से सहायता जारी की गई थी, मैं नहीं कहूंगा कि केन्द्र से कोई सहायता नहीं गई। पहुंची, लेकिन कितनी? मध्य प्रदेश के जो आकलन आए थे, केन्द्र की यहां से टीम गई थी, उन्होंने वहां जाकर सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद जो स्थिति थी, उसका आकलन करने के बाद लगभग 4869 करोड़ रुपये की हमने मांग की थी कि इतने रुपये की आवश्यकता होगी सूखे की व्यापक स्थिति को देखते हुए, राज्य के 45 में से 32 जिले पूरी तरह से सूखे की चपेट में हैं। लेकिन पहुंचा क्या - मुश्किल से 1100 करोड़ रुपये की कुल सहायता का आश्वासन। उसमें से पहली किश्त लगभग 500 करोड़ रुपये की पहुंची और इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। खाद्यान्न की हमने मांग की थी। जितनी आवश्यकता थी, हम चाहते थे कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से भी बहुत सारे मजदूरों को काम दिया जा सकता है लेकिन जो खाद्यान्न हमने मांगा, उसका आधा भी आबंटन नहीं किया गया। राजस्थान की वही स्थिति है। वहां उन्होंने लगभग 65 लाख टन की मांग की थी और मंजूर कितना हुआ? पांच लाख टन की स्वीकृति कुल हुई है, उसके पहले दो लाख टन पहुंच चुका है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है। आप चार मिनट का अतिरिक्त समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप कहने को कह सकते हैं कि केन्द्र सरकार ने मदद दी, लेकिन केन्द्र सरकार की मदद क्या वहां की स्थिति के अनुपात में पर्याप्त है इस बात पर चिन्तन करना होगा और अगर आपने राज्यों के भरोसे पर छोड़ दिया तो स्थिति बहुत कठिन होगी।

भूख से मृत्यु की बात शिवराज सिंह जी द्वारा कही गई थी। जिस क्षेत्र में शिवपुरी में हुई, मैं स्वयं वहां गया। स्थिति यह है कि जिस घर में मृत्यु हुई थी, ऐसे तीन-चार परिवार हैं। उनके घरों में अनाज था यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। *...(व्यवधान)* क्षमा करें, मुझे अपनी बात कह लेने दें। उस गांव के अंदर एक खाद्यान्न बैंक बनाया हुआ है। उस खाद्यान्न बैंक में 28 बोरी अनाज मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वहां से अनाज उनको नहीं मिल सकता था। काम न भी करते तो भी उस खाद्यान्न बैंक से अनाज मिल सकता था। अनाज की आवश्यकता नहीं थी। वहां पांच-सात लोग बीमारी के कारण मरे। हमारे यहां मलेरिया और डेंगू का भी इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है, वह वायरल से मिला-जुला होता है। अन्य क्षेत्रों में भी वह फैसला है। मेरे अपने जिले में भी मौतें हुई हैं। कुछ खसरे से मर गए हैं। अब हर मौत को कहें कि भूख से हुई मौत है तो शायद हम न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए भूख से हुई मौत को ही भूख से हुई मौत मानना चाहिए। अगर ऐसा हुआ हो और कहीं भी हुआ हो, राजस्थान, उड़ीसा में कहीं भी हुआ हो तो जो प्रशासन है वहां का, उसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए। इसमें किसी के बचाव की बात नहीं है। मैं किसी की तरफदारी या बचाव के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने खाद्यान्न उठाओ के बारे में कहा था कि मध्य प्रदेश ने जितना खाद्यान्न आबंटित था, उसका कोटा नहीं उठाया। क्षमा करें, शायद माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। एक लाख टन अनाज हमें मिला था। उसमें से 75000 टन से ऊपर अनाज हम पिछले महीने तक उठा चुके हैं। इस महीने में हमने अतिरिक्त मांग की है जो हमें अभी तक आबंटन नहीं मिल रहा है। आपने कह रहे हैं कि उठाया नहीं। पोषण आहार योजना में जो खाद्यान्न भेजा, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए आपके यहां आ चुकी होगी।

अपराह्न 1.49 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

उसमें कीड़ा लगा हुआ है, सड़ा-गला अनाज, गंदा और काला पड़ा हुआ अनाज पोषण आहार योजना में भेजा गया था। आप क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सड़े हुए अनाज को उठा ले और उसके बाद अपने बच्चों को खिलवाए?

इसके बावजूद कैसे उस सड़े गले अनाज को हम अपने प्रदेश में बच्चों को खिलाएं जिससे फिर वहां मौतें हों-ऐसा न कर के हमने तत्काल लिखा कि इस तरह की खराब क्वालिटी का अनाज हमारे प्रदेश में क्यों भेजा गया, उसे बदला जाए और उसके बदले हमें दूसरा अनाज भेजा जाए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक हमें उसके बदले अनाज का आबंटन नहीं हुआ है। इन सारे तथ्यों को देखते हुए हम एक बात करें कि आरोप-प्रत्यारोप से बचें और एक समग्र योजना, व्यापक स्तर पर बनाएं जिससे बाढ़ और सूखे से बचा जा सके।

महोदय, किसी क्षेत्र में सूखा और किसी क्षेत्र में बाढ़ से प्रति वर्ष औसतन 10 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट होती है। यदि हम इतना प्रबन्ध कर सकें कि इस देश की नदियों को परस्पर जोड़ दें, तो जिस क्षेत्र में बाढ़ है, उसे बाढ़ से बचाया जा सकता है और जिस क्षेत्र में सूखा है, उसे सूखे से बचाया जा सकता है। मैं जानता हूं कि बहुत साल पहले शायद 1950 के दशक में गंगा-कावेरी लिंक परियोजना पर काम हुआ था, लेकिन उसे आज तक मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका। यह शायद इसलिए नहीं किया जा सका कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नही थी या फॉरेन एड में हमें इतना नहीं मिल रहा था, लेकिन आज समय आ गया है कि हम प्रति वर्ष 10-10, 15-15 और 20-20 हजार करोड़ की सम्पत्ति नष्ट कराएं बजाय इसके हम फायनेंशयल इंस्टीट्यूशन्स के पास जाएं, जो सारे देश की नदियों को लिंक कर के इस देश के सूखे और बाढ़ का समाधान कर सके और इन समस्याओं का एक दूरगामी स्थायी हल हो सके अन्यथा हम हर वर्ष यहां बैठेंगे, बाढ़ और सूखे का रोना रोएंगे, पीड़ा को उजागर करेंगे, लेकिन असहाय की तरह यह देश बैठा रहेगा और इस देश के सूखे और बाढ़ का समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं सारे माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि सारे मतभेदों को भूलकर इस मसले पर एक राय होकर, एकजुट होकर विचार करें और ऐसी परियोजना पर यथाशीघ्र काम प्रारंभ हो, गंभीरता से काम हो जिससे इस देश की आने वाली पीढ़िया, कम से कम बाढ़ और सूखे के कष्ट से मुक्त हो सकें। धन्यवाद।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष जी, सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो एडजर्नमेंट मोशन प्रस्तुत किया है और विशेषकर देश में बाढ़ और सूखे की जो स्थिति है, उसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में चर्चा हो रही है। इस प्रस्ताव का मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से विरोध करता हूं। आज हमारे हिन्दुस्तान, हमारे भारत देश को आजाद हुए 55 वर्ष हो गए हैं। इन 55 वर्षों में ज्यादातर केन्द्र में और हर राज्य में, चाहे केन्द्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, दिल्ली से गली तक कांग्रेस का ही राज रहा। चाहे वह पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, तालुक पंचायत समिति हो, जिला लैवल की पंचायत समिति हो, विधान सभा हो या फिर लोक सभा। इन सभी में 55 में से 40 से 45 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है। उस समय कोई रोकने वाला नहीं था, कांग्रेस का पूरे देश में अखंड राज्य रहा है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि अगर सही मायने में कांग्रेस की नेता और उनकी पार्टी के लोगों को किसानों के हितों की इतनी ही चिन्ता होती तो आज किसानों की यह दयनीय दशा नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 40-45 सालों के शासन में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे किसानों को बाढ़ और सूख से राहत मिलती। इसी कारण आज यह स्थिति पैदा हो गयी है। मैं मानता हूं कि यह आपदा है लेकर सभी राजनैतिक दल इस गंभीर स्थिति से निपटने की बजाय राजनीति की रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियां से अपील करना चाहूंगा कि सूखे की स्थिति को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ऐसी हमारी पार्टी की सोच है। विशेषत: महाराष्ट्र में 40-45 साल तक कांग्रेस का शासन था। इन सालों में सिंचाई का क्षेत्र केवल 10 परसेंट ही था। इस बीच साढ़े चार-पांच साल तक हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी तो उसने किसानों की सिंचाई का क्षेत्र 10-12 परसेंट से बढ़ाकर 22-23 परसेंट कर दिया। ऐसा उन्होंने वहां के किसानों को राहत देने के लिए किया था। महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी तब महाराष्ट्र के किसानों को इरीगेशन के लिए फुल टाइम बिजली दी गयी। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है।

मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं लेकिन जो सच्चाई है या महाराष्ट्र में जो स्थिति है, उसी की यहां चर्चा कर रहा हूं। अभी महाराष्ट्र में बिजली नहीं है। वहां कटौती के नाम पर छह-छह, आठ-आठ घंटे तक बिजली गायब रहती है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहां किसान सिंच्चाई का काम करता है, वहां उनको बिजली नहीं मिल रही है। छह या आठ घंटे तक बिजली बंद रहने के बाद जो टाइम बचता है उसमें भी बिजली नहीं रहती। ऐसी स्थिति आज महाराष्ट्र की है।

मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार थी तब किसानों को हफ्ते में एक दिन छोड़कर बाकी सातों दिन फुल टाइम बिजली मिलती थी। उस समय लोड शैडिंग नहीं थी। इस समय लोक सभा के अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी हैं, वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उस समय कांग्रेस के लोग ऐसा बोला करते थे कि ये तो ब्राह्मण आदमी हैं इसलिए इनको खेत का क्या पता लेकिन उसी ब्राह्मण आदमी ने महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई के लिए 24 घंटे तक बिजली दी।

सभापति जी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पाद किया जाता है। वहां छोटे, बड़े सभी किसान कपास का उत्पादन करते हैं। हमारे नेता शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में मेरी सरकार आई तो मैं कपास एकाधिकार के माध्यम से 2300 रुपये पर क्विंटल कॉटन का भाव दूंगा। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम जो बोलते हैं, वही करते हैं। ऐसा हमारा उसूल है, शिवसेना की पालिसी है। मेरा कहना है कि इन 40-45 सालों में कॉटन का भाव इतना नहीं बढ़ा जितना हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में बढ़ा। आज महाराष्ट्र में किसानों की हालत बहुत गंभीर हैं। महाराष्ट्र में कॉटन का उत्पादन करने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अपने नौ क्षेत्रों का किसानों ने कपास का कर्ज चुकाया है, ऐसी हैडिंग उधर के लोकल अखबार में छपी है।

अपराह्न 2.00 बजे

पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने जो कपास खरीदा था उसका भुगतान अभी तक नहीं दिया। उसका पैसा देना बाकी है। हमारी सरकार ने 2023 रुपये काटन का भाव दिया था। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने उसी काटन का भाव 1500-1600 दिया। अभी तक भाव नहीं दिया, जिससे महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यह एक सच्चाई है। अभी तक नौ लोग आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन कोई सरकारी अधिकारी उनके पास नहीं गया। किसानों को जो पैसा देना बाकी है, वह अभी तक नहीं दिया गया और जो काटन खरीदना है, उसे खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। एक तरफ ऊपर की मार, दूसरी तरफ शासन की मार। महाराष्ट्र के किसान इस समय दोहरे संकट में हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आपदा पीड़ित राहत के लिए जो 65 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिए हैं, महाराष्ट्र के किसानों को अभी तक उसमें से एक पैसा भी नहीं मिला।. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव : एक-दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपने का काम नहीं होना चाहिए। केन्द्र से जो पैसा मिला है, वह किसानों

के पास जाना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। वे पैसे को डायवर्ट कर रहे हैं। सूखे से निपटने के लिए लॉग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। नदियों को लिंक करने की योजना को स्टडी करने के लिए एक समिति गठित करनी चाहिए और उसके माध्यम से पूरे देश में इरीगेशन बढ़ाने के बारे मे भी सीरियसली सोचने की जरूरत है। हमारे पास अनाज बहुत है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके में अभी भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। केन्द्र के पास अनाज के भंडारण है लेकिन अनाज की वितरण प्रणाली ठीक करने की जरूरत है। अनाज का भंडारण होते हुए भी हमारे देश में बच्चे भूखे मरें, किसानों के बेटे भूखे मरें, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आगे नहीं आनी चाहिए।

फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन होता है, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा के वे अच्छे कृषि मंत्री हैं सम्पूर्ण फसल बीमा योजना हर राज्य में लागू करनी चाहिए। किसानों की कोई भी फसल अगर कम पानी की वजह से खराब हो जाती है, किसानों को फसल नहीं मिलती तो उन्हें उसका प्रीमियम मिलना चाहिए। दिन-प्रतिदिन किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। कई राज्यों में कम पानी है, कई राज्यों में पानी नहीं है। किसान खेत में धान बोने के लिए, खाद खरीदने के लिए बैंक से पैसा लेता है लेकिन जब सूखा पड़ जाता है, अनाज का उत्पादन नहीं होता तो इसमें किसान का कोई दोष नहीं है। मैं ऐसी पॉलिसी की डिमांड करता हूं कि छोटे किसानों, मध्यम किसानों के ऊपर जो कर्जे का बोझ है, कम से कम उसका ब्याज माफ करना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुरेश रामराव जाधव : हमारी टास्क फोर्स अभी तक किसानों को राहत देने में नाकामयाब रही है। हमारे कृषि मंत्रालय की ओर से हर स्टेट में स्टडी करने के लिए एक टीम गई थी, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अगर रिपोर्ट आई है तो भी अभी तक कुछ राहत नहीं मिली है, इसलिए जल्दी से जल्दी सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को, दोनों को कार्यक्रम बनाने चाहिए और सूखे से निपटने के कुछ कारगर उपाय करने चाहिए।

केन्द्र में काम के बदले अनाज योजना है। अभी हम इस योजना का कार्यान्वयन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अनाज बहुत है, काम करने वाले हाथ भी बहुत हैं, लेकिन कृषि मजदूर गांवों से दिल्ली, मुम्बई, कोलकता जैसे मैट्रोपोलिटन सिटीज में पलायन कर रहे हैं। इन लोगों को बचाने के लिए काम के बदले अनाज योजना को कियान्वित करना चाहिए।

मेरा एक ही निवेदन है कि किसान हमारा पेट पालने वाला है, हमें रोटी देने वाला है, लेकिन वह खुद भूखा है, इसलिए उसे बचाने के प्रयत्न करने चाहिए। अगर किसान बच जायेगा तो हम बच जाएंगे, हमें ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए और भविष्य में सूखे से निपटने के लिए लॉग टर्म पॉलिसी पूरे हिन्दुस्तान में बनानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट में हम योजना लागू कर सकें। हमें एक कमेटी बनाकर इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और कारगर कदम उठाने चाहिए।

इतना ही निवेदन करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सूखे पर हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

लगभग तीन वर्ष एक माह इस सदन में संसद सदस्य के रूप में मुझे आये हो गये हैं। इन तीन वर्षों का हमारा जो अनुभव है, यह सर्वोच्च सदन लगातार सूखे और बाढ़ पर प्रतिवर्ष चर्चा कर रहा है। चर्चा करके हम अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। हमें यह प्रतीत होता है कि हम सभी लोग इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। अभी सदन के अन्दर सूखे पर जो चर्चा उभरकर आई है, उसमें प्रतिपक्ष और पक्ष से जो बातें कही गई हैं, उसमें हमें यह देखने को मिला है कि पक्ष ने प्रतिपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और प्रतिपक्ष ने पक्ष को जिम्मेदार ठहराने का काम किया है। 55 साल की आजादी बीत जाने के बाद भी अगर हमारे देश के किसान आज तक प्रकृति के भरोसे जीने के लिए मजबूर हैं तो कहीं न कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर यह कुठराघात है। हमें यह सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि देश की 55 साल की आजादी के दौर में हमने किसानों को क्या दिया और क्या नहीं दिया।

अभी मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण को सुना। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि अकाल्ल से मुक्ति पा चुके हैं, लेकिन सूखे से मुक्ति नहीं पाई है। अभी जब हमने पिछले दिनों के पन्नों को पलटा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने राजस्थान में 51 मौतों के लिए स्थानीय शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हमारा प्रतिनिधिमण्डल अकाल पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करके लौटा है। अकाल और सूखे, इन दोनों पर हमें भ्रम की स्थिति में नहीं रखना चाहिए। मेरी अपनी समझदारी है कि आज राजस्थान और उड़ीसा जैसा राज्य अकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड जैसे राज्य आज सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं। ये रस्साकसी और आरोप-प्रत्यारोप यहां तक ही सीमित नहीं हैं। आदरणीय कृषि मंत्री

[कुंवर अखिलेश सिंह]

जी यहां पर बैठे हुए हैं। आज ही राष्ट्रीय सहारा अखबार में मैंने इनकी पार्टी के नेताओं का वक्तव्य पढ़ा है कि श्री शरद यादव और सुश्री मायावती ने किसानों की दुर्दशा की है। ये राष्ट्रीय लोकदल के इनके जिले के पदाधिकारी हैं, उनके वक्तव्य हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने आज आरोप लगाया कि किसानों की दुर्दशा और प्रदेश में गन्ना मिलों के देरी से चलने के लिए केन्द्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री शरद यादव व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जिम्मेदार हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां राज्य से लेकर केन्द्रीय स्तर तक, विधान सभा से लेकर संसद तक हम एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप मढ़ने का काम करते हैं। इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराने का काम कर रहे हैं। मैं सदन में फिर एक बार गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि किसान जो भगवान का दूसरा रूप है, अगर उसकी बुनियादी समस्याओं का ईमानदारी से निराकरण नहीं किया, तो आने दिनों में इस देश में किसानों के आक्रोष का सामना हम सबको करना पड़ेगा। वह आक्रोष कितना भयंकर होगा, इसका आंकलन हमें यहां बैठकर कर लेना चाहिए।

सूखे और बाढ़ से हर साल जो अरबों रुपयों की तबाही हो रही है, जनधन बर्बाद हो रहा है, उसके लिए आज तक हमने कोई जल नीति नहीं बनाई है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि देश की 55 साल की आजादी के बाद भी कोई जल नीति नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बदलते हुए पर्यावरण के कारण जो कम वर्षा हो रही है, उसके कारण हम जमीन से अधिक पानी लेकर उसका जिस तरह शोषण कर रहे हैं, उसको कैसे बचाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जलवायु के बिगड़ते हुए चक्र को कैसे नियमित किया जाए, इस पर हमें और भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। हमें वर्षा के जल को वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा करके भूमि को अवशोषित करने का काम करना चाहिए।

अभी चौधरी जी ने कहा कि फरवरी से लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी राजस्थान गया था। वहां नवम्बर के महीने में भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, उसके अनुसार उड़ीसा में भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। जब नवम्बर के महीने में यह स्थिति है तो फरवरी, मार्च और मई-जून में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना शायद सरकार को नहीं है। केन्द्र सरकार में बैठे हुए लोग अगर राज्यों के ऊपर दोषारोपण करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहते हैं, तो वे एक भयंकर भूल करने जा रहे हैं तथा लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और रारष्ट्रीय लोक दल गठबंधन की सरकार है। सूखे के सवाल पर वहां के कृषि मंत्री जी का अखबारों के माध्यम से जो बयान आया है, उसको हमने पढ़ा है। उन्होंने भी इस सवाल पर सरकार के कामों के प्रति अपना आक्रोष जाहिर किया है। राजस्थान में 51 मौतें भूख के कारण हुई हैं। आदरणीय सोनिया जा अभी माउंट आबू गई थीं। उन्होने भी वहां सूखे से हुई मौतों पर चिंता प्रकट करने का कार्य किया था। अभी शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की दुर्दशा को अच्छी तरह से सदन के पटल पर रखा है। इस संदर्भ में एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय हमें सच्चाई को ईमानदारीपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पूरे देश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने के साथ-साथ 20 रुपए प्रति क्विंटन सूखा राहत के कारण बोनस के रूप में देने का काम किया है। इस तरह धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल मिलाकर 550 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी और खाद्य आपूर्ति मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है। मेरे क्षेत्र महाराजगंज में औसतन पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा धान और गेहूं पैदा होता है। लेकिन वहां के किसान अपने धान को 375 रुपए से 390 रुपए प्रति क्विंटन बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपके द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है। आपने जो 20 रुपए सूखा राहत के नाम पर अलग से देने की बात कही है, उसे छोड़ दें तो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य वहां के किसानों को नहीं मिल रहा है। उन्हें उसकी एवज में 375 रुपए से 390 रुपए ही मिल रहे हैं। किसानों ने अपना खून-पसीना बहाकर इस सूखे की विषम स्थिति में धान का जहां रिकार्ड उत्पादन किया है, वहां भी सरकार धान खरीदने का कोई प्रबंध नहीं कर पाई है। आज हालत यह है कि किसानों के आक्रोश का सामना हमें और आपको करना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता जगह-जगह आंदोलनरत हैं।

आज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया है, उस पर ही वे खरीदारी करेंगे और राज्यों को उससे ज्यादा मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है।

दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने भी मिल मालिकों के पक्ष में फैसला दिया है। मै कहना चाहता हूं कि जो यह स्थिति

पैटा हो गई है, इसका सामना करने के लिए यू.पी. के लिए, महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग गन्ना मूल्य निर्धारित करने की राजाज्ञा आप जारी करें, एक अध्यादेश जारी करने का काम करें तथा आवश्यकता पड़े तो इस सदन के अंदर विधेयक भी लाने का कार्य करें जिससे यह गतिरोध दूर हो। अगर 95 रुपये क्विंटल का गन्ना 62 रुपये क्विंटल में मिल मालिकों द्वारा खरीदा जाएगा तो मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं होगा। किसान आज गन्ने को खड़े खेत में फूकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। धान की फसल को जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ जो किसान सूखे की घड़ी में भी देश के राष्ट्रीय भंडार में अमूल्य योगदान कर रहा है, उसे प्रोत्साहन देने की बजाए उसको हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ केन्द्र को राज्यों को दिशा-निर्देश देने चाहिए। यह भी दिशानिर्देश जाने चाहिए कि राज्य उनका अक्षरण: पालन करें।

अभी शिवराज सिंह जी ने कहा कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में जो धन आबंटित किया गया, उसका पच्चीस प्रतिशत धन भी खर्च नहीं किया गया। मैं बीजेपी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जहां आपकी गठबंधन की सरकार है, वहां भी आपको नजर डालनी चाहिए। यू.पी. में जहां बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ आपकी गठबंधन की सरकार है, यू.पी. जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, आज की तारीख में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पच्चीस प्रतिशत धन भी वहां खर्च नहीं हुआ है। मैं अगर गलत कह रहा हूं या मेरी बात गलत हो जाती है तो मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधान मंत्री सम्पूर्ण रोजगार योजना गरीबों के लिए आपने चलाई है, उस योजना के अन्तर्गत राज्यों के अंदर जो कुछ हो रहा है तथा इस योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि की जो बंदरबांट हो रही है, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्व में जो आपके साथी ग्रामीण विकास मंत्री थे, मेरी निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि यू.पी. में ग्रामीण विकास मंत्रालय से एक करोड़ रुपये नहीं बल्कि करोड़ों रुपये सीधे कुछ लोगों के हस्तक्षेप से जिलों को गये हैं और उस धन की भी बड़े पैमाने पर बंदरबांट हुई है। अगर उसकी भी आप जांच कराएंगे तो सारे तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब आप खाद्य मंत्री थे तो खाद्य मंत्रालय में आपने काम करते हुए पूरी ईमानदारी से बहुत सी बुराईयों को दूर करने का प्रयत्न किया था। अब उसमें आप कितने कामयाब हुए या कितने नहीं हुए थे, इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों के विकास के लिए, उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्यों को जो धन केन्द्र द्वारा दिया जा रहा है, उस पैसे का सही तरीके से राज्यों द्वारा उपयोग किया जा रहा है या नहीं, वास्तविक रूप में मजदूर लगाये जाते हैं या ठेकेदारों के द्वारा वह धन हड़पा जा रहा है, इसकी जांच करानी चाहिए।

सूखे और बाढ़ की मार से निपटने के लिए हमें एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करनी होगी। अभी प्रधान मंत्री जी ने 56000 करोड़ रुपये की योजना पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण राजमार्ग के चौड़ाकरण के लिए खर्च करने का काम किया है। उस योजना का मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस योजना के पहले अगर हमने खेतों में पानी का इंतजाम करने का निर्णय लिया होता, खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने का निर्णय लिया होता और पीने के पानी को प्राथमिकता देने का काम किया होता तो यह धन उपयोगी मद में नियोजित होता और इससे हमें अच्छा और सकारात्मक परिणाम मिलता।

मैं समझता हूं कि बदलते हुए पर्यावरण के कारण आज हमारे हिमखंड पिघलते जा रहे हैं जिसके कारण जलवायु परिवर्तित होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मेरे साथी बैठे हुए हैं। मंडी विधान सभा क्षेत्र के भी मेरे साथी हैं। अभी पिछले दिनों एस्टीमेट कमेटी के दौरे पर हम लोगों ने हिमखंडों का अध्ययन किया और देखा था कि जहां गर्मी के दिनों में बड़े-बड़े हिमखंड रहा करते थे, वहां पर सितम्बर के महीने में हिमखंडों का कहीं अतापता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के अन्तर्गत झुककर नहीं बल्कि देश की परिस्थितियों के अनुरूप हमें बदलते हुए पर्यावरण के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। अगर हमने ठोस प्रयत्न नहीं किये तो निश्चित तौर पर हम देश की खेती को नहीं बचा सकते हैं।

साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सूखे के संदर्भ में आज देश में जो स्थिति है, उसके समाधान के लिए हमें गहराई की तरफ जाना होगा। जैसा कि विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया जी, ने कहा कि हमारे देश में अभी भी 40 प्रतिशत खेत सिंचाई से वंचित है, प्रकृति के भरोसे हैं। मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि अभी भी दो-तिहाई खेत प्रकृति के भरोसे पड़े हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें बड़ी नदियों, जिनमें ज्यादा जल है, को छोटी नदियों, जिनमें कि जल कम है, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करना चाहिए। वर्षा का जल सही तरीके से प्रबन्धन करके और सूखे से निजाद दिलाने के लिए पहल करनी चाहिए।

महोदय, सदन में चर्चा हो रही है कि फलां राज्य में भूख के कारण मौत नहीं हुई और फलां राज्य में सूखे के कारण मौत नहीं

[कुंवर अखिलेश सिंह]

हुई। हमने अभी समाचार पत्रों में देखा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी इस सूखे की स्थिति से चिन्तित नजर आए। उन्होंने राज्य सरकारों से सीधे रिपोर्ट मंगाने का काम किया है, लेकिन उसके बाद भी केन्द्र में बैठे हुए लोग इस समस्या पर गम्भीर नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस समस्या के निदान के लिए अगर आप सचेत नहीं हुए, अगर आप जागरूक नहीं हुए, तो जिस तरह से एक-एक करके राज्यों में आपकी सरकारों का सफाया होता चला जा रहा है, उसी तरह से सन् 2004 में जब केन्द्र में चुनाव होंगे, तो केन्द्र में भी आपका वही हाल होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए यदि आपके मन में दर्द है, किसानों के प्रति यदि आपको जरा सी भी हमदर्दी है, तो तत्काल सूखे की समस्या से निपटने के लिए आप एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करें और इस समिति के अलावा बाहर भी एक सर्वदलीय समिति का गठन होना चाहिए, जो सिंचाई विभाग के इंजीनियरों, कृषि वैज्ञानिकों की राय लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। सदन में सूखे की स्थिति के बारे में पहले भी चर्चायें हुई हैं, लेकिन लगातार तीन वर्षों से लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में वर्षा की अत्यन्त कमी के कारण स्थिति भयावह बन गई है। इस सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो प्रभावी उपाय राज्य सरकारों द्वारा और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने चाहिए और हर प्रकार की सहायता देने का केन्द्रीय सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा न किए जाने से, सूखे की स्थिति गहरी हो गई है। मौसम में विभिन्न परिवर्तन हैं। शताब्दी का सबसे भीषण सूखा है।

महोदय, मैं आपका ध्यान हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ भागों की ओर खींचना चाहता हूं। वहां सूखे की स्थिति होने के बावजूद भी वहां के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आहार ठीक नहीं था, कुपोषित आहार की वजह से लगातार वहां मौतें हुई हैं, सूखा या अनाज की कमी के कारण नहीं हुई हैं। लेकिन जब यह बात मध्य प्रदेश की विधान सभा में उठाई गई, तो माननीय मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा कि कुछ क्षेत्रों में निश्चित ही इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। वहां एक दल जानकारी लेने के लिए भेजने का आग्रह हुआ। शिवपुरी और गंजबसौदा में इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंदसौर जिले में भी यह स्थिति है। नीमच जिले का कोण्या गांव का दौरा करने के लिए विगत दिनों में मैं वहां गया था। मैं चाहता था कि सूखे के कारण वहां जो नुकसान हुआ है, उसके नमूने से मैं आपको अवगत कराऊं, लेकिन मैं यहां पर नहीं ला सका।

इससे पता लगता है कि वहां कितनी भीषण स्थिति बनी हुई है। मैं संक्षेप में दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा। केन्द्र सरकार की ग्राम विकास की विभिन्न योजनाएं हैं। उनमें सस्ते दरों पर अनाज देना भी है।

किंतु यहां से जो अनाज जाता है, वह उपभोक्ता भंडारों में पहुंच कर काले बाजार में चला जाता है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों तक वह नहीं पहुंचता। सूखे से प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंचता। वह काले बाजार में पहुंचता है। हाल ही में मंदसौर जिले के उपभोक्ता भंडारण द्वारा ब्लैक में जो माल बेचा गया, उसका एक प्रकरण आया। वहां के मुख्य प्रबंधक के पास करोड़ों रुपए की सम्पत्ति प्राप्त हुई है। मैंने मंत्री जी से इस बारे में आग्रह किया था, माननीय शरद जी यहां विराजमान हैं, उस संचालक मंडल को भंग करने की तत्काल व्यवस्था करें। उसे तत्काल भंग किया जाए, क्योंकि केवल अकेला प्रबंधक दोषी नहीं है, पूरा संचालक मंडल दोषी है। वह किस का है, इस बात को मैं यहां उद्धृत करना नहीं चाहूंगा। आप यह पता लगा लीजिए कि वह किन लोगों के हाथ में है। आज वह जो दुहाई दे रहे हैं, कि सहायता नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमें सहायता नहीं दी जा रही है, आप पता लगाएं कि क्यों इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है।

दूसरा मेरा कहना है कि सूखे से निपटने के लिए, स्थाई समाधान की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा तालाब बनाने के लिए, कुंए बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि प्रदान की गई। मैं अपने मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का उदाहरण दूंगा। इसके तहत जहां वर्षों से तालाब बना हुआ था, जो राजस्व के कागजात में अंकित है, वहां दूसरा तालाब बन गया। वहां तालाब नहीं है और यह प्रदर्शित कर दिया कि दूसरा तालाब बन गया। वह पैसा कहां गया? मेरे क्षेत्र में गांधीसागर डैम है, वहां डूब क्षेत्र काफी बड़ा है। वहां आज पानी कम है तो कल वहां पानी ज्यादा होगा। वहां भी तालाब बना कर पैसा ले लिया गया तो सूखे के संकट से कैसे निपटेंगे, आप स्वयं इसका अनुमान लगा लीजिए। सूखे के संकट के नाम पर राज्य सरकार जो पैसा प्राप्त कर रही है, इसकी मैंने विधिवत लिखित शिकायत की है। अगर मंत्री जी अनुमति देंगे तो मैं पुनः देने को तैयार हूं, क्योंकि सरासर इस पैसे का गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। महोदय, किस प्रकार की कार्यवाही हो रही है, अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए

केन्द्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन उस भूमि को उपजाऊ न बनाते हुए, वहां तालाब न बनाते हुए उस पैसे को कहीं अन्य खर्च करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कई उदाहरण दिए हैं। मध्य प्रदेश के गंजबसौदा, झाबुआ, नीमच जिले का कोज्या गांव और शिवपुरी के बारे में बताया है। वहां भुखमरी की शिकायतें हैं। वहां से कई शिकायतें आई हैं। इस बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि इस दृष्टि से वहां तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। जल संग्रहण की दृष्टि से तालाब, तलैया, छोटे बांध व बड़े कुएं आज जरूरी हो गए हैं।

महोदय, मैंने अनाज के बारे में कहा था कि इसके लिए कोई व्यवस्था हो। राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन केन्द्र सरकार कह रही है कि भंडारण की व्यवस्था में हम मदद करते हैं, आप पैसा, अनुदान लीजिएगा, हम बैंकों से मदद दिलाने के लिए तैयार हैं। छोटे-छोटे गोडाउन बना कर आप लीजिएगा, लेकिन भंडारण के नाम पर अनाज उठाने के लिए तैयार नहीं हैं और कहते हैं कि हमने इतना मांगा है, केन्द्र सरकार ने दिया नहीं है। केन्द्र सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश व राजस्थान में व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उसे समुचित करने में आपको कार्यवाही करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि यह व्यवस्था हो। राजस्थान के बारे में बहुत चर्चा हुई। वहां केन्द्रीय टीम भी गई और उसने जाकर देखा तो पता लगा कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से कमी है। वह कमी इस प्रकार की है कि उसे स्वयं मुख्य मंत्री जी तक स्वीकार करते हैं। अभी माउंट-आबू में जो कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें सूखे की भी काफी चर्चा हुई, केन्द्र सरकार पर बहुत दोषारोपण हुआ। यह कहना कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, केन्द्र सरकार सारी व्यवस्थाएं करके दे, अगर केन्द्र सरकार सभी व्यवस्थाएं कर देगी तो केन्द्र सरकार स्वयं क्यों न यह कार्य करे, राज्य सरकारों के हाथ में क्यों दे। यह स्थिति बनी हुई है। यहां से हजारों टन खाद्यान्न देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको निवेदन किया कि तालाब बनाने, सड़कें बनाने के नाम पर दिया। इसलिए यह जरूरी है कि जितना पैसा जाता है, उसका समुचित उपयोग हो और उसकी मोनिटरिंग के बारे में समुचित व्यवस्था की जाए। मेरा आज नियम 377 के अंतर्गत एक निवेदन भी है, जिसमें मैंने मांग की है, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच और राजस्थान के कई जिलों की हालत शोचनीय है। इन जिलों में निविदा के लिए सूचना प्राप्ति के बाद भी उनका निपटारा करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अत: मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि एक मांनिटरिंग समिति बनाई जाये जो इन कार्यों को देखे। साथ ही एक संसदीय समिति बनाई जाये जो इनकी गुणवत्ता तथा प्रकिया आदि का निरीक्षण करे। मैंने आज ही इस बारे में पुन: ध्यान आकर्षित किया है कि आखिर यह स्थिति क्यों है और कैसे इसे ठीक बनाया जाए। हम हमेशा ही स्थाई उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। कल हमारे उस पक्ष के माननीय सांसद ने जब सरदार सरोवर परियोजना के बारे में चर्चा चल रही थी तो उसके पानी के बंटवारे को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में किस प्रकार उसके पानी का बंटवारा होगा। मेरा कहना है कि जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि जो सुझाव दिया गया था उस सुझाव पर सदन और माननीय मंत्री महोदय भी ध्यान दें। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम नर्मदा का पानी चम्बल में डालें और चम्बल का पानी क्षिप्रा में डालें और क्षिप्रा का पानी शिवना में डालें जिससे एक ऐसा लिंक बनाया जाये जिससे मालवा का भू-भाग हरा-भरा हो जावे। यह प्रकिया अगर गुजरात में बनायी गई है, गुजरात में नर्मदा का पानी साबरमती में डाला गया और उससे भी आगे इस प्रकिया को ले जाया जाये, तो अच्छा है।

सभापति महोदय : नियम 377 बाद में लिया जायेगा, तब आप अपनी बात रख सकते हैं।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं आगे की योजना के बारे में बता रहा हूं ताकि सूखे के संकट से चाहे बरसात हो या न हो, आसानी से निपटा जा सके। कई फसलें चली गयी हैं और इस साल की फसल जो आने वाली है, वह भी पानी की कमी से ठीक नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि पिछले तीन सालों से हमारी फसलें नहीं हुई हैं। हालत खराब है।

मैं एक और मांग भी करना चाहूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने आदेशित किया है कि बैंकों की वसूली स्थगित की जाये किंतु ब्याज की वसूली भी न की जाये, यह साफ नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर ब्याज वैसा का वैसा ही रहा, फिर भी उनके ऊपर इस साल का ब्याज और आने वाले साल का ब्याज पड़ेगा। अत: ऋण वसूली स्थगित किए जाने के साथ-साथ ब्याज की वसूली भी न हो। आज मध्य प्रदेश में बिजली का संकट है और दूसरी तरफ बिजली के बिल किसानों को डबल दिये जा रहे हैं। दो दिन की भी अगर वह देरी करता है तो उसका कनैक्शन काट दिया जाता है और रि-कनैक्शन के नाम पर हजारों रुपये वसूल किये जाते हैं। एक तरफ किसान सूखे की मार से, दूसरी तरफ बिजली की मार से और तीसरी तरफ राज्य सरकार की कुव्यवस्था की मार से परेशान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए। परस्पर दोषारोपण के बजाए मैं चाहूंगा कि एक सुनिश्चित नीति बनायी जाये। क्या हम कोई राष्ट्रीय जल नीति, कोई राष्ट्रीय आपदा नीति बना सकते

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

हैं जिससे ऐसे संकट के समय हम सब मिलकर उस पर कार्य कर सकें और एक सही दिशा में आगे बढ़ सकें ताकि इन सारे संकटों से छुटकारा पा सकें। हम केन्द्र की विभिन्न ग्राम योजनाओं का भी लाभ लें।

सूखा संकट से जो लोग परेशान हैं, उनमें अधिकतर आदिवासी हैं या अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, उनके क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है क्योंकि उनके क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक आवागमन की व्यवस्था के कारण और दूसरे दूसरी व्यवस्थाओं के कारण। इसको कैसे सुलभ बनाया जा सकता है इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि थोक भंडारों के जरिये जो अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है इसके बजाए केन्द्रीय सरकार ऐसी व्यवस्था पर विचार करे कि जहां-जहां इस प्रकार का सूखा संकट है वहां-वहां एजेंसी बनाकर अनाज सीधे पहुंचाया जाये। मेरे पास कई अखबारों के उदाहरण हैं राजस्थान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि :

[अनुवाद]

"उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के अधिवक्ता को बताया कि चूंकि आपके मुख्यमंत्री ने केन्द्र द्वारा आबंटित खाद्यान्न को नहीं उठाया है, इसलिए उन्हें अधिक खाद्यान्न मांगने का कोई अधिकार नहीं है।"

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट ने कौंसिल से यह बात कही कि राज्य ने अनाज उठाया नहीं है। इसलिए इसमें आप कोई जुरिडिक्शन नहीं रखते हैं। विशेष मांग का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें हैं उसको मॉडल, एक आर्दश बनाना चाहती थीं लेकिन मॉडल बनाना तो दूर रहा, दूसरे प्रकार की स्थिति वहां बनती जा रही है।

[अनुवाद]

"कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में हुई दुर्भाग्यपूर्ण मौतें आगे नहीं होनी चाहिए।"

हम चाहते हैं कि वह स्थिति न हो। कुपोषण इसलिए होता है कि जितनी सामयिक सुविधा उनको मिलनी चाहिए, वह उनको नहीं मिलती है। महाराष्ट्र, आंध्र व कर्नाटक के भी कई भाग प्रभावित हैं। उन्हें भी सहायता मिले।

यह टाइम्स आंफ इंडिया में दिया है। यदि सामयिक कार्यवाही न हुई तो चीफ सैक्रेटरी इसके लिए जवाबदेह होंगे। इसी अखबार ने और उदाहरण देते हुए दिग्विजय सिंह जी की सरकार से कहा है कि इस सरकार को क्या हो गया है, किस प्रकार क्या करना चाहिए वैसा वह क्यों नहीं कर रहे हैं। उस अखबार ने स्टारवेशन डैथ्स को लेकर वह बात कही। वह अखबार कहता है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मैं एक और उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही हैं, वे कैसे सुदृढ़ हों और कैसे अनाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इस पर ध्यान दिया जाए। यह हिन्दुस्तान टाइम्स की कटिंग्स हैं। उसमें आया है:

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश के शहरों में कई लोग भूखे :-

"यह बहुत ही हैरानी की बात है कि विकास कार्यक्रमों पर अत्यधिक बल देने वाली सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। एटलस के अनुसार, सत्रह सूचकों में से आठ सूचकों के संबंध में राज्य काफी असुरक्षित है। इसका एक उदाहरण है- मध्य प्रदेश में गरीबी की प्रतिशतता बहुत अधिक है..."

आज यह स्थिति बन रही है। सूखे का संकट हम सब के लिए चिन्ताजनक बात है। यह कठिनाई और न बढ़े, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार भूख से मौतें न हों इसलिए भविष्य में और सावधानी बरती जाए। केन्द्र सरकार ने बार-बार कहा है कि आपको जितना अनाज और धन चाहिए वह लीजिए और काम चलाइए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैंने वहां का दौरा किया। मैंने वहां सूखा राहत के तहत किसी को काम करते हुए नहीं देखा। मैंने जब इस बारे में जिलाधीश से पूछा तो उसने कहा कि अब कार्य प्रारम्भ करेंगे क्योंकि अब एलाटमैंट विलम्ब से प्राप्त हुआ है। इससे संकट गहरा गया है आज पानी नीचे चला गया है। 700-800 मीटर नीचे जाकर ट्यूबवैल से पानी नहीं मिलता है। पानी को बाहर लाने के लिए मोटर है। मोटर इसलिए नहीं चलती क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली की हालत खराब है। वोल्टेज ठीक नहीं है इसलिए पानी मिले तो कैसे मिले? पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है चारा नहीं है। मैं जोधपुर गया था। मैंने वहां अत्यंत दयनीय दशा देखी।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : केन्द्र सरकार से सबसे ज्यादा मांग हमारे प्रदेश की सरकार ने की है। आप पैसा भेजने के लिए कहिए। केन्द्र सरकार सारा पैसा रोक कर बैठी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार-बार पैसे और अनाज की मांग कर रहे हैं लेकिन फिर

भी यह सरकार उसे देना नहीं चाहती है। इसमें पक्षपात क्यों हो रहा है?

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं न आपको और न किसी दूसरे को टोकता हूं। आपका समय आएगा तो बोलें। यदि दयनीय दशा आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मत करिए। वहां बिजली और किसानों की दशा दयनीय है। क्या आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं? किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें दो घंटे भी बिजली नहीं मिलती है। इससे सूखा संकट और गहरा गया है। क्या आप यह स्वीकार नहीं करते हैं कि पीने के पानी की कमी है? क्या आप यह स्वीकार नहीं करते कि मंदसौर में उपभोक्ता भंडार में पड़ा सारा माल बाहर बेच दिया गया?

कांति लाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनका और मेरा निर्वाचन क्षेत्र साथ-साथ लगते हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी यही स्थिति है। क्या हमें पीने के पानी का संकट दूर नहीं करना है? यदि वह दूर नहीं हुआ तो हालत और खराब होगी।

सभापति महोदय, मैं जोधपुर गया था। वहां से वर्तमान वित्त मंत्री जसवन्त सिंह जी हैं। मैंने वहां देखा कि बहुत अच्छी नस्ल की गाय जिस की कीमत 8-10 या 12 हजार रुपए हो सकती है वह 500 रुपए में बिक रही है। पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं है। इस सूखे के संकट से कौन इन्कार करेगा?

सूखे के संकट के बारे में गंभीरतापूर्वक बात न करके केवल केन्द्र सरकार पर दोषारोपण होता रहा तो हम निश्चित रूप से समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे। इस समस्या को गम्भीरता से लेना चाहिये कि हम किस तरह प्रभावी ढंग से जहां अनाज की आवश्यकता है, अनाज दें, जहां पैसे की आवश्यकता है, वहां पैसा दें लेकिन आदिवासी, हरिजनों और गरीब लोगों की सुरक्षा करें। साथ ही पशुधन की जान भी बचायें। चारे की व्यवस्था हो। अगर हम प्रभावी लोगों को नहीं बचा पायेंगे तो काश्तकार बरबाद हो जायेगा। किसान आज भी बरबादी के कगार पर है। पिछले तीन साल से हमारा राज्य लगातार अकाल की चपेट में है। सरकार अकाल के लिये राष्ट्रीय नीति बनाये जिससे इस संकट से निपटा जा सके, कुछ अच्छा मार्ग प्रशस्त करें ताकि आगे आने वाले समय में अकाल की विभीषिका से बचें और मौत का ताडंव दोबारा न हो।

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : सभापति महोदय, हम लोग पिछली बार अगस्त में मिले थे। उसके बाद सभी अपने इलाकों में इस आशा के साथ चले गये कि अपने अपने राज्यों में उन लोगों को पूरी मदद मिलेगी और केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर अकाल से जुझकर अकाल पीड़ित राज्यों को मदद करेंगे। मैं यहां विशेषकर राजस्थान की बात करूंगी। आज जब हम दुबारा मिले हैं तो वही बैठक और वही चर्चा हो रही है। आज स्थिति विषम ज्यादा इसलिए हो गई है कि पिछले महीनों में स्थिति और गंभीर हो गई है, संभावना के पंख टूटे हैं।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के प्रभावित क्षेत्रों का परिदृष्य संसद के सामने नहीं कर सकती। मैं चाहूंगी कि संसद का एक अध्ययन दल वहां भेजा जाये ताकि जिस अकाल विभीषिका को हम भोग रहे हैं, उसे वह अपनी आंखों से देखें-सूखे से तड़के हुये, हरियाली समाप्त प्राय:, झीलें सूखी हुई, पेयजल का कोई साधन नहीं। मदद के लिये आशान्वित लोगों की आंखे पथराई हुई हैं। सब से बड़ी दुख की बात है कि पशुधन जो ज्यादा प्रभावित हुआ है, उसकी आंखें, मुंह और भाव हम झेल नहीं पाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में स्व. राजीव की याद ताजी हो जाती है जब उन्होंने स्वयं जाकर अकाल की विभीषिका में उन गरीब लोगों की हांडी को जाकर देखा। उन्होंने राज्य सरकार पर ही भरोसा नहीं किया जबकि सरकार उस समय वहां कांग्रेस की थी। उन्होंने देखा के लांगों की हांडी में कितना अनाज है, कितनी सुविधा है और कितने लोग काम पर हैं। इसलिये राजीव जी ने न केवल मदद की थी बल्कि प्रभावी क्षेत्रों के लिये एक नया कांसैप्ट दिया था लेकिन उस कांसैप्ट को हम लोग लागू नहीं कर पाये। आज हम लोग केन्द्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि राजीव जी द्वारा किये गये प्रबंधन को एक बार देख ले कि कम से कम समय में किस प्रकार प्रबंधन किया जाये। इसके लिये एक दिशा-निर्देश था।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हमें बताया गया है कि आतंकवादियों ने आज संसद पर पुन: हमले का प्रयास किया था और उन्होंने कई चक्कर लगाये थे। अन्तत: उन्हें पकड़ लिया गया। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस संबंध में सभा को विश्वास में लें कि यह रिपोर्ट सही है या नही...*(व्यवधान)* मेरे ख्याल से, कार्यवाही शुरू करने से पहले, माननीय गृह मंत्री सभा को मामले से अवगत करा सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास : लेकिन 1987-88 के समय और आज के समय में बड़ा फर्क है। आज सम्पूर्ण देश अकाल की चपेट में है, तब कुछ राज्यों में था। परसों एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि राजस्थान के सारे के सारे जिले प्रभावित हैं।जहां 3.50 करोड़ की जनसंख्या प्रभावित थी, आज वह 4.50 करोड़ की जनता प्रभावित है, पशुधन भी दुगना हो गया है और पिछले पांच वर्षों के लगातार अकाल से 32 जिले प्रभावित हैं। वहां 40689 गांव प्रभावित हैं जिसमें 4.47 प्रतिशत जनसंख्या और 4.51 करोड़ पशुधन प्रभावित हैं। सारी

[डॉ. गिरिजा व्यास]

फसल नष्ट हो गई है। रबी की फसल 7382 करोड़ रुपये की नष्ट हुई है। खरीफ की फसल का इतना नुकसान हुआ है-4417 करोड़ रुपये और रबी की फसल में 7382 करोड़ रुपये के नुकसान की अपेक्षा है। पेयजल की कमी की यह स्थिति है कि 87 प्रतिशत क्षेत्रफल इससे प्रभावित है और 0.32 से लेकर 5.12 मीटर तक जल स्तर नीचे आ गया है। जलाशय सूखे हुए हैं, आवक नहीं के बराबर है। जिस बात का जिक्र मेरे पड़ोस के सांसद महोदय अभी कर रहे थे, इसके लिए रणनीति बनानी होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से जितना पैसा मांगा, हमें उतना पैसा नहीं मिला। मैं इस बात के पहले इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने तय किया कि मजदूरी केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही नहीं, ए.पी. एल. परिवारों को भी मिले। ऐसे राहत कार्यों का प्लान और केन्द्रीय परिवर्धित परियोजनाओं के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। पशु संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया है और पोषाहार तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को त्वरित गति से चलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। एक करोड़ बच्चे रोजाना स्कूलों के माध्यम से या आई.सी.डी.सी. के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें नाश्ता दिया जा रहा है। काम के बदले अनाज की योजना को त्वरित गति से और अधिक गति दी जाए, इस बात का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी राज्य में राहत कार्य 16 अगस्त से शुरू कर दिये गये और अब चूंकि ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत : सभापति महोदय, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बी.पी.एल. में एक पंचायत में तीन सौ से चार सौ श्रमिक होते हैं और आपने 10-15 श्रमिक लगाये हैं। यह ऊंट के मुंह में जीरे के सामान है। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. में कोई फर्क नहीं रह गया है। चार साल से अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए वहां अधिक से अधिक लोगों को काम पर लगाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : इसलिए हम केन्द्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि अगस्त में लगाये गये...*(व्यवधान)* आप मेरी बात को सुन लीजिए। अगस्त में जो राहत कार्य शुरू हुए हैं उनमें सरकार पैसा दे, काम के बदले अनाज दे तब इनकी संख्या बढ़ेगी। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब दस दिन तक ही लोगों को मजदूरी दी जायेगी।

प्रो. रासासिंह रावत : जो पैसा है वह राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है। सारा पैसा राजीव गांधी पाठशालाओं में लगा दिया।.. .*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि दस दिन में एक बोरी अनाज मिलेगा, 150 रुपये मिलेंगे और उसमें जो 12 लाख लोग काम पर लगे हुए हैं, वे 36 लाख लोगों में परिवर्तित होंगे। वहां असहाय व्यक्तियों का सर्वेक्षण जारी है और मैं समस्त सांसदों से अपील करना चाहती हूं कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, आप लोग भी असहाय व्यक्तियों के संरक्षण में सरकार की मदद करें। वहां नि:शुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। जिसका श्रेय चाहे केन्द्र ले या राज्य सरकार ले, लेकिन यह हम लोगों का दायित्व है कि हम उसमें उन्हें सहयोग दें।

सभापति महोदय, एक बात का फैसला सरकार ने और किया है कि मजदूरी पर जो मजदूर लगाया जायेगा, उसे साठ दिन का खाद्यान्न अग्रिम रूप से दिया जायेगा। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं है। लेकिन राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ा है, इसके लिए उसकी तारीफ की जानी चाहिए। परिवहन की राशि बढ़ा दी गई है और ऋणों का जहां तक सवाल है...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत : कौन सी पंचायतों में अग्रिम दिया है। कौन से राहत कार्यों में ग्राम पंचायतों में अग्रिम दिया है, जरा उसका नाम बता दें।

डॉ. गिरिजा व्यास : जहां नहीं दिया है, आप उसका नाम बता दें।...*(व्यवधान)* इन्हें पूरी जानकारी नहीं है, पहले आप जानकारी कर लें, उसके बाद यहां आयें। जहां तक ऋणों का सवाल है, अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया है। चारा उत्पादन के लिए राज्य सरकार ने विशेष अनुदान शुरू कर दिये हैं। जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है, इस बात को बार-बार उठाया गया था। इसलिए मैं यहां निवेदन करना चाहती हूं कि जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है, बी.पी.एल. परिवारों को दिये जाने वाले 70 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव 94.5 प्रतिशत था। दूसरे परिवारों का उठाव 75 प्रतिशत हुआ है, लेकिन ए.पी.एल. परिवारों का नहीं हुआ है। उसके लिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जब गेहूं इतना महंगा है तो ऐसी स्थिति में लोग बाजार से कैसे खरीदना पसंद करेंगे। इसलिए हम केन्द्र सरकार से बार-बार कह रहे हैं कि अकाल की विभीषिका को देखते हुए बी.पी.एल. के साथ-साथ ए.पी.एल. को भी उसी मद में, उसी पैसे और उसी राशि से सहायता दी जाए।

उसके साथ-साथ दूसरी बात मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहती हूं कि बी.पी.एल. परिवारों के लिए एक रुपया एक खाद्यान्न का कम कर दिया जाए, ताकि लोगों को इससे सहायता मिल सके।

महोदय, हम उस दौर में हैं जबकि प्राइवेट दुकानें इसे चला रही हैं। उस दुकानदार के पास जो खाली बोरी बचती है वही उसका प्रॉफिट

है। ऐसी स्थिति में वहां पर कालाबाजारी होगी। वहां पूरी तरह से पीडीएस को देखा नहीं जा रहा है।...*(व्यवधान)* जब तक प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी नहीं होगी, यही हाल रहेगा। ...*(व्यवधान)*

डॉ. जसवन्तसिंह यादव (अलवर) : पी.डी.एस. को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ...*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : नीति केन्द्र सरकार बनाती है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जसवंत सिंह यादव, श्री रावत, कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। जब मौका मिलेगा तब भाषण कीजिएगा। कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : आपको सच बात कड़वी लगती है। ... *(व्यवधान)* आप सत्य नहीं सुनना चाहते हैं। सत्य सुनने का साहस रखिये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री कृपलानी, श्री रावत, कृपा कर आसन ग्रहण करें। यह उचित नहीं है। सदस्य को बोलने का अधिकार है। आप उन्हें टोकिये मत। जिस समय आपको मौका मिलेगा, उस समय आप अपनी बात रखिये। कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : आज बी.पी.एल. का गेहूं उठाया जा रहा है। गरीब ए.पी.एल. के लोग भी हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बिना इजाज़त के कोई बात रेकार्ड पर नहीं जाएगी। कृपा कर आसन ग्रहण करें।

*(व्यवधान)**

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : सच्चाई इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात प्रोसीडिंग्ज में नहीं जाएगी। बिना इजाजत के आप बोल रहे हैं। आप आसन ग्रहण करें आपको बोलने का अधिकार नहीं है।

*(व्यवधान)**

श्री कांतिलाल भूरिया : ये आसन की अवहेलना कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं? टोका-टोकी का कोई मतलब नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : रावत जी बोल रहे थे तो गिरिजा जी ने एक बार भी नहीं टोका। अब गिरिजा जी बोल रही हैं तो ये बार-बार टोक रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी बात प्रोसीडिंग्ज में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्मम) : यह सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप क्यों बोल रही हैं? उनकी बात प्रोसीडिंग्ज में नहीं जा रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप आसन ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : आप चिल्ला-चिल्लाकर सत्य को असत्य साबित नहीं कर सकते।....*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : सभापति महोदय, उन माननीय सदस्यों को जो डॉ. गिरिजा व्यास को नहीं बोलने दे रहे हैं और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें निर्देश प्रदान करें कि वे यदि राजस्थान के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से नोटिस दें।... *(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : सभापति महोदय, इनमें सत्य सुनने का साहस नहीं है...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत : परसों राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक बैठक की थी जिसमें हमारे माननीय सदस्यों को नहीं बुलाया।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप क्यों शोर कर रहे हैं। आप बैठिए। ये जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

डॉ. गिरिजा व्यास : सभापति महोदय, इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 77,519 करोड़ रुपए सहायता देने का प्रस्ताव भेजा. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रावत, आप बीच-बीच में आसन की इजाजत के बिना बार-बार बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

डॉ. गिरिजा व्यास : सभापति महोदय, इसमें से सुना है कि 400 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार को देने थे, लेकिन 207 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए गए हैं और वह धन भी समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। उसमें से भी एक पैसा राज्य सरकार को नकद न मिले, यह प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैंने इस सदन में मूल प्रश्न रखा है। जब यहां भूख से मरने की बात की जाती है, तब हम सबको शर्म आनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : चूंकि आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं इसलिए आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

डॉ. गिरिजा व्यास : सभापति महोदय, माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि भूख से मौतें हुई हैं। मैं यह कह रही हूं कि ऐसा आपने कहा है कि भूख से राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौत हुई हैं और यदि वहां लोग भूख से मरे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो बार-बार भूख से मौतें होने का जिक्र किया जा रहा है, उस पर हम लोगों की इनसे यह अपील है कि कम से कम भूख पर तो राजनीति न कीजिए। मैं आज राजस्थान की जनता की तरफ इन लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि भूख को द्रोपदी न बनाईए। संसद में कम से कम भूख और हमारे चीर को निर्वस्त्र करके, हमारे चीर का हरण न किया जाए। यदि राजनीति करनी है, तो आप विपक्ष के अच्छे कामों को बताकर राजनीति कीजिए, जो पैसा आपने विपक्षी राज्यों को दिया है, उसका यदि कहीं दुरूपयोग हुआ है, तो उसको बताकर राजनीति कीजिए। यदि आपको राजनीति करनी है, तो आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है उसे उजागर कर के कीजिए। यदि आप लोगों को राजनीति करनी है तो जनता-जनार्दन का इंतजार कीजिए, लेकिन आप भूख और सूखे के ऊपर राजनीति न कीजिए। मेरा निवेदन है कि सूखे के कारण वहां लोग मर रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदय : इनकी बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जा रही है इसलिए आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि विपक्ष की नेता ने जिन प्रश्नों को यहां उठाया, जो संवेदना हृदय से व्यक्त की कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक ऐसा काननू बनना चाहिए जिस कानून को मैं राजीव जी के कान्सैप्ट की तरफ ले जाती हूं। उन्होंने कहा था कि अकाल का सुलझाड़ा केवल पैसे देने भर से नहीं बल्कि अकाल के प्रबन्धन से होना चाहिए। उस प्रबन्धन की दिशा में कड़ा कानून बने और उस कड़े कानून की पालना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति बांटा जाये।...*(व्यवधान)*

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के समस्त मंत्रियों से कहना चाहती हूं कि राज्यों ने जो भी राशि मांगी है विशेषकर अकाल से जूझते हुए राजस्थान ने, तो उस राशि को तुरंत मुहैया कराया जाये। इसके अलावा अनाज, पेयजल और चारे की वहां व्यवस्था करें तथा अन्य राज्यों से मिलने वाली बिजली और पानी राजस्थान को मिले, इस बात को केन्द्र सरकार देखे। मैं आपके माध्यम से सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश से आग्रह किया कि उनके बॉर्डर पर खड़े पशुधन को एलाऊ किया जाये लेकिन उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो पशुधन खड़ा है, उसके लिए मैं केन्द्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रासा सिंह जी, आप अपना भाषण दे चुके हैं। क्या दूसरे माननीय सदस्यों के भाषण में टोका-टाकी उचित है? आप कैसे खड़े हो गये? आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। आप लोगों का नाम पार्टी से नहीं आयेगा इसलिए आप बीच में बोलने का मौका ढूंढ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम पशुधन की बात कर रहे हैं, उनकी नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आई.सी.डी.एस. योजना का पूरी तरह से लाभ मिले लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार ने इस योजना को समग्र रूप से बंद कर दिया है इसलिए आई.सी.डी.एस. से हम लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकते। गरीबी उन्मूलन की बात करते

हैं लेकिन उसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि वह कैसे दूर की जाये। इसके अलावा जो पैसा दिया जाता है, उसकी भी कोई मौनीटरिंग नहीं है। जो ग्रेन सहायता है, उसकी जरूर मौनीटरिंग की जानी चाहिए। जैसा विपक्ष की नेता ने कहा कि एक कमेटी का निर्धारण होना चाहिए जो इस अकाल के कार्य को देखे। ड्राउट प्रोन इलाकों में डेजर्ट को रोकने के लिए तीव्र गति से प्रयास होना चाहिए। मैं दुखी मन से सरकार से अपील करती हूं कि आप मेहरबानी करके राजस्थान की स्थिति को देखते हुए तथा अन्य राज्यों की स्थिति को देखते हुए देश का राजनीतिकरण न करें। न मौतों का, न भूख से मरते हुए लोगों का और न दुर्भिक्ष का करें बल्कि पूरी तरह से सहायता देकर इन राज्यों की मदद करें।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 2002-03 को सूखा वर्ष के रूप में घोषित किया हैं वर्ष 2002 के सूखे की गिनती शताब्दी के चार भंयकर सूखों में होती है।

महोदय, आंध्र प्रदेश पिछले चार सालों से भंयकर सूखे का सामना कर रहा है, विशेषकर इस वर्ष हम आंध्र प्रदेश में भंयकर सूखे का सामना कर रहे हैं।

महोदय, इस स्थिति में माननीय कृषि मंत्रीजी ने भी इस देश में कृषि की स्थिति के बारे में कहा है। पिछले तीस वर्षों की तुलना में, इस देश में इस साल भंयकर सूखे की स्थिति है। इसलिए, मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार किसानों, कमजोर वर्गों और सभी संबंधित लोगों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

आंध्र प्रदेश के मामले में, सूखे का एक कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा न होना हैं। हमारे यहां दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान आमतौर पर 624 मिलीमीटर की तुलना में केवल 411.8 मिलीमीटर ही वर्षा हुई। उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान सामान्यत: 180.2 मिलीमीटर वर्षा की तुलना में केवल 149.6 मिलीमीटर ही वर्षा हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा में - 34 प्रतिशत की कमी आई तथा उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान वर्षा में - 17 प्रतिशत की कमी आई।

खरीफ के मौसम में भी, आंध्र प्रदेश में 1.80 लाख हैक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। इसमें से हमने केवल 64.13 हजार हैक्टेयर भूमि पर ही बुवाई की है और इस तरह इसमें 22 प्रतिशत की कमी आई है। खास तौर पर धान के मामले में 26.95 लाख हैक्टेयर खेती में से हमने 17.94 लाख हैक्टेयर में ही बुवाई की है और इस तरह इसमें 33 प्रतिशत की कमी आई है। मूंगफली की कुल 15.42 लाख हैक्टेयर की खेती में से हमने 12.14 लाख हैक्टेयर में ही बुवाई की है। यह आंध्र प्रदेश फसलों का विवरण हैं। यहां तक कि सूखे के कारण बुवाई वाला क्षेत्र भी पूरी तरह तबाह हो गया है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : राज्य सरकार ने किसानों की सहायता नहीं की। आपने केवल पहले भाग के लिए ही पानी छोड़ा है। ...*(व्यवधान)* जब किसानों को आशा थी तब आपने कृषि के दूसरे चरण के लिए पानी नहीं छोड़ा, जिसके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं...*(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदया, कृपया व्यवधान उत्पन न करें। कृपया बोलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, उन्होंने केवल पहले चरण के लिए ही पानी छोड़ा और उन्होंने दूसरे चरण के लिए पानी नहीं छोड़ा जिसके कारण 60,000 एकड़ क्षेत्र में फैली फसल बर्बाद हो गई. ..*(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैं सभी तथ्य दूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जब आपका वक्त आएगा, तब बोलिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी : आपने 24 घण्टे बिजली देने का भी वायदा किया था जिसे आपने पूरा नहीं किया...*(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : आपको आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं बोलना चाहिए...*(व्यवधान)* आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणुका चौधरी : मैं जरूर बोलूंगी।...*(व्यवधान)* आप क्या बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : विपक्ष की माननीय नेता, श्रीमती सोनिया गांधी यहां मौजूद हैं...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बारी आने पर बोलिएगा किंतु इस प्रकार नहीं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : आपने किसानों के लिए पानी नहीं छोड़ा. ..*(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : महोदय, आंध्र प्रदेश में हमने 22 ज़िलों को सूखा-पीड़ित घोषित किया है राज्य के 1,104 मंडलों में से हमने 933 मंडलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया है और आंध्र प्रदेश तथा भारत के अन्य राज्यों में व्याप्त स्थिति के आधार पर हमने रोजगार सहायता कार्य शुरू करने हेतु भारत सरकार को, प्राकृतिक आपदा राहत कोष में से 810.90 करोड़, रुपये और 15 लाख मीट्रिक टन चावल दिए जाने के लिए ज्ञापन दिया है जोकि सभी राज्यों के साथ सबसे पहले इस राज्य की आवश्यकता हैं आंध्र प्रदेश, इसी वर्ष ही नहीं बल्कि पिछले चार सालों से सूखे का सामना कर रहा है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : यह आपकी सरकार के कारण हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : यहां तक कि पिछले वर्ष भी, हमने भारत सरकार से वित्तीय सहायता और खाद्यान्न उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था किंतु उन्होंने वित्तीय सहायता नहीं दी। उन्होंने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा-प्रभावित सहायता कार्यों तथा आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं सृजित करने हेतु 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल आबंटित किया। विशेषकर इस वर्ष राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक श्री नेगी के नेतृत्व में एक केनद्रीय दल ने राज्य का 9.9.2002 से 11.9.2002 तक दौरा किया और उन्होंने कुड्डापाहा, अनंतपुर, मेड़क, निजामाबाद, नालगौण्डा, पराकसम और नेलोर जिलों का भी दौरा किया। उस समय एक या दो दिन वर्षा हुई थी और उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके पश्चात् सूखे के कारण बुवाई वाला क्षेत्र भी पूरी तरह तबाह हो गया। यह सितम्बर के महीने में हुआ था। आंध्र प्रदेश में सितम्बर के बाद आज तक वर्षा नहीं हुई है। इसलिएं हमने राज्य के और 89 मण्डलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया है।

31 अक्तूबर, 2002 को आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से दिल्ली आए और उन्होंने केन्द्र से रोज़गार सृजन कार्यों के लिए 1,210 करोड़ रुपये तथा 25 लाख टन चावल उपलब्ध करने का अनुरोध किया। आंध्र प्रदेश विधान सभा में 13 नवम्बर 2002 को एक चर्चा हुई जिसमें उन्होंने सभी राजनैतिक दलों की सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर उसे केन्द्र को प्रस्तुत किया गया। मैं उसमें से उद्धृत करूंगा:

''सभा सर्वसम्मति से यह सकंल्प करती है कि भारत सरकार से राज्य के सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लिए अधिक उदार और समय पर राहत प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाये। सभा यह भी संकल्प करती है कि भारत सरकार से 1,860 करोड़ रुपये की नकद राहत यथाशीघ्र जारी किये जाने का भी अनुरोध किया जाये।''

इस स्थिति को देखने और सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करने के पश्चात राज्य सरकार ने यही नवीनतम अनुरोध किया है। हमने 22 लाख मी०टन चावल की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है जैसा कि राज्य सरकार पहले ही अनुरोध कर चुकी हैं संकल्प में आगे कहा गया है :

''भारत सरकार से, किसानों के लाभ हेतु निम्न राहत उपाय करने का भी अनुरोध किया जाये :

कृषि ऋणों पर ब्याज माफ करना;

सग्रंहण का पुर्ननिर्धारण और नए ऋण जारी करना।

सभा यह भी संकल्प करती है कि भारत सरकार से जनता की कठिनाईयों और किसानों की विपत्तियों को दूर करने हेतु राहत उपायों और सूखा-सहायता को शीघ्रता से मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया जा सके।''

इस संकल्प का सभी राजनैतिक दलों ने समर्थन किया है। इस महीने की 13 तारीख को पारित संकल्प नवीनतम है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ।

कार्य बल के हाल ही के निर्णय के अनुसार उन्होनें सभी राज्यों को वित्तीय सहायता जारी की है। श्रीमति सोनिया गांधी जी का एक वक्तव्य समसचार पत्रों में छपा था कि भारत सरकार आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता अधिक दे रही है। यह कहना सही नहीं हैं किसी ने उन्हें गुमराह किया है। आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में 22 जिले प्रभावित हैं। श्रीमती गांधी इस बारे में पहले ही बोल चुकी हैं। हमें 174.61 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है। तमिलनाडु में 19 ज़िले प्रभावित हैं और उन्हें 228 करोड़ प्राप्त हुए हैं। राज़स्थान के 32 ज़िले प्रभावित हैं और उसे 207 करोड़ रुपये मिले हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश को 125 करोड़ रुपये और कर्नाटक को 221 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

अपराह्न 3.11 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

इस वर्ष अर्थात 2002-2003 में आंध्र प्रदेश को केवल 174.61 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं इसलिए, यह कहना सही नहीं है

कि आंध्र प्रदेश को केन्द्र से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है हमने 22 लाख मी०ट० खाद्यान्न का भी अनुरोध किया था। हाल ही में, आंध्र प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करके भारत सरकार से 25 लाख मि० टन चावल उपलबध कराने का अनुरोध किया है।

उन्होंने उसमें से आंध्र प्रदेश के लिए मात्र तीन लाख मीट्रिक टन चावल स्वीकृत किया है। ऐसे भी अन्य राज्य हैं जिन्होंने एक लाख, 1.5 लाख अथवा दो लाख मीट्रिक टन चावल प्राप्त किया है। यह राज्य की स्थिति पर निर्भर करता है। हमें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि अन्य जरूरतमंद राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक धन दिया गया है। भारत सरकार को सभी राज्यों की सहायता करनी चाहिए। समय की यही मांग है कि सरकार को हस्तक्षेप करे और सभी सूखा प्रभावित राज्यों की उदारतापूर्वक सहायता करे।

मैं इस संन्दर्भ में यह बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमने 31.5 लाख मीट्रिक टन चावल मिला था। मैं इस सभा में, जहां मुख्य विपक्षी दल की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी भी उपस्थित हैं, यह बताना चाहता हूं कि हमने आंध्र प्रदेश में करीब 5,21,000 निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी हैं हम सभी सूचनाएं इंटरनेट पर उपलबध करवाते हैं, यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार आंध्र प्रदेश को अधिक निधियों का आंबटन कर रही है लेकिन आंध्र प्रदेश में नेतागण कह रहे हैं कि हम इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं और फिर भी हमने आंध्र प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और सूखा राहत कार्यों व अन्य चीजों के लिए आंध्र प्रदेश हेतु कोई धन नहीं मिला है। वे इस संबंध में अनावश्यक रूप से यह धारणा बना रहे हैं कि 31.5 लाख मीट्रिक टन चावल का गलत उपयोग किया गया है। इस दुष्प्रचार की वजह से भारत सरकार कल चावल देना बंद कर सकती है और अंतत: इससे कार्य प्रभावित होंगे।

यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि आबंटित चावल का गलत उपयोग हुआ है तो हम इस संबंध में किसी भी जाँच के लिए तैयार हैं,। अब तक हमने अनेक जाँच की हैं। इस प्रकार, हमने कुछ पुस्तकें जारी कीं और इन सभी पुस्तकों को सभी एजेंसियों के पास भेजा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत अब तक 441 सरकारी कर्मियों को अनियमितताओं में शामिल पाया गया है। हमने उन लोगों को निलंबित कर दिया हैं यहां तक कि 145 सरकारी कर्मियों को निलंबित किया गया और अनियमितताओं में शामिल एम०पी०टी०सी० और जेड०पी०टी०सी० के 54 सरपंचों को निलंबित किया गया। वे सभी राजनीतिक दलों से हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, आम रूप से यह एक बड़ा कार्यक्रम है।•आन्ध्र प्रदेश को आबंटित 31.5 लाख मीट्रिक टन चावल से हमने 5,21,000 निर्माण कार्य करवाये हैं यहां तक कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने एक बार दुर्विनियोग के बारे में इस सभा में कहा था कि सरकार लोगो को एक रुपया प्रदान कर रही है जबकि अंतत: उनके पास मात्र 18 पैसे ही पहुंचते हैं। शेष धनराशि कहां गई? ऐसे बड़े कार्यक्रम में अनियमितताएं हो सकती हैं।...*(व्यवधान)* हम इसे उचित नहीं ठहरा रहे हैं बल्कि यदि कुछ अनियमितताएं पायी गयी है तो हमने कांग्रेस तेदेपा और भाकपा सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी निलंबित किया है।

हमने मिल मालिकों से अनेक लाइसेंस जब्त किए हैं तथा हमने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जाँच शुरू करने जैसे कई आवश्यक कदम उठाए हैं। हमने उनमें से कुछ व्यक्तियों को निलंबित किया है और अन्य कुछ के विरूद्ध कार्रवाई की है।

हमने भारत सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट पहले ही सौंप दी हैं हमारे मुख्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से यहां आए और दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने 1,210 करोड़ रुपए की मांग की हैं हाल ही में राज्य विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक अनुरोध किया गया जिसमें 816 करोड़ रुपये और 25 लाख मीट्रिक टन चावल की माँग की गई है।

हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने किस आधार पर और किन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत राज्यों को धन आबंटित किया हैं। केन्द्र सरकार को ज्ञापन देनेवाले विभिन्न राज्यों में हम प्रथम हैं। उस समय कई राज्यों में वर्षा हुई थी, परन्तु आंध्र प्रदेश में जून से ही सूखे के कारण बुआई वाले क्षेत्रों में बोई गई फसल भी नष्ट हो गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त होनेवाली सहायता का इंतजार किए बगैर अब तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आंध्र प्रदेश की जनता को 256 करोड़ रुपए की राशि जारी की हैं। हाल ही में, 13 सितंबर को विधान सभा में सूखे पर हुई एक चर्चा के दौरान मुख्य मंत्री ने पेयजल, चारे की खरीद, बीजों पर 50 प्रतिशत राजसहायता आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पहले से ही घोषित 256 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 206 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है। हम आंध्र प्रदेश में किसानों को बीजों पर 50 प्रतिशत की राज सहायता दे रहे हैं। हमने किसानों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया हैं केन्द्र सरकार ने अब तक मात्र 174 करोड़ रुपये तथा तीन लाख मीट्रिक टन चावल दिया है। उन्होंने सूखे से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋणों को पुनर्नियोजित भी किया है।

इस परिदृश्य में भारत सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। वर्तमान स्थिति में आपने सभी राज्यों की सहायता करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्या मानदंड अपनाया है? आंध्र प्रदेश में खासकर कृष्णा नदी में और कर्नाटक में सभी जलाशय खाली हैं तथा तालाबों में

[श्री के० येरननायडू]

पानी नहीं है विपक्ष की नेता को भी इसकी जानकारी है। सूखा पड़ने और वर्षा की कमी के कारण परिस्थिति बहुत गंभीर है और वहां की जनता बहुत कष्ट में हैं चारे और घास की कमी के कारण दो करोड़ मवेशी भूखे छटपटा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपने 174 करोड़ रुपये की नाममात्र की धनराशि प्रदान की है जबकि आंध्र प्रदेश की सरकार अब तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 256 करोड़ रुपये जारी कर चुकी हैं हाल ही में हमने 256 करोड़ रुपये के अलावा जिसे कि हम पहले ही दे चुके हैं और 205 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

इस स्थिति में भारत सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। हमने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं और यदि आवश्यक हो तो आप दूसरा केन्द्रीय दल भेज सकते हैं। पहले केन्द्रीय दल ने जिसे सितंबर में भेजा गया था अनेक जिलों का दौरा किया तथा अनेक क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया। उस समय सूखा पड़ने की वजह से सारी फसले नष्ट हो चुकी थी। इस स्थिति में, आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत राशि अत्यल्प हैं। हाल ही में, आंध्र प्रदेश राज्य विधान सभा में सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करके भारत सरकार से अपने राज्य को आवश्यक वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है।

आंध्र प्रदेश की वर्त्तमान स्थिति को देखते हुए हम महसूस करते हैं कि आप आंध्र प्रदेश की उपेक्षा कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपये में से हमने पहली किस्त में 500 करोड़ रुपये की आशा की थी, परन्तु हमने सिर्फ 174 करोड़ रुपये मिले। अक्तूबर माह में सूखाग्रस्त घोषित किये गये कुछ अन्य राज्यों की तुलना में यह राशि नाममात्र की है। उनके मामले में, यद्यपि केन्द्रीय दल ने निश्चित धनराशि का सुझाव दिया था, फिर भी आपने उससे अधिक धनराशि प्रदान की हैं हमारे राज्य की स्थिति से सभी अवगत हैं। इसी दौरान, अनेक केन्द्रीय मंत्रियों ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया है तथा उन्होंने आंध्र प्रदेश में स्थिति को देखा है इसके बावजूद हमने सिर्फ 174 करोड़ रुपये मिले। आंध्र प्रदेश की सरकार और वहां की जनता की ओर से मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह धनराशि न केवल नाममात्र की ही बल्कि कोई भी कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए अब तक 415 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। हमने अपेक्षाकृत अधिक गरीब वर्ग के लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु अनेक योजनाएं शुरू की है। इस संन्दर्भ में, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितनी धनराशि की मांग आंध्र प्रदेश सरकार ने की है उतनी राशि उसे जारी की जाये तथा शेष 23 लाख मीट्रिक टन चावल भी जारी किया जाए ताकि हम श्रमिकों को काम प्रदान कर सकें।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मुझे याद है कि मानसून सत्र में सूखे और बाढ़ पर बहस हुई थी और फिर शीतकालीन सत्र में भी सूखे पर बहस हो रही है जिसमें विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। देश के 14-15 राज्यों से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा सूखे से प्रभावित हो गया है। किसान तबाह हो गये हैं। वहां का आम जनजीवन तबाही में हैं इसीलिए काम रोको प्रस्ताव विपक्ष की नेता सोनिया जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इसमें सबसे पहले भूख से होने वाली मृत्यु पर सवाल उठता है तो उस पक्ष के लोग कहते हैं कि इसमें राज्य सरकार की जवाबदेही है, भारत सरकार की जवाबदेही नहीं है। किसी राज्य में भूख से मृत्यु हो जाती है और केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है तो वैसी सरकार सरकार नहीं है और वह नालायक सरकार है, गैर इंसानियत सरकार है। इंसान का भूख से मरना सबके लिए कलंक हैं जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, राजय सरकार की भी जवाबदेही है लेकिन केन्द्र सरकार की ज्यादा जवाबदेही है।...*(व्यवधान)*

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : पशुओं के चारे का क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया क्रॉस-टॉक न करें।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अकाल और सूखा इतनी खराब चीज होती है कि गांव के लोग कहते हैं कि 'दाहिये होई और सुखाई जाइ।' अर्थात् दहा जाने से इतनी बर्बादी नहीं है जितनी बर्बादी सुखाड़ से होती हैं पीने के पानी का भी संकट जानवरों के लिए हैं लेकिन उधर बैठे हुए लोगों के लिए, हम नहीं जानते कि कोई संकट है या नहीं है।

श्री अशोक प्रधान : चारा भी खा गए?...*(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : लोगों को खाना नहीं मिलता। ...*(व्यवधान)* किसान कई बार मवेशी को खोलकर फ्री छोड़ देते हैं। कहीं-कहीं उसमें रंग लगाकर मवेशी की मिल्कियत से मुक्त हो जाते हैं और उसको फ्री छोड़ देते हैं। दो-तीन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आई हैं। अब उसको भी लोग हल्के ढंग से ले रहे हैं। इतनी संवेदनहीनता हो जाए तो भूख से मृत्यु नहीं होगी तो और क्या होगा?

"जाके राज्य प्रिय दुखारी, वो नृप होय नर्क अधिकारी"।

जिस राज्य में प्रजा दुखी हो और संतप्त हो और सरकार उसके लिए इन्तजाम नहीं करे और भारत सरकार राज्य पर जिम्मेदारी डाल

दे तथा राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी डाल दे तो इससे जनता का कल्याण नहीं होने वाला है और इस तरह की सरकार आपदा से मुकाबला नहीं कर सकती। अभी हमने सुना कि बाढ़ वाला मामला डिजास्टर मैनेजमेंट गृह विभाग में चला गया और सुखाड़ वाला मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में है, यह हम नहीं जानते हैं। इस बात को ये लोग साफ करेंगे कि इसमें क्या स्थिति है कि फैंकाफैंकी सरकारों में थी, अब सरकार के अंदर विभागों में भी हो रही हैं हमने एक बार सुना कि डिजास्टर मैनेजमेंट गृह विभाग में चला गया और जिस दिन से उप प्रधान मंत्री आडवाणी जी हो गये हैं, उस दिन से विभागों में भी फेरबदल करने में लगे हुए हैं।

केन्द्रीय दल ने विजीट किया है। सभी राज्यों ने मांग की है कि सूखे से मुकाबला करने के लिए इतनी धनराशि मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया गया है। स्वामी विवेकानद कहा करते थे कि छल और धोखे से बड़ा कोई काम नहीं कर सकती, बिना पैसे से सूखे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

श्री अशोक प्रधान : महोदय, छल और धोखे की बात कह रहे हैं। सारा चारा तो ये खा गए और इनकी सरकार खा गई। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : *बीच-बीच में टोका-टाकी करते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : *किसानों की तबाही हो रही है। किसान मर रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : असंसदीय शब्द रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने 1210 करोड़ रुपए की मांग की है, छत्तीसगढ़ राज्य ने 880 करोड़ रुपए की मांग की है और हरियाणा व अन्य राज्यों ने 1885 करोड़ रुपए की मांग की हैं सभी राज्यों के बारे में जानकारी दूंगा, तो समय लगेगा और उत्तर प्रदेश राज्य ने भी 7,539 करोड़ रुपए की मांग की हैं राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से मांग हो रही है कि हमको सूखे का मुकाबला करने के लिए इतनी-इतनी राशि मिलनी चाहिए, लेकिन आपने एक पैसा भी नहीं दिया हैं इसके बाद राज्य सरकारों की आलोचना करने का और शिकायत करने का क्या हक बनता है कि यह कहा जाए कि आपके चलते भुखमरी हो रही है।

महोदय, मैं इनके छल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कैलेमिटी रिलीफ फन्ड्स (सीआरएफ) के लिए आयोग ने अनुशंसा की है कि हर राज्य को तीन हिस्सा केन्द्रीय सरकार देगी और एक हिस्सा राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। सूखा नहीं पड़ता है, तो भी देना था, क्योंकि आयोग ने कहा है। कहते हैं कि रिलीज कर दिया है, अगर रिलीज कर दिया है, तो आपने कोई कृपा नहीं की। आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सूखाड़ का मुकाबला करने के लिए, जैसी कि आयोग ने अनुशंसा की है, केन्द्रीय सरकार को रुपया देना चाहिए, लेकिन सूखाड़ से निपटने के लिए एक पेसा भी नहीं दिया गया है। सिवाय इसके कि आवश्यकता के अनुसार दस हजार से तीन लाख टन तक अनाज राज्यों को दिया गया है। इसमें भी सड़ा हुआ अनाज केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। जो अनाज आपके गोडाउन्स 185 करोड़ का सड़ रहा था जिसको जानवर भी खाना पसन्द न करते, उस अनाज को राज्यों को दिया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किस आधार पर राज्यों की आलोचना की जा रही है कि राज्यों में भुखमरी से जो मौतें हो रही हैं, उधर से लोग कूद रहे हैं, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और केन्द्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्लैमिटि रिलीफ फन्ड में सूखा नहीं भी पड़ता है, तो भी राज्यों को पैसा देना है। बाढ़ के लिए आपने नहीं दिया। बाढ़ पर सदन में बहस हुई थी, एक केन्द्रीय दल गया, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया। इसलिए केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के पक्ष में बैठे हुए लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वे राज्य सरकार की आलोचना करे, क्योंकि राज्य सरकार अपने बलबूते पर स्थिति का मुकाबला कर रही है और हम भारत सरकार पर लापरवाही और संवेदनहीनता तथा छल करने का आरोप लगाते हैं। आप इस बात को तर्क देकर, तथ्य देकर काटिए। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया है और सुनवाई पर कहा गया कि इसकी जवाबदेही सरकार की है कि देश में भुखमरी न होने पाए। जब सरकार इस तरह से लापरवाह और संवेदनहीन हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होता है

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : आपके राज्य को जो गेहूं आबंटित किया गया था, उसको भी पूरी तरह से नहीं उठाया गया है।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं देश के बारे में बोल रहा था, अब मैं प्रदेश के बारे में बोलूंगा।

महोदय, हमारा भारत सरकार से सवाल है कि बिहार हिन्दुस्तान के नक्शे में है या नहीं। आपके नक्शों में बिहार नहीं है, इनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। मैं भारत सरकार का दस्तावेज जो इस साल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

पार्लियामेंट में ले हुआ - गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एन्वल रिपोर्ट। इसमें 183 जिले ड्राउट प्रौन हैं। आंध्र प्रदेश के 11 जिले हैं और बिहार के छः हैं। भारत सरकार के एक विभाग के डाक्युमेंट में हैं सरकार का जो कल 18 तारीख को उत्तर आया है, उसमें बिहार का सुखाड़ में नाम ही नहीं हैं सावन में जो अंधा हुआ, उसे सब जगह हरियाली नजर आ रही है, इस तरह भारत सरकार अंधी सरकार हैं इन्हीं के दस्तावेज से मैं साबित करना चाहता हूं, जो ड्राउट प्रौन ऐरियाज हैं, उनके बारे में इन्होंने कहीं नहीं लिखा। बिहार में भी सुखाड़ है तथा अन्य जिलों में भी हैं आप वहां से आते हैं आप बाढ़ पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने पदयात्रा आदि सब आयोजन किया है। जंतर-मंतर पर भी बाढ़ से मुक्ति के लिए अनशन पर मैं कल गया था। वहां कुछ लोग बैठे हैं। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री जी के यहां गया था। उनसे गुहार की थी, चूंकि अंतरराष्ट्रीय नदियों से बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है और हर साल तबाही होती है, इसलिए बाढ़ से मुक्ति मिलनी चाहिए। सुखाड़ पर बहस है तो इन सब नदियों को जोड़ने का क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट इनसे कहता है तब इनकी आंख खुलती हैं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि सब नदियों को जोड़ने वाली स्कीम का क्या हुआ। अब इसमें इन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए जहां कहीं भी बिहार में वर्षा हुई, रामचरित मानस में कहा गया है - कहा वर्षा जब कृषि सुखानी। जब फसल सूख जाए तो वर्षा होने से कोई फायदा नहीं होता, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। आपने बिहार की अनदेखी की है और उनके साथ गैर-इंसाफ किया है। नवादा, गया, नालंदा, औरंगाबाद आदि कई जिले ऐसे हैं, जो हर साल सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। यह सरकार के दस्तावेज में भी है, लेकिन इनकी इन्होंने अनदेखी की है और एक पैसा तक देश के इन राज्यों को इन्होंने नहीं दिया। अगर माफ करना है तो ईमानदारी से कीजिए। ऐसा न हो कि उस पर बैंक से कर्जे का नोटिस पर नोटिस आता रहे और कर्जा बढ़ता जाए, वह उसे चुकाता रहे। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं, आप जो उसके लिए कर सकते हैं, वह करिए, लेकिन आपकी नीति साफ होनी चाहिए, गरीब किसानों के साथ फरेब वाला काम नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि किसान समझें कि हमारा कर्जा माफ हो गया, लेकिन साल-दो साल बाद उसे फिर नोटिस आ जाए और उस पर सूद-दर-सूद बढ़ता जाए। इससे किसान के ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा, उसका बड़ा भारी अहित होगा। इसलिए हमारा कहना है कि काम के बदले अनाज और फसल बीमा से आपको क्या नुकसान हो रहा है। इन दोनों को सक्षम बनाना चाहिए, जिससे लोगों को रेजगार मिलेगा और भुखमरी भी नहीं होगी। अनाज मिलेगा तो सरकार का कुछ काम भी हो जाएगा।

इसलिए सरकार सख्ती से काम करे और अपनी जवाबदेही दूसरों पर न डाले। अपनी जवाबदेही दूसरों पर डालने से जनता, किसान और गरीब आदमी का नुकसान होता हैं प्राकृतिक आपदा से स्थाई और तात्कालिक समाधान के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। केन्द्र सरकार को अपनी जवाबदेही राज्य सरकारों पर फेंकने का कार्य बंद करना चाहिए। जब आप किसानों पर भाषण कर रहे थे तो उसे धरती का भगवान कर रहे थे। इसलिए बाढ़-सुखाड़ से जो नुकसान किसानों का होता है उससे उसे बचाने का काम और जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को किसानों का संरक्षण और बचाव करने की नीति बनानी चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री ए०के०एस० विजयन** (नागापट्टिनम) : माननीय सभापति महोदय, मुझे देश के कई भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण गांवों के गरीब लोगों और कृषकों की अत्यधिक दयनीय स्थिति के बारे में बात करते बहुत दुख हो रहा है। निःसन्देह, इस चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अनुमति देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूँ। मुझे वर्ष-दर-वर्ष सूखे की स्थिति पर चर्चा में भाग लेने पर भी काफी दुःख होता है क्योंकि यह हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि आजादी के 55 वर्षों के बाद भी हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम इन सालों के दौरान सिर्फ दिखावटी उपाय करते रहे हैं। अब जाकर हम इस सच्चाई को समझ पाये हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक राजनीति विकसित की जानी चाहिए। हम सुनते आ रहे हैं कि सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि इस परेशानीजनक समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए।

हमारे प्रिय प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी के नेतृत्ववाली इस सरकार ने देश में सूखे की समस्या के स्थायी समाधान हेतु सही दिशा में कदम उठाये हैं। दो दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि देश की सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की जाएगी। माननीय उप प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया है जो देश की सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए तरीकों व साधनों का पता लगाएगा। इन नदियों को जोड़ने से हमें सिंचाई में मदद मिलेगी तथा देश के विभिन्न भागों में सूखे की समस्या से निजात पाने में सहायता मिलेगी। मैं इस पेनल के गठन के लिए माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

हूँ। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि कृषक समुदाय के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण ही बेहतर रास्ता है और इससे इस पेनल को भी तत्संबंधी बेहतर तरीके व साधन विकसित करने हेतु मदद मिलेगी।

देश के कई भागों में सूखे की स्थिति के कारण भुखमरी, कुपोषण आदि के मामले देखे गये हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में थिरूवारूर जिले के मननाइगुडी ताल्लुक के आदिचपुरम गांव में भूख के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

सात वर्ष का एक बच्चा, जो चन्द्रशेखर नामक खेतिहर मजदूर का लड़का है, वहां विद्यमान सूखे की स्थिति से उत्पन्न भूखमरी के कारण मर गया। तमिलनाडु के तंजावूर, नागापट्टिनम, तिरूवायूर जिलों में, हम यह देखते हैं कि निर्धन खेतिहर मजदूर खेत मे चूहों, घोंघा, केंकड़ा और यहां तक कि कुछ जंगली -सब्जियों के पत्तों को भी खाते हैं मैं वहां पर विद्यमान स्थिति की गम्भीरता पर प्रकाश डालने के लिए ऐसी आम घटनाओं की ओर इंगित कर रहा हूं। आज सुबह इस सम्मानित सभा में हमने यह देखा कि एक माननीय सदस्य देश में सूखे की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सूख रही फसल दिखा रहे थे। मेरे क्षेत्र में, जो तमिलनाडु का परम्परागत चावल का भंडार है; किसानों और खेतिहर लोगों को फसलों के नष्ट होने के साथ ही अब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा हैं यदि सूखे की ऐसी स्थिति पांच वर्षों तक चलती रही तो तंजावूर क्षेत्र से धान की खेती ही बंद हो जाएगी। हमारे समक्ष एक ऐसा समय भी आएगा जब हमारी भावी पीढ़ी यह जानना चाहेगी कि धान किस फसल अथवा पेड़ से होता है।

बारह वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति के दौरान तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कृषि आदान लागत को क्रय करने के लिए खेतिहर लोगों के लिए राहत की घोषणा की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में डा० कलैग्नार करूणानिधि ने सिंचाई के लिए किसानों को नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने की घोषणा की थी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि कृषि कार्यकलाप जारी रहे और खेतिहर मजदूरों को आजीविका उपलब्ध हो सके। अब हम यह सुन रहे हैं कि वर्तमान तमिलनाडु सरकार इस योजना को समाप्त कर रही है। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि केवल तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में सूखा प्रवण क्षेत्रों के किसानों को नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध करायी जाये। इससे किसानों और खेतिहर मजदूरों को अपना निर्वाह करने और कृषि कार्यकलापों को जारी रखने में सहायता मिलेगी। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी राहत कार्य सभी जरूरतमंद निर्धन विशेषकर ग्रामीण निर्धन लोगों को पहुंचे। केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही यह सुनिश्चित करें कि किसानों को सभी राहत कार्य समय पर उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। मैं केन्द्र सरकार पर इस बात के लिए बल देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ऐसे उपयुक्त मार्ग निदेश तैयार करे ताकि जरूरतमंद निर्धन लोगों को राहत कार्य सही ढंग से प्राप्त हो सकें। कुछ माह पूर्व तमिलनाडु सरकार ने पनधारा प्रबंधन के लिए बांध बनाने के लिए किसानों को धनराशि उपलब्ध कराने की योजना तैयार की थी। परंतु, इसका ठीक उल्टा हुआ। किसानों की बजाय सत्तारूढ पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को वह निधि उपलब्ध करायी गई और जब यह मामला तिरूवापूर के तत्कालीन जिला कलक्टर के ध्यान में लाया गया तो उस समय कृषि विभाग के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वहां थे परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकार कृषि-अभियांत्रिकी प्रयास व्यर्थ हुए। इस समय मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी योजनाएं सभी निर्धन किसानों तक पहुंचे। अत: मैं केन्द्र सरकार से ऐसे उपाय विकसित करने का आग्रह करता हूं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों को सही ढंग से और समुचित समय पर प्राप्त हो सके।

हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि कृषि ऋणों के लिए भी परिपक्वावधि होगी। मुझे यह आशंका है कि इससे परेशानी और बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में, जब कृषि समुदाय सूखे की स्थिति से बुरी तरह प्रभावित है, ऋणों को माफ करना बेहतर होगा। हमारे प्रधानमंत्री जो कृषि समुदाय के कल्याण के लिए कई उपाय करने चाहेंगे, को किसानों के समस्त समस्याओं का दीर्घावधि समाधान सुनिश्चित करना होगा।

मैं प्रधानमंत्री और इस सरकार को एक बार पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव उठाया है और मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित करें ताकि किसान सूखे की समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को सहायता मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं इस सभा के सभी माननीय सहयोगियों से यह अनुराध करती हूं कि वे इस विषय पर मेरी बातों को ध्यान से सुनें। मेरी बातों को हमारे देश की भलाई की दृष्टि से सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में समझा जाये। यह किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारत के किसान से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अत:, इस मौके पर मैं यह मुद्दा उठाती रही हूं। इसमें आम बात क्या है? राष्ट्रपति जी तो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, अध्यक्ष अपने अध्यक्षपीठ पर, मीडिया

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

के लोग गैलरी में, संसद सदस्य, निर्धन और सम्पन्न लोग अपने-अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, सैनिक कारगिल में लड़ते रहते हैं परन्तु इन सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें अन्न किसान से मिलता हैं किसान लोगों को अन्न उपलब्ध कराते हैं। आज वही किसान भूख से मर रहा है। यह किसान कौन है? वह सच्चा देशवासी है जो हमारे देश के ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में रहता है जहां वयोवृद्ध लोगों के लिए कोई अस्पताल नहीं है, उनके बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है; और सूखे की स्थिति के कारण अपने बच्चों की शादी करने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे तो हमारे देश के किसान हैं और उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज सूखे की स्थिति है।

[हिन्दी]

देश में सूखा क्यों पड़ा? क्या हमें इसका पता नहीं था? क्या हमारे पास ऐसा कोई इलाज नहीं था, जिससे सूखे को पहचानें।

[अनुवाद]

श्री येरननायडू ने अभी-अभी उल्लेख किया है कि लगातार दूसरी बार मानसून विफल रहा हैं। हमें इस बारे में सचेत रहना चाहिए था कि क्या होने वाला हैं। यह तो कृषि पर दृष्टि रखने में विफलता हैं डब्ल्यू टी ओ; अत्यधिक फसल उत्पादन; विश्व भर में हो रहे विकास और प्रौद्योगिकी की तुलना में कोई कृषि दस्तावेज नहीं है। हमारे पास राष्ट्रीय सदूर संपेदी एजेंसियां हैं जिनसे हवाई सर्वेक्षण किया जा सकता है; जिनसे हमारे पास उपलबध जल; जलाशय; और हमारे देश के खेतिहर लोगों प्रदान किए जाने वाले जल की क्षमता का स्तर-वार आंकड़ों का विश्लेषण प्राप्त हो सकता हैं हमने इस मुद्दे पर ध्यान तक नहीं दिया। हमने इस प्रकार की प्रौद्योगिकी को स्वीकार तक नहीं किया है। और न ही हमने यह अपने किसानों को उपलब्ध कराया है।

[हिन्दी]

सब यही कहते हैं कि सूखा आ गया, फसल बर्बाद हो गई, आप हमें इतना पैसा दीजिए।

[अनुवाद]

कृषि केवल फसलों तक ही सीमित नहीं है। इसमें इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन जल कृषि और बागवानी भी हैं। इसमें पशुधन भी है यह बात नहीं है कि खाद्य पदार्थों की कमी से केवल मनुष्य ही प्रभावित होते हैं। जब हम किसानों के बारे कहते हैं तो किसान का अर्थ सीधे धान और चावल उत्पादक किसानों तक ही सीमित नहीं होता है। इसमें मछली पालन करने वाले किसान और मछुआरे जो इस पर आश्रित हैं भी आते हैं। आज, झीलें सूख गई हैं। हमें मछली नहीं मिलती है। मछलियों के बीज की दरें बढ़ गई हैं। हमें मछली पालन करने अथवा अपनी मछली नर्सरियों को बनाए रखने के लिए भी बीज नहीं मिल रहे हैं। हमारी बीज नर्सरियों को देखिए। फसल न होना तो सूखे की स्थिति का केवल एक पहलू हैं हमारे पास तैयारी के लिए बीज नहीं हैं क्योंकि हमारी बीज नर्सरियां सूख गई है।

आपके पास अगली फसल के लिए बीज नहीं हैं।

[हिन्दी]

खरीफ की बात हो रही थी। सूखा आ गया था तो उस समय श्री येरननायडु ने आंध्र प्रदेश के बारे में कहा कि भगवान की कृपा से चार बूंद पानी आ गया।

[अनुवाद]

और इस प्रकार आप यह कहते हैं कि आप खरीफ की अंतिम फसल को बचा पाए हैं। यदि केन्द्र सरकार जल की उपलब्धता के प्रकार और फसल के बारे में गणना करना चाहती है तो सूखे के विश्लेषण के लिए अपेक्षित विश्लेषण की प्रणाली विफल हो जाएगी। हमें इस पर अधिक विश्लेपणात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम आकलन के लिए अंतिम फसल लेते हैं और यह कहेंगे कि यह सूखा प्रभावित नहीं है, तो इससे किसी का भी भला नहीं होगा। आप जानते हैं कि मानसून की प्रकृति इससे भी अधिक जटिल है। यह तो सूख प्रवण क्षेत्र के आकलन का अत्यधिक पुरातन और अर्वाचीन तरीका है।

इसके साथ ही पशुधन भी है आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा मुर्गीपालन उद्योग है। खाद्य पदार्थों की कमी के कारण हमारे पास मोटे अनाज उपलब्ध नहीं हैं। मोटा अनाज उपलबध नहीं होने के कारण पशुआहार खत्म हो गया है।

[हिन्दी]

लोग यह कह सकते हैं कि आपके पास चावल, गेहूं पड़ा हुआ है, बफर स्टाक है।

[अनुवाद]

आप पशु आहार के साथ चावल अथवा गेहूं को नहीं मिला सकते हैं क्योंकि यह उच्च पोषक गुणवत्ता वाला हैं हमें मोटा अनाज चाहिए।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगी कि मैंने लगभग तीन माह पहले मोटे अनाज की उपलब्धता पर ध्यान देने का अनुरोध करते हुए माननीय मंत्री, माननीय प्रधान मंत्री और वाणिज्य मंत्री को पत्र लिखा था। यदि आवश्क हो तो हमें आयात शुल्क लगाकर हमारे किसानों और पशुओं के लिए इसका आयात करना होगा।

[हिन्दी]

अब सारे लोग यहां बहस कर रहे हैं कि पानी नहीं है, पशुओं के लिए फौडर नहीं है। इससे बात खत्म नहीं हो जाती।

[अनुवाद]

यदि मैं अपने पशुओं को आहार दे सकती हूं तो भी मुझे अपने पशुओं के लिए सूक्ष्म पोषण आहार की आवश्यकता होगी। पशुओं को जीवित रखने के लिए जिंक, मेगनिशीयम और पोटोशियम जैसे ट्रेस खनिजों की आवश्कता हैं मेरे जैसे किसान को इस सूखे की अवधि में पशुओं को स्वस्थ और जीवित रखने के लिए आज प्रत्येक पशु पर 30 से 1500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार ने इसका भी कोई समाधान नहीं किया है। केन्द्र सरकार की बात तो छोड़ दीजिए राज्य सरकारें यह भी नहीं जानती हैं कि हमारे ये मुद्दे है और यह हमारी आवश्यकता है।

अब मैं पुस्पकृषि, बागवानी और बागों की बात कर रही हूँ। देखिए नागपुर में क्या हो रहा है। नागपुर के संतरे विश्व विख्यात हैं। इसमें भी अब गिरावट आयी है। वहां बड़े पैमाने पर बागान स्थित हैं और वे दुर्लभ वायरस की चपेट में हैं जिससे पूरी फसल प्रभावित हो रही है। ईश्वर ऐसा न करे लेकिन नागपुर के संतरे इतिहास बनकर रह जायेंगे। संतरा उन कुछ वस्तुओं में से हैं जिसके लिए हम बहुत गर्व करते हैं।

अगली बात यह है कि हमने राज्य सरकारों के विकास धीमा रहा है, इसमें दृष्टि का वे प्रौद्योगिकी का उल्लेख करती हैं। और हमें निरर्थक वस्तुएं दे रही हैं। इस सरकार ने 'मीठ नीरू' नाम से 'बोर वैल' के लिए 1400 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पूरे राज्य में अन्धाधुंध बौर वैल लगाए गए। ये फ्लोराइड जल क्षेत्र में भी लगाए गए हैं जिससे भू जलस्तर गिर रहा हैं। हमने ऐसे दुलर्भ वायरस और बीमारी को जन्म दिया है और उसे बढ़ाया है जिससे आज लोग और पशु दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, माननीय सदस्य वैल में आ रही हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अपनी सीट से बोलिये।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मैं बोल रही हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्रीमती रेणुका चौधरी : रबी फसल की बुआई का समय नजदीक आ रहा है। अभी तक केन्द्र अथवा राज्य ने कोई किसी आपात योजना के बारे में नहीं बताया है कि किसान रबी फसल के दौरान स्थिति से कैसे निपटे के लिए क्या सुझाव दें। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जिला कलक्टरों से अप्रत्यक्षत: क्या खूब कहा है कि वे किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए प्रोत्साहित न करें। कितना अच्छा सूखा है?

श्री के० येरननायडू : हमने सिर्फ धान की रोपाई अधिक न करने की सलाह दी है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी : फसल अवकाश से क्या अभिप्राय है तथा वे हमारे किसानों को क्या क्षतिपूर्ति दे रहे हैं क्या आप उम्मीद करते हैं कि किसान खाली बैठे रहें।

जब मि० बिल क्लिंटन अथवा मि० बिल० गेट्स यहां आते हैं तो हर कोई जोश में होता है। परंतु जब बिलों के भुगतान की बात आती है तो कोई भी इस बिल के बारे में बात कराना नहीं चाहता। *[हिन्दी]* वह बिल के बारे में कोई जिक्र नहीं करते, न बिजली का बिल देते हैं और न किसानों को बिल भेजते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० ए०के० प्रेमाजम (बडागरा) : यह बिल्कुल सच है।

श्रीमती रेणुका चौधरी : मैं इसलिए, मेरा प्रश्न यही है। जब राज्य सरकार फसल बोने से मना कर रही है तो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार इसके लिए क्या मुआवजा देगी? *[हिन्दी]* ये दोनों आपस में हैंड शेक कर लेते हैं। जब चाहे फौन से बात कर लेते हैं। जब हमारे नुकसान की बात आती है तो एक-दूसरे पर उंगली उठाकर दिखाते है कि यह इनक इलजाम है, यह इनका इलजाम है।

[अनुवाद]

मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश में क्या घटित हुआ। वे आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताना चाहते

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

हैं। मैं आंध्र प्रदेश की हूं। कृपया हमें खाद्यान्न उपलब्ध कराइए। मैं उस मुद्दे पर कभी नहीं लड़ूंगी। किन्तु मैं यह प्रश्न पूछ रही हूं। सरकार ने आंध्र प्रदेश में हमें यह आश्वासन दिया है कि खरीफ फसल के दौरान नागार्जुन सागर नहर परियोजना क तहत सागर का जल छोड़ा जाएगा। मैं अपने जिले की बात कर रही हूं। मैं खम्माम के बारे में बात कर रही हूं।

वहां आदिवासियों और भूमिहीन मजदूरों की सर्वाधिक जनसंख्या है। जब उन्होंने कहा कि वे हमारे लिए जल छोड़ेंगे तो मेरे गरीब किसानों ने 50,000 एकड़ जमीन के लिए बीज खरीद लिया। उन्होंने इसके लिए बाजार से पैसा उधार लिए क्योंकि बैंक उन्हें तभी तक ऋण देंगे जब तक उनकी साख अच्छी हो।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गांव में अगर एक आदमी ने इंस्टालमैन्ट नहीं दी तो उसे बैड क्रैडिट माना जाता है और सारे गांव पर इल्जाम लगाया जाता है और किसी बैंक का आदमी किसानों का पैसा नहीं देता हैं फिर क्या होता है किसान मार्केट में जाता है और वहां से 17,18 या 20 परसेन्ट की दर पर पैसा उधार लेकर आता है और जिंदगी भर उसका ब्याज देता रहता है। चूंकि हमें जबान दी गई थी कि ये लोग पानी छोड़ रहे हैं। हमने बीज लेकर बोया। पता चला लास्ट वेटिंग के लिए जो हमें चाहिए था, हमारा सीड डेवलप हो गया था। क्रॉप रेडी थी। इन्होंने पानी छोड़ने के लिए इनकार कर दिया और कह दिया कि कल से पीने का पानी का भी मालूम नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : मैं आपकी अनुमति से हस्तक्षेप करना चाहूंगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी : पहले, मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू : सभापति महोदय, श्रीमती रेणुका चौधरी ने जो कुछ कहा है मैं उस पर प्रतिक्रिया करना चाहता हूं। हमने कभी पूर्णत: आश्वासन नहीं दिया। हमने उम्मीद जतायी थी कि वर्षा के कारण हमारे पास पर्याप्त जल होगा। इसलिए, हमने ऐसा वादा किया। अंतत:, वर्षा नहीं हुई। तत्पश्चात्, हमने कर्नाटक के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया : ''उन्हें बिजली की कमी के कारण परेशानी उठानी पड़ रही हैं आपके पास अल्माट्टी और नारायण पुर में पर्याप्त जल है। आप खेत में लगी फसलों को बचाने हेतु आंध्र प्रदेश को 50 टी०एम०सी० जल छोड़े। इसके बाद, हमलोग विद्युत उत्पादन करेंगे। हम किसी प्रकार से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हम इसका उत्पादन जारी रखेंगे। हम इसे आपको देंगे। आप उन लोगों की फसलों को बचाने के लिए जल दीजिए।'' राज्य में कांग्रेस सत्तासीन है। किन्तु ये लोग प्रभावित नहीं हुए। जब प्रकृति का प्रकोप हो तो हम क्या कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)* वर्षा की कमी के कारण ये समस्याएं पैदा हुई हैं। सूखे की वजह से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी : इससे पता चलता है कि देश का बाकी भाग किस प्रकार से कांग्रेस के साथ है। यह अच्छी बात है।. ..*(व्यवधान)*

मेरे किसानों को 40 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है क्योंकि उस सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। *[हिन्दी]* यह कह रहे हैं कि कर्नाटक ने पानी नहीं दिया। मैं आपको बता रही हूं कि किसी किसान ने गलती से भी यह नहीं कहा कि हमें 26 घंटे पावर दो। राज्य सरकार ने 15 अगस्त को बड़े चौड़े होकर अनाठंसमैन्ट कर दिया 24 घंटे पावर सप्लाई, चूंकि अखबारों में छपते हुए अच्छा लगता है। इनके भरोसे 24 घंटे को गोली मारिये वहां 3 घंटे भी अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई हमें नहीं मिलती है। *[अनुवाद]* उनके द्वारा की जा रही बिजली की स्तरहीन आपूर्ति की वजह से किसानों को उपभोक्ता के रूप में कोई अधिकार नहीं है। *[हिन्दी]* हमारे मोटर जल जाते हैं। 1500 रुपये से तीन हजार रुपये उसकी रिवाइंडिंग पर खर्च होते हैं। यह आप ब्याज सहित लगा लीजिए।

[अनुवाद]

अंतत: हमें यह पता चला कि किसान वाणिज्यिक शर्तों पर लिए गए ऋण के चपेट में हैं यहां तक कि कोई उद्योगपति भी इस प्रकार से पैसा उधार नहीं ले सकता हैं हमें तो इस प्रकार से पैसा उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम सूखे के दौरान इस प्रकार की भयावह परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।

सूखे के दौरान क्या होता है? एक पूरे घटनाचक्र की आशंति होती है। सार्वजनिक धन-संसाधनों, गाँव के जल, वनभूमि, चारागाह और जलाशयों पर निजी आधिपत्य हो जाता है। *[हिन्दी]* जो धनवान होते हैं वे गांव के वाटरिंग होल्स कब्जे में ले लेते हैं और आदिवासी, गरीब, दलितों का वहां साथ देने वाला कोई नही होता है। इनके साथ हमें होना चाहिए।

[अनुवाद]

सूखे के दोरान, लोग अपने राशन कार्ड गिरवी रख देते है। कृषि क्षेत्र में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में आपके पास

व्यापक दृष्टिकोण के साथ-साथ सूक्ष्म विश्लेषण भी होना चाहिए। अधिकांश गरीब अपने राशन कार्ड गिरवी रख देते हैं ताकि उनके जीने के लिए कुछ धन मिल सके। सरकार की ओर से सिर्फ बाते ही की जा रही हैं वास्तविकता में उन्होंने सूखा प्रबंधन की तरफ ध्यान नहीं दिया है क्योंकि सूखे की इस स्थिति पर क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में उनके पास कोई अवधारणा अथवा दृष्टिकोण नहीं है। आज वे कह रहे हैं कि देश के स्तर पर उनके पास कोई आकस्मिक योजना नहीं हैं। ऋण माफी सिर्फ एक मुद्दा है।

मुझे एक किसान के रूप में अगली फसल के लिए भी ब्याजमुक्त ऋण लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और संसाधन नहीं हैं। मेरे पास ऋण की माफी और ऋण अदा करने की अवधि बढाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया हैं उन्हें हमें यह सुविधा अवश्य देनी चाहिए। यदि नाबार्ड ग्रामीण बैंकों को 4-6 प्रतिशत की दर पर ऋण दे सकता है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि किसानों को बैंकिंग प्रणाली के वाणिज्यिक ऋणों की तरह 12 से 16 प्रतिशत की दर पर ऋण लेना पड़ रहा हैं अब नाबार्ड को सूखा प्रबंधन हेतु किसानों को सीधे ऋण देना चाहिए।

सूखा प्रबंधन के भाग के रूप में इसे सीधे दिया जाना चाहिए। साथ ही, वर्त्तमान सीजन में खेतों को खाली छोड़ने का निर्णय लेने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। भूमिहीन श्रमिकों को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उनके राशन कार्ड उनके पास ही रहेंगे।

वह आत्म-प्रशंसा में लीन थे। अनेक घोटाले हुए हैं। इस संबंध में कल दैनिक समाचार पत्र 'द, हिन्दू' में एक रिपोर्ट छपी हैं महोदय, 557 क्विन्टल चावल पकड़ा गया है जिसका राज्य सरकार द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा था। वस्तुत:, उन्होंने इन घटनाओं को स्वीकार किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका प्रयास होगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित न हों।

महिलाओं पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं मैं महिलाओं के कल्याण की बात नहीं कर रही हूँ परंतु महिलाएं कृषि समुदाय का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं। हम महिलायें ही बीजों को संरक्षित रखती हैं। हम उन्हें बोती हैं। हम ही उनके पशुओं को पालती हैं। हम ही उनके पशुओं को खिलाती है। हम महिलायें ही उनके बच्चों को जन्म-देती हैं। किन्तु महिलाओं के लिए किसी प्रकार के पौष्टिक आहार अथवा पैकेज की सुविधा नहीं है।

अब मैं ड्रिप सिंचाई पर राज सहायता की बात करती हूँ। विशेष प्रोत्साहन के रूप में इसे महिलाओं को दिया गया था। अदूरदर्शी केन्द्र सरकार ने इसे वापस ले लिया। कृपया ड्रिप सिंचाई पर राजसहायता पुन: बहाल करें। ड्रिप सिंचाई को उनके जल प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में लिया गया था जिससे किसानों को बेहतर पैदावार, बेहतर उतपादकता ताकि उनके पौधों को पोषण की बेहतर सीधी आपूर्ति उपलब्ध होती है।

साथ ही मैं आंध्र प्रदेश में बिजली की गंभीर स्थिति का उल्लेख करना चाहती हूँ। महोदय, किसानों से बिजली पर प्रति यूनिट 7.50 रुपये लिए जा रहे हैं। वे हमें राजसहायता देने की बात कर रहे हैं।. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

नहीं है, सुनता नहीं है। यह आपकी समझ के बाहर की बात है। वास्तव में किसान केन्द्र को राज्य सरकारों को सब्सिडी में अनाज उगाकर देते हैं। कोई हमारा कष्ट समझता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जब तक आप उन मुद्दों को लेने में समर्थ नहीं होते तब तक इस समस्या का समाधान कठिन है। वे इंटरनेट सूचना के बारे में गर्व करते हैं। वे इस बात को न भूलें।

[हिन्दी]

जो फाइल पर ब्यूरोक्रैट घपला करते थे, आजकल इंटरनैट पर करते हैं। वैरिफिकेशन करने वाले पब्लिक रिप्रैजेन्टेटिव हैं। इनकी स्टेट में पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव का नामो-निशान और अता-पता नहीं है।

[अनुवाद]

जल संसाधनों, जल के मानचित्रण वाटर मैपिंग और फसल योजना पर विचार करने का यह महत्वपूर्ण समय है। आपको सोचना है। हम सूखा आने तक इसी प्रकार नहीं बैठे रह सकते। आप कहते है कि आप सूखा प्रबंधन के लिए निधियां जारी कर रहे हैं। आपको आज के वैज्ञानिक आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से सूखे का पूर्वानुमान करने में सफल होना होगा। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपको फसल योजना के बारे में बिल्कुल अलग नजरिये से विचार करना होगा।

आपको पता है कि असम में धान की खेती हो रही हैं वहां जल की प्रचुरता हैं पूर्वी बिहार में जल की प्रचुरता हैं इसलिए, आपको अत्यधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों को ऐसे राज्यों के लिए छोड़ देना चाहिए जहां पर जल प्रचुरता में उपलब्ध है और अन्य राज्यों के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है अर्थात

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

फसल योजना अथवा विश्लेषण नहीं करते है तो ऐसे सूखे की स्थिति में फसल उगाने की पद्धति में बदलाव आयेगा। वे खाद्य फसलों की जगह नकदी फसलों को अपनाते हैं। जैसा कि आपकी सभी वैज्ञानिक भविष्यवाणियों ने बताया है आप निकट भविष्य में खाद्यान्न की कमी का सामना करने जा रहे हैं।

महोदय, सरकार से मेरा यह अनुरोध हैं यह खेद की बात है कि केन्द्र सरकार ने कभी भी कृषि को प्राथमिक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं माना हैं विगत दो तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए आबंटित धन काफी कम रहा है जो कृषि समुदाय के लिए नाममात्र का साबित हुआ हैं बजट में कृषिगत योगदान की कमी की वजह से हमारे देश के लिए निजी निवेश भी शून्य रहा है जिसके परिणामस्वरूप कृषि को हमेशा महत्वहीन विषय के रूप में लिया गया है। सिर्फ इस क्षेत्र में संकट पैदा होने की स्थिति में, लोग इस संसद में कृषि का ध्यान रखने का दिखावा करते हैं तथा उस पर चर्चा करते हैं। इनमें से कोई भी उन सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाता। हमारे किसानों को बैंकों द्वारा हमेशा परेशान किया जाता हैं अगर कृषि क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण नहीं रखा जाता है तथा जब तक आपके पास इस समुदाय के प्रति दूरदर्शितापूर्ण सोद्देश्य सहानुभूति नहीं होतो तो आप यह कल्पना न करे कि किसान सिर्फ आत्महत्या ही करेंगे। किसानों के गुस्से से होशियार रहें। *[हिन्दी]* जब किसान पलटकर हाथ उठाएगा तो यहां की पीठ और वहां की पीठ हिलेगी। जय हिन्द।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू : सिर्फ एक मिनट। मैं सभा में सिर्फ एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरी सहयोगी, श्रीमती रेणूका चौधरी ने बिजली शुल्क का जिक्र किया है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं।

सभापति महोदय, मैं उनकी बात को चुनौती देता हूं। आंध्र प्रदेश देश के सबसे अच्छे राज्यों में से एक हैं हम अभी भी किसानों को 9 घंटे तथा आम उपभोक्ताओं को 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश में संसदीय दल भेजें।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणुका चौधरी : इतना बड़ा असत्य!

अपराह्न 4.00 बजे

सर, मैं परसों ही अपने डिस्ट्रिक्ट से आई हूं। वहां तीन-तीन घंटे पावर नहीं मिलती है, यह हाल है।...*(व्यवधान)* मुझे पूछो, मैं खेती करती हूं। आप क्या जानेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं अपने दल की तरफ से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

श्रीमती रेणूका चौधरी : देश की तरफ से!

श्री पी०एच० पांडियन : इस प्रस्ताव पर देश की ओर से। पिछले सत्र के दौरान हमने सूखे की स्थिति पर चर्चा की थी। हमने देश में सूखे की स्थिति तथा किसानों की जरूरतों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। पिछली बार हमने तमिलनाडु में सूखे की स्थिति पर प्रकाश डाला था।

1972 से ही हमारे दल ए०आई०ए०डी०एम०के० की यह नीति रही है कि सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जब भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय डॉ० एम०जी०आर० जीवित थे, तब उन्होंने इस नीति की घोषणा की थी और वही नीति 1982 में, राज्य सभा में, हमारी वर्तमान मुख्य मंत्री पुराचीथालवी डॉ० जे० जयललिता ने प्रतिपादित की थी कि सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। यदि पानी नहीं होगा तो सूखे की स्थिति होगी। उच्चतम न्यायालय के निदेश के बावजूद कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिल पाया है।

महोदय, यह जल की राजनीति है...*(व्यवधान)*

श्री आर०एल० जालप्पा (चिकबलपुर) : महोदय, इसका रिकार्ड हैं हमें संबंधित रिकार्ड ठीक करना चाहिए। हम उन्हें पानी देने आए हैं किंतु जब हमारे पास ही पानी नहीं है तो हम उन्हें कैसे दे दें? महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, फरक्का बैराज का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच निपटाया गया था और तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच निपटाया गया था किंतु हम इस मामले को अपने देश के दो राज्यों के बीच निपटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने आदेश पारित किए...*(व्यवधान)*

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे पानी लेने का अनुरोध किया किंतु उनके मुख्यमंत्री ने लेने से मना कर दिया। यहां तक कि वह प्रधान मंत्री का भी आदर नहीं करती। वे बहुत ही ढीठ हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांति बनाए रखिए।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को बचाने के लिए पानी तमिलनाडु में आ जाता। किंतु चालू वर्ष 2002 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की विफलता और वर्षा की कमी के कारण तमिलनाडु के 28 जिलों में से 19 जिलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया गया।

बहुत पहले 23.9.2002 को ही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की और सूखे पर सभी कलैक्टरों की बैठक बुलाई। उसके आधार पर उन्होंने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और 1400 करोड़ रुपये के आबंटन के लिए कहा हमने समाचार पत्रों से देखा कि तमिलनाडु को केन्द्र सरकार ने 228 करोड़ रुपये सूखा राहत कार्यों के लिए मंजूर किए किंतु अभी तक कोई सरकारी सूचना उपलब्ध नहीं है।

आबंटन से पहले मुख्य मंत्री ने 24.6.02 को कावेरी डेल्टा क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने तंजापुर, तिरूवरूर और नागपट्टीनम के सूखा प्रभावित कावेरी डेल्टा क्षेत्रों के लिए 164.18 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की।

महोदय, कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों के कष्टों के निवारण के लिए मुख्य मंत्री ने, केन्द्र सरकार से 228 करोड़ रुपये प्राप्त करने से पहले, 210/- प्रति बाक्स (हेम्पर) का विशेष दिवाली उपहार देने की भी घोषणा की थी। 21 करोड़ रुपये के ये दिवाली उपहार 10 लाख किसानों को दिए गए थे। राज्य किसानों को सूखे की स्थिति से जूझने के लिए सहायता कर रहा था। यदि भारत सरकार ने 1,434 करोड़ रुपये तथा 5.5 लाख टन खाद्यान्न की मंजूरी दी होती तो हम सूखे की स्थिति से निपट सकते थे। इसलिए इस समय हमारा यही अनुरोध है कि तमिलनाडु सरकार को 1,434 करोड़ रुपये मंजूर किए जाएं और यदि 228 करोड़, रुपये मंजूर किए भी जा चुके हैं तो यह राशि उसमें से घटा दी जाए। मैं यह कहूँगा कि सूखे की स्थिति के बावजूद भी तमिलनाडु में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। यहां तक कि इस गंभीर वित्तीय संकट में भी हमारी मुख्य मंत्री डा० पुराचीथालवी के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने किसानों को दिवाली उपहार के रूप में 10 कि०ग्रा० चावल, एक किलो चीनी, 250 ग्राम मिठाई, 100 ग्राम घी, सभी सब्जियां और 50 रुपये नकद दिए। इस पर प्रति व्यक्ति 210/- रुपये का खर्च आया...*(व्यवधान)*

श्री आर०एल० जालप्पा : महोदय, यह केवल दो दिनों के लिए है। वर्ष के बाकी के 363 दिनों का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) : महोदय, बहुत हो गया ...*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : ये क्या है? क्या हम संसद में हैं?. ..*(व्यवधान)* यदि आप चाहते हैं तो आप जाइए और दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री आर०एल० जालप्पा : मैं कर्नाटक तक ही सीमित नहीं हूँ। मैं संपूर्ण भारत तक सीमित हूँ...*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : ये क्या है? कृपया उन्हें रोकिएँ... *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आप डा० जयललिता को नहीं रोक सकते। मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूँ?...*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : इस समय, मैं यही कहूँगा कि इन सूखे की स्थितियों को प्रति भारत सरकार को दूरदृष्टा होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक सत्र में हम हर दिन सूखे की गंभीर स्थिति की बात करते हैं किंतु हम देश में सूखे की स्थिति को रोकने में समर्थ नहीं हैं हम चर्चा करते हैं और फिर सभा स्थगित हो जाती है। किसानों के लिए हमने क्या किया? क्या हमारी चर्चा से उन्हें कोई लाभ प्राप्त हुआ? दल के दायरों से बाहर हम बहस कर रहे हैं और हम किसानों के मामले, उनके क्षेत्र और पंथ इत्यादि पर भेदभाव किए बिना आगे रख रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : डी०एम०के० के किसानों सहितँ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पांडियन, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, काफी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसमें धाराप्रवाह होना चाहिए। मैं जब भी धारा प्रवाह बोलता हूँ तो व्यवधान उत्पन्न हो जाता हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : कृपया पीछे ना देखिऐ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री पी०एच० पांडियन : आबंटन के मापदण्ड क्या हैं? केन्द्र सरकार द्वारा सूखा राहत उपलब्ध कराने के मापदण्ड क्या हैं? ए०आई०ए०डी०एम०के० संसदीय दल के हम सदस्यगण प्रधान मंत्री से मिले थे और हमने उन्हें 1,434 करोड़ रुपये की सहायता करने के लिए एक ज्ञापन दिया। हम वित्त मंत्री से मिले। सांसदों द्वारा ज्ञापन दिए जाने के तीन माह के पश्चात् एक केन्द्रीय दल भेजा गया। केन्द्रीय

[श्री पी०एच० पांडियन]

दल ने 500 करोड़ रुपये के आबंटन की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की किंतु हमें मात्र 228 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। केन्द्र सरकार को कम से कम उतनी राशि तो स्वीकृत करनी ही चाहिए जितनी केन्द्रीय दल ने आकलन किया था। केन्द्रीय दल में भारत सरकार के कृषि विभाग के संयुक्त सचिव श्री जोगिन्दर सिंह; कपास विकास निदेशालय के संयुक्त निदेशक, श्री आर०पी० सिंह और वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय की सहायक निदेशक श्रीमती नलिनी पाठक थीं। इस प्रकार सूखे की स्थिति जांचने के लिए तमिलनाडु के विभिन्न भागों में चार दल भेजे गए थे। उन्होंने सामग्रियां एकत्र कीं। वे उन स्थानों पर भी गए और उन्होंने सूखे की स्थिति से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने 500 करोड़ रुपये के आबंटन की सिफारिश की थी। कम से कम आज तो मंत्री महोदय बाकी के 272 करोड़ रुपये मंजूर कर दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप समर्थन कर रहे हैं?

श्री पी०एच० पांडियन : हम किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला सदस्य आपके दल का है मैं आपके प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। क्या सूखे की स्थिति पर चर्चा में भाग लेना अपराध है? क्या चर्चा गंभीर नहीं होनी चाहिए? यह जीवतं नहीं होनी चाहिए। यह निधन संबंधी उल्लेख जैसी होनी चाहिए। वहां किसान मर रहे हैं। किसान अपने ऋण चुकाने की हालत में नहीं हैं।

डा० सी० कृष्णन (पोल्लाची) : अभी अभी उनहोंने कहा कि वहां कोई भी नहीं मरा है। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि किसान मर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री पी०एच० पांडियन : ये क्या है? वहां कोई मृत्यु नहीं हुई है। यदि कोई मृतक किसान हुआ तो आपके कहने का अर्थ यह है कि वह मृत्यु भूख से हुई? ये क्या है? इसलिए, कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए भारत सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए थी। भारत सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उस राशि को तुरंत स्वीकृत करना चाहिए था। माननीय मुख्य मंत्री ने दल को मानसून के विफल होने के बारे में भी बता दिया था। इसमें कुछ विसगंति है यदि तमिलनाडु में सूखे की स्थिति है तो वे राहत पैकेज देंगे। एक तकनीकी शब्द है कि प्रत्येक जिले को सूखा-प्रभावित घोषित किया जाना चाहिए। जब पूरे राज्य को ही सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया है तो प्रत्येक तालुका और प्रत्येक गांव को सूखा प्रभावित क्यों घोषित किया जाए? पूरा राज्य ही भंयकर सूखे की स्थिति से जूझ रहा है। इसलिए, हमें तकनीकी पक्ष पर अडिग नहीं रहना चाहिए। यह तकनीकी, सरकारी तकनीकी है। राज्य के लोग कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि ऐसे तकनीकी पक्षों को छोड़ प्रत्येक राज्य को राहत पैकेज प्रदान करे। मैं सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम भारत के प्रत्येक भाग में सूखे की गंभीर स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी०एच० पांडियन : मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करूँगा।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : तो, आप जिलों को सूखा-प्रभावित क्षेत्र घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : इसीलिए मैंने कहा कि जब पूरा राज्य ही सूखाग्रस्त है तो प्रत्येक तालुका और गांव को घोषित करने की क्या आवश्यकता है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या इसमें चेन्नई भी शामिल है?

श्री पी०एच० पांडियन : इसमें चेन्नई भी है। चेन्नई में सूखा है वहां लोगों को पेयजल भी उपलब्ध नहीं है।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : तब, किसानों को मूल कर से छूट दी जा सकती है।

श्री पी०एच० पांडियन : यह तमिलनाडु विधानसभा नहीं है यह संसद है।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : लेकिन भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, आप ए०आई०ए०डी०एम०के० से हैं और मैं डी.एम.के. से हूं।

श्री पी०एच० पांडियन : आप वहां अपने डी०एम०के० के लोगों से इसे वहां की विधानसभा में उठाने के लिए कहें। यह उससे ऊंचा मंच है...*(व्यवधान)*

श्री टी०एम० सेल्वागनपति : आपकी ओर से यहां 10 मंत्री बैठे हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने तमिलनाडु के लिए कितना पैसा लिया है।

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : आप तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप तमिलनाडु पर शासन कर रहे हैं लेकिन आप केन्द्र सरकार को कोई सीधी रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, मैं अपने मित्र श्री टी०एम० सेल्वागनपति का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सत्ता पक्ष की ओर दस मंत्री बैठे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे मंत्री क्यों बने हैं? वे यहां तमिलनाडु के हितों को देखने हेतु बैठे हैं। वे यहां अपने निजी हितों के रक्षार्थ नहीं बैठे हैं। उनके लिए अपने हित सभी लोगों के हितों से ऊपर हैं। इन दस मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से बात नहीं की हैं उन्होंने सरकार से बात नहीं की है। वे इस मुद्दे पर आंदोलित नहीं हैं। सभी मंत्री चुपचाप बैठे हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : हां, मैं आपका तर्क स्वीकार करता हूं। कर्नाटक के मामले में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी माननीय संसद सदस्य अपने केन्द्रीय मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री से मिले थे। आपका अहम आपको हमसे बात करने से रोक रहा है. ..*(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : यह असंसदीय नहीं है। वहां तमिलनाडु राज्य से दस मंत्री हैं। यह सत्य है। यह सत्य है कि उन्होंने राज्य के लोगों के हितार्थ कुछ नहीं किया है...*(व्यवधान)* यह सत्य है कि दस मंत्री अपने निजी हितों को देख रहे है...*(व्यवधान)* क्या आप मुझसे यह चाहते हैं कि मैं उनके निजी हितों का खुलासा करूं? प्रत्येक मंत्री का अपना निजी एजेंडा हैं उनके पास लोगों का एजेंडा नहीं है; उनके पास किसानों का एजेंडा नहीं है...*(व्यवधान)*

लोगों को पता चलना चाहिए कि उस राज्य से दस मंत्री हैं और वे चुपचाप बैठे हैं। यहां तक कि वे यहां उपस्थित ही नहीं हैं। तमिलनाडु से संबंधित वे दस मंत्री कहां हैं? संसद में उपस्थिति के अतिरिक्त उनके पास और क्या कार्य हैं? संसद में उपस्थित होना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह कोई आरोप नहीं हैं यह सत्य है कि वे दसों मंत्री तमिलनाडु के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। यहां तमिलनाडु से संबंधित कोई केन्द्रीय मंत्री उपस्थित नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : आप इन्हें इतना समय किसलिए दे रहे हैं? ये एक घण्टे से बोल रहे हैं और सारांश कुछ भी नहीं है, केवल कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा यहां उठा रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा उठाने की यह जगह नहीं है, आप सड़क पर बोलिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : मैं तमिलनाडु से संबंधित दस मंत्रियों के बारे में पूछ रहा हूं। वे यहां क्यों नहीं है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। अभी 26 और माननीय संसद सदस्यों को बोलना है।

श्री पी०एच० पांडियन : ये व्यवधान हैं आपको इनपर ध्यान नहीं देना चाहिए।

इस मामले पर विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए। सभी को यह पता होना चाहिए कि मंत्री क्या कर रहे हैं। उन्होंने राजनैतिक कारणों से प्रधानमंत्री से सम्पर्क नहीं किया हैं। वे यह चाहते हैं कि सूखा चलता रहे। वे यह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री राशि वितरित न कर पाऐं. ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) यह बहस कब तक चलेगी और हम लोगों को समय मिलेगा कि नही? क्या पीछे बैठने वालों को समय नहीं मिलेगा? हमें आप व्यवस्था दें, मेरा सूचना का प्रश्न है कि हम जो पीछे बैठे हैं, उनका बोलने का नम्बर भी आयेगा कि नहीं? सूची में हमारा नाम है, इस पर हमें आपकी व्यवस्था चाहिए। विषय के बाहर, सूखे के अलावा थोड़ा सा रैफरेंस हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय झगड़ों को यहां न उठाया जाये। यह गम्भीर विषय है, इस पर सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामानन्द सिंह जी, सूची में आपका नाम है, आप बैठ जाइये। आप बीच में बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : मैं हिन्दी नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि वह क्या कह रहे हैं।

हमने विनिवेश पर चर्चा की हैं इस मुद्दे पर हम विभिन्न मतों पर चर्चा कर सकते हैं। किसानों के प्रश्न पर यहां भेदभाव पूर्ण चर्चा क्यों होनी चाहिए? किसानों के लिए सदन में चर्चा होनी चाहिए। सदन में ऐसी चर्चा होनी चाहिए जिसमें सभी दल पास आ सकें। सभी मंत्री मिलकर कार्य करें। सभी मंत्रियों को सरकार से बात करने दें और अपनी शक्ति का उपयोग करने दें। वे अपनी शक्तियों का उपयोग अपने निजी एजेंडा की पूर्ति में कर रहे हैं। वे अपनी शक्तियों का उपयोग निजी लाभ की पूर्ति हेतु कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : निजी लाभ क्या है?

श्री पी०एच० पांडियन : यदि आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो मैं अपना सारा निजी एजेंडा त्याग दूंगा।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : क्या वे अपने इस वादे को पूरा करेंगे? यदि हम सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो क्या वे इसका समर्थन करेंगे?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या आप हमारे साथ मतदान करेंगे?

श्री पी०एच० पांडियन : आप प्रस्ताव लाइये। हम उसपर उसी दिन विचार करेंगे। आप अभी हमारे रूख का अनुमान लगाना क्यों चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

महोदय, मानसून न आने के कारण सूखा पड़ा हैं अब यह केन्द्र सरकार के ऊपर है कि वह भारत में व्याप्त इस स्थिति के लिए उपचारात्मक उपाय करें।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : सभापति जी, चर्चा का मुख्य उत्तर तो माननीय कृषि मंत्री देंगे। मेरे विभाग से सम्बन्धित केवल तीन बिंदु हैं, जिन पर मैं कुछ जानकारी माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो एस०जी०आर०वाई० के स्पेशल कम्पोनेंट के अंतर्गत, विशेषरूप से जिन-जिन प्रदेशों में मांग की गई, उन-उन प्रदेशों में अन्न दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 38 लाख 29 हजार टन अन्न पूरे देश में स्पेशल कम्पोनेंट स्कीम के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रभावित प्रदेशों को दिया गया है।

अपराह्न 4.21 बजे

[**डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

मै इस बात से सहमत हूं कि जिस देश के अंदर किसान् ने इतना अन्न पैदा किया है कि गोदामों में रखने की जगह नहीं है, जिस देश के अंदर अधिक अन्न होने के कारण हम उसका निर्यात कर रहे हैं, यह एक नई उपलब्धि भारत को प्राप्त हुई है कि जो देश चार साल पहले विदेश से अन्न मंगाता था, आज दुनिया के लगभग 30 देशों को वह अन्न निर्यात कर रहा हैं लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जबकि अन्न रखने की जगह नहीं है, कहीं से भुखमरी का समाचार आए, यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय हैं यह बहस का या आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है। क्या कारण है कि देश का शायद एक भी ऐसा जिला नहीं जहां अन्न भरा न हो, उसके बावजूद भी भुखमरी के समाचार आ रहे हैं, इस पर गहराई से सदन को विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि कहीं कमी नहीं है, कहीं इंतजाम में कमी है। कहां कमी है, इस पर विचार किया जा रहा हैं स्पेशल कम्पोनेंट के अंतर्गत जहां-जहां से मांग की गई है, जिसकी रिकमंडेशन हुई है, अनाज दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में बहुत अधिक योजनाएं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हैं, कुल मिलाकर एक साल का हमारे मंत्रालय का बजट 14,000 करोड़ रुपए का है। जो अन्न हम देते हैं, वह आठ हजार करोड़ रुपए का होता हैं कुल मिलाकर 22,000 करोड़ रुपए गांवों के विकास के लिए हमारे मंत्रालय के पास हैं, जो हम राज्यों को देते हैं। इतनी योजनाओं का अर्थ क्या है, ये योजनाएं चलेंगी तो गांव के लोगों को काम मिलेगा। सूखे के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता हैं यह समस्या हल हो सकती है, यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय की सारी की सारी योजनाओं को ठीक ढंग से प्रदेशों में चलाया जाए।

मेरे पास पूरे देश की स्थिति के आंकड़े अभी नहीं हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में आज सूखा है, उनका ब्यौरा मैंने इकट्ठा किया है। मुझे हैरानी हुई और सदन को भी हैरानी होनी चाहिए कि यह स्थिति क्यों हैं सभापति जी, यह वर्ष जब शुरू हुआ तो इन सूखाग्रस्त प्रदेशों के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं का ओपनिंग बैलेंस 3275 करोड़ रुपए था। हमने 5705 करोड़ रुपए रिलीज किए।

कुल मिलाकर इन सूखाग्रस्त प्रदेशों के पास ग्रामीण योजनाओं को लागू करने के लिए 8980 करोड़ रुपये हो गए। इस वर्ष हमारी किश्त रिलीज करने के बाद इन प्रदेशों के पास ग्रामीण विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 9659 करोड़ रुपये थे। उसमें से खर्च कितना हुआ 2186 करोड़ रुपये। 9659 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता था, किया जा सकता है लेकिन सितम्बर तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2186 करोड़ रुपये खर्च हुए और जो खर्च नहीं हुआ, वह पैसा 7473 करोड़ रुपये है। जब यह 7473 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं का गांव-गांव में खर्च होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो सूखे की स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है।

यहां राजस्थान की बहुत चर्चा हुई है। मैं राजस्थान का ब्यौरा देख रहा था। राजस्थान में इस साल के प्रारम्भ में हमारी सभी योजनाओं का ओपनिंग बैलेंस...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ग्रामीण विकास की जिन योजनाओं का पैसा खर्च नहीं हुआ है, उनका स्टेट वाइज ब्यौरा हाउस को दे दीजिएगा।...*(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार : मैं स्टेट वाइज डिटेल्स हाउस को उपलब्ध करवा दूंगा। मैं कह रहा था कि यहां राजस्थान की बहुत चर्चा हुई है और राजस्थान के जो समाचार आए हैं, मैंने कहा कि वे काफी चिंताजनक हैं। देश के किसी कोने में भूख की पीड़ा हो तो वह

सारे देश के लिए चिंता का विषय है। राजस्थान के अंदर ही ओपनिंग बैलेंस ग्रामीण विकास योजनाओं का 207 करोड़ रुपये था और हमने जो रिलीज किया है, वह 460 करोड़ रुपये रिलीज है। कुल मिलाकर राजस्थान के पास 682 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए था जिसमें से 77 करोड़ रुपये खर्च हुआ हैं सारा पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ? हमने पैसा दे दिया और बार-बार कह रहे हैं कि इस पेसे को जल्दी खर्च करिए जिससे अगली किश्त दी जा सकती है लेकिन 682 करोड़ रुपये में से राजस्थान ने केवल 77 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आज भी राजस्थान के पास 604 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए पड़े हुए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) : सभापति जी, यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने अपनी बात पूरी नहीं की है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : मैं राजस्थान में पीने के पानी की बात बता रहा हूं। वहां सूखा पड़ा हैं पानी चाहिए लेकिन पीने के पानी की स्थिति यह है कि ओपनिंग बैलेंस...*(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : आप सही नहीं कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, यह सही तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति जी, जो यह बता रहे हैं, वह बुनियादी आपत्ति उठा रहे हैं।...*(व्यवधान)* जो इन्होंने बताया है, वह सही बात नहीं है।

सभापति महोदय : शीशराम जी, जब आपको बुलाया जाएगा, तब बोलिएगा। आप बैठिए। आपका नाम लिस्ट में है। जब आपका क्रम में नाम आएगा तब आप बोलें। अभी आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : बुलाया जाएगा, वह बात नहीं है। जो यह बुनियादी आपत्ति उठा रहे हैं वह है कि जो ये आंकड़े बता रहे हैं, वे गलत दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शीशराम जी, जब आपका नम्बर आएगा तब आप बोलें।

शांता कुमार : यदि ये आंकड़े गलत हैं तो आप सही आंकड़े बताइएगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शीशराम जी, जब आपका नाम आएगा, तब आप बोलिएगा। और उनकी बात का खंडन कीजिएगा...*(व्यवधान)*

प्रो० रासासिंह रावत : राजस्थान की जनता बहुत पेरशान है। वहां ग्रामीण विकास योजना के अंदर पैसा खर्च नहीं हो रहा है।

राजस्थान सरकार की निष्क्रियता के कारण यह पैसा खर्च नहीं हो रहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए, उनसे सदन में इस पर प्रकाश डालने का अनुरोध करूंगा...*(व्यवधान)* हम उन पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं. ..*(व्यवधान)*

महोदय, माननीय मंत्री महोदय, कृपया हमें इसके बारे में बताएं। एक राज्य विशेष के ग्रामीण विकास बजट को योजनागत और गैर-योजनागत बजट में बांटा जाता है। जब योजना सहायता आती है तब अन्य अनुदान आंबटित किया जाता है। ग्रामीण विकास कोष में, यदि मैं गलत हूं तो मंत्री महोदय मेरी गलती सुधार समझते हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इसमें - पी०एम०जी०एस०वाई०, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और पंचायती राज कार्यक्रम में अन्य घटक भी सम्मिलित हैं। यह केवल सूखे के लिए नहीं हैं उन्हें शीर्ष-वार विवरण देना चाहिए, पूरे ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कितने शीर्ष हैं...*(व्यवधान)* यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रासा सिंह जी, आप बैठिए, मैंने शीशराम जी को बुलाया है।

श्री शीश राम ओला : माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वे आंकड़े गिना रहे हैं कि पंचायत को, पंचायत समिति और जिला परिषद को सीधे यहां से अमाउंट भेजे जाते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री शांता कुमार : सभापति जी, मैं पीने के पानी की बात कर रहा था। सूखा है और उसके कारण पानी की उपलब्धता के लिए

[श्री शांता कुमार]

राज्य सरकारें कुछ करना चाहती है, मैं उस संबंध में बताना चाहता हूं। राजस्थान में पीने के पानी के लिए हमने पैसा दिया, जो खर्च होना था, ओपनिंग बैलेंस 83 करोड़ रुपए शुरू में था, हमने जो पैसा रिलीज़ किया, वह 133 करोड़ रुपया था, जो पीने के पानी की योजनाओं के लिए राजस्थान को और दिया, राजस्थान के पास इस तरह कुल पीने के पानी की योजनाओं का संचालन करने के लिए 217 करोड़ रुपए हो गए। इसमें से अभी तक खर्चा केवल 43 करोड़ हुआ है, 173 करोड़ रुपए बाकी पड़े हैं उसे आप क्यों नहीं खर्च करते। मेरा निवेदन है कि कुल मिला कर जितनी योजनाएं ग्रामीण विकास की है उन सबको राज्य सरकार चलाएं तो जितने रोजगार आप देना चाहते हैं, उसे देने में कभी कोई कमी नहीं होगी।

अंत में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि 13 प्रदेश ऐसे हैं जहां सूखे की स्थिति पैदा हुई है। कुल 310 जिले ऐसे हैं, जिनमें सूखे की स्थिति पैदा हुई। हमारे नार्म्स यह हैं कि हम जब एक किश्त रिलीज़ करते हैं तो दूसरी किश्त रिलीज़ करने के लिए दो छोटी-छोटी बाते हैं। पहली किश्त का 60 प्रतिशत खर्च करके युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए तभी हम दसरी किश्त रिलीज़ कर देंगे, यह मांग की गई थी, यह हमारी थोड़ी सी कठिनाई है, इसे रिलेक्स किया जाये। भारत सरकार ने उसे रिलेक्स कर दिया और उसके बाद यह तय हुआ कि 310 जिलों में से केवल 174 जिले रिलेकसेशन का लाभ उठा सके। उन्हें हमने 484 करोड़ दे दिए, सात लाख टन अनाज दे दिया, लेकिन इनमें भी 136 जिले ऐसे हैं, जो रिलेक्सेशन के बाद भी दूसरी किश्त नहीं ले सके, अर्थात 40 प्रतिशत भी पिछला रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया है। वे खर्च नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रुपया नहीं मिल रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में जितनी योजनाएं है उनमें इतना पैसा है कि अगर राज्य सरकारें पूरा पैसा खर्च करें तो रोजगार देने के काम में कोई कमी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर इन सूखा-ग्रस्त प्रदेशों में लगभग सात हजार करोड़ रुपया हमारे मंत्रालय की योजनाओं का पड़ा है। अगर ये पूरा रुपया खर्च करें तो रोजगार देने में कोई कमी नहीं होगी, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री शीश राम ओला : मैं राजस्थान सरकार को, राजस्थान के ऑडिटर जनरल ने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया है, वह सभा पटल पर रख रहा हूं।*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य के आंकड़े भी मंत्री जी के पास मौजूद हों तो वे आंकड़े भी सदन के पटल पर रख दें।

श्री राम सजीवन (बांदा) : सभापति जी, पूरा देश सूखे की चपेट में है और इस पर कई बार सदन में चर्चा हुई है लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई हैं इसका मुख्य कारण यह है कि हमने समस्या के मुख्य कारण पर जाने की कोशिश नहीं की। हमें इसके मुख्य कारण पर गंभीरता से जाना चाहिए और गंभीरता से ही उसे लेना चाहिए। मेरी मान्यता है कि सूखे का सबसे खराब और ज्यादा असर ग्रामीण जीवन पर पड़ता है और उस ओर अभी तक केन्द्र सरकार का उतना ध्यान नहीं है जितना जाना चाहिए।

एक समय था जब सदन में सुनने का अवसर मिला था और देश में भी ऐसा वातावरण बना था कि ''चलो गांव की ओर''। लेकिन आज उस बात को सब भूल गये। पहले इस बात पर सारा सदन सहमत था और उसका एक सिद्धांत था लेकिन वह सिद्धांत न आज किसी योजना में, न किसी के लहजे में, न किसी भाषण में, न किसी दृष्टिकोण में हैं इसलिए पहले यह दृष्टिकोण बने कि ग्रामीण समस्या की ओर ध्यान देना है जहां गरीब भारत बसता हैं जब उस ओर ध्यान जाएगा तो निश्चित रूप से बाढ़ और सूखे की समस्या का हल हो जाएगा और इस समस्या को हल करने में हम सफल होंगे।

मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि हमारे प्रभावशाली नेता लोग शहरों से आते हैं और वही सारी नीतियां संचालित करते हैं। लेकिन शहरों से आने वाले नेताओं को ग्रामीण जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता है - यह मेरी पक्की मान्यता हैं इसलिए जब ग्रामीण जीवन को उठाने और इस समस्या के हल के संबंध में बात उठती है तो मेरी पक्की राय है कि हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और चैन्नई में कोई बात होगी तो सारे अखबार, रेडियो और चर्चाओं में वह आ जाती है। यह दृष्टिकोण हमारे देश का है। इसलिए इसके मूल कारण पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।

यहां बहुत बार डिसकसन हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन ने सूखा प्रभावित जिलों में राजस्व की वसूली स्थगित की। इसके बाद अन्य प्रदेशों ने भी राजस्व की वसूली स्थगित की। राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को स्थगित करने का तात्पर्य यह था कि किसान और गांव सूखे से प्रभावित हैं, इसलिए राहत दी जाए। अन्य प्रदेशों से भी आवाज उठी जिससे भारत सरकार भी चेतनाशील हुई और कुछ कदम उठाए गए।

अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हमने करोड़ों रुपए यहां दिए,

*अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की अत: इस पत्र को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

वहां दिए लेकिन वे खर्च नहीं हुए। इसलिए हमारा पल्ला साफ है और राज्य सरकारें दोषी हैं। यह दृष्टिकोण सूखा समस्या को हल करने का नहीं है। यह एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण है। यह राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने का दृष्टिकोण है। यदि आपने खर्च करने के लिए पैसा दिया तो किसी भी पार्टी की राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो जानबूझ कर उसे खर्च न करे। वे पैसा मांगते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जो रुपया पड़ा रहता है वह राज्यों में किसी कारणवश खर्च नहीं होता है। मंत्री जी चले गए। एक-दो मंत्री जी यहां हैं वे मेरी बात नोट कर लें।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : मैं राज सजीवन जी का समर्थन करता हूं। एक मंत्री ने भाषण दिया और चले गए। दूसरे प्रतीक्षा में हैं और वह भी भाषण दे देंगे।

सभापति महोदय : वह आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री राम सजीवन : इसी तरह हम भी भाषण करके चले जाते हैं। यह बात छोड़िए।

जो रुपया राज्यों में खर्च नहीं होता है, मैं अनुभव के आधार पर एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप रुपया भेजते हैं तो मालूम नहीं आपको जानकारी होती है या नहीं, क्योंकि पूरी डिटेल्स आप पढ़ते नहीं है। आप निर्देशों में इतनी शर्तें लगा देते हैं कि राज्य सरकार के जोर लगाने के बाद भी अधिकारी उन्हें खर्च करने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि रुपया खर्च करेंगे तो गाइडलाइन्स का उल्लंघन होगा और हमारी नौकरी खतरे में पड़ेगी। इसलिए आप उन शर्तों का पुनः निरीक्षण करिए। एमपीज को बैठा कर पूछिए। यदि आपके बस में नहीं है तो हर क्षेत्र का एमपी इस संबंध में आपको राय या सलाह दे सकता है। मैं इस बारे में उदाहरण पेश कर सकता हूं। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड जिस में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग के 7-8 जिले और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग आते हैं जो सूखे से बहुत प्रभावित हैं। हर साल मुझे सदन में सूखे और पेयजल की समस्या को उठाना पड़ता हैं मेरी जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने सूखे की समस्या को हल करने के लिए एक मद में रुपया भेजा और कहा कि तालाबों की खुदाई की जाए। तालाबों की खुदाई होने लगी लेकिन शर्त यह लगायी गई कि वह लेबर ऑरियांटिड होना चाहिए। मैं लेबर ऑरियांटिड पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ऐसा करके आपने अफसरों और राज्य सरकारों को दुविधा में डाल दिया।

यदि वह रुपया तालाब की खुदाई के लिये दिया जाता है तो एक डलिया माटी उठाने में ही एक रुपया खर्च आ जायेगा। सरकार की दोहरी नीति अच्छी है कि वह लेबर औरिएंटेड हो, यानी तालाब में वर्षा आने पर जल भी भर जाये और मजदूर को मजदूरी भी मिल जाये। हम सब इस योजना को अच्छा कहेंगे लेकिन व्यवहार में क्या होता है। व्यवहार की बात यह है कि 10 बीघे जमीन में लेबर क्यों जायेगा। नतीजा यह होगा कि न तालाब खोदा जा सकेगा और न लेबर को पारिश्रमिक ही मिल पायेगा। आप दुविधा में पड़ जायेंगे। कहा जाता है -'दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम।' तालाब में पानी भी नहीं मिला और मजदूर को काम भी नहीं मिला। यदि तालाब को गहरा करना है, पानी इकट्ठा करना है तो लेबर औरिएंटेड छोड़िये, आप लेबर सड़क पर लगाइये। सड़क के अलावा अन्य कामों की भी जरूरत है। तालाब की खुदाई ट्रेक्टर और मशीनों से कराइये तब निश्चित रूप से हजारों तालाब खुद जायेंगे। उन तालाबों में पानी भरेगा जिससे सूखे की समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें अभी आपने दो मिनट में खत्म करने के लिये कहा था।

श्री राम सजीवन : सभापति जी, बुंदेलखंड क्षेत्र में नलकूप खुदाई के लिये उत्तर प्रदेश सरकार एक लाख रुपया सबसिडी के तौर पर किसानों को देती है। मैंने इस बात को यहां कई बार उठाया। सिंचाई मंत्री जी का जवाब आ जाता है कि हमारे कार्यक्रम में यह शामिल नहीं है। अगर केन्द्र के कार्यक्रम में शामिल होता तो मैं इस प्रश्न को यहां क्यों उठाता? आप नलकूप खोदने के लिये एक लाख रुपये की मदद सबसिडी के रूप में किसान को दें, जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास संसाधन कम हैं। अगर आप इस तरह की समस्या की तरफ ध्यान देंगे तो सूखे की समस्या को हल करने में काफी मदद मिलेगी।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, आपने सूखे के सवाल पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया? उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति जी, हर सत्र में सूखे और बाढ़ पर चर्चा होती रही है लेकिन उसका कोई निदान नहीं हो पाता। जब भी सूखा, बाढ़, भुखमरी या गरीबी का सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है कि इस में राजनीति नहीं करनी चाहिये, लेकिन यह देखा गया है कि जब भी कार्य स्थगन प्रस्ताव आता है, सम्पूर्ण रूप से यहां राजनीति होती रहती है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं लेकिन हम लोग आपस में इतना बड़ा पाखंड करते हैं और कहते रहते हैं कि सूखा या बाढ़ पर हो रही चर्चा में राजनीति नही करें लेकिन वह होती रहती है।

सभापति जी, मुझे बहुत दुख है और मैं व्यथित हूं कि जैसे अभी श्री राम सजीवन जी बोल रहे थे कि केन्द्र सरकार पैसा देती है लेकिन राज्य सरकार का उसमें क्या दोष है, अगर वह पैसा खर्च ही नहीं होता। इसका कारण यह है कि इसमें कई शर्तें लागू होती हैं।

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। 10 तारीख का हिन्दुस्तान अखबार है, इसके मुख्य पृष्ठ पर छपा है - संग्रामपुर के गांव में जानलेवा गरीबी और बीमारी। यह अखबार के मुख्य पृष्ठ पर है जो बिहार के भागलपुर का एडीशन है। जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां उमेश दूबे नाम का एक आदमी भूख से मर गया। एक डेढ़ वर्ष की बच्ची डेढ़ महीने पहले मर गई थी और उसके बाद उसकी मां भी मर गई। मैं 11 नवम्बर को खबर पढ़ने के बाद वहां पहुंचा और वहां के लोगों से पूछा। मुझे लोगों ने बताया कि उमेश दूबे ब्राह्मण थे और जो बच्ची और उसकी मां मरी, वह राजपूत घराने से थीं यह मेरा पहला मौका था जब किसी ब्राह्मण और राजपूत परिवार में भूख से मरने की खबर मैंने देखी और मैं वहां दौड़कर गया। मुझे आश्चर्य होता है कि गरीबी की रेखा से नीचे जो लाल कार्ड होता है, वह दोनों परिवारों के पास था। अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना या केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें जो अनाज या पैसा मिलता है, उसकी उन कोडों में कोई एन्ट्री नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कैसे उन लाल कार्ड धारियों तक अनाज पहुंचायेगी। लाल कार्ड धारियों को जो अनाज मुफ्त में उनकी जिंदगी बचाने के लिए मिलता है, जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, केन्द्र सरकार उन तक किस तरह अनाज पहुंचायेगी। इसके लिए कौन सी मशीनरी होनी चाहिए, कौन सी नीति होनी चाहिए, कौन सा नियम होना चाहिए। इस पर जरूर बहस होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन लोगों तक यह अनाज पहुंचाना है। क्योंकि इतने सारे लोगों के पास लाल कार्ड्स हैं।

सभापति महोदय, वह अनाज गोदामों में पड़ा हुआ है या जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के पास पड़ा हुआ है या बिक गया है या माफिया के पास चला गया है या कालाबाजार में चला गया है या प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण सारा अनाज बिक जाता है। वह अनाज उन लोगों तक केन्द्र सरकार कैसे पहुंचायेगी, इस पर विचार होना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्यों को बदनाम नहीं करना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार उन लोगों तक अनाज कैसे पहुंचायेगी। अनाज पहुंचाने का जरिया क्या हैं राज्य और केन्द्र के क्या संबंध हैं। उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए सारी बातें करें, लेकिन सम्पूर्ण रूप से हम यहां राजनीति करते हैं। सही मायने में गरीबी, भुखमरी, अन्याय और जो जुल्म है, उसके लिए जो दर्द और पीड़ा होनी चाहिए, राजनीति की वजह से हम लोगों में वह पीड़ा और दर्द नहीं है। हमें सिर्फ राजसत्ता और गद्दी चाहिए, इसलिए हम यहां सारे भाषण करते हैं।

सभापति महोदय, मैं दर्द और पीड़ा इसलिए कह रहा हूं चूंकि मैंने अपने क्षेत्र में स्वयं जाकर देखा हैं अब एक ही व्यक्ति उस परिवार में बचा है और वह भी विकलांग हैं मेरे जाने के बाद प्रशासन की ओर से उसे दस हजार रुपये दिये गये। मैंने वहां के डी०एम० से इस बारे में कहा। आजादी के 53 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में ऐसी स्थिति है, इस पर विचार होना चाहिए।

अभी ग्रामीण विकास मंत्री ठीक कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज का भंडार है। अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। हम तीस देशों को अनाज निर्यात करते हैं। लेकिन इस सबके बाद भी यहां भूख से मरने वाले लोग हमारे सामने हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, बिहार बाढ़ और सूखा दोनों से तबाह होता है और हर बार हम यहां बहस करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के 18 जिले हर वर्ष बाढ़ से तबाह होते हैं। हजारों करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर बरबाद हो जाता है और हर बार हम यहां बहस ही करते हैं।

कहा जाता है कि पंद्रह साल पहले योजना आयोग ने बिहार के बारे में, खासकर उत्तरी बिहार के बारे में आकलन किया था कि नेपाल से जो नदियां निकलती हैं, चाहे वह कोसी हो, गंडक हो या बागमती हो, उसके पानी से 40 हजार मैगावाट बिजली प्रतिवर्ष पैदा की जा सकती है। आज वही पानी पूरे उत्तरी बिहार के 18 जिलों को बरबाद कर देता है। 15 साल पहले योजना आयोग ने कहा था कि 1 मैगावाट बिजली पैदा करने में चार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। आज वह खर्च बहुत अधिक हो गया होगा। केन्द्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल के साथ वार्ता करनी चाहिए। एक ही काम से कई उद्देश्य हासिल किये जा सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण हो सकता है, उस पानी से सिंचाई भी हो सकती है, पनबिजली भी पैदा की जा सकती है और सारे किसानों के काम बन सकते हैं। बाढ़ और सूखे का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। आजादी के 53 सालों के बाद भी हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। योजना क्यों नहीं बन रही है? क्या पैसे की कमी है? मैं नहीं मानता कि पैसे की कमी है। इच्छाशक्ति की कमी है। हममें वह दर्द और पीड़ा नहीं है कि जहाँ हर साल हजारों लोग बाढ़ से तबाह होते हैं जिसमें कई मकान और स्कूल बरबाद हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और हम वही रोना संसद और विधान सभा में रोते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च नहीं होते, पैसे तो बहुत खर्च होते हैं। बहुत दर्द और पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूँ कि संपूर्ण रूप से राजनीति यहां भी की जा रही है जबकि जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हमारे सवाल पर लड़ो और लड़कर समस्या का निदान करो, लेकिन हर बार दिमाग में यही रहता है कि सत्ता हासिल करनी है फिर आना है और राज करना है। पैसे की कमी नहीं है। हमारे पास उदाहरण हैं। मेरे क्षेत्र के उदाहरण पीने के पानी का मैं सवाल उठाऊंगा।

सभापति महोदय : आपके दल से एक और सदस्य बोलने वाले हैं। कृपया संक्षेप में बात करें और समाप्त करें नहीं तो उनके लिए समय नहीं बचेगा।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : सभापति जी, अभी तो मैंने शुरू ही किया था।

सभापति महोदय : अभी सदन में 25 सदस्य और बोलने वाले हैं। मैंने आपको सूचित किया है कि आपके दल से एक और सदस्य बोलने वाले हैं, कृपया उनका भी ध्यान रखें और संक्षेप में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : सभापति महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करने वाला हूँ। मैं जयादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हमें सभी राजनीतिक दलों को चाहे विपक्ष में हों या सत्तापक्ष में हों, गंभीरता से हमें एक साथ बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। बातचीत करके देश के जितने भी राज्य हैं, उनकी जो मूल समस्याएं हैं, खासकर सूखे और बाढ़ से संबंधित, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा उसी पर खर्च होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यह रोना हमें बराबर नहीं रोना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा गया है वह राजनीति से प्रेरित है तथा मैं इसका विरोध करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।

अपराह्न 5.00 बजे

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : सभापति महोदय मैं सरकार की ओर से कुछ जानकारी सदन में रखना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों का काम आसान हो जाएगा। सारे देश में बड़ा व्यापक सूखा पड़ा हुआ है और यह बड़ी खुशी की बात है कि देश के सूखे की स्थिति पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं बल्कि थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहता हूं और सूखे तथा बाढ़ के इलाकों तक यह मदद कैसे पहुंचाई जाए और इसके क्या रास्ते हैं, उस बारे में मैं आपके माध्यम से सदन में बायान करना चाहता हूं। इस संबंध में सरकार की ओर से कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को बहस में और सुविधा हो सके।

महोदय, पिछले साल 2001-2002 में 400 लाख मीट्रिक टन का आबंटन था पिछले साल राजस्थान तथा देश के अन्य अनेक भागों में सूखा था। टारगेटेड पी०डी०एस० में पिछले साल 300 लाख मीट्रिक टन का आबंटन था। इस साल टारगेटेड पी०डी०एस० में 445 लाख टन का आबंटन है और अभी तक सात महीनों में केवल 100 लाख मीट्रिक टन उठ पाया हैं पूरे देश में अदर वैलफेयर स्कीम के तहत, एस०जी०आर०वाई० का 35 लाख मी० टन का आबंटन था ओर मिड डे मील आदि का 28 लाख मीट्रिक टन था। अदर वैलफेयर स्कीम में 6.00 लाख मीट्रिक टन था। पिछले साल काम के बदले अनाज स्कीम में 32 लाख मीट्रिक टन आबंटन हुआ और 29 लाख मीट्रिक टन उठा। इस साल एस०जी०आर०वाई० योजना में 54 लाख मीट्रिक टन का एलोकेशन हुआ है और 40 लाख मीट्रिक टन उठा है। मिड डे मील में 27 लाख मीट्रिक टन, अदर वैलफेयर स्कीम में 15 लाख टनं कुल मिलाकर इन स्कीमों में 96 लाख मीट्रिक टन एलाट हुआ और उठा पाया 53 लाख टन। एस०जी०आर०वाई० जिसके तहत भारत सरकार की ओर से टोटल फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उसमें वर्त्तमान सूखे में आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ के लिए 0.50 लाख, हरियाणा के लिए 0.25 लाख, हिमाचल प्रदेश के लिए 0.10 लाख, झारखंड के लिए 0.40 लाख, कर्नाटक के लिए 2.00 लाख, उड़ीसा के लिए 2.00 लाख, तामिलनाडु के लिए 0.5 लाख टन, उत्तर प्रदेश के लिए 2 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश के लिए 1 लाख टन, उत्तरांचल के लिए 0.5 लाख टन तथा राजस्थान के लिए 7 लाख टन दिया गया।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन और विनती यह है कि यह जो सारी बहस है, वह इस सूखे से कैसे निपटा जाए, इस बारे में हो रही हैं। मेरा जो पिछले छः-सात महीने का अनुभव है, खास कर के जो सूखे इलाके हैं, जहां विशेष और भयंकर सूखा पड़ता है, वे ऐसे इलाके हैं जहां एप्रोच बहुत कठिन है, वे बहुत दूर हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का, आने-जाने का बहुत व्यय होता है। वे अधिकांश ट्राइबल इलाके हैं। जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान से खबरें आती हैं, मैं उन खबरों के विवाद में नहीं जाना चाहता हूं।

मैंने जो आंकड़े दिये हैं, वे सारे सूबों के दिये हैं। उन सूबों में सबकी सरकारें हैं। यदि आप देखेंगे तो मोटे तौर पर साउथ में गरीबों की पहचान का जो काम है, वह ज्यादा अच्छा हुआ है। नार्थ भारत में गरीबों की पहचान का काम उतना बढ़िया नहीं है। जब तक गरीबों की पहचान नहीं होगी तब तक इन योजनाओं को चलाने का काम कैसे चल सकता है? ये योजनाएं तभी चल सकती हैं जब गरीबों की पहचान का रास्ता हम ठीक बनाएं। हमने जिस रास्ते को पकड़ा है या चिन्हित करने का काम किया है, उसमें साउथ ने बहुत अच्छा काम किया है।

मैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में इस हाउस को बताना चाहता हूं कि इस योजना में नार्थ भारत में 72 से लेकर 89 परसेंट तक

[श्री शरद यादव]

की परफोर्मेंस है जबकि साउथ में 90 परसेंट से ऊपर हैं यह अंत्योदय अन्न जो अति निर्धन लोगों की योजना है, वह देश में बहुत सफल हुई है। उसमें गरीबों को पहचानने का काम आंकड़ों से ठीक लगता है लेकिन जमीन पर जाने से उतना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो जांच कराई है या जो आदमी वहां गये हैं, उनकी जो जानकारी आई है, उस जानकारी में एक ही बात निकली चाहे वह उड़ीसा के इलाके हों जहां से भूख की खबरें आती हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके हों या राजस्थान के इलाके हों, उन इलाकों से जो खबरें आई हैं, वहां जो दिक्कत है, वह यह है कि आपने गरीबों की पहचान नहीं की। फिर गरीबों की पहचान करने का जो तंत्र निकाला है, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सोनिया जी जो कि विरोधी दल की नेता हैं, उन्होंने इस बहस को बहुत संजीदगी से यहां रखा। मैं उस बहस का उत्तर भी उसी तरह से देना चाहता हूं कि उसमें रचनात्मक तरीके से रास्ते को निकालने का काम हो लेकिन प्रश्न यह है कि गरीबों की पहचान कैसे होगी?

यदि गरीबों की पहचान हो जायेगी तो आपका जो जे०आर०वाई० स्कीम है, फूड फॉर वर्क स्कीम है, मिड डे मील की स्कीम है या जितनी भी बड़ी स्कीमें हैं, में आपसे कहूंगा कि निश्चित तौर पर देश का 40 करोड़ रुपया अकेले फूड वेल्फेयर स्कीम में जा रहा हैं इसे हमारी सरकार ने बढ़ाया जरूर है लेकिन यह सरकारों के निरंतर प्रयास के जरिये यहां तक आया है। एक बड़ा एलोकेशन हैं देश में पर्याप्त अन्न का भंडार है, यह बात ठीक है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहती हैं हम सब लोग यहां बहस कर रहे हैं लेकिन आज की बहस के नतीजे से कुछ निकलना चाहिए। नतीजे में एक ही बात आती है कि यदि गरीबों की पहचान कर लेते, मैंने आपको पहले भी कहा कि साउथ में यह ठीक है। वहां एलोकेशन के बनिस्बत उठान का मामला ठीक है। उत्तर भारत के सूबों को मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यहां संस्कृति पर, यहां काम का कल्चर बिगड़ा हुआ है।...*(व्यवधान*

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब गरीबों के लिए भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि एक करोड़ गरीबों को लाल कार्ड या पीला कार्ड दिया जायेगा तब आप गरीबों की पहचान कैसे कर लेंगे? आपने गरीबों की संख्या को सीमित कर दिया। आपके जो बढ़े हुए भंडार हैं, वे कहां बंटे?

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

अपराह्न 5.09 बजे

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात शुरू में कही कि जो गरीबों की पहचान के तरीके हैं, उनको सरल होना चाहिए। मैंने प्रधान मंत्री जी से भी बात की है और कहा है कि पूरे देश के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर बात की जाये और पूछा जाये कि इसको सरल कैसे किया जाये। आज सब पार्टियों की सरकारें हैं। हम सदन में एक दूसरे के बारे में कुछ बातें कह सकते हैं लेकिन हकीकत यह है कि हमने 40 करोड़ रुपये फूडग्रेन वेल्फेयर स्कीम में रखे हैं। रूरल डिपार्टमैंट के बारे में अभी शांता कुमार जी कह रहे थे कि पैसा एलोकेट होता है लेकिन वह खर्च नहीं हो रहा। हो सकता है कि सरकार का प्रबन्धन ठीक न हो। मेरा मानना है कि इनके नियम भी वैसे उलझे हों जिनके चलते वह जमीन तक नहीं जा रहे हों। निश्चित तौर पर करप्शन या भ्रष्टाचार एक अलग बहस का इश्यू है लेकिन सवाल यह है कि हम गरीबों को पहचान लें। पहचान करने के बाद जो री-साइकिल है जिसके बारे में लोगों ने यहां कहा कि अनाज जा रहा है, मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि हिन्दुस्तान में रूरल डेवलपमैंट में जितना पैसा जा रहा है, यदि वह जमीन पर लगाया होता तो हिन्दुस्तान के गांव सोने और चांदी के बन गये होते लेकिन वह नहीं लगा।

जो हो गया सो हो गया, अब आगे कुछ करना चाहिए। हिन्दुस्तान में अकाल का इतना बड़ा संकट है, सूखे का संकट है, कई इलाकों में पानी का संकट हैं हमारे पास अनाज है, सब चीज है, साधन हैं, पैसा है, हम उसे जमीन पर कैसे लेकर आएं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, हमारी टीम उड़ीसा गई थी। उसकी रिपोर्ट में सबसे बड़ी खामी मिली है कि वहां पी०डी०एस० सिस्टम ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की टीम की रिपोर्ट नहीं आई है। राजस्थान में जो टीम गई थी, उसमें एक ही बात पता लगी कि पी०डी०एस० सिस्टम ठीक नहीं है। उस जिले में सबसे ज्यादा सूखा हैं पहले वहां सूखा नहीं पड़ता था, इस बार पड़ा है। सूखा पड़ा लेकिन आश्चर्य यह है कि हमने 30 प्रतिशत अनाज दिया, दुकानें पूरे तौर पर नहीं खुली हैं, सीधी बात है कि इंतजाम को चुस्त-दुरूस्त करने की जरूरत हैं मैं आपके माध्यम से सदन को इतना ही बताना चाहता हूं, इसके सरलीकरण का एक रास्ता यह है कि लैंडलैस लेबर तो गरीब है, रास्ता निकाल लिया जाए, हम लोग बैठकर बात करें, अकेले हमारी सरकार नहीं कर सकती। मैंने प्रधान मंत्री जी से बात की हैं पूरे सूबे के चीफ मिनिस्टर आएं, इसपर एक-दो दिन की बैठक करें। सूखे से बड़ी चुनौती कोई नहीं है। अगर हम इस चुनौती से निपट लेते हैं तो बड़ा काम होगा। हिन्दुस्तान में सूखा और बाढ़ हमेशा की बीमारी है। इस बीमारी से निपटने के लिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : एक दिक्कत आ गई। जब गांव में बी०पी०एल० की लिस्ट तय होती है, मैं एक महीने पहले गया था। वहां पंचायत सिस्टम में गरीबों की पहचान के लिए परेशानी नहीं है, परेशानी यह है कि जितने गरीबों की हम पहचान करेंगे, उतने साधन न होने के कारण इनडायरैक्टली एक अंकुश आ गया है कि इससे ज्यादा लिस्ट नहीं बनाएं। हम लोग इससे कैसे बचेंगे।

श्री शरद यादव : मैंने शुरू में निवदेन किया, इसमें जो पिछड़ा तंत्र है, उसमें जो खामियां हैं, उन पर भी बहस हो जाए लेकिन जितना दिया जा रहा है, वह तो लोगों को मिल जाए। बी०पी०एल० के नीचे लोग बढ़ रहे हैं। जो अन्त्योदय की योजना है, उनकी पहचान हो सकती है, वह पहचान भी नहीं हुई। निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि उन नियमों का सरलीकरण होना चाहिए, उसका रास्ता भी निकले।. ..*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : जो लोग बिलो पावर्टी लाइन में हैं, उनको ही वह कार्ड मिलना चाहिए। जो लोग बिलो पावर्टी लाइन में नहीं हैं, उनको भी कार्ड दिया जा रहा है।

श्री शरद यादव : मैं इनकी बात नहीं समझ पाया।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : उनको खुद समझ में नहीं आता कि वे क्या कहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने कहा कि जो लोग बी०पी०एल० नहीं हैं उनको भी कभी-कभी कार्ड मिल जाता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप बैठ जाइए।

श्री शरद यादव : देश के पास पर्याप्त अनाज है। सदन यह चुनौती ले ले कि देश में भूख से किसी तरह की मौत नहीं होगी। भारत सरकार इस पर सब तरह का सहयोग करने को तैयार है, सब तरह की ताकत लगाने को तैयार हैं कोई आदमी भूख से न मरे, इस सदन में यह संकल्प इस बहस के बाद होना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से जो काम होगा, वह करने को तैयार हैं इसमें क्या दिक्कत है, मिल बैठकर बात की जा सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर०एल० जालप्पा (चिकबल्लपुर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री पांडियन को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि भूख की वहज से कोई मौत नहीं हुई। परन्तु मैं वास्तव में अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ क्योंकि विगत माह में अतिवृष्टि की वजह से अनेक लोगों की मौतें हुई।

इस प्रकार, अब सूखे से कोई परेशानी नहीं है।

जहां तक मेरे राज्य कर्नाटक का सवाल है, दुर्भाग्यवश, हम पिछले दो वर्षों से सूखे का सामना कर रहे हैं। पिछले साठ-सत्तर वर्षों में पहली बार ऐसा सूखा पड़ा है। ऐसा सूखा वहां पहले कभी नहीं पड़ा था।

लगभग सभी फसलें नष्ट हो चुकी हैं तथा किसी भी जलाशय में एक बूंद पानी भी नही हैं पशु चारा के अभाव में परेशान हैं। लोग कष्ट झेल रहे हैं। उनके पास करने के लिए यथोचित कार्य नहीं है। हमें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी नहीं मिल रहा हैं दिन-ब-दिन इसमें कमी आ रही हैं यदि हम 600 फीट से भी गहरे जाते हैं तो हमें फ्लूराइड जल प्राप्त होता हैं। कई जिलों में, हम पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इस स्थिति को महसूस करते हुए हमारी सरकार ने सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए किसानों को 127 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया है।

सभी विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के भी नेता एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधान मंत्री से दो बार क्रमशः जुलाई और अगस्त महीने में मिले तथा उनहें एक ज्ञापन सौंपा। किन्तु दुर्भाग्यवश, इस संबंध में कोई गम्भीर कदम नहीं उठाया गया है। हमारे राज्य की समस्याओं को कम करने के लिए कोई गम्भीर कार्रवाई नहीं की गयी है। उनहोंने दो लाख टन चावल देने की पेशकश की हैं इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। श्री शरद यादव बता रहे थे कि हमें 2 लाख टन चावल दिया गया हैं उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि आबंटित चावल में से हमें अभी भी 50,000 टन प्राप्त करना है तथा मैं उन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि हमें जो कुछ दिया गया है उसमें गेहूं कहीं अधिक था और चावल कम। यहाँ तक कि हमें दिए गए गेहूं और चावल बंगलोर रेलवे स्टेशन पर जमा पड़े हैं। उनहें जिला स्तर पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक नहीं ले जाया गया है। हमारे लिए यह भी एक समस्या है। हमने सरकार से और अधिक चावल देने की अपील की है। हमने 13 लाख टन चावल के लिए अनुरोध किया था पर हमें मात्र दो लाख टन चावल मिला। उन्हें हालात की गम्भीरंता का पता नहीं हैं यदि उनका कोई प्रतिनिधि कर्नाटक आए तो उसे वास्तविक समस्या का ज्ञान हो। उन्हें यह पता चलेगा कि एक कार्य के लिए कितने लोग लगे हुए हैं।

उदाहरण के लिए जलाशयों से गाद निकालने का कार्य लें। आप देखेंगे कि एक जलाशय के तलहट खनन के कार्य में पांच या छः

[श्री आर०एल० जालप्पा]

सौ लोग लगे हुए है। हमारे राज्य में यह समस्या है। यह एक गम्भीर समस्या है।

महोदय, हमने पहली बार में 525 करोड़ रुपये के लिए ज्ञापन दिया था। तत्पश्चात् एक समिति का यहां दौरा हुआ। वे जिलों में गए। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में सूखे की स्थिति है। उन्होंने भारत सरकार के पास कुछ सिफारिशें सौंपी। दूसरे ज्ञापन में हमने 1525 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया था। महोदय, 1525 करोड़ रुपये तो दूर, हमें 1525 रुपये भी नहीं मिले। उनहोंने जो कुद भी हमें दिया है वह योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही दिया है। उन्हें इस धनराशि को देना चाहिए था। यह धनराशि हमें अन्यथा भी मिल सकती थी। इस पैसे से तो हम एक नया नलकूप (बोरवेल) भी नहीं खुदवा सकते हैं। यह दूसरी समस्या हैं हम नलकूपों (बोरवेल्स) को सिर्फ गहरा कर सकते हैं।

महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि भारत सरकार क्यों कुछ राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और कुछ राज्यों की सहायता कर रही हे। संभवत: उन राज्यों को भारत सरकार द्वारा बेहतर सुविधाएं दी जा रही है जो उनके गलत कार्यों और कुशासन का समर्थन कर रहे हैं तथा उन राज्यों को, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि वे उनका तत्संबंधी समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम कष्ट झेल रहे हैं। हम भी इस देश के संघीय ढांचे के हिस्से हैं। हम भी मनुष्य हैं। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मानवीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि इससे भारत का सिर्फ संघीय ढांचा ही नहीं प्रभावित होगा बल्कि इससे देश के दैनंदिन प्रशासन में अनावश्यक अड़चने पैदा होंगी। इसलिए, उन्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक राज्य की समस्या को समझा जाना चाहिए और उनकी तत्काल मदद की जानी चाहिए। उनहें राज्य विशेष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे देश के संघीय ढांचे को आघात पहुंचेगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर ध्यान दें।

पिछले दिनों हमने अखबारों में पढ़ा कि उप प्रधान मंत्री श्री आडवाणी के नेतृत्व में टास्क फोर्स समिति की की बैठक हुई है तथा सूखा राहत के लिए 2000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि कर्नाटक को इसमें से कितनी धनराशि मिल रही है। हम समझ नहीं सकते।

आज स्थिति यह है कि बागवानी की फसलें नष्ट हो रही हैं। नारियल के बाद अब सुपारी की फसल भी नष्ट हो रही हैं यदि 6 महीने तक सुपारी की फसल को पानी नहीं मिला तो यह नष्ट हो जाएगी और अगली फसल तैयार होने में आठ वर्ष लगेंगे।

मैं माननीय प्रधानमंत्री, उप प्रधान मंत्री और माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे मानवीय भावना रखें तथा राज्यों के बीच भेदभाव न बरतें। इससे आपका कोई भला नहीं होगा। सत्ता कुछ समय तक आपके पास हो सकती है, परन्तु अगली बार हो सकता है आप सत्ता में न हों। यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है। हो सकता है हम वहां हों और आप यहां। इसी वजह जी से हम इस मुद्दे को राजनीतिकरण करना नहीं चाहते। कृपया भगवान के लिए इसके बारे में भूल जाइए और विवेकशील बनिए तथा उन सभी राज्यों की सहायता कीजिए जो इस सूखे से जूझ रहे हैं।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्मलपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश में सूखे की गम्भीर स्थिति पर हुई पूरे दिन की चर्चा के उपरांत अंत में मुझे और कुछ नहीं कहना हैं परन्तु मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है, यह विशाल देश लगभग हर वर्ष अनेक प्राकृतिक आपदाओं की वहज से परेशानियों का शिकार हो रहा है तथा लगभग प्रत्येक वर्ष देश का कोई न कोई भाग सूखे की चपेट में रहता है। विशेष रूप मे इस वर्ष सूखे की स्थिति अभूतपूर्व रही हे क्योंकि देश का बहुत बड़ा भाग भीषण सूखे की चपेट में रहा है।

मैं सूखे की स्थिति पर चर्चा के दौरान किसी विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको पता है कि विशेष कर हम राजनीतिज्ञों का यह सतत रवैया रहा है कि हम प्रत्येक पाँच वर्ष पर, अपना रूख बदल लेते हैं। हम अपने पक्ष परिवर्त्तन के साथ ही, चाहे वह सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष, अपना रूख भी बदल लेते हैं। जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो भूख से होनेवाली मौतों को मानने से इनकार कर देते हैं और जब हम विपक्ष में आ जाता हैं तब हम पुरजोर आरोप लगाते है कि देश में भूख की वजह से असंख्य मौते हुई हैं यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस देश में भुखमरी झेल रही जनता की शवों पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कम से कम इस सम्मानीय सभा में इस प्रकार की राजनीति करना नहीं चाहता।

महोदय, मै। अपने विपन्न राज्य उड़ीसा का उल्लेख करना चाहूंगा जो विगत चार वर्षों से अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। वर्ष 1999 के दौरान इस एक अभूतपूर्व महाचक्रवात का सामना करना पड़ा; करीब 50,000 लोग मारे गए। यह विपन्न राज्य उस अभूतपूर्व प्राकृतिक विपदा से अभी भी नहीं उबर पाया है। दूसरे वर्ष 2000 में, राज्य के लगभग सभी हिस्से में सूखे की स्थिति रही। पिछले वर्ष,

पुन: अभूतपूर्व बाढ़ आयी। इस वर्ष भी, देश के अन्य हिस्सों की तरह उड़ीसा भी भीषण सूखे की चपेट में है।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार पर यह आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि उन्होंने मेरे राज्य की सहायता नहीं की। मैं थोड़ी देर पहले दिए गए माननीय खाद्य मंत्री के वक्तव्य की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। परन्तु उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह सच्चाई का केवल अंश मात्र हैं। मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि देश में समूची सार्वजनिक वितरण प्रणली में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। यही मुख्य कारण है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज भरे होने के बावजूद भी लाखों देशवासी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर खामी कहां हैं। मैं समझता हूँ कि अब वह समय आ गया है जब सरकार और विपक्ष को वास्तविकता का पता लगाने हेतु इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा की गई मांग से सहमत हुए बगैर नहीं रह सकता। प्रधान मंत्री महोदय ने इस वर्ष ऋण और ब्याज नहीं वसूले जाने की घोषणा की हैं परन्तु अगले वर्ष, विभिन्न राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार गरीब जनता से इस अत्यधिक ऋणभार और ब्याज को वसूलेगी। इसमे विभिन्न राज्यों की सूखा प्रभावित जनता को लाभ नहीं होनेवाला हैं इसलिए, यह उचित मांग है। भारत सरकार का यदि ऋण की राशि (मूलधन) माफ करने का इरादा न भी हो तो भी उसे कम से कम देश के लाखों किसानों के ऋण पर ब्याज माफ कर देना चाहिए।

महोदय, मैं दूसरे मुद्दे का जिक्र करना चाहता हूँ। विशेषकर इस वर्ष, मेरे राज्य में अनेक किसानों ने फसल बीमा करवायी हैं सहकारी समितियों और बैंकों से ऋण ले चुके किसानों ने अपनी फसलों की बीमा करवाई है तथा साथ ही साथ ऐसे किसानों ने भी अपनी फसलों की बीमा करवायी हैं जिन्होंने इन संस्थाओं से कोई ऋण नहीं लिया हैं इस बीमा राशि का भुगतान केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा मिलकर किया जाना हैं परन्तु स्थिति यह है कि अधिकांश राज्य सरकारें वित्तीय संकट की वजह से अपने हिस्से की 50% धनराशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए साधारण बीमा निगम किसानों को बीमा की राशि का भुगतान करने में अनुचित विलम्ब कर रहा हैं भारत सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अधिकांश राज्य सरकारों की दयनीय वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार का यह मुख्य दायित्व बन जाता है कि वह इस पहलू पर गौर करे ताकि साधारण बीमा निगम बीमित फसलों के लिए किसानों को बीमा राशि का उचित समय पर भुगतान कर सके।

महोदय, जैसाकि आप जानते है, न तो बीमा कम्पनी और न ही राज्य सरकारें या केन्द्र सरकार बीमा राशि के विलम्ब मे भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान कर रही हैं। अत:, यह महत्वपूर्ण कारक है।

महोदय, एक अन्य बात, जैसा कि मैंने कहा है, जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमारे कई मिलियन किसानों ने अपने फसलों का बीमा कराया है और इस बार अधिकांश किसानों की फसल नष्ट हो रही है और वे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मे बीमा राशि के समय पर भुगतान की अपेक्षा कर रहे हैं। परन्तु, महोदय, कई राज्यो में विशेषकर मेरे राज्य में बीमा के उद्देश्य से एक ब्लाक एक यूनिट हैं। कई ग्राम पंचायतों में, जहां सूखे के कारण फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं; वे इस बीमा राशि से वंचित हैं।

जब हमने उड़ीसा की राज्य सरकार से सम्पर्क किया तो यह कहा गया कि यह उनकी डयूटी नहीं थी; यह उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है और यह केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। जब हमने केन्द्र सरकार मे सम्पर्क किया तो उन्होंने राज्य सरकार का हवाला देकर टाल दिया। अत: मै यह नहीं समझ सका कि यह निर्धारित करना किसका दायित्व है कि क्या पंचायत एक इकाई हो अथवा ब्लाक एक इकाई हो।

जहां तक मेरे राज्य का संबंध है, मैं विशेषकर उड़ीसा के पश्चिमी भाग के पिछड़े क्षेत्र का हूं। मैं बोलनगीर जिले का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके बारे में लोग स्टार टीवी, जी टीवी और अन्य विभिन्न चेनलों के माध्यम से जानते ही होंगे। प्रतिदिन हजारों की संख्या में किसान, जिनके पास तीन अथवा चार अथवा पांच एकड़ खेती योग्य भूमि है, अपने गांवों को छोड़कर जा रहे हैं। वे गांव में अपने वृद्ध पिता, माता और अशक्त व्यक्तियों को छोड़कर अपनी आजीविका के लिए केवल अपने परिवारों और बच्चों के साथ अन्य राज्यों के अन्य शहरों में पलायन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रसन्न आचार्य, क्या आप अपनी बात पूरी करेंगे?

श्री प्रसन्न आचार्य : अभी अभी मैं एक बात का उल्लेख कर रहा था और जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। आप मुझे अधिक समय नहीं दे सकते हैं। मैं इन महत्वपूर्ण मामले के बारे में कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि जब मैं यहां इस मामले का उल्लेख करूंगा तो कई लोग यह कहेंगे कि यह परस्पर विरोधी हैं। जब देश में भीषण सूखे की स्थिति बनी हुई है, एक और गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है कि किसानों को विवश होकर कम दामों पर बिक्री करनी पड़ रही हैं यह परस्पर विरोधी स्थिति है जब देश भीषण सूखे की स्थिति से जूझ रहा हो तो प्रत्येक खाद्यान्न की बिक्री बाजार में की जानी

[श्री प्रसन्न आचार्य]

चाहिए। वहां खरीददार होंगे। यह दुर्भाग्यवश और आश्चर्यजनक है कि मेरे अपने राजय के कुछ सिंचाई वाले क्षेत्रों में यह नहीं किया जा रहा है। मेरे अपने राज्य में मैं यह जानता हूं कि हीराकुंड बांध प्रणाली जो कि प्रमुख सिंचाई परियोजना है, के अंतर्गत कुछ सिंचित क्षेत्र हैं। मैं विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जोकि मेरा पड़ोसी राज्य है, के कुछ क्षेत्रों के बारे में भी जानता हूं। मैं मध्य प्रदेश के कुछ सिचिंत क्षेत्रों, जहां सूखे की गम्भीर स्थिति है; के बारे में भी जानता हूं। यहां तक कि सिंचित क्षेत्रों में भी खाद्यान्नों के एक अन्न की भी बिक्री नहीं की जा रही है। किसानों को बाध्य होकर अपने धान और गेहूं की कम दामों पर बिक्री करनी पड़ रही है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना सुनिश्चित नहीं किया जाता हैं यह तो बहुत विचित्र स्थिति है।

जैसाकि माननीय खाद्य मंत्री ने कहा है, उड़ीसा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा गई हैं परन्तु, राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत उठाए गए अधिकांश अनाज को पुन: भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पहुंचा दिया जा रहा हैं। इस प्रक्रिया में निर्धन किसानों के साथ धोखा किया जा रहा हैं धोखेबाज व्यापारी और मिल एजेंट भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने सांठ-गांठ से अथवा के साथ मिलकर एक चक्रव्यूह रचा हैं उन्होंने एक गिरोह तैयार किया है और वे किसानों को लूट रहे हैं। सिंचित क्षेत्रों में किसान अपने धान और गेहूं को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूलय पर बेच नहीं पा रहे हैं। एक ओर तो भयंकर सूखे की स्थिति है। लोगों में भुखमरी है। लोग मर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर थोड़ा खाद्यान्न है जिसे किसान बेच नहीं पा रहे हैं। यह देश के समक्ष अजीब स्थिति है। अत: मैं केन्द्र सरकार से इन सभी कारकों पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

मैं एक मिनट का समय और लूंगा। जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है, प्रतिवर्ष और प्रत्येक सत्र में हम बाढ़ और सूखे की स्थिति जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर एक सप्ताह भर अथवा दिनभर चर्चा करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या दीर्घावधि नीति अपनायी गई हैं सूखे की स्थिति इस वर्ष के लिए कोई नई बात नहीं है। हमें प्रतिवर्ष सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा हैं अत:, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा क्या दीर्घावधि नीति अपनायी गई है? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री महबूब जाहेदी (कटवा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारी समझ में नहीं आता कि छ: महीने पहले वाली चीजों पर आज चर्चा हो रही है।

उड़ीसा के कालाहांडी और शिवपुरी के लोग भूख से मर रहे हैं। हमको ताज्जुब और दु:ख होता है कि हमारे उप प्रधान मंत्री जी टास्क-फोर्स कर्मटी के अध्यक्ष हैं जो अगस्त के महीने में बनी लेकिन आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं। इसमें 213 डिस्ट्रिक्ट और 14 जिले सूखाग्रस्त बताए गये हैं। इसमें बताया गया है कि 523 डिस्ट्रिक्ट्स में से 328 में पानी की कमी थी। अगर रिजर्वायर का हाल देखा जाए तो 70 में से 18 रिजर्वायर में पूरा पानी था बाकी में पानी का लेवल नीचे था। पूरा पानी यानी 130 बिलियन क्यूबिक वाटर 18 में था बाकी में कम था।

आज बहुत दिनों के बाद यह चर्चा हो रही है इसमें दिया हुआ है कि 7 लाख हैक्टैयर कपास, 28 लाख हैक्टेयर दाल, 2700 हैक्टेयर तेल, मोटा अनाज 44 लाख, चावल 41 लाख, यह हिसाब है। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि 6 महीने बीत गये हैं इनका क्या हुआ, आप आउट-ले बताएं। यह कहना कि सेंट्रल स्कीम को दे दो और काम करो। सेंट्रल-स्पोन्सर्ड स्कीम तो केवल सूखे वाले इलाके में ही नहीं है। क्या उस समय सूखे के लिए इसमें कुछ राहत होती है तो मेरा कहना है कि नहीं होती हैं टास्क फोर्स ने कर्जे के बारे में कहा कि कोरोसिव मेजर्स मत लो, उसको ढीला रखो।

अभी प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी बोल रहे थे। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सूद माफ करो। उसका मतलब तो यह है कि गरीब किसानों को रुपया देना ही पड़ेगा। जो किसान सूद लिए हैं, कर्जा लिए हैं वह तो देना ही पड़ेगा। जो खेतीहर मजदूर हैं और जो सूखे से पीड़ित हैं उनका क्या होगा।

एनसीसीपी की मांग 17 हजार 461 करोड़ रुपया की थी और चावल की मांग 109 लाख मीट्रिक टन और 40 या 50 करोड़ रुपये की थी, लेकिन सरकार ने कितना दिया है, वह बताएं।

एग्रीकल्चर स्टैडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं। हम कमेटी के साथ सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए थे। हम वहां यह देख कर हैरान हुए कि सूखे से नारियल के पेड़ मर गए। हमने उनके गांव के बगल में इसका प्रभाव देखा। वहां सूखे से नारियल के हजारों पेड़ मर गए। मैं यह नहीं जानता था कि केले के पेड़ भी सूखे से मर जाते हैं। आज यह हालत हैं। आज हम सूखे पर बहस कर रहे

हैं। सूखा पड़ने के छः महीने बाद हम इस विषय में बहस कर रहे हैं जबकि सूखे की मार पहले से शुरू हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए एक कमेटी भी बनायी गई। यहां मंत्री जी बैठे हैं। कनसल्टेटिव कमेटी में हमने सूखे की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाया था। मीटिऑरोजिक्ल सिाब से खबर दे दी गई थी कि सूखे का प्रभाव कितना है? उसके हिसाब से 14 राज्यों में इसका प्रभाव पड़ा लेकिन छः महीने में इनकी संख्या बढ़ गई। अभी मंत्री जी ने कहा कि 13 राज्यों में सूखा पड़ा। सरकारी आंकड़ों में गड़बड़ दिखायी देती है। मेरी जानकारी के अनुसार 16 राज्यों में अभी भी सूखा है क्योंकि बहुत से राज्य अब और इससे प्रभावित हो गए हैं। कहा गया कि दो हजार करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। इससे पहले बहुत से पैकेजों की घोषणा हुई - जैसे बंगाल का पैकेज, यह पैकेज और वह पैकेज। प्रधान मंत्री ने सदन में कहा था कि 2010 में खाद्यान्नों का उत्पादन डबल हो जाएगा। अगर यही हालत रही और 16 राज्यों में सूखा पड़ गया तो खाद्यान्नों का उत्पादन कैसे डबल होगा?

आज बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि रबी और खरीफ की फसल खराब हो गई। ऐसी हालत में 2010 में उत्पादन दुगना कैसे होगा? यह और नीचे जाएगा। आपने पॉलिसी बहुत अच्छी बनायी है लेकिन उसमें चारी चीजें होनी चाहिए।

पानी के बारे में मेरे बहत से साथी बोले और कहा कि इस नदी को उस नदी से जोड़ा जाए। मैंने पहले भी कहा कि बिहार बहुत अच्छी जगह है। वहां एक तरफ सूखा पड़ता है और दूसरी तरफ बाढ़ आती हैं यदि बाढ़ प्रभावित इलाकों के पानी को सूखा क्षेत्रों में ले जाएंगे तो दोनों समस्याओं से निपटा जा सकता है लेकिन इसके लिए प्रोजैक्ट और पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपने एग्रीकल्चर पॉलिसी बनायी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जहेदी जी, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री महबूब जाहेदी : मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा। मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि लोन एग्जंप्शन टोटली होना चाहिये। अगर लोन पैंडिंग रहेगा तो सूद उस पर बढ़ता रहेगा। इससे किसान मरता जायेगा यदि साल साल भर उसे और सूद देना होगा। इसको आप ठीक कीजिये। फूड सप्लाई के लिये पी०डी०एस० को ठीक कीजिये। मंत्री जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा है लेकिन असम में बात और हैं मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके आंकड़ों और पेपर्स पर मत जाइये, जमीन पर आइये। बी०पी०एल० को फ्री फूड देना होगा और ए०पी०एल० को सब्सिडाइज्ड देना होगा।

अध्यक्ष जी, यहां पर पानी के बारे में कहा गया। मेरा कहना है कि पुराने प्रोजैक्ट्स पर ध्यान दें। जहां तक चारे का सवाल है, मैं खुद देखकर आया हूं। मैं राजस्थान राज्य में भी गया हूं। वहां हालत बहुत खराब हैं आपके जितने कृषि फार्म्स हैं, वहां चारे का बंदोबस्त कीजिये। इससे उन इलाकों को चारा मिलेगा, यह मेरा दावा नहीं, उन किसानों का है जो सूखे से पीड़ित हैं। मैं बंगाल के पुरूलिया और बांकुरा जिले में भी होकर आया हूं जहां साग-सब्जी और अन्य फसलें अच्छी हो रही हैं वहां के किसानों ने इस सदन में यह बात कहने के लिये हमसे कहा कि जैसे बांकुरा और पुरूलिया के किसानों ने सूखे से संघर्ष किया है वैसे ही देश के दूसरे राज्य भी सूखे से निपटें और युद्ध स्तर पर सूखे पर काबू पायें तथा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर आत्मनिर्भर बनें। उनकी सहानुभूति सूखा पीड़ित किसानों से है। किसानों की तरक्की से ही देश खुशहाल और मजबूत होगा। सूखे की लड़ाई में बंगाल के किसान देश के सूखाग्रस्त राज्यों के साथ हैं। वे इससे ज्यादा और आगे बढ़ेंगे। बंगाल बंगाल नहीं, बंगाल भारत है। जब भारत एक रहेगा तो सूखा कहीं नहीं रहेगा। एक किसान दूसरे किसाने के लिये करेगा और वार फुटिंग पर इसे कीजिये। इसे आगे पहुंचाइये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किसान मरता जायेगा, उसकी तकदीर फूट जायेगी।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि प्रस्तावकर्ता ने यह कारण प्रस्तुत किया है, उन्होंने यह कहा है कि इस पर राजनीतिक चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह तो एक मानवीय समस्या है जिसका हम प्रतिदिन सामना कर रहे है। परन्तु, उसी लहजे में उन्होंने सरकार की लापरवाही और सरकार द्वारा की गई धीमी प्रगति का उल्लेख किया है। मेरे विचार से अब तक उन्होंने दो माननीय मंत्रियों खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का भाषण सुन लिया होगा जिन्होंने हस्तक्षेप किया था और उनकी रिपोर्ट सुनी थी।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मानसून के आने में विलम्ब होने और मानसून में विलम्ब के कारण, एक दिन बाद उड़ीसा में मानसून के आने के बारे में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विफल होने पर माननीय कृषि मंत्री ने तत्परता से कार्यवाही की थी। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं:

> "केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री अजित सिंह ने आज मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। बाद में उन्होंने कहा कि एक आकस्मिक योजना बनायी गई है और संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी किसानों के राहत कार्य की समीक्षा करेंगे और

[श्री विक्रम केशरी देव]

अब भारतीय मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि अगले पांच दिनों में मानसून पुन: नहीं आयेगा।'' परन्तु यह मानसून नहीं आया और इसलिए आज हम ऐसे सूखे पर इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं जो देश की प्राकृतिक आपदाओं के इतिहास में अभूतपूर्व सूखा है।

महोदय, वर्षा में कम हुई और जैसा कि यहां सभी लोगों ने यह उल्लेख किया है और सभा की भावना के अनुसार देश का लगभग दो तिहाई हिस्सा भंयकर सूखे से प्रभावित हैं अब सरकार के समक्ष सबसे बड़ा कार्य सूखे को कम करना है। हम सूखे में कमी कैसे लाएंगे? मैं इस सम्मानित सभा को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि एक विशिष्ट सरकार थी जिसने 42 वर्षों तक देश पर शासन किया है और इस प्रस्ताव को रखने वाले ने यह भी उल्लेख किया है कि इन 42 वर्षों में वह सरकार देश के केवल 40 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा पायी है और देश का 60 प्रतिशत भाग अभी भी सूखाग्रस्त है। यह पूरी तरह मानसून पर आश्रित रहता हैं आज इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि देश की 60% आबादी ग्रामीण आबादी है, और सकल घरेलू उत्पाद में किसानों और ग्रामीण भारत का लगभग 20 से 24 प्रतिशत योगदान है। आज वह क्षेत्र गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। मेरा यह विश्वास है कि सरकार सूखे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। अत:, महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं।

यह आवश्यक है और मैं विपक्ष से इस प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। यह इसलिए क्योंकि विपक्ष के सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि इसे गैर-राजनीतिक मुद्दा रहने दिया जाये और भविष्य में मानवीय परेशानियों को कम करने हेतु मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाये। मैं इस सम्मानित सभा को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जब काशीपुर में, उड़ीसा में केबीके जिलों में कुपोषण के कारण हुई मौतों के बारे में इस सभा में नियम 193 के अधीन चर्चा हुई तो उस समय माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील ने यह उल्लेख किया था कि 'जब हम भुखमरी, सूखे और निर्धन लोगों की परेशानियों के बारे में चर्चा कर रहे हों तो हमें इस क्रम में दलगत राजनीतिक को नहीं लाना चाहिए।' इसमें मानवीय पहलू अपनाना चाहिए क्योंकि हम सभी इस देश के नागरिक हैं। हम शत्रु नहीं हैं। जैसा कि हम कहते है हम सभी एक देश के हैं और हम सभी इस देश के वासी हैं। हमें निर्धन लोगों की परेशानियों को कम करना होगा।

महोदय, मैं लम्बा भाषण देना नहीं चाहूंगा क्योंकि सभी माननीय सदस्यों ने सूखे के बारे में व्यापक रूप से बोला है। मैं तो केवल कुछ उपचारात्मक उपाय देना चाहूंगा जिसे सरकार अपना सकती है। पहली बार फसल बीमा शुरू की गई है। फसल बीमा योजना शुरू करना हमारे सरकार के लिए प्रगतिशील कदम हैं इसमें कुछ विसंगतियां हैं उदाहरणार्थ जब ऋण न लेने वाले की फसल बीमा की जाती है तो वे सूखे के निर्धारण के लिए ब्लाक को ही एक इकाई के रूप में ले रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है कि वे सूखे के निर्धारण के लिए पंचायत को ही एक इकाई मानें। दूसरी बात यह है कि वे इसके लिए गत तीन वर्षों के दौरान बोई गई फसलों और पैदावार को आधार मान रहे हैं।

जहां तक गत दो वर्षों का सम्बन्ध है तो तब सफल मानसून रहा था और रिकार्ड स्तर पर उत्पादन हुआ और इस तीसरे सूखे के वर्ष में जब आंकलन किया जाएगा तो औसत कम आएगा और किसानों को फसल बीमा का लाभ देने से इंकार कर दिया जाएगा।

मैं दूसरा सुझाव देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो अगली प्रगतिवादी सुधारात्मक पहल की है वह है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्डों को समुचित स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। उन्हें पुन: स्वीकार्य बनाना चाहिए जिससे कि भविष्य में किसान और ऋण ले सकें और सरकार को उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने और राजसहायता प्राप्त बीज और कृषि हेतु अन्य आदान उपलब्ध कराने के लिए आगे आना चाहिए।

तीसरा उपचारात्मक कदम राहत संबंधी संहिता के संबंध में उठाया जाना चाहिए। राहत संहिता पुरानी पड़ चुकी हैं क्योंकि इसे स्वतन्त्रता पूर्व बनाया गया था और राज्य सरकारों ने उसको जस की तस नकल कर ली थी। इसका पुन: अनुमान लगाया जाना चाहिए और प्रति एकड़ उपज को बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है और आपको अब अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए।

श्री विक्रम केशरी देव : मैं अत्यधिक सूखा-प्रवण क्षेत्र से हूं; मैं के०बी०के० क्षेत्र से सम्बन्धित हूं। श्रीमती सोनिया गांधी ने, जब उनके स्वर्गीय पति जीवित थे, कालाहांडी, नोपाड़ा और खरीयार का दौरा किया था। तब 1985 में मैं विधायक था और मुझे उनसे मिलने और हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने का अवसर मिला था।

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे आपको इसी कारणवश अधिक समय देना चाहिए?

श्री विक्रम केशरी देव : प्रत्येक व्यक्ति आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि सरकार गैट को कार्यान्वित कर रही हैं वर्ष 1993

में गैट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गैट में कृषि सम्बन्धी समझौता संबंधी पैरा रिक्त है क्योंकि आपने कभी उसपर जोर नहीं दिया था उसपर कभी समुचित रूप से विचार नहीं किया।

सामान्यतया, कोई भी सरकार लोगों के कष्ट कम करने हेतु सूखा राहत उपायों को अपनाती है। इसी के साथ-साथ योजनागत व्यय होते हैं जिनके अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकार अपनी परियोजनाऐं क्रियान्वित करते हैं। इसमें बहुत पैसा हैं तदापि वन अधिनियम, 1980 के कारण केन्द्र और राज्य सरकारों की अधिकांश परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। वन अधिनियम 1980 पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि परियोजनाऐं तुरंत सही दिशा में शीघ्र क्रियान्वित हो सकें।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में माननीय मंत्री महोदय, श्री बालू ने जेहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। हमें वहां काफी जानकारी मिली। हालांकि हमारा प्रदर्शन औसत रहा था। हमें इस देश के लिए एक जलवायु नीति बनानी ही चाहिए। हाल ही में नई दिल्ली में एक जलवायु संबंधी सम्मेलन हुआ था जिसमें 187 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में यह अनुमान लगाया गया था कि भविष्य में मानसून पूर्णतया असफल हो सकता हैं अर्थात हो सकता है कि भविष्य में हमें दक्षिण-पश्चिम मानसून न मिले। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कहां तक सत्य है क्योंकि वाष्पीकरण में मानसून का 80 प्रतिशत योगदान है और बाकि हिमपात के कारण होता है उत्तरी क्षेत्र यानि पंजाब, हरियाणा आदि की तुलना में उड़ीसा और पूर्वोत्तर में स्थिति पूर्णतया भिन्न है। यहां स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि उनकी नदियों में जलापूर्ति बर्फ के पिंघलने से होती है जबकि हमारी नदियों में वर्षा से जलापूर्ति होती है।

आज उड़ीसा के के०बी०के० जिलों में हम पलायन कुपोषण जैसी नारकीय स्थिति से गुजर रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने जो हमें 200 करोड़ रुपये दिए जाने का वादा किया था वह पैसा उस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास, बांध बनाने और ए०आई०बी०पी० के लिए तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने आज की तिथि तक केवल 50 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

मेरे राज्य उड़ीसा में पेयजल की गंभीर समस्या है। सभी 30 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। कुछ ऐसे खंड है जहां स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है और उसके कारण नौपाड़ा जिले और बोदन खंड में लोग प्रभावित हो रहे हैं। मैं सरकार से इन समस्याओं को दूर करने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में मुख्य उठान (लिफ्ट) सिंचाई बिंदुओं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि इससे पेयजल और सिंचाई, दोनों ही समस्याओं का समाधान हो सके।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्षम महोदय, आज इस महान सदन में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत सूखे पर चर्चा शुरू की हैं मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि इस विषय पर जब चर्चा चल रही थी, तब इसमें राजनीति लाने का प्रयत्न माननीय सदस्य कर रहे थे।

सायं 6.00 बजे

वे यह भी बता रहे थे कि यह राजनीति का विषय नहीं है। यह विषय सोचने का है कि देश की आजादी के 55 साल पूरे होने के बावजूद हम सूखे का सामना नहीं कर सके। सूखे के नाम पर गांव-गांव में, गरीब लोगों को, खेतिहर मजदूरों को खाने को नहीं मिलता है, तो हम इसका सामना किस प्रकार से कर सकते हैं। 55 सालों में जितनी वर्षा हमारे देश में हुई, यदि हम उसके पानी को समुद्र में जाने से रोक सके होते और उसे इकट्ठा कर सके होते, तो आज जो आज सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता।

महोदय, 16 राज्यों के 387 जिलों में सूखा पड़ा हैं इससे निपटने के लिए इन राज्यों ने 31 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी। सरकार ने केवल 483 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सरकार का कहना यह है कि 7 हजार करोड़ रुपए उसके पास हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे 7 हजार करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के पास कैलेमिटी रिलीफ फंड के लिए हैं, तो उसे राज्यों को देने की आवश्यकता है। तभी उन्होंने 31 हजार करोड़ रुपए की मांग की हैं आप कहते हैं कि राज्य खर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि ठीक भावना से आप राज्यों को पैसा दे देंगे, तो उन्हें पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राज्यों के पास खर्च करने के लिए पैसा है ही नहीं, तो वे कहां से खर्च करेंगे।

महोदय, सोनिया गांधी जी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सूखे पर चर्चा करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो हम चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूखे का हम किस प्रकार से सामना कर सकते हैं उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत हैं अभी बातचीत चल रही है और हमने भी इस पर महाराष्ट्र में बहुत बोला है कि मुम्बई और हमारी कोंकण पट्टी में होने वाली वर्षा के पानी को रोकने का प्लान बनाना चाहिए और

[श्री रामदास आठवले]

महाराष्ट्र में ही शोलापुर और पंढरपुर में जो सूखा इलाका है, इस पूरे पानी को वहां से जाने के बारे में प्लान बनाने और हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

सांय 6.02 बजे

[श्रीमती माग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

महोदया, हम लोग पानी को रोकने का प्रयास करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमें ही बाजू में रखने और पानी को रोकने के हमारे प्रयास को विफल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप हमें कितना भी रोकें, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा कहना सिर्फ यही है कि इस विषय पर आपको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। बी०जे०पी० और एन०डी०ए० को मिला है सत्ता में आने का मौका इसलिए देश भर में पड़ा है सूखा। अगर आप अच्छे काम करते, तो चार साल से जब से आप सत्ता में आए हैं तब से आप पानी को रोकने का प्रयत्न करते, तो आज यह स्थिति नहीं आती। जिस प्रकार से आप कांगेस के 55 सालों के राज में पूछते हैं कि उसने क्या किया, तो हम भी आपसे पूछते हैं कि आपने चार साल में क्या किया। आपके पास पैसा नहीं हैं तो आपने पैसा निर्माण करने के लिए क्या किया, आपको अच्छे-अच्छे काम करने की आवश्यकता है जिससे पैसा निर्मित हो, लेकिन आप वेसा नहीं कर रहे हैं।

महोदया, हमारे साथी बता रहे थे कि हमारी गंगा नदी का पूरा पानी जो बेकार जा रहा है, उससे यदि बिजली बनाई जाए तो 40 हजार मैगावाट बिजली बन सकती है और उसको बनाने के लिए 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपए लगेंगे। हमें ऊर्जा निर्मित करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यहां श्री अनन्त गंगाराम गीते जी बैठे हैं। उन्हें मालूम ही है कि आज गांव-गांव में किसान बिजली मांग रहा है, लेकिन हम किसानों को बिजली नहीं दे सकते हैं। इसलिए ऊर्जा निर्मित पर आपको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

यहां अजीत सिंह जी भी बैठे हैं। वे किसान के बेटे हैं, मगर वे उधर चले गए हैं। उन्हें किसानों के लिए अच्छा काम करने की आवश्यकता है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश में बेरोजगारी मिटाने के लिए जिस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र में 'एम्पलायमेंट गारंटी योजना' लागू है वैसी योजना पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। मेरा विनती है कि महाराष्ट्र की इस योजना के मॉडल की स्टडी कर के इसे पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता हैं देश के किसी भी हिस्से में भुखमरी न हो, इसके लिए भी आपको सीरियसली सोचने की आवश्यकता हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको सूखे को खत्म करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आप सूखे का सामना नहीं कर सकते हैं, तो आगे क्या होने वाला है, यह आपको मालूम है। हम सबको सूखे का मुकाबला करने की आवश्यकता है और इस हाउस में सूखे के विषय पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है।

हम सबको मिलकर इसका सामना करना चाहिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि सूखे को खत्म करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए जिससे यह देश लाभान्वित हो। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : सभापति महोदया, मैं देहाती क्षेत्र से आता हूं। हमारे बिहार के देहात में एक कहावत है कि जब गीदड़ को जाड़ा लगता है तब वह रात भर चिल्लाता है कि सुबह होते ही मैं बड़ी मांद बनाऊंगा और जाड़े से बचूंगा। लेकिन जब सूरज उगता है और सूरज की गर्मी लगती है तब वह ये सब बातें भूल जाता है। मेरा कहना है कि इस देश में सबसे पहले 1949 में अकाल पड़ा था। यहां पर बड़ी बहस हुई थी। तब से लेकर आज तक उस पर लगातार बहस होती रही है। जब बाढ़ और सुखाड़ आता है तब इस पर बहस होती हैं इस संबंध में सरकार का जवाब होता है और सदन उठ जाता है और बेताल फिर उसी डाल पर जा लटकता है। आज तक उससे मुक्ति नहीं मिल पाई है।

आज भी 593 जिलों में से 330 जिले सुखाड़ से प्रभावित हैं। यहां इस संबंध में चर्चा चल रही है, यह एक विडम्बना है। इजराइल जैसा छोटा सा देश जो 1945 में बाहर से भाग कर आया था। उसके यहां बंजर जमीन थी। वह हमेशा युद्ध से घिरा रहता है, लेकिन उसने अपने पराक्रम से, अपनी नीयत और नीति से उस देश को हरा-भरा बना दिया। आज वह अपने पांव पर खड़ा है। मिस्त्र एक-एक हजार फीट तक की गहराई में पहाड़ को तोड़कर, पानी निकालकर, सिंचाई कर सकता है, अपनी कृषि को बढ़ा सकता है और नौ करोड़ डालर से ज्यादा धन अर्जित कर सकता है लेकिन भारत जहां प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है यानी यहां प्रचूर मात्रा में जल का स्त्रोत है, काफी नदियां हैं जिनमें बाढ़ का पानी आता है लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसके चलते आज यह स्थिति है। नौ परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं में खरबों रुपये खर्च किये गये लेकिन आज भी यही कहा जाता है कि 50-55 परसेंट तक ही हम सिंचाई क्षमता का सृजन कर पाये हैं। इसका मतलब यह है कि हर योजना में हमने मात्र साढ़े पांच परसेंट के हिसाब से सिंचाई क्षमता बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हमारी जो आवश्यकता थी, उसको हम पूरा नहीं कर सके। यह एक विचारणीय विषय है।

आज बड़ी खुशी की बात है कि प्रतिपक्ष की नेता ने कार्य स्थगन प्रस्ताव यहां रखा। हालांकि यह मामला कार्य स्थगन का बनता नहीं था, इस देश में मानसून जून में आता है जून में सूखा पड़ा, जुलाई में सूखा पड़ा, अगस्त में सूखा पड़ा। उस समय यह सदन बैठा हुआ था यानी कोई अचानक उस बैठक के बाद यह सुखाड़ नहीं आया था। फिर भी, आसन ने नियम को शिथिल करके और इसकी गंभीरता को मानकर, इस पर विचार करने का काम किया और कार्य स्थगन को माना। आज इस पर चर्चा हो रही है सब तरफ के लोगों को हमने बड़े गौर से सुनने का काम किया है निश्चित तौर पर सदन ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। मेरा कहना है कि इस पर सिर्फ चर्चा करने से कोई काम चलने वाला नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि और कई मित्रों ने भी कहा है कि सभी दल के जो प्रमुख नेता हैं, वे बैठें। उसमें कृषि वैज्ञानिकों को बैठायें, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बैठायें। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स को बैठाकर यह तय किया जाये कि किस तरह से इस देश में सुखाड़ और बाढ़ से निजात पाई जा सकती है, किस तरह से उससे मुक्ति मिल सकती है। इस संबंध में एक नीति बने। भले ही सरकारें बदलती रहें लेकिन उस नीति में परिवर्तन न हो। यदि यह सदन गंभीरता से इस पर विचार करना चाहता है तो हमें इस दिशा में सोचना चाहिए।

आज हमारी स्थिति यह है, जैसा मैंने कहा कि यहां काफी वर्षा होती है लेकिन क्या उस वर्षा के पानी से, जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगा, रिजरवायर, चैक डैम्स, वाटर हारवैस्टिंग डैम्स, पोण्ड्स आदि बनाकर उस पानी को हम रोक सकते हैं या नहीं? जिससे गैर वर्षा के दिनों में उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आज सरकार कहती है और हकीकत भी है कि पैसे की कमी है। 1962 में इस देश पर चीन का आक्रमण हुआ था। उस समय डिफैंस के ऊपर 262 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। लेकिन जब चीनी आक्रमण हुआ, तब देश ने इस बात को महसूस किया। एक आर्थिक आपातकाल लगाकर विभिन्न मदों की छोटी-छोटी योजनाओं को बंद कर डिफैंस पर हमने खर्च करना शुरू किया। आज सूखे और बाढ़ से निजात पाने के लिए योजना में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है बेकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप मंत्री रह चुकी हैं, आप जानती हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, बाद में हमको उसकी जरूरत पड़ सकती है लेकिन हमें प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। आज हमारी प्राथमिकता है कि हम बाढ़ और सुखाड़ से मुक्ति पाएं क्योंकि कृषि हमारी रीढ़ है। सम्पूर्ण आबादी के 65 फीसदी लोग उसके साथ जुड़े हैं, घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत कृषि से आते है और जब कृषि का उत्पादन घटता है तो देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है।

अभी दसवीं योजना शुरू होने वाली है उसका प्रारूप तैयार हुआ, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिली। लेकिन, मैं कहूंगा कि यदि बैठकर योजना का पुनर्निर्माण करने की जरूरत पड़े तो वह करें। जब इस सदन में 1977 में योजना पर बहस हो रही थी तो मैंने सुझाव दिया था कि योजनाओं का नामकरण कर दें - यह सिंचाई योजना होगी, यह विद्युत योजना होगी, यह उद्योगीकरण की योजना होगी आदि। एक-दो योजनाओं को लेकर बनाइए, ऐसा मत करें कि यह भी हो, वह भी हो। इससे देश बनने वाला नहीं है। देश की बुनियादी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए आज मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि दसवीं योजना का नामकरण कर दें कि हमारी यह योजना सिंचाई और सुखाड़ से निजात पाने के लिए होगी और इससे मुक्ति पाने के लिए हम काम करेंगे।

आज हमारे देश में सुखाड़ है। यहां काफी तप्त धूप पड़ती है। क्या हम सूरज की रोशनी को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं? आज बिजली की एक मेगावाट क्षमता बिठाने में 5 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। हम वह नहीं कर सकते। हमारे पास साधनों की कमी है लेकिन, हमारे पास प्रकृति से उपलब्ध सूरज है। उसकी रोशनी से गैर-पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके, कृषि क्षेत्र के लिए उसे निर्धारित कर सकते है या नहीं। अब इतने अच्छे-अच्छे पम्प आ गए हैं, जिससे नान-ऐनर्जी 10-20 हार्स पावर की मोटर चल पाती है। उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए।

हमारे पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कि तमिलनाडु में 96 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का क्रिएशन हो चुका है, पंजाब में 83 प्रतिशत, राजस्थान में 73 प्रतिशत, हरियाणा में 69 प्रतिशत, आंध्र में 63 प्रतिशत, वैस्ट बंगाल में 67 प्रतिशत, गुजरात में 43 प्रतिशत। लेकिन आज भी राजस्थान में सूखा है क्योंकि हमारे उपलब्ध साधनों से जिसका अभी तक सिंचाई के लिए निर्माण हो चुका है, उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे दोहन करें, कैसे उसका उपयोग करें, यह समस्या है।

मैं बिहार में देखता हूं, वहां करीब पांच हजार स्टेट टयूबवैल्स हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक सौ टयूबवैल भी ठीक से नहीं चल पाते। बिहार में 2000 के लगभग लिफ्ट हैं, जिनमें से 50 भी काम नहीं कर पातीं। उनमें लाखों रुपये खर्च हुए हैं। हम सृजित सिंचाई क्षमता का कैसा उपयोग करें, उसमें कहां कमी है, देखें जिससे हम सिंचाई की क्षमता को और व्यापक बना सकते हैं।...*(व्यवधान)* सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ वाटर मैनेजमैंट, जल प्रबंधन भी करना चाहिए। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित करें और उन्हें सुविधा देने का काम करें कि कम से कम जल को कैसे उपयोग कर सकते हैं।

[श्री रामजीवन सिंह]

कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मैं कहूंगा कि जब कृषि क्षेत्र में इतनी खोज हुई है तो आप यह करें कि कम से कम पानी में कौन सी फसल ली जा सकती है, क्योंकि प्रकृति हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो उस तरह की फसल का व्यपाक प्रचार-प्रसार किसानों के सामने करवा दें कि जब इस तरह का कोई ड्राउट हो तो उस तरह की फसल को लगाने का काम करें।

शुरू में जब मानसून आने वाला था तो मौसम की भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि इस बार भी हमारा मानसून नोर्मल रहेगा, लेकिन बात उल्टी हुई। क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते कि कम से कम बहुत कुछ एक्यूरेसी तक हम पहुंच सकते हैं। दुनिया में इस पर काफी खोज हुई है, इसलिए इस काम को हमें करना चाहिए।

कई लोगों ने चर्चा की, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। यहां 1967 में इसी सदन में श्री के०एल० राव साहब ने कहा था कि इस देश में बाढ़ और सुखाड़ से 38 हजार करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान होता है और जब सरकार रिलीफ देने जाती है तो करीब-करीब नौ हजार करोड़ रुपये के लगभग उस पर खर्च होता है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि नदियों को जोड़ो। नदियों को जोड़ देने पर 75 हजार करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन वह नहीं हो सका। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि नदियों को आपस में जोड़ा जा सके।

1956 में डॉ० लोहिया ने कहा था कि नदियों को साफ करो। इन नदियों में धीरे-धीरे करके मिट्टी भरती चली जा रही हैं नदियों में सिल्टेशन होता चला जा रहा है, जिससे नदियों में पानी का बेड ऊंचा हो जाने से जो वर्षा होती है, बाढ़ आती है, वह पानी समुद्र में बेकार चला जाता है। इसलिए 1956 में डॉ० लोहिया ने कहा था कि हर 10 वर्ष में नदियों की सफाई करो। आज विभिन्न तरह की योजनाएं श्रम देने के लिए, रोजगार देने के लिए चलती हैं, इनका इस्तेमाल हम नदियों की सफाई करने में करें तो नदियां गहरी रहेंगी और उनसे मिट्टी निकालकर, उसे खेतों में डालकर खेत के उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए, जिससे यह काम हो सके।

खाद्यान्न के मामले में देश के सभी जिलों में फूड स्टॉक रहे, खाद्यान्न रहे, उसका भण्डार रहे और कलैक्टर को जबावदेही सौंपी जाये कि अगर उस जिले में कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो उसकी जवाबदेही कलैक्टर की होगी। आज खाद्य मंत्री ने कहा, ग्रामीण मंत्री ने कहा कि खाद्यान्न उपलब्ध रहते हुए भी अगर कोई भूख से मर जाता है तो इससे बढ़कर शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती हैं कमी कहां पर है, इसे सोचना चाहिए। जो खाद्य मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो नियम में भी परिवर्तन करना चाहिए।

सभापति महोदया : अभी खत्म करये, और भी बहुत स्पीकर्स हैं।

श्री रामजीवन सिंह : मैं खत्म कर देता हूं। मेरे कहने का निचोड़ यह है कि इस ढंग से नीति बनाओ, निधि की व्यवस्था करो और जैसा खाद्य मंत्री ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो नियमों में भी परिवर्तन करो, क्योंकि सदन सर्वोपरि है। अन्त में यही कहूंगा कि यह सब करने के लिए नीति इस ढंग से बनाओ, जिससे देश का विकास हो। सिर्फ आलोचना समालोचना करने से काम नहीं चलेगा, इस पर बहस कराने से काम नहीं चलेगा। इस दिशा में सोचों और करो, तभी इससे स्थाई रूप से निजात पा सकोगे, अन्यथा फिर वही होता रहेगा, जो सब दिन से होता रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यस्थगन प्रस्ताव का विराध करता हूं और कहता हूं कि इस पर गम्भीरता से बैठकर सोचो और इसमें से कोई रास्ता निकालने का काम करो।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदया, मैं विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। यह सरकार एक व्यापक नीति के साथ सूखे की स्थिति का सामना करने में असफल रही है स्वतन्त्रता के 50 वर्ष पश्चात भी हमारे देश को मानसून की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारी लगभग 60 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि अभी तक सिंचित नहीं है...*(व्यवधान)* यह वाम मोर्चा से संबंधित चर्चा नहीं है।

मैं केवल इस सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। स्वतन्त्रता के पश्चात अधिकांश सरकारों ने इस संबंध में उदासीन रवैया दर्शाया हैं इसलिए हमारा देश आज इस संकट का सामना कर रहा है जहां हम मानसून की कृपा पर निर्भर हैं।

आज हम सूखे की इस स्थिति की चुनौती का सामना करने के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं और हम अपने सुझाव दे सकते हैं। मेरा यह मानना है कि इस समस्या का एक स्थायी हल निकालने हेतु कोई प्रमुख कदम उठाने से पूर्व हमें इस समस्या का गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। इस वर्ष उत्तर में प्रमुख अन्न उत्पादक क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा था। मेरे विचार से

16 राज्य प्रभावित हैं और 360 से अधिक जिले सूखा प्रभावित घोषित किए गए हैं। इससे खरीफ की फसल जैसे चावल, गेहूं, दालें, मोटा अनाज और खाद्यान्न व मत्स्य-पालन, पुष्पकृषि और सभी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। कई राज्यों में भू-जल का स्तर नीचे चला गया हैं इस सबसे छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों की दशा और अधिक खराब हुई है। ग्रामीण आय में भारी गिरावट आई है और अधिकांश सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की समस्या में वृद्धि हुई है।

आज यह राष्ट्रीय आपदा की भांति है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति में भी केन्द्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया। उन्होंने इस संबंध में उदासीन रवैया दर्शाया हैं हां, एक केन्द्रीय दल ने 14 सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया है। लेकिन, यह समझ में नहीं आया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा क्यों नहीं किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन जिलों-बांकुरा पुरूलिया और पश्चिम मिदनापुर को सूखा प्रभावित जिले घोषित किया है। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को सूखा प्रभावित राज्य घोषित क्यों नहीं किया। तथापि, मैं समिति को इस बात के लिए अवश्य धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से सहायता हेतु एक ज्ञापन भेजा है। लेकिन केन्द्र सरकार इसका प्रत्युत्तर देने में असफल रही है। दल ने जैसा कि इस माह की 18 तारीख को तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया है - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 31,146.01 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की थी। आज मैंने श्री शरद यादव और श्री शांता कुमार द्वारा हस्तक्षेप करते हुए बोले गए भाषण को सुना। लेकिन इन दोनों ने ही राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने खाद्यान्नों और अन्य फसलों के लिए जारी की गई धनराशि के बारे में कुछ आंकड़े दिए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं। यह बहुत कम है और बहुत देर से दिया गया है। राज्य केन्द्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं है और ऐसा व्यवहार भिखारियों से भी नहीं होता। हमारे देश का दो-तिहाई हिस्सा सूखे की स्थिति से प्रभावित हुआ है।

वे राज्यों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हमने सत्तापक्ष के लोगों की बहस सुनी। वे राज्यों पर आरोप लगा रहे थे और कुछ मित्र या साथी केन्द्र पर आरोप लगा रहे थे। महोदया, यह राज्यों और केन्द्र दोनों की जिम्मेदारी है। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है।

सभापति महोदया : कृपया संक्षेप के बोलें। अभी 16 और संसद सदस्यों ने बोलना है।

श्री प्रबोध पण्डा : यह चिंता का विषय है कि उसी केन्द्रीय दल ने पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया और मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है। कृषि लागत और मूल्य संबंधी आयोग (सी०ए०सी०पी०) ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। (1) कृषि जोत के आकार को ध्यान में रखे बिना कृषि आदानों पर राजसहायता देना; (2) किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करना; (3) उर्वरकों पर राज सहायता बहाल करना; और (4) ए०पी०एल०और बी०पी०एल० में भेद समाप्त करना। यह समझ में नहीं आया कि सरकार इन बिंदुओं पर क्या कार्यवाही कर रही है।

महोदया, मैं मांग करता हूँ कि न केवल ऋण पर लगे ब्याज को माफ करें दें, परन्तु प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों द्वारा 2002-03 में लिए गये सभी प्रकार के कृषि संबंधी ऋणों को भी माफ किया जाना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि काम के बदले अनाज, पनधारा और फसल बीमा योजना आदि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए। इन विषयों के संबंध में पंचायतों को इकाई माना जाना चाहिए। राज्यों पर और अधिक बोझ लादा जा रहा है और यही नहीं पहले राज्यों का हिस्सा एक तिहाई से दो तिहाई होता था, लेकिन अब वह 50 प्रतिशत हो गया है और इस तरह 50 प्रतिशत राज्यों की हिस्सेदारी और 50 प्रतिशत केन्द्र की हो गयी है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इन बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा, सूखे के लिए स्थायी हल ढूढ़ने के बारे में है, इस पर राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए ताकि ठोस सुझाव आ सकें और हम उन सुझावों पर आगे कार्यवाही कर सकें।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : महोदया, सूखे पर जो चर्चा हो रही है, यह बहुत गंभीर विषय है। पिछले सत्र में भी नियम 193 के तहत इस पर चर्चा हुई थी और अबकी बार चर्चा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने जिस संजीदगी और सद्भावना से स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि बिना स्थगन प्रस्ताव के भी नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा हो सकती थी। विषय की गंभीरता को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव उन्होंने रखा है, यह विपक्ष का अधिकार है और इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा ऐसी हो रही है जैसे नियम 193 के अन्तर्गत हो रही है और समूचे सदन ने दिलचस्पी से इसमें हिस्सा लिया और बहस में कोई कड़वाहट नहीं आई। मैं जानता हूं कि मेरे पास समय कम है। मैं केवल देश के कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र सतना भी आता है, वहां आप काम के बदले अनाज और कुछ राहत कार्य और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखिए कि वहां

[श्री रामानन्द सिंह]

क्या स्थिति है मध्य प्रदेश का सिंचाई का हिस्सा पूरे देश का आधा है और उसमें रीवा, सीढी, शहडौल, कटनी और जबलपुर इस बैल्ट का केवल तीन प्रतिशत है। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित इलाका है और इस इलाके में प्राय: अकसर भंयकर अकाल पड़ता है. सूखा पड़ता हैं।

सभापति महोदया, इस वर्ष सूखे की स्थितिं बहुत भयावह है। डेढ़ महीने बाद वर्षा हुई और वर्षा होने पर किसानों ने फसल बो दी। धान बो दिया, लेकिन डेढ़ महीने बाद पानी निकल गया, बाद में पानी का पता नहीं था। इस तरह धान की फसल पूरी चौपट हो गई। सोयाबीन तो बोया ही नहीं था। श्री सत्यव्रत चतुवदी जी ने सही कहा कि सूखे की सर्वाधिक मार खेत मजदूरों, ग्रामीण अंचल के मजदूरों और सीमान्त किसानों पर पड़ती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया है, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बातें कही हैं और संजीदगी के साथ कही हैं। माननीय मंत्री श्री शांता कुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि करीब-करीब 4.30 लाख टन खाद्यान्न मध्य प्रदेश को दिया गया, लेकिन पिछले छ:-सात महीने में आधा यानी 2.15 लाख टन अनाज ही उठाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, यह खाद्यान्न क्यों नहीं उठा, जबकि वहां भुखमरी के लोग शिकार हैं। विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से माननीय सदस्य, श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने विचार रखे हैं। वहां कांग्रेस की सरकार हैं मध्य प्रदेश में भूख से लोग मर रहे हैं। ऐसी मोतें एक दिन में नहों होती है। कुपोषण धीरे-धीरे होता है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां वृद्धों को जो पैंशन दी जाती है, उसमें भी भ्रष्टाचार हैं विधवाओं को भी महीनों में जाकर एक महीने की पैंशन मिलती है। मास्टर रोल बनाकर छ:-छ: महीने के दस्तखत एक महीने में ही करा लिए जाते हैं। यह भी एक सबसे बड़ा कारण हैं चित्रकूट के भी ग्रामीण अंचलों में खद्यान्न नहीं पहुंच रहा हैं वहां के आदिवासी लोग सांबा घास खा रहे हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा देश सूखे से प्रभावित है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : माननीय सदस्य आधीरहीन बातें कह रहे हैं। उनकी बातों में दम नहीं है, बनावटी बातें हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामानन्द सिंह : क्या आपके पिता जी के मुख्यमंत्री ने ठेका दे रखा है।...*(व्यवधान)* मेरे कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश के लोग कुपोषण के शिकार हैं। मध्य प्रदेश खाद्यान्न नहीं उठा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकारी की विभिन्न योजनाओं का उपयोग नहीं कर रही है। मैं दु:ख के साथ कह रहा हूं कि वहां के मुख्यमंत्री राजा है, न उन्होंने गरीबी देखी है और न गरीबी से उनका कोई मतलब है। मैं पूछ सकता हूं, केन्द्रीय सरकार की प्रधानमंत्री संड़क योजना के अनतर्गत ठेके किसको मिल रहे हैं। विशेष लोगों को ही इसके ठेके दिएं जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 450 करोड़ रुपया लिया गया, लेकिन पचास करोड़ रुपए का भी काम नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सड़क योजना का नाम बदलकर दूसरा नाम रख दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पैसे का दुरूपयोग हो रहा है और रिश्तेदारों को सामन्त बनाया जा रहा है।

सभापति महोदया : रामानन्द सिंह जी, आपकी पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए अब आप बैठ जाइए।

श्री रामानन्द सिंह : प्रतिपक्ष नेता ने बड़ी संजीदगी से कहा कि 10,000 करोड़ रुपए सूखे से राहत के लिए चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने अकेले 5000 करोड़ रुपए मांग लिए, इसी तरह अगर सब रज्य मांगेंगे तो कितने हजार करोड़ रुपए चाहिए। अभी केन्द्र से 60,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कॉम के लिए गया है, लेकिन वहां अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। सारी योजनाएं कागजों में चल रही हैं। लोग भूखों मर रहे हैं। वहां की सरकार का केवल यह इरादा है कि दिल्ली से पैसा लेना है। चुनाव फंड बनाना, अपने लोगों को मजबूत बनाना और पैसा कमाना, सिर्फ यही धंधा है। हर योजना में सरकारी पक्ष करोड़ों की कमाई करता हैं खाद्यान्न 4.30 लाख टन में से केवल 2.15 लाख टन उठाया गया। मध्य प्रदेश में सूखे में वहां के मुख्य मंत्री ने 2.15 लाख टन खाद्यान्न अब तक क्यों नहीं उठाया। सोनिया जी, आप अपने मुख्य मंत्री और स्पीकर के खिलाफ क्या कार्रवाही कर रही हैं,...*(व्यवधान)* जिसने एक बच्चे की बलि चढ़ाने का प्रयास किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : देखिए, आपका टाइम हो गया है, मैंने अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुला लिया है, इसलिए आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मै अगले वक्ता को बुला रही हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : अगर आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर रहे तो मैं अगले वक्ता को बोलने के लिए बुला रही हूँ।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब श्री के० श्रीनिवासुलु बोलेगें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह : मध्य प्रदेश की योजना को पूरा किया जाए। कांगेस का भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भरत सरकार यहां से एक जांच कमीशन बैठाए ताकि सारा भंडाफोड़ हो...*(व्यवधान)* लोक सभा के सदस्यों की कमेटी हर राज्य के सूखा संकट से निपटने के लिए बनाई जाए ताकि कोई भी आदमी भूख से न मरे।...*(व्यवधान)* अपने मुख्यमंत्रियों पर लगाम लगाएं। इनकी चोरी को रोकें और इनके कामों पर निगरानी करें।...*(व्यवधान)* कोई आदमी भूख से न मरे, इसका निदान हम सब मिल कर करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री के० श्रीनिवासुलु जी, कृपया आप बोलना शुरू करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्य कृपया व्यवधान न डालें, बैठ जाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : मैंने अगले वक्ता को बुला लिया है। कृपया अब बंद करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदया : श्री कालवा श्रीनिवासुलु जी, कृपया शुरू करें आपके पास बोलने के लिए पांच मिनट हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर) : महोदया, चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धनयवाद देता हूं।

संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य भंयकर सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री श्री एन० चन्द्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सीमीत संसाधनों से आंध्र प्रदेश सरकार सभी आवश्यक राहत कार्य मुहैया करा रही हैं इस कार्य हेतु उन्होंने 250 करोड़ रुपये का आबंटन किया हैं राज्य में राहत कार्य के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1680 करोड़ रुपये और 22 लाख मीट्रिक टन अनाज की मांग की है।

मैं, सर्वाधिक भंयकर सूखे की चपेट में आये हुये जिलों में से एक जिला अनन्तपुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जैसलमेर, राजस्थान के बाद हमारा जिला दूसरे स्थान पर है, जहां पूरे देश के मुकाबले कम वर्षा होती है। अनन्तपुर जिला में केवल 540 मीलीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती हैं इस वर्ष वहां केवल 250-300 मिलीमीटर वर्षा हुयी है। इस दशक में वहां सात बार सूखा रहा। तीन वर्षों में वहां पर्याप्त वर्षा नहीं हुयी। इस वर्ष हम भंयकर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। किसी भी किसान ने इस वर्ष बुआई नही की। बुआई क्षेत्र के केवल 30 प्रतिशत क्षेत्र में ही इस वर्ष बुआई दर्ज की गयी। अपने नेता श्री के० येरननायडू के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।

जिले की स्थिति को मैं पुनः दोहराता हूँ। मेरे जिले में पहले ही मरूभूमि की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। पिछले चार वर्षों से वहां मरूभूमि विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। चूंकि पर्याप्त निधियां प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए कोई परिणाम नहीं आ रहे। अतः उस जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए दीर्घकालीन उपाय लागू करने होंगे।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अनन्तपुर जिले के लिए दीर्घकालीन योजना बनाये क्योंकि सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला यह दूसरा जिला हैं केन्द्र सरकार को इस जिले के लिए विशेष योजना बनायी जानी चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री ने इस जिले के लिए 350 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की हैं इसी प्रकार मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह और अधिक निधियां प्राथमिकता के आधार पर अनन्तपुर जिले के लिए जारी करें, क्योंकि किसानों के बच्चे स्कूलों और कालेजों में पढ़ नहीं पा रहे हैं। वे गलियों में घूम रहे हैं। कुछ को बाल मजदूरों के रूप में गैरेजों में देखा जा सकता हैं उस जिले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वहां किसान मजदूर, रिक्शा-वाले या दैनिक दिहाड़ी मजदूर बनते जा रहे हैं।

[श्री कालवा श्रीनिवासुलु]

अत: एक बार फिर मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अनन्तपुर के लिए अधिक निधियां जारी करें और पांच या छह वर्ष की योजना के लिए कम से कम 500-600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दे।

[हिन्दी]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सूखे पर चर्चा केवल आज ही नहीं हो रही है बल्कि यह सन् 1995 से लगातार हो रही है। विरोधी पक्ष की माननीय नेत्री ने भी इस समस्या को उठाया और तथ्य देकर एक योजना बनाने के बारे में उन्होंने कहा, जिससे सूखे और बाढ़ की समस्या का स्थाई हल निकल सके। लेकिन यह सरकार पर निर्भर है कि वह ध्यान से सुने। हम लोग तो बोलते रहेंगे और लोग सूखे और बाढ़ से मरते रहेंगे।

देश की आज ऐसी ही हालत है। कांग्रेस पक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से आज यह बात आई कि बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए रीवर ग्रिड होना चाहिए और यह ब्रह्मपुत्र से गंगा और गंगा से कावेरी तक पहुंचना चाहिए लेकिन क्या सरकार का इस बात की तरफ कोई ध्यान है? सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में जो रूलिंग आई है क्या आपने उसके बारे में कुछ कहा है?। हम देख रहे हैं तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पानी को लेकर झगड़ा चल रहा है। तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि "अल्लाह मेघ दे, पानी दे" लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि एक गिलास पीने का पानी दो लेकिन कर्नाटक कहता है कि यदि आज आपको पानी देंगे तो हम कल क्या करेंगे। केन्द्र सरकार चुपचाप बैठ कर इसे देख रही हैं आज तक डिवाइड ऐंड रूल पॉलिसी चल रही है। अच्छा हुआ कि तमिलनाडु में 29 अक्टूबर से बारिश हुई जिससे वहां के लोगों को राहत मिली।

सोनिया जी ने यहां कई बातों का जिक्र किया। 1956 में जब जवाहर लाल जी प्रधान मंत्री थे उस समय ब्रह्मपुत्र और गंगा को लेकर एक योजना बनायी गई थी। उस समय उसकी कॉस्ट केवल 506 करोड़ रुपए थी। अभी किसी ने यहां कहा कि अब इस पर ज्यादा रुपया लगेगा। इस योजना में कावेरी और दूसरी सभी नदियों को भी जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर लगभग 6 लाख 50 हजार करोड़ रुपए और लेगेंगे। इस मामले में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं हैं इसे सरकारी पक्ष ठीक ढंग से देखे। देश के किसानों और लोगों को बचाने के लिए देश हित में यह काम करना चाहिए। पांच हजार करोड़ रुपए कोई ज्यादा नहीं है। आप 10-10 लाख रुपए राहत कार्यों पर खर्च करते हैं। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम पर काफी रुपया खर्च किया जाता है। जो रुपया वहां खर्च होता है, उस रुपए को यहां खर्च किया जा सकता हैं इस मामले में पॉलिटिक्स पहले भी हुई है। पश्चिम बंगाल के नॉर्दन पार्ट के छ: जिलों के लिए 1973 में तीस्ता बैराज प्रोजैक्ट बनाया गया था। 1973 में इसकी कॉस्ट 69 करोड़ 72 लाख रुपए थी। यह कांग्रेस के जमाने में प्रोजैक्ट नहीं आया। वैस्ट बंगाल में जब लैफ्ट पार्टी की सरकार आई तब उसने इसे लागू किया। इस योजना को लागू करने के बाद 838 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वैस्ट बंगाल की सरकार लगातार मांग कर रही है कि प्रोजैक्ट पूरा करने के लिए रुपया दिया जाए लेकिन केन्द्र सरकार कुछ नहीं दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो राशि मांगी गई है, उसमें से 60 परसैंट रुपया लोन के रूप में मिलना है, लेकिन वह भी नहीं दिया जा रहा है। इस काम के लिए 700 करोड़ रुपया चाहिए लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रोजैक्ट को पूरा करना देश हित में है। जो काम सूखा पीड़ित इलाकों के हित में होते हैं यह काम करने के लिये किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिये। राजनीति करना आप छोड़ दें। मेरा निवेदन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 600-7000 करोड़ रुपये की जो डिमांड की है, वह उसे भेज दीजिये।

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभपति महोदया, सूखा प्राकृतिक आपदा है और साथ ही मनुष्य की अज्ञानता न केवल मानव जीवन को तहस-नहस करती है बल्कि पशु, पेड़-पौधों को भी अपनी चपेट में लेकर स्थिति को बद से बदतर करती है। मौसम विभाग के अनुसार देश के 330 जिले सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं। इनमें आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा देश के उन 14 प्रदेशों में से हैं जहां बुरी तरह से सूखा पड़ा है। अगर हिसाब लगाया जाये तो मालूम होगा कि देश का 29 प्रतिशत भाग सूखे से प्रभावित है जिन में 10 प्रतिशत ऐसा हिस्सा है जहां सब से भयानक सूखा है। सैंटर फार मौनिटरिंग इंडियन इकॉनोमिक सर्वे के अनुसार पिछले साल पानी की काफी कमी रही है यानी 4.5 प्रतिशत रही है। औसतन 90 सैंटीमीटर बरसात हुई है जो 19-20 प्रतिशत कम हुई हैं इस कमी ने न केवल पूरे देश को प्रभावित किया बल्कि इससे औद्योगिक ईकाइयां भी प्रभावित हुई हैं। इस प्रकार 10 से 20 प्रतिशत उद्योगों को हानि हुयी हैं सरकारी अनुमान के अनुसार इस वर्ष बरसात के अभाव में 20 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल बरबाद हुई है और 10 मिलियन हैक्टेयर भूमि को जोत नहीं सके। योजना आयोग

ने अपने अनुमान के अनुसार कहा है कि इस बार 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र से 31 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। हमारे प्रदेश हरियाणा ने भी 1800 करोड़ रुपये की मांग की थी।

गत सितम्बर माह में एक निरीक्षण दल हरियाणा प्रदेश के दौरे पर गया और उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी। उसके बाद हरियाणा को केवल 109 करोड़ रुपया दिया गया। इस रुपये से हरियाणा के किसान जो सूखे से प्रभावित हैं, को राहत नहीं दी जा सकती।

सभापति महोदया, यह बड़े अफसोस की बात है कि सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हिसार गये जहां उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा सरकार ने राहत कार्यों के लिये कोई मांग नहीं की। यह सदन इस बात का गवाह है कि पिछली बार जब सूखे और बाढ़ पर यहां चर्चा हुई थी, श्री अजय चौटाला ने उस चर्चा की शुरूआत करते हुये मांग की थी, जो रिकार्ड पर है। हमारे नेता स्व० चौ० देवी लाल की नीतियों पर चलने वाली हरियाणा सरकार किसानों के विरोध में कैसे काम कर सकती है? माननीय मंत्री जी का बयान अफसोसनाक है।

सायं 6.54 बजे

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने 1800 करोड़ रुपये की मांग की थी। अगर माननीय मंत्री जी कहें कि नहीं की तो आज हम इस बात की मांग करते हैं कि वह हरियाणा प्रदेश को 1800 करोड़ रुपये दे। यदि किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाले मंत्री इस तरह की गलत बयानबाजी करें तो अफसोस होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम में सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को राहत मिल सके, उसके लिए जो धनराशि की मांग हमारी हरियाणा सरकार ने की है, वह धनराशि उसे जल्दी से जल्दी दी जाए। यह मेरी एक साधारण सी विनती हैं लेकिन इसके साथ मेरी एक अपील भी है, यह एक साधारण सामूहिक अपील है। यह वक्त की बात है, लेकिन अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, जैसा कि हम अपने दादा, दादी और नाना नानी से सुनते आये हैं कि कभी वह वक्त था कि पेड़ों के छिलके उतार कर लोग अकाल में खाते थे। आज स्वयं मंत्री जी ने माना है कि हमारे यहां अनाज के भंडार भरे हैं। हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है। आज हमें सिर्फ 23 मिलियन टन अनाज की जरूरत है, जबकि करीब 69-70 मिलियन टन का हमारे यहां भंडार है।

हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो केन्द्रीय पूल में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा अनाज के भंडार भरने का काम करता हैं उसके बारे में मैं कहूंगा आज हमारी जल प्रबंधन की स्थिति ठीक नहीं है। बड़ी-बड़ी योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। यदि हम कावेरी और गंगा के बेसिन को जोड़ दें तो उससे देश को बहुत फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 15 जनवरी के पहले एस०वाई०एल० बन जानी चाहिए। लेकिन आज वहां एक भी ईंट नहीं लगी हैं क्या इतने कम समय में एस०वाई०एल० कैनाल का निर्माण कार्य पूरा हो पायेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो जल परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं, खासकर एस०वाई०एल० की परियोजना निर्धारित समयावधि में पूरी हो जाए ताकि हरियाणा के किसानों, विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा में महेन्द्रगढ़ और नारनौल के किसानों को बहुत फायदा होगा। इसमें किसी प्रदेश का आपस में कोई मामला नहीं हैं यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।

अंत में, मैं यही कहूंगा कि कई बार शासक और प्रशासक इस बात से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं हम नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तो उससे व्यवस्था को सुधार पायेंगे या नहीं सुधार पायेंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जनहित में अगर कड़ाई से नियम पालन किया जाए, जैसे एस०वाई०एल० कैनाल की बात हैं अगर उसमें कड़ाई से नियम पालन किया जाए तो देश का काफी उद्धार हो सकेगा। आप मुझे बार-बार इशारा कर रहे है कि समय समाप्त हो गया है। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा और सभी से अपील करूंगा कि सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम सबको मिल-जुलकर काम करना चाहिए। इसमें जहां प्रतिपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वहीं सरकार की ज्यादा जिम्मेदारियां बनती हैं। इसमें आम गरीब आदमी ज्यादा पिसता है इसलिए आम गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय प्रधान मंत्री जी इंटरवीन करेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा का उत्तर देने के खड़ा नहीं हुआ हूं, चर्चा जारी रहेगी।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : सर, प्रधान मंत्री जी के इंटरवेशंन के बाद हाउस में कोई नहीं बैठेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं रहने वाला हूं, मैं सुनूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा का उत्तर मेरे सहयोगी कृषि मंत्री जी देंगे। चर्चा के बीच में यादव जी ने सूखे से उत्पन्न परिस्थिति पर सदन के सामना कुछ जानकारी प्रस्तुत की थी। उससे यह बात स्पष्ट होती है कि सूखा बहुत व्यापक है, गंभीर है और उसका सामना करने के लिए भी केन्द्र और प्रदेश की सरकारें प्रयत्नशील हैं।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सायं 7.00 बजे

मुझे कभी-कभी इस आरोप से पीड़ा होती है कि केन्द्र की सरकार राज्यों के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव करती है। मैं इस आरोप से इंकार करता हूँ। अगर यह राजनीति का भाग है तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन पिछले तीन-चार साल में हमने किसी सवाल पर राज्यों के साथ भेदभाव नहीं होने दिया। सच्चाई तो यह है कि थोड़ा सा आगे जाकर हमने ऐसे राज्यों की भी मदद की है जो राज्य पराये हैं।...*(व्यवधान)* हमारा एन०डी०ए० क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेकर चलता है।

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, कृपया बोलने दें। आप प्लीज़ बैठिये।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तुलना करने के लिए कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। मैंने कोई तर्क जीत लिया इसका मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जब आरोप लगाए जाते हैं तो उनका समुचित उत्तर देना पड़ता है। 1987 में भी व्यापक सूखा पड़ा था। उस समय की सरकार ने कौन से कदम उठाए थे, उनका मैं उल्लेख करूँगा और आज हम कौन से कदम उठा रहे हैं, इसकी भी चर्चा करूँगा।

1987 में विभिन्न रोज़गार योजनाओं के अंतर्गत 8.7 लाख टन अनाज वितरित किया गया था जबकि चालू वर्ष में हमने संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना के अंतर्गत 19.25 लाख टन अनाज मुफ्त में वितरित किया है। रोज़गार सृजन के लिए 1987 में 842 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, जबकि इस वर्ष अभी तक लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं, भविष्य में और भी किये जाएंगे।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : विपक्ष की नेत्री बोल रही थीं तो सबने सुना। अब प्रधान मंत्री बोल रहे हैं तो आप सुनेंगे नहीं? बाद में वह भी बोलने वाली हैं, उत्तर दे सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आत शांत रहें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जितना व्यापक और गंभीर रूप सूखे ने इस बार धारण किया है, उसी के अनुसार प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। केन्द्र अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और राज्यों की सहायता कर रहा है। अनेक राज्यों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और इसलिए हम जो भी योजनाएं बना रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि राज्यों के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

काम के बदले अनाज की जो योजना चल रही है उसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत राज्यों को 5000 करोड़ रुपये मूल्य का अनाज प्रति वर्ष दिया जाएगा। शेष 5000 करोड़ रुपये नकद रूप में राज्यों को दिया जाना हैं इसी तरह से प्रदेश सरकारें लघु सिंचाई तथा जन संवर्द्धन की विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी परियोजनाओं को समय रहते पूरा किया जाए जिससे कि सूखे की स्थिति में लोगों को राहत मिल सके।

महोदय, सारे देश में किसानों को ऋण के भार से थोड़ी छूट देने के लिए कदम उठाए गए हैं। फसल पर मिलने वाले ऋण पर ब्याज की वसूली रोक दी गई है। हमने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज सहित फसल ऋण की कोई वसूली नहीं की जाएगी। सूखे की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने किसानों को दिए गए फसल ऋणों की अदायगी में सीधे राहत देने की घोषणा की है। यह लाभ सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगा।

हम नहीं चाहते कि सूखे का राजनीतिकरण किया जाए। इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। इच्छा शक्ति प्रबल है। तत्काल फैसले करने की भी तत्परता है, लेकिन जो तंत्र हमें उत्तराधिकार में मिला है और जिसे हम चार सालों में भी ठीक रास्ते पर नहीं ला सके हैं उसके कारण जगह-जगह पर कठिनाइयां पैदा होती हैं। हमने अनाज दिया, राज्यों को मिल गया, लेकिन राज्यों से जिलों में, तहसीलों में और गांवों में कैसे जाए। कुछ राज्यों ने अपनी कठिनाई बताई। उन्होंने कहा कि अनाज आप हमें दे रहे हैं, वह तो ठीक है और मुफ्त में दे रहे हैं, वह भी ठीक है, लेकिन इसे ले जाने का खर्चा कौन करेगा। हमारे पास तो ले जाने का भी खर्च नहीं है। यह कठिनाई है और उसमें इस बात का ध्यान रख कर फैसले किए गए हैं।

मैं चाहता हूं कि राजनीति को दूर रख कर हम विचार करें। वैसे तो 365 दिन राजनीति चलती है और हमेशा चुनाव होते हैं। कहीं न कहीं वोट की बात सामने आ जाती है, लेकिन सूखा जितना संकट का रूप लेकर आया है उसके चलते हुए जब तक प्रदेश और केन्द्र मिलकर काम नहीं करेंगे और केनद्र में भी सभी राजनीतिक दल संसद में अपना सहयोग नहीं देगे, तब तक संकट से पार पाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे सूखे से निपटने में सहयोग दें।

श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं हुई। आजकल जो मुख्य मंत्रियों की बैठक होती है, वह भी सर्वदलीय बैठक

होती है। मुख्य मंत्रियों की बैठक होती है। कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी। हम लगातार संपर्क करते रहते हैं, विचार-विनिमय करते रहे हैं और जिन प्रदेशों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्वदलीय समितियों का निर्माण किया है, उनकी हमने सहायता की है, उसमे कोई बाधा पैदा नहीं की, लेकिन राजनीति को लाने के लोभ से थोड़ा बचना चाहिए। चुनाव के वर्ष में कितना हो सकता है, मैं नहीं जानता।

हम सब एक ही बीमारी के मरीज हैं और कभी-कभी मैं सोचता हूं कि यह सूखे की भयावह स्थिति देश कब तक ढोता रहेगा। हर दो-तीन साल के बाद सूखा दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा हैं अनाज नहीं है, चारा नहीं है, पीने का पानी नहीं है। इस परिस्थिति का कोई स्थाई समाधान होना चाहिए।

स्वतंत्रता के बाद इस पर विचार हुआ था, लेकिन उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया। हो सकता है साधनों की कमी का सवाल रहा हो। सब नदियों को जोड़ने का एक प्रयास, जो नदियां जुड़ सकती हैं, जिनको एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध किया जा सकता हैं अभी भी 40 फीसदी जमीन में सिंचाई होती है। बाकी का सारा क्षेत्र पड़ा है। जल जीवन है जल के बचत की जितनी योजनाएं अब लागू की जा रही हैं, उन पर पहले से विचार होता तो शायद परिस्थिति भिन्न होती। लेकिन मैं सदन से कहना चाहता हूं, मैं इस बारे में सभी का सहयोग चाहता हूं। आप लोग मिलकर तय करें। मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि नदियों को जोड़ने का जो सवाल है, उसमें धन की कमी नहीं होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

सड़कों के लिए जब हमने सड़क अभियान आरंभ किया तो यह कहा गया कि इतना पैसा कहां से आयेगा? पैसा देश में है। पैसा सरकार के पास है लेकिन उसे ठीक तरह से खर्च करने की जरूरत है। नदियों को जोड़ा जा सकता है। पड़ोसी देशों से बात की जा सकती हैं इस सवाल को युद्ध स्तर पर उठाने की जरूरत हैं हम कब तक सूखे का इस तरह से सामना करते रहेंगे? आरोप-प्रत्यारोप होंगे, जन-जीवन कष्टमय होगा। अब तो अन्न की पैदावार बढ़ गयी हैं हमारा किसान, हमारे वैज्ञानिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन अन्न होते हुए भी कहीं न कहीं से भूख से मरने की खबरें आ जाती हैं। खबरें कितनी सच हैं, कितनी सही हैं, इसका परीक्षण तो बाद में होता है। स्पष्टीकरण दिये जाते हैं लेकिन देश के ऊपर और विदेशों पर तत्काल मानस पर प्रभाव पड़ता है कि कैसा देश है, अन्न के ढेर लगे हुए हैं और भूख से लोग मर रहे हैं।

यह प्रश्न पार्टी का प्रश्न नहीं हैं आज तो ऐसी स्थिति है कि कोई पार्टी कहीं सत्ता में है तो कहीं कोई पार्टी सत्ता में हैं हर सरकार को हमें साथ लेकर चलना है, सबको सहयोग देना है, सबका सहयोग लेना हैं लेकिन भूख से मरने वालों की संख्या को लेकर विवाद होता है कि वह मरा या नहीं मरा? मीडिया का एक ऐसा हिस्सा है जो चाहता है कि लोग मरते रहें, अखबार छपती रहे, अखबार बिकती रहे। यह ठीक नहीं है। मैं इसका विस्तार से उदाहरण नहीं देना चाहता।

उड़ीसा में इस तरह की एक घटना हुई है। कोई वहां फोटो लेने गये थे। उन्हें समाचार मिला कि भूख से मौत हो गई है। वे फोटो लेने के लिए गये और जब उन्होंने देखा कि वह अभी मरा नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम फोटो नहीं लेंगे। वह उसके मरने की प्रतीक्षा करते रहे। बाद में पता लगा कि भूख के कारण मरने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अन्न होते हुए भी उसका वितरण ठीक से हो, सब लोगों तक पहुंचे, इसका प्रबन्ध करना तो तंत्र की व्यवस्था का है। इसमें हम कहीं कहीं चूकते हैं। इसका उपाय करना पड़ेगा।

लेकिन मैं आपसे नदियों को जोड़ने की बात कह रहा थ। सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में पहल की है, उससे पहले हमारी केन्द्र में बैठक हुई थी। एक प्रैजैंटेशन हुआ था और सरकार से कहा गया, मंत्रालय से कहा गया कि वह एक योजना लेकर आयें। मैं सोनिया जी को आमंत्रित करता हूं कि इस काम में हमारे साथ हाथ बंटाएं, मिलकर काम करें। यह एक ऐसा काम है जो देश की तकदीर को बदल देगा। नदियों को जोड़ना, सूखे की समस्या का स्थायी समाधान है, इसमें समय लगेगा लेकिन समय हमारे पास इतना है कि हम उस काम को पूरा कर सकें। गंगा कावेरी को लेकर एक टॉस्क फोर्स एप्वाइंट किया गया है।

आजकल मैं कावेरी के झगड़े से जुड़ा हुआ हूं। कर्नाटक की बात सुनें या तमिलनाडु की ओर देखें। मामला अदालत में जाता हैं अदालत फैसले करती है मगर समय लगाती है। क्या यह नदी के विवाद हम हल नहीं कर सकते? हरियाणा और पंजाब का भी मामला हैं ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसको मानना चाहिए। लेकिन यह नदियों का पानी कब तक हमारे लिए विवाद का विषय बना रहेगा। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सारा सदन सोचना आंरभ करे और हम इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा इस अधिवेशन से, सरकार के कार्यक्रम से हम प्रकट करना चाहते हैं।

और भी कई मुद्दे हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं फिर यही बात कहना चाहता हूं कि सूखे को राजनीति से अलग रखें। सूखे को एक मानवता के सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए। पशुओं के लिए चारा नहीं है। चारा हम भेज रहे हैं मगर पर्याप्त नहीं है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पीने का पानी नहीं हैं रेलों की व्यवस्था की गई है कि वह फ्री पानी ले जाएं, चारा फ्री ले जाएं, अनाज भी फ्री ले जाने के लिए तैयार हैं। देश में अनाज की कोई कमी नहीं है मगर फिर वितरण की समस्या है और उसमें मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रण देता हूं। वे अपने-अपने क्षेत्र के सुझाव दें, प्रदेश की सरकारों को दें। उनकी एक प्रति केन्द्र को भी भेज दें। सूखे का प्रकोप अभी लम्बा चलने वाला हैं अभी एक फसल आ रही है। उसके बाद उसमें कितना घाटा होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दृष्टि से यह चर्चा उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्ताव, जिसका विषय बहुत ही गंभीर है, विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं इसका समर्थन करना चाहूंगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने बहस के बीच में जो बातें कहीं, हस्तक्षेप के रूप में उन्होंने जो सुझाव दिए, केन्द्र की राजग सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, साथ-साथ प्रदेश सरकारों के साथ किस तरह का समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, उस पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने बल दिया। मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह यह केन्द्र सरकार आश्वासन देती है, चाहे सूखे की परिस्थिति को लेकर, चाहे बाढ़ की परिस्थिति के समय, बाढ़ का प्रकोप जिस तरह किसानों पर होता है, उत्तर बंगाल के चाय बागानों में जिस तरह नुकसान होता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं। बाढ़ के चलते चाय के पौधे बह जाते हैं, उस तरह सूखे में भी चाय बागानों में चाय के पौधे सूख जाते हैं। हम बार-बार गिड़गिड़ाए। इससे पहले जिस सत्र में भी सूखे पर बहस हुई, बाढ़ के प्रकोप पर बहस हुई या प्राकृतिक आपदा के ऊपर चर्चा हुई, मैंने बोलने की कोशिश की। केन्द्र में जो राजग सरकार है, मैंने उसे बार-बार कहा कि अगर पश्चिम बंगाल के उत्तर क्षेत्र में जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग एवं कूच बिहार जिलों में जो चाय बागान हैं, जो खेत हैं, वे देश की सम्पत्ति है, अगर उसे बचाना है तो भूटान के साथ बैठना चाहिए और सरकार को इण्डो भूटान जोइंट रीवर कमीशन का गठन करना चाहिए। केन्द्र सरकार आश्वासन देने में सक्षम है, लेकिन उसका कार्यान्वयन कहां तक होता है, इस पर मुझे संदेह हैं इसलिए मैं दोबारा इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अब आश्वासन दीजिए कि गरीब लोगों की जो समस्याएं सूखे और बाढ़ की परिस्थिति की वजह से उत्पन्न होती हैं, उसके लिए आप अपनी बातों को अमल में लाने की जरूर कोशिश करें।

मैं केन्द्र सरकार को दोष न देकर यह सुझाव देना चाहूंगा कि आप प्रदेश की सरकार के साथ बातचीत करके उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आपको प्रदेश सरकार का सहयोग मिल जाता है तो आप इसका सही समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे, सफल होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी जो सरकार यहां केन्द्र में है, उसकी प्राथमिकता गरीब लोगों के प्रति कम है, बल्कि शायद विनिवेश की जो प्रक्रिया चल रही है, उस ओर ज्यादा ध्यान देने का काम यह सरकार कर रही है। यह सरकार धनिकों को, जिनको मुनाफा आ रहा है, धनिक श्रेणी को मुनाफा और ज्यादा मिले, उस ओर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। इस सरकार की आर्थिक नीति को देखने से यही साबित होता हैं इसलिए मुझे संदेह है कि इनकी नीयत और नीति में कहीं यह सरकार फंस न जाये और गरीब लोगों को सूखे की परिस्थिति में जो मदद मिलनी चाहिए, वह मदद उन्हें न मिले। जिन समस्याओं में गरीब जनता, किसान और श्रमिक आज ग्रस्त हैं, उन्हीं समस्याओं से ही हमारे देश की जनता पड़ी न रहे। इसलिए मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप जो बोलते हैं, उसे करनी में परिवर्तित कीजिए। आप अपनी कथनी और करनी को एक करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जनता आपको अगले चुनाव में सही जवाब देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी जो प्रस्ताव लाई हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं जनता (सैकुलर) पार्टी से खड़ा हूं।

सारी बहस तो अच्छी हो गई, पन्थ प्रधान ने भी अच्छी तरह से आश्वासन दिया, लेकिन मुझे याद आता हूं, आप भी महाराष्ट्रियन हैं और महाराष्ट्र के अन्य लोग भी यहां हैं। 1972 में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था और सारा महाराष्ट्र उसकी चपेट में आ गया। उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वसन्तराव नाईक थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मजदूरों को मजदूरी दी, चारा दिया, पानी की व्यवस्था की, ये सब बातें कर दीं। आपत्ति काल में भी अच्छी व्यवस्था कर दी। जब आपत्ति आई, उस वक्त राजकर्ता ने अच्छी तरह से काम करना तय किया तो आपत्ति काल में भी अच्छी व्यवथा पैदा हो गई।

मेरी सदन से यही प्रार्थना है कि आपत्ति काल में अच्छी व्यवस्था कैसे पैदा की जाये, यह देखना चाहिए। महाराष्ट्र में उस वक्त अकाल पड़ा था, लेकिन इस वक्त 2-3 समस्याएं बहुत गम्भीर हैं गन्ने का किसान भी आज बहुत संकट में हैं भारत सरकार ने बाहर से शुगर

मंगाई है, इसलिए शुगर का भाव कम हो गया हैं इससे शुगर का किसान बहुत संकट में है। दूसरी बात यह कि उस वक्त बिजली का संकट नहीं था।

इस वक्त बिजली का संकट इतना जबर्दस्त है कि किसान अपने खेत में पानी के लिए जाता है तो बिजली चली जाती है। पानी होते हुए भी बिली के अभाव में खेत में सिंचाई नहीं हो सकती। इसलिए यह संकट दूर करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चावल की काफी खेती होती है। इसी तरह से राई की खेती भी होती हैं यह ज्यादातर आदिम-जातीय बाहुल्य क्षेत्र में होती हैं इस जगह ज्यादा संकट पैदा हो गया हैं अभी पंत प्रधान जी ने भी काम देने का आश्वासन दिया हैं सावित्री को यमराज ने अष्ट पुत्र सौभाग्यवती का आश्वासन दिया था, लेकिन पति के बिना कैसे पुत्र हो सकते हैं इसलिए सड़क बनाने के काम में, छोटे-बड़े बांध बनाने के काम में, नहरें बनाने के काम में जो फारेस्ट आदि कानून बने हुए हैं, वे आड़े आते हैं। यह ठीक है कि ये कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में बने थे, लेकिन सरकार को इन कानूनों को हटाने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए, ताकि आदिम जाति के लोगों को काम देने के लिए ऐसे कानून आड़े न आएं।

[अनुवाद]

डा० सी० कृष्णन (पोल्लाची) : महोदय, इस वाद-विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं श्री वैको के नेतृत्व वाले एम डी एम के दल की ओर से बोल रहा हूँ, वह पोटा के दुरूपयोग के कारण इस वक्त कैद में हैं।

मैं पोल्लाची संसदीय क्षेत्र से हूँ जो कोयम्बटूर और इरोड में है। कोयम्बटूर और इरोड जिलों में विशेषकर, पिछले दो साल से मानसून न आने के कारण किसान अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वर्षा न होने के कारण जल स्तर 1,000 फुट नीचे पहुंच गया है। बहुत से कुएं सूख गये हैं और जब नये कुएं बनाये जाते हैं तो उनमें पानी नहीं मिलता। वहां 1,000 फुट गहराई पर भी पानी उपलब्ध नहीं होता।

इन जिलों में करीब दस लाख नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ दीर्घकालीन फसल है और पेड़ से पैदावार के लिए कम-से-कम सात वर्ष लग जाते हैं। पोल्लाची संसदीय क्षेत्र में अकेले करीब चार लाख पेड़ सूख कर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। निधियों के अभाव में छोटे और मझोले किसान सूखे पेड़ों को हटा, नई पौध लगाने की स्थिति में नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों से इरोफाइट के प्रकोप के कारण किसानों को कम पैदावर मिल रही है। कम पैदावार के लिए भी किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला। सरकार द्वारा सूखे नारियल (खोपरा) की खरीद का लाभ भी किसानों तक नहीं पहुंचा है।

इन सब समस्याओं के चलते और मानसून के विफल होने के कारण सूखे की स्थिति ने किसानों के लिए अत्यधिक आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि मुआवजे के रूप में प्रभावित किसानों को प्रत्येक सूखे नारियल के पेड़ के लिए 1000 रुपये दें ताकि वे नयी पौध लगा सकें।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है, डा० सी कृष्णन जी, कृपया अब समाप्त करें।

डा० सी० कृष्णन : 36 करोड़ रुपये का आबंटन नारीयल के पेड़ों के मुआवजे के रूप में पर्याप्त नहीं है, और अधिक नधियों का आबंटन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

डा० सी० कृष्णन : नारियल के प्रत्येक वृक्ष के लिए कम से कम 500 रुपये और चावल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डा० कृष्णन, कृपया बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया है। अंतिम वक्ता श्री प्रकाश अम्बेडकर हैं।

डा० सी० कृष्णन : कोयम्बटूर और इरोड जिलों में मानसून के समय पर न आने के कारण कई स्थानों पर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इन दोनों जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया जाए। इस सूखे को प्राकृतिक आपदा मानते हुए युद्धस्तर पर उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, मुझे सिर्फ कुछ बातें कहनी हैं।

महोदय, मैंने देश में विद्यमान सूखे की स्थिति को देखा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वे इस पर ध्यान दे क्योंकि उन्हें इस स्थिति का सामना करना है। 'एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राट' नामक श्री पी० साईनाथ की किताब एक बहुत अच्छी पुस्तक है। इस किताब में यह बताया गया है कि सूखा पड़ने पर प्रशासन में क्या कुछ घटित होता है। तथापि, मैं इन मुद्दों की चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने सूचित किया कि प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् सूखे की स्थिति पैदा होती है। कुछ क्षेत्रों को

[श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर]

हम वृष्टिछाया क्षेत्र के रूप में जानते हैं। हम विगत 40 वर्षों से ऐसे वृष्टिछाया क्षेत्रों की पहचान नहीं कर पाए हैं। ये वैसे क्षेत्र हैं जहां औसत वर्षा कम होती है तथा ये क्षेत्र पहले प्रभावित होते हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस पहलू पर विशेष ध्यान दें। अब हम उपग्रह की मदद से भौगोलिक और भूतत्वीय दोनों ही दृष्टि से अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि वाले स्थानों की पहचान कर सकते हैं। इससे वृष्टिछाया क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने में बहुत हद तक मदद मिलेगी।

माननीय प्रधान मंत्री ने नदियों को जोड़े जाने की बात कही है। परन्तु इसमें काफी समय लगेगा। यह अल्पावधि में नहीं हो सकता है। तब हमें जलवायु परिवर्तन से ही संतोष करना पड़ेगा। हम देखते आ रहे हैं कि वर्षावधि बाँध वाले इलाकों में स्थानांतरित हो रही हैं अधिकारियों को स्थायी आदेश दिया गया है कि वे जुलाई के महीने तक बाँधों के सभी दरवाजे खोल दे तथा सितंबर के बाद इन दरवाजों को बंद कर दिया जाए। पिछले पांच वर्षों में मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वर्षा में हो रहे इस परिवर्तन का शिकार रहा हैं हमारे यहां जून और जुलाई में सूखे की स्थिति रहती है और तत्पश्चात् सितंबर और अक्टूबर में क्षीण वर्षा की स्थिति बन जाती है जो फसलों के लिए अपर्याप्त होता है। पूरे देश में यही हाल हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे इस पहलू पर विचार करे।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में जिक्र किया। मैं बताना चाहता हूं कि राज्य ऋणजाल में फंसे हुए हैं। उनके पास स्वयं के पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। राज्य केन्द्र द्वारा दी गयी सहायता को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए परिवहन लागत की मांग कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र की तरह व्यवसायिक कर लगाया जाए, ताकि केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता आम आदमी तक पहुंचाई जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा करने से इस बात पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त असंतोष कि केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ कम हो जाएगा तथा सहायता आम आदमी तक पहुंच पाएगी।

महोदया, हमने कहा है कि सूखे पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मुझे पता नहीं कि केन्द्र इसे स्पष्ट करेगा अथवा नही, किन्तु राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सूखे पर पहले ही राजनीति करनी शुरू कर दी है। कुछ राज्यों ने सूखे की स्थिति न होते हुए भी स्वयं को सूखा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय दल भेजा जाता है और यदि वे कहते हैं कि सूखे की स्थिति नहीं है तो उन संबंधित राज्यों को सहायता नहीं भेजी जाती है। मैं संबंधित मंत्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए सूखे पर राजनीति न करें। मैंने इस वर्ष दो राज्यों में ऐसी बात होते हुए देखी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि तालाबों की खुदाई के लिए उपलब्ध स्थान जो पिछले 50 वर्ष में भर चुके हैं उनको पुन: गादमुक्त किया जाना चाहिए। अब समय आ गया है जब हमको ऐसे स्थानों को गादमुक्त करना चाहिए और पेयजल के संसाधनों को बढ़ाने का प्रावधान करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से ऐसे कार्यक्रमों को नीति में शामिल करने का अनुरोध करता हूँ। जिला परिषदों और राज्य सरकारों दोनों ही के पास पेयजल के संसाधनों को बढ़ाने हेतु ऐसे तालाबों को गादमुक्त करने की कोई तन्त्र उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इन पहलुओं पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : अध्यक्ष, महोदय, आज हम देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष की नेता, श्रीमती गांधी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हेतु स्थगन प्रस्ताव का प्रयोग किया। यद्यपि यह मुद्दा स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा किए जानेवाले विषयों की श्रेणी में नहीं आता है, फिर भी आपने परिस्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए स्थगन प्रस्ताव के तहत इसकी चर्चा की मंजूरी दी।

मैं प्रसन्न हूँ कि इस सम्माननीय सभा में सूखे पर चर्च हो रही हैं अनेक सदस्यों ने सूखे पर चर्चा से भी आगे बढ़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) की स्थिति, जल की समस्या, जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ इस बात की भी चर्चा की है कि सूखे ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया है। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि इस बहस ने इन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आशा करता हूँ कि इस चर्चा का लाभ केन्द्र और राज्य सरकारों तथा इस विषय से सम्बद्ध अन्य अनेक संगठनों को होगा। वे यह समझ पायेंगे कि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्यों विफल हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं और आम तौर पर हमारे किसान क्यों कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि यहां सभी को स्थिति की गम्भीरता के बारे में पता है परन्तु मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दक्षिण-पश्चिम मानसून की समाप्ति पर वर्षा की कमी लगभग 20 प्रतिशत थी। वर्ष 1987 में यह कमी 24 प्रतिशत थी और वर्ष 1972 में यह कमी 30 प्रतिशत थी। इसलिए आंकड़ो को देखने से पता चलता है कि

सूखे की स्थिति उतनी अधिक भयावह नहीं है जितनी की मीडिया ने प्रचारित की हैं यदि आपने समाचार पत्र पढ़े हैं और दूरदर्शन पर समाचार सुना है तो उनके अनुसार जुलाई - अगस्त में देश मे भयावह स्थिति थी। लेकिन वे दो महीने पहले के सूखे के बारे में भूल गए हैं क्योंकि आंकड़ो के अनुसार वर्षा की कमी मात्र 20 प्रतिशत थी। तथापि, जुलाई की वर्षा कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यह जुलाई वर्ष 1875, जबसे हम आंकड़े रखते आ रहे है, से अब तक का सबसे सूखा जुलाई रहा है। इसलिए, वस्तुतः परेशानियां बहुत अधिक है।

हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं। चक्रवात आते हैं, बाढ़ आती है और उनके प्रभाव भयानक होते हैं; परन्तु उनका असर कम समय तक रहता हैं सूखे का असर काफी समय तक देखा जाता है। मृदा की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जलस्तर नीचे चला जाता है। यद्यपि सूखे के दौरान भूखमरी से कोई मौत नहीं होती, परन्तु इससे कुपोषण बढ़ता है और बच्चों के स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होते है। जैसा कि प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है, हमें इस सूखे के लिए तैयार रहना चाहिए जो अगली फसल के बाद भी जारी रह सकता है।

जहां तक खरीफ फसल का मामला है हमारा अनुमान है कि नुकसान 15 प्रतिशत के आसपास होगा। 900 लाख हैक्टेयर रोपित क्षेत्र में से लगभग 160 लाख हेक्टेयर में 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है। 20 प्रतिशत क्षेत्र में बुवाई ही नहीं हुई। इसलिए सूखे की स्थिति गंभीर है, इसमें कोई संदेह नहीं हैं यह पिछले सूखों की अपेक्षा अधिक व्यापक हैं सरकर इसके बारे में गम्भीर हैं प्रधान मंत्री आपको आश्वस्त कर चुके है और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं हो रही हैं यदि आप आंकड़ों को देखे तो इसी सभा में तेदेपा के नेता ने कहा है कि उन्हें कम धनराशि दी गयी है।

हालांकि विपक्षी दल यह शिकायत करते रहते हैं कि हम हमेशा उन राज्यों का पक्ष लेते है जहां हमारे गंठबंधन में शासित दलों का शासन हैं श्री येरननायडू ने स्वयं उल्लेख किया है कि इस मामले में आंध्र प्रदेश के साथ भेदभाव बरता गया है।

श्री के० येरननायडू : मैंने तथ्यों का औपचारिक विवरण भी दिखाया था।

श्री एन० जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : यह आरोप है कि कांग्रेस के दबाव में आंध्र प्रदेश के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। यह बात सही है अथवा गलत? श्री चन्दुबाबू नायडू ने यही कहा था। कृपया आप इसे स्पष्ट करें।

श्री अजित सिंह : मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि अब तक दी गयी सहायता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया है। यह प्रक्रिया ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने सभी मुख्य मंत्रियों की सहमति से ही धनराशि वितरित करने के तरीके और धन आबंटन हेतु मानदंड निर्धारित किया है। इसलिए किसी के प्रति भेदभाव बरतने का प्रश्न ही नहीं उठता।...*(व्यवधान)*

श्री एन० जनार्दन रेड्डी : इस प्रकार आपका कहना है कि किसी भी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : जैसा कि मैंने बताया प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राजनीतिक दल का दबाव आ रहा है जो कि स्वाभाविक है क्योंकि लोग पीड़ित हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, वह सहमत नहीं है।

श्री अजित सिंह : महोदय, मेरे पश्चात् विपक्ष की नेता बोलेंगी। इसलिए मुझे आशा है कि वह जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वह उनकी नेता के भाषण में प्रतिबिम्बित होगा। इसलिए मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने उन सब लोगों की बात सुन ली है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मेरा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह यह है कि ऐसी परिस्थिति में दबाव पड़ना आम बात है। इसकी उम्मीद रहती है क्योंकि लोग पीड़ित है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस के दबाव की वजह से आंध्र पदेश को कम खाद्यान्न दिया गया है। वह यही जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय को बोलने दें। कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी, आप अपना भाषा जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री अजित सिंह : महोदय, मैंने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया क्योंकि वह सिर्फ एक उदाहरण है। यह निरंतर प्रचार किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा हैं इस बार कर्नाटक की तुलना में जहां विपक्षी दल की सरकार है आंध्र प्रदेश को कम धनराशि दी गयी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश को यदि और खाद्यान्न दिया गया होता तो परिस्थिति अलग होती। उस समय इस प्रकार की स्थिति

[श्री अजित सिंह]

हुई होती और इसीलिए ऐसा किया गया। परन्तु जहां तक हमारे पास रिपोर्ट और आंकड़े उपलब्ध हैं अब सूखे की यह स्थिति अलग है। यह प्रक्रिया जारी रहती है।

सूखे पर गठित कार्यबल ने सिर्फ तीन महीने के लिए सहायता देने की सिफारिश की है। हम जनवरी में स्थिति की पुन: समीक्षा करेंगे। यदि वे पुन: यह महसूस करते हैं कि परिस्थिति और बदतर हुई है तो इन सभी चीजों पर पुनर्विचार किया जाएगा।

जैसा कि मैं कह रहा था इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्य ज्ञापन देते हैं और उसके पश्चात केन्द्र से दल जाता है और राज्याधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत अपना प्रतिवेदन अंतरमंत्रालयीय समूह को देता है, जो कि सचिवों का समूह होता है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने उप प्रधान मंत्री श्री आडवाणी की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। यह इन चीजों पर नजर रखता है और यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की जाये।

मैं एक बार पुन: यह कहना चाहता हूँ कि कार्यबल ने अंतरमंत्रालयीय समूह द्वारा की गयी सिफारिशों पर अपनी सहमति व्यक्त की है। यदि हमने कुछ बदला होता तो आप कहते कि इसमें राजनीति हो रही है। हमने अंतरमंत्रालयीय समूह द्वारा की गयी सिफारिशों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है।

मैं इस ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं समझता कि कितनी सहायता दी गई है क्योंकि मेरे सम्मानित सहयोगी, श्री शांता कुमार और श्री शरद यादव पहले ही आपको तत्संबंधी आंकड़े दे चुके हैं। मुझे विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से भी आपको दी गयी सहायता राशि और तत्संबंधी किए गए अन्य कार्यों के बारे में जानकारी होगी।

विपक्ष की माननीय नेता ने यह कहा है कि इस मामले में जिस प्रकार की तत्परता की जरूरत थी वैसी तत्परता नहीं दिखायी गयी। मैं यह बताना चाहता हूँ कि 24 जुलाई को कृषि और राहत मंत्रियों की बैठक हुई थी। कार्यबल का गठन 31 जुलाई को हुआ था। इसकी छ: बैठकें हो चुकी हैं। अनेक शिकायतें हो रही थीं कि कार्यबल बैठकें नहीं कर रहा है तथा रिपोर्ट आ रही है और वे इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आदि-आदि। कार्यबल के 31 जुलाई को गठन के पश्चात इसकी अब तक छ: बैठकें हुई हैं। उन्होंने क्रमश: 1 अगस्त, 16 अगस्त, 10 सितंबर, 20 सितंबर, 11 अक्टूबर और 16 नवम्बर को बैठकें की हैं। जैसा कि मैंने बताया था उन्होंने तीन महीने के लिए सहायता दी हैं हम जनवरी में पुन: समीक्षा करेंगे। अगर प्रत्येक राज्य की स्थिति नहीं सुधरती है तो हमारे पास जो भी ज्ञापन प्राप्त होते हैं, हम उनकी गम्भीरता से जाँच करेंगे।

जहां तक तत्परता का सवाल है अगस्त में ही 7 तारीख को केन्द्रीय राहत कोष की दूसरी किस्त जारी कर दी गयी थी। कार्यबल ने इस महीने की 16 तारीख को अपनी सिफारिशें की है और हमने केन्द्रीय राहत कोष की अग्रिम किस्तें पहले ही जारी कर दी थी ताकि राज्य यह नहीं कह सकें कि उनके पास सूखा राहत हेतु खर्च करने के लिए धन नहीं था।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि विपक्ष की नेता और कांग्रेस के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ हुई थी। उन्होंने अपने भाषण में यह उल्लेख किया था कि उन्होंने एक ज्ञापन दिया था परन्तु वह आश्वस्त नहीं है कि उस पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू करने हेतु निवेदन किया था। यह तत्काल शुरू कर दिया गया था। उन्होंने मांग की थी कि वित्तीय सहायता दी जाए। जैसा कि मैंने बताया केन्द्रीय राहत कोष की दूसरी किस्त शीघ्र जारी कर दी गयी थी। ज्ञापन में यह भी बात कही गयी थी कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि वर्त्तमान नियमों, विनियमों और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। श्री शरद पवार की अध्यक्षता में गठित एक समिति इस स्थिति की जाँच कर रही है। 31 अगस्त को ही संकट प्रबंधन समूह का गठन किया गया था। एन०डी०सी० ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया था कि एन०डी०सी० को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों के बारे में विचार करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि एन०डी०सी० अपनी दूसरी बैठक में इस पर विचार करेगा। प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि सूखे की समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु वे क्या योजना बना रहे हैं।

यह भी उल्लेख किया गया था कि आकस्मिक निधि कोष को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये कर दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि एन०सी०सी०एफ० की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। स्थिति के अनुसार जितनी भी राशि की मांग हो सरकार एनसीसीएफ से उपलब्ध कराने को कृतसंकल्प है। शुरू में इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। परन्तु ग्यारहवें वित्त आयोग ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने इस धनराशि को बढ़ाया जा सकता है। कार्यबल ने 2000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसलिए मुझे विश्वास है कि एन०सी०सी०एफ० द्वारा दी जानेवाली 500 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

ज्ञापन में फसल बीमा योजना हेतु समय बढ़ाये जाने की भी मांग की गयी थी। जिस किसी भी राज्य ने समय बढ़ाने की सिफारिश की थी वहां समय बढ़ाया गय है। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ

कि इस सूखे की स्थिति का सबसे बुरा असर राजस्थान में देखा जा रहा है जहां पर पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सूखा पड़ा है।...*(व्यवधान)*। चाहे कुछ भी हो यह चौथा या पांचवा सूखा है। मैं कह रहा हूँ कि चार वर्षों में यह तीसरा वर्ष है क्योंकि पिछले वर्ष राजस्थान में अच्छी बारिश हुई थी। मैंने आशा की थी कि राजस्थान फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाला पहला राज्य होना चाहिए क्योंकि मेरे विचार से चार वर्षों में तीन बार सूखा पड़ने की वजह से राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होगी।

[हिन्दी]

ग्रो० रासासिंह रावत : मान्यवर, राजस्थान में क्रॉप - इंश्योरेंस स्कीम लागू नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

श्री अजित सिंह : मैं यही बात कह रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा सहित उन्नीस राज्यों ने इस योजना को लागू किया है। राजस्थान सरकार के पास इस योजना को लागू न करने का कोई बहाना नहीं है क्योंकि यदि यह योजना लागू की गयी होती तो वे आज इस समस्या से नहीं जूझ रहे होते। हम समझते है कि राजस्थान की स्थिति बहुत बुरी है।

सरकार ने राजस्थान के लिए चारे और जल के अबाधित यातायात की अनुमति दी हैं सिर्फ यही नहीं हमने राजस्थान के लिए पशु आहार हेतु 30,000 मीट्रिक टन से भी अधिक गेहूं का आबंटन किया है। राजस्थान में पशु मुख्य धन है। वहां की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) से बातचीत की है तथा उन्होंने राजस्थान से लिए जाने वाले दूध की मात्रा बढ़ाकर प्रति माह 5 लाख लीटर कर दी है जो कि आमतौर पर लिए जाने वाले दूध की मात्रा के दुगुने से भी अधिक है। सामान्यत: नवम्बर और दिसम्बर में दूध की कीमतें कम हो जाती हैं। परन्तु वे इस बात पर सहमत हो गये हैं कि यदि सूखे की स्थिति बनी रही तो किसानों को दिए जाने वाले मूल्य पर विचार करेगें।

जहां तक दीर्घकालिक कार्यक्रमों का संबंध है, उसके लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, जल आपूर्ति कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जैसे कार्यक्रम बनाए गए हैं। मैं इस बात पर सहमत हूँ कि सूखे के चलते हमको जल आपूर्ति के बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि यह एक समस्या बनने जा रही है। प्रधान मंत्री महोदय ने विभिन्न राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का उल्लेख किया हैं सरकार अपने प्रयास में सभी विपक्षी दलों से सहयोग चाहती है क्योंकि जल को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में लिया जाना चाहिए। विपक्षी दलों के सहयोग के बिना हम आगे चलकर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

यह केवल नदियों को जोड़ने का प्रश्न नहीं है। हमें जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को अपनाना चाहिए। हमारे पास ग्रामीण इलाकों में बावलियां, जोहड़ और तालाब हैं। इन सभी पर कब्जा करके मकान बना लिए गए हैं। इसलिए हमें जल संरक्षण के पारंपरिक तरीको को अपनाना पड़ेगा। हम पुन: इस मुद्दे पर आपका सहयोग चाहते हैं क्योंकि अधिकांश राज्यों में विपक्षी दल की सरकार है। इसीलिए, विपक्ष की नेता ने सुबह स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि सूखे के विरूद्ध यह लड़ाई केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से लड़ी जानी चाहिए।

मैं एक और मुद्दे के बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके बारे में केन्द्र सरकार कुछ कर सकती हैं विभिन्न योजनाओं के लिए धन आबंटित करने के अलावा हमारे पास कोई कार्यान्वयन एजेन्सी नहीं है। हम खाद्यान्न आबंटित कर सकते हैं, परन्तु जरूरतमंद लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि 2000 करोड़ रुपए की निवेश राजसहायता को नकद या अन्य रूप में देने के बजाय प्रभावित किसानों के खातों में सीधे जमा किया जाए। हम राज्यों से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं और हमारे अनुरोध पर कार्रवाई करना राज्यों पर निर्भर करता है। अनेक माननीय सदस्य सर्वदलीय बैठकों की मांग कर रहे थे तथा वे चाहते थे कि एक सर्वदलीय समिति गठित की जाए। पिछली बार इसी विषय पर चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठा था। मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखे अपने पत्र में उनसे अनुरोध किया है कि जिला स्तर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाए जो सूखा राहत कार्यों की निगरानी कर सके। मैं नहीं समझता हूँ कि अनेक राज्यों ने ऐसा किया है। अतएव, मैं इस बात पर ध्यान देना चाहता हूँ कि यद्यपि राहत कार्य संयुक्त प्रयास से किये जाने चाहिए फिर भी केन्द्र स्तर पर हम आपको सूखा राहत हेतु योजना राशि के उपयोग के लिए सिर्फ प्राधिकृत कर सकते है; हम राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण कोष (एन०सी०सी०एफ०) से आपको धन दे सकते है; हम आपको यह बता सकते है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए; हम पशुओं को खिलाने हेतु चारा और खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए रेल यातायात नि:शुल्क उपलब्ध करा सकते हैं। परन्तु अंतत: कार्यान्वयन एजेन्सी राज्य सरकारों के अधीन होती हैं।

यह किसी पर आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। हमें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। किसी को भी अपनी जिम्मेदारी से जी नहीं चुराना चाहिए। हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध है, परन्तु फिर भी

[श्री अजित सिंह]

भूख के कारण मौतें हो रही हैं। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है, ऐसी परिस्थिति में हम सभी का मस्तक शर्म से झुक जाना चाहिए। हम खाद्यान्न का इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं कि विश्व को बड़े पैमाने पर इसका निर्यात कर सकते हैं परन्तु यहां अपने ही देश में लोग कुपोषण का शिकार हो रहे है। हमें पुन: सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करनी पड़ेगी।

हमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की पुन: समीक्षा करनी पड़ेगी। मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूँ कि वे इस बात को ध्यान में रखें। सूखे की स्थिति अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है और हम इसके लिए सचेत हैं। जब कभी भी आवश्यकता होगी कार्यबल अपनी बैठकें करेगा। मैं अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने में आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा दिन था और हमने बहुत से महत्त्वपूर्ण भाषण सुने। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इस लंबे थका देने वाले दिन के बाद घर जा सके।

आज सुबह, मैंने अपने भाषण में सरकार से सूखा प्रभावित राज्यों को सभी संभव सहायता देने को कहा था। मैंने इस समस्या से ग्रस्त सभी राज्यों के लिए बोला था। मैंने केवल कांग्रेस शासित राज्यों के लिए ही नहीं कहा था और मेरा विश्वास है कि इस भारी चुनौती का सामना करने हेतु यही भावना होनी चाहिए।

आज सुबह, मैंने बहुत से सुझाव दिए थे। इनमें से बहुत से सुझावों का इस सदन के सभी पक्षों से संबंधित कई साथियों ने समर्थन किया था और चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में उनमें से कुछ को छुआ भी नहीं है अत: मैं उन्हें पुन: दोहराना चाहूंगी।

अब, मैं पहली मांग के बारे में कहूंगी जोकि राहत पैकेज के कार्य को गति प्रदान करने हेतु एक सर्वदलीय समिति के गठन के बारे में था। मेरे विचार से इससे विभिन्न दलों और इस प्रकार निश्चित रूप से राज्यों के बीच समन्वय में सहायता मिलेगी।

इसके बाद मैंने यह भी कहा था कि एन०डी०सी० की एक विशेष बैठक बुलाने से केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय में भी काफी मदद मिलेगी। आपने, निश्चित रूप से, कृतिक बल और अन्य विभिन्न समितियों का उल्लेख किया है परन्तु मेरा विश्वास है कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा।

मैंने कहा था कि किसानों के ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाए और पारंपरिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया जाए। आपने काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उल्लेख किया हैं निश्चित रूप से हम यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया में है लेकिन इस कार्यक्रम विशेष को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

मैंने अन्त्योदय कार्यक्रम को भी विस्तारित करने के लिए कहा था जो कि एक सफल कार्यक्रम है। इसलिए, यदि मंत्रालय इसका विस्तार कर सके तो यह उनके लिए अत्यन्त सहायक होगा जो आजकल सूखे के कारण अत्यधिक कठिनाई में हैं।

मैंने परिवहन के मुद्दे का भी उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री महोदय ने संक्षिप्त रूप से इसका उल्लेख किया है लेकिन खाद्यान्नों के परिवहन का यह मुद्दा सर्प्यों द्वारा केन्द्र सरकार पर और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों पर टाला जाता रहा है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरूद्धार कर उसे सुदृढ़ बनाए जाने के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन, मेरे विचार से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है और जिसे आपने वास्तव में छुआ भी नहीं है, वह है सूखा प्रबन्धन संहिता। यदि सरकार इसपर ध्यान दे तो यह बहुत अच्छा होता।

खाद्य मंत्री और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्यों ने उल्लेख किया है कि मध्य-प्रदेश जैसे राज्यों को बड़ी मात्रा में खाद्यान्न भेजे गए हैं जिन्हें उठाया नहीं गया है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो कुछ संसद सदस्यों और मेरे विचार से खाद्य मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया था। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगी कि विशेषकर सूखा राहत हेतु कितना खाद्यान्न भेजा गया है। मैंने आज सुबह यह दर्शाने वाले आंकड़े दिए हैं कि न केवल मध्य प्रदेश अपितु अधिकांश कांग्रेस शासित प्रदेशों में सूखे के लिए भेजा गया सारा खाद्यान्न उठाया गया है। तत्पश्चात् कुछ माननीय संसद सदस्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी अन्य चालू योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न आबंटित करने का भी उल्लेख किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वयं में त्रुटिपूर्ण है और कई माननीय संसद सदस्य इससे सहमत हैं। मेरे विचार से, वास्तव में खाद्य मंत्री ने स्वयं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसका पुनरूद्धार करने की आवश्यकता पर सहमति जताई है।

रात्रि 8.00 बजे

तत्पश्चात् ग्रामीण विकास मंत्री, श्री शांता कुमार ने यह सिद्ध करने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए कि उन्होंने राज्यों के लिए कितना खाद्यान्न जारी किया और पुन: राज्यों ने उसके कितने कम भाग का उपयोग किया है। लेकिन मैं इस सब में नहीं जाना चाहती क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम इस पर अलग से चर्चा कर सकते हैं। मेरे विचार से ये कुल आंकड़े बहुत सी चीजें छुपा सकते हैं। उनके मंत्रालय द्वारा

बहुत सी योजनाऐं चलाई जा रही हैं। उदाहरणार्थ यह जानना रूचिकर होगा कि कितना खाद्यान्न जारी किया गया और किस योजना के लिए, इनमें से कितनी योजनाऐं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, ये सब चीजें कब जारी की गई, इसका कितना प्रतिशत योजनागत व्यय के लिए है आदि। जैसा कि मैंने अभी कहा कि विस्तृत रूप से चर्चा करने का समय नहीं है। लेकिन ये बहुत प्रासंगिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें किसी न किसी समय मिलना ही चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संकेत किया कि हमने कहा है कि राज्यों को सहायता देने में राजनैतिक तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। मैंने आज सुबह ऐसा नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि सहायता प्रदान करने हेतु मानदण्ड वस्तुपरक और पारदर्शी होने चाहिए। मैंने केवल यही कहा था। आज भी हम इस सूत्र से अनभिज्ञ हैं जिसके आधार पर प्रत्येक राज्य को सहायता प्रदान की जा रही है। अंततः, जो एक राज्य मांग रहा है और जो उसे दिया जा रहा है इन दोनों के बीच कहीं कोई संबंध नहीं है। यह दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री महोदय ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों को 1987 में दी गई सहायता की तुलना 2002 में दी गई सहायता से की है। यदि इन्होंने इस समय के खाद्यान्न भंडार, रुपये के मूल्य और 1987 के कुल बजटीय परिव्यय का ब्यौरा भी दिया होता तो शायद यह समझना कहीं अधिक आसान होता कि हम 1987 की तुलना में वर्तमान समस्या की गंभीरता का उत्तर देने के प्रति कितने गंभीर हैं।

मेरे विचार से यहां उपस्थित लगभग सभी सदस्यों ने वास्तव में केन्द्र सरकार द्वारा की गई अपर्याप्त सहायता के बारे में कहा हैं यहां मैं फिर दोहरा दूं कि इसे राजनैतिक आलोचना की दृष्टि से न देखकर सकारात्मक आलोचना की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मेरे विचार से यदि सकारात्मक आलोचना को, कमियों को बताने और उनपर चर्चा करने को गलती से राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाऐगा, तो मुझे वास्तव में खेद है कि यह मेरी समझ से परे हैं लेकिन हमें जहां भी दिखें वहां कमियों को प्रकट करना चाहिए क्योंकि अंततः यही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति को बेहतर बनाने हेतु एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं। मैं यह कह रही थी कि यहां उपस्थित कई माननीय संसद सदस्यों ने सूखा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा कोष से अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने का उल्लेख किया है। अब, इस परिप्रेक्ष्य पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं सरकार कहती है कि जब वह केन्द्रीय दल की रिपोर्ट की जांच कर लेगी तो और सहायता जारी करेगी, लेकिन ये सब औपचारिकताएं बहुत पहले पूरी कर ली जानी चाहिए थीं। प्रत्येक गुजरने वाला दिन लोगों के दुख को और बढ़ा रहा हैं इसलिए, मैं केन्द्र से अनुरोध करती हूं कि वह कम से कम अब तो इस प्रक्रिया को तेज करे जिससे और अधिक समय नष्ट न हो।

अंततः, अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस बहस ने सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी हैं अपनी ओर से हम जो भी कर सकते हैं करेंगे लेकिन मुख्य जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की हैं अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः इस सरकार से देशभर में सूखे से पीड़ित लाखों लोगों तक यथाशीघ्र सभी संभव सहायता पहुंचाने का अनुरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं इस प्रस्ताव को सदन में मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सोनिया गांधी : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसे प्रधामंत्री महोदय ने उठाया है, का उल्लेख करना भूल गयी हूं और वह है नदियों को जोड़ने का मुद्दा हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और हमें इसमें भाग लेकर प्रसन्नता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 13 और 14 पर बाद में किसी दिन विचार किया जाएगा। मद संख्या 15, नियम 377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखा माना जाए।

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान के करौली जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्रीमती जसकौर मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा था। राजस्थान में कुछ जिले, जो पिछले 5 सालों से जिले के रूप में आने के बाद भी आज तक जवाहर नवोदय विद्यालय से वंचित

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्रीमती जसकौर मीणा]

है, जिसमें से एक जिला करौली है, जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है और यहां के नागरिक काफी समय से जवाहर नवोदय विद्यालय की मांग करते आ रहे हैं। यह क्षेत्र दस्यू प्रभावित तथा डांग क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं का बहुत ही अभाव है और यहां के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के लाभ से वंचित हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के करौली जिले में अविलम्ब एक नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(दो) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बहुल नर्मदा जिले का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए वन कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्कता

श्री मनसुखभाई डी० वसावा (भरूच) : अध्यक्ष महोदय, वन संबंधी कानूनों से मेरे भरूच संसदीय क्षेत्र के नर्मदा जिले के डीडीया पाडा और सगवारा तहसीलों के आदिवासी लोगों के विकास को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। रिजर्व फोरेस्ट कानून के चलते यहां के आदिवासी के खेतां को सिंचाई हेतु डैम नहीं बनाये जा सकते, आने जाने के लिए रोड नहीं बना सकते, पशुओं के पानी और खेतों की सिंचाई के लिए तालाब और छोटी छोटी नहर नहीं बनाई जा सकती हैं। कैसा विरोधाभास है कि वनों के कानूनों से वनवासियों को ही नुकसान पहुंच रहा है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा आदिवासी क्षेत्रों में इन कानूनों को इतना कठोर नहीं बनाया जाये और इन कानूनों को इस प्रकार से संशोधित किया जाये कि आदिवासी लोगों का विकास आसानी से किया जा सके।

(तीन) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पालनपुर में रेल लाइन पर उपरिपुल का निर्माण शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के मुख्यालय पालनपुर के रेलवे लाइन पर उपरी पुल को चौड़े किये जाने हेतु लम्बित कार्य की ओर दिलाना चाहता हूं। इस उपरी पुल को चौड़े किये जाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है इस संबंध में गुजरात सरकार ने दो तिहाई लागत की रकम 2 करोड़ 99 लाख का एक करोड़ 95 लाख भी दो साल पहले जमा कर दिया है। अब रेलवे विभाग कहता है कि गुजरात सरकार पूरा पैसा जमा करे तभी कार्य शुरू किया जायेगा। दो तिहाई पैसा जमा करने के बाद इस उपरी पुल का प्लान एवं ऐस्टिमेट अभी तक तैयार नहीं किया गया। इस संबंध में रेल मंत्री जी से अनुरोध करने पर जनवरी 2002 को टैंडर निकाला और ग्यारह महीने यानी नवम्बर 2002 में काम को पूरा करना था, परंतु रेलवे विभाग इस कार्य में देरी कर रहा हैं। उपरी पुल के चौड़े न किये जाने पर इस शहर के बीचोबीच रोजाना जाम रहता है और कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं एवं यह उपरी पुल बहुत ही पुराना है।

(चार) मध्य प्रदेश में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसोर) : अध्यक्ष महोदय ग्रामीण विकास कार्यक्रम और प्रधान मंत्री सड़क योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नीति में यथासंभव चरणबद्ध तरीके से पूरा न किए जाने से जहां केन्द्र द्वारा प्रदत्त करोड़ों रुपया इसलिए खर्च नहीं हुआ कि प्रक्रियागत कार्यों में अनावश्यक विलम्ब विशेषकर मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर व नीमच जिले की स्थिति बहुत शोचनीय है। इन जिलों में निविदा के लिए सूचना प्राप्ति के बाद उनका निपटारा करने में अनावश्यक विलंब व बाद में एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदारों को काम देने से गुणवत्ता में कमी, निर्धारित मानदंडों को अनदेखा करना व समयावधि में कार्य को पूरा न करने से ग्रामीण विकास में जो तेजी से प्रगति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस हेतु केन्द्र द्वारा एक मानिटरिंग समिति बनायी जावे जो इन कार्यों को देखे। साथ ही एक संसदीय समिति भी बनाई जावे जो इन कार्यों की गुंणवत्ता, मानदंड व प्रक्रिया आदि का निरीक्षण करे।

(पांच) मध्य प्रदेश में सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राज्य में केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के अनेक जिले सूखे एवं अकाल की मार झेल रहे हैं। प्रदेश के सर्वाधिक सूखा प्रभावित जिले सतना, रीवा, सिधी, शहडोल, कटनी एवं पन्ना जिलों में खरीफ फसल 90 प्रतिशत से ज्यादा सूख गई हैं रबी की फसल आने में छ: महीने लगेंगे। ग्रामीण जनता को अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की जा रही है। लोग काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। काम के बदले अनाज योजना कहीं भी चल नहीं रही। भारत सरकार की अन्त्योदय योजना एवं अन्नपूर्णा योजना का भी यही हाल हैं सर्वाधिक सूखा प्रभावित विन्ध्य भू-भाग

की सूखा एवं अकाल की स्थिति भयावह हैं ऐसी स्थिति में पहाड़ी क्षेत्रों की गरीब जनता भूखों मरने के कगार पर है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश में सूखे एवं अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक कदम उठायें तथा राज्य में केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें।

[अनुवाद]

(छह) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा कतिपय जिलों को 'विशेष दर्जे वाले जिले' घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : आध्रं प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि हैदराबाद-कर्नाटक के चार जिलों यथा गुलबर्गा, बीदर, रायचूर और कोप्पल को संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन "विशेष दर्जा प्राप्त जिले" घोषित किया जाए।

केन्द्रीय गृह मंत्री राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग से सहमत थे। राज्य सरकारों ने सितम्बर 2001 में ही केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था जिसके संबंध में केन्द्र सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए थे। राज्य सरकारों ने बताया था कि विशेष दर्जा प्राप्त करने से वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश मिलने में सहायता मिलेगी। यह विशेष दर्जा इसलिए दिया गया ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसरों तथा संस्थानों में प्रवेश के राज्य स्तर पर अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े।

महोदय, चूंकि मामला अभी भी लंबित है, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप इस मांग पर उचित रूप से विचार करें और यदि आवश्यक हो तो संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन उपरोक्त जिलों को "विशेष दर्जा प्राप्त जिले" घोषित करने हेतु विधान सहित आवश्यक अनुदेश जारी करे।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शहर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 1991 के बाद यानि ग्यारह साल के दौरान अब तक मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में छोटे एवं मध्यम शहर विकास योजना की कोई स्कीम लागू नहीं की है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे शहर हैं जो शहर विकास योजना की सारी औपचारिकतायें पूरा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के छोटे से शहरों को गत 10 वर्ष के दौरान शहर विकास योजना के अंतर्गत लाया गया है। इस संसदीय क्षेत्र में सीवर एवं पेयजल की आपूर्ति के अभाव में कई प्रकार की बीमारी फैलती है, नालियों में गंदगी से एक ओर तो गंदगी फैलती है और दूसरी ओर मलेरिया जैसी बीमारी प्रत्येक साल होती है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसकी जांच की जाये और राज्य सरकार और जिला प्रशासन को मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में छोटे एवं मध्यम शहर की विकास योजनाओं को लागू करने हेतु कार्यवाही करने का निर्देश दें तथा इसके लिए आवश्यक धन भी निर्गत करें।

[अनुवाद]

(आठ) परवा-बोरी-सिन्दोला-चन्द्रपुर-गढ़चिरौली-धनोरा-दुर्ग मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : छत्तीसगढ़ राज्य गठित होने के बाद पर्वा-बोरी-सिन्दोला-चन्द्रपुर-गढ़चिरौली-धनोरा-दुर्ग सड़क के सुधार की मांग होती रही है। यह सड़क इस समय सवरगांव तक बनी हुई है। जोकि गढ़चिरोली जिले में महाराष्ट्र की आखिरी सीमा सड़क है। सवरगांव से धनोरा तक छत्तीसगढ़ सड़क की हालत बहुत खराब है। सवरगांव से धनोरा तक एक लेन वाली सड़क है। धनोरा से पहले 5.5 मीटर सड़क है। इस सड़क पर छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र तथा अन्य फैरो मैगनीज़ इस्पात संयंत्र के कारण भारी यातायात हैं। यदि उपरोक्त सड़क बन जाती है तो यह दूरी 120 कि०मी० कम हो जाएगी। इस तरह समय और ईंधन के रूप में राष्ट्र की बचत होगी।

यह सड़क ने केवल छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपितु बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों तथा दक्षिण भारत के लोगों के लिए भी उपयोगी होगी। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार इस सड़क के महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(नौ) पश्चिमी बंगाल में ऊदलबाड़ी रेलवे स्टेशन का दर्जा बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाई गुड़ी) : ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया ऊदलबाड़ी रेलवे स्टेशन उत्तर तथा पूर्वोत्तर के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। यह चाय बागानों, वृक्षों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र में यातायात सुगम बनाने हेतु

[श्रीमती मिनाती सेन]

स्टेशन की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शुरू कर दिया है। इस स्टेशन के दूसरी ओर भूटान और बांग्लादेश होने के कारण रेत, पत्थर और रोड़ी इस रास्ते से बांग्लादेश को भेजी जा रही हैं पर्यटकों ने इस स्टेशन का उपयोग इस क्षेत्र में प्राकृतिक स्थल का दौरा करने हेतु किया।

इसलिए, मैं, रेल मंत्री से इस स्टेशन की पूर्व स्थिति बहाल करने का आग्रह करता हूं।

(दस) आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : सामान्यत: आंध्रप्रदेश में और विशेषरूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र तैनाली में हथकरघा उद्योग तथा हथकरघा श्रमिकों की दशा शोचनीय हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मंगलगिरी, भाटीपुरूलु, चेरूकुपल्ली, रेप्पले, घंटास्ला आदि जैसे स्थानों में 20.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत के अनबिके उत्पादित कपड़े का बड़ी मात्रा में ढेर लग गया है। इस भण्डार की खरीद का प्रबंध करने तथा उद्योग को बचाने हेतु संसद में अनेक अवसरों पर पहले भी यह मामला उठाया गया था।

इसके अतिरिक्त, हाल ही में अमरीकी धागे (यांको यार्न) पर 9.2 प्रतिशत का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था।

इन परिस्थितियों के अंतर्गत, राज्य में समस्त हथकरघा भण्डार की तत्काल खरीद की व्यवस्था करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में हथकरघा उद्योग और श्रमिकों की दशा का विस्तार से अध्ययन करने तथा उन्हें इस संकट से उबारने के लिए समुचित उपायों का सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करे अन्यथा समस्त हथकरघा क्षेत्र अपने आप धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा।

[हिन्दी]

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर, जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री भालचन्द्र यादव (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा संसदीय क्षेत्र खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर नव सृजित जनपद है जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। इस जनपद में उच्च शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई यहां पर केन्द्रीय विद्यालय है, जिससे यहां के बालक एवं बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण कराई जा सके।

अत: सरकार से निवेदन है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जाये, जिससे वहां के बालक एवं बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल सके।

(बारह) बिहार के मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मुंगेर संसदीय क्षेत्र में ऋषि कुण्ड, शक्ति पीठ मां चण्डिका स्थान, सीता कुण्ड कष्टहरणी घाट, श्रृगि ऋषि आश्रम, घोडा खुर, भीम बाध, सीता चरण एवं मीर कासिम का किला तथा अन्य प्राचीन कालीन एवं मध्य कालीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर मौजूद है, परन्तु इन स्थानों का पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास नहीं हो पाया है। मैंने इस संदर्भ में भारत सरकार के पर्यटन मंत्री को पत्र भी लिखा था। लेकिन अभी तक कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया है।

अत: माननीय पर्यटक मंत्री से मैं मांग करता हूं कि इन सभी स्थानों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और इन सभी स्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाये, जिससे इनका पुर्णोद्धार किया जा सके एवं इन स्थानों पर पर्यटन परिसर तरण-ताल तथा पर्यटकों को अन्य सुविधायें मुहैया करायी जाये।

(तेरह) हरियाणा की डबवाली तहसील में शेरगढ़ गांव में आदर्श नवोदय विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा देश में शिक्षा के संबंध में आवश्यक महत्वाकांक्षी योजना घोषित की जा चुकी हैं घोषित योजना देश के लिए आवश्यक होने के साथ साथ उपयोगी भी हैं मैं समझता हूं कि योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे। जवाबदेह और गतिशील प्रशासन ही इस योजना को सफल बना पायेगा, किंतु मुझे अभी प्रशासनिक व्यवस्था में भारी खमियां देखने को मिल रही हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र की डबवाली तहसील में शेरगढ़ नामक ग्राम है। वहां गत 27 जुलाई 2001 में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने एक आदर्श नवोदय विद्यालय का शिलान्यास किया था। लोगों को आशा थी कि इस विद्यालय से क्षेत्र की शिक्षा की कमी को एक सीमा तक दूर करने में सहायता मिलेगी। किंतु गत शैक्षणिक सत्र तो बीत ही गया, आगामी सत्र में भी इस परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ

होते नजर नहीं आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से परियोजना के लिए भूमि दे दी गई है, किंतु उस भूमि पर काम शुरू नहीं हो पाया है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को आगामी शैक्षणिक सत्र में ही पूरा करने का निर्णय किया जाये ताकि यहां शिक्षण कार्य प्रारंभ हो सके।

(चौदह) कश्मीर के युवाओं के लिए एक विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : मैं सरकार का ध्यान कश्मीर विशेषरूप से टिटवाल, टंगडार, नाचेन, गबरा, केरन, मच्छिल, गुरेज, तिलेल, दावर, पुराना तिलेल तथा उरी तहसील के ऊपरी क्षेत्रों के बेरोजगार लड़के और लड़कियों की दु:खद स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। कश्मीर की अव्यस्थित सुरक्षा परिदृष्य को ध्यान में रखते हुए कश्मीर के योग्य व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रभ शुरू करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं। इस प्रयास से राज्य के निराश युवाओं को सहायता मिलेगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल कदम उठाए और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से लधु उद्योग क्षेत्र के पुनर्वास तथा पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यपारियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे।

(पन्दह) दक्षिण-पूर्व रेलवे के सियालदाह खंड में रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : दक्षिण पूर्व रेलवे के सियालदह खण्ड में रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा हैं यदि यह कार्य इसी गति से चलता रहा तो इसे पूरा होने में और पांच वर्ष लग जाएंगे। इसके कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं सनारपुर से कैनिंग तक रेल लाइन के दोहरीकरण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संबंधित प्राधिकारियों को तत्काल यथाशीघ्र कार्य पूरा करने के लिए कहे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 21 नवम्बर, 2002 को पूवाहन ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.07

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 21 नवम्बर, 2002/ 30 कार्तिक, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।